दशम माला, खंड 9, अंक 19

सोमवार, 23 मार्च, 1992
3 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 23 मार्च, 1992 / 3 चैत्र,

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	
33	नीचे से पंक्ति 4	"डा॰ महारौपक सिंह शाक्य" के स्थान पर "डा॰ महादीपक सिंह शाक्य" पढ़िये।
47	नीचे से पंक्ति 8	राज्य मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए।
49	नीचे से पंक्ति 9	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
53	नीचे से पंक्ति 6	प्रश्न संख्या "344" के स्थान पर "341" पढ़िये।
73	13	प्रश्न संख्या "464" के स्थान पर "364" पढ़िये।
89	नीचे से पंक्ति 2	प्रश्न संख्या "3738" के स्थान पर "3728" पढ़िये।
99	16	शीर्षक में "हुंगी" के स्थान पर "हुंगी" पढ़िये।
102	नीचे से पंक्ति 13	"श्री भुवन चन्द्र कंडूरी" के स्थान पर "श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी" पढ़िये।
104	12	राज्य मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए।
113	नीचे से पंक्ति 6	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
117	13	प्रश्न संख्या "3966-" के स्थान पर "3766" पढ़िये।
195	नीचे से पंक्ति 7	"शीर्षक" इस प्रकार पढ़िये :- "काफी उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता"
204	नीचे से पंक्ति 6	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
477	14	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
511	19	"श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।
518	नीचे से पंक्ति 6	"श्री मनोरंजन बख्त" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये।
540	12	"अधिनयम" के स्थान पर "अधिनियम" पढ़िये।
541	15	"स्वीतकृत" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
206	प्रथम पंक्ति	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
228	12	"(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये ।
232	अन्तिम पंक्ति	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
265	नीचे से पंक्ति 3	"3895" के स्थान पर "3896" पढ़िये ।
283	13	प्रश्न संख्या "3913" के स्थान पर "3914" पढ़िये ।
294	4	"श्रीमती गीता गुजर्जी" के स्थान पर "श्रीमती गीता मुखर्जी" पढ़िये ।
298	नीचे से पंक्ति 8	प्रश्न संख्या "3028" के स्थान पर "3928" पढ़िये ।
313	5	शीर्षक में "मूय" के स्थान पर "मूल" तथा "योजा" के स्थान पर "योजना" पढ़िये ।
316	2	"श्री संदोपान भगवानव्योरात" के स्थानपर "श्री संदीपान भगवान थोरात" पढ़िये ।
		पंक्ति संख्या 15 व 16 निकाल दीजिए ।
383	17	"श्री के॰एव॰मुनियप्पा" के स्थानपर "श्री" के॰एव॰ मुनियप्पा" पढ़िये ।
398	14	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
400	10	शीर्षक में "दरेहन" के स्थान पर "दोहन" पढ़िये ।
407	नीचे से पंक्ति 2	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
423	6	"श्री राजेन्हे कुमार शर्मा" के स्थान पर "श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा" पढ़िये ।
429	नीचे से पंक्ति 6	"श्री राम विलास पाहवान" के स्थान पर "श्री राम विलास पासवान" पढ़िये ।
461	11	प्रश्न संख्या "4111" के स्थान पर "4112" पढ़िये ।
463	नीचे से पंक्ति 7	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय सूची

दसवां माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 19 सोमवार, 23 मार्च, 1992/3 चैत्र, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	347, 349 से 352 और 354 से 357 ...	1-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		41-509
*तारांकित प्रश्न संख्या :	326 से 346 और 257 (20.3.92) ...	41-78
	348, 353 और 358 से 367 (23.3.92)	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3716 से 3801, 3803 से 3818 3820 से 3834, 3836 से 3847 और 3849 से 3950 (20.3.92) ...	78-322
	3951 से 4001, 4003 से 4014, 4016 से 4110 और 4112 से 4181 (23.3.92) ...	323-509
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	537-539
राज्य सभा से सन्देश	...	539
प्राक्कलन समिति	...	539-540
दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत		
याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण	...	540-547
(एक) 1.1.1964 से 25.3.1971 के दौरान तत्कालीन पाकिस्तान से आए प्रवासियों का दिल्ली में पुनर्वास	...	540
(दो) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम का निरसन	...	540
समितियों के लिए निर्वाचन	...	540-543
(एक) प्राक्कलन समिति	...	540-541
(दो) लोक लेखा समिति	...	541

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) लोक लेखा समिति ... 541

(चार) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ... 541-542

(पांच) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ... 542

(छः) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ... 542

(सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ... 543

नियम 377 के अधीन मामले ... 543-547

(एक) कराड रेलवे स्टेशन का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी चव्हाण ... 543

(दो) तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि में "लिक्विड प्रोपेल्शन सिस्टम सेंटर" की स्थापना के कारण प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता

श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन ... 544

(तीन) विभिन्न श्रम न्यायाधिकरणों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती शीला गौतम ... 544

(चार) नसीराबाद-मऊ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 545

(पांच) असम के बारपेटा जिले में मछली पालन उद्योग को विकसित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री उद्धव बर्मन ... 545

(छः) अनिवासी भारतीयों तथा अन्य लोगों को विदेश से सोना लाने के लिए अधिक रियायतें दिए जाने की आवश्यकता

श्री अम्बारासु इरा ... 546

(सात) चावल पर दी जाने वाली राजसहायता पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केरल सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. के. वी. थामस ... 546

(आठ) बिहार में कमला और बागमती नदियों पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री नीतीश कुमार ... 546-547

बजट (सामान्य), 1992-93 सामान्य चर्चा ... 548

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 549-559

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92 ... 559

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ... 559-570

श्री मुरली देवरा ... 570-578

श्री चन्द्रजीत यादव ... 578-585

श्री अमल दत्त ... 586-596

डा. देवी प्रसाद पाल ... 596-601

श्री पी. जी. नारायणन ... 601-606

श्री हरिन पाठक ... 606-611

श्री मनोरंजन भक्त ... 611-620

श्री आर. जी. विलियम्स ... 620-622

श्री रूपचन्द पाल ... 622-629

श्री ए. चार्ल्स ... 629

लोक सभा

सोमवार 23 मार्च, 1992/3 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, क्या आप माननीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया द्वारा अर्धशतक बनाने पर उन्हें बधाई देंगे जिसके फलस्वरूप लोक सभा क्रिकेट टीम को कल विजय मिली ?

अध्यक्ष महोदय : हमने यह काम कल ही कर था ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इंडिया का वहां वर्ल्ड कप में क्या हुआ, उसकी बधाई दो न इनको :

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : इस पर भी आपत्ति है क्या ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

घरेलू उड़ानों में धूम्रपान और मद्यपान

*347. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में धुम्रपान और मद्यपान करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो वहां इस घोषणा किए जाने के क्या कारण हैं कि धूम्रपान निषेध है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां धूम्रपान रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. ओ. एच. फारूक) : (क) सभी अन्तर्देशीय उड़ानों में धूम्रपान पर कड़ा प्रतिबन्ध है। इंडियन एयरलाइन्स अन्तर्देशीय उड़ानों में मदिरा की व्यवस्था नहीं करती है। तथापि, उड़ानों में मंत्रियों द्वारा मदिरा का सेवन किये जाने पर रोक नहीं है।

(ख) ऐसी उड़ानगत घोषणाएं यात्रियों को यह अवगत कराने के लिए की जाती है कि धूम्रपान वर्जित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि घोषणा के बाद भी कोई वहां धूम्रपान करता है तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.ओ.एच. फारूक) : महोदय, हमें उस समय कोई ऐसा मामला नहीं मिला है कि घोषणा के बाद भी धूम्रपान कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम उन्हें ऐसा न करने का अनुरोध करेंगे। तब दबाव डालकर उपाय करना तो सदैव ही होगा। इसके बाद प्रत्ययकारी उपाय तो किए जाते रहेंगे।

(हिन्दी)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि मैं त्रिवेन्द्रम से 4 फरवरी को दिल्ली आ रहा था और उस फ्लाइट में एक सज्जन धूम्रपान कर रहे थे तो उनको लाइटर देने का काम परिचालिका कर रही थी, इस प्रकार की जो बातें हो रही थी, इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, इसके बारे में हमें कोई उत्तर भी नहीं दिया गया है तो क्या इसको गम्भीरता से लागू करने पर विचार कर रहे हैं ? इस पर रोक लगायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम. ओ. एच. फारूक : हमें कोई पत्र नहीं मिला है। अगर वह हमें इसका विवरण दें तो हम इस मामले की जांच करेंगे।

(हिन्दी)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : दूसरी बात यह है कि धूम्रपान के बारे में कहा गया है कि वहां रोक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक माना जाता है तो क्या विमान एक सार्वजनिक स्थान नहीं है ? यदि वहां धूम्रपान

कोई करता है और असन्तुलित होकर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो क्या उसे आपत्तिजनक नहीं माना जायेगा ? ऐसी स्थिति में क्या वहां आप मद्यपान रोकना चाहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम ओ. एच. फारूक : अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में विमान सेवाएं इसकी अनुमति दे दी हैं लेकिन स्थानीय उड़ानों में कुछ लोग अपनी शराब लाते हैं और पीते हैं। यदि वे अन्य लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे निपटने के अन्य प्रावधान हैं। लेकिन अब ऐसा कोई मामला नहीं है।

पवन से विद्युत उत्पादन

*349. श्री हरिसिंह यादव ।

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन से विद्युत उत्पादन हेतु कोई परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इससे कितना विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अन्य माध्यमों की तुलना में इस माध्यम से विद्युत उत्पादन सस्ता पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथराय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) और (ख) जी हां । पवन विद्युत कार्यक्रम वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था जबकि जनवरी 1986 में पहला पवन फार्म परियोजना शुरू की गई । पवन सर्वेक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में रिकार्ड और विश्लेषण की गई उपयुक्त पवन गति के आधार पर प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में पवन फार्म कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य ऐजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है । इसके अतिरिक्त कुछ निजी उद्यमियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए टैक्स लाभ का उपयोग करते हुए और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अतिरिक्त बिजली के प्रयोग, जमा करने और खरीदने के लिए दी गई सुविधाओं का उपयोग करके ग्रिड से जुड़े पवन विद्युत जनित्रों को स्थापित किया है । भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से निजी उद्यमियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध है । पवन फार्मों के नाम से जाने जाने वाले पवन विद्युत जनित्रों के झुरमुटों के अलावा उन स्थानों पर ग्रिड से जुड़ी हुई निजी मशीनें भी लगाई गई हैं जहां पर पवन फार्म परियोजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है । 31-1-1991 तक 38.3 मे. वा. की कुल क्षमता आरंभ की गई और सम्बन्धित राज्य ग्रिडों से जोड़ी गई जिसमें 5 मे. वा. की निजी क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं । इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में निजी क्षेत्र की 7 मे.वा. सहित लगभग 25 मे.वा. की कुल क्षमता के पवन विद्युत जनित्रों की स्थापना की जा रही है ।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विगत दी है, उससे फलित होता है कि विण्ड जेनरेशन के द्वारा सारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है, उसमें से एक तिहाई से ज्यादा बिजली गुजरात में पैदा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने अब तक कब और कितनी परियोजनाओं के लिए मांग की है और इनमें से अब तक कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है और बाकी को कब मंजूरी दी जायेगी ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, पवन के माध्यम से 1985-86 में ऊर्जा पैदा करना शुरू किया गया। इस समय हिन्दुस्तान में 38 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, पवन ऊर्जा स्रोत के माध्यम से और 24 मेगावाट और जल्दी ही हम पैदा करने लगेंगे। इस कार्यक्रम पर हमने जोर दिया है। हमारे जो तटवर्ती राज्य हैं, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां पर पवन की शक्ति से बिजली पैदा करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी से प्रश्न किया है, इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार ने कितनी परियोजनाओं के लिए मांग की है, आपने कितनी मंजूर की हैं और बाकी कब मंजूरी देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए स्पैसिफिक नोटिस मांगेंगे। आप दूसरा प्रश्न कीजिए। इसका उत्तर लिखित रूप में आपको दे देंगे। आप पूरे हिन्दुस्तान के बारे में प्रश्न कीजिए।

श्री हरिसिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, बनासकांठा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। रण के किनारे पर जहां पवन की रफ्तार बहुत तेज रही है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, बनासकांठा जैसे क्षेत्रों में आप पवन पर आधारित पवन प्लान्ट लगाने के लिए क्या विचार करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, पवन से बिजली पैदा करने के लिए पूरे हिन्दुस्तान में सर्वे किया गया है और यह सर्वे टाटा इन्स्टीयूट ने किया है। उस सर्वे के अनुसार 20 हजार मेगावाट बिजली पवन से पैदा करने की क्षमता है और इस में सबसे ज्यादा पवन से बिजली पैदा करने का स्रोत गुजरात और मद्रास के अन्दर है। माननीय सदस्य को मालूम है कि गुजरात में जो लाम्बा स्थान है, वहां दस मेगावाट बिजली पवन से पैदा की जा रही है। उसको स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनैक्ट कर दिया गया है। उसी तरह से गुजरात में सबसे ज्यादा पवन से बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसमें प्राइवेट सैक्टर के लोगों को भी बुलाया गया है। सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के पास साधन बहुत सीमित है। इसको कास्ट थर्मल और हाइड्रो पावर, जनरेशन से ज्यादा है। इसलिए हम इसका डिमांस्ट्रेशन पूरे देश में कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट सैक्टर के लोगों का भी लेकर बिजली पैदा करने के काम में प्रयत्न कर-सकें।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : यह आम धारणा है कि पवन विद्युत उत्पादन लागत सबसे सस्ती है। लेकिन प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में यह कहा गया है कि पवन विद्युत की औसत उत्पादन लागत 2/- रुपये से 2.25 रुपये प्रति कि. वा. है।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या केवल संयंत्र स्थापना सम्बन्धी प्रभार को ही ध्यान में रखकर प्रति कि. वा. पवन विद्युत उत्पादन लागत तय की जाती है ?

यदि हम बाद में होने वाले व्यय को भी ले, जो कि समय बीतने के साथ-साथ बहुत कम होगा, तो क्या पवन विद्युत की उत्पादन लागत सबसे सस्ती होगी ?

यदि हां, तो जहां पर तापीय या डीजल अथवा जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावना नहीं है, वहां पर पवन विद्युत उत्पादन की सम्भावना पर विचार किया जाए और ऐसी पवन विद्युत परियोजनाएं और अधिक स्थापित करने के लिए उपाय किए जाएं ।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि आगे चल कर पवन से जो बिजली बनेगी, उसकी कास्ट कम हो जाएगी, लेकिन आज इसकी कास्ट ज्यादा है । जब हम थर्मल से बिजली पैदा करते हैं, तो उसकी इनपुट कास्ट हमेशा बढ़ती रहती है यानि फयूअल, कोयल और ट्रांसपोर्टेशन व कोयला ढोने की कास्ट पड़ती है । हमने इस टेक्नालाजी की जो खोज की है, इसके माध्यम से बाद में इनपुट कास्ट में बिल्कुल खर्च नहीं होगा । परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में पवन से जो बिजली पैदा होगी, वह थर्मल और हाइड्रो के मुकाबले चीपर होगी ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि कोस्टल एरियाज में इसकी ज्यादा सुविधा हो सकती है । इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में··· जहां पावर जेनरेशन के लिए, जो डीजल द्वारा पावर जेनरेशन होते हैं, उसके कास्ट, उसके मूल्यों में काफी ज्यादा वृद्धि होती है और इसलिए कि 3 रुपए के ऊपर एक यूनिट पावर जेनरेशन में लगता है । तो इस बात को देखते हुए क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि पवन द्वारा जो बिजली उत्पन्न होगी वह अण्डेमान-निकोबार द्वीपा में, जहां पवन की गति काफी तेज है और हमेशा ही तेज पवन बहता है, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा है कि अण्डेमान-निकोबार लक्ष्यद्वीप में जहां विंड की वेलासिटी एक सेकण्ड में 6 मीटर की है, उन जगहों पर बिजली पैदा करने की ज्यादा संभावना है । अण्डेमान-निकोबार में मिनी हाइड्रो और माइक्रो हाइड्रो और पवन से बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और अपनी योजना के अन्दर हम इसको प्राथमिकता देंगे ।

श्री दिनेश पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पवन विद्युत कार्यक्रम के माध्यम से अभी यह 38.31 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें इनका क्या खर्च आता है और इतना ही 38.31 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में, जो तापीय संयंत्र से या डीजल से जो आप बिजली का उत्पादन कीजिएगा, उसमें क्या खर्च आएगा, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके इस प्रश्न से तो सारा हाउस मिसलीड हो जाएगा, ये तो एनसियल एक्सपेंडीचर है ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रकाश से बिजली पैदा करने के लिए करीब चौदह सौ करोड़ रुपए पर मेगावाट खर्च पड़ता है।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

*350. श्री जयनल अबेदिन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी का प्रतिशत अनुपात उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन यूनिटों का योगदान क्रमशः 29.85%, 31.4% एवं 18.89% है। पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन का अनुपात उत्तरी क्षेत्र के सन्दर्भ में काफी अनुकूल है और पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है।

श्री जयनल अबेदिन : महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन का अनुपात उत्तरी क्षेत्र के सन्दर्भ में काफी अनुकूल है और पश्चिम क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है। लेकिन 1951 में हमारी योजना प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पूर्व सामान्य क्रम से पूर्वी क्षेत्र और विशेषकर पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक थी। अब इसकी क्षमता सबसे कम है। 1994 में कुल 66000 मेगावाट क्षमता में पश्चिम बंगाल की क्षमता केवल 3000 मेगावाट है और पूरे पूर्वी क्षेत्र की क्षमता 9000 मेगावाट है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि क्या मन्त्री महोदय केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजना अवधि के दौरान तारीख सहित निवेश का विवरण और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्र-वार निवेश का विवरण दे सकते हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की कमी के बारे में प्रश्न किया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी 15 प्रतिशत है और अधिकतम मांग के समय यह कमी 20 प्रतिशत है। पूर्वी क्षेत्र में यह कमी के समस्या क्यों है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके अनेक कारण हैं। एक कारण यह है कि इस समय पूर्वी क्षेत्र में सभी राज्यों में संयंत्र भार क्षमता सबसे कम है। लेकिन प्रश्न यह है : आज विद्यमान क्षमता कितनी है ? बिहार में केवल 20 प्रतिशत है। बंगाल में राज्य बिजली बोर्ड की संयंत्र भार क्षमता 19 प्रतिशत है; उड़ीसा में 37 प्रतिशत है। अब

मैं आज विद्यमान क्षमता को लेता हूं। पूर्वी क्षेत्र में अधिकतम क्षमता का उपयोग करने और संयंत्र भार क्षमता में वृद्धि कैसे की जाए। केवल ऐसा करने से ही विद्युत की कमी की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। इस समय उड़ीसा में 3008 मेगावाट क्षमता की तालचेर परियोजना है। बंगाल में फरक्का परियोजना के तहत 2।000 मेगावाट क्षमता का सुपर ताप विद्युत केन्द्र निर्माणाधीन है। बिहार में 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की कहलगांव परियोजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल और उड़ीसा सरकारों को ट्रांसमीशन लाइनों का निर्माण कार्य 1989 में पूरा कर लेना चाहिए था परन्तु वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार में रंगाली और काराघाट ट्रांसमीशन लाइनों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करना था लेकिन आज तक उन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं विद्युत का उत्पादन कर सकता हूं लेकिन विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाए क्योंकि ट्रांसमीशन लाइनों द्वारा यह कार्य किया जाता है। अब उड़ीसा, बिहार और बंगाल की राज्य सरकारों ने ट्रांसमीशन लाइनों का निर्माण नहीं किया है। वे संयंत्र भार क्षमता में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी का कारण यही है।

श्री जायनल अबेदिन : माननीय मंत्री का उत्तर किसी भी प्रकार से मेरे प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र वार और क्षेत्र वार निवेश के बारे में जानना चाहता था। लेकिन उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास यह जानकारी नहीं है तो आप उत्तर भेज सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने केन्द्र सरकार के योगदान के बारे में पूछा है। क्या उड़ीसा में 3000 मेगावाट क्षमता की तालचेर परियोजना केन्द्रीय परियोजना नहीं है ? फरक्का··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्र-वार योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। संभवत: यह जानकारी इस समय आप के पास नहीं है। आप इसे लिखित में भेज सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के तहत 31000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का निर्णय लिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना विचाराधीन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक मई में होगी और यह केन्द्रीय क्षेत्र की भागीदारी को अन्तिम रूप देगी।

श्री जायनल अबेदिन : मैं जो जानना चाहता हूँ उस बारे में माननीय मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। यदि इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाए तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में बेहतर है। लेकिन यह सही नहीं है। मैं जानना चाहता था कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना प्रश्न करने दें।

श्री आयनल अबेदिन : मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूँ कि वह निवेश के बारे में क्षेत्र वार और केन्द्र वार विवरण सभा पटल पर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के निवेश के बारे में जानना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वक्तव्य को सभा-पटल पर रखा जाये।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने जो भी प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब उन्हें पत्र लिख कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री आयनल अबेदिन : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। आपने दो या तीन से अधिक प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री देवी प्रसाद पाल : पश्चिम बंगाल में विशेषकर औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए बिजली की बहुत कमी है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन के लिए कोई नई परियोजना आरम्भ करने का कोई कार्यक्रम है जिसमें केन्द्र सरकार भी हिस्सा लेगी तथा अपना योगदान देगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि फरक्का परियोजना कब आरम्भ हुई थी जिसका उन्होंने हवाला दिया है तथा इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आप प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दे सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : यह एक माना हुआ तथ्य है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी है क्योंकि राज्य सरकार बिजली के उत्पादन के लिए कुछ ठोस तथा समय-बद्ध काम नहीं कर रही है। उन्होंने फरक्का के बारे में एक प्रश्न किया है। 600 मे. वा. यूनिट का काम निर्माणाधीन है। कुल क्षमता 2,100 मे. वा. है। 500 मे. वा. के दो यूनिट निर्माणाधीन हैं और 600 मे. वाट यूनिट को पहले ही ऊर्जा दे दी गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवीं योजना की समाप्ति पर हम फरक्का में 2100 मे. वा. यूनिट तापीय विद्युत स्टेशन पूरा करने की स्थिति में होंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कैहलगांव, बिहार में 710 मे. वा. की कोयल-कारो परियोजना को मंजूरी दी है। तीसरे, हम तियेस्टा मे. वा. की परियोजना को मंजूरी देने वाले हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी की समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री देवी प्रसाद पाल : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह नवीं योजना की समाप्ति पर अर्थात् दस वर्षों के पश्चात् किया जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि दस वर्ष के पश्चात ही 2100 मे. वा. क्षमता वाले फरक्का परियोजना को अधिकृत किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उन्हें आपको चाय पर निमंत्रण देकर पूर्ण सूचना देने के लिए कह दूंगा। अब श्री जेना।

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय मंत्री जी ने वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न अभ्य

क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन में केन्द्र सरकार के योगदान के बारे में था। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि प्रथम योजना से लेकर सातवीं योजना तक समूचे देश में तथा उड़ीसा में केन्द्र सरकार का क्या योगदान था ? उड़ीसा राज्य में, सातवीं योजना तक बिजली उत्पादन में केन्द्र सरकार का योगदान लगभग नहीं के बराबर था। सातवीं योजना के दौरान, इसे लगभग पूरी तरह से अपेक्षित किया गया। आप तालचेर तथा आई. बी. घाटी से अन्य राज्यों को कोयला दे रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप आई. बी. घाटी में नई परियोजनाओं की स्थापना तथा तालचेर परियोजना के विस्तार को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं कि आप तालचेर परियोजना में धन लगा रहे हैं। आपने मात्र दो वर्ष पहले ही यह परियोजना आरम्भ की है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से उड़ीसा में सातवीं योजना तक केन्द्र सरकार का क्या योगदान रहा ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, देश प्रांत खंडी पूर्वी, पश्चिमी उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तम में बंटा हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं सिक्किम पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि योगदान कितना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि यह 29 प्रतिशत है। पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में स्थापित कुल उत्पादन क्षमता में से केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन यूनिट पूर्वी क्षेत्र में 29.85 प्रतिशत; उत्तरी क्षेत्रों में 31 प्रतिशत तथा पश्चिमी क्षेत्रों में मात्र 18 प्रतिशत है। और इसे और बढ़ाने के लिए, तालचेर, उड़ीसा में सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया जायेगा। श्री राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी। आप जानते हैं कि इसकी क्षमता 3,000 मे. वा. है और यह सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। 25 प्रतिशत बिजली केन्द्रीय क्षेत्र तथा 7.5 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा उत्पन्न की जाती है। यदि आपकी राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो मैं क्या कर सकता हूं ? क्या इसके लिए मैं उत्तरदायी हूं ?

श्री श्रीकान्त जेना : तो केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है ? क्या आप तैयार.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब प्रश्न सं. 351, श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

हरियाणा में पर्यटन

[हिन्दी]

*351. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि नियत की गयी है ?

[अनुवाद]

संसदीय विषयक और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. ओ. एच. फारूक) : (क) (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित प्राप्त प्रस्तावों में से, सीहमा, रोहतक (तिलयार), दमदमा, अम्बाला, बड़खल झील, बहादुरगढ़, होडल, धारूहेड़ा में सस्ते आवास का निर्माण करने के लिए 52.85 लाख रुपए के प्रस्ताव और प्रचार सहायता स्वीकृत किए जा चुके । तथापि, इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जिसमे केन्द्र का हिस्सा 59.62 लाख रुपए है :—

(1) करनाल में सस्ता आवास

(2) फतेहाबाद में पर्यटक परिसर

(3) होडल में फास्ट फूड कान्टीन

(4) सूरजकुण्ड में शिल्पियों के लिए केटरिंग सुविधाएं ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय महोदय, मैं हरियाणा के बारे में एक संस्कृत श्लोक का उद्धरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक प्रश्न के रूप में है ?

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं केवल उस श्लोक बारे में कह रहा हूं जो विक्रम संवत 1385 के समय का है और जो नई दिल्ली पास, सरवान नामक गांव के बारे में कहा गया था ? जिसके अनुसार :—

"देशोऽप्ति हरणायाख्य:

पृथिव्यां स्वर्गसन्निभ: ।

इसका अर्थ है कि एक क्षेत्र है जिसे हरियाणा कहा जाता है जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। इसके अतिरिक्त, यह एक जाना-माना तथ्य है कि हरियाणा की अत्यधिक सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक मूल्य और धार्मिक महत्व को देखते हुए हरियाणा को पर्यटन के लिए विकसित किए जाने के लिए इसमें बहुत अधिक क्षमता है। अत:, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सरकार हरियाणा में पर्यटन के विकास/प्रोत्साहन हेतु कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायेगी। यदि हां, तो इसके विकास के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्री एम. ओ. एच फारूक : माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, हरियाणा राज्य के विकास के लिए इसकी मदद की जानी आवश्यक है। हमने प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) में पहले ही कहा है कि सोहना, रोहतक (तिलयार), दमदमा, अम्बाला, बड़खड़ झील, बहादुरगढ़, होडल, धारूहेड़ा में आवासीय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव किए गए हैं वह अनुमानतः 57.85 लाख रुपयों के हैं और इस समर्थन को भी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार के पास अन्य जो प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं, वह है, करनाल में बजट एकोमोडेशन, फतेहाबाद में टूरिस्ट काम्प्लेक्स, होडल में फास्ट फूड काऊन्टर और सूरजकुन्ड में कलाकार लोगों के लिए भोजन सुविधा उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार ने एक अन्य बात का आश्वासन दिया है कि वे सूरजकुंड में एक अतिरिक्त आवास सुविधा तथा हिसार में बजट एकोमोडेशन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है। यह हम करने में सफल हो पाएंगे क्योंकि इस समय इस बजट में और अधिक विस्तार करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अन्य सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और हमने यह कर दिया है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार, सरकार के पास चार प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने में इच्छुक है। यदि हम महाभारत सीरियल देखें तो पाते हैं कि यह हरियाणा के इर्द-गिर्द घूमता है। इसने देश के लोगों को कुरूक्षेत्र, करनाल, जो कर्ण का स्थान है, पाण्डु पिण्डारा, जहां पांडव रहा करते थे, की ओर आकर्षित किया है। यदि पर्यटन विभाग से लोगों को उचित सुविधाएं प्राप्त हों तो वे इन स्थानों को देखना चाहते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार हरियाणा में महाभारत सीरियल से जुड़े शहरों—करनाल, कुरूक्षेत्र, पिंजनौर, सोहना, सूरजकुंड इत्यादि—के सम्बन्ध में एक पर्यटन विकास कार्यवाही योजना बनाने का प्रस्ताव रखती है ताकि लोग इन स्थानों के प्रति आकर्षित हो सकें ? कुछ प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं तथा कुछ अन्यों का मैंने सुझाव दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे देगी।

श्री एम. ओ. एच. फारूक : केन्द्र सरकार ने पर्यटन विभाग की सहायता से कुरूक्षेत्र पर अध्ययन करने का आदेश दिया है और यह चल रहा है। एक बार यह अध्ययन पूरा हो जाये तो हम इसकी जांच करने में समर्थ होंगे।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : चार लम्बित प्रस्तावों में से दो को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है तथा शेष दो को मंजूरी दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि 1990-91 में, कुल जितनी भी केन्द्रीत सहायता दी गई, उसमें से लगभग दस प्रतिशत हरियाणा राज्य को दिया था जोकि एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है। किन्तु फिर भी लगभग दस प्रतिशत सहायता राशि इसे दी गई थी, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है।

नदी-जल का राष्ट्रीयकरण

+

*352. डा. वी. राजेश्वरन।
श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :
क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नदी जल का राष्ट्रीयकरण करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) देश में नदी का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जल संसाधनों के समेकित विकास के लिए नदी बेसिन संगठनों को गठित करने पर विचार किया गया है।

श्री वी राजेश्वरन : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। आज अंतर्राज्यीय जल-विवाद देश की अखंडता के लिये एक चुनौती बन गया है। इस मुद्दे को सरकार द्वारा हल्के-फुल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये। आज कावेरी विवाद देश की अखंडता के लिये खतरा बन गया है और कल ऐसा ही कोई दूसरा विवाद पैदा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

डा. वी. राजेश्वरन : इसलिये, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसे देखें और देश की नदियों का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में एक विधेयक लाने पर विचार करें। क्या सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से 'नकार' दिया है। यह एकदम स्पष्ट है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभी नदियां राष्ट्रीय ही हैं और मैं नहीं जानता कि जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, वह राष्ट्रीय ही है तो उनका राष्ट्रीयकरण हम किस तरह करें।

जहां तक विवादों का संबंध है, अंतर्राज्यीय विवाद निहित हैं, क्योंकि देश की अधिकतर नदियां अंतर्राज्यीय हैं और कोई न कोई विवाद उत्पन्न होता ही रहता है। इसलिए इस सभा ने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया था जिसके तहत जब भी कोई विवाद उठे तो सबसे पहले हम उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करते हैं और यदि बात-चीत का कोई परिणाम नहीं निकलता है तो कानून के प्रावधान के अनुसार हम मामले न्यायाधिकरण को सौंपते हैं और तदनुरूप कार्यवाही की जाती है। इसलिये किसी ऐसी चीज का राष्ट्रीयकरण करना जो पहले से ही राष्ट्रीय है, का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. वी. राजेश्वरन : मुझे यह जानकारी मिली है कि देश में 69,000 टी.एस.सी. नदी जल में से मात्र 7,000 टी.एम.सी नदी जल का उपयोग कर पाते हैं और बाकी जल समुद्र में बेकार चला जाता है। तमिलनाडु में मेरा निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम विगत दस वर्षों से भीषण सूखे से पीड़ित है। यहां तक कि लोगों के लिये पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। इसलिये क्या सरकार केरल राज्य के जल को हमारे राज्य की ओर मोड़ने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी ? इसे तमिलनाडु की ओर प्रवाहित किया जा सकता है, ताकि उन्हें थोड़ा जल उपलब्ध हो जाए।

अध्यक्ष महोदय । इसका इस प्रश्न के साथ सम्बन्ध नहीं है।

डा. वी. राजेश्वरन : यह उस प्रश्न का एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. वी. राजेश्वरन : बिना लाभ के उन्हें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। वे हम से चावल ले सकते हैं। क्या भारत सरकार ऐसा कदम उठाएगी और केरल को यह निर्देश देगी कि वह तमिलनाडु की ओर जल प्रवाहित करे ? क्या यह संभव है और क्या सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी ?

श्री ए. चार्ल्स : यह तो ऐसा हो है "हर जगह पानी ही पानी है पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं"। हम पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस प्रश्न से नहीं जुड़ा है। यदि मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अब श्री आदित्यन—उपस्थित नहीं। अब श्री जोशी।

[हिन्दी]

श्री बाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि नदी बेसिन संगठनों की व्यवस्थित करने के लिए विचार किया गया है तो कृपया करके बतायें कि यह विचार कब किया गया और इस विचार के बाद इसके कार्यान्वयन को मूर्त्त रूप कब दिया गया ? हिन्दुस्तान में एक नदी बेसिन को आपने जोड़ा है या नहीं जोड़ा है और आपकी गति इसको कब तक पकड़ लेगी क्योंकि देश के अन्दर देश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे देश का हित निहित है। आप कृपा करके स्पष्ट बतायें कि आपने कब इस का कार्यान्वयन किया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, पहले तो एक अखिल भारतीय कौंसल का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं। उस समिति के द्वारा एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया गया। इस समिति का गठन सन् 1983 में हुआ था और राष्ट्रीय जल नीति को सर्वसम्मति से पूरे देश ने 1987 में पारित किया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जहां तक हो सके, जहां पर पानी की कमी है, वहां पर नदियों के कच्छार को जोड़कर पानी की कमी को पूरा किया जाये। पहले यह बात सोची गई थी कि उत्तर का पानी दक्षिण में ले जाया जाये लेकिन यह अव्यवहारिक लगा और इसको त्याग दिया। अब दक्षिण की नदियों को दक्षिण की नदियों के कच्छार से जोड़कर काम करने की योजना है। इस में जो प्रारम्भिक अध्ययन है, वह पूरा किया जा रहा है और यह अध्ययन पूरा करने के बाद आगे विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शंकर राव रे काले : अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही है कि महाराष्ट्र सूखाग्रस्त राज्य है। इसलिये अपनी नदियों से सिंचाई की सुविधा देने की मांग को पूरा करने की स्थिति में महाराष्ट्र नहीं है। हमें यह बताया गया है कि भारत सरकार गंगा के जल को महाराष्ट्र की ओर प्रवाहित करने का विचार कर रही है। अब क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि उस परियोजना की स्थिति क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारत सरकार की ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

बड़े बांधों का निर्माण

+

*354. श्री नीतीश कुमार :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या जल संसाधन मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय निर्माणाधीन बड़े बांधों की संख्या कितनी है,

(ख) प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य किस-किस वर्ष आरम्भ किया गया था,

(ग) प्रत्येक परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

करोड़ रु. हजार हेक्टेयर

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिस योजना में प्रारंभ की गई	अद्यतन अनुमानित लागत (91-92)	सातवीं योजना के अन्त तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता	पूर्ण करने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्रप्रदेश							
1.	नागार्जुनसागर	II	778	655	895	800	आठवीं योजना
2.	श्री रामसागर चरण-I (बा. स. प्र.)	III	1827	589	411	253	आठवीं योजना से आगे
3.	तुंगभद्रा एच.एल.सी. चरण-II (अ. रा.)	III	176	86	90	45	आठवीं योजना
4.	वामसधारा चरण-I	IV	74	44	20	15	आठवीं योजना
5.	वामसधारा चरण-II	Iv	417	5	24	—	आठवीं योजना से आगे
6.	गोदावरी बराज	V	141	129	केवल स्थिरीकरण के लिए		आठवीं योजना
7.	सोमासिला चरण-I और II	V	215	136	38	2	आठवीं योजना
8.	सिंगूर	v	130	98	16	—	आठवीं योजना

9. येरेक जलाशय	vI	261	203	58	—	आठवीं योजना से आगे
10. श्री शैलम आर.बी.सी. (बा.स.प्रा.)	vI	545	71	77	—	आठवीं योजना से आगे
11. श्री शैलम एल. बी. सी	vI	462	43	121	—	आठवीं योजना से आगे
11. तेलगु गंगा	vI	1100	313	233	—	आठवीं योजना से आगे
12. पुराला	vI	275	83	88	—	आठवीं योजना
असम						
13. धनसिरी	v	92	66	69	—	आठवीं योजना
14. चम्पामती	vI	51	18	25	—	आठवीं योजना
बिहार						
15. पश्चिमी कोसी नहर	III	357	176	289	61	आठवीं योजना से आगे
16. बागमती	Iv	315	34	102	—	आठवीं योजना से आगे
17. सुवर्णरेखा (बा. स. प्रा.) आ. रा.)	v	1126	464	209	—	आठवीं योजना से आगे
18. उत्तरी कोयल जलाशय	v	475	307	131	64	आठवीं योजना
19. दुर्गावती जलाशय	v	147	60	63	—	आठवीं योजना
20. बरमार जलाशय	v	102	24	22	—	आठवीं योजना से आगे
21. कोआर व्यवर्तन	v	225	64	63	—	आठवीं योजना से आगे
22. तिलैया व्यवर्तन	v	121	8	49	—	आठवीं योजना से आगे
23. बटेश्वर स्थान पंपचरण-1	v	137	16	25	—	आठवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	बाणसागर (बांध अन्तराज्यीय)	v	140	49	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवीं योजना से आगे
25.	अजोय बराज सिकतिया	v	133	53	40	—	आठवीं योजना
26.	मंडक चरण-II	vII	204	26	70	15	आठवीं योजना से आगे
27.	कोसी पूर्वी नहर चरण-II	vII	52	15	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवीं योजना से आगे
28.	असान बांध	vII	58	3	82	—	आठवीं योजना से आगे
29.	औरंगा जलाशय	vII	257	12	55	—	आठवीं योजना से आगे
30.	पुनासी जलाशय	vII	145	30	24	—	आठवीं योजना से आगे
	ओआ						
31.	सलाऊली	Iv	93	63	21	8	आठवीं योजना से आगे
32.	तिल्लारी (आ. रा.)	v	164	35	25	—	आठवीं योजना से आगे
	गुजरात						
33.	दमनगंगा (बा. स. प्रा.) (आ. रा.)	Iv	196	152	52	24	आठवीं योजना संघ राज्यों समेत
34.	पानम (बा. सं. प्रा.)	Iv	70	58	49	48	आठवीं योजना
35.	साबरमती	Iv	186	96	97	50	,, ,,
36.	माही बराजसागर (आ. रा.)	Iv	47	38	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		,, ,,
37.	करजन (बा. स. प्रा.)	v	188	158	78	32	,, ,,

38. सुखी (बा. स. प्रा.)	v	91	76	25	22	आठवीं योजना
39. सिपू	ए. पी. 78-80	96	51	22	—	आठवीं योजना से आगे
40. बतरक (बा. सं. प्रा.)	ए. पी. 78-80	56	43	18	14	सातवीं योजना
41. नर्मदा (सरदार सरोवर) (बा. स. प्र.)	vI	7448	565	1792	—	आठवीं योजना से आगे
42. झखरी (बा. स. प्रा.) (अ. रा.) हरियाणा	vI	79	3	24	—	आठवीं योजना से आगे
41. गुड़गांव नहर (आ. रा.)	III	40	21	81	61	,, ,,
42. जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट	v	175	145	164	95	,, ,,
43. न्यू ताजेवाला बराज (अ. रा.)	v	74	14	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवीं योजना से आगे
44. सतलुज यमुना लिंक नहर (आ. रा.)	v	559	417	275	—	,, ,,
45. नहर, लिफ्ट और बा. निप्रणालियों पर 188 नए स्प्रिंकलर सिंचाई सेटों के प्रतिष्ठापन द्वारा संरक्षण उपाय	vI	5	3	4	4	आठवीं योजना
46. सदवा	vII	10	—	13	—	आठवीं योजना से आगे
47. नलवी	vII	44	1	47	—	,, ,,
हिमाचल प्रदेश						
48. शाहनहर (आ. रा.)	vII	49	3	27	—	आठवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8
	जम्मू एवं कश्मीर						
49.	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई काम्पलेक्स						
	(क) रावी नहर						
	(ख) सहायक लिफ्ट						
	(ग) तावी नहर पर स्लात्स का निर्माण						
	कर्नाटक						
50.	तुंगभद्रा बांध और एल. बी. सं.	I	112	92	244	242	आठवीं योजना
51.	मलप्रभा	III	342	233	218	149	,, ,,
52.	तुंगभद्रा एच. एल. सी. चरण-II (म. रा.)	ए. पी. 69-69	28	17	81	68	,, ,,
53.	हेमावली (गैर योजना)	ए. पी. 66-69	886	334	284	62	
54.	कबीनी (गैर योजना)	Iv	618	142	88	39	
55.	हारंगी (गैर योजना)	Iv	199	110	55	34	
56.	अपर कृष्णा चरण-1 (बा. स. प्रा.)	Iv	1500	561	425	112	आठवीं योजना से आगे
57.	घटप्रभा चरण-III	v	371	105	178	25	,, ,,
58.	करनजा	v	98	59	36	3	आठवीं योजना
59.	बेनीथोरे	v	73	15	22	—	आठवीं योजना से आगे
60.	हिप्परगी बराज	v	187	5	60	—	,, ,,

61. दुधगंगा (अ. रा)	vI	26	4	20	—	,, ,,
62. वराही	vII	70	2	16	—	,, ,,
63. वरुना (गैर योजना) (देवराज अर्स नहर)	ए. पी. 78-80	102	23	32	—	
केरल						
64. पेरियर घाटी	I	72	65	86	77	आठवीं योजना
65. पम्बा	III	61	56	49	48	,, ,,
66. चित्तूर प्रज्ञा	III	21	19	27	26	,, ,,
67. कुटियाडी	III	61	52	36	35	,, ,,
68. कन्होरापुजा	III	67	50	22	15	,, ,,
69. पजहासी	III	81	71	23	11	,, ,,
70 काल्डा (बा. स. प्रा.)	ए. पी 66-69	457	296	93	20	आठवीं योजना से आगे
71. मुवरसूपुडा	v	89	39	34	—	,, ,,
72. चिमोनी	v	36	25	26	—	आठवीं योजना
73. इडापलयार	vI	57	23	43	—	आठवीं योजना से आगे
74. कदावाठू	vII	99	2	42	—	,, ,,
75. वेपोस पुझा (चेलियार)	vII	378	1	108	—	आठवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश						
76.	महानदी जलाशय	Iv	962	209	305	90	आठवीं योजना से आगे
77.	कोलार	IIv	157	101	61	—	आठवीं योजना
78.	पेरी	Iv	33	18	73	48	,, ,,
79.	सिंध चरण-I	Iv	33	24	38	35	,, ,,
80.	रंगवान एच. एल. सी.	Iv	9	6	17	16	,, ,,
81.	बोक	Iv	37	19	15	5	,, ,,
—	राजघाट (म. रा.)	v	413	90	117	—	आठवीं योजना से आगे
82.	बाणसागर (म. रा.)	v	851	260	249	—	,, ,,
83.	बारगी	v	552	233	219	3	,, ,,
84.	अपर वेनगंगा	v	129	109	104	60	आठवीं योजना
85.	कोडार	v	38	21	24	20	,, ,,
86.	बेनिसागरपुर एल. बी. सी.	v	85	28	44	—	आठवीं योजना से आगे
87.	उर्मिल (म. रा.)	v	21	8	8	—	आठवीं योजना
88.	हसदेव बांगो	ए. पी. 88-89	693	305	392	52	आठवीं योजना से आगे

89. हलाली	ए. पी.	18	15	38	34	आठवीं योजना
89. थनवार	78-80					
	ए. पी. 78-80	24	18	18	16	,, ,,
90. माही	vI	100	18	26	—	आठवीं योजना से आगे
91. मान	vI	44	13	19	—	,, ,,
92. जोबट	vI	31	5	13	—	आठवीं योजना
93. नर्मदा सागर (इंदिरा सरोवर)	vI	752	10	169	—	आठवीं योजना से आगे
94. सिंध (चरण-II)	vI	431	25	120	—	,, ,,
95. बावन थाड़ी (अ. रा.)	vI	90	11	29	—	,, ,,
महाराष्ट्र						
96. खडगवासला	II	192	116	62	41	आठवीं योजना
67. कृष्णा	III	212	168	113	78	,, ,,
98. भीमा	III	497	287	163	106	आठवीं योजना से आगे
99. कुकाडी	ए. पी 66-69	529	217	156	54	,, ,,
100. अपर गोदावरी	ए. पी. 66-69	91	55	67	58	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	बारना	Iv	419	155	114	1	आठवीं योजना से आगे
102.	अपर तापी चरण-I औरII	Iv	94	74	55	46	आठवीं योजना
103.	अपर पेनगंगा	v	396	192	112	37	आठवीं योजना से आगे
104.	अपर वर्धा	v	330	135	80	—	,,
105.	दुधगंगा (अ. रा.)	v	233	79	65	—	,,
106.	वाघूर	v	61	5	24	—	,,
107.	जायकवाडी चरण,Ii (बा. स. प्रा.)	v	650	446	136	55	आठवीं योजना
108.	अपर प्रवारा	v	160	9	67	—	आठवीं योजना से आगे
109.	हासकामन	v	106	22	39	—	,,
110.	नंदूर मधमेश्वर	v	88	7	45	—	,,
111.	लोअर दुधना	v	85	1	30	—	,,
112.	मतसा	v	96	29	43	—	,,
113.	सूर्या	ए. पी. 78-80	110	75	27	20	आठवीं योजना
114.	बावनथाड़ी (अ. रा.)	ए. पी. 78-80	73	12	25	—	आठवीं योजना से आगे

115. इस्ठापुरी (विष्णुपुरी)	ए. पी. 78-80	147	70	34	9	,,
116. तिलारी (अ. रा.)	ए. पी. 78-80	116	16	7	—	,,
117. नारा देवघर	vI	90	—	31	—	,,
118. लेनडो (अ. रा.)	vI	62	2	20	—	,,
119. लोअर पेनगंगा	vI	233	—	136	—	,,
120. लोअर थिरना	vI	81	47	20	17	आठवीं योजना
121. चोसी खुर्द (सावर गांव)	vI	541	8	190	—	आठवीं योजना से आगे
122. लोअर वर्धा	vI	115	3	53	—	,,
123. लोअर वुन्ना	vI	88	31	21	2	आठवीं योजना
124. बान	vI	61	11	18	—	आठवीं योजना
125. अरुणावती	vI	83	29	31	—	आठवीं योजना से आगे
126. तुलतुली	vI	46	4	30	—	,,
127. कारवा	vI	24	7	10	—	आठवीं योजना
128. तालोम्बा	vI	94	6	16	—	आठवीं योजना से आगे
129. पुनाद	vI	43	2	17	—	,,
130. हुमान	vI	82	5	36	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	कोयना-कृष्णा लिफ्ट	vI	259	21	36	—	,,
	मणिपुर						
132.	सिंगदा	v	28	19	4	—	आठवीं योजना
133.	थामबल	ए. पी. 78-80	130	42	30	4	,,
134.	खूगा	vXI	47	20	15	—	,,
	उड़ीसा						
136.	अपर इन्द्रवती	ए. पी. 78-80	120	60			
(क)	बांध	ए. पी. 78-80	120	60			
(ख)	सिंचाई	ए. पी. 78-80	297	45	219	4	आठवीं योजना से आगे
137.	रेंगाली						
(क)	बांध	Iv	41	39			
(ख)	सिंचाई	Iv	1240	102	424	—	आठवीं योजना से आगे
137.	महानद विसपा बराज	v	126	121	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवी योजना

138. अपर कोलाब						
(क) बांध	v	47	45	88	7	,,
(ख) सिंचाई	v	157	51	89	6	,,
— सुवर्णरेखा (अ. रा.)	vI	115	715	477	—	आठवीं योजना से आगे
पंजाब						
136. यू. बी. डी. सी. ट्रेक्ट में गैर बारहमासी सिंचाई का विस्तार	IV	11	8	233	233	आठवीं योजना
137. अविशेष राशी व्यास जल का उपयोग	ए. पी. 78-80	19	14	418	301	,,
— सतलुज यमुना लिंक नहर (अ. रा.)	vI	230	102	130	3	,,
— शाहनहर (अ. रा.)	vII	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान						
141. राजस्थान नहर (चरण-1) (इंदिरा गांधी नहर)	II	289	265	581	577	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
142.	राजस्थान नहर (चरण-II) (इंदिरा गांधी नहर)	v	1675	456	810	150	आठवीं योजना से आगे
143.	आखम	III	74	56	24	20	आठवीं योजना
—	गुडगांव नहर (अ. रा.)	III	31	15	28	15	,,
144.	माही बराज सागर (अ. रा.)	Iv	383	184	129	73	,,
145.	न्यू ओखला बराज (अ. रा.)	v	2	—	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		,,
146.	चम्बल लिफ्ट	vI	36	6	53	8	आठवीं योजना से आगे
147.	बिसालपुर	vII	180	13	60	—	,,
—	नर्मदा (अ. रा.) (सरदार सरोवर)	vI	548	3	73	—	,,
	तमिलनाडु						
148.	पेरियार वैगई प्रणाली का आधुनिकीकरण (चरण-II)	vI	125	72	8	7	आठवीं योजना
149.	पेरामबिकुलम अलियार जयाकट विस्तार	vI	31	24	—	—	,,
	उत्तर प्रदेश						
150.	गंडक नहर चरण-I (अ. रा.)	II	140	125	358	305	,,

151. सारदा सहायक	III	870	659	1582	1083	,,
152. ठेहरी बांध	Iv	285	156	270	—	आठवीं योजना से आगे
153. लखवर व्यासी बांध	v	283	95	40	—	,,
154. मध्य गंगा नहर (चरण-I)	v	357	236	178	85	आठवीं योजना
155. सरयू नहर (एल. बी. घाघरा नहर)	v	1010	294	1404	34	आठवीं योजना से आगे
156. न्यू ओखला बराज (अ. रा.)	v	63	40	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवीं योजना
157. पूर्वी गंगा नहर	v	224	119	105	20	,,
158. रिमॉडलिंग भीमगोडा हेडवर्क्स	v	34	33	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		,,
159. राजघाट (अ. रा.)						
(क) बांध	v	107	80			
(ख) नहर	v	111	28	109	—	,,
160. आमरानी बांध	v	117	14	61	21	आठवीं योजना से आगे
161. चमिल बांध (अ. रा.)	v	23	15	5	—	आठवीं योजना
162. नारायणपुर पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	v	52	37	73	50	,,
163. सोन पंप नहर	v	57	36	43	6	आठवीं योजना से आगे
164. कानहर सिंचाई	v	150	32	33	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	बोधर पोषक	v	30	22	10	—	आठवीं योजना
—	न्यू ताजेवाला बराज (अ. रा.)	v	25	—	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं		आठवीं योजना से आगे
166.	मोदाहा बांध	v	70	39	28	—	आठवीं योजना
167.	अमानिया पंप नहर की क्षमता	v	59	24	26	13	,,
168.	मेजा बांध को ऊंचा करना	v	38	31	18	14	,,
—	बाणसागर (ब. रा.)						
(क)	बांध	v	112	47			
(ख)	आवागमन प्रणाली	v	184	2	129	—	आठवीं योजना से आगे
169.	किशाऊ बांध	vII	396	6	211	—	,,
166.	ज्ञानपुर पंप नहर	vII	99	46	65	17	,,
167.	चम्बल लिफ्ट	vII	42	20	55	—	आठवीं योजना
172.	हिण्डन-कृष्णा दोआब में चैनल उपलब्ध कराना	vII	22	2	9	—	आठवीं योजना से आगे
173.	सेपकाली पंप नहर	vII	35	32	78	70	आठवीं योजना

पश्चिम बंगाल						
174. दामोदर घाटी निगम का बराज और सिंचाई प्रणाली (विस्तार और सुधार)	V	60	40	426	384	,,
175. कम्साबती	II	158	123	402	398	,,
176. तीस्ता बराज चरण I सोपान I	V	695	320	527	13	आठवीं योजना से आगे

एन पी—कावेरी बेसिन की गैर-योजनागत परियोजनाएं

ए पी—वार्षिक योजना

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, उसके अनुसार काफी अधिक संख्या में इरीगेशन प्रोजैक्टस पैंडिंग हैं और उनमें से अधिकांश को कम्पलीट करने के बारे में बताया गया है कि सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद उन्हें कम्पलीट कर पायेगी। ऐसी स्थिति विवरण में बताई गई है। इन हालात में, जब भारी संख्या में इरीगेशन प्रोजैक्टस लम्बित हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है, इसे देखते हुए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ चुने हुए प्रोजेक्टस को, महत्वपूर्ण प्रोजैक्टस की सलैक्ट करके, एक समय सीमा के अन्दर, उन्हें पूरा करने का वह कोई विचार रखती है। क्या सरकार उनके चयन करने के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखना चाहेगी कि किन प्रोजैक्टस की ज्यादा उपयोगिता है, किन प्रोजैक्ट का कास्ट बैनिफिट रेश्यो अपेक्षाकृत ठीक है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय औसत से कम, जिन इलाकों में सिंचाई क्षमता अभी तक हो पाई है, जिन इलाकों में सिंचाई औसत राष्ट्रीय क्षमता से कम क्षमता सृजित है, क्या सरकार ऐसे इलाकों को प्राथमिकता देगी तथा जो अनुपयोगी एवं विवादास्पद प्रोजैक्टस हैं, जैसे टिहरी परियोजना है, जिसके बारे में पर्यावरण विशेषज्ञों ने विरोध किया है···(व्यवधान)···मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं, बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है, इससे रिलेटिड भी है। उत्तर काशी के भूकम्प के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस परियोजना के सम्बन्ध में जो राय दी है, इसके अलावा रूस से जो मदद हमें मिलने वाली थी, वह मदद भी अब नहीं मिलने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। आपको सप्लीमेंटरी में केवल एक प्रश्न ही पूछना चाहिए। एक प्रश्न से दूसरे से तीसरे पर यदि आप चलते जायेंगे तो उससे कोई प्रोब्लम्स पैदा हो जायेंगी।

श्री नितीश कुमार : इससे रिलेटिड ही पूछा रहा हूं कि क्या प्रोजैक्ट सलैक्शन के काम में उन प्रोजैक्टस को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा जहां अभी तक राष्ट्रीय औसत से कम क्षमता है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, सीधे प्रश्न पूछिये। तीन सप्लीमेंटरी आप नहीं पूछ सकते एक-साथ।

श्री नितीश कुमार : आप मुझे टिहरी बांध के बारे में कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछनेकी बजाए, मुझसे ही आर्ग्यू कर रहे हैं। ऐसे नहीं :

श्री नितीश कुमार : तीनों एक ही सवाल हैं क्योंकि टिहरी परियोजना को पूरा हो जाने के बाद, एक बूंद गंगाजल, गंगोत्री से निकलने वाला एक बूंद गंगाजल भी आगे जाकर इलाहाबाद, बनारस और पूरे बिहार को नहीं मिलने वाला है, धर्मस्थल पर गंगाजल उपलब्ध नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि विवादास्पद और अनुपयोगी परियोजनाएं हैं, क्या उन्हें ड्राप करके, उपयोगी योजनाओं को चुनकर, सरकार उन्हें जल्दी पूरा कराने की नीति अख्तयार करेगी तथा जिन इलाकों में राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई क्षमता है, उस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगी, इस आधार पर योजनाओं का चयन करेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम सभी बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तय करते हैं, सिंचाई परियोजनाओं के लिए। उसके अनुरूप, आठवीं पंच वर्षीय योजना के बारे में, योजना

आवेश के साथ अभी बात हो रही है। सभी बातों को ध्यान में रखकर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाती है। टिहरी बांध का जहां तक सवाल है, उसका कार्य ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस सम्बन्ध में समस्त प्रश्न यदि ऊर्जा मंत्रालय से पूछे जाएं, तो अच्छा होगा।

श्री नितीश कुमार : अध्यक्ष जी, हमने जो क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही; उसका जवाब नहीं दिया मंत्री जी ऊर्जा मंत्रालय पर टाल रहे हैं लेकिन टिहरी परियोजना से लगभग 2.70 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी, इसलिए उसका जवाब इन्हें देना चाहिए था। उसमें हाईड्रल पावर जेनरेशन भी है और डैम के बनने से सिंचाई क्षमता भी सृजित होगी, लेकिन मंत्री जी मेरे सवाल को टाल गए, जबकि इन्हें जवाब देना चाहिए। आपका भी आदेश है, इसलिए मैं आगे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन देश में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक, विभिन्न हिस्सों में जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है, देश के विभिन्न भागों में जो सिंचाई प्रोजेक्ट सैंक्शन किये गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय असंतुलन के चलते, जहां राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई क्षमता सृजित हुई है, जैसे बिहार के जितने प्रोजेक्टस अभी पैंडिंग हैं— कनहर, कदवन, औरंगा, मझने, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए, क्या सरकार विचार करेगी। नौर्थ बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए, नेपाल की सरकार से बात करके, उनके इलाके में हाई डैम बनाने के लिए, क्या सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायत बिहार तो कम से कम नहीं कर सकता क्योंकि बिहार में इतना ज्यादा काम सिंचाई के मामले में किया गया है कि बिहार में कोई इस तरह का असंतुलन नहीं है। अन्य छोटे इलाकों में जहां-जहां क्षेत्रीय असंतुलन होगा, हम उसको हटाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।

डा. महाबीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया है और जो मेरा मूल प्रश्न था कि यह योजना किस वर्ष में प्रारम्भ की गई, तो आपने जो 20 वर्ष का समय था, वह 5 वर्ष में समाप्त कर दिया। मैंने पूछा था कि किस वर्ष में प्रारम्भ की गई और अपने पंचवर्षीय योजना में जवाब दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपने उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 24 बड़ी योजनाएं हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुईं और उनमें से 13 योजनाओं के लिए कहा गया है कि वे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद प्रारम्भ होंगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी तेज गति से आप चल रहे हैं कि 20 वर्ष होने जा रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 17 योजनाएं थीं। मैं एक बात यह आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपकी योजना केन्द्र और प्रदेश सरकारों से मिलीजुली है और ये योजनाएं इतनी धीमी गति से चल रही हैं कि···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

डा. महाबीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, मैं वही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई जिसके कारण योजनाएं पीछे पड़ी हैं। तो मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्षेयर देने में सक्षम नहीं है तो वह क्षेयर भी आप देंगे, इसके लिए आश्वासन देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी तो समझ में नहीं आया है, आपकी समझ में आया है तो उत्तर दीजिए।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सवाल समझा देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप उनकी वकालत नहीं कर सकते।

डा. महार्दपक सिंह शाक्य : मैं पूछ रहा हूं कि जो योजना धीमी गति से चल रही है उसका एक कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकारों के योगदान से ये योजनाएं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश को जो धनराशि हमारे केन्द्र से मिलनी चाहिए थी उसमें उपेक्षा की गई है, राशि नहीं दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष देते हैं, वह समय पर देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार अपना शेयर अगर नहीं देगी तो उसकी सम्पूर्ति आप करेंगे ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समय पर पैसा मिलेगा क्या, और उत्तर प्रदेश खर्च नहीं कर रहा है तो आप देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उत्तर प्रदेश के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से काम किया गया है और यदि कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो उसे हम पूरी सहानुभूतिपूर्वक पूरा करेंगे, इसके बारे में माननीय सदस्य को कोई शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा।
(अनुवाद)

श्री डी. के. नायर : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में घाट प्रभा, माला प्रभा और अपर कृष्णा जैसी परियोजनाओं को लगभग 1967 में शुरू किया गया था और वे आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, यद्यपि पांच पंचवर्षीय योजनाएं इस दौरान पूरी हो चुकी हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि की कमी है अथवा कोई अन्य ऐसा कारण है, जो सरकार के नियंत्रण से परे है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि किसी सिंचाई परियोजना में विलम्ब होता है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे धन की कमी, तकनीकी कारण, तकनीकी गड़बड़ियां, प्रशासनिक चूक और ऐसे कई कारण हो सकते हैं। यदि माननीय सदस्य किसी परियोजना विशेष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी कारणों और उन्हें सुलझाने के लिए उन पर की गई कार्रवाई को बताने में मुझे प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का बिहार के प्रति की गई उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय विषमता नहीं की जाती, इसमें बहुत सारे कैनाल्स और बैराज की बात कही गई है, हर साल बाढ़ आ रही है और सूखा पड़ रहा है, उत्तरी बिहार में। केवल एक नदी पर अभी तक बांध नहीं बनने से ऐसा हो रहा है। नेपाल के साथ वार्ता होगी, कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए, ऐसा बार-बार कहा गया

हैं। नेपाल के लोग भारत आए। उस समय भी हम लोगों को आशा जागी कि यहां बात हुई होगी। अब दूसरा सीजन भी आ गया, जुलाई में हम फिर बाढ़ पीड़ित होंगे लेकिन बैराज को बांध में बदलने की कोई बात नहीं कही गई है, आठवें प्लान में। जब हमारे यहां राजीव गांधी गए थे ··

अध्यक्ष महोदय : प्लीज गिरजा देवी जी, मैंने आपको समय दिया है, उसका उपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा न करें।

श्रीमती गिरजा देवी : मेरी बात तो सुन लीजिए। राजीव गांधी ने अपने पैकेज प्लान में कहा था कि इस बैराज को हम बांध में परिवर्तित करेंगे···

अध्यक्ष महोदय : यह आल इण्डिया लेविल का प्रश्न है, आप उसको एक बैराज पर ले जा रही हैं।

श्रीमती गिरजा देवी : नेपाल से बातचीत करके कोसी पर बांध पहले हमारे प्लान में था, कोसी पर बांध बनाने की योजना दिमाग में रही है और यदि है तो कब तक इसका निर्माण करवाएंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में बहुत दुःख है। यह राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, परन्तु सदस्यगण परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मन्त्री जी के पास परियोजना संबंधी जानकारी न हो यदि मन्त्री जी को जानकारी हो तो उनके द्वारा प्रश्न का उत्तर देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मती गिरिजा देवी : सर, यह अहम् सवाल है, हमारे जीने मरने का।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोसी नदी पर बांध बनाने की जो बात है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। नेपाल और भारत में जब समझौता होगा तभी यह बांध बन सकता है और इस समझौते के बारे में जैसा माननीय सदस्या ने कहा है, बहुत लम्बे समय से बात चल रही है लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सका है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भारतवर्ष आये थे तब इस सम्बन्ध में हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा हुई थी और संतोषजनक प्रगति हुई थी इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि एक बहुत ही उपयोगी और इस पुरानी योजना पर हम लोग अच्छी प्रगति कर सकेंगे।

श्री सूयनारायण यादव : इसके ऊपर पूछने ही नहीं दे रहे हैं, स्पीकर साहब।

अध्यक्ष महोदय : सूर्य नारायण जी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह नेशनल लेविल का प्रश्न है, एक-एक प्रोजेक्ट की इन्फोर्मेशन नहीं दी जा सकती। आप जरा रूल्स पढ़िये। बिना पढ़े अगर आप पूछ रहे हैं तो आप ही आप का प्रदर्शन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

+

*355. प्रो. के. वी. थामस :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए रूसी सहायता उपलब्ध होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक सम्बन्धित आधारभूत कार्य आरम्भ कर दिए गये हैं ।

(ख) जनवरी, 1992 में उच्चस्तरीय अन्त: मंत्रालयीय दल द्वारा रूस के दौरे के दौरान, कायमकुलम परियोजना हेतु रूसी परिसघ से सतत आधार पर क्रेडिट की उपलब्धता सम्बन्धी मामले पर विचार-विमर्श हुआ था । रूसी परिसघ द्वारा क्रेडिट की मात्रा एवं शर्तों के सम्बन्ध में पारस्परिक सहमति के अनुसार भारत को विद्युत परियोजनाओं हेतु सतत आधार पर क्रेडिट की उपलब्धता की सम्भावना व्यक्त की गई थी ।

(ग) और (घ) इस परियोजना से सम्बन्धित कार्यकलापों जैसे भू-अधिग्रहण, सर्वेक्षण एवं मृदा अन्वेषण और आधारभूत कार्य आदि पर अब तक 6. 2 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है ।

प्रो. के. वी. थामस : महोदय, केरल में विद्युत की भारी कमी है । राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली की सप्लाई में कटौती की जाती है । इस संदर्भ में केरल के मुख्यमंत्री और विद्युत मंत्री ने माननीय केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात की थी और उनसे कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को प्राथमिकता देने का निवेदन किया है । माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कायमकुलम परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति

दे दी गई है। योजना आयोग ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। सी.आई.बी. स्वीकृति भी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। एक मात्र स्वीकृति जो लम्बित थी, वह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी जानी थी। केरल के मुख्य मंत्री ने पर्यावरण मंत्री श्री कमलनाथ से भी मुलाकात की थी और अब पर्यावरणीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि कायमकुलम परियोजना पर अब कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

प्रो. के. वी. थामस: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें धन्यवाद देने के बाद भी आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

प्रो. के. वी. थामस : कोयले पर आधारित किसी भी तापीय विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी समस्या है कि फ्लाई ऐश का क्या उपयोग किया जाये। कायमकुलम के समक्ष भी यह समस्या आने वाली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्लाई ऐश से ईंट बनाने और सड़क निर्माण के काम में उपयोग करने की सरकार की कोई योजना है। केरल सरकार का यह एक प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विद्युत परियोजना के पूरा होने के बाद इस पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस तापीय विद्युत गृह से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग ईंट बनाने, सीमेंट संयंत्रों में उपयोग करने और उस कार्य के लिए भी किया जाएगा, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने अभी किया है।

फ्लाई ऐश खुले आम उपलब्ध है। केन्द्र सरकार ने यह नियम बना दिया है जो कोई भी इसका उपयोग ईंट बनाने या सीमेंट संयंत्र में करना चाहता है, उसे यह दिया जाएगा। इसलिये केन्द्रीय सरकार खनि विद्युत मंत्रालय ने निश्चय किया है कि फ्लाई ऐश का 50 प्रतिशत उपयोग मंत्रालय स्वयं करेगा।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

*356. श्री विजय कुमार यादव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन से इसके पूंजी आधार का पुनः

निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें प्राधिकृत अंश पूंजी को 30 करोड़ रुपए से 60 करोड़ रुपए तक बढ़ाने, 23.94 करोड़ रुपए के वर्तमान सरकारी ऋण (31.3.91 को बकाया ऋण) को इक्विटी मे बदलने 9.07 करोड़ रुपए के ऋण जिन्हें इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव है, पर ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज माफ करने, उपकरणों की खरीद के लिए तीन वर्षों के दौरान ऋण के रूप मे 40 करोड़ रुपए की बजट संबंधी सहायता देने, अंतर सामूहिक ऋणों की अदायगी तथा अदायगी के लिए ऋण स्थगन तथा 3 वर्षों की अवधि के लिए उस पर ब्याज माफ करने की परिकल्पना है। इसमे बैंक गारंटी सीमा को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए करने तथा 20 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा के लिए सरकारी गारंटी देने की भी परिकल्पना है।

(ग) सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नकद की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ऋण के रूप में 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी है। इसके अलावा, उसके कार्यान्वयन की मानीटरी करने और प्रबंध कार्यों पर उसे सलाह देने के लिए अपर सचिव (ज. सं.) की अध्यक्षता में प्रबंध समन्वय सैल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का जो मांग थी उसके बारे में कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, उनकी ओर से जो मांग की गई थी, उसमें से केवल 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के आने के पहले इस निगम के कार्यों की मानिटरिंग की कोई व्यवस्था थी या नहीं और यदि थी, तो किन कार्यों को महत्वपूर्ण माना गया है जिनके लिए केवल 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अभी तक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है और उसमें कोई बिहार की ऐसी योजना है या नहीं जो निर्माणाधीन थी और जिसका कार्य महत्वपूर्ण माना गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इस निगम के किसी कार्य को गैर-महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। उनके पास वर्किंग कैपिटल का कमी थी और उन्होंने 6 करोड़ रुपए की मांग भारत सरकार से की थी जिसका वित्त मंत्रालय की सलाह से उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। उसके आधार पर वे काम कर रहे हैं और जो मूल प्रश्न है, उसमें उनके जो विभिन्न प्रस्ताव थे जिनमें कि वर्किंग कैपीटल को बढ़ाने के बारे मे था, आथोराइज्ड कैपीटल को बढ़ाने के बारे में था, जो उधार भारत का निगम के ऊपर है, उसको इक्विटी मे करने बारे में था, बजटरी सपोर्ट 40 करोड़ का और मांगा गया है, इन सब के माध्यम से यह निगम इस कार्य को और उत्तम बनाने के लिए कार्य कर रहा है, वे सब सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा असल सवाल यही है कि यह जो मांग की गई है इस निगम द्वारा वह पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है ? हम बिहार के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जल संसाधन के मामले में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि बिहार में बहुत सारी स्कीमें हैं, यह मंत्री जी का कहना है, जिसमें सच्चाई नहीं है। इरिगेशन के मामले में बिहार

पूरे देश के पैमाने पर बहुत पीछे है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो पैसे की मांग की गई है और जो कटौती गई गई है, उसका असर इस निगम की एफीशियेंसी पर पड़ेगा या नहीं ? क्योंकि उन्होंने अपने काम को ज्यादा एफीशियेंट बनाने के लिए, ज्यादा अच्छे ढंग से करने के लिए, चाहे वह वर्किंग कैपीटल हो या भुगतान करने की बात हो, या जो और मांग की है उन मांगों को सही मानकर सिर्फ 6 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि इस निगम की यदि सभी पंचियोजनाओं और प्रस्तावों को देखें, तो एक अरब रुपए की मांग बैठती है, तो जो 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे इसकी एफीशियेंसी पर असर पड़ेगा या नहीं और यदि पड़ेगा तो क्या आप उनको और रकम बढ़ाकर स्वीकृत करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने कहा कि उनकी तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई है। इसलिए उनका जो काम है वह चलता रहेगा। पर उन्होंने जो प्रश्न निगम को मजबूत बनाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए दूसरी मांगे की हैं वह काफी बड़ी हैं और उनका काफी बड़ा असर हमारी वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। इसलिए उस पर पूर्ण विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक बिहार की योजनाओं का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस प्रकार के विचार करने से जो एन.पी.सी के काम बिहार में चल रहे हैं उस पर उसका बुरा असर नही पड़ेगा।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या यह बात सही है कि अब तक की जितनी परियोजनाएं बनी हैं उसमें 90 प्रतिशत परियोजनाएं निश्चित समय पर नहीं बनी हैं और जब परियोजनाओं का निर्माण बहुत विलम्ब से होता है तो उसमें खर्चा बढ़ता जाता है ? परियोजनाओं के निर्माण में जो विलम्ब हो रहा है क्या सरकार उसे रोकने का काम करेगी और निश्चित अवधि में उसे पूरा करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बात सही है कि बहुत सी परियोजनाएं निश्चित समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती हैं जिससे नुकसान होता है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि राज्य और केन्द्र शासन के सहयोग से परियोजनाओं का कार्य सही समय पर पूरा हो सके। यह कभी-कभी संभव होता है अधिकांशतः संभव नहीं हो पाता है। हमारा निरंतर यह प्रयास रहे कि जो भी योजना हम साथ में लेते हैं, उसे निश्चित समय पर पूरा करें जिससे नुकसान कम हो सके।

[अनुवाद]

टेलीफोन प्रभार

*357. **कुमारी उमा भारती :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष टेलीफोन प्रभारों से कितना शुद्ध लाभ हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार टेलीफोन प्रभारों में कमी करने का है ताकि निर्धन उपभोक्ताओं को भी टेलीफोन सुविधाओं का लाभ मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संचार सेवाओं से दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ, अर्थात् अधिशेष निम्नलिखित है :—

वर्ष		अधिशेष की राशि (करोड़ रुपयों में)
1988-89	—	822.87
1989-90	—	1058.03
1990-91	—	1327.57

(ख) टेलीफोन प्रभारों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इन्होंने स्वीकार किया है कि इसमें लाभ हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि जो लाभ हुआ है क्या उस राशि का सदुपयोग टेलीफोन की दर को घटाने में या थोड़ी सी और जो सब जगह शिकायतें मिलती हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में या और सुविधाओं को बढ़ाने में करेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : माननीय सदस्या ने अपने जो विचार दिए हैं उसी लाइन पर यह विभाग इस राशि को उसी रूप में उपयोग करता है। यदि आप डिटेल में पढ़ें तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इतनी आमदनी नहीं होती है जितना खर्चा होता है। एक-एक गांव में टेलीफोन लाइन देने में बहुत खर्चा आता है। इस दृष्टि को देखते हुए कि जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 1995 तक देश की हर पंचायत पर एक-एक पी.सी.ओ. लगा देंगे। यह सब लाभ सुविधा को और अच्छा करने में उपयोग होगा।

कुमारी उमा भारती : मेरा दूसरा प्रश्न है, मंत्री महोदय ने बताया है कि सब जगह टेलीफोन की व्यवस्था हो सके। गांव में जितने भी टेलीफोन होते हैं वे अधिकतर सड़े हुए पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। उसके संबंध में प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि गांव में जो टेलीफोन की व्यवस्था अप करने वाले हैं या कर चुके हैं या करेंगे उसमें अधिकतर टेलीफोन उसके घर में होता है जिसके घर में पोस्ट आफिस होता है। उसका गांव के लोगों के साथ राग-द्वेष होता है। वह कई बार उस टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करने देता है या आपस की लड़ाई के कारण गांव के लोग कई

बार उसके घर में आपातकाल होने पर भी टेलीफोन का इस्तेमाल करने नहीं जाने। जब लाभ हो ही रहा है तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे कि टेलीफोन गांव में किसी के घर के पोस्ट आफिस में होने की बजाए सार्वजनिक स्थान पर एक बूथ जैसा बन जाए ? अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था से जितने गांव वंचित रह गए हैं उसे कितने समय पर पूरा करने का इरादा रखते हैं ?

श्री राजेश पायलट यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो टेलीफोन की सुविधा है वह खराब हो जाए तो उसे सुधारने में भी देर लग जाती है। हमने नई टैक्नोलोजी वायरलैस से लगाई है। मैं खुद 2-3 प्रदेशों में गया यह बहुत अच्छे सिद्ध हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बाराबंकी के एक गांव में पी सी ओ से एक नागरिक ने अपने बेटे से पेरिस में बात की। सुविधा में थोड़ा फर्क आया जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार की बात है, हम लोग 100 गांव रोज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इस काम में सफलता मिलेगी। जहां तक माननीय सदस्या ने बात की कि इसे लगाया कहां जाये, इसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ज्यादातर अधिकारी गांव में जाते हैं और पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा सुविधा कहां है। सरपंच या प्रधान के घर लगाते हैं तो वहां भी दो चक्कर होते हैं-एक प्रो और एक अगेंस्ट। यह ज्यादातर गांव वालों से सलाह करके लगाये जाते हैं। उसमें यह भी बताया जाता है कि यह सुविधा ऐसी नहीं है जिस में बहुत बड़ा फायदा होता हो। कोई भी टेलीफोन रात को 1 बजे भी हो सकता है और कोई दो बजे भी आकर डिस्टर्ब कर सकता है और कहेगा कि टेलीफोन करवाइये। जितनी अर्निंग होती है, उसमें से उनका 20 परसेंट का फायदा दिया जाता है। जिस के घर टेलीफोन लगाया जाता है। जिस के घर टेलीफोन लगाया जाता है उसको 20 परसेंट कमीशन के रूप में दिया जाता है। मेरे दिमाग में यह बात थी कि कामन जगह छांट कर बूथ लगाये लेकिन दुख की बात है कि अगर इन्हें ऐसे ही लगा दिया तो न इंस्ट्रूमेंट रहेंगे या कोई उन्हें खराब कर देगा तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अभी पार्टी में यह डिमांड रही है कि उन्हें अधिक से अधिक लगाया जाये। हमें उम्मीद है कि अगर हमारी वित्तीय स्थिति सुधर गई तो एक्सचेंज वहां लग जाने पर जो 20-20 टेलीफोनों की वे मांग कर रहे हैं, उनको हम पूरा कर पायेंगे। माननीय सदस्या के मन में जो एक चिन्ता है कि जिस के घर लगेगा सब ले पहुंच पायेंगे, ऐसा हो जाने से वह भी दूर हो जायेगी।

कुमारी उमा भारती : एक-एक टेलीफोन हर गांव में लड़ाई का कारण बन रहे हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर समाप्त हो गया है। इसके बाद क्वश्चन न पूछिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बासमती चावल पर आयात-शुल्क

*12. **श्री गंगाधर सानोरल्ली** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने बासमती चावल पर आयात-शुल्क में कमी की है अथवा करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा भारतीय चावल के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार ने इन देशों को भारतीय चावल का निर्यात जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में एक रियायती शुल्क योजना लागू है जिसके अंतर्गत ईईसी देशों में बासमती चावल के आयात पर सामान्य शुल्कों में 75% रियायत दी जाती है किंतु इस संबंध में 10,000 टन प्रति वर्ष की सीमा है। यह रियायती शुल्क योजना 1986 से लागू थी और ईईसी ने इसे जुलाई, 1991 में 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया।

(ख) चूंकि बासमती चावल को लेकर ईईसी आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह योजना जुलाई, 1986 तक लागू रहेगी इसलिए ईईसी देशों में भारतीय बासमती चावल के आयात पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की कोई संभावना नहीं है।

(ग) ईईसी देशों को बासमती चावल के निर्यात को भारत के उत्पादकों और निर्यातकों ने लगातार बनाए रखा है। ईईसी देशों को भारतीय बासमती चावल का निर्यात 1986 के लगभग 118,000 टन से बढ़कर 1990 में 30,000 टन हो गया था। आशा है कि निर्यात की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी क्योंकि ईईसी देशों के उपभोक्ताओं में भारतीय बासमती चावल लोकप्रिय हो रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां

*327. **श्री राम कापसे :**

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है, और

(ग) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने अधिकारियों और जवानों को अभी नौकरी दी जानी शेष है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में शामिल हैं-भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पद आरक्षित करना, आरक्षित

तथा अनारक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में और अपेक्षित अर्हता में छूट देना। सिविल क्षेत्र की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और राजस्थान में पारिस्थितिकी कृतिक बल गठित किए गए हैं जिसमें केवल भूतपूर्व सैनिक ही भर्ती किए जाते हैं, पुनर्वास महानिदेशालय भी भूतपूर्व सैनिकों को राजगार के लिए सुरक्षा एजेंसियों, कोयला परिवहन कम्पनियों आदि में भेजता है। केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा कुछ राज्य सरकारों में मानीटरिंग सैल आरक्षण नीति के क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं। विभिन्न ट्रेडों में भूतपूर्व सैनिकों के कौशल/विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने के वास्ते भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि राजगार और स्व-राजगार के लिए उनकी योग्यता में सुधार किया जा सके।

(ख) प्रति वर्ष लगभग 50,000 से 55,000 सशस्त्र सेना कार्मिकों को सेवामुक्त किया जाता और सीधे ही या राजगार कार्यालयों, जिला सैनिक बोर्डों, राज्य सैनिक बोर्डों तथा पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से लगभग 10,000 से 17,000 कार्मिकों को प्रतिवर्ष सिविल पदों पर नौकरियां दे दी जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजगार सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं और भूतपूर्व सैनिक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मूल निवास-स्थान के समीप ही राजगार पाना चाहते हैं सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए राजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(ग) दिनांक 1.1.91 की स्थिति के अनुसार राजगार कार्यालयों/जिला सैनिक बोर्डों/पुनर्वास महानिदेशालय के चालू रजिस्टरों के अनुसार लगभग 2.6 लाख भूतपूर्व सैनिकों ने राजगार के लिए अपना नाम पंजीकृत करा है और नौकरी के इन्तजार में हैं।

स्वर्ण और गैर-स्वर्ण आभूषण

*3218. **श्री अक्षय कुमार पटेल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन स्वर्ण और गैर-स्वर्ण आभूषणों की सीमा में वृद्धि की है जिन्हें यात्री भारत से बाहर ले जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) और (ग) स्वर्ण और गैर-स्वर्ण आभूषण, जिन्हें यात्री भारत से बाहर ले जा सकते हैं, कि वर्तमान तथा संशोधित सीमाएं निम्न प्रकार हैं :—

आभूषण की किस्म		वर्तमान कीमत सीमा	संशोधित कीमत सीमा
(क) स्वर्ण आभूषण पूर्णरूप से या मुख्यतया स्वर्ण से बने वैयक्तिक रूप से पहने हुए या निजी सामान के भाग के रूप में व्यक्तिगत आभूषण	सभी देश	20,000/-रुपए	1 लाख रुपए
(ख) अमूल्य पत्थर या गैर-स्वर्ण आभूषण अर्थात् मुख्यतया या पूर्णरूप से स्वर्ण से बनी वस्तुओं के अतिरिक्त आभूषण	(क) अफगानिस्तान, ईरान, मध्य-पूर्व के खाड़ी के देश	2,000/-रुपए	5 हजार रुपए
	(ख) कोई अन्य देश	20,000/-रुपए	1 लाख रुपए

सशोधित अधिसूचना के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीयता वाले/भारतीय मूल के व्यक्तियो समेत सभी अनिवासियों को बिना किसी सीमा के अमूल्य पत्थर और आभूषण, स्वर्ण और गैर-स्वर्ण दोनों को भारत से बाहर ले जाने की सामान्य अनुमति भी प्रदान की है, बशर्ते कि ऐसे अमूल्य पत्थर या आभूषणों को या तो उनके द्वारा सीमा-शुल्क विभाग की अनुमति से विदेश से भारत लाया गया हो या अनुमति प्राप्त मुद्रा मे भुगतान करके उनके द्वारा उन्हें भारत में खरीदा गया हो।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी तारीख 23.2.1981 की मौजूदा अधिसूचना संख्या एफ.ई. आर.ए. 60/81-आर.बी. का सशोधन करने वाली तारीख 3 फरवरी, 1992 की वर्तमान अधिसूचना संख्या एफ.ई.आर.ए. 107/92-आर.बी. जारी करना भारत में निवास कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों के व्यक्तिगत आभूषणों और अनिवासी यात्रियो द्वारा भारत में खरीदे गए आभूषणों को बाहर ले जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक समझा गया था।

नये रक्षा कालेज

*329. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या रक्षा मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किये जाने वाले नये रक्षा कालेजों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इन कालेजों को अब तक स्थापित कर दिये जाने की समयावधि है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 'कालेज' एक व्यावसायिक अध्ययन स्थान है। इस आधार पर किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थापना को 'कालेज' माना जा सकता है।

सेना मुख्यालय निम्नलिखित नए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के प्रस्तावों पर पर विचार कर रहे हैं :—

(एक) जलीय युद्ध पद्धति विद्यालय, कारवार, जिला उत्तर प्रदेश।

(दो) वायुसेना इंजीनियरी कालेज (इसके स्थान के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है)।

(तीन) वायुसेना उड़ान प्रशिक्षण स्थापना, मदुरै, तमिलनाडु।

इन प्रस्तावित परियोजनाओं को स्थापित किए जाने संबंधी सरकारी मंजूरी संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न आवश्यकताओं में से किसको प्राथमिकता दी जाए इस बात पर निर्भर करेगी। अतः इन परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में किसी समय-सीमा का उल्लेख करना व्यावहारिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु नीतियां

*330. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय अफसरों के एक दल ने विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीन द्वारा अपनाई गई नीति का अध्ययन किया था;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) दल शेनझेन (चीन) और मलेशिया के स्पेशल इकनामिक जोनों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक सरकारी दल ने इन देशों का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल के निरीक्षण में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी इकाइयों के प्रचालन का क्षेत्र, मूल्यवर्धन मानदंड सीमाशुल्क निकासी के लिए प्रक्रिया, घरेलू बिक्रिया और इन क्षेत्रों के विकास/प्रबंधन की वैकल्पिक विधियां शामिल हैं। नीति/प्रक्रियाओं का रूपरेखा बनाते समय इस प्रकार की सामग्री का ध्यान में रखा जाता है।

विनियोत द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करना

*331. **श्री के. प्रधाना** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्यात योग्य मदों का ब्यौरा क्या है जो देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, मदवार, कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) इन मदों का निर्यात और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जो निर्यात सामान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रमुख स्रोत हैं उनके संबंध में इस समय अप्रैल-दिसम्बर, 1991

अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन मदों तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मुख्य निर्यात मद	अप्रैल-दिसम्बर, 1991 में अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में)
1.	रत्न और आभूषण	4739
2.	सिलेसिया वस्त्र	3531
3.	रसायन और संबद्ध उत्पाद	3291
4.	इंजीनियरी सामान	3260
5.	सूत, फैब्रिक और उनसे निर्मित माल	2278
6.	चमड़ा और उसके निर्मित माल	2237
7.	अयस्क और खनिज	1640
8.	समुद्री उत्पाद	989
9.	कालीने	865
10.	चाय	835
11.	पेट्रोलियम उत्पाद	645
12.	मानव निर्मित वस्त्र	551
13.	काजू (सी एन एस एल सहित)	515
14.	आयल मिल	514
15.	संसाधित खाद्य	468
16.	चावल	459
17.	हस्तशिल्प	428
18.	इलेक्ट्रानिक और कंप्यूटर साफ्टवेयर	393
19.	तम्बाकू	300
20.	कच्ची रुई	298
21.	जूट से बना सामान	298
22.	मसाले	248
23.	प्राकृतिक रेशमी वस्त्र	245
24.	काफी	206
25.	मांस तथा मांस उत्पाद	156

(ग) निर्यात प्रोत्साहनों को दृढ़ बनाने के लिए, व्यापक स्तर पर आयात लाईसेंस को समाप्त करने तथा टैरिफ आयात संरक्षण के उद्देश्य से जुलाई/अगस्त में व्यापार नीति में अनेकों परिवर्तन किये गए थे। सुग्राही वस्तुओं जैसे पी ओ एल, उर्वरक इत्यादि के आवश्यक आयात को छोड़कर कच्चे माल और संघटकों के अन्य सभी आयात को निर्यात निष्पादन से जोड़ दिया गया था। आई ई पी. लाइसेंसों के स्थान पर एकिजम स्क्रीप लाये गए। सिवेशाधीन नियंत्रणों और विलम्बों में कमी लाकर निर्यात को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंस को सशक्त बनाया गया है। पूंजीगत माल के आयात की प्रक्रिया को दृढ़ता प्रदान की गई है। ई.पी.जुड. और 100% ई. ओ यू. योजनायें फिर से तैयार की गई हैं। आयात निर्यात की अनेक वस्तुओं को मारणीबद्ध नहीं किया गया है। स्वीकृत बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोलने की, विदेशी ऋण लेने की: इस प्रकार के खातों से निर्यात संबंधित आयात के भुगतान की तथा इस प्रकार के खातों के लिए साख निर्यात आय की अनुमति निर्यातकों को प्रदान की गई है।

रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता द्वारा इन सुधारों को और अधिक दृढ़ बनाया गया है जो कि एकिजम स्क्रीप्स की तुलना में रुपये की परिवर्तनशीलता बनाये रखने की दिशा में एक और अगला कदम है। उद्योग और निर्यात उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए आयात शुल्क दर में कमी लाई गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्य कदम उठाये हैं जिनमें लाइसेंस द्वारा नियंत्रण में कमी, निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण व्यापार बोर्ड की सक्रियता, चुने हुए देशों से द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ आदान-प्रदान आदि शामिल है।

[हिन्दी]

परिवहन वाहन खरीदने के लिए ऋण

*332. श्री रूपचन्द वर्मा :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने परिवहन वाहनों की खरीद के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सुविधा को पुनः आरंभ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक को परिवहन ऋणों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किये गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत योजना

*333 श्री वी. एस. विजयराघवन :

प्रो. के. वी. थमस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं, म्यूचुअल फण्डों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दरों की तुलना में ब्याज की कम दर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत जमाकर्ताओं के लिए ब्याज की दर बढ़ाने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बचत स्कीम में की गई जमाराशि की तुलना मात्र ब्याज के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों में की गई जमाराशियों से नहीं की जा सकती। वर्तमान में इस स्कीम के अन्तर्गत जमा की गई राशियों पर करके उद्देश्यों से 40,000 रुपए तक की आय कम की जा सकेगी और यही एक अहम कारण है जिससे निवेशकर्ता इस स्कीम को तरजीह देते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार विभिन्न अल्प बचत स्कीमों की ब्याज दरों की समीक्षा उनकी तुलनीय स्कीमों की ब्याज दरों और उपलब्ध कर सम्बन्धी लाभों को ध्यान में रखते हुए करती है।

चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात

*334. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) माह अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान चमड़े के समान (फुटवियर, फुटवियर संघटकों तथा परिधानों सहित किन्तु तैयार चमड़े को छोड़कर) के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के रूप में उसका मूल्य चर्म निर्यात परिषद द्वारा 1779 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए चर्म निर्यात परिषद द्वारा चमड़े के सामान माल (तैयार चमड़े को छोड़कर) के निर्यात के लिए 3300 करोड़ रु0 के लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कलकत्ता बन्दरगाह

*335 श्री सनत कुमार मंडल :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1992 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में "कलकत्ता पोर्ट इन डीप वाटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कलकत्ता बन्दरगाह में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(घ) इस बन्दरगाह पर ढोये जाने वाले माल की मात्रा में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या हुगली में गाद जमा होने की समस्या का मुकाबला करने के लिए इस बन्दरगाह पर कोई जल माप सम्बन्धी सर्वेक्षण कराये गए हैं;

(च) यदि हां, तो उनसे क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि ऐसे सर्वेक्षण नहीं कराये गए हैं तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता बन्दरगाह को संकट से उबारने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) समाचार पत्र की रिपोर्ट में कलकत्ता पत्तन में अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक कलकत्ता पत्तन में कुल 553.98 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। इसमें वर्ष 1991-92 के दौरान 72 करोड़ रु. का पूर्वानुमानित खर्च शामिल है। यह निवेश आधारभूत सुविधाओं के विकास और कार्गो हैंडलिंग उपस्करों की खरीद के लिए है।

(ङ) जी, हां।

(च) जलीय सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाई गई कमियों को दूर करने के लिए निरन्तर निकर्षण किया जाता है।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन विकास निधि

*336. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या वस्त्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पटसन विकास निधि में से प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस निधि की सहायता से किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विशेष पटसन विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के संबंध में 31 दिसम्बर, 1991 तक आबंटित और रिलीज की गई राशियों के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

क्र. सं.	उद्देश्य	आबंटन	उपयोग
1.	पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25.00 करोड़ रु.	18 करोड़ रु.
2.	भारतीय पटसन निगम और उसकी सहकारी अधिग्राप्ति एजेंसियों को सहायता ।	10.00 करोड़ रु.	2.00 करोड़ रु.
3.	उत्पाद विविधीकरण तथा अनुसंधान व विकास सहायता ।	10.00 करोड़ रु.	8.34 करोड़ रु.
4.	पटसन उद्योग के कामगारों के लाभार्थ योजनाएं :—		
	(क) बंद पड़ी मिलों के सम्बन्ध में श्रमिक पुनर्वासनयोजना ।	10.00 करोड़ रु.	—
	(ख) आधुनिकीकरण से संबद्ध श्रमिक पुनर्वासन योजना	22.50 करोड़ रु.	—
	(ग) आधुनिकीकरण से संबद्ध पी एफ/ई एस आई से संबंधित कामगारों की बकाया राशि का आंशिक भुगतान ।	16.00 करोड़ रु.	4.67 करोड़ रु.
	(घ) पटसन उद्योग के फालतू कामगारों के लिए प्रशिक्षण तथा बैंक वित्त योजना ।	5.00 करोड़ रु.	—
	कुल	98.50 करोड़ रु.	33.01 करोड़ रु.

अवधि : 100 करोड़ रु.

निर्धन लोगों को कानूनी सहायता

*337. श्रीमती रीता वर्मा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या विधि न्याय और कंपनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु बार काउंसिलों को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1973 के दौरान अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बार काउंसिलों को प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) यदि बार काउंसिलों को कोई धनराशि नहीं दी गई है तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने के कार्य में अधिवक्ताओं को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा बार काउंसिलों को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। सरकार ने विधिक सहायता स्कीमों का कार्यान्वित करने के लिए एक समिति स्थापित की है।

(घ) से (च) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा और उनके द्वारा स्थापित जिला और तालुका समितियों के माध्यम से भी विधिक सहायता और सलाह कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए वकीलों का एक पैनल बनाए रखते हैं।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

*338. श्री सुरेशानन्द स्वामी।

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा का आयोजन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री के. विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कोई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नहीं है, अतः उसके लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत और हंगरी के बीच व्यापार

*339. श्री प्रतापराव बी भोंसले :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के बीच व्यापार के लिए "जनरेलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेन्सेस" की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) भारत हंगरी संयुक्त परिषद् की जनवरी 1992 में हुई दसवीं बैठक में यह सुझाव दिया गया कि भारत को जनरेलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंसिज की रियायतें मिलती रहनी चाहिएं।

अब यह संकेत मिला है कि हंगरी सरकार का मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प का विकास

*340. श्री विलास राव नागनाथ राव गूंडेवार :
श्री काशीराम राणा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हस्तशिल्प के विकास के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इन लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य-वार क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को देश की पारम्परिक हस्तकलाओं को बचाये रखने के लिए शिल्पकारों/वस्तकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) देश में परम्परागत हस्तशिल्प को बचाने के लिए शिल्पियों/दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

देश में हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य और जनवरी 1992 तक प्राप्त उपलब्धि निम्नोक्त प्रकार है :

	लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल, 91 से जनवरी, 92 तक)
उत्पादन (करोड़ रुपए में)	13260	13050 (अनुमानित)
रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	48.25	47.50 (अनुमानित)
निर्यात (करोड़ रुपये में) (रत्न तथा आभूषण को छोड़कर)	1584	1548.86

[अनुवाद]

डालरों की बिक्री

*344. श्री अमल दत्त :
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकृत व्यापारियों को डालरों की समस्त बायदा बिक्री रोक दी है;

(ख) यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारियों के बायदा कारोबार पर अंकुश रखने के लिए "स्पाट" बिक्री को भी रोक दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 फरवरी, 1992 को अधिकृत व्यापारियों को डालरों की अग्रवर्ती लेन-देनों की आड़ में स्थल बिक्री को स्थगित कर दिया गया था।

(ख) और (घ) अग्रवर्ती लेन-देनों के रूप में अग्रवर्ती बिक्री और स्थल बिक्री को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अग्रवर्ती बाजार में सट्टे की काफी प्रवृत्ति पाई जाने और विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति का स्तर अपेक्षाकृत आसान होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रणाली पर पुनर्विचार करना शुरू किया था। तथापि, 29 फरवरी, 1992 को घोषित उदार मुद्रा दर प्रबन्ध प्रणाली (एल ई आर एम एस) के अन्तर्गत अधिकृत व्यापारियों द्वारा जनता के साथ बाजार दरों पर अग्रवर्ती लेन-देन किया जा सकता है। स्थल दरें और अग्रवर्ती लेन-देनों की दरें दोनों ही मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होंगी।

दक्षिण अमरीका देशों के साथ व्यापार

*342. श्री अंकुशराव टोपे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियां, 30 सितम्बर, 1991 को कुआलालम्पुर में आयोजित जी-15 बैठक के बाद दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में सफल रही हैं; और

(ख) यदि हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी-15 की पहली शीर्ष बैठक जून, 1990 में कुआलालम्पुर में और दूसरी बैठक नवम्बर, 91 में कारकास में हुई थी।

हालांकि व्यापार संवर्धन जी-15 का क्षेत्र नहीं है, फिर भी कारकास में जी-15 देशों के व्यापारियों और उद्योगपतियों की एक समानान्तर बैठक हुई थी।

वर्ष 1988-86 से इस क्षेत्र को भारत से होने वाले निर्यात में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही है। आयात जो वर्ष 198 -88 में 45.78 करोड़ रुपए के हुए थे अप्रैल-दिसम्बर, 1991 में बढ़कर 195.05 करोड़ रुपए के हो गए।

इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र के देशों में आयात क्षेत्र का उदारीकरण और सरकार के निर्यात संवर्धन उपाय है। कराकास बैठक में की गई पहलों के प्रभाव का आकलन करना अभी सम्भव नहीं है।

शुष्क गोदी परियोजना

*343. श्री मोरेश्वर सावे :

श्री मोहन सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में शुष्क डोकी परियोजना को त्याग देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना को त्याग देने के कारण कितनी हानि हुई है और इस पर लगाई जा चुकी राशि का उपयोग करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) परियोजना का परित्याग करने के बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अनिवासी भारतीयों की कंपनियों को रियायतें

*344. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय कंपनियों में इक्विटी शेयर बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर खरीदने की अनुमति दी जाए जबकि उन्हें अपने उत्पादों के लिए अन्यत्र बाजार ढूंढने में भारी मुश्किलें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों की किसी विदेशी कंपनी को ऐसी कोई रियायत दी है;

(ग) यदि हां, वे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) किसी विदेशी कम्पनी ने यह अनुरोध नहीं किया है कि ईक्विटी के बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार उनको प्रवेश की अनुमति दे क्योंकि उनके उत्पादों के लिए अन्यत्र बाजार ढूंढने में अनेक मुश्किलें पेश आ रही हैं। तथापि, 5 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी में प्रस्तावित वृद्धियों के भाग के रूप में विदेशी भागीदारों को जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य निश्चित करने के लिए घोषित फार्मूला में परिशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (घ) इन सुझावों के प्रत्युत्तर में कोई रियायत नहीं दी गई है । फिर भी, सरकार ने शेयर प्रीमियमों के नियतन सहित पूंजी निर्गमों पर से नियंत्रण हटाने की अलग से घोषणा की है । इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उन निर्गमों के बारे में सरकारी हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं होगा । नई पद्धति के ब्यौरों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी ।

वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात

*345. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमत कुलजेन्द्र कौर दीपा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान प्रत्येक निर्माता द्वारा किस-किस देश को कितने-कितने वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) ऐसे वाहनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्र (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1991 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात के संबंध में निर्मातावार तथा देशवार विवरण निम्नानुसार है :—

निर्माता	देश	निर्यात किए गए वाहनों की सं.
बजाजटैम्पो	श्री लंका	1
	यूगान्डा	2
	जामबिया	1
आयशर गुडअर्थ	बंगलादेश	84
	नेपाल	16
	मारिशस	19
	श्री लंका	61
	तनजानिया	26
हो. सी. एम. टोयटा	बगलादेश	10
	श्री लंका	90
	मारिशस	1
	इंडोनेशिया	2

1	2	3
	नेपाल	25
	तनजानिया	60
	भूटान	35
अशोक लीलैण्ड	दुबई	87
	ओमन	22
	श्री लंका	629
	मारिशस	93
	बंगलादेश	1
	वेनेजुएला	26
	बहरीन	10
	मैडागास्कर	6
	आबु धाबी	14
	घाना	5
	अल्बानिया	10
	तजानिया	35
	केन्या	12
	सीरिया	4
हिंदुस्तान मोटर्स	मारीशस	19
	बंगलादेश	24
महिन्द्रा सिंगाट	मारीशस	23
	सीचैलस	8
टैल्को	श्री लंका	1
	नेपाल	4
	श्री लंका बंगलादेश मलएशिया अफ्रीका बाकी देश	5097

(ख) वर्ष 1991 में व्यापारी वाहनों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 224.16 करोड़ रुपये रही।

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है। इस संबंध में सरकार ने जो विभिन्न उपाय किये उनसे व्यापारी वाहनों के निर्यात में सहायता मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

(1) शुल्क मुक्ति योजना और अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए उत्पादन सामग्री उपलब्ध कराना।

(2) किसी निर्यात आदेश को जिम्मेदारी पूरी करने के बदले रियायती आयात शुल्क पर निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत माल के आयात की सुविधा।

(3) विदेशों में मेलों, खरीददार-विक्रेता बैठकों और अन्य निर्यात संवर्धन उपायों में भाग लेने के लिए बाजार विकास फंड से सहायता।

(4) विकसित बाजारों को निर्यात उत्पादनों की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में उत्पाद जिम्मेदारी बीमा की अधिक दरों में आंशिक प्रतिपूर्ति की सुविधा।

(5) एक्सीम बैंक के जरिए आस्थगित ऋण और अन्य दूसरी तरह के ऋण उपलब्ध कराना ताकि विभिन्न देशों को निर्यात में सुविधा हो सके।

(6) निर्यात से अर्जित पूरी आय को आय-कर से छूट देना।

सरकार ने 1991 में जो एक्सीम स्क्रिप योजना शुरू की थी और हाल ही में केन्द्रीय बजट में निर्यात अर्जन के बाजार दर पर मूल्य में 60 प्रतिशत परिवर्तनशीलता की जो व्यवस्था की गई है उससे भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। रुपये के मूल्य में विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में संशोधन और समंजन किया गया है उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के व्यापारी वाहनों की निर्यात कीमतें अधिक प्रतियोगी हो गई हैं।

कुवैती दल का दौरा

*346. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय दल ने जिसमें व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे, हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विशेषज्ञों ने भारत में विभिन्न अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की थीं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों सहित कुवैत से विशेषज्ञों का कोई उच्चस्तरीय दल हाल में भारत नहीं आया। तथापि, दिसम्बर, 1991 के दौरान कुवैत इन्वेस्टमेन्ट अथारिटी की एक सहायक कम्पनी कुवैत फाइनेन्स ट्रेडिंग कांटेक्टिंग एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी (के एफ टी सी आई सी) से एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भारत में निवेश की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए भारत आया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग के सचिवों से मिले।

(ग) और (घ) इस प्रतिनिधि मण्डल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई व्यापार करार नहीं किया गया।

गैर-सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों

@*257. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से गैर-सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों के लिए धन देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र

*348. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में वर्ष 1991 के दौरान राज्यवार कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

टी. वी. ट्रांसमीटरों के लिये स्थान का निर्णय करते समय दूरदर्शन द्वारा जिन मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है उनमें कई बातें शामिल होती है जैसे कवर न हुए क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान, शेष कवरेज, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय, दूरस्थ, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करने के लिए प्रावधान, कार्यक्रम निर्माण और जोड़ने की सुविधाओं की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं/सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण, सुविधाओं की स्थापना के आयाम नीचे दिये गये हैं :—

(1) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करना ।

(2) देश में सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करना ।

(3) गांवों के चुने हुए समूहों के लाभ के लिये क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करने के वास्ते "इनसैट उपयोग स्कीम" के अन्तर्गत पता लगाये गये, चुने गये स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करना ।

(4) विशिष्ट रूप से पृथक समूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए टी. वी. रिले केन्द्रों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करना ।

2. वर्ष 1991 में विभिन्न राज्यों में चालू किये गये टी. वी. ट्रांसमीटरों की संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या
बिहार	1 (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर)
राजस्थान	1 (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर)
हिमाचल प्रदेश	1 ट्रांसपोजर
महाराष्ट्र	1 (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर)
जम्मू और कश्मीर	1 ट्रांसपोजर
उत्तर प्रदेश	3 (अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-1) (ट्रांसपोजर -2)

3. एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें इस समय लगाये जा रहे टी. वी. ट्रांसमीटरों/आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगाये जाने के लिए परिकल्पित टी. वी. ट्रांसमीटरों सहित दूरदर्शन केन्द्रों के स्थानों का ब्योरा दिया गया है। यद्यपि दूरदर्शन की आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसी सुविधाओं की स्थापना आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में ही की जा सकती है और यह कार्य साधनों की उपलब्धता, इमारतों/टी. वी. टावरों के कार्यक्रमों के अनुसार निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता तथा अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित दूरदर्शन केन्द्र/टी. वी. 1 ट्रांसमीटर

उ. श. ट्रां. — उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ. श. ट्रां. — अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ. अ. श. ट्रां. — अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

का. नि. सु. — कार्यक्रम निर्माण सुविधा

का.नि.पो.के. — कार्यक्रम निर्माण एवं पोषण केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		दूरदर्शन केन्द्र ट्रांसमीटर
1	2	3
आंध्र प्रदेश	स्टूडियो	विजयवाड़ा
	उ.श.ट्रां.	तिरुपति
		राजामुन्दरी
		कुरनूल
		नदयाल
	अ.श.ट्रां.	भीमावरम
		हिन्दुपुर
		जगतियाल
		कुप्पम
		आत्माकुर
		अलागड्डा

1	2	3
		गिड्डालूर
		कावेरी
		सिद्दिपेट
		तंदूर
		वेलाचेरु
		मलयापल्ली
		यडवाल
	म.म.स.ट्रां.	पलेक्ड
		सिरोसेलम
असम	का.नि.यो.के.	गुवाहाटी ×
	स्टूडियो	सिल्चर*
		डिब्रूगढ़*
	उ.स.ट्रां.	तेजपुर
	म.स.ट्रां.	बोगईगांव
		गोलाघाट
		उत्तरी लखीमपुर
	म.म.स.ट्रां.	दिग्बोई
बिहार	स्टूडियो—	पटना (स्थायी व्यवस्था)
	का.नि.सु. —	डाल्टनगंज
		मुजफ्फरपुर*
	उ.स.ट्रां: —	गया
		जमशेदपुर
	म.स.ट्रां. —	औरंगाबाद
		गोड्डा
		हजारीबाग
		लोहरदगा

1	2	3
		गुवला
		नवादा
		राकसोल
गुजरात	स्टूडियो —	राजकोट
	उ.श.ट्रां.	भुज
		बडोदरा
		सूरत
	अ.श.ट्रां —	खम्बट
		मोरवी
		दरंगधारा
		महुआ
		नवसरारा
		रापर
हरियाणा	स्टूडियो —	हिसार
	उ.श.ट्रां,	हिसार
हिमाचल प्रदेश	स्टूडियो —	शिमला
	उ.श.ट्रां.	शिमला
		धर्मशाला
	अ.श.ट्रां.	सुन्दरनगर
	अ.अ.श.ट्रां. —	अम्बुफोटं
		पालनपुर
जम्मू और कश्मीर	स्टूडियो —	श्रीनगर (विस्तार)
	का.नि.सु. —	जम्मू
	उ.श.ट्रां. —	लेह
	अ.श.ट्रां. —	रियासी
		बानामंडी

1	2	3
	अ.अ.ध.ट्रां —	किल्होटन
		वराल
		खानकू
		टिम्सोगाम
		तियवाल
		खडी
	ट्रांसपोर्ट —	नगरोटा
केरल	ध.ध.ट्रां. —	कालीकट
		कन्नानौर
कर्नाटक	का. नि.सु. —	गुलबर्गा*
	उ.ध.ट्रां. —	धारवाड़
		मैसूर
		रायचूर
	अ.ध.ट्रां. —	गंगावाटी
		मंदया
		बागलकोट
		पावगाड़ा
		रामदुर्ग
मध्यप्रदेश	स्टूडियो —	भोपाल*
	का.नि.सु —	रायपुर*
	उ.ध.ट्रां. —	जबलपुर
		जगदलपुर
		अम्बिकापुर
		गुना
	अ.ध.ट्रां. —	दतिया
		आमोरा
		पारसिया

1	2	3
	अ.अ.श.ट्रां. —	कुकड़ेश्वर
मेघालय	स्टूडियो —	शिलांग*
		तुरा*
	उ.श.ट्रां. —	चिरापूंजी
	अ.श.ट्रां. —	विलिमनगर
महाराष्ट्र	स्टूडियो —	बम्बई (विस्तार)
	उ.श.ट्रां.—	हाथीखम्बा
		जलगांव
	अ.श.ट्रां. —	हिंगनघाट
		खामगांव
		अकलुज
		कंकोली
		वासिम
		अकोट
मणिपुर	स्टूडियो —	इम्फाल*
	उ.श.ट्रां. —	चुराचांदपुर
	अ.अ.श.ट्रां.—	मोरेह
मिजोरम	स्टूडियो —	आइजोल
	उ.श.ट्रां. —	लुंगलेई
नागालैंड	स्टूडियो —	कोहिमा*
	उ.श.ट्रां. —	मोकोकचुंग
	अ.अ.श.ट्रां.—	फेक
उड़ीसा	स्टूडियो —	भुवनेश्वर
	उ.श.ट्रां. —	बालेश्वर
	अ.श.ट्रा —	पुरी
		मलकानगिरी
पंजाब	उ.श.ट्रां. —	फाजिल्का

1	2	3
राजस्थान	उ.श.ट्रां. —	बाड़मेर
		जैसलमेर
		बूंदी
		अनूपगढ़
		अजमेर
		जोधपुर
		उदयपुर
	म.श.ट्रां. —	गंगापुर
		श्री डूंगरगढ़
		सुजानगढ़
		भद्रा
		चिरवए
		करनपुर
		कोटपुतली
		रायसिंहनगर
		रत्नगढ़
		मवाली
		राजामुंड
		बल्लभनगर
		मंडलगढ़
	म.अ.श.ट्रां. —	चौमाला
		देवगढ़
		फतेहपुर
		कुम्भलगढ़
		लक्ष्मणगढ़
सिक्किम	का.नि.सु.	गंगटोक
	उ.श.ट्रां.	गंगटोक

1	2	3
तमिलनाडु	स्टूडियो —	मद्रास (शक्ति बढ़ाना)
	उ.श.ट्रां. —	रामेश्वरम
		कुम्भकोणम
	अ.श.ट्रां. —	नागापत्तिनम
		आरकोट
		मयरम
		राजापलायम
उत्तरप्रदेश	स्टूडियो —	इलाहाबाद
	का.नि.सु. —	बरेली
	उ.श.ट्रां. —	बरेली
		बांदा
		मऊ
		लखीमपुर
	अ.श.ट्रां. —	सिकंदरपुर
		चम्पावत
		कोटद्वार
		मोहम्मदाबाद
		राबर्ट्स
	अ.अ श.ट्रां.—	चौखुटिया
		डिडीहाट
		ओथोमठ
पश्चिम बंगाल	स्टूडियो —	कलकत्ता (शक्ति बढ़ाना)
	का रि.सु. —	सिलीगुड़ी
	उ.श.ट्रां.	खड़कपुर
	अ श.ट्रां.	झारग्राम
		कुन्ताई
		पुरलिया
		रानाघाट

1	2	3
	अ.अ.श.ट्रां.	झालदा
		इतरा
	ट्रांसपोजर	टाइगरहिल
अरुणाचलप्रदेश	स्टूडियो —	ईटानगर
त्रिपुरा	स्टूडियो —	अगरतला*
	अ.अ.श. —	धर्मनगर
पांडिचेरी (संघ शा. क्षे.)	का.नि.सु. —	पांडिचेरी*
	उ.श.ट्रां. —	पांडिचेरी
	अ.श.ट्रां. —	कराईकाल
अंडमान और निकोबार	का.नि.सु. —	पोर्टब्लेयर
द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	अ.अ.श.ट्रां. —	ग्रेट निकोबार
चंडीगढ़ (सं.शा.क्षे.)	का.नि.सु. —	चंडीगढ़
दिल्ली (सं.शा.क्षे.)	स्टूडियो —	दूरदर्शन भवन

* स्थापना कार्य पूरा हो चुका है । अपेक्षित स्टाफ के उपलब्ध हो जाने के बाद ही ये चालू किए जाएंगे ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आयात की गई फिल्में

*353. श्री एस. जी. सिदनाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांच वर्ष से अधिक अवधि तक परिचालन में रही अनिवासी भारतीयों द्वारा आयातित फिल्मों का पुन: जारी किये जाने संबंधी अधिभार वसूल नहीं कर रही है और नया सेन्सर प्रमाणपत्र लिए बिना ही इन फिल्मों के पुन: प्रदर्शन की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राजस्व का अनुमानत: कितना घाटा हो रहा है;

(घ) देश में अनिवासी भारतीयों को फिल्मों को सरणीबद्ध करने और पुन: जारी करने के लिए कितना अधिभार लिया जाता है;

(ङ) क्या फिल्म आयातित नीति, 1988 में संशोधन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 1988 की आयात नीति के अन्तर्गत आयातित पहली फिल्म को 1993 में 5 साल पूरे होंगे । अत: पुन: जारी करने के लिए अधिभार लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा आयात के लिए सरणीकरण (कैनलाइजेशन) प्रभार की दरें इस प्रकार हैं :—

1. अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कृत फिल्म के लिए प्रति फिल्म 8,000 अमेरिकी डालर ।

2. किसी विनिर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के सरकारी खण्ड में सम्मिलित या सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिकाओं में प्रशंसित प्रति फिल्म के लिए 10,000 अमेरिकी डालर ।

पुन: जारी किए जाने के प्रभारों का प्रश्न केवल 1993 में या इसके बाद उठेगा ।

(ङ) और (च) जी, हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(हिन्दी)

पाकिस्तान टी. वी. कार्यक्रम

*358. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री मोहन रावले :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार उपग्रह एशियासैट से प्रसारित होने वाले पाकिस्तान के टी. वी. कार्यक्रम भारत और इसके अधिकांश पड़ोसी देशों में देखे जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां । जिन विदेशी उपग्रहों के फुटप्रिंट भारत को कवर करते हैं, उनके द्वारा प्रसारित टी. वी. कार्यक्रम टी. वी. सेट के साथ देश में उपलब्ध उपयुक्त डिजाइन वाले एंटीना लगाने से देखे जा सकते हैं । तथापि संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौजूदा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में विदेशी उपग्रहों से डिश एंटीना लगाकर टी. वी. कार्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति नहीं है । दूरदर्शन अपने कार्यक्रम फार्मेट में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निरंतर हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि दर्शकों की रुचि बराबर बनी रहे और विदेशी उपग्रहों से प्रसारित कार्यक्रमों का प्रतिकार किया जा सके ।

[अनुवाद]

वातानुकूलित विमान गृह (हैंगर)

*359. श्री कोडाकनी चौडाना सिक्य्या :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस-320 को वातानुकूलित विमान-गृहों में खड़ा करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न हवाई अड्डों पर अब तक कितने वातानुकूलित विमान-गृहों का निर्माण किया गया है; और

(ग) उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी टी. वी. कार्यक्रम

*360. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सी.एन.एन., बी.बी.सी. स्टार टी. वी. और इसी प्रकार से अन्य विदेशी टी. वी. नेट वर्क्स के कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या केबल नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त विदेशी टी. वी. कार्यक्रमों की लोकप्रियता के कारण दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या में कमी आयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) दूरदर्शन द्वारा, उन विदेशी उपग्रहों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या जानने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिनके फुटप्रिंट भारत को कवर करते हैं। तथापि, सरकार को मरास-बुर्के (मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसिज प्रा. लि. नई दिल्ली) और एडमार्क (एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च प्रा. लि. नई दिल्ली) द्वारा किए गए अध्ययनों की जानकारी है। किंतु इनके अध्ययन विदेशी उपग्रहों द्वारा प्रसारित टी. वी. कार्यक्रमों की लोकप्रियता का निरूपण नहीं करते। इस बात का कोई स्पष्ट ज्ञेय प्रमाण नहीं है कि विदेशी टी. वी. कार्यक्रमों की वजह से दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या कम हो गई है।

केरल में बिजली संयंत्र

*361. डा. सी. सिलवेरा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी केरल में 120 मे.वा. के एक बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को आरंभ करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय) । (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग

*362. श्री मोतीलाल सिंह :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की प्रशासनिक प्रणाली तथा कार्यकलाप में सुधार करने के बारे में कितनी शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें और सुझाव विषय की सात व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं ।

(i) केन्द्रीय जल आयोग का क्षेत्रीयकरण,

(ii) गैर-इंजीनियरिंग कार्यों में भी इंजीनियरिंग अधिकारी,

(iii) केन्द्रीय जल आयोग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप,

(iv) भगीरथ पत्रिका का प्रकाशन,

(v) इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए सामान्य संवर्ग पुनरीक्षा,

(vi) केन्द्रीय जल आयोग की स्थानांतरण नीति, और

(vii) व्यक्तिगत अधिकारियों के सेवा मामले अर्थात अनुकम्पा नियुक्ति, व्यक्तिगत दावों को हल करना आदि।

(ख) (i) विशिष्ट स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में इस मंत्रालय में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय जल आयोग की समग्र क्षेत्रीयकरण योजना के संदर्भ में इन सुझावों पर विचार किया गया है।

(ii) केवल गैर-इंजीनियरिंग कार्यों के लिए कोई इंजीनियरिंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि वरिष्ठ स्तर के कुछ इंजीनियरिंग अधिकारी अपने तकनीकी उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त संगठन के सामान्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व को बांटकर केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की सहायता करते हैं।

(iii) संगठन में किसी अनियमितता के संबंध में व्यक्तिगत अधिकारियों के प्राप्त अथवा कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायतों की जांच की जाती है।

(iv) जहां तक भगीरथ पत्रिकाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) को प्रकाशित करने का संबंध है, ये पत्रिकाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं तथा अंशदाताओं, विशेषज्ञों तथा संसद सदस्यों द्वारा इनकी प्रशंसा की गयी है। इन पत्रिकाओं की कोटि में सुधार करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

(v) सभी इंजीनियरिंग संवर्गों के लिए सामान्य संवर्ग पुनरीक्षा से संबंधित सुझावों पर विभागीय परिषद की उप-समिति की बैठक में विचार किया गया था। उस बैठक में यह सहमति हुई कि समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों के सभी पुनरीक्षा प्रस्तावों पर अलग से कार्रवाई करना जारी रहना चाहिए।

(vi) स्थानांतरण नीति पर केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न संघों के सुझावों पर विचार किया जाता है तथा संगठन के कार्य की आवश्यकता को भी इसके साथ-साथ ध्यान में रखते हुए जहां कहीं संभव होता है स्थानांतरण नीति के संशोधन के समय इन्हें शामिल किया जाता है।

(vii) व्यक्तिगत दावों को शीघ्रता से हल करने के प्रयास किए जाते हैं।

स्टार टी. वी. द्वारा हिन्दी चैनल प्रारम्भ किया जाना

*363. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या स्टार टी. वी. नेटवर्क देश में हिन्दी चैनल आरम्भ करने के लिए भारतीय टी.वी. कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने स्टार टी. वी. नेटवर्क को देश में हिन्दी चैनल आरंभ करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) कुछ भारतीय कम्पनियों ने सरकार को सूचित किया है कि वे हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए स्टार टी.वी. के साथ एशियासैट पर ट्रांसपोंडर लीज पर लेने की संभावनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कच्चे लोहे की कमी

*464. श्री हरि किशोर सिंह।

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे की कमी से उत्तर प्रदेश के ढलाई-कारखानों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य की ढलाई इकाइयां कच्चे लोहे की कमी का सामना कर रही हैं।

(ख) देश में कच्चे लोहे की समग्र कमी है। वर्ष 1991-92 में 19.2 लाख टन कच्चे लोहे की कुल अनुमानित मांग की तुलना में अनुमासित स्वदेशी उत्पादन केवल 14.4 लाख टन है।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्तर प्रदेश को लगभग 73,300 टन कच्चे लोहे का प्रेषण किया गया था। सप्लाई के लिए उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्तर प्रदेश को कच्चे लोहे का प्रेषण जारी रहेगा। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे लोहे के आयात की अनुमति है। 16 जनवरी, 1992 से आयात शुल्क को भी 55% से घटाकर 35% कर दिया गया है।

कावेरी बेसिन में सिंचाई परियोजनाएं

*365. श्री एच. डी. देवगौड़ा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी बेसिन में शुरू की गई बड़ी और मध्यम वर्ग की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है,

(ग) अब तक कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है, और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अनुमानित लागत/व्यय (करोड़ रुपए)
क्षमता (हजार हेक्टेयर)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	7वीं योजना के अन्त तक व्यय	शेष लागत	चरम क्षमता	7वीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
	कर्नाटक					
क.	वृहद					
1.	हेमावटी	885.82	334.35	551.47	283.60	61.75
2.	काबिनी	618.46	141.86	476.60	88.90	39.44
3.	हरंगी	199.00	110.35	88.65	53.54	34.37
4.	वरुणा (देवराज अर्स नहर)	102.16	22.94	79.22	32.38	0.40
ख.	मध्यम					
1.	घोट होल	20.29	19.26	7.03	7.50	4.62

1	2	3	4	5	6	7
2.	मनचनवाले	36.41	18.04	18.33	3.84	0.80
3.	चिकली होल	11.04	6.11	4.93	1.18	0.06
4.	इगालुर	18.04	3.73	14.31	4.05	1.41
5.	उदुथोरेहाला	42.11	1.49	40.62	6.27	—
6.	धरकावती	55.06	5.61	49.45	8.56	—
7.	कामसमुद्र	7.94	2.46	5.48	3.10	—

ऊर्जाग्राम योजना

[हिन्दी]

*366. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या विद्युत और गैर-पमरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ऊर्जाग्राम" योजना के लिए गत वर्ष के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये;

(ख) ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किये जा चुके है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बिहार के दरभंगा जिले को भी शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1990-91 की वार्षिक योजना में 25 ऊर्जाग्राम परियोजनाओं की परिकल्पना की गयी है जिन्हें विभिन्न राज्यों में शुरू किया जाना है । राज्यवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया । राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है । 1990-91 के दौरान, 34 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं स्वीकृत की गयी ।

(ख) वर्ष के दौरान उन्नीस परियोजनाएं पूरी की गयी । ये पिछली स्वीकृत परियोजनाओं सहित कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की कुल संख्या में से हैं ।

(ग) और (घ) दरभंगा जिले में ऊर्जाग्राम परियोजना के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

*367. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा किया गया विद्युतीकरण इन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विद्युतीकरण के मानदण्डों में कुछ संशोधन करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) । (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जबकि गांवों के विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्य, निधियों एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथापि राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यकलापों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा नियत प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है और देश में गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के बिजली विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित मानदण्डों में संशोधन किए जाने के बारे में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

रूस द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई

3710. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारतीय वस्तुओं की सप्लाई के बदले में भारत को अखबारी कागज की सप्लाई करने पर सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रूस द्वारा भारत को कितना अखबारी कागज का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) भारत सरकार और रूसी परिसंघ सरकार के बीच दिनांक 22 फरवरी, 1992 को जिस व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें भारतीय माल की सप्लाई के बदले रूस से 20,000 मी. टन अखबारी कागज आयात किए जाने का प्रावधान है । इसके अलावा, इस संलेख में प्रति-व्यापार, वस्तु-विनिमय युक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतानों अथवा व्यापार सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य रूप में भुगतान के सौदों की अनुमति है ।

[हिन्दी]

रुग्ण लघु उद्योग

3717. श्री ललित उराँव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लघु उद्योग हैं और उनमें से कितने रुग्ण हैं; और

(ख) इन रुग्ण लघु उद्योगों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अन्तिम तारीख जिसके लिए सूचना संकलित की गयी है) लघु क्षेत्र में कुल 27, 91, 358 बैंक ऋण पाने वाली इकाइयों में से बैंकों द्वारा 2426.94 करोड़ रुपये की बकाया बैंक ऋण वाली 2,18,828 इकाइयों को रुग्ण इकाइयों के रूप में पहचान की थी।

हथकरघा बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई

3718. श्री विलास मुत्तेमवार :

डा. असीम बाला :

डा. महाबीपक सिंह शाक्य :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धागों, रंगों, रसायनों तथा अन्य प्रकार के कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हथकरघा बुनकरों को भारी कठिनाई हो रही है :

(ख) बुनकरों द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को दिये गए ज्ञापन का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें सूती धागा राजसाहाय्य दर पर तथा समय पर सप्लाई नहीं किया जाता तथा देश में सूती धागे की कमी के कारण उन्हें सूती धागे के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं; अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से हथकरघा कपड़ा मंहगा हो गया है जिससे इसके विक्रय पर प्रतिकूल असर पड़ा है और बुनकरों में अस्थाई अल्परोजगार की समस्या बन गयी है।

(ख) हथकरघा कपड़ा उत्पादक संघ और संसद सदस्यों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें मांग की गई है कि हथकरघा बुनकरों को स्थिर मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की जाये।

(ग) तथापि सूत के बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या तो है लेकिन देश में सूती हैंक यार्न की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है।

(घ) सरकार मूल्य स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रही है और इसके लिए कई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिए गए हैं कि सूत के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए संयोजन काउंट के धागे के उत्पादन में वृद्धि करें। राष्ट्रीय वस्त्र निगम से कहा गया है कि वे अपनी उत्पादन योजना में इस प्रकार का समायोजन करें जिससे 40 कॉम्ब से कम काउंट के धागे का अधिक उत्पादन हो क्योंकि ऐसे काउंट के धागे बढ़ते हुए मूल्यों से हथकरघा क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया है। राज्य के मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया है कि सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों के सूत के उत्पादन की देख-रेख करें और हैंक यार्न की आपूर्ति, इसके मूल्यों और वितरण के संबंध में नियमित रूप से राज्य स्तर पर समीक्षा की जाए। मुख्य मन्त्रियों यह भी कहा गया है कि वे जिलाधिकारियों को बलपूर्वक कहें कि वे अपने अपने जिलों में नियमित रूप से सूत वितरक के स्टाक और विक्रय मूल्यों का निरीक्षण करें ताकि सूत की जमाखोरी रोका जा सके।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त करना

37।9. श्री पी. सी. थामस :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कई राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों का ब्यौरा क्या है जिनकी मान्यता समाप्त की गयी है;

(ग) मान्यता समाप्त करने का उनके चुनाव चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या आगे चले चुनाव में दल उन्हीं चुनाव चिन्हों के हकदार होंगे;

(ङ) क्या केरल कांग्रेस (एम) एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनैतिक दल है; और

(च) यदि हां, तो क्या केरल कांग्रेस के नाम से कोई अन्य दल भी है; जिसे अब मान्यता मिल चुकी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने तीन राष्ट्रीय दलों की अर्थात् (1) इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट

शरत् चन्द्र सिन्हा), (2) जनता दल (समाजवादी) और (3) लोक दल और दस राज्य दलों, अर्थात् (1) डेमोक्रेटिक पार्टी (मिजोरम), (2) केरल कांग्रेस, (3) नागालैंड पीपुल्स पार्टी, (4) पट्टलली मक्कल काची (पांडिचेरी), (5) पीजेन्ट्स एंड वर्क्स पार्टी आफ इंडिया (महाराष्ट्र), (6) पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल, (7) प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल आफ आफ असम, (8) पांडिचेरी मन्नीला मक्कल मुन्नानी, (9) रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (केरल) और (10) यूनाइटेड माइनोरिटीज फ्रंट, असम की मान्यता वापस ले ली है। तथापि, केरल और मणिपुर राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट-शरत् चन्द्र सिन्हा) को पात्र पाया गया है।

(ग) और (घ) वह राजनैतिक दल जिसकी राष्ट्रीय और राज्य दल दोनों के रूप में मान्यता समाप्त कर दी जाती है उसका अपना आरक्षित प्रतीक समाप्त हो जाता है। वह राजनैतिक दल जिसकी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई है, किन्तु फिर भी वह उस राज्य या उन राज्यों में जहां राज्य दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त है, अपने आरक्षित प्रतीक का उपयोग करने के लिए हकदार है।

(ङ) जी हां।

(च) जी नहीं।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

3720. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या रक्षा मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें गत दो वर्षों के दौरान, माह-वार, संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए,

(ख) इस अवधि के दौरान माह-वार, कितने पत्रों के मिलने की सूचना दी गई अथवा अन्तिम जवाब भेजे गये तथा अभी भी इसमें से कितने पत्र पावती/उत्तर भेजे जाने हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ग) उत्तर शीघ्र भेजने तथा भविष्य में विलम्ब को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा की गयी कार्रवाई की प्रगति की कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणालियों के माध्यम से उच्चतम स्तर मानीटरिंग की जाती है।

विवरण

महीना	संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की सं.	पत्रों की सं. जिनको पावती भेजी गई	पत्रों की सं. जिनका अंतिम रूप से उत्तर भेज दिया गया
1	2	3	4
मार्च, 1990	119	सभी पत्रों की प्राप्ति	68
अप्रैल, 1990	239	होने के तुरन्त बाद	164
मई, 1990	301	पावती भेज दी	225
जून, 1990	260	जाती है।	237
जुलाई, 1990	183		170
अगस्त, 1990	228		236
सितम्बर, 1990	217		174
अक्टूबर, 1990	175		158
नवम्बर, 1990	146		174
दिसम्बर, 1990	71		138
जनवरी, 1991	217		189
फरवरी, 1991	167		143
मार्च, 1991	117		123
अप्रैल, 1991	114		126
मई, 1991	27		49
जून, 1991	16		38
जुलाई, 1991	66		83
अगस्त, 1991	284		184
सितम्बर, 1991	375		233

1	2	4
अक्टूबर, 1991	313	276
नवम्बर, 1991	225	204
दिसम्बर, 1991	324	230
जनवरी, 1992	221	176
फरवरी, 1992	159	128

1 मार्च 1992 को उन पत्रों की संख्या जिनको पावती भेजी जानी है :—शून्य

1 मार्च, 1992 को उन पत्रों की संख्या जिनका अन्तिम रूप से उत्तर भेजा जाना है :—

अग्रिम आयात लाइसेंस शुल्क मुक्ति योजना

3721. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अग्रिम आयात लाइसेंस शुल्क मुक्ति योजना के अंतर्गत आयात किये गए रेशमी वस्त्रों का उपयोग निर्यात हेतु रेशमी परिधान बनाने के लिए नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिनांक 30 मार्च, 1988 को सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 116-सी.यू.एस. के अंतर्गत क्या सावधानी बरती जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है जहां अग्रिम लाइसेंस शुल्क मुक्ति योजना के अंतर्गत आयात किए गए रेशमी कपड़े का निर्यात किए जाने हेतु रेशमी वस्त्र बनाने में प्रयोग न किया गया हो। सीमा-शुल्क प्राधिकारी आयात और निर्यात दोनों ही परेषणों के नमूने निकालते हैं तथा उनकी जांच करवाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात की गई उसी सामग्री से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, रेशमी वस्त्रों के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब केन्द्रीय रेशम बोर्ड से इस आशय का विश्वास प्रकट करते हुए ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाते हैं कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद में रेशमी कपड़े का ही उपयोग किया जाता है।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस

3722. श्री भाग्ये गोवधन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान एक्जिम स्क्रीप स्कीम के अंतर्गत संपूर्ति लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वास्तविक पार्टियों तक इन लाइसेंसों के पहले इनके गुम होने की गुंजाईश है तथा इनका दूसरों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक्सिम स्क्रिप योजना के अधीन जो एक्सिम स्क्रिप जारी किए जाते हैं वे वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यधीन नहीं होते हैं और वे मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होते हैं। किन्तु, ऐसे भी मामले रहे हैं जिनमें जाली दस्तावेजों के आधार पर एक्सिम स्क्रिप प्राप्त किए गए हैं। एक्सिम स्क्रिप योजना अब समाप्त कर दी गई है।

घरेलू बाजार में चायना सिल्क कपड़े की बिक्री

3723. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय डुपोइन सिल्क कपड़े का प्रयोग निर्यात किए जाने वाले सिल्क के वस्त्रों के लिए किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का चाइनीज मलबरी नान-डुपोइन सिल्क के आयात 150% आयात शुल्क की चोरी रोकने और घरेलू बाजार में चाइना सिल्क कपड़े की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय डुपियन रेशमी फैब्रिकों से निर्मित रेशमी परिधानों का निर्यात परिशिष्ट 13-ग में उल्लेखित प्रावधानों से अन्यत्र किए जाते हैं। ऐसे निर्यातों के आधार पर किए जाने वाले आयात निर्धारित दर पर आयात शुल्क के अध्यधीन होते हैं। परिधानों सहित रेशमी उत्पादों के निर्यात जोकि परिशिष्ट 13-ग के अन्तर्गत होते हैं, के लिए केन्द्रीय बोर्ड के निरीक्षण तथा प्रमाणन द्वारा इस बात को पुष्ट करना होता है कि निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त फैब्रिक में इस्तेमाल किए गए यार्न की मात्रा की क्वालिटी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए सैम्पलों के अनुरूप हैं। इस प्रमाणन के अनुसार सीमा शुल्क विभाग डा ई ई सी में निर्यात उत्पाद में यार्न की मात्रा का रिकार्ड रखता

है जिसे अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त सामग्री के आयात के आधार पर निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए अन्तिम रूप से विचार किया जाता है।

इस प्रकार संबंधित निर्यात उत्पाद के लिए निर्धारित आदान/निर्गम मापदण्डों के अनुसार आयात की अनुमति दी जाती है और पुनः पूर्ति की छूट वाले माल का निष्टान आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों के तहत होता है। नीति सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघन पर आयात और निर्यात नियन्त्रण आदेश, 1947 तथा इसके तहत जारी आदेशों के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाती है।

साधारण बीमा निगम द्वारा शाखाएं खोलना

3724. श्रीमती कुष्मेन्द्र कौर दीपा :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री बलराज पासी।

श्री अन्ना जोशी।

श्री बायल आन अंजलोज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस समय भारतीय साधारण बीमा निगम के प्रत्येक राज्य में कितने-कितने शाखा कार्यालय हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में साधारण बीमा निगम की शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इंश्योरेंस कंपनियों के नए शाखा कार्यालय खोलने के संबंध में मुख्य मानदण्ड जनसंख्या, कारोबार की सम्भावना, शाखा कार्यालयों की व्यवहार्यता, आदि हैं;

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नए शाखाएं खोलने का मुद्दा एक सतत प्रक्रिया है और साधारण बीमा निगम एवं उसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा नई शाखाएं खोलने संबंधी निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष में अपने बजट के लिए निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते समय लिया जाएगा।

विवरण

साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या-सूची

राज्य	नेशनल	न्यू इण्डिया	ओरिएण्टल	यूनाइटेड इंडिया	कुल
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	41	64	63	85	253
अंडमान एवं निकोबार	—	1	—	1	2
अरुणाचल प्रदेश	1	—	3	4	8
असम	24	19	24	30	97
बिहार	48	38	43	27	156
चण्डीगढ़	3	7	6	4	20
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	1	1
दिल्ली	30	34	46	27	137
दीव एवं दमन	—	—	2	1	3
गोवा	5	4	4	7	20
गुजरात	29	56	49	33	167
हिमाचल प्रदेश	9	6	21	8	44
हरियाणा	27	22	20	25	94
जम्मू एवं कश्मीर	11	10	11	12	44
कर्नाटक	40	57	48	60	205
केरल	28	51	36	51	166
लक्षद्वीप	—	1	—	—	1
मध्य प्रदेश	47	56	44	45	192

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	39	97	64	74	274
मणिपुर	1	1	3	5	10
मेघालय	2	2	5	3	12
मिजोरम	1	1	1	2	5
नागालैंड	2	2	6	3	13
उड़ीसा	16	26	17	18	77
पांडिचेरी	3	1	—	2	6
पंजाब	57	46	39	52	194
राजस्थान	36	33	50	50	169
सिक्किम	1	2	—	—	3
तमिलनाडु	57	82	57	97	293
त्रिपुरा	2	2	2	4	10
उत्तर प्रदेश	78	112	77	79	346
पश्चिम बंगाल	42	39	44	26	151
पूरे भारत में	680	872	788	844	4173

[हिन्दी]

रांची में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर उपमार्ग

3725. श्री राम टहल चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रांची में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जलभूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रांची बाईपास के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए एक प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसके बारे में राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को सहायता

3*26. श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गरीबी हटाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्यपिछड़े वर्गों को सहायता अथवा बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1992-93 के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस योजना पर वर्ष 1992-93 के दौरान, राज्य वार, कितनी राशि व्यय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश हैं कि वे समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को निरंतम आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करें। स्वरोजगार उद्यमों के प्रवर्तन के लिए सरकार को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों में समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :—

1. कमजोर वर्ग	कमजोर वर्गों को निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भी कमजोर वर्गों का एक भाग है।
2. 4 प्रतिशत की ब्याज पर विभेदी ब्याज दर (डी आर आई)	पिछले वर्ष के अग्रिमों के निवल बैंक ऋण का 1 प्रतिशत जिसमें से 40 प्रतिशत अनु. जाति/ अनु. जनजाति के लिए होना चाहिए।
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	50 प्रतिशत राशि तथा खाते अनु. जाति/अनु. जनजाति के होने चाहिए।
4. शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस ई पी यू पी)	30 प्रतिशत राशि तथा खाते अनु. जाति/अनु. जनजाति के होने चाहिए।

5. शिक्षित बेरोजगार युवकों के 30 प्रतिशत हिस्साधिकारी अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए स्वरोजगार योजना होने चाहिए।
(एस ई ई यू वाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूह के चयनित परिवारों को स्वरोजगार के उद्यमों के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए समन्वित ग्रामिण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है। सरकार का ग्रामीण विकास विभाग जो आई आर डी पी कार्यक्रम का प्रशासन करता है, वर्ष 1991-92 के लिए विभिन्न राज्यों को 22,51,519 परिवारों का लक्ष्य आबंटित किया है तथा इसके लिए 703.61 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया है, जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें समान रूप से प्रावधान करेंगी। परन्तु वर्ष 1992-93 के लिए आई आर डी पी कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता में बिजली परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

3727. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 500 मेगावाट बिजली की किस्तार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी राशि का ऋण लिया जाएगा और ऋण की अदायगी किन शर्तों पर होगी;

(ग) क्या ऋण-राशि का भुगतान सरकार की गारंटी पर किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम (सी.ई.एस.सी.) के 2×250 मेगावाट बज बज बिजली घर को वित्त-पोषित करने के लिए 6.58 प्रतिशत वार्षिक परिवर्तनीय ब्याज दर पर 320 लाख अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एशियाई विकास बैंक के निजी क्षेत्र के ऋणों के लिए सरकार द्वारा गारंटी देना अपेक्षित नहीं है।

नियत की गई धनराशि का उपयोग

3738. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकारी प्रतिष्ठान का उपक्रम नियत की गई समस्त धनराशि का व्यय दिखाने के नाम पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण के दौरान नियत धनराशि का एक बड़ा अंश अनावश्यक मदों का क्रय करते हैं;

(ख) क्या धनराशि का एक बड़ा भाग अधिकारीगणों को नया साज-सामान इत्यादि दिलाने का व्यय किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है कि धनराशि केवल न्यूनतम व अत्यावश्यक मदों, जिनकी उपयोगिता प्रतिष्ठान के लिए सर्वाधिक हो पर व्यय की जाए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) सरकार ने वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में तेजी से किए जाने वाले व्यय से बचने के लिए, समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सलाहकारों को मास प्रतिमास आधार पर व्यय की पुनरीक्षा करने के लिए कहा गया है ताकि व्यय का विस्तारण संपूर्ण वर्ष में किया जा सके और बजट व्यवस्था के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में तेजी से व्यय न किया जाए।

(ख) और (ग) किफायत संबंधी उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने फर्नीचर और साज-सामान की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनावश्यक मदों पर सरकारी निधियों को न गंवाया जाए, यात्रा, सम्मेलन, ईंधन और प्रकाशन आदि पर नियंत्रण लगाए गए हैं। मंत्रालयों को भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी स्कीमों/कार्यकलापों को प्राथमिकतानुसार तैयार करें ताकि जो योजनाएं/कार्यकलाप सूची में नीचे हैं उन्हें या तो कम किया जा सके अथवा हटाया जा सके।

[हिन्दी]

मुद्रा (करेंसी नोट्स) के बदले सोने का भण्डार

3729. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुद्रा के प्रसार के लिए मानदण्ड, नियम और अनुपात संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का कितना भण्डार है; और

(ग) 1 मार्च, 1992 तक कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में थी और इसमें भिन्न-भिन्न मूल्य वाले सिक्कों और नोटों की संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार करेंसी नोटों का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम की धारा 33 और 34 द्वारा शासित होता है।

(ख) 29.2.1992 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भण्डार 350, 923, 241, 01220 शुद्ध ग्राम था।

(ग) 29.2.1992 को परिचालन में करेंसी का कुल मूल्य 61,264.5 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मूल्यावर्गवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

बिहार में सोन राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्मनाशा-टिहरी सड़क की मरम्मत

3730. श्री छेदी पासवान :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सोन राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्मनाशा-टिहरी सड़क यातायात के उपयुक्त नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके विकास और इसकी मरम्मत हेतु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये,

(ग) इस राजमार्ग की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा उक्त वर्षों के दौरान कितनी राशि स्वीकृत की गई और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके ऊपर वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार में पश्चिम बंगाल बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 सामान्यतः यातायात योग्य हालत में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ सस्वीकृत कार्यों में कई कारणों से विलम्ब हुआ जिनमें हड़तालें, उपयुक्त ठेकेदारों का अभाव आदि शामिल है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान इस खंड के लिए सामान्य अनुरक्षण अनुदान के अलावा 34.00 लाख रु. की लागत से बाढ़ से हुई क्षति मरम्मत/विशेष मरम्मत कार्यों और 731.00 लाख रु. की लागत से सुधार कार्यों को मंजूरी दी गई थी।

(घ) मरम्मत पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

1988-89	—	18.11 लाख रु.
1989-90	—	35.55 लाख रु.
1990-91	—	25.04 लाख रु.

[अनुवाद]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर द्वारा मुकदमों पर व्यय

3731. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले नौ महीनों के दौरान ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर द्वारा विभिन्न मुकदमों पर खर्च की गई धन-राशि का ठीक-ठीक ब्योरा क्या है;

(ख) कितने अधिवक्ताओं को इसके लिए नियुक्त किया गया तथा कितने मामलों में वे विभिन्न न्यायालयों के समक्ष पेश हुए; और

(ग) मुकदमेबाजी में बढ़ रहे खर्च को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (जिसमें न्यू एगर्टम वूलन मिल्स ब्रांच, धारीवाल शामिल नहीं है) ने जून 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान मुकदमेबाजों पर 1.29 लाख रु. खर्च किए।

(ख) बी आई सी ने विभिन्न मामलों की पैरवी करने के लिए 23 वकीलों को लगाया है। बी आई सी मुकदमेबाजी के जिन मामलों में लगी हुई है, उनकी संख्या की जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) बी आई सी केवल ऐसी मुकदमेबाजी पर ही खर्च करता है जोकि अपरिहार्य है। फिर भी वह यथासंभव खर्च को कम करने का प्रयास कर रही है।

चाय का उत्पादन

3732. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1991 के दौरान देश में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रफल पर चाय बागान थे,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने एकड़ क्षेत्र पर चाय के बागान थे; और

(घ) 1991 के दौरान चाय बागान और चाय उद्योग में कितना अतिरिक्त निवेश किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान चाय का कुल उत्पादन निम्नोक्त रहा :—

वर्ष	उत्पादन
1989	688.11 (एम किलोग्राम)
1990	714.67 (ई)
1991	741.72 (ई) (अनु.) अनुमानित)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के अन्तर्गत कुल एकड़ क्षेत्र निम्नोक्त थी :—

वर्ष	चाय के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1989	416.59
1990	418.64 (अनु.)
1991	421.27 (अनु.) (अनु.) अनुमानित

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में चाय के अन्तर्ग एकड़ क्षेत्र निम्नोक्त था :—

वर्ष	चाय के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1989	0.46
1990	0.46 (अनु.)
1991	0.46 (अनु.) (अनुमानित)

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान चाय बागानों तथा चाय उद्योग के लिए चाय बोर्ड की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत 9.50 करोड़ रु. के निवेश की व्यवस्था है जबकि 1990-91 में निवेश 6.38 करोड़ रु. था।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों का ऋण देना

3733. श्री राम नाईक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों ने केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कुल कितनी राशि की अदायगी के दावे किए हैं;

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी राशि के दावे निपटाये गए और उनका भुगतान किया गया;

(घ) अगर कोई बकाया राशि हो तो उसका भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त राशि कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई ऋण राहत योजना को महाराष्ट्र में स्थित सहकारी बैंकों ने कार्यान्वित किया था।

(ख) से (ड़) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत का 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना है और बाकी 50% प्रति राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा स्वयं वहन किया जाना है, अलबत्ता, उनके हिस्से को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को ऋण देता है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और महाराष्ट्र राज्य कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक लि. द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्रस्तुत की गई दावे की राशि और उन सहकारी बैंकों को दी गई राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

बैंक	नाबार्ड के पास प्रस्तुत दावे की राशि	नाबार्ड द्वारा दी गई		
		ऋण	अनुदान	कुल
महाराष्ट्र राज्य सकारी बैंक	391	134.13	134.13	268.26
महाराष्ट्र राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि.	111.38	40.51	40.31	80.62
	503.04	174.44	174.44	348.88

दावों के सत्यापन और राशियों के उपलब्ध होने पर दावे की बकाया राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

[हिन्दी]

भारत पाक सीमा पर सामान की जब्ती

3734. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत-पाक सीमा पर अब तक जब्त किये गये तस्करी के सामान का मूल्य सहित ब्योरा क्या है; और

(ख) तस्करी को रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा प्रबंध कड़े करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार सोना, चांदी, स्वापक औषध द्रव्य आदि तस्करी के लिए बराबर आकर्षण की वस्तु बनी हुई हैं । कलैण्डर वर्ष, 1991 के दौरान भू-सीमा के भारत-पाकिस्तान सेक्टर लगभग 31.14 करोड़ रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अधिग्रहणों के मूल्य के बारे में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ख) ऐसी तस्करी को रोकने की दृष्टि से, तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और केवल तस्करी-रोधी कार्य के लिए दो उप समाहर्तालयों का सृजन करके चौकसी करने के लिए हाल ही में सीमाशुल्क अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है । पंजाब तथा राजस्थान सेक्टर के लिए इन दोनों उप समाहर्तालयों के मुख्यालय क्रमशः अमृतसर और जोधपुर में हैं । पंजाब सेक्टर में 60% से अधिक सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगा दी गयी है और सीमा को पार करने के लिए किये जाने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए इसे उच्च वोल्टेज बिजली के करन्ट से चार्ज कर दिया गया है । पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े सीमा क्षेत्रों में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, रात को और टाइम-बे-टाइम कर्फ्यू भी लगाया जाता है । तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी हुई सीमा सुरक्षा बल, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना निदेशालय जैसी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल भी बनाये रखा जाता है ।

[अनुवाद]

आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज में डिमोन्स्ट्रेटर

3735. श्री अन्ना जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालिज, पुणे में डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में कार्यरत डाक्टरों के वेतनमानों में संशोधन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इन डिमोन्स्ट्रेटर के लिये चौथे वेतन आयोग द्वारा किस वेतनमान की सिफारिश की गई है,

(घ) इन डिमोन्स्ट्रेटर को इस समय प्रोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं, और

(ङ) सरकार ने डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में कार्यरत इन डाक्टरों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए इस समय किसी प्रकार की पदोन्नति के अवसर

उपलब्ध नहीं हैं। चतुर्थ वेतन आयोग ने इन डाक्टरों के लिए कोई विशेष वेतनमान की सिफारिश नहीं की थी।

सरकार को डिमांसट्रेटरों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार उनकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

रूई का निर्यात

3736. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूई का निर्यात किस वर्ष से किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितने मूल्य की रूई का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान रूई निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हालांकि इस संबंध में प्रमाणित रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि भारत वर्ष 1923-24 से कपास का निर्यात कर रहा है।

(ख) वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान कपास की 11.90 लाख गांठों का निर्यात किया गया। वर्ष 1991-92 के चालू कपास मौसम के दौरान 12 मार्च 1992 तक बंगाल देशी कपास की लगभग 12,000 गांठों का निर्यात किया गया।

(ग) सरकार ने वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान कपास की 12.55 लाख गांठों के निर्यात के कोटे रिलीज किए। वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के दौरान सरकार ने निर्यात के लिए बंगाल देशी कपास की 1 लाख गांठों की रिलीज की है। इसके अतिरिक्त कपास की 4 लाख गांठों का निर्यात कोटा भी भारतीय कपास निगम को सौंपा गया है जोकि वह वर्ष 1991-92 के मौसम के दौरान समय-समय पर प्रचलित कीमतों को ध्यान में रख कर प्रचालित करेगा। तथापि भारतीय कपास निगम ने मौसम के दौरान कपास की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति होने को ध्यान में रखते हुए अपने कोटे प्रचालित नहीं किए हैं।

तस्करों का सामान पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार

3737. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों का सामान पकड़ने तथा आयकर की चोरी का पता लगाने वाले पुलिस कर्मियों को कोई पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विशेष रूप से सिन्धु दुर्ग जिले में तस्करी का सामान पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को कितनी धन-राशि पुरस्कार स्वरूप दी गयी;

(घ) यदि कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार तस्करी को रोकने के लिए तस्करों पर मुकदमें चलाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कानून को लागू करने वाली सभी एजेंसियों को अनुमति देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्य सरकारों के पुलिस कर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारी पकड़े गए माल के बाजार मूल्य के अधिकतम 20 प्रतिशत राशि तक वित्तीय पुरस्कार पाने के लिए पात्र हैं जो मामले के सूत्रों का पता लगाने में सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाये गये जोखिम, सूचना प्राप्त करने में हुई कठिनाई, कर्मचारियों की सतर्कता के कारण किस सीमा तक अभिग्रहण करने में सहायता मिली, माल पकड़ने में की गयी विशेष पहल, प्रयास और पटुता आदि और क्या निषिद्ध माल के अधिग्रहण के अलावा, तस्करी के माल के स्वामियों/संघठकों/वित्त पोषकों/धोखाधड़ी करने वालों तथा साथ ही तस्करी के सामान के वाहकों को भी पकड़ा गया है अथवा नहीं, आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।

तथापि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, आयकर अपवंचन का पता लगाने की जिम्मेदारी उक्त अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों की है, इसलिए आयकर अपवंचन का पता लगाने के मामले में पुलिस कार्मिक कोई पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

(ग) और (घ) सिंधुदुर्ग जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों को निषिद्ध माल का अधिग्रहण करवाने में सहयोग करने के लिए कैलेण्डर वर्ष 1987 और 1988 के दौरान 1,04,000/-रुपये का पुरस्कार मंजूर एवं अदा किया गया है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से सिंधुदुर्ग जिले के पुलिस कर्मियों को दिये गये पुरस्कारों की राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

3738. श्री ए. चार्ल्स :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया;

(ख) क्या 1980 में मलेशिया से आयातित रबड़ की बड़ी मात्रा राज्य व्यापार निगम के पास अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके आयात का क्या औचित्य था; और

(ङ) इस आयात के कारण राज्य व्यापार निगम को कितना घाटा हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की निम्नलिखित मात्राओं का आयात किया :—

1988-89	51,363 मी. टन
1989-90	26,549 मी. टन
1990-91	31,699 मी. टन

(ख) वर्ष 1990 में एस टी सी द्वारा आयात किया गया 12,275 मी. टन प्राकृतिक रबड़ अब भी उन्हीं के पास पड़ा है।

(ग) स्टाक इसलिए रखे गए थे ताकि घरेलू उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में प्राकृतिक रबड़ की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जा सके।

(घ) यह आयात अनुमानित मांग सप्लाई की स्थिति और पर्याप्त माल रखे रहने की आवश्यकता के आधार पर किया था।

(ङ) परिणामी हानि, यदि कोई हो, का अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जबकि स्टाक समाप्त हो जाए।

रक्षा के क्षेत्र में सहयोग

3739. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, और

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पंवार) : (क) और (ख) भारत ने कई देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था कर रखी है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा कि इस व्यवस्था में कौन-कौन से देश शामिल हैं तथा उनसे कितनी मात्रा में किस प्रकार का सहयोग लिया जा रहा है।

काफी का निर्यात

3740. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काफी विदेशों में और अधिक लोकप्रिय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान काफी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए है ?

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इसके निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) काफी का निर्यात बढ़ाने के संबंध में किए गए उपायों में शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों मे भाग लेना, 'मानसून वाली काफी' जैसी विशेष काफियों का विकास, निर्यात नीलामियों में प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं में वृद्धि आदि।

(ग) अप्रैल, 1991 से फरवरी 1992 के दौरान 1,00,241 एम. टी. काफी निर्यात की गई।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान 1,20,000 एम. टी. काफी निर्यात करने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी की वसूली

3741. श्री रामचन्द्र मरोतराव पंगारे :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा क्या है जहां पर सड़कों का चौड़ा करने और उनमें सुधार करने कार्य चल रहा है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या सरकार ने इन सड़कों पर नवनिर्मित पुलों के लिए चुंगी की वसूली शुरू कर दी है, और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 7 से अब तक कितनी धनराशि की चुंगी वसूल की गई और वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इन सड़कों पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर कितनी राशि खर्च हुई ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, 4, 4ब, 6, 7, 8, 9, 17 और 50 पर 167.8 करोड़ रु. की लागत के सुधार कार्य

प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं। सितम्बर, 1991 तक इन कार्यों पर 71.73 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

(ख) जी, हां। इन सड़कों पर सभी पुलों, जिन पर ऐसा शुल्क उगाहा जा सकता है, पुल शुल्क उगाहा जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 7 पर पुलों के उगाही गई पुल शुल्क की राशि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 4.43 लाख रु. और 58.89 लाख रु. है। इस कार्य के लिए कार्मिकों के रोजगार पर कोई व्यय नहीं हुआ क्यों कि यह उगाही ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

3742. श्री वर्जेसिअम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों की कितनी मात्रा का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया था और कितना लक्ष्य पूरा हुआ है;

(ख) इनका निर्यात किन देशों में किया गया था;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा मछली पालन आदि जैसे क्षेत्र में विदेशी सहयोग की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक इसकी अनुमति की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) माह अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान 1200 करोड़ रु. मूल्य समुद्री खाद्यों का निर्यात हुआ है जब इसका पूरे वर्ष के लिए 1500 करोड़ रु. मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) समुद्री उत्पादों का निर्यात मुख्यतया जापान, ईईसी देशों, संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, हांगकांग, यू.ए.ई. आदि को होता है।

(ग) जी हां।

(घ) अभी तक 100% निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम स्थापित करने का संबंध है। उसमें 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाती है और अन्य मामलों में अधिकतम 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान की जाती है।

नए वित्तीय उपाय

3743. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए वित्तीय उपाय के सम्बन्ध में श्री एम. जे. फेरवानी की अध्यक्षता में मार्च, 1991 में गठित समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एम. जे. फेरवानी समिति की नई वित्तीय लिखतों से संबंधित सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी कार्य विभाग के परीक्षणाधीन हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें

3744. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1991-1992 के दौरान उत्तर-प्रदेश में कितनी नई कताई मिलों की स्थापना की गई;

(ख) प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उक्त मिलों को ऋण के रूप में कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वस्त्र आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान एक कताई मिल अर्थात् मैसर्स गाडो इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद ने उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इस मिल की स्थापित क्षमता 57 रोटर्स थी तथा यह औसतन 138 टन सूती यार्न प्रति मास का उत्पादन करती है। मिल को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की गई राशि उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

डी. टी. सी. के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें

3745. श्री मदन लाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डी.टी.सी. के अन्तर्गत ऐसी कितनी बसें चल रही हैं जो 8 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और खस्ता हालत में नहीं हैं,

(ख) इन बसों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि डी.टी.सी. के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप हों ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों को, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस टी ए) के पास उनके पंजीकरण की तारीख से 8 वर्ष पूरे होने के उपरान्त चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। बस की 8 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के उपरान्त बस का ठेका समाप्त हो जाता है और उसके परिचालक को, यदि वह चाहे तो, पुरानी बस के स्थान पर नयी बस लगाने की अनुमति दी जाती है। निजी परिचालक, वाहन को सड़क पर चलाने लायक बनाए रखने के लिए बाध्य हैं और उन्हें संबंधित प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए योग्यता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत ही अपना वाहन चलाना होता है।

एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कंपनियों द्वारा करों का भुगतान

3746. श्री निर्मल कांति चटर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार के अधीन उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया है लेकिन उस पर कर अदा नहीं किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

3747. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूर्णरूप से गठन हो चुका है और यह कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन और इसकी अब तक की गतिविधियों का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 24 अगस्त, 1990 को स्थापित हुई थी। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हैं तथा रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मन्त्री इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कर उसे अधिसूचित किया गया है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यों के संबंध में व्यापक आधार पर विचार प्राप्त हो सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए एक युद्धनीतिक कोर ग्रुप भी स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव हैं।

मुक्त व्यापार नीति

3748. श्री आर. वनुषकोड़ी आदित्यन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मुक्त व्यापार और उदारीकरण की नीति का कनाडा की तरह हमारे देश के रोजगार और धन की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से बचने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (ग) हमारे व्यापारिक सुधार कनाडा के व्यापारिक सुधारों से तुलनीय नहीं हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध व्यापारिक अवरोधों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हमारे व्यापारिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय उद्योग को उपयुक्त संरक्षण प्रदान करना और निर्यातता के स्तर को प्राप्त करना है ताकि व्यापार द्वारा घरेलू मांग और पूर्ति में संतुलन लाया जा सके और हमारे गतिशील तुलनात्मक लाभों का उपयोग हो सके। औद्योगिक, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के क्षेत्र में अपनाए गए विभिन्न उपायों सहित इन सुधारों से आर्थिक समृद्धि और रोजगार में वृद्धि होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

वाहनों से प्रदूषण

3749. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में कितने वाहनों की प्रदूषण जांच कराई गयी थी;

(ख) कितने वाहनों को निर्धारित मानदंडों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाला पाया गया; और

(ग) उन पर कितना दण्ड लगाया गया ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) फरवरी, 1992 तक लगभग 2,97,534 वाहनों की जांच की गयी थी।

(ख) लगभग 60,334 वाहन निर्धारित मापदंडों से अधिक प्रदूषण फैलाते हुए पाए गए।

(ग) फरवरी, 1992 तक 1,04,420 रु. का जुर्माना किया गया।

हाइपर विमान परियोजना

3750. श्री मोहन लाल झिकराम :

श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाइपर विमान परियोजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना स्वदेशी होगी अथवा विदेशी सहयोग से स्थापित की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना में कौन-कौन से देशों का सहयोग लिया जायेगा; और

(ङ) यह परियोजना किस जगह पर स्थापित की जायेगी और इस पर कितनी अनुमानित लागत आने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आदिवासी रेजीमेंट

3751. श्री पीयूष तीरकी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना में आदिवासी रेजीमेंट बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) इस समय आदिवासियों को बिहार, महार और पैरा रेजिमेंटों में तथा उन सभी रेजिमेंटों/कोरों में भर्ती किया जा रहा है जहां अखिल भारतीय आधार पर सभी वर्गों के लिए भर्ती की जाती है। किन्तु अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की एक संगोष्ठी में सेना में एक आदिवासी रेजिमेंट खड़ी करने की मांग की गई थी। नई बिरादरियां खड़ी करने के बारे में विद्यमान नीति के संदर्भ में इस मांग पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

3752. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) उनके लिए आरक्षित इस समय बिना भरे हुए बकाया पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) बकाया खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जैसाकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है, 31 12. 91 की स्थिति के अनुसार उसके विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का बकाया निम्नलिखित है :—

क्रम सं.	संवर्ग	प्रतिनिधित्व		बकाया	
		अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.
1.	अधिकारी	118	31	4	3
2.	लिपिक	159	56	4	7
3.	अधीनस्थ स्टाफ (सफाई कर्मचारियों सहित)	159	44	1	6

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक विशेष अभियान चलाया है और 31.3.1992 तक यथासंभव अधिकतम बकायों को पूरा कर लेने की आशा है ।

उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़ी रिट याचिकाएं

3753. श्री पीयूष तोरकी :

श्री राम नारायण बेरवा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों, विशेषकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारी संख्या में सेवा संबंधी मामलों की रिट याचिकाएं 10 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन याचिकाओं की लम्बित बड़ी अवधि के दौरान कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं; और

(घ) सरकार ने इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) दस वर्ष से अधिक समय से लंबित सेवा मामलों के सम्बन्ध में रिट अर्जियां, सेवा मामलों से संबंधित कुल लंबित रिट अर्जियों के बहुत कम अनुपात में हैं। मामले लंबित होने के अनेक जटिल कारण हैं जैसे न्यायालयों में अधिक मामलों का संस्थित किया जाना इसके अन्तर्गत न्यायालयों की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है, मामलों के निपटारे में विलंब, अपर्याप्त अवसरचनात्मक सुविधाएं आदि।

(ग) सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती है।

(घ) न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई जाती रही हैं। विभिन्न न्यायालयों ने सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए यथोचित उपाय किए हैं, जैसे ऐसे मामलों का जिनमें विधि का सामान्य प्रश्न अन्तर्वलित है एक समूह में रखा जाना ऐसे मामलों को जिनका शीघ्र निपटारा अपेक्षित है, पूर्विकता देना विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन, आदि। बकाया समिति द्वारा, जिसने न्यायालयों में बकाया की समस्या का अध्ययन किया था, की गई सिफारिशें सभी सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

असैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मारे गए सैनिक

3754. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या रक्षा मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कुल कितने सैनिक मारे गए; और

(ख) उन सैनिकों के परिवारों को दी गई अनुदान राशि तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करते समय मारे गए सेना कार्मिकों की संख्या पचानवे है।

(ख) पेंशन और अन्य लाभों के ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सिविल अधिकारियों की सहायता करने के दौरान जो सेनाकार्मिक मारे जाते हैं उनके परि-

वार विशेष परिवार पेंशन, मृत्यु उपदान और परिवार उपदान पाने के पात्र हैं जिनके ब्योरे इस प्रकार हैं—

(क) विशेष परिवार पेंशन यदि विधवा के बच्चे नहीं हैं :

गणनीय परिलब्धियां	विशेष परिवार पेंशन की दरें
(एक) 1500/-रुपये से अधिक नहीं	गणनीय परिलब्धियों का 50%
(दो) 1501/रुपये और 3000/-रुपये के बीच	गणनीय परिलब्धियों का 40% परंतु कम से कम 750/-रुपये
(तीन) 3000/-रुपये से अधिक	गणनीय परिलब्धियों का 30% परन्तु कम से कम 1200/-रुपये और अधिक से अधिक 2500/-रुपये
यदि विधवा का बच्चा/बच्चे हैं : सभी मामलों में	गणनीय परिलब्धियों का 60% परन्तु कम से कम 750/-रुपये और अधिक से अधिक 2500/-रुपये

(ख) मृत्यु उपदान सेवा की अवधि	राशि
(क) 1 वर्ष से कम	गणनीय परिलब्धियों का 2 गुणा
(ख) 1 से 5 वर्ष	गणनीय परिलब्धियों का छह गुणा
(ग) 5 से 20 वर्ष	गणनीय परिलब्धियों का 12 गुणा
(घ) 20 वर्ष से अधिक	सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष, किन्तु 33 वर्ष से अधिक नहीं, के लिए एक माह की गणनीय परिलब्धियों अथवा एक लाख रुपये, इनमे से जो भी कम हो।

(ग) परिवार उपदान : अफसरों के मामले में 2000/-रुपये से लेकर 19,000/रुपये तक और जूनियर कमीशन अफसर तथा अन्य रैंक के मामले में उनके रैंक के आधार पर 450/-रुपये से लेकर 1600/-रुपये तक।

2. संक्रिया रक्षक/राइनों/बजरंग जैसी संक्रियाओं से संबंधित त्रुटियों पर तनातो के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों के मामले में ऊपर उल्लिखित विशेष परिवार पेंशन के स्थान पर उदारीकृत परिवार पेंशन दी जाती है जो कार्मिक को मृत्यु के समय उसे मिल रही गणनीय परिलब्धियों के बराबर है।

3. रोजगार सहायता :

सेवा के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों के एक पुत्र या पुत्री अथवा उसके निकट संबंधी को

कि 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, को उसकी शैक्षिक अर्हता को देखते हुए समूह "ग" या "घ" के रिक्त पद पर नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र रोजगार कार्यालय के माध्यम से भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार सेवा के दौरान मारे गए सेनाकार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने के लिए समूह "ग" और "घ" के कुल रिक्त पदों में से क्रमशः 14.5% और 4.5% (सेना तथा सिविलियन दोनों प्रकार के कार्मिकों के लिए) पद ही आरक्षित हैं।

सेवा के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों के पुत्रों को यूनिट मुख्यालय कोटे के अन्तर्गत सेना में भर्ती के लिए भी प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते वे अपेक्षित अर्हता रखते हों तथा उपयुक्त रिक्त स्थान उपलब्ध हों।

4. वीरता पुरस्कार :

अशोक चक्र शृंखला : अशोक चक्र शृंखला के पुरस्कारों में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार आते हैं और ये पुरस्कार दुश्मन का सामना करने से भिन्न परिस्थितियों में किए गए वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आर्थिक भत्ता प्रदान किया जाता है :—

(क) अशोक चक्र	—	रु. 180/-प्रतिमास
(ख) कीर्तिक चक्र	—	रु. 140/-प्रतिमास
(ग) शौर्य चक्र	—	रु. 100/-प्रतिमास

5. सेना सामूहिक बीमा :

इस समय सेना साहिक बीमा निधि के सदस्य के आश्रितों निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं :—

बढ़ी हुई दरों पर बीमा लाभ :

अधिकारी	जे. सी. ओ./अन्य रैंक
3.50 लाख रुपए	1.50 लाख रुपए

6. विभिन्न सेना कार्मिकों की पत्नियों/आश्रितों के लिए गैर-सरकारी निधियों से रियायत/सहायता प्रदान करना।

छात्रवृत्ति :

(क) सेना अधिकारी अंशदायी शिक्षा निधि से 10 से 18 वर्ष की आयु के दो बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 300/-रुपये प्रति बच्चे की दर पर (केवल अफसरों के बच्चों के लिए)

(ख) बंगाल मसोनिक एसोसिएशन इन्टर सर्विसेज चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रति वर्ष 400/-रुपए से 1500/-रुपये के बीच की यह राशि सेना के उन कार्मिकों के एक बच्चे को दी जाती है जिनकी सेना में रहते हुए मृत्यु हो जाती है।

अथवा

(ग) सेना कार्मिकों की पत्नियों को कल्याण सबन्धी संस्था : जिस सेना कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसके एक बच्चे को वजीफा दिया जाता है।

7. अनुदान

(क) सेना कार्मिकों की पत्नियों की कल्याण संबंधी संस्था :—यह अफसरों, जे.सी.ओ., एन.डी.ओ. तथा अन्य रैंकों के कार्मिकों की विधवाओं को क्रमश: 2000/-रुपए, 1200/-रुपए, 1000/-रुपए तथा 800/-रुपए की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) सेना अफसर हितकारी :—यह केवल अफसरों के लिए है और 20,000/-रुपये की राशि किस्तों में दी जाती है।

(ग) निशक्त सेना कार्मिकों की विधवाओं और अनाथों सम्बन्धी निधि :—यह निशक्त भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा अफसरों जे.सी.ओ. तथा अन्य रैंक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) ए. डी. कल्याण निधि :—विशेष अनुरोध पर डी. डी.-40 फार्म भरवाया जाता है और उसे सम्बन्धित मुख्यालय कमान के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए भेजा जाता है।

(ङ) ए. डी. आवास राहत निधि :—ऐसे मास के लिए 300/-रुपए प्रतिमास।

चिट फंड कंपनियां

3755. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी प्राइवेट फाइनेंस और चिट फंड कम्पनियां कार्यरत हैं और उनके द्वारा एकत्रित की गई जमा धन राशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों की आय और व्यय के लेखों की जांच की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान गत पांच वर्षों के दौरान बंद हुई फाइनेंस कम्पनियों और इनके द्वारा जनता की जमाराशि को वापस न किये जाने संबंधी कुछ मामलों की ओर गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित

किया है कि 31.3.90 की स्थिति के अनुसार उन्हें निजी क्षेत्र में वित्तीय कंपनियों तथा परम्परागत चिट फंड कम्पनियों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार उनकी जमा राशियां निम्नानुसार थीं :—

(करोड़ रुपए)

	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.	जनता से प्राप्त जमा राशियां	छूट प्राप्त जमाराशियां	योग
(क) वित्तीय कंपनियां				
(I) सार्वजनिक कंपनियां	1797	1995	5345	7340
(II) निजी कंपनियां	4758	285	1241	1526
(ख) परंपरागत चिट फंड कंपनियां				
(I) सार्वजनिक कंपनियां	52	—	101	101
(II) निजी कंपनियां	1055	1	773	774

छूट प्राप्त जमाराशियों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार तथा अंतरकंपनी जमाराशियां सम्मलित हैं। चिट फण्ड कम्पनियों के मामले में, छूट प्राप्त जमाराशियों में चिटों के अभिदाताओं से प्राप्त धनराशियां भी सम्मलित हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में वित्तीय कंपनियां तथा चिट फण्ड कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशि संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। चिट फंड कंपनियों से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये चिटों के पंजीयकों के पास अपने तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि के खातों को प्रस्तुत करें।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जमाराशियों को अदायगी न किये जाने के बारे में हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें अधिकांशतः निम्नांकित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध थी :—

(I) लक्ष्मी चन्द भाग जी लि., बम्बई।

(II) फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट कंपनी लि., कलकत्ता।

(III) जनप्रिय वित्त और औद्योगिक पूंजी निवेश (आई) लि., कलकत्ता।

(IV) धन लक्ष्मी फण्ड्स इंडिया लि., मद्रास।

(च) नरसिंहम समिति ने अपनी एक सिफारिश में सभीवित्तीय बिचौलियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए व्यापक मार्गनिर्देश जारी करने का सुझाव दिया है। समिति की सिफारिशें, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए आवास योजना

3756. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और हरियाणा में केन्द्रीय आयुध डिपो और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों के लिए कोई आवास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सेना के सिविलियन कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास केवल दिल्ली और हरियाणा में निम्नलिखित स्थानों पर सीमित रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं :—

(1) दिल्ली छावनी

(2) चंडीगढ़/चंडीमंदिर

2. प्रमुख सेना कार्मिकों जिनमें सैन्य इंजीनियरी सेवा के कार्मिक भी शामिल हैं, को रिहायशी आवास सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

3. सेना के लिए वित्तीय वर्ष 1991-9. में निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई :—

(1) अम्बाला : सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए 9.38 लाख रुपये की लागत से परिवार आवासों का प्रावधान (चरण-2)

(2) चंडीमंदिर : सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए 14.20 लाख रुपये की लागत से परिवार आवासों का प्रावधान।

ये योजनाएं दो वर्ष में पूरी हो जाने की संभावना है।

4. अन्य रक्षा स्थापनाओं में सिविलियन कर्मचारियों के लिए कोई विशेष रिहायशी आवास की योजनाएं नहीं बनाई हैं।

5. सिविलियन कार्मिकों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर बनाए जाने वाले रिहायशी आवास की योजना प्रत्येक स्टेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं और उसके लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

बंगलौर-मैसूर सड़क का एक्सप्रेस मार्ग के रूप में विकास

3757. श्री एच. डी. देवगौड़ा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर-मैसूर सड़क को एक्सप्रेस-मार्ग के रूप में विकसित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह एक राज्य सड़क है और इसलिए अनिवार्यतः कर्नाटक सरकार इसके विकास के लिए जिम्मेदार है।

कोचीन शिपयार्ड का विकास

3758. डा. राजगोपालन ओधरण :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन शिपयार्ड का विस्तार करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 1991-92 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि. में मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए 79.62 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव योजना आयोग को परिवीक्षित किए गए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	करोड़ रु.
(I) क्षमता उपयोग में सुधार/उत्पादन को अधिकतम बनाना	18.70
(II) अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाएं,	41.70
(III) जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	19.22

इन योजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें अन्ततः योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है अथवा नहीं।

हल्दिया में शिप रिपेयरिंग यार्ड

3759. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हल्दिया में सहकारी क्षेत्र में एक शिप रिपेयरिंग यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) हल्दिया में जहाज मरम्मत परिसर की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल, 1990 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी थी। भारत सरकार का उत्तर था कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तहत हल्दिया में एक जहाज मरम्मत यार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है और यदि कोई निजी उद्यमी हल्दिया में जहाज मरम्मत परिसर स्थापित करना चाहता है तो वह अपना स्वयं का अथवा राज्य सरकार की सहायता से संयुक्त उपक्रम खोल सकता है।

दिल्ली में डीलक्स बसें

3760. श्री पी. एम. सईद :

श्री गुरुदास कामत :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने राजधानी में कुछ रूटों पर डीलक्स बसों को चलाने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की वसूली

3761. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हर वर्ष और वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक अलग-अलग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से कितने प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है;

(ख) प्रत्यक्ष करों की वसूली की प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्यक्ष करों की वसूली में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से वसूल किए गए राजस्व की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

वर्ष	वसूल किए गए प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता	वसूल किए गए अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता
1988-89	20.30 प्रतिशत	79.70 प्रतिशत
1989-90	19 80 प्रतिशत	80.20 प्रतिशत
1990-91	19.61 प्रतिशत	80.39 प्रतिशत
1991-92 (फरवरी, 92 तक)	17.82 प्रतिशत	82.10 प्रतिशत

*चूंकि प्रत्यक्ष करों की वसूली का अधिकांश अनुपात मार्च के माह में प्राप्त होता है, इसलिए वित्त वर्ष के अन्त तक इस प्रतिशतता के बढ़ने की सम्भावना है ।

(ख) प्रत्यक्ष कर वसूलियों की निम्न प्रतिशतता के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(i) अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का आधार संकीर्ण है;

(ii) कृषि-अन्य आय को आयकर से छूट प्राप्त है; और

(iii) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विविध सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक छूट एवं रियायतें दी गई हैं ।

(ग) प्रत्यक्ष कर के आधार को व्यापक बनाने एवं प्रत्यक्ष करों की वसूली को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के नए उपायों को वित्त, विधेयक, 1992 में पुर:स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त, राजस्व वसूलियों में सुधार लाने के लिए सभी समुचित प्रशासनिक उपाय भी किए जाते हैं ।

समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन

3762. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किये गये निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में एक समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात इस प्रकार रहा :—

	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1988-89	99777	597.85
1989-90	110843	634.99
1990-91	139419	893.37

(ग) और (घ) जी हां। भारत और आस्ट्रेलिया की आर्थिक सहायता से विशाखा में फिश प्रोसेसिंग एकक और फिश फीड मिल की स्थापना का प्रस्ताव है।

स्वर्ण बैंक

3763. श्री प्रफुल पटेल।

श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक स्वर्ण बैंक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमरेसिंह ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

छोटे पत्तनों का विकास

3764. श्री एन. डेनिस :

श्री जी. एम. सी. बालयोगी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे पत्तनों की, राज्य-वार कुल संख्या कितनी है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके विस्तार एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है,

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान छोटे पत्तनों को पत्तन-वार एवं राज्यवार, कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई,

(घ) क्या सरकार का इन पत्तनों के विकास हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने का विचार है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) जिन छोटे पत्तनों में परिवर्तन हेतु निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें प्रमुख पत्तन में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) देश में लगभग 139 लघु/मध्यम दर्जे के पत्तन कार्यरत हैं। इन पत्तनों का राज्य वार विभाजन इस प्रकार है :—

1.	गुजरात	39
2.	महाराष्ट्र	48
3.	कर्नाटक	21
4.	केरल	13
5.	तमिलनाडु	8
6.	पांडिचेरी	1
7.	आंध्र प्रदेश	7
8.	उड़ीसा	2
		139

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने लघु पत्तनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु 20 करोड़ रु. का प्रावधान रखा था। तथापि तटवर्ती राज्यों को इस प्रयोजनार्थ कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार का फिलहाल किसी लघु पत्तन को महापत्तन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों से निर्यात

3765. **श्री साईमन मरान्डी** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर झारखंड क्षेत्र में निर्यात योग्य वस्तुएं प्रचुरता में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारी संख्या में मदों को छोटे-छोटे वन उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ये मदें मुख्यत: वृक्षों/पोधों और अन्य उत्पादों से सम्बन्धित है । वृक्ष/पोध मदों के अलावा इस वर्गीकरण में पशु/पक्षी और उन पर आधारित मदें भी शामिल हैं। फिर भी, विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में इन मदों का योगदान बहुतपूर्ण नहीं है । छोटे-छोटे वन उत्पादों को गुणावगुण आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाती है ।

[अनुवाद]

निर्यातकों को प्रोत्साहन

3966. श्री अनंन्ना मोंडय्या साबुल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों में भारतीय रेल भाड़े में वृद्धि के कारण अनेक वस्तुओं के निर्यात में उनकी लागतों मे बढ़ोत्तरी की वजह से गिरावट आएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बढ़े हुए शुल्क की भरपाई के लिये निर्यातों को कुछ प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) लागतों के अनेक घटकों में रेलवे भाड़ा भी एक घटक होता है और इन दरों में होने वाली वृद्धि में वस्तुओं की अंतिम अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का कोई सम्बन्ध हो भी सकता है और नही भी हो सकता है । सरकार को निर्यात में केवल रेलवे भाड़ा दरों में वृद्धि के कारण ही गिरावट आने की आशा नहीं है ।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय में दर्ज किए गए मामले

†3767. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी,

1989 से 1 जनवरी, 1992 के दौरान उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक वर्ष कितने-कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित वर्ष के दौरान	उच्चतम न्यायालय के पास दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1989	52138
1990	38293
1991	42215

जी. टी. रोड़ की मरम्मत

3768. श्री सूरज मण्डल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से पश्चिम बंगाल की सीमा तक जी. टी. रोड़ की लगभग गत दस वर्षों से मरम्मत न होने से इसकी हालत बहुत खराब है जिसके कारण अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस सड़क की मरम्मत हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार में पश्चिम बंगाल बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 सामान्यतः यातायात योग्य हालत में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ संस्वीकृत कार्यों में कई कारणों से विलम्ब हुआ जिसमें हड़ताल, उपयुक्त ठेकेदारों का अभाव, श्रमिक समस्याएं आदि शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड के लिए सामान्य अनुरक्षण अनुदान के अलावा 110.00 लाख रुपये की लागत से बाढ़ से हुई क्षति मरम्मत/विशेष मरम्मत कार्यों और 1563.00 लाख रु. की लागत से सुधार कार्यों की मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा गोवा को वित्तीय सहायता

3769. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

ने गोवा को विभिन्न परियोजनाओं के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गोवा, दमन और दीव में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवर्तित प्रयोजन-वार पुनर्वित्त की राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

प्रयोजन	1988-89	1989-90	1990-91
लघु सिंचाई	—	—	—
वृक्षारोपण/बागवानी	1	3	3
मुर्गी/भेड़सुअर पालन	22	21	56
मत्स्यपालन	104	168	50
डेयरी विकास	3	2	8
गोबर गैस संयंत्र	1	3	3
अन्य	—	—	—
गैर कृषि क्षेत्र	—	2	53
आई.आर.डी.पी.	60	91	91
फार्म यंत्रीकरण	—	2	4
योग	196	292	268

उपर्युक्त राशि का परियोजना-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

3770 श्री एस. एन. बेकारिया :

श्री अवतार सिंह भेडाना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत

बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार का आगामी वित्त वर्ष के दौरान कुछ और लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने परिचालन क्षेत्र में विशेषकर कारीगरों, लघु उद्यमियों तथा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग तथा अन्य उत्पादक क्रिया कलापों में लगे थोड़े संसाधनों वाले लोगों को ऋण तथा अग्रिम मंजूर करते हैं। सूचना प्रणाली से प्रत्येक कार्यकलाप के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, देश में ग्रामीण कारीगरों, ग्राम तथा कुटीर उद्योग को मार्च, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल अग्रिम लगभग 9.3 लाख खातों में 281 करोड़ रुपये थे। इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की क्रिया कलाप-वार तथा राज्य-वार सूचना भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती। तथापि, लघु उद्योगों के लिए, जिनमें कृषि पर आधारित उद्योग भी शामिल हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिम सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) 28.2 लाख खातों में 16,560 करोड़ रुपए थे।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्थक्षम उद्यमों के लिए उधार देना एक सतत प्रक्रिया है और उन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बैंकों के लिए ऋण नीति बनाते समय भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों की वास्तविक आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इस क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विधि आयोग की सिफारिशें

3771. श्री रामनारायण बेरवा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधि आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें, भारतीय दंड संहिता, 1860 पर 42वीं रिपोर्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर 54वीं

रिपोर्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 872 पर 69वीं रिपोर्ट अंतर्विष्ट है। 54वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट वे सिफारिशें जो सरकार को स्वीकार्य थीं, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा कार्यान्वित कर दी गई है। जहां तक 42वीं और 69वीं रिपोर्ट का सम्बन्ध है, अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पुस्तकों का आयात

3772. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री सी. पी. मुथुलक्ष्मिरियप्पा :

श्री बी. कृष्णा राव :

श्री विजय नवल पाटील :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात प्रतिबन्धों और रुपये के अवमूल्यन के कारण पुस्तकों के आयात करने में आयातकों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रेणियों की पुस्तकों एवं वैज्ञानिक साहित्य के आयात पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा तत्संबंधी कैश मार्जिन जमा आवश्यकताओं को कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भुगतान संतुलन की कठिनाइयों की वजह से किताबों सहित विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के आयात के लिए साख पत्र खोलने की अनुमति देने से पहले कैश मार्जिन आवश्यकताओं के रूप में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे। भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार होने से, इन प्रतिबन्धों को अब हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय शिष्ट मंडल की यूरोपीय देशों की यात्रा

3773. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक क्षेत्र व्यापार शिष्टमंडल ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग की गुंजाइश का पता लगाने के लिए इन देशों की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस शिष्टमंडल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात के कारण चीनी एककों को घाटा

3774. डा. महाबीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतिश कुमार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "शुगर युनिट्स इन्कर हैवी लाइसेंस ड्यू टू एक्सपोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस वर्ष चीनी के निर्यात के कारण चीनी उद्योग को लगभग 44 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए इस उद्योग को कुछ छूट देने की घोषणा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मं श्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस समाचार में यह बताया गया था कि।

(1) चीनी के निर्यात में घाटा हो रहा है जिसे दर आधार पर सभी चीनी मिलें वहन कर रही हैं और यह घाटा वरीयता कोटा के अधीन निर्यात से प्राप्त मुनाफे को हिसाब में लेने के बाद भी हो रहा है।

(2) इंडियन शुगर जनरल इन्डस्ट्रीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारपोरेशन ने ऐसे विभिन्न उपाय किए थे जिनके द्वारा विश्व बाजार में भारतीय चीनी की क्वालिटी और पैकिंग दोनों लिहाज से स्वीकार्यता बढ़ सके।

(3) आई एस जी आई ई आई सी अपने सारे संविदा पूरी तरह पूरे करता रहा है और इससे विदेशी खरीददारों को पूरी तरह संतोष भी हुआ है।

(4) भारत को चीनी के भरोसेमंद सप्लायर के रूप में मान्यता मिली है।

(5) चीनी उद्योग इस बात के खिलाफ है कि चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए चीनी मिलों सहित बीच में कोई भी दूसरी एजेंसी आए या अधिक एजेंसियां आएं।

चीनी के बढ़े हुये उत्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा चीनी उद्योग के लगातार अनुरोध पर, 1991-92 में दो लाख मिट्रिक टन चीनी प्रारम्भ में निर्यात के लिए जारी की गई थी और इस पर निर्यात मूल्य एफ.ओ.बी. के 20% की दर से सी.सी.एस. तदर्थ मंजूर किया गया था। बाद में यह मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मि. टन कर दी गई थी और सी.सी.एस. 20% की दर से ही रखा गया था। चीनी सहित सभी निर्यातों पर से सी.सी.एस. को 3 जुलाई, 1991 से समाप्त कर दिया गया है। सी.सी.एस. और आर.ई.पी. लाइसेंसों के स्थान पर एक्सान स्क्रिप नामक एक नया दस्तावेज शुरू किया गया है। दिनांक 1.3.1992 से एक्सान स्क्रिप को भी समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसके स्थान पर बजट में की गई घोषणा के अनुसार रुपये को आंशिक परिवर्तनशीलता की अनुमति दे दी गई है।

निर्यात के लिए जो मात्रा जारी की गई थी उसमें संयुक्त राज्य अमरीका और ई ई सी देशों को वरीयता कोटा के अन्तर्गत निर्यात के लिए 20,500 मि. टन चीनी शामिल है। आशा थी कि उद्योग इससे काफी मुनाफा कमायेगा। निर्यात के कारण उद्योग को यह फायदा भी हुआ कि उसे सामग्री के परिवहन की लागत नहीं वर्दाश्त करनी पड़ी। इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यह भी है कि ऐसे निर्यात करने में उद्योग को अपने व्यापारिक निर्णय के अनुसार ही चलना था।

स्कूलों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसें

3775. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या अन्त-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों को किराए पर लिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है, और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को प्रत्येक बस से प्रतिमाह कितनी धनराशि प्राप्त होती है ?

अन्त-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) 662 बसें।

(ग) जनवरी, 1992 में स्कूल चार्टर सेवा में औसतन 4,817/-रुपए प्रति बस अर्जित किए गए।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को प्राप्त किराये पर आयकर लगाना

3776. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदी गई और किराये पर दी हुई अचल सम्पत्ति का पता लगाया है और क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के

प्रावधानों को लागू करने की तिथि से ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया कर-योग्य है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान पता लगाई गई ऐसी सम्पत्तियों और इनके एवज में प्राप्त किराये का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिनियम के लागू होने के समय से कितना आयकर प्राप्त हुआ है;

(घ) कितने मामलों में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है;

(ङ) क्या कुछ मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आयकर विभाग अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में धारित तथा उनके द्वारा किराए पर दी गई अचल सम्पत्तियों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है और इसलिए 1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित ऐसी सम्पत्तियों तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए वार्षिक किराए के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी कर-निर्धारिती, जिसमें अनिवासी भारतीय शामिल हैं, द्वारा प्राप्त की गई किराया-आय करयोग्य आय है। धारा 195 के उपबन्ध प्रदाकर्त्ता को ये आदेश देते हैं कि वह किसी अनिवासी भारतीय को कर-योग्य आय (किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किराया-आय सहित) की अदायगी करते समय अथवा उसे क्रेडिट करते समय स्रोत पर कर की कटौती करे।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 195 के उपबन्ध उक्त अधिनियम का प्रवर्तन किए जाने के समय से ही अस्तित्व में है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त धारा के अधीन की गई कुल वसूलियों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
आयकर	16.26	23.50	56.45	179.90	93.08
निगम कर	53.61	88.55	140.74	598.35	99.28

(घ) से (च) आयकर अधिनियम की धारा 276 बी में अधिनियम की धारा 195 के अधीन चूक के मामलों क साथ-साथ स्रोत पर काटे गए कर की अदायगी करने में असमर्थ रहने के अन्य मामलों में अभियोजन चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। धारा 195 के अधीन चूक के सम्बन्ध में चलाए गए अभियोजनों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा तकनीकी ऋण समाप्त किया जाना

3777. श्री पी. जी. नारायणन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के अन्त में कितना तकनीकी ऋण बकाया था और भूतपूर्व सोवियत संघ के अधिकारी इस ऋण को समाप्त करने के लिये किस प्रकार राजी हुए थे; और

(ख) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उस समय जब भारतीय रिजर्व बैंक को सोवियत संघ के बैंक फारेन इकनामिक अफेयर्स के भारत में खाते की प्रास्थगित करना पड़ा, तब 27.12.1991 को बकाया तकनीकी ऋण की राशि 2,161 करोड़ रुपए थी। यह राशि भारत की ओर से भूतपूर्व सोवियत संघ को वैध मुद्राओं के माध्यम से समायोजित की जाएगी।

जनता और कंट्रोल के कपड़े पर राज सहायता

3798. श्री नारायण सिंह चौधरी :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को देश में हथकरघा और जनता कपड़े के संचित भंडार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने छूट के बदले बाजार विकास सहायता देना शुरू किया है ;

(ग) क्या बुनकर सहितियां उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट के लिए दी जा रही उपरोक्त सहायता का उपयोग नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 में प्रत्येक राज्य को विशेषकर हरियाणा को जनता और कंट्रोल के कपड़े का कितना-कितना कोटा आबंटित किया गया, कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है और कितनी राज सहायता मांगी गई;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता/कंट्रोल के कपड़े की योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(च) अगर सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हमारे अनुमान के अनुसार देश के विभिन्न भागों में फैले 38 लाख से भी अधिक हथकरघों द्वारा अप्रैल-नवम्बर 1991 के दौरान लगभग 3018 मिलियन मीटर कपड़ा तैयार किया गया। इसमें से 80 प्रतिशत उत्पादन बुनकरों के अपने प्रयत्नों द्वारा बेचा जाता है। संचित हथकरघा कपड़े का भंडार और कपड़े की कुल बिक्री के संबंध में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

जनता कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 83 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का संचित स्टाक है, जिसका ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) जी हां, इसे विवरण विकास सहायता योजना (एमडीए) कहा जाता है।

(ग) वित्तीय विकास सहायता योजना में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को रिबेट/डिस्काउंट देने में कुल मजूर की गई सहायता का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का कम से कम 25 प्रतिशत निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक के लिए अवश्य किया जाना चाहिए :—(1) ब्याज सब्सिडी (2) शोरूम आदि की स्थापना के लिए कॉपटल/मार्जिन मनी (3) केन्द्र सरकार और/अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कार्य हेतु। सरकार को इस बात की कोई शिकायत नहीं मिली है कि बुनकर सेवा केन्द्र एमडीए योजना के अन्तर्गत जारी राशि का उपयुक्त प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

(घ) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत राज्यवार उत्पादन लक्ष्य उपलब्धि और जारी की गई सब्सिडी का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। कंट्रोल कपड़े के लक्ष्य राष्ट्रीय वस्त्र निगम को राष्ट्रीय आधार पर जारी किए जाते हैं तदनुसार सब्सिडी जारी की जाती है।

(ङ) और (च) प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट में गैर-प्लान योजनाओं के लिये राशि दी जाती है। तथापि किसी भी योजना के अन्तर्गत राज्यवार धन का आवंटन नहीं किया जाता। वर्ष 1992-93 के बजट में जनता और कंट्रोल कपड़ा योजना के लिए क्रमशः 137.91 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विवरण-I

राज्यवार जनता कपड़े का अंतिम स्टाक।

क्रम सं.	राज्य का नाम	मात्रा (लाख वर्ग मीटर में)	अन्तिम दिन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	93.48	दिसम्बर 91
2.	असम	56.90	सितम्बर 91
3.	बिहार	12.00	अनुमानित
4.	गुजरात	6.21	सितम्बर 91
5.	हरियाणा	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	कोई उत्पादन नहीं
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	129.21	दिसम्बर 91
9.	केरल	0.70	अनुमानित
10.	मध्य प्रदेश	31.29	दिसम्बर 91
11.	महाराष्ट्र	66.87	दिसम्बर 91

1	2	3	4
12.	मणीपुर	—	—
13.	उड़ीसा	55.60	सितम्बर 91
14.	पांडिचेरी	—	—
15.	पंजाब	0.49	मार्च 91
16.	राजस्थान	10.48	सितम्बर 91
17.	तमिलनाडु	39.19	दिसम्बर 91
18.	त्रिपुरा	2.63	सितम्बर 91
19.	उत्तर प्रदेश	162.71	दिसम्बर 91
20.	पश्चिमी बंगाल	1[illegible]4.38	दिसम्बर 91
	कुल :	832.11	

विवरण-II

जनता कपड़े के उत्पादन लक्ष्य उपलब्धि और 1990-91, 91-92 में
जारी सबसिडी का राज्यवार ब्यौरा ।
उत्पादन मिलियन वर्ग मीटर में
जारी की गई सबसिडी लाख रुपयों में

क्रम. सं.	राज्य का नाम	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि	1990-91 जारीसबसिडी	1991-92 लक्ष्य	1991-92 उपलब्धि	1991-92 जारीसबसिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	65.00	59.26	1767.02	52.00*	29.40	1782.37
2.	आसाम	33.00	41.26	921.97	30.00	15.37	937.56
3.	बिहार	42.16	12.00**	409.54	24.00	6.08**	158.18
4.	गुजरात	15.40	12.33	404.12	13.00	4.38	118.12
5.	हरियाणा	1.00	0.01	—	0.50	0.01	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1.00	—	—	0.50	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	2.20	0.08	—	1.00	0.52	—
8.	कर्नाटक	40.00	40.25	1053.22	33.00	17.95	846.30

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	3.00	0.17	0.57	1.50	0.04	—
10	मध्य प्रदेश	20.00	16.42	489.32	18.00	7.14	503.70
11.	महाराष्ट्र	64.34	34.43	952.96	40.00	17.17	1455.31
12.	मनिपुर	1.40	0.02	—	0.50	0.01	—
13.	उड़ीसा	33.00	31.62	890.92	27.00	14.85	700.64
14.	पंजाब	2.00	0.50**	8.12	2.00	0.11	—
15.	राजस्थान	10.00	10.54	279.25	9.00	5.47	127.74
16.	तमिलनाडु	65.00	30.77	5.8.32	45.00	15.26	957.55
17.	त्रिपुरा	4.00	3.73	79.58	2.50	1.73	9.23
18.	उत्तर प्रदेश	132.00	119.14	3812.05	100.00	46.09	2903.72
19.	पश्चिमी बंगाल	65.00	65.69	1412.77	50.00	19.91	17.92
20	पांडिचेरी	0.50	0.3	0.31	0.50	0.01	—
	कुल ।	600.00	478.25	13000.31	450.00	201.00	10518.04

**अनुमानित

×आंध्र प्रदेश को 5 मिलियन वर्ग मीटर अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया था । इसलिये कुल लक्ष्य 57 मिलियन वर्ग मीटर हो गया ।

[हिन्दी]

अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे

3779. **श्री जनार्दन मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयुक्त और इसके समतुल्य अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उस के हिसाब-किताब धन, परिसम्पत्तियों और आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्योरा क्या है जो इन छापों के दौरान बरामद हुए थे; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले दो महीनों के दौरान भारतीय राजस्व सेवा के आयुक्त तथा उसके समक्ष पदों के अधिकारियों के परिसरों पर कोई छापे नहीं मारे गए हैं।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का निर्यात

3780. डा. आर. मल्लू।

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इस निर्यात के कारण देश में कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि न हो और संवेदनशील वर्ग के लोगों में कुपोषण न बढ़े ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) इस संबंध में विभिन्न उपाय करता है जिनमें यह उपाय शामिल हैं :—बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन क्वालिटी में सुधार, पैकेजिंग में सुधार, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी आदि।

(ग) अधिक खपत की वस्तुओं के मामले में जहां आवश्यक होता है प्रतिबंध लगाए जाते हैं जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में अधिकतम मात्रा की सीमा निर्धारित करना अथवा उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

[हिन्दी]

घाघरा नदी पर पुल का निर्माण

3781. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री।

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से बहराइच को सीतापुर से जोड़ने के लिए बहराइच

चहलारी घाट पर घाघर नदी पर एक उपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अन्तर्भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित बैठकें

3782. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री।

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी बैठकों, सम्मेलनों और सेमीनारों का आयोजन किया गया;

(ख) क्या इनमें से कोई बैठक केन्द्र सरकार ने बुलायी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इनमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आने जाने का खर्च वहन किया है; और

(घ) यदि हां, तो जो खर्च हुआ उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (घ) संघ सरकार ने पिछले एक वर्ष में कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है। तथापि, अनेक निजी संगठनों ने संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए। इनमें भाग लेने वाले लोगों के आने जाने के खर्च को या तो प्रायोजक संगठनों ने वहन किया अथवा इनमें भाग लेने वाले लोगों ने स्वयं वहन किया।

भारतीय उच्च आयोग, सिंगापुर ने सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड के साथ मिलकर अक्तूबर 1991 में सिंगापुर में एक निवेश संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें वित्त मंत्री और सरकार एवं संस्थाओं के कुछ अधिकारियों ने भाग लिया था।

बैटरी से चालित बसें

3783. डा. सी. सिलवेरा :

क्या अन्तर्भूतल परिवहन मंत्री 19 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फिलहाल किन-किन मार्गों पर बैटरी चालित बसें चल रही हैं;

(ख) क्या इन बसों को दिल्ली के कुछ अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन को इन बसों को दिल्ली के उन क्षेत्रों में डी.टी.सी. की बसें लम्बे समय तक नहीं आ-जा पाती हैं, चलाने का निर्देश देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय निम्नलिखित रूटों पर बैटरी बसें चलती हैं—

(1) सी जी ओ काम्पलेक्स से नार्थ ब्लाक ।

(2) लाल किला से फतेहपुरी ।

(3) कनाट प्लेस से अंतर्राज्यीय बस अड्डा ।

(4) पहाड़ गंज से बारा टूटी ।

(5) अंतराज्यीय बस अड्डा से फतेहपुरी ।

(6) शक्करपुर से शाहदरा ।

(7) बाड़ा हिन्दूराव से जामा मस्जिद ।

(8) शाहदरा से गौंडा ।

(9) लक्ष्मी नगर से मयूर विहार ।

(10) बी. टी. रोड से खजूरी ।

(11) निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सी. जी. ओ. काम्पलेक्स ।

(12) निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लोदी रोड ।

(छ) से (च) जी, नहीं । दिल्ली के यात्रियों की मांगे पूरी करने के लिए सरकार ने पहले ही 3,000 बसें चलाने की एक स्कीम को मंजूरी दे दी है ।

अखबारी कागज के आयात का गैर-सरकीकरण

3784. श्री सुधीर गिरि :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल

श्री पुरुषोत्तम कौशल :

श्री बलराज पासी :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री पी. एस. विजयराघवन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय अखबारी कागज का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीबद्ध करने अथवा इसके आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अखबारी कागज आयात की प्रस्तावित नई नीति का ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) 1991-92 के दौरान जिन देशों से अखबारी कागज का आयात किया गया है वे चीन, न्यूजीलैण्ड, जापान, कनाडा, पोलैण्ड, फ्रांस जर्मनी हंगरी, स्वीडन, फिनलैण्ड, यू. एस. एन. आर. बंगलादेश और आस्ट्रिया है।

(ख) से (घ) अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के वस्त्र एककों के प्रबंध मंडल में परिवर्तन

3785. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों/निगमों के अन्तर्गत कार्यरत कुछ वस्त्र एककों के प्रबंध मंडल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या ऐसा निर्णय लेने से पूर्व ऐसे प्रत्येक एकक के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखा गया था और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समाचार पत्र उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा

3786. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान समाचार उद्योग को बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कितनी विदेशी मुद्रा की मांग की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) समाचार-पत्र उद्योग द्वारा छपाई एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना के संबंध में आयातों तथा अन्य निवेशों पर किया जाने वाला विदेशी मुद्रा व्यय आयात-निर्यात नीति और अन्य संबद्ध नियमों व विनियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित होता है। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का विशेष रूप से कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता। वैसे प्रामाणिक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा किए जाने वाले लाइसेंस प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं तथा प्रतिबंधित मदों के आयात के मामले में भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार, प्रायोजक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कैलेण्डर वर्ष 1989, 1990 और 1991 तथा चालू वर्ष के दौरान भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा मंजूर किए गए आयातों का मूल्य क्रमशः 4.06 करोड़ रुपए, 8.97 करोड़ रुपए, 4.95 करोड़ रुपए और 0.10 करोड़ रुपए था।

परिधान निर्यातकों को लाइसेंस प्रदान करना

3787. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती और मिश्रित धागे, सूती परिधान तथा सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सूती उपलब्ध करने संबंधी कर छूट योजना के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) महानिदेशक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने इस आशय की घोषणा पहले ही कर दी है कि कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस 15 दिनों के भीतर क्लीयर कर दिए जाएंगे जिसके लिए इनपुट-आउटपुट के मानदण्ड आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 13-ग में उपलब्ध हैं। इस निर्णय में परिधान निर्यातकों द्वारा अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे माल का आयात भी शामिल है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को कमीशन दिया जाना

3788. श्री जे. चोक्का राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम अपने एजेंटों को पालिसियां आदि लाने के लिए कमीशन देता है;

(ख) यदि हां तो इस समय कमीशन किस दर से दिया जाता है और क्या इसका भुगतान केवल एक ही बार किया जाता है अथवा पालिसी की परिपक्वता तक निरन्तर दिया जाता है;

(ग) जीवन बीमा निगम के विभिन्न संभागों द्वारा 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अलग-अलग कुल कितनी धनराशि कमीशन के रूप में दी गयी;

(घ) क्या सरकार का विचार पालिसी धारकों को भी उतना ही कमीशन देने का है यदि वे बीमे के लिए एजेंटों के माध्यम के बिना सीधे ही निगम से संपर्क करते हैं;

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जीवन बीमा निगम के लिए पालिसियां आदि लाने हेतु एजेंटों को नियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली खत्म करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने एजेन्टों को उनकी संबंधित एजेंसियों के तहत प्राप्त की गई और समाप्त हो गई पालिसियों के सम्बन्ध में उनकी एजेंसी के जारी रहने की अवधि के दौरान प्राप्त प्रथम वर्ष के प्रीमियम और नवीकरण प्रीमियमों पर कमीशन अदा करता है जिसकी दरें पालिसी की अवधि एवं योजना पर निर्भर करते हुए प्रथम वर्ष के प्रीमियम के 7 1/2 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक और नवीकरण प्रीमियमों के 2 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न होती है। जिन पालिसियों के अन्तर्गत प्रीमियम एक ही बार लिया जाता है, उनके मामले में कमीशन की अदायगी एक ही बार की जाती है और अन्य सभी मामलों में कमीशन का भुगतान पालिसियों की अवधि-पर्यन्त विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाता है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्नों प्रभागों द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अपने भारतीय कारोबार के संबंध में अदा किए गए कमीशन की कुल राशि निम्नलिखित प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1989-90	420.78
1990-91	531.35
1991-92	429.06

(1.4.91 से 31.12.91 तक)

(घ) और (ङ) जी, नहीं। जीवन बीमा कारोबार प्राप्त करने के लिए कमीशन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 के अनुसार वैध लाइसेंस धारित करता है। यदि पालिसीधारक किसी एजेंट की सेवाएं लिए बिना बीमा कराने के लिए सीधे निगम से सम्पर्क करते हैं तो कमीशन की अदायगी में छूट मिलेगी जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार निषिद्ध है।

(च) और (छ) जी नहीं। जीवन बीमा पालिसियां बेची जाती हैं चूंकि वे कभी खरीदी नहीं

जाती। इसलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए जीवन बीमा कारोबार प्राप्त करने के लिए एजेंसी बल रखना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले बीमित किए जाने वाले व्यक्तियों और जोखिम को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों यदि कोई हो, के बारे में निगम को कुछ जांच-पड़ताल करनी पड़ती है। यह कार्य एक एजेंट द्वारा प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सई, सूती कपड़े फाइबर और सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

3789. श्री राजवीर सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास, मिश्रित रेशे, सूती कपड़ों तथा सिले-सिलाए वस्त्रों आदि के निर्यात को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने सूती कपड़े और सिले सिलाए परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति, विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा मेलों का आयोजन, उपयुक्त कोटा नीति सम्बन्धी उपायों के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना आदि। चूंकि सरकार का प्रयास मूल्य-वर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है, इस लिए सरकार घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थाई सप्लाई-कर्ता के रुप में भारत की उपस्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में कपास से निर्यात की अनुमति देती है।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड

3790. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या जल-यूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आर्डर प्राप्त करने सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) इस शिपयार्ड की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस शिपयार्ड के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है ?

जल भूतल परिवहनमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) कोचीन शिपयार्ड लि. की वर्तमान आर्डर बुक स्थिति है—86000 डी डब्ल्यू टी के 2 कच्चे तेल के टैंकर,

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा इसी प्रकार के तीन और टैंकरों के आदेश दिए जाने की संभावना है जिनके लिए सरकार ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, और

(ग) शिपयार्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें मूल्य निर्धारित फार्मूले में संशोधन, पूंजीगत आधार का पुनर्गठन इत्यादि शामिल है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय जलपोतों को किराए पर लेना

3791. श्री रवि राय :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय किया है कि विदेशी कम्पनियों को भारतीय जलपोत किराए पर देने के लिए अब नौवहन महानिदेशक की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय पर भारतीय नौवहन कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाजों को किराए पर देने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल बना दिया है। नौवहन कम्पनियों द्वारा भारतीय फ्लैग जहाजों की टाइम/बीएज पर किराए पर लेने के लिए नौवहन महानिदेशक को पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष के लिए समाप्त कर दिया गया है। तथापि रिकार्ड आदि रखने के प्रयोजन के लिए जहाज मालिक जहाज के ब्यौरे नौवहन महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन (आई एन एस ए) ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है और सराहना की है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण

3792. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री उद्धत बर्मन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को संस्थावार कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किये; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को इन संस्थाओं ने वास्तव में कितनी धनराशि दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य में संस्थान-वार मंजूर ऋणों की स्वीकृति की राशि संलग्न विवरण-I से III में दी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य को इस अवधि में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वास्तविक रूप से जारी राशि विवरण IV से VI में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्यवार सहायता

अवधि (अप्रैल-मार्च) (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आईडी बीआई	आईएफ सीआई	आईसी आईसीआई	आईआर बीआई	आरसी डीसी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	569.5	195.9	133.9	8.2	2.4
2.	अरुणाचलप्रदेश	1.0	0.0	0.0	0.4	—
3.	असम	110.7	44'4	42.3	0.6	—
4.	बिहार	157.5	53.6	83.5	4.1	—
5.	गोवा	73.9	20.7	19.6	—	—
6.	गुजरात	863.6	199.4	325.4	20.3	1.0
7.	हरियाणा	342.3	87.7	82.2	5.9	0.5
8.	हिमाचल प्रदेश	110.0	35.4	8.8	2.3	0.1
9.	जम्मू व कश्मीर	54.1	3.6	2.0	—	—

10. कर्नाटक	417.0	39.2	55.3	1.1	0.2
11. केरल	192.6	24.5	4.9	4.6	0.2
12. मध्य प्रदेश	425.5	86.2	62.7	0.8	0.3
13. महाराष्ट्र	1413.6	731·0	539.3	25.4	1.8
14. मणीपुर	11.1	0.0	1.1	—	—
15. मेघालय	9.3	0.3	0.5	—	—
16· मिजोरम	4.0	0.0	0.0	—	—
17. नागालैंड	3.6	0.0	0.0	—	—
18. उड़ीसा	230.1	71.0	42.5	—	—
19. पंजाब	202.6	116·2	24.3	2.2	0.3
20· राजस्थान	268.3	74.1	172.9	6.0	0.1
21. सिक्किम	8.0	0·0	0·0	—	—
22. तमिलनाडु	704·8	125.9	111.5	26.8	0.1
23. त्रिपुरा	7.9	2.4	1.2	—	—
24. उत्तर प्रदेश	607.9	202.2	135.5	8.7	0.4
25. पश्चिमबंगाल	328.9	67.4	78.5	20.4	0.3
26. संघ राज्यक्षेत्र	140.6	93.8	19.8	7.8	1.1
कुल :	7237.8	2294.9	1947.7	142.9	8.8

वर्ष 1989-90 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्यवार सहायता

अवधि (अप्रैल—मार्च) (करोड़ रुपए)

		टीडी आईसी	एससी आईसी आई	आईएफ सीआई	एलआई सी	यूटी आई	जीआई सी
1	2	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.1	5.5	2.2	27.2	38.4	12.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.0	0.0
3.	असम	—	—	—	8.0	9.0	2.0
4.	बिहार	—	—	—	42.9	29.3	0.5
5.	गोवा	—	—	7.3	0.1	3.9	0.5
6.	गुजरात	0.7	1.8	1.0	36.3	117.7	20.6
7.	हरियाणा	—	—	—	10.3	9.7	0.8
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1.0	—	0.1	0.0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	0.0	0.0
10.	कर्नाटक	4.1	0.5	5.1	3.3	9.6	2.1
11.	केरल	0.3	0.8	2.4	4.2	1.7	0.9
12.	मध्य प्रदेश	—	—	0.9	29.8	14.9	10.1

13,	महाराष्ट्र	4.6	193.9	8.8	239.4	620·9	100.6
14,	मणिपुर	—	—	—	—	0.0	0.0
15,	मेघालय	—	—	—	—	0.0	0.0
16,	मिजोरम	—	—	—	—	0.0	0.0
17,	नागालैंड	—	—	—	—	0.0	0.0
18,	उड़ीसा	—	10.7	—	12.2	13.8	1.3
19;	पंजाब	—	—	—	7.4	13.8	1.4
20,	राजस्थान	—	—	2.6	19.4	27.4	14.5
21;	सिक्किम	—	—	—		0.0	0.0
22.	तमिलनाडु	2.5	64.5	4.5	45.8	184.7	15.9
23.	त्रिपुरा	—	—	—		0.0	0.0
24,	उत्तर प्रदेश	0.1	—	5.7	19.1	101.2	10.5
25,	पश्चिम बंगाल	0·3	41.0	1.3	65.4	61.1	9.9
26.	संघ राज्य क्षेत्र	0.4	2.5	10.0	8.0	39.4	7.6
	कुल :	14.1	321.2	52.8	578.2	1296.6	211.2

विवरण-II

वर्ष 1990-91 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्य-वार सहायता
अवधि (अप्रैल-मार्च) (करोड़ रुपए)

क्र. सं	राज्य	आई.डी.बी.आई.	आई.एफ.सी.आई.	आई.सी.आई.सी.आई	सिडबी	आई.आर.बी.आई.	आर.सी.टी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	654.3	311.0	279.8	190.3	21.9	1.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.1	0.0	2.3	0.6	—	—
3.	असम	37.6	13.0	2.8	16.2	—	—
4.	बिहार	56.2	23.1	69.3	44.4	1.7	—
5.	गोवा	35.5	10.9	7.4	22.7	0.3	—
6.	गुजरात	799.1	448.2	365.3	278.5	17.0	—
7.	हरियाणा	121.6	86.2	51.1	64.8	3.1	1.9
8.	हिमाचल प्रदेश	146.5	59.2	96.0	22.2	1.6	0.1
9.	जम्मू व कश्मीर	18.3	5.0	1.6	29.3	—	—

10.	कर्नाटक	368.2	151.3	165.0	203.6	6.1	1.9
11.	केरल	119.0	8.2	29.9	111.3	4.4	—
12.	मध्य प्रदेश	553.3	224.8	207.8	111.6	14.2	0.3
13.	महाराष्ट्र	1368.8	626.2	783.6	290.8	33.5	0.9
14.	मणिपुर	0.8	.08	0.0	1.8	—	—
15.	मेघालय	2.7	0.0	0.3	2.7	—	—
16.	मिजोरम	1.1	0.0	0.0	3.4	—	—
17.	नागालैंड	0.8	0.0	0.0	2.1	—	—
18.	उड़ीसा	110.2	52.1	71.1	50.7	—	—
19.	पंजाब	126.0	144.8	57.1	95.1	6.4	—
20.	राजस्थान	314.8	155.9	11[illegible].4	124.1	4.4	0.2
21.	सिक्किम	0.2	0.0	0.0	1.0	—	—
22.	तमिलनाडु	519.5	192.3	227.9	263.5	34.9	1.5
23.	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	1.3	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	592.5	291.1	152.3	189.4	17.6	1.3
25.	पश्चिम बंगाल	199.5	79.9	81.3	107.5	41.4	0.1
26.	संघ राज्य क्षेत्र	81.2	81.9	62.7	63.2	6.9	2.8
	योग	6228.8	2965.1	2832.7	2292.2	215.5	12.8

वर्ष 1990-91 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर राज्य-वार सहायता

अवधि : (अप्रैल-मार्च) (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	टी.डी.आई.सी	आई.एस.सी.आई सी.आर्ई	दीएफसीआई	एसआईसी	यूटीआई	जीआईसी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.5	31.7	11.8	15.0	44.3	6·7
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.0	0.0
3.	असम	—	—	—	0.2	0.0	0.0
4.	बिहार	—	—	1.7	0.8	1.9	0.0
5.	गोवा	—	1.4	0.9	6.1	4.2	0.5
6.	गुजरात	0.5	14.6	2.0	189.9	332.0	110.7
7.	हरियाणा	—	—	—	7.0	21.4	2.5
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1.4	—	0.7	0.0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	0.3	—	0.0	0.0
10.	कर्नाटक	3.9	1.2	13.3	11.4	30.8	4.0
11.	केरल	0.2	—	—	2.1	2.8	4.0

12.	मध्य प्रदेश	—	—	1.0	21.5	51.9	14.8
13.	महाराष्ट्र	3.3	254.8	6.8	254.5	1006.1	108.3
14.	मणिपुर	—	—	—	—	0.0	0.0
15.	मेघालय	—	—	—	—	0.0	0.0
16.	मिजोरम	—	—	—	—	0.0	0.0
17.	नागालैंड	—	—	—	—	0.0	0.0
18.	उड़ीसा	—	—	—	6.5	7.6	9.0
19.	पंजाब	—	—	3.7	5.9	25.4	1.0
20.	राजस्थान	—	—	7.4	14.1	21.0	6.7
21.	सिक्किम	—	—	—	—	0.0	0.0
22.	तमिलनाडु	2.5	23.1	8.7	56.1	57.7	15.0
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	0.0	0.0
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	19.4	10.9	81.3	6.7
25.	पश्चिम बंगाल	1.1	—	2.3	13.6	116.1	11.6
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1.0	4.8	4.3	72.5	272.6	11.9
	योग	13.0	331.6	85.0	688.1	2077.2	312.9

विवरण-III

अप्रैल—दिसम्बर 1991 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	आईडीबीआई	आईएफसीआई	आईसीआई सीआई	सिडबी	आईआरबी आई	आरसीटीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	242.1	68.4	101.0	118.5	8.7	0.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	0.2	—	—
3.	असम	4.9	0.3	0.9	11.4	0.3	—
4.	बिहार	98.4	4.0	12.7	27.4	2.4	—
5.	गोवा	45.1	16.8	12.6	18.5	2.3	—
6.	गुजरात	351.8	83.7	183.8	245.4	14.7	0.2
7.	हरियाणा	185.0	43.7	32.6	61.3	2.5	0.9
8.	हिमाचल प्रदेश	48.3	52.4	94.2	21.5	6.6	—
9.	जम्मू व कश्मीर	1.2	9.0	—	18.3	—	—

10.	कर्नाटक	223.6	41.7	66.1	150.7	12.6	—
11.	केरल	91.4	9.9	26.4	75.9	1.9	0.8
12.	मध्य प्रदेश	272.0	54.7	167.3	67.9	0.1	0.2
13.	महाराष्ट्र	879.6	207.6	445.4	206.9	15.5	1.0
14.	मणिपुर	0.1	—	—	1.9	—	—
15.	मेघालय	4.0	0.1	0.1	1.2	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	1.6	—	—
17.	नागालैंड	3.0	—	—	0.3	—	—
18.	उड़ीसा	78.1	16.9	8.5	37.2	—	—
19.	पंजाब	139.4	61.2	16.2	63.9	1.0	—
20.	राजस्थान	69.2	87.0	136 6	97.9	4.5	—
21.	सिक्किम	0.2	0.1	—	1.8	—	—
22.	तमिलनाडु	371.0	119.4	111.7	224.3	20.9	1.9
23.	त्रिपुरा	0.1	—	—	2.4	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	287.6	235.2	65.3	147.4	17.1	1.2
25.	पश्चिम बंगाल	547.7	167.5	171.1	87.3	15.5	1.6
26.	संघ राज्य क्षेत्र	71.6	18.8	44.5	52.8	6.7	1.6
	योग	4016.2	1298.4	1697.5	1743.9	130.3	8.9

वर्ष 1989-90 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	टीडीआईसी आई	एसआईटी सीआई	सिडबी आई	एलआईसी	यूटीआई	जीआईसी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1.2	27.7	0.1	156.9	21.6	5 0
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	0.0
3.	असम	—	—	—	—	2.0	—
4.	बिहार	—	—	—	57.1	21.9	21.5
5.	गोवा	—	—	10.5	—	1.0	1.5
6.	गुजरात	1.1	11.7	—	55.7	171.4	66.6
7.	हरियाणा	0.5	—	1.2	5.3	13.1	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1.4	5.0	—	2.0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	2.6	—	2.0	9.7	4.50	6.2
11.	केरल	0.8	—	7.5	5.9	8.5	1.0

12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	1.8	11.4	0.4
13.	महाराष्ट्र	3.5	182.5	8.6	373.5	1462.3	87.3
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	3.9	10.1	—
19.	पंजाब	—	—	—	7.8	4.0	3.5
20.	राजस्थान	—	—	8.0	8.2	16.0	7.5
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	4.8	22.1	21.9	111.1	46.5	33.4
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	0.6	—	3.5	14.2	102.7	5.2
25.	पश्चिम बंगाल	1.0	—	—	179.1	43.5	93.1
26.	संघ राज्य क्षेत्र	0.5	4.8	1.9	207.4	135.1	4.0
	योग	16.6	248.8	66.6	1202.6	2116.1	368.2

विवरण-IV

वर्ष 1989-90 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता

अवधि (अप्रैल-मार्च) (करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	आईडीबी आई	आईएफसी आई	आई सी आई सी आई	आई आर बी आई	आर सी टी सी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आंध्रप्रदेश	415.9	113.3	84.1	6.6	1.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	0.0	0.0	—	—
3.	असम	40.5	9.1	8.0	0.4	—
4.	बिहार	82.6	11.7	7.9	8·5	—
5.	गोवा	48.9	10.3	9.8	—	—
6.	गुजरात	537.9	121.4	127.9	15.5	—
7.	हरियाणा	178.4	54.5	26.6	6.6	0.3
8.	हिमाचल प्रदेश	71.4	19.7	9.1	1·6	0.3
9.	जम्मू व कश्मीर	41.8	2.4	·0.4	—	—

10.	कर्नाटक	287.8	57.4	47.6	4.9	0·4
11.	केरल	140.4	17,1	8.5	4.9	—
12.	मध्य प्रदेश	280.2	52.3	40.6	4.0	0·2
13.	महाराष्ट्र	627.9	210·1	244.6	20.2	0.5
14.	मणिपुर	6.1	1.8	0.9	—	—
15.	मेघालय	9.1	1.3	0.8	—	—
16.	मिजोरम	1.0	0.0	0.0	—	—
17.	नागालैंड	8.8	0.3	0.1	0.1	—
18.	उड़ीसा	117.4	19.6	21.2	0.9	—
19.	पंजाब	185.4	102.8	36.5	4.7	—
20.	राजस्थान	174.3	43.8	34.8	5.8	—
21.	सिक्किम	2.5	0.0	0.0	—	—
22.	तमिलनाडु	522.2	90.7	94.3	23.3	0.1
23.	त्रिपुरा	3.7	0.0	0.0	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	415.0	116·7	76.5	9.3	0.6
25.	पश्चिम बंगाल	228.2	37.9	23.8	21.4	0.5
26.	संघ राज्य क्षेत्र	90.0	27,2	9.8	4.6	0.1
	योग	4506.0	1121.4	913.3	139.3	5.0

वर्ष 1990-91 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्य-वार सहायता

अवधि (अप्रैल-मार्च) (करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	टी डी आई सी आई	एस सी आई सी आई	टी एस सी आई	एस आई टी	यू टी आई	पी आई सी
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	आंध्र प्रदेश	1.3	1.4	—	16.5	28.3	2.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.0	0.0
3.	असम	—	—	—	0.8	0.5	0.0
4.	बिहार	—	—	—	45.3	50.5	0.8
5.	गोवा	—	—	1.0	2.0	4.4	1.6
6.	गुजरात	0.5	—	0.3	56.1	69.3	10.8
7.	हरियाणा	—	—	—	4.0	8.7	2.1
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.5	—	0.1	0.0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	0.1	0.0	0.0
10.	कर्नाटक	2.3	—	1.2	5.5	6.9	1.3
11.	केरल	0.3	0.5	0.8	4.8	1.8	0.1

12.	मध्य प्रदेश	—	—	0·2	29.6	23.3	6.4
13.	महाराष्ट्र	1.9	133.1	2.1	174.2	523.9	96.9
14.	मणिपुर	—	—	—	—	0.0	0.0
15.	मेघालय	—	—	—	—	0.0	0.0
16.	मिजोरम	—	—	—	—	0.0	0.0
17.	नागालैंड	—	—	—	—	0.0	0.0
19.	उड़ीसा	—	—	—	7.2	12.2	1·1
19.	पंजाब	—	—	—	9.7	20.2	5.0
20.	राजस्थान	—	—	1.5	13.5	34.0	2.5
21.	सिक्किम	—	—	—	—	0.0	0.0
22.	तमिलनाडु	1.2	46.7	—	39.4	71.0	16.1
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	0.0	0.0
24.	उत्तर प्रदेश	1.0	—	—	14.8	65.3	17.6
25.	पश्चिम बंगाल	0.2	41.0	0,6	34.7	61.3	10.8
26.	संघ राज्य क्षेत्र	2.8	3.0	4.6	2.5	98.1	4.5
	योग	9.5	225.7	12.8	455 2	1080.5	179.6

विवरण-V

वर्ष 1990.91 के दौरान अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

अवधि (अप्रैल—मार्च) (करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	आईडीबी आई	आईएस सी आई	आईसी आई सीआई	एसआई बी आई	आईआर बीआई	आरसी टीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	487.3	150.3	123.0	1.8.0	8.3	1.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.6	0.0	0.0	0.8	—	—
3.	असम	31.3	14.8	13.0	11.2	0.7	—
4.	बिहार	42.8	5.4	9.1	43.5	5.7	—
5.	गोवा	37.9	12.3	8.7	17.3	—	—
6.	गुजरात	469.8	187.0	220.3	182.6	20.2	—
7.	हरियाणा	145.7	53.9	41.8	50.9	2.2	0.2
8.	हिमाचल	26.2	14.2	10.2	23.0	0.6	0.2
9.	जम्मू व कश्मीर	10.2	0.4	3.1	26.0	—	—
10.	कर्नाटक	208.7	80.9	59.8	145·5	4.6	0.9

11.	केरल	76.2	10.9	8.5	91.5	4.5	0.2
12.	मध्य प्रदेश	360.0	128.6	85.7	85.3	9.8	—
13.	महाराष्ट्र	678.7	234.1	379.3	210.9	25.5	1.0
14.	मणिपुर	2.2	0.4	0.2	2.2	—	—
15.	मेघालय	4.0	0.3	0.6	2.8	—	—
16.	मिजोरम	0.4	0.0	0.0	3.6	—	—
17.	नागालैंड	0.5	0.0	0.0	2.7	—	—
18.	उड़ीसा	129.5	62.6	37.1	45.5	1.2	—
19.	पंजाब	104.8	105.0	43.7	83·4	2.0	0.3
20.	राजस्थान	157.9	80.5	62.9	78.1	3.9	—
21.	सिक्किम	2.0	0.0	0.0	1.6	—	—
22.	तमिलनाडु	361.1	124.2	127.4	206.6	23.5	0.6
23.	त्रिपुरा	0.3	0.0	0.0	2.0	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	340.2	172.0	97.2	156.3	13.0	0.7
25.	पश्चिम बंगाल	155.9	46.1	54.1	85.0	16.6	0.2
26.	संघ राज्य क्षेत्र	54.9	40.9	20.2	53.8	2.0	1.6
	योग :	3832.5	1524.9	1406.4	1740.1	144.3	7.3

टिप्पणी । एस. आई. डी. एफ. के तहत आई. डी. बी. आई. के परिचालनों के सिडबी को हस्तांतरित कर दिया गया है जिसने 2 अप्रैल, 1990 से परिचालन शुरू कर दिया है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता ।

अवधि (अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	टी.डी.आई.सी	आई.एस.सी.आई सी.आई	टीएफसीआई	एलआईसी	यूटीआई	जीआईसी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1.4	3.4	4.9	13.7	36.1	7.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	0.0
3.	असम	—	—	—	0.2	—	0.1
4.	बिहार	—	—	0.3	5.5	2.7	0.9
5.	गोवा	—	—	3.7	1.2	1.3	0.5
6.	गुजरात	0.3	—	0.9	147.0	139.7	29.5
7.	हरियाणा	—	—	—	0.7	20.0	1.5
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.2		0.7	0.0
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	0.1			0.0
10.	कर्नाटक	2.5	—	3.7	11.9	31.2	12.9
11.	केरल	0.3	—	0.2	5.4	1.0	1.8

12.	मध्य प्रदेश	—	—	0.2	3.2	19.4	2.6
13.	महाराष्ट्र	1.7	151.5	1.1	110.6	901.6	52.2
14.	मणिपुर	—	—	—			0.0
15.	मेघालय	—	—	—			0.0
16.	मिजोरम	—	—	—			0.0
17.	नागालैंड	—	—	—		2.5	0.0
18.	उड़ीसा	—	—	—	5.5	12.3	0.0
19.	पंजाब	—	—	—	4.8	8.9	1.2
20.	राजस्थान	—	—	2.2	17.2	20.2	6.4
21.	सिक्किम	—	—	—	—		0.0
22.	तमिलनाडु	3.7	11.1	3.3	45.7	59.4	13.9
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	0.0
24.	उत्तर प्रदेश	0.1	—	11.4	9.3	75.4	2.9
25.	पश्चिम बंगाल	0.7	—	1.4	30.9	36.7	9.0
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1.1	1.4	5.6	14.6	213.6	3.6
	योग	11.8	167.0	39.2	427.4	1500.7	146.4

विवरण-VI

अप्रैल दिसम्बर 1991 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता

अवधि (अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं	राज्य	आई.डी.बी.आई.	आई.एफ.सी.आई.	आई.सी.आई.सी. आई	सिडबी	आई.आर.बी.आई. (करोड़ रुपए)	आर.सी.टी.सी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्रप्रदेश	372.4	103.5	127.9	108.9	102.7	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	—	—	1.1	0.3	—
3.	असम	29.3	8.3	10.6	8.2	0.1	—
4.	बिहार	51.3	8.7	23.2	22.9	5·2	—
5.	गोवा	37.7	11.0	7.8	16.4	—	—
6.	गुजरात	370.8	128.2	144.5	162.7	10.5	0.2
7.	हरियाणा	104.1	41.3	22.9	41.2	3.3	1.0
8.	हिमाचल प्रदेश	25.8	14.3	13.9	19.8	0.3	—
9.	जम्मू व कश्मीर	8.0	0.2	0.5	14.1	—	—

10.	कर्नाटक	150.5	25.0	77.3	141.3	1.2	0.2
11.	केरल	90.4	5.7	14.3	69.0	1.8	—
12.	मध्य प्रदेश	226.0	60.4	77.2	58.5	4.9	0.3
13.	महाराष्ट्र	652.8	174.4	293.9	155.3	20.9	0.5
14.	मणिपुर	0.4	—	—	2.3	—	—
15.	मेघालय	1.9	0.3	0.2	1.2	—	—
16.	मिजोरम	0.4	—	—	1.2	—	—
17.	नागालैंड	0.5	—	—	0.6	—	—
18.	उड़ीसा	101.9	31.5	41.9	29.0	—	—
19.	पंजाब	90.0	48.0	19.0	58.9	2.2	—
20.	राजस्थान	131.7	54.4	60.8	57.5	2.2	—
21.	सिक्किम	2.1	—	—	1.3	—	—
22.	तमिलनाडु	239.5	57.4	109.7	158.8	16.1	0.2
23.	त्रिपुरा	—	—	—	1.8	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	259.9	106.3	76.6	102.3	6.9	0.5
25.	पश्चिम बंगाल	113.3	17.0	23.2	66.2	12.0	0.1
26.	संघ राज्य क्षेत्र	48.5	27.0	26.6	51.3	6.7	0.5
	योग	3109.7	923.4	1172.0	1350.8	104.8	3.9

अप्रैल दिसम्बर 1991 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	टीडीआईसी आई	एससीआई सीआई	टीएफसी आई	एसआईसी	यूटीआई	जीआईसी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2.0	3.4	1.1	113.3	18.7	3 3
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	1.8	2.0	0.2
4.	बिहार	—	—	—	24.5	2.3	2.7
5.	गोवा	—	—	2.4	—	1.6	—
6.	गुजरात	0.7	—	2.8	37.8	186.8	66.3
7.	हरियाणा	—	—	—	6.0	5.3	1.3
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.5	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	0.7
10.	कर्नाटक	2.9	—	1.1	8.5	34.6	2.5
11.	केरल	0.5	0.1	0.2	1.3	7.1	0.5
12.	मध्य प्रदेश	—	—	0.2	7.0	19.4	0.6

13,	महाराष्ट्र	3.0	126.8	3.7	175.3	925·9	59.3
14,	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
15,	मेघालय	—	—	—	—	—	—
16,	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
17,	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
18,	उड़ीसा	0.3	—	—	10.6	3.6	3.0
19,	पंजाब	—	—	0.5	1.3	5.1	0.8
20,	राजस्थान	—	—	0.7	11.2	15.9	5.0
21,	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2.8	—	5.9	66.1	39.6	14.7
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24,	उत्तर प्रदेश	0.3	—	7.9	23.0	110.6	2.0
25,	पश्चिम बंगाल	0·4	—	0.7	10.2	135.3	8.6
26.	संघ राज्य क्षेत्र	0.1	1.4	2.6	84.4	145.1	1.6
	कुल :	13.0	131.7	28.3	682.3	1502.9	175.1

निर्यात प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा

3793. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त निर्यात प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा की है तथा क्या उसका विचार एक वो-टियर वाली प्रणाली लागू करने का है जिसमें प्राथमिक तथा अनुषंगी निर्यात उत्पाद तथा मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) दिनांक 1.4.92 से प्रभावी होने वाली नई आयात तथा निर्यात नीति तैयार की जा रही है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

3794. श्री मुकुल वालकृष्ण वासनिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने सिंगापुर में आयोजित "एशियन एयरोस्पेस प्रदर्शनी में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड निर्यात संबंधी पूछताछ और संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव आकर्षित करने में सफल रहा था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स द्वारा किये गये निर्यात का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि संयुक्त उद्यम खोलने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने कई देशों और वैमानिकी के क्षेत्र की विदेशी कंपनियों से संपर्क किया था और उनके द्वारा की गई पूछताछ के बारे में उत्तर भेजे थे।

(ग) उपर्युक्त पूछताछ का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ वायुयानों के हिस्से पुर्जों, भू-सहायता उपस्कर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर की सप्लाई तथा मरम्मत/ओवरहालिंग की सुविधाएं उपलब्ध करने और परिष्कृत अशोनों, गढ़ाई तथा ढलाई के बारे में उप ठेके देने से था।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए सामान में अनेक किस्म की वस्तुएं और उप संविदा पर काम करना शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए सामान का मूल्य इस प्रकार है : —

1989-90	3.90 करोड़ रुपये
1940-91	14.56 करोड़ रुपये
1991-92	12.80 करोड़ रुपये
(फरवरी, 1992 तक)	

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को सड़क निर्माण हेतु विशेष धनराशि

3795. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सीमायें सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं के साथ लगी हुई है,

(ख) क्या अन्तर्राज्यीय राजमार्गों और पुलों की निर्माण लागत को राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अन्तर्राज्यीय मार्गों/पुलों के निर्माण हेतु प्रत्येक कार्य की कुल लागत का एक तिहाई राशि मध्य प्रदेश को विशेषकेन्द्रीय सहायता के तौर पर देने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए भारत सरकार 100 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध करवाती है और राज्याधीन सड़कों के लिए 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त करवाई गई 100 प्रतिशत ऋणसहायता को संबंधित राज्यों द्वारा यथानुपात पर बांटा जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम. सी. सी. कैडिटों का कनाडा दौरा

3796. श्री रतिलाल वर्मा :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन सी सी कैडिटो के एक दल ने हालही में कनाडा का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल में कितने सदस्य थे और उनके नाम क्या है ; और

(ग) इस दल ने किन कार्यक्रमों में भाग लिया ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के 42 कैडेटों और 8 अफसरों ने कनाड़ा का दौरा किया था । इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ग) यह दौरा भारत-कनाडा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किया था । कार्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीय अनेक कनेडियाई सहयोगियों के साथ उनके परिवारों के बीच रहे और कृषि, पर्यावरण तथा लघु उद्योग संबंधी परियोजनाओं पर कार्य किया ।

विवरण

अफसर

1. श्री मृगेन्द्र सिंह
2. श्री एम डी एस मान
3. श्री एन जनार्दन
4. श्रीमती वीना सल्वाराज
5. श्री आई एस सेवग
6. श्री प्रभात जोशी
7. श्री सी के रथ
8. कुमारी बर्ना गोपालस्वामी

बालिका कैडेट

9. ललिता आर.
10. पोली वोक्युलिन
11. प्रेरणा चतुर्वेदी
12. सोनिया जयराम
13. मैरी खड़करंग
14. सुधा डी प्रभु
15. वीना वासवराज
16. सुनिता बलियां
17. सुप्रियावी कोल्लई
18. अमृत कौर सन्धू
19. हिमानी चौधरी
20. रुपाली खोट
21. हेतल दवे
22. रविन्द्रबाबा
23. ए एस वामा शामी
24. दीपा एल वी
25. याशिका हतवाल
26. देवकी एस पोंदुवाल
27. शतरूपा दास गुप्ता
28. नन्दिनी के.
29. हर्षदा सिंह

बाल कैडेट

30. ई आर सईनाथ
31. सरीत तिवारी
32. सोमक मुखोपाध्याय
33. के सुबीर सिंह
34. लिबे टी जानसन
35. ऋतेश बब्बर

36. ग्रेगरी इरोल मिचेल
37. होमयार घोतीवाला
38. एस सेल्वा कुमार
39. ई पी बनाजी
40. एस सिराज अहमद
41. प्रदीप मासकरण
42. आइजक जोसफ
43. निशांत वर्मा
44. गोविन्द शर्मा
45. रोज संजीव
46. शैलेन्द्र सिंह
47. विजी जोसफ
48. माइकल जूड विसेंट लजारो
49. पी ए पोनप्पा
50. राघवेन्द्र सिंह झाला

[अनुवाद]

तमिलनाडु में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए धनराशि

3797. श्री आर. जीवरत्नम: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के उन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता मांगी है, जो हाल ही की वर्षा तथा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने कितनी राशि दी है/देने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) । जी हां । अभी हाल में हुई वर्षा और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए वार्षिक वित्त वर्ष (1991-92) के दौरान तमिलनाडु के लिए कुल 80.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है ।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम में फालतू कर्मचारी

3798. श्री नीतीश कुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के फालतू कर्मचारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1991 को फालतू समझे जाने वाले कर्मचारियों की वर्गवार संख्या क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख)

मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, दिसम्बर, 1991 के अंत में दिल्ली परिवहन विगम के पास संवाहकों की श्रेणी में 2396 कर्मचारी अधिशेष थे।

[अनुवाद]

रुग्ण कपड़ा एकक

3799. श्री बी. धनंजय कुमार :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई कपड़ा एकक रुग्ण हो गए हैं और इसके परिणामस्वरूप राज्यवार बड़ी संख्या में मजदूर प्रभावित हुए;

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण कपड़ा एककों को फिर से चालू करने के लिए अब तक क्या योजनाएं तैयार की गई हैं/क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इन मिलों के सुचारु रूप से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है, रुग्ण मिलों की व्यवक्षमता सुनिश्चित करने के लिए नोडिए श्रमिकरण का सृजन, आधुनिकीकरण सम्बन्धी सहायता के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना तथा पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए वित्तीय तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3800. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांड्ये :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री पुखानमल लोढ़ा :

श्री जे. चोक्का राव :

श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक सहायता से चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक से समय पर धनराशि न मिलने के कारण इनमें से कुछ परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं को जारी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) विश्व बैंक सहायता प्राप्त व स्वीकृत नई परियोजनाओं का, राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (च) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और प्रत्येक मामले में सहायता राशि की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भारत । राज्य सरकारों की परियोजना	आंध्र प्रदेश	(अमेरिकी मिलियन डालर)
परियोजना का नाम		उधार/ऋण की राशि
रामगुंडम-II		300.0
केन्द्रीय विद्युत परिषण		250.7
आंध्र प्रदेश कंपोजिट-II		131.0
राष्ट्रीय जल-प्रबंध		114.0
जल विभाजक विकास वर्षा आधारित क्षेत्र		31.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन		30.0
		147.0
हैदराबाद जल और मल-जल		10.0
		79.9
परिवार कल्याण प्रशिक्षण		11.3
		113.3
व्यावसायिक प्रशिक्षण		30.0
		250.0
आंध्र प्रदेश चक्रवात आपात पुनर्निर्माण		40.0
		170.0
आई सी डी एस-I (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश)		10.0
		96.0

तकनीकी शिक्षा-II	307.1
झींगा तथा मत्स्य पालन	85.0
बिहार	
स्वर्णरेखा	127.0
बिहार ट्यूबवैल	—
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	85.0
झरिया कोयला	248.0
राज्य सड़क	170.0
	80.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
तकनीकी शिक्षा-I	25.0
	235.0
जनसंख्या प्रशिक्षण (II)	10.0
	86.7
नई दिल्ली	
विहन्द विद्युत पारेषण	250.0
राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	485.0
उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
तकनीकी शिक्षा-II	307.1
गुजरात	
गुजरात मध्यम	172.0
नर्मदा गुजरात बांध	200.0
	100.0
नर्मदा गुजरात नहर	150.0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी-I	165.0

जल विभाजक विकास (मैदानी)	7.0
	55.0
क्रंबाइंड साइकिल पावर	485.0
काम्बे बेसिन पेट्रोलियम	242.5
पश्चिमी गैस	295.0
पेट्रोलियम परिवहन	340.0
गुजरात ग्रामीण सड़कें	119.6
राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
गुजरात शहरी	62.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
तकनीशियन शिक्षा-I	25.0
	235.0
जनसंख्या प्रशिक्षत-(VII)	10.0
	86.7
गैस फ्ले रिंग रिडक्शन	450.0
पेट्रोकेमिकल्स	12.0
	233.0
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
	31.6
हरियाणा	
हरियाणा-II	150.0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0
	75.0
रिहन्द विद्युत पारेषण	250.0
उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
पेट्रोलियम परिवहन	340.0

राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
	86.7
तकनीकी शिक्षा-II	307.1
जम्मू और कश्मीर	
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
	147.0
जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0
	75.0
उत्तरीक्षेत्र पारेषण	485.0
व्यावसायिक शिक्षा	30.0
	250.0
जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)	10.0
	86.7
कर्नाटक	
राष्ट्रीय जल प्रबंध	114.0
ऊपरी कृष्णा सिंचाई-II	165.0
	160 0
जलविभाजक विकास वर्षापोषित क्षेत्र	31.0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	49.0
कर्नाटक सामाजिक वानिकी	27.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
	147.0
कर्नाटक विद्युत	330.0
कर्नाटक-II	260.0

जनसंख्या-III	70.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
तकनीकी शिक्षा-I	25.0
	235.0

केरल

केरल सामाजिक वानिकी-I	31.8
केरल राज्य विद्युत	176.0
केरल जल आपूर्ति तथा सफाई	41.0
जनसंख्या-III	70.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
तकनीकी शिक्षा-I	25.0
-तदैव-	235.0

महाराष्ट्र

नर्मदा गुजरात बांध	200.0
	100.0
महाराष्ट्र कंपोजिट-III	160.0
जलविभाजक विकास तथा वर्षापोषित क्षेत्र	31.0
केन्द्रीय विद्युत पारेषण	250.7
ट्राम्बे-IV	135.4
चन्द्रपुर तापीय	300.0
महाराष्ट्र विद्युत	400.0
निजी विद्युत उपयोगिताएं	98.0
पश्चिमी गैस	295.0
म्हावा शेवा पत्तन	250.0
राज्य सड़क	170.0
	80.0

बंबई जल आपूर्ति तथा मल निकासी-III	40.0
	145.0
बम्बई शहरी	138.0
बम्बई/मद्रास जनसंख्या	57.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
निजी विद्युत उपयोगिताएं-II (बी एस ई एस)	200.0
गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन	450.0
पेट्रोकेमिकल्स	12.0
	233.0
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
	31.6
महाराष्ट्र ग्रामीण जल-आपूर्ति तथा सफाई	109.9
तकनीकी शिक्षा-II	307.1
महाराष्ट्र वानिकी	124.0
मध्य प्रदेश	
मध्य प्रदेश मुख्य	220.0
नर्मदा गुजरात बांध	200.0
	100.0
जलविभाजक विकास-वर्षापोषित क्षेत्र	31·0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1
कोरबा-II	400.0
केन्द्रीय विद्युत पारेषण	250.7
इन्द्रा सरोवर पनबिजली	17.425
	17.496
	18.316
बुधिचुआ कोयला	151.0
कोयला खनन तथा गुणवत्ता सुधार	340.0

मध्य प्रदेश उर्वरक	203.6
मध्य प्रदेश शहरी	24.1
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
	113.3
तकनीकी शिक्षा-I	25.0
	235.0
बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
उड़ीसा	
	130.0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1
जलविभाजक विकास (मैदानी)	7.0
	55.0
तलचर तापीय	375.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
	130.0
आई सी डी एस-I (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश)	10.0
	96.0
झींगा तथा मत्स्य पालन	05.0
पंजाब	
पंजाब सिंचाई-II	15.0
	150.0
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	85.0
जलविभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0
	75.0
उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0
पेट्रोलियम परिवहन	340.0

राष्ट्रीय राजमार्ग		200.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण		30.0
		250.0
जनसंख्या प्रशिक्षण (VII)		10.0
		86.7
तकनीकी शिक्षा-II		307.1
	राजस्थान	
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I		39.1
राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी		165.0
जलविभाजक विकास (मैदानी)		7.0
		55.0
रिहन्द विद्युत पारेषण		250.0
कंबाइड साइकिल पावर		485.0
उत्तरी क्षेत्र पारेषण		485.0
आयल इण्डिया पेट्रोलियम		140.0
पेट्रोलियम परिवहन		340.0
राज्य सड़क		170.0
		80.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण		30.0
		250.0
तकनीशियन शिक्षा-I		25.0
		235.0
बांध सुरक्षा मूल्यांकन तथा पुनर्वास		23.0
		130.0
	हिमाचल प्रदेश	
	असम	
तकनीकी शिक्षा-II		307.1

तमिलनाडु	
पैरियार वगई	17.5
	17.5
राष्ट्रीय जल प्रबंध	114.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
	147.0
राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
तमिलनाडु जल-आपूर्ति और मल निकासी	36.5
	36.5
मद्रास जल-आपूर्ति और सफाई	53.0
	16.0
तमिलनाडु शहरी	200.2
बम्बई/मद्रास जनसंख्या	57.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
तमिलनाडु	95.9
बांध सुरक्षा, मूल्यांकन तथा पुनर्वास	23.0
	130.0
तमिलनाडु कृषि विकास	20.0
	92.8
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
	31.6
तकनीशियन शिक्षा-II	307.1
उत्तर प्रदेश	
ऊपरी गंगा	125.0
हिमालय जलविभाजक	46.2
राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	39.1
—तदेव— -II	6909.0
—तदेव— -III	85.0
राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	165.0

केन्द्रीय विद्युत पारेषण	250.7
रिहन्द विद्युत पारेषण	250.0
कंबाइन्ड साइकिल पावर	485.0
राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	485.0
उत्तर प्रदेश विद्युत	350.0
दुधिचुआ कोयला	151.0
राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
राज्य सड़क	170.0
	80.0
सहकारी उर्वरक	152.0
उत्तर प्रदेश शहरी	20.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0
परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
	113.3
तकनीकी शिक्षा-I	25.0
	235.0
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.0
	31.6
पश्चिमी बंगाल	
पश्चिमी बंगाल लघु	99.0
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	30.0
	147.0
फरक्का-II	300.8
कोयला खनन तथा गुणवत्ता सुधार	340.0
राष्ट्रीय राजमार्ग	200.0
कलकत्ता शहरी-III	147.0
पश्चिमी बंगाल जनसंख्या-IV	51.0
व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
	250.0

तकनीकी शिक्षा-II	307.1
झींगा तथा मत्स्य पालन	85.0

[हिन्दी]

मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर स्वापक औषधों की तस्करी

3801. श्रीमती भावना चिखलिया

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों को मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर जनवरी, 1992 से अब तक स्वापक औषधों और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जब्त किये गये पदार्थों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने जनवरी, 1992 से अब तक बम्बई हवाई अड्डे पर इस तरह की तस्करी की केवल एक ही घटना का पता लगाया है। इस मामले में, बताया जाता है कि मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थों के रूप में 1500 "रिटालिन" टेबलेटस पकड़ी गईं। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा इसी अवधि के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर इस तरह की तस्करी की किसी घटना का पता लगाये जाने की सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

चाय बागानों की स्थिति में सुधार

3803. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय बागानों की हालत सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) इन बागानों की हालत में सुधार करने के लिए भारतीय चाय व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) इनके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) चाय बागानों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) देश में बागानों की दशा मुलभिलाकर सन्तोषजनक है। भारत में प्रति हेक्टेअर चाय की औसत पैदावार 1652 किग्रा होती है जबकि श्री लंका में यह 936 किग्रा., इण्डोनेशिया में 1081 किग्रा. और बांगला देश में 824 किग्रा. है।

(क) से (घ) दी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (टी. टी. सी. आई.) देश में पांच बागानों का प्रबन्ध कर रहा है। टी टी सी आई ने पुनर्स्थापना के लिए हाल ही में एक विस्तृत योजना बनाई है।

सरकार क्षेत्र में चाय बागानों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार करने के वास्ते चाय बोर्ड के जरिए अनेक विकास योजनाएं चला रही है। रुग्ण चाय एकक तथा कम उत्पादकता वाले एकक चाय बोर्ड से विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

3804. श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या जलभूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है,

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है,

(ग) बचे हुए प्रस्तावों को स्वीकृति न देने के क्या कारण है,

(घ) क्या किन्हीं स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी की जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)। (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में केरल राज्य से प्राप्त 67 प्रस्तावों को वार्षिक योजनाओं में शामिल किया गया था। इनमें से 174.14 करोड़ रु. की 49 स्कीमों को अनुमोदित किया गया था, 12 प्रस्तावों में कमियां होने के कारण राज्य सरकार को लौटा दिया गया था और 6 परियोजनाएं कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भूमि अधिग्रहण और ठेके संबंधी समस्याओं या अन्य स्थल संबंधी कठिनाइयों के कारण कुछ संस्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कुशलता

3805. श्री सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री राम नारायण बैरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की कार्य कुशलता में कमी आई है और यहां भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण के बाद से ही बैंकिंग उद्योग में विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ एक संरचनात्मक बदलाव आया है। हालांकि बचतों को अधिक से अधिक मात्रा को जुटाने और अब तक उपेक्षित क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों में ऋण के संवितरण के पुनर्विन्यास में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि प्रणालीमें कुछ कमजोरियां भी आ गई हैं।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन को निरंतर निगरानी करते हैं। बैंकों में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अपने आंतरिक तंत्र को सुगठित करने के साथ-साथ अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने समय समय पर बैंकों से कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल कर्मचारियों की अनियमितताओं को गम्भीरता से लिया जाए और उन्हें उचित दण्ड दिया जाए। बैंकों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता कक्षों की भी स्थापना की है। जहां आवश्यकता पड़ती है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर चांदी पकड़ा जाना

3806. श्री देवी बहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा, विशेषकर, कितनी मात्रा में चांदी पकड़ी गई ;

(ख) पकड़ी गई चांदी का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है ; और

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जनवरी, 1992 से अब तक पकड़ी गयी चांदी की तारीख-वार मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े जाने की तारीख	मात्रा (कि. ग्रा. में)	मूल्य हजार रुपयों में)
1	2	3
3. 1. 92	0.600	4.2

1	2	3
19. 1.92	0.995	9.2
21. 1.92	1.000	5.0
4. 2.92	1.500	12.0
6. 2.92	2.380	19.0
13. 3.92	1527.403	1,14,55.5
15. 3.92	10.000	75.0
दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े जाने की तारीख		
20.2.92	10.200	80.3

(ग) इन अभिग्रहणों के संबंध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऋण की अदायगी

3807. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बकाया केन्द्रीय ऋण की अदायगी हेतु समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, हां । उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1992 में अनुरोध किया था कि फरवरी तथा मार्च, 1992 में भारत सरकार को देय कुल 641.93 करोड़ रुपए के ऋण तथा ब्याज की अदायगी को 25 मार्च, 1992 तक आस्थगित कर दिया जाए ।

(ख) भारत सरकार ने पुनः क्रमावस्था को स्वीकार किया है जो नीचे दिए गए अनुसार है :—

(i) फरवरी, 1992 में भुगतान योग्य कुल 182.86 करोड़ रुपए के ऋण तथा ब्याज की देनदारी का 25.3.1992 को भुगतान करने की इजाजत दे दी गई थी ।

(ii) 1.3.1992 को देय 295.66 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण तथा ब्याज की कुल देनदारी में से 138.42 करोड़ रुपए का भुगतान 25.3.1992 को कर देने की इजाजत दे दी थी ।

(iii) शेष 320.65 करोड़ रुपए की राशि अर्थात फरवरी में देय 0.84 करोड़ रुपए तथा

मार्च, 1992 में देय 319.84 करोड़ रुपए के लिए राज्य सरकार को कहा गया था कि उनका भुगतान नियत तारीखों को कर दें।

[अनुवाद]

परिसमाप्त कम्पनियां

3808. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी कम्पनियां बन्द हो गईं ;

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियों ने अपने शेयर हस्तान्तरित कर दिए हैं ; और

(ग) कम्पनी अधिनियम के खंड-III के अन्तर्गत अपील के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों में बीमा कार्य हानि

3809. श्री राम निहोर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियां पिछले तीन वर्षों से बीमा कार्य में हानि दिखा रही हैं ;

(ख) यदि हां ; तो तत्संबंधी वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण है ; और

(घ) ऐसी हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों द्वारा उठाया गया बीमा कार्य घाटा निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

कम्पनी का नाम	1988-89 (15 महीने)	1989-90	1990-91
नेशनल	(—) 20.27	(—)40.06	(—)8.82

न्यू इंडिया	(—) 30.05	(—)298.29	(—)54.15
ओरिएन्टल	(—) 20.78	(—)29.51	(—)5.33
यूनाटिड इंडिया	(—) 35.74	(—)22.63	(—)27.42

इन सभी वर्षों में, चार सहायक कम्पनियों ने बीमा कार्य घाटे के होते हुए भी समग्र लाभ अर्जित किया है।

(ग) कई वर्षों से, सड़क पर ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो जाने और न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के कारण भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों को दावों के निपटान की दिशा में बढ़ी हुई मात्रा का भुगतान और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा था, जिसके परिणाम-स्वरूप मोटर बीमा कारोबार में प्रतिकूल लोस रेशियो अनुभव हुआ।

(घ) साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियां यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति को लगातार समीक्षा करती हैं कि बीमाकार्य घाटे को अधिक न्यूनतम स्तर तक लाया जा सके। पिछले वित्त वर्ष में ; सहायक कम्पनियों में से एक कम्पनी नेशनल ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने बीमाकार्य लाभ दर्शाया है। सभी चार कम्पनियों ने अपने क्षेत्रीय संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि विशेष तौर मोटर पोर्टफोलियों के क्षेत्र में सतर्कता बरती जाए।

मरीन इन्जीनियरिंग कालेज

3810. डा. असीम बाला :

क्या जल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मशीन इंजीनियरिंग कालेज के विकास के सम्बन्ध में शंकरलाल समिति और राजधर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में कोई और मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कालेज शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ममतेश शर्मा): (क) शंकरलाल समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय नौवहन उद्योग के लिए एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा 1987 में राजधर समिति नियुक्त की गई थी और इसने मैरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण के विकास के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

3811. श्री बनमालीत पांडेय :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री ओमकांत ठेंगा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वस्तुओं के निर्यात में वर्ष 1988, 1989, 1990 और 1991 के दौरान हुई उतार-चढ़ाव वृद्धि/कमी की प्रतिशतता किस प्रकार है;

(ख) इन वर्षों में किन वस्तुओं के निर्यात से अधिक आय हुई तथा किससे कम आय हुई;

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में कमी आने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सदी के अन्तिम दशक में कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक की अवधि में कृषि वस्तुओं के निर्यात तथा पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में हुई वृद्धि का वर्ष वार ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु.)	पिछले वर्ष के निर्यात की वृद्धि का प्रतिशत
1987-88	1801.61	—
1988-89	1921.47	(+) 6.65%
1989-90	2578.71	(+) 34.21%
1990-91	2768.39	(+) 7.36%

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

(ख) और (ग) सभी प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात में, चीनी, गेहूं और मसालों को छोड़कर लगातार वृद्धि हुई है और उनको अर्जित मुद्रा में भी वृद्धि हुई है। चीनी और गेहूं का निर्यात मुख्य रूप से ऐसी बेशी मात्रा पर निर्भर करता है जो घरेलू मांग पूरी करने के बाद बचती हो। मसालों का निर्यात मात्रा की दृष्टि से 1987-88 से लगातार बढ़ता रहा है और इसमें केवल 1990-91 में सामूली गिरावट आई थी। मसालों के निर्यात को प्रभावित करने वाली मुख्य कठिनाइयां इस प्रकार हैं : (क) घरेलू उपभोग में वृद्धि, (ख) देश में ही अधिक लाभकारी कीमत मिल जाना, (ग) भारत में उत्पादकता का स्तर कम होना और फलस्वरूप उत्पादन लागत अधिक होना तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट।

(घ) सरकार ने ऐसी व्यापार नीति की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है निर्यात प्रोत्साहन

बढ़ाना, आयात लाइसेंस प्रणाली को बहुत कम करना तथा आयात को इष्टतम सीमा तक घटाना। निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिष्ठित निर्यातकों को यह अनुमति दी जाए कि वे अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलें और विदेशों से ऋण प्राप्त करें, ऐसे खातों से निर्यात से संबंधित आयात के लिए भुगतान करें और निर्यात से अर्जित आय खातों में जमा करें। इसके अलावा सरकार ने अन्य उपाय भी किए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं। लाईसेंसों के कारण होने वाले नियंत्रण कम करना, निर्यात के लिए क्रियाविधियां सरल करना, बोर्ड आफ ट्रेड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ लगातार सम्पर्क और बातचीत आदि।

गुणवत्ता आश्वासन संगठन महानिदेशालय को बंद करना

3812. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या रक्षा मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पाद विभाग के अन्तर्गत गुणवत्ता आश्वासन संगठन महानिदेशालय को बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं गुणवत्ता आश्वासन संगठन महानिदेशालय में श्रेणी "ग" और "घ" के कर्मचारियों के संवर्ग-समीक्षा को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग द्वारा गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों के संबंध में संवर्ग पुनरीक्षा का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसे वित्त मन्त्रालय ने स्वीकार नहीं माना है।

[हिन्दी]

सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता

3813. श्री यशवंत राव पाटिल।

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सरकारी कताई मिलों ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) इन मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाएं कताई मिलों को ऋण उपलब्ध नहीं कराती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) को वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से सहकारी कताई मिलों से 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन 19 प्रस्तावों में से एन सी डी सी ने वर्ष 1991-92 के दौरान 14 एककों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अथवा स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की है। इनमें 4671.06 लाख रुपए की राशि निहित है। एन सी डी सी ने कर्नाटक के 2 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पर्याप्त कपास उपलब्ध नहीं थी तथा महाराष्ट्र के इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि सदस्यों के साथ सहकारी सम्बन्ध स्थापित नहीं थे। महाराष्ट्र के दो और प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संरचनात्मक समायोजन ऋण पर श्वेत पत्र

3514. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन ऋण लेने के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संरचनात्मक समायोजन ऋण पर विकास नीति विषयक पत्र को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रख दिया गया है। संरचनात्मक समायोजन ऋण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों को माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद पुस्तकालय में रख दिया गया है।

[हिन्दी]

रबड़ और चाय का उत्पादन

3815. श्री चन्दू भाई देशमुख :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान रबड़ और चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस दिशा में कहां तक सफलता मिली ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम) : (क) रबड़ तथा चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं ।

(1) रबड़ तथा चाय के तहत भूमि क्षेत्र बढ़ाना ।

(2) पुरानी तथा अलाभकर जोतों में चरणबद्ध रूप से पुनर्रोपण करना;

(3) मौजूदा बागानों से अपेक्षतया अधिक उत्पादन लेना ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 3,65,000 मी. टन तक होने की आशा है जबकि वर्ष 1990-91 में यह उत्पादन 3,29,615 मी. टन हुआ था । इसी प्रकार वर्ष 1991 में चाय का उत्पादन 741.72 मिलियन किलोग्राम तक पहुंचने की आशा है जबकि वर्ष 1990 के दौरान यह उत्पादन 714.67 मिलियन किलोग्राम रहा था ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में राज्य सड़कों/पुलों का निर्माण

3816 कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन राज्य सड़कों/पुलों का ब्यौरा क्या है, जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से मरम्मत की गई/निर्माण किया गया, और

(ख) इन सड़कों और पुलों के निर्माण और रख-रखाव पर कितना खर्च हुआ है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में आर्थिक या अन्तर्राज्यीय सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी नए कार्य को मंजूरी नहीं दी गई है । तथापि, इन पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुमोदित कार्यों पर 171.06 लाख रु. खर्च किए गए :—

1. टौंडला लिमिटेड रोड का निर्माण ।

2. अरांगे मावापाड़ा आंटिका पर जाक नदी पुलों का निर्माण ।

3. अहिराऊ नदी पर पुल सहित बांकी डारी से सड़क का निर्माण, 11.50 कि. मी. ।

4. उमरी कंवर चौरेला सड़क लंबाई 13.60 कि.मी. ।

5. उदोतगढ़ कैंजारा सड़क लंबाई 5.20 कि· मी. ।

6. मछन्द ऊंचा माधागढ़ सड़क लंबाई 7.00 कि. मी.

7. बेरोड मगरोल पार्वती एडकोडेट से तिकोरिया लंबाई 3.26 कि. मी ।

8. पासी पैरिघाट खिमलासा कछिया सड़क लंबाई 38.5 कि. मी. 43 पुलियां 7 एम. बी.।

9. गोंडिया बालाघाट उकवा बिरसा रोड़ पर सड़क को चौड़ा करना, मजबूत बनाना और पुन: निर्माण करना ।

[हिन्दी]

बैंकों में हिन्दी के प्रचार के लिए खर्च की गई धनराशि

3817. श्री मुमताज अन्सारी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी के प्रचार के लिए भारी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के अन्त तक इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस कार्य के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक राजभाषा (हिन्दी) नीति के कार्यान्वयन के लिए पृथक आवंटन नहीं करते हैं । इस मद से संबंधित व्यय की स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत शामिल किया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

1984 के दंगों से प्रभावित लोगों के बैंक ऋण माफ करना

3818. श्री बारे लाल जाटव ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों के बैंक ऋण माफ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 1984 के दंगों से प्रभावित उधारकर्ताओं के बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नानुसार परामर्श दिया है :

(i) बैंकों को नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित सभी उधारकर्ताओं को मंजूर की गई ऋण सुविधाओं की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करते समय उनकी वापसी अदायगी की क्षमता, उनके खातों के परिचालन, उपलब्ध प्रतिभूतियों का स्वरूप एवं किस्म, प्रतिभूतियों की वर्तमान स्थिति, उनके स्वामित्व वाली अन्य परिसम्पत्तियों यदि कोई हों, और अन्य सभी सबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) समीक्षा के आधार पर, बैंकों को प्रत्येक ऋणकर्ता के मामले का गुण-दोषों के आधार पर निर्णय करना चाहिए और ऐसी राहत प्रदान करनी चाहिए जिसे युक्तिसंगत समझा जाए। इन राहतों में देय-राशियों की वापसी अदायगी के समय को आगे बढ़ाना, समझौता व्यवस्था करना और उन मामलों में, जिनमें देय राशियों की वसूली के युक्तिसंगत अवसर न हों, संबंधित उधारकर्ताओं की देयराशियों को बट्टे खाते डालना शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए पात्र ऋणों पर 31 दिसम्बर, 1989 तक 6% वार्षिक ब्याज वसूल करके पात्र मामलों में राहत मंजूर करने के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने '1984 के दंगों से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना' के संबंध में सितम्बर 1990 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश परिचालित किए हैं।

रक्षा प्रयोगशालाओं और उद्योगों के वैज्ञानिकों को सहायता

3820. श्री गोविन्दराव विकाम :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उद्योगों को रक्षा प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों की सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) नई दिल्ली में 21 नवम्बर, 1991 को 5वीं उच्च प्रौद्योगिकी कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे उद्योग नई प्रौद्योगिकी को लागू करने तथा अपने उत्पादन की गुणता में वृद्धि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, मार्ग दर्शक के रूप में रक्षा प्रयोगशालाओं का सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जैसाकि फ्रांसीसी और अमरीकी उद्योगों ने किया है। इस कार्रवाई से इन देशों में सैन्य क्षेत्र के लिए विकसित प्रौद्योगिकी को सिविल क्षेत्र के उद्योगों में अन्तरित करने में सहायता मिली है।

(ख) सिविल उद्योग न केवल रक्षा मदों के बल्कि सिविल मदों के उत्पादन के लिए भी

इच्छा प्रयोगशालाओं में उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, इसकी उपलब्धता सम्बन्धित प्रयोगशाला विशेष के वर्तमान कार्यभार पर निर्भर करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-जर्मन सलाहकार ग्रुप

3821. श्री ओबल्लम पाणिग्राही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहायता संबंधी फार्मुला तैयार करने के लिए किसी भारत-जर्मन सलाहकार ग्रुप की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋण पत्रों का भुगतान न किया जाना

3822. श्री विजय नवल पाटील :

श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ के निर्यातकों को ऋण-पत्रों का भुगतान न किए जाने के कारण मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऋण-पत्रों का भुगतान करने के लिए निर्यातकों तर्कों को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार का निर्यातकों की मुश्किल को दूर करने और उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सोवियत संघ के टूट जाने के फलस्वरूप, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिए यह बहुत कठिन हो गया कि भारत में सोवियत संघ के बैंक फारेन इक्नामिक अफेयर्स के खातों के संचालन को आस्थगित रख सके। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को भुगतान का प्रतिपूर्ति 27-12-1991 को रोक गई। इसके फलस्वरूप रूस को निर्यात के मामले में कुछ अनिश्चय का वातावरण हुआ। इसके बाद भारतीय निर्यातकों ने

वा व्यापारी सौदे पहले ही तय कर रखे थे उनमें सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए। विजर्व बैंक इस बात पर तैयार हो गया कि भारत में जो प्राधिकृत डीलर सोवियत संघ के बैंक फार फारेन इकनामिक अफेयर्स के खाते रखते हैं उनसे प्रतिपूर्ति के दावों को निपटा लिया जाए। यह निपटान ऐसे माल के लिए होगा (1) जिसे 31 दिसम्बर, 1991 तक भेज दिया गया हो और यह माल बैंकों द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ में पहले भी खोले गए उन साख पत्रों के आधार पर भेजा गया हो सूचना भारतीय निर्यातकों को 31 दिसम्बर, 1991 तक मिल चुकी हो तथा (3) परियोजना निर्यातकों को 31 दिसम्बर, 1991 तक तथा नियोजकों द्वारा भुगतान के लिए विधिवत प्रमाणित।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन

3823. श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित ढांचे की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पुनर्गठन से सरकार को क्या लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आसियन शिखर सम्मेलन

3824. श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1992 के अन्तिम सप्ताह में सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियन) का शिखर सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के विषय को भी लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिखर सम्मेलन में आसियान देश एक सांझा प्रभावी अधिमानी टैरिफ स्कीम का एक प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करके एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिये। 1 जनवरी 1993 से पन्द्रह वर्ष की अवधि तय हुई है और अन्ततः प्रभावी टैरिफ की दर 0.5 प्रतिशत से शुरू होगी।

(घ) सरकार इस प्रगति पर नजर रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात

3825. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों और उनकी गुणवत्ता का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चावल, गेहूं तथा ज्वार, बाजरा, रागी आदि जैसे अन्य अनाजों को भारत से निर्यात किया गया था। एक विवरण पत्र संलग्न जिसमें 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान देशवार निर्यात की गई मात्रा और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा दर्शाई गई है।

विवरण

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान देशवार निर्यात किए गए चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों की मात्रा और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि नीचे दी गई है :

(मूल्य लाख रुपए में)

			1989-90		1990-91	
वस्तु	देश	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
चावल		टन	421737	42652.06	505029	46157.23
	आस्ट्रेलिया		565	81.64	640	96.96
	आस्ट्रिया		41	7.49	200	38.81

1	2	3	4	5	6	7
	बहमास		35	4.85	—	—
	बहरीन द्वीप समूह		11618	1324.27	8847	1152.48
	बंगला देश		22	0.80		
	बेल्जियम		472	76.48	1263	201.93
	भूटान		—	—	277	11.32
	ब्राजील		—	—	20	4.68
	बुलगारिया		—	0.04	—	0,04
	बुरुन्डी		—	—	—	0.01
	कनाडा		3419	549.58	3556	544.80
	केफरी गणराज्य		76	9.28	3	0.52
	चाइनीज ताइपेइ		20	3.20	20	3.51
	चेकोस्लोवाकिया		5857	338.30	1160	131.40
	डेनमार्क		41	6.66	485	77.56
	फ्रांस		918	118.14	1928	243.15
	जर्मन संघीय गणराज्य		5021	419.55	2109	306.00
	ग्रीस		83	9.77	42	4.80
	हांग कांग		98	16.00	187	31.14
	इस्राइल		53	9.91	27	4.96
	इटली		53	7.86	210	31.09
	जापान		5	0.97	12	2.39
	कम्पूचिया लोकतंत्र गणराज्य		5000	195.80	—	—
	कुवैत		31096	3816.92	11528	1307.97
	लेबनान		—	—	20	4.21
	लिबेरिया		2	00.32	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	मलावी		9	1.53	3	0.50
	तुर्की		143	20.17	72	8.27
	उगन्डा		—	—	—	—
	अरब अमिरात		24842	3010 02	10827	2564.69
	यू. के.		18711	2053.54	28426	3340.71
	यू. एस. ए.		11806	1812.37	11745	1985.75
	यू. एस. एस. आर.		124100	9981.32	266895	16875.11
	वियतनाम समाज गणराज्य		20	3.43	—	—
	यमन गणराज्य		400	44.55	258	31 38
	जाहरे गणराज्य		400	5.04	—	—
	जिम्बाबे		12	1.86	—	—
गेहूँ		टन	11766	214.11	1391.70	3113.47
	अफगानिस्तान				1300	98 80
	बंगला देश				2971	207.87
	भूटान				479	14 14
	हांग कांग		—	—	—	—
	ईरान				89640	1671.52
	कोरिया लोक गणराज्य		2315704	552.95	10868264	510.17
	मिश्र गणराज्य				20000	3.40
	फ्रांस		11766	214.03	—	—
अन्य अनाज						
	बहरीन द्वीप		2	0.85	1	0.04
	बंगला देश				94	5.61
	बेल्जियम		17	0.62	83	5.61

1	2	3	4	5	6	7
	कनाडा		—	—	—	—
	चाइनीज ताइपेई				450	14.96
	डीबी वाउटो		18	0.75	—	—
	इस्राइल		—	—	18	0.69
	इटली		—	—	—	—
	जापान		1	0.07	—	—
	केन्या		174	8.24	50	1.91
	कुवैत		305	11.45	243	6.78
	नीदरलैंड		3	0.67	—	—
	मारीशियस				1	0.08
	ओमन		4	0.18	10	0.40
	कतर		16	0.51	—	—
	सऊदी अरब		3969	129.25	3927	154.65
	सिंगापुर		23	0.84	—	—
	स्पेन		17	0.61	18	0.69
	संयुक्त अरब अमिरात		1149	32.90	1098	35.99
	यू. के.		235	9.48	305	13.12
	यू. एस. ए.		21	0.67	32	1.36
	यमन अलराज्य				979	37.05
	मलेशिया		475	56.17	89	11.68
	माली		—	—	2	0.22
	मारिशस		10	1.11	10	1.11
	मोजाम्बिक		—	—	21	2.42
	नीदरलैंड		2402	334.27	1170	138.72
	नार्वे		286	37.39	100	26.10

1	2	3	4	5	6	7
	मलावी	30	4.79	163	22.70
	ओमान	16500	1634.46	14041	1500.62
	पुर्तगाल	—	—	3	0.57
	कतर	1129	146.65	2404	288.83
	रियूनियन	82	11.50	212	37.58
	सऊदी अरब	154088	16330.13	125549	14838.50
	सेनेगल	—	—	—	—
	सिक्कम	61	7.78	480	68.17
	सियालियोन	—	—	20	2.94
	सिंगापुर	412	58.44	676	105.15
	सोमालिया				
	स्पेन	46	7.98	42	6.38
	श्रीलंका	82	7.40	124	13.56
	सुडान			620	38.04
	स्वीडन	177	27.29	106	19.16
	स्वीट्जरलैंड	379	48.77	119	23.38
	तनजानिया गणराज्य	29	2.60	1	0.10
	थाइलैंड	29	3.70	—	—

[अनुवाद]

3826. श्री के. सुरली राजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काफी उत्पादकों को दिए जाने वाले ऋण की राशि और वार्षिक सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) कॉफी बोर्ड ने 8 वीं योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में अपने ऋण तथा उपदान योजनाओं के अन्तर्गत वित्त की वर्तमान मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। कॉफी बोर्ड की 8वीं योजना के योजनावार ब्यौरों को अंतरिम रूप दिया जाना है और किसी प्रकार की वृद्धि करने का निर्णय उसी समय लिया जाएगा।

अवैध हिरोइन प्रयोगशालाएं

3827. श्री विजयकृष्ण हान्डिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अफीम उगाई जाने वाली पट्टी में अवैध हिरोइन प्रयोगशालाओं के स्टोरो को चोरी-छिपे चलाया जा रहा है;

(ख) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास इस व्यापार को रोकने हेतु पर्याप्त कर्मचारी हैं; और

(ग) अवैध अफीम के उत्पादन पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश म विभिन्न प्रवर्तन एजेंसिया द्वारा हेरोइन के उत्पादन में व्यस्त 19 काम चलाऊ प्रयोगशालाओं का पता चला है तथा उन्हें नष्ट किया गया है।

(ख) नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न प्रवर्तन एजेंसिया जिम्मेवार है। स्वापक औषध एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई थी। उसका एक मुख्य कार्य विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा स्वापक दुष्प्रभाव नियन्त्रण के मामलों में की गई कार्रवाई का समन्वित करना है। इसके पास देश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में जिनमें उत्तर प्रदेश में वाराणसी शामिल है, प्रभावशाली बल के छोटे दस्ते है।

(ग) अफीम की डोडा की अवैध खेती की पहचान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है। जब कभी भी अवैध खेती का पता चलता है उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाता है। अफीम की वध खेती के ऊपर सतर्कता रखी जाती है ताकि उसके अवैध अपवर्तन को रोका जा सके।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

3828. श्री पीटर जी. मरबनियांग :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघालय-बंगलादेश सीमा

के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र की चार सड़कों का निर्माण कार्य जिन्हें राज्य सरकार ने सीमा सड़क संगठन को सौंपा था, पूरा हो गया है;

(ख) प्रत्येक सड़क हेतु मद-वार मूल रूप से कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ग) प्रत्येक सड़क के मामले में अभी तक वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) राज्य लोक निर्माण विभाग और कार्यकारी एजेंसी के बीच सड़कों को सौंपने के सम्बंध में तय हुई शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) लीनघाट से दावकी तक की सड़क का निर्माण-कार्य हर प्रकार से पूरा हो चुका है। अन्य तीन सड़कों का निर्माण-कार्य अभी पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग) मूल स्वीकृति 20 करोड़ रुपये की समेकित राशि के लिए थी। जनवरी, 1992 तक इस सम्बन्ध में लगभग 21.5 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(घ) मेघालय सरकार ने इन चार सड़कों के निर्माण, सुधार और रख-रखाव का कार्य निम्नलिखित शर्तों पर सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपा था।

(1) सड़कों के सुधार/निर्माण में पुलों और छोटी पुलियों का निर्माण-कार्य भी शामिल होगा।

(2) निर्माण अवधि के दौरान सड़कों का रख-रखाव व्यय सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) सीमा सड़क संगठन अधिक से अधिक स्थानीय नैमित्तक मजदूरों को नियुक्त करेगा।

(4) अन्य शर्तों के समान होते हुए, निर्माण कार्यों के लिए ठेके देते समय स्थानीय ठेकेदारों को तरजीह दी जाएगी।

(5) सीमा सड़क संगठन सम्पर्क कार्य के लिए मेघालय सरकार के एक कार्यकारी इंजीनियर को नियुक्त करेगा।

नौसेना युद्ध-सामग्री डिपो

3829. श्री रमेश चेन्निथला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना युद्ध-सामग्री डिपो, कोचीन का विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

3830. कुमारी उमा भारती :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को 569 केन्द्र आबंटित किए गए थे। इनमें से, बैंकों ने 349 शाखाएं खोल दी हैं और 220 लाइसेंस लंबित हैं। चूंकि आबंटित केन्द्रों में शाखाएं न खोलने के परिणामस्वरूप बैंकिंग सुविधाओं में स्थानिक दूरियां यथावत बनी रहेंगी, इसलिए लंबित लाइसेंसों की वैधता अवधि 31.3.1992 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लंबित लाइसेंसों के उपयोग की प्रगति को निगरानी करने के लिए गुवाहाटी स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्य बल का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रों के अधिस्थापन के अनुरोधों पर केवल उन केन्द्रों के लिए विचार किया जा रहा है जहां राज्य सरकार निकट भविष्य में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर राज्यों में शाखाएं खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों में 26 केन्द्र आबंटित किए हैं। अर्ध-शहरी केन्द्रों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से 1990-91 से 1992-93 की अवधि के दौरान शाखाएं खोलने के लिए अपने समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था। प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनपर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण शाखाओं के लिए अनुरोध राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने के वास्ते जिले के अग्रणी बैंक को दिए जाने होते हैं।

30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शाखा नेट-वर्क की स्थिति प्रत्येक राज्य में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या सहित नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	शाखाओं की संख्या	प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या हजार में
1	2	3
असम	1208	16
अरुणाचल प्रदेश	67	9
मणिपुर	85	16

1	2	3
मेघालय	156	8
मिजोरम	72	6
नागालैंड	70	11
त्रिपुरा	176	11

[अनुवाद]

कानूनी सहायता योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी समिति

3831. श्रीमती विमल कुमारी भंडारी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी सहायता योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1980 में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या है;

(ग) क्या इस समिति के सदस्यों के नामांकन/निर्वाचन हेतु कोई मानदण्ड रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समिति को देश में एक समान आधार पर योजनाओं को लागू करने; आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष बल सहित का कार्य सौंपा गया था,

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी, हां। समिति से अपेक्षा है कि वह व्यापक विधि सहायता स्कीमें तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सहायता और सलाह के लिए स्कीमों को मानीटर करे और विधिक सहायता स्कीमों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय आरंभ करे।

(ग) और (घ) सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए कोई मानदंड विहित नहीं किया गया है, किन्तु समिति का गठन सरकार द्वारा साधारणतया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर किया जाता है। समिति में इस समय प्रमुख संरक्षक के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, जिन्हें पूर्ण सलाहकार की हैसियत प्राप्त है, और इसके कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भारत के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं। अन्य सदस्यों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और वित्त

मन्त्रालय और विधि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के सचिव जिनमें सदस्य सचिव के रूप में विधि कार्य विभाग के विशेष सचिव हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। सभी राज्यों में विधिक सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित किए गए हैं और उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर पर और कुछ राज्यों में तालुक स्तर पर राज्य बोर्डों द्वारा विधिक सहायता के लिए समितियों का गठन, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों को उनकी पारम्परिक जनजातीय रूढ़ियों और विधि के कारण छोड़कर किया गया है। तथापि, इन राज्यों में उनकी संबंधित राज्य सरकारों के विधि और न्यायिक विभागों द्वारा विधिक सहायता कार्यक्रमों को मानीटर किया जाता है।

दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में विधिक सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित विधिक सहायता और सलाह बोर्डों के अनेक विधिक सहायता कार्यक्रम हैं। इसके अन्तर्गत पराविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करना, विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना, जनता को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक करने के लिए सामाजिक विधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करना और लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करना भी हैं। गरीबों के प्रति शोषण और अन्याय या उनको अधिकार न दिए जाने की पहचान करने और उनका पता लगाने तथा इस बात के लिए शिक्षित करने के लिए कि वे शोषण और अन्याय का किस प्रकार मुकाबला करें, सामाजिक कार्य ग्रुपों की सहायता करने के लिए ग्रामीण/शहरी हकदारी केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

समिति की स्थापना से अब तक 14,74,963 व्यक्तियों को विधिक सहायता और सलाह दी जा चुकी है। इनमें से अनुसूचित जाति समुदाय के 2, 55, 376, अनुसूचित जनजाति समुदाय के 1, 56, 619, पिछड़े वर्गों के 61, 454, 1, 40, 155 महिलाएं और 6, 456 बच्चे हैं। संसद के पटल पर रखे विवरण में राज्यवार विधिक सहायता के माध्यम से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है।

विवरण

न्यायालयों में जिन व्यक्तियों को विधिक सहायता और सलाह दी गई, उनकी संख्या (31.12.1991 को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	साधारण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिला	बालक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4,867	2,715	1,307	3,114	2,452	164	14,619
2.	अरुणाचल प्रदेश	381	64	25	37	1	—	508
3.	असम	995	4	—	4	2	—	1,005
4.	बिहार	1,809	—	—	—	—	—	1,809
5.	गोवा	29	1	—	204	79	—	313
6.	गुजरात	6,939	2,678	1,532	—	2,496	128	13,773
7.	हरियाणा	2,616	146	4	100	441	19	3,326
8.	हिमाचल प्रदेश	166	230	9	32	147	1	585

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू-कश्मीर	4,167	300	28	147	1,798	128	6,568
10.	कर्नाटक	17,569	5,015	1,541	19,694	6,385	50	50,254
11.	केरल	444	—	—	—	2	—	446
12.	मध्य प्रदेश	1,49,947	1,08,689	1,11,949	—	—	—	3,70,585
13.	महाराष्ट्र	35,148	7,557	4,324	—	7,749	428	55,206
14.	मणिपुर	40	—	10	—	42	12	104
15.	मेघालय	80	—	—	—	—	—	80
16.	मिजोरम	—	16	662	11	26	—	715
17.	नागालैंड	—	—	2	—	—	—	2
18.	उड़ीसा	31,385	16,800	14,889	—	14,931	2	78,268
19.	पंजाब	1,552	1,948	247	1,235	499	24	5,505
20.	राजस्थान	4,781	4,008	7,121	445	2,925	79	19,359
21.	सिक्किम	104	7	16	—	23	—	150
22.	तमिलनाडु	4,07,613	67,555	7,852	—	82,188	1,102	5,66,310
23.	त्रिपुरा	1,650	—	—	—	—	—	1,650

24.	उत्तर प्रदेश	91,549	28,899	4425	33,774		8,875	2,947	1,70,469
25.	पश्चिमी बंगाल	15,008	3,419	501	129		1,312	31	20,400
26.	दिल्ली	19,465	1,087	15	—		5,145	26	24,739
27.	पांडिचेरी	317	3,893	13	2,547		1,737	1,048	9,355
28.	उच्चतम न्यायालय	56,452	345	147	11		899	6	57,860
	विधिक सहायता समिति								
	कुल जोड़ :	8,54,873	2,55,376	1,56,619	61,484	1,40,155	6,456	14,74,963	

[हिन्दी]

कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को आबंटित धन

3832. श्री श्रीकांत जेना :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई, और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिल सके ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विधिष्ट विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में विधिष्ट विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन समिति (वि.स.स्की.का.स.) द्वारा उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को दी गयी रकम निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई रकम
1988-89	1,40,000
1989-90	2,50,000
1990-91	2,00,000

(क) कलैंडर वर्ष, 1989-1990 और 1991 के दौरान उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा विधिक सहायता स्कीम के अधीन 20,560 व्यक्तियों को सहायता दी गयी ।

(ग) विधिक सहायता कार्यक्रम को, उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड और विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा भी समय-समय पर होने वाली बैठक में मानीटर और पर्यवेक्षण किया जा सके कि निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है ।

[अनुवाद]

वर्ष 1990-91 के दौरान आयकर दाता

3833. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आय-करदाता व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) विभिन्न कर श्रेणियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान 57,55,998 व्यष्टि आयकर-निर्धारिती थे। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

आय-सीमा	व्यष्टि कर-निर्धारितियों की संख्या
1. 22,000/-रुपये तक	7,41,436
2. 22,000/-रुपये से एक लाख रुपये के बीच	48,08,500
3. 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच	1,98,819
4. 5 लाख रुपये से अधिक	7,243

संयुक्त क्षेत्र की व्यापार कंपनियां

3834. श्री हरीन पाठक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों में संयुक्त क्षेत्रों का व्यापार कंपनियां स्थापित करने का है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर व्यापार बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कंपनियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इनमें भारतीयों को रोजगार मिलने की कितनी संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) निर्यात संवर्धन के लिए संयुक्त क्षेत्र की व्यापार कंपनियों की स्थापना तथा केन्द्रीय स्तर पर व्यापार बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकारों से विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(च) और (छ) प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों से संभावित आय आदि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। व्यापार बोर्ड केवल एक सलाहकार बोर्ड है।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

3836. डा. रघेश चन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल वर्मा।

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान चीनी का कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ग) किन-किन देशों को चीनी का निर्यात किया गया; और

(घ) वर्ष 1992-93 में चीनी निर्यात का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान अनन्तिम तौर पर 240287 हजार मी- टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान 65,000 मी. टन चीनी ईरानी, संयुक्त राज्य अमरीका, श्रीलंका, मालदीव तथा नेपाल को निर्यात की गई थी।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए चीनी निर्यात का अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अवक्रय अधिनियम

3837. श्री कड़िया मुंडा :

क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अवक्रय अधिनियम, 1972 को लागू करने का है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी हां। सरकार कुछ संशोधन करने के पश्चात् अवरुद्ध अधिनियम, 1972 को प्रवृत्त करने का आशय रखती है। राज्य सभा में 1989 से संशोधन विधेयक लम्बित है। तथापि, प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा संशोधन विधेयक के कुछ खण्डों की पुनः समीक्षा की जा रही है।

उत्पाद शुल्क की चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाना

3838. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के उत्पाद शुल्क के अपवंचन के ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें अभियोग चलाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) उनमें से कितने मामलों में उक्त निर्णय कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) इन मामलों में अभियोग न चलाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान ऐसे किसी मामले का न्यायनिर्णयन नहीं किया गया जिसमें 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता चला हो और जिसमें अभियोजन कार्यवाही चलाने पर विचार किया जाना अपेक्षित हो।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु

3839. श्री जी माडे गौडा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न उच्च न्यायालयों में काफी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा कर 65

वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है जिससे मामलों का शीघ्र निपटान हो सके और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति और खाली पदों को भरने के बीच अन्तर कम हो सके, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीसों की सेवा निवृत्ति की आयु में, जो इस समय 62 वर्ष है, वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सेवा निवृत्ति की तारीख और उससे होने वाली रिक्ति को भरने के लिए की जाने वाली नियुक्ति की तारीख के बीच के अन्तर को कम करने के मामले में सदैव उपयुक्त अग्रिम कार्रवाई की जाती है।

एस.टी.ए. परमिट के अन्तर्गत नयी बसें चालू करने के विरुद्ध याचिका

3840. श्री जीवन शर्मा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी बस चालक संघ ने एस.टी ए. परमिट के अन्तर्गत 3000 निजी बसों को लाइसेंस देने की योजना के विरुद्ध उच्च न्यायालय में चुनौती दी है,

(ख) यदि हां, तो उनकी याचिका पत्र में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्णय दिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं :—

(I) राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस टी ए) को कोई स्कीम बनाने और दिए जाने वाले परमिटों की संख्या को सीमित करके 3000 करने का अधिकार नहीं है।

(II) राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए ही एक सिटी के लिए स्टेज कैरिज परमिटों की कुल संख्या को सीमित किया जा सकता है।

(III) राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस टी ए) आर टी ए को स्टेज कैरिज परमिटों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कोई स्कीम बनाने (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72) का अधिकार नहीं है और आवेदन पत्र किसी भी समय दिया जा सकता है और एस टी ए/आर टी ए ऐसे आवेदन को लेने से इनकार नहीं करेगा (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80)।

(IV) अधिनियम में न तो ऐसा प्रावधान है और न ही ऐसी परिकल्पना की गई है कि बस प्रस्तुत करके या अन्यथा जमा राशि के जरिए कोई प्रत्याभूति दी जाए।

(V) धारा 71 (3) (घ) (II) के अन्तर्गत एस टी ए/आर टी ए को स्टेज कैरिज सेवाओं के मौजूदा प्रचालकों के अनुभव और निष्पादन पर विचार करना होगा; और उचित वरीयता देनी होगी।

(VI) परमिट के लिये दिए गए आवेदन को वैध कारण बताते हुए ही रद्द किया जा सकता है और परमिटों को लाटरी निकाल कर नहीं दिया जा सकता।

(VII) एस टी ए/आर टी ए को छूट निर्धारित करने का अधिकार नहीं है और उसे केवल यही निर्णय लेना है कि आवेदन किए गए किसी विशिष्ट छूट के लिए परमिट दे या इनकार कर दे।

(VIII) एस टी ए/आर टी ए को निशुल्क और रियायती पासों की शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है।

(IX) एस टी ए/आर टी ए यह शर्तें नहीं लगा सकता कि "एक बार दिए गए छूट को बाद में बदला जा सकेगा"।

(X) वे परमिट देने से पहले एस टी ए कुछ प्रचालकों के काफी समय से लंबित पड़े आवेदनों पर विचार करे जो काफी समय से दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत अपनी बसें चला रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

द्विभाषा आशुलिपिकों के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें

3941. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने राजभाषा विंग विधायी विभाग) के द्विभाषी आशुलिपिकों के पदों का केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में विलय करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) अभी आगे कोई कार्रवाई अनुध्यात नहीं है।

तट व्यापार कानून में शिथिलीकरण के प्रभाव

3842. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नौवहन कम्पनियों ने भारतीय नौवहन कम्पनियों के लाभ के लिए तट व्यापार कानून में किए गए शिथिलीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिये भारत में नियुक्त अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नौवहन कम्पनियों को मिलने वाले इसके लाभों का मूल्यांकन किया है, और

(ग) देश के समुद्री पत्तनों, विशेष रूप से कलकत्ता पत्तन से शुरू होने वाले पूर्वी तट पर, कारगो का लदान करने वाली घरेलू नौवहन कम्पनियों पर तट-व्यापार में उक्त शिथिलीकरण का किस सीमा तक कुप्रभाव पड़ा है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) किसी भी नौवहन कम्पनी ने इस छूट का लाभ नहीं उठाया है। अतः घरेलू नौवहन कम्पनियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

छावनी के भूमि जोत क्षेत्र में निवेश को और कम करना

3843. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न छावनियों में उसके भूमि जोत क्षेत्र में 10% निवेश को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस भूमि को किस प्रकार बेचा जाएगा;

(ग) क्या इस भूमि का उपयोग खरीददारों द्वारा व्यापारिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा अथवा निवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा रक्षा अफसरों को विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए अथवा सैनिक टुकड़ियों को ठहराने का प्रबन्ध करने के लिए इन छावनियों के विस्तार करने पर उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) छावनियों की 10% रक्षा का निपटान करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। किन्तु सरकार, रक्षा आवश्यकताओं से स्थायी रूप से फालतू भूमि का बाजार मूल्य पर निपटान करके पूंजीगत निर्माण कार्यों के बजट में वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सम्भाव्यताओं की जांच कर रही है।

(घ) वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही रक्षा भूमि को स्थायी रूप से फालतू घोषित किया जाता है, इसलिये इस प्रकार की आवश्यकता पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

सड़क परियोजनाओं के लिए पथकर की वसूली

3844. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सड़क निर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन-राशि हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता से संयुक्त उद्यमों का स्थापना का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने पथकरआधारित परियोजनाओं के लिए आवर्ती निधि का स्थापना करने एवं एकत्रित किए गए पथकर तथा विज्ञापनों और सड़क किनारे दी गई सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त अन्य धनराशि, को पुन: प्रयुक्त करने का भी आह्वान किया है,

(ग) सड़क निर्माण कार्य के वित्तपोषण हेतु इस प्रकार के उद्यमों के कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं,

(घ) क्या सरकार ने पथकर वसूली के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, चुंगी पर आधारित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में किसी भी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जहां तक राज्य सड़कों का संबंध है, राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे राज्य सड़कों के विकास और रख-रखाव में निजी क्षेत्र को शामिल करने की संभावना का पता लगायें।

जापान से सीधे विदेशी निवेश

3845. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से सीधे विदेशी निवेश में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जापान को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए तथा व्यापार के विकास एवं विस्तार के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, बल्कि जापान से भारत में निवेश में वृद्धि हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हाल ही में व्यापार नीति के उदारीकरण के अतिरिक्त, इनमें ये शामिल है, द्विपक्षीय व्यापार की समय-समय पर समीक्षा, प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान, जापान में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि।

यूरोप को साफ्टवेयर का निर्यात

3846. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय समुदाय ने यूरोप को साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत में संयुक्त रूप से एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) माह अक्तूबर, 1990 में हस्ताक्षरित एक तकनीकी सहयोग ज्ञापन के तहत भारत और यूरोपीय आयोग इस बात पर सहमत हो गए है कि यूरोप को साफ्टवेयर निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में एक साफ्टवेयर इंजीनियरी केन्द्र स्थापित किया जाए और साफ्टवेयर इंजीनियरी के क्षेत्र में भारत में क्षमता तैयार की जाए जिससे कि भारतीय साफ्टवेयर उद्योग की प्रतिस्पर्धा योग्यता में सुधार किया जा सके। यह केन्द्र स्थापित करने के लिए नैशनल सेन्टर फार साफ्टवेयर टेक्नालाजी को अभिज्ञात किया गया है।

रेशम के कपड़ों का आयात

3847. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित कपड़े का उपयोग वास्तव में तैयार कपड़ों का निर्यात करने हेतु किया जाए, शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र (डी.ई.सी.) शुल्क मुक्त आइटेंस

व्यवस्था के अन्तर्गत रेशमी कपड़े सहित अन्य प्रकार के कपड़े के आयात संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता और दिल्ली में भारी मात्रा मे रेशम के कपड़ो का आयात करके घरेलू बाजार में बेच दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आयात तथा निर्यात नीति 1990-91 (खण्ड-1) की शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत रेशमी वस्त्रो सहित वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल परिणामी उत्पादों के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए अथवा प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर आयात की अनुमति दी जाती है। सरकार को किसी प्रकार के दुरुपयोग की जानकारी नहीं है।

(हिन्दी)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में फिजूलखर्ची से संबंधित शिकायतें

3849. श्री राम टहल चौधरी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय वस्त्र निगम में फिजूलखर्ची से संबंधित कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम में फिजूलखर्ची के बारे में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) जहां कहीं भी फिजूलखर्ची के बारे में विशिष्ट शिकायतें की गई हैं उन पर ध्यान दिया गया है और जहां आवश्यक हुआ उन पर उचित कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

आयुध कारखाना सैम्तला

3850. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सेन्जला (बाडामाल) में आयुध कारखाने के निर्माण के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) उक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) यह सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ग) परियोजना का प्रथम चरण जून, 1993 तक पूरा हो जाने की आशा है और उत्पादन संभवतः 1993 में शुरू हो जाएगा ।

मूल्य सूचकांक का संशोधन

3851. श्री गणाधरा सानीपल्ली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मजदूर संगठनों ने यह आपत्ति उठाई है कि मूल्य सूचकांक कई वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को सही-सही परिलक्षित नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य सूचकांक तैयार करने के तरीके में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 1982=100 आधार वाली वर्तमान शृंखला, 1960 आधार वाली पूर्ववर्ती शृंखला का पुनरीक्षण और संशोधन करते हुए अक्टूबर, 1988 में जारी की गई थी । यह शृंखला, सम्बन्धित मंत्रालयों से सदस्यों के रूप में व्यावसायिकों सहित, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के महानिदेशक की अध्यक्षता में कीमतों और जीवन यापन लागतों की सांख्यिकी सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा निर्मित कार्यप्रणाली के आधार पर बनाई गई है । इस शृंखला को जारी करने से पहले श्रमिक संघों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चाएं और परामर्श किया गया था । मूल्य सूचकांक के आधार को 1992-93 में परिवर्तित करने के लिए 1992-93 के दौरान एक नया श्रमिक वर्ग पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

पणम्बाबा सेवा बन्दरगाह

3852. प्रो. राम कपसे :

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

श्री शरद यादव :

श्री राम विलास पासवान :

श्री गुरुदास कामत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू (न्यहावा शेवा) बन्दरगाह में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप लगाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखों से सम्बन्धित लेखों परीक्षा रिपोर्ट में कुछ आडिट आपत्तियां उठाई गई थी। ये बल्क कार्गो के सम्बन्ध में स्टोरेज प्रभारों की संबंधित लेखा से कम लेवी, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के सम्बन्ध में गलत अनुमान के कारण परिहार्य खर्च, कुछ बिलों का गलत व्यय, मुख्य सिविल निर्माण कार्यों आदि के सम्बन्ध में एक ठेकेदार को गलत प्रमाणीकरण, परिहार्य परियोजना व्यय, मुख्य सिविलि निर्माण कार्यों आदि के सम्बन्ध में एक ठेकेदार को गलत भुगतान से सम्बन्धित हैं। आडिट ने यह देखा कि इसके फलस्वरूप पत्तन को लगभग 7.67 करोड़ रु. के राजस्व का नुकसान हुआ।

(घ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन प्राधिकारियों द्वारा आडिट आपत्तियों की जांच की गई थीं, उन्होंने पाया कि आपत्तियां ज्यादातर तकनीकी स्वरूप की थीं और उन्होंने तदनुसार आडिट को सूचित कर दिया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

3853. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रुपये के भुगतान वाले देशों से 7,500 टन अखबारी कागज के आयात के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 5000 टन कागज खरीद के लिए रुपये के भुगतान के आधार पर भुगतान करने के लिए बातचीत चल रही है;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किस हद तक समझौते को अन्तिम रूप दिया है; और

(घ) किन देशों से अखबारी कागज का आयात करने का विचार है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) से (घ) हाल ही में एस. टी.सी. ने मैसर्स एक्सपोर्ल्स, मास्को के साथ अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान के साथ निम्नलिखित मुख्य शर्तों से आधार पर 5,500 मि.टन अखबारी कागज के आयात के लिए एक सौदा किया है :

—संविदा कीमत रुपया 13,500 प्रति मिट्रिक टन सी.आई.एफ होगी और निश्चित तथा अन्तिम होगी।

—अखबारी कागज की क्वालिटी विक्रेता के स्टैंर्ड ग्रांड के अनुसार होगी।

—भुगतान का आधार बिल आफ लैंडिंग में बताया गया वास्तविक वजन होगा।

—भुगतान ब्याज रहित ड्राफ्ट के जरिए भारतीय रुपये में किया जाएगा तथा खरीददार देश के बैंक पर ड्राफ्ट बनेगा तथा भुगतान विक्रेता को बिलआफ लेडिंग की तारीख से अधिक से अधिक 45 दिन के भीतर करना होगा।

बैंक कर्मचारियों के घरों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

3854. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री हरिकिशोर सिंह।

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 20 फरवरी, 1992 को कुछ बैंक कर्मचारियों के आवासीय परिसरों और कार्यालयों में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि तथा दस्तावेज जब्त किये गए; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन्होंने न्यू बैंक आफ इण्डिया के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 14 अन्यों (जिनमें 6 बैंक कर्मचारी सम्मिलित हैं) के आवासीय/परिसरों की तलाशियां ली हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार इस स्तर पर उनके द्वारा की गई खोज/पहचान/जब्ती का ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यू बैंक आफ इण्डिया के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और 6 कर्मचारियों तथा अन्यों के विरुद्ध दिनांक 31-1-92 को आर. सी. सं. 1/ए/92-एस. आई. यू. (एक्स) दर्ज किया है। बैंक द्वारा सम्बद्ध अधिकारियों को कारण बताओ पत्र जारी किये गए हैं। दो अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां भी वापस ले ली गई है। एक अधिकारी को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और एक अन्य अधिकारी को अन्य मामलों के सम्बन्ध में बैंक की सेवा से निकाल दिया गया है।

दक्षिणी अफ्रीकी बाजार

3855. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका के बाजार में भारतीय माल खपत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) वहां के बाजारों में भारतीय माल खपत की संभावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चूंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्यापार प्रतिबन्ध अभी तक नहीं उठाए गए हैं इसलिए दक्षिण अफ्रीका के बाजार का लाभ उठाने के लिए कोई ठोस कदम अभी नहीं लिए जा सकते ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका को मारीशस, हांगकांग और सिंगापुर के जरिए 20 मिलियन संयुक्त राज्य अमरीकी डालर मूल्य के परम्परागत भारतीय सामान हर वर्ष निर्यात किये जाते हैं । इसके अलावा यूरोप के जरिए भी माल जाता है जिसकी कीमत आंकना असम्भव है । दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के सीधे व्यापारिक संबंध हो जाने पर इस बाजार को जाने वाला यह सारा माल भारतीय निर्यातक ही सीधे भेज सकेंगे ।

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जनसंख्या की जातिगत संरचना ऐसी है और दक्षिण अफ्रीकी बाजार का आकार इतना विशाल है कि अर्थात इस समय 18 बिलियन संयुक्त राज्य अमरीकी डालर-कि हम इस बारे में आशावादी हो सकते हैं कि जब कभी व्यापार प्रतिबन्ध उठाए गए तो दक्षिण अफ्रीकी बाजार में भारत के निर्यातकों को अच्छा लाभदायक माल व्यापार के रूप में मिलेगा ।

रुपया-रूबल विनिमय दर

3856. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या वस्त्र मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ रुपए-रूबल की विनियम दर के सम्बन्ध में विवाद के कारण कपड़ा उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उद्योग को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इस मामले का शीघ्र समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) रुपए-रूबल विनिमय दर का प्रभाव पूर्ववर्ती सोवियत संघ के ऊपर भारत के बकाया ऋण पर अधिक है तथा इसका प्रभाव विशेष रूप से वस्त्र उद्योग पर नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रुपए-रूबल विनिमय दर, जोकि नवम्बर, 1978 के समझौते पर आधारित है, में संशोधन करने के लिए पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ दो दौर की अन्तर सरकारी वार्ताएं हुई थीं। अभी तक यह वार्ताएं पूरी नहीं हुई हैं।

सड़क दुर्घटनाएं

3857. प्रो. राम कापसे :

श्री अमरपाल सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई,

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्ति मरे/घायल हुए, और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अमरीश टाईटलर) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों/किए जा रहे उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण-I

1989-91 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं (राज्यवार) की संख्या

सम्पूर्ण भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989	1990	1991
1	2	3	4
सम्पूर्ण भारत			
राज्य			
आंध्र प्रदेश	13423	16042	17232

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	239	233	204
असम	1956	1762	1899
बिहार	9552	955 (आर)	9776(ई)
गोवा	1813	2205	2168
गुजरात	23823	25495	27140
हरियाणा	5358	5096	4867
हिमाचल प्रदेश	1060	1123	1269
जम्मू और कश्मीर	3615	2326	39 .7(ई)
कर्नाटक	20902	21992	22438
केरल	16762	20247	21556(ई)
मध्य प्रदेश	20265	23492	25096(ई)
महाराष्ट्र	59045	56982	59418(ई)
मणिपुर	430	472	369
मेघालय	646	540	450(ई)
मिजोरम	98	80	74
नागालैंड	263	237	61
उड़ीसा	5737	6069	617(ई)
पंजाब	1622	1621	1565
राजस्थान	9593	10456	11046
सिक्किम	105	115	137
तमिलनाडु	32962	16318	325222
त्रिपुरा	449	408	371
उत्तर प्रदेश	13696	163.8	15960
पश्चिम बंगाल	15846	16375	16041(ई)

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	124	144	86
चंडीगढ़	277	250	294
दादरा नगर हवेली	61	79	50
दमन एवं द्वीव	66	91	67
दिल्ली	7192	7697	8065
लक्यद्वीव	5	2	0
पांडिचेरी	663	662	724
योग :	267648	282797	291043

आर : दोहराए गए आंकड़े ई : अनुमानित आंकड़े ।

विवरण-II

1989-91 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

संपूर्ण भारत/राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1989		वर्ष 1990		वर्ष 1991*
संपूर्ण भारत राज्य	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति	मृत व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4458	14207	5211	17356	5672
अरुणाचल प्रदेश	59	307	97	578	36(ई)
आसाम	895	2459	904	2551	867

1	2	3	4	5	6
बिहार	2183	2347	2751(ई)	2347(आर)	2304(ई)
गोवा	169	1644	174	1687	180
गुजरात	3509	25673	3722	25773(आर)	3979
हरियाणा	1819	4616	1969	4452	1916
हिमाचल प्रदेश	467	2008	465	2225	414
जम्मू और कश्मीर	491	3889	371	2393	672(ई)
कर्नाटक	3655	23734	3901	25938	3979
केरल	1737	23003	1793	26996	1709(ई)
मध्य प्रदेश	2709	18243	2793	19368	3089(ई)
महाराष्ट्र	5785	36145	5487	32787	9884(ई)
मणीपुर	129	583	106	765	87
मेघालय	98	679	133	524	104
मिजोरम	38	166	38	101	28
नागालैंड	42	192	64	209	39
उड़ीसा	1171	6918	1193	6428	1300(ई)
पंजाब	819	994	1133	1322	1019
राजस्थान	3023	10681	3465	11554	3736
सिक्किम	38	197	26	155	34
तमिलनाडु	6299	26640	6663	29523	6406
त्रिपुरा	136	599	113	745	102
उत्तर प्रदेश	6130	10236	7639	12571	7936(ई)
पश्चिम बंगाल	2094	1433	2600	7048	2559(ई)

1	2	3	4	5	6
संघ शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप	15	129	17	182	5
चंडीगढ़	76	214	80	191	104
दादर और नगर हवेली	10	90	18	119	9
दमन एवं दीव	9	58	16	88	7
दिल्ली	1583	7378	1670	7883	1820
लक्षद्वीप	शून्य	5	शून्य	2	शून्य
पांडिचेरी	82	707	106	667	107
योग :	49730	229671	54658	244428	60103

*चालक व्यक्तियों के ब्योरे अभी उपलब्ध नहीं ।

विवरण-III

किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में सख्त अपेक्षाओं और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है ।

2. अरिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्वापेक्षा बनाया गया है ।

3. हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किया गया है ।

4. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

5. देश भर में वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिये एक समान अंतराल निर्धारित की गई हैं ।

6. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपस्कर लगाए जाएंगे अर्थात् वाहनों के लिए ब्लिंकर प्रणाली सहित दिशा संकेतक, खतरनाक या जोखिम वाले माल की ढुलाई करते समय विशेष लेबल लगाए जाएंगे।

7. सड़क सुरक्षा उपाय तैयार करने के लिये एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें।

8. यातायात नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

9. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खराब हैड लाइटों, ओवर स्पीडिंग, ओवर-लोडिंग आदि के विरुद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।

10. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करके नियमित अभियोजना।

11. दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सैल द्वारा स्कूलों में स्कूली बच्चों को सड़कों के नियमों और संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. दुर्घटना बहुत क्षेत्रों में ब्लिंकर/संकेत लगाना।

13. राडार गनों द्वारा "प्रासीक्यूशन"

14. दुर्घटना बहुत क्षेत्रों में अधिक पुलिस तैनात करना।

15. प्रातः कालीन विशेष अभियान और रात्रि मोबाइल गश्त।

16. सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी, प्रेस का उपयोग।

17. बस बाडीज और यलो-बाडीज की पेंटिंग।

18. राजमार्गों पर विशेष रात्रि चेकिंग।

19. बसों, भारी परिवहन वाहनों, टी एस आर, टैक्सियां आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

20. सड़क सुरक्षा कक्ष द्वारा सभी विभिन्न सड़क सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताएं और अन्य सड़क सुरक्षा कार्यकलाप आयोजित किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गणतंत्र दिवस की परेड पर हुआ खर्च

3858. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिये दिल्ली (राजपथ) में आयोजित मुख्य समारोह तथा इस संबंध में की गई तैयारियों पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के सम्बन्ध में प्रबंध-व्यवस्था संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। विभिन्न मदों पर होने वाला खर्च संबंधित एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है और इसे इकट्ठा करके एक शीर्ष के तहत नहीं दर्शाया जाता, इसलिए पूरे खर्च का आकलन करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश

3859. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश को बढ़ाने तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख) सरकार ने अगस्त 1991 में एक उदार निवेश नीति की घोषणा की है। अनिवासी भारतीय अब प्रत्यावर्तन के पूर्ण लाभों सहित 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश कर सकते हैं। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 290 लाख रुपए के निवेश वाले 7 मामलों को अनुमोदित किया है, इसके अतिरिक्त, वे आवास विकास, जमीन जायदाद विकास और सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे आधारभूत ढांचों में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भी 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो निवेश की अधिकतम सीमा को भी एकल अनिवासी भारतीय के लिए 1 प्रतिशत की सीमा सहित; 5 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात

3860. श्री के. प्रधानी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कृषि और औद्योगिक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जो देश में फालतू हैं परन्तु उनका

निर्यात नहीं किया जा सका क्योंकि गुणवत्ता और मूल्य के हिसाब से वे विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) यह सही-सही बताना बहुत मुश्किल है कि इस समय देश में कृषि उत्पादों और उद्योगिक माल की कितनी बेशी मात्रा उपलब्ध है क्योंकि यह बात अनेक कारकों पर निर्भर करती है-जैसे घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग, क्वालिटी और कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता की क्षमता, वस्तु विशेष की विश्वव्यापी मांग और उत्पादन, आदि ।

(ख) सरकार का यह प्रयास है कि निर्यात के लिए बेशी माल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये और उस बेशी माल के निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाये ।

(ग) 2 जुलाई/अगस्त, 1991 में व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन शुरू किए गए जिनका उद्देश्य था निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाना, आयात लाइसेंस प्रणाली को बड़ी सीमा तक कम करना और आयात को इष्टतम सीमा तक कम करना । कुछ जरूरी मदों जैसे पी ओ एल, उर्वरक आदि के अनिवार्य आयात को छोड़कर, कच्चे माल और कलपुर्जों के अन्य सभी आयात को निर्यात निष्पादन के साथ जोड़ दिया गया था । आर ई पी लाइसेंसों के स्थान पर एक्सीम स्क्रिप शुरू किए गए थे । निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में पेशगी लाइसेंसों को और मजबूत किया गया और इसके लिए एच्छिक नियंत्रण और विलम्ब को कम कर दिया गया । पूंजीगत माल के आयात की क्रियाविधि को सुदृढ़ किया गया । निर्यात संसाधन जोन और 100% निर्यात अभिमुख एक योजनाओं को भी बेहतर बनाया गया है । निर्यात और आयात की अनेक मदों को गैर-सरणीकृत कर दिया गया है । निर्यातकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोले और विदेशों से ऋण लेने के लिए प्रयास करें और इन खातों से निर्यात संबंधित आयात का भुगतान करें और निर्यात से होने वाली आमदनी इन खातों में जमा करें ।

इन उपायों को रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता शुरू करके और आयात शुल्क की दरों में कमी करके और भी बेहतर कर दिया गया है । इसके अलावा सरकार ने अन्य अनेक उपाय भी किए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं । लाईसेंसों के कारण होने वाले नियंत्रण कम करना, निर्यात की क्रियाविधियों को सरल करना, बोर्ड आफ ट्रेड को फिर सक्रिय करना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ लगातार और सम्पर्क और बातचीत, आदि ।

वाणिज्यिक ऋण

3861. श्री फूल चन्द वर्मा :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ।
श्री बी. एल शर्मा प्रेम :
क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनियों/व्यक्तियों को दिये गये वाणिज्यिक ऋणों की बैंकवार कुल बकाया राशि क्या है;

(ख) ऐसी कम्पनियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पांच करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के ऋण चुकाने हैं; और

(ग) इस राशि की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1991-92 के दौरान दिए गए वाणिज्यिक ऋणों की बकाया राशि और उन कंपनियों/व्यक्तियों के ब्यौरे से संबंधित सूचना, जिन पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि है, वह समेकित नहीं करता है। अलबत्ता, 27 सितम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार उन ऋणकर्ताओं पर, जिन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 10 करोड़ रुपए या अधिक की कार्यशील पूंजी सीमायें प्राप्त हैं, 20074.5 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि थी। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि खातों के फार्मों के अनुसार, जिनका पालन सभी बैंकों को करना होता है और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों और प्रथा के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि तथा प्रवरुद्ध अग्रिम, जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक प्रावधान किया गया है, प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा दी गई है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों तथा बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थायें अपने अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं कर सकते हैं।

(ग) बैंकिंग परिचालनों में कुछ ऋणों के अशोध्य होने की संभावना निहित होती है। अलबत्ता, ऋणों की निगरानी करने और अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए बैंक उपाय करते हैं। इसमें संवितरण-पूर्व पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई, सूचना प्रणाली तथा आवधिक समीक्षा शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋणों पर कारगर ढंग से निगरानी करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिये किसी निश्चित समय पर अग्रिम के स्वास्थ्य के अनुसार कुछ परिभाषित श्रेणियों में अपने ऋणों का वर्गीकरण करने की प्रणाली भी स्थापित की है। जब कभी किसी व्यक्ति के खाते की अनियमितता के बारे में पता चलता है तो अग्रिमों को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं तथा यदि ऐसे कदम असफल हो जाते हैं तो ऋणों को वापस मांगा जाता है तथा ऋणकर्ताओं और गारंटीदाताओं के विरुद्ध, यदि कोई हों, कानूनी कार्रवाई करने सहित देय राशियों की वसूली के लिए कई उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली के न्यायालयों में जगह की कमी

+

3862. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री बी. एल शर्मा प्रेम :

क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना-पार में स्थित न्यायालय कम जगह वाले परिसरों में कार्य कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों को बेहतर सुविधा वाले आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) यमुना पार क्षेत्र में, शाहदरा स्थित न्यायालय इस समय एस. एस. लाइट रेलवे स्टेशन भवन में कार्य कर रहे हैं। यह भवन एक छोटे से परिसर में स्थित है जिसमें सीमित सुविधाएं हैं। इन न्यायालयों के लिए बेहतर स्थाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शाहदरा स्थित जिला न्यायालय काम्प्लेक्स के लिए, दिल्ली प्रशासन द्वारा एक नया भवन बनाया जा रहा है और निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

कोझीकोडे उपमार्ग का निर्माण

3863. श्री बी. एस. विजयराघवन :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पन्थीरान्कव से रामानट्टुकारा तक कोझीकोडे उपमार्ग के निर्माण के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। लोक निर्माण विभाग, केरल ने अरापूझा और नीलीयाडु पुलों के निर्माण सहित पांथीरान्कव से रामनट्टुकारा (चरण-I) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर कोझीकोड बाई पास के निर्माण के लिए 13.95 करोड़ रु. का एक विस्तृत प्राक्कलन 6.12.91 को भेजा है। परियोजना के तकनीकी ब्यौरों

को राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बाई पास के चरण-I के निर्माण का 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

इंदिरा विकास पत्र

3864. श्री बी. एस. विजयराघवन :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अधिक मूल्य के इंदिरा विकास पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में रक्षा सड़कों की मरमत

3865. श्री उद्धव बर्मन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्राधिकरण ने असम राज्य में मरम्म और रख-रखाव के लिए कुछ सड़कों को अपने अधिकार में लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कोचर, करीमगंज और हाइलाकांडी जिलों में ऐसी सड़कों की हालत अत्यधिक खराब है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सड़कों के रख-रखाव/मरम्मत के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) (1) जिन सड़कों की मरम्मत और अनुरक्षण का काम सौंपा गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. समथरईबाड़ी-गुरुभाषा-हतिसार

2. सिलचर-लैलापुर-एयरबाज

3. जवाई-बदरपुर-अगरतला

4. सिलचर-जीरीबम-बदरपुर

(2) जिन सड़कों का केवल मरम्मत का काम सौंपा गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. लमडिंग-लंका

2. उधारबंद-जतिंगा-माहुर

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाजार विकास योजना के लिए सहायता

3866 श्रीमती रीता वर्मा :

श्री बलराज पासी :

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान हथकरघा कपड़े के लिए बाजार विकास योजना के अंतर्गत हथकरघा संगठनों को सहायता देने हेतु इस योजना के तहत दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने एककों को लाभ हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा 1990-91 और 1991-92 में हथकरघा संगठनों को दी गई सहायता और लाभान्वित इकाईयों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि		लाभान्वित इकाईयों की सं.	
		1990-91 (लाख रु. में)	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	603.43	562.96	411	437

1	2	3	4	5
2. असम	34.78	—	5	—
3. गुजरात	123.50	20.93	47	1
4. हरियाणा	20.00	—	2	—
5. हिमाचल प्रदेश	10.65	1.13	10	10
6. जम्मू व कश्मीर	121.11	—	61	—
7. कर्नाटक	82.93	—	1	—
8. केरल	145.12	—	351	—
9. मध्य प्रदेश	136.21	—	2	—
10. नागालैण्ड	—	0.32	—	1
11. उड़ीसा	280.35	280.98	326	662
12. पंजाब	11.50	43.85	1	1
13. राजस्थान	23.25	—	1	1
14. तमिलनाडु	1869.61	2745.04	1196	1178
15. त्रिपुरा	17.40	—	2	—
16. उत्तर प्रदेश	361.95	292.00	3	3
17. पश्चिम बंगाल	69.59	335.49	577	577

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निवेश

3867. श्री प्रतापराव बी. भोंसले :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था;

(ख) क्या इस यात्रा से गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस निवेश से किन-किन गैर-सरकारी कम्पनियों को लाभ हुआ है; और

(घ) देश में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मिशन का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री विलियम रायरी के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने 27 जनवरी, 1992 से 8 फरवरी 199: तक भारत का दौरा किया था।

(ख) और (ग) शिष्ट मंडल ने सरकार तथा निजी क्षेत्र के साथ उन सामान्य क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श किया था, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को ध्यान केन्द्रित करना होगा। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में निवेश के अपने स्तर में और वृद्धि करने की आशा रखता है, परन्तु, किसी विशिष्ट निवेश प्रस्ताव पर कोई करार नहीं हुआ था।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मिशन नई दिल्ली में और इस मिशन की एक शाखा बम्बई में स्थित है।

[हिन्दी]

3868. श्री बिलासराव रागनाथराव गूंडेवार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार हीरों और रत्नों के निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा हीरा और रत्न उद्योग को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई अथवा कराने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी चिदम्बरम्) : (क) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्य सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में रत्न और आभूषण (हीरों सहित) का निर्यात निम्नलिखित रहा :—

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रु. में)
1989-90	5479.37
1990-91	5336.83
1991-92 (अप्रैल, 91 से जनवरी, 92)	5440.33

(ख) रत्न और आभूषण मदों के निर्यातकों को फुटकर और प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के जरिए कच्चा माल मांगने की सुविधा दी जाती है। आयात-निर्यात नीति के अध्याय—21 पार्ट II में ऐसी

अनेक योजनाएं भी दी गई हैं जिनके जरिए स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का निर्यात बढ़ाया जाना है। निर्यातकों को विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए तथा बाजार सर्वेक्षण के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए भी सहायता दी जाती है।

कंपनी अधिनियम का पुनः संहिताकरण

3869. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

डा. वी राजेश्वरन :

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके द्वारा हाल ही में लागू की गई उदारीकरण नीति को देखते हुए तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम को सरल और कारगर बनाने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी अधिनियम को विनियमन के दायरे से बाहर लाने, उसका विकेन्द्रीकरण करने और उससे नियंत्रण हटाने के मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी विधि में परिवर्तन करने हेतु सरकार का सामान्य दृष्टिकोण, निवेशक संरक्षण, सुव्यवस्थीकरण तथा अधिनियम के उपबन्धों के सरलीकरण तथा कम्पनियों के कुप्रबन्ध के लिए प्रावधान करना है। सरकार बिल को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग द्वारा यूरोपीय देशों को निर्यात

3870. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री आर धनुषकोडी आदित्यन :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री विजय नवल पाटील :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत से संश्लेषित वस्त्रों और सिले-सिलाये वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत से संश्लेषित वस्त्रों/सिले-सिलाये वस्त्रों के आयात के लिए कोटा प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत से आयात के लिए प्रत्येक मामले में कितना-कितना कोटा निर्धारित किया है;

(ङ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए संश्लेषित वस्त्रों का निर्यात किन-किन राज्यों से किया गया है;

(च) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान इन राज्यों से राज्य-वार कितना-कितना कपड़ा निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(छ) निर्यात प्रयोजनों के लिए विभिन्न डीलरों को कोटा वितरित करने की नीति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इण्डो-ई ई सी वस्त्र करार प्रावधानों के अधीन श्रेणी 3 के अन्तर्गत आने वाले सिंथेटिक फाइबर के बुनन फैब्रिक्स के निर्यात को सितम्बर, 1991 से कोटा प्रतिबन्ध के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 1992 के लिए ई ई सी को 19552 टन मात्रा निर्यात के लिए निर्धारित की गई है।

नौ परिधान श्रेणियां ई ई सी में परिमाणात्मक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। विशेष परिधान श्रेणी के लिए साझा कोटा है चाहे परिधान सूत, ऊन अथवा सिंथेटिक फाइबर का ही क्यों न बना हो। अतः सिंथेटिक फाइबर से बने परिधानों के लिए विशेष रूप से अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(ङ) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) वर्ष 1992 के दौरान ई ई सी के लिए 19552 टन की परिमाणात्मक सीमा का संभवतः पूर्ण उपयोग हो जाएगा। वर्ष 1993 के कोट स्तर को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(छ) ई ई सी देशों को सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स का निर्यात वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति के प्रावधानों द्वारा संचालित किया जाता है। ई ई सी को सिंथेटिक फाइबर परिधानों का निर्यात परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के प्रावधानों द्वारा संचालित किया जाता है।

रुपये-कवल की विनिमय दर

3871. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये-रूबल की विनिमय दर बहुत अधिक अवास्तविक हो गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रुपये-रूबल की विनिमय दर में भी परिवर्तन करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (ग) 2 नवम्बर, 1978 के प्रोटोकोल पर आधारित, रुपया-रूबल विनिमय दर में संशोधन करने के संबंध में अन्तर-सरकारी अधिकारिक स्तर के विचार-विमर्श के दो दौर हो चुके हैं। अभी तक ये विचार-विमर्श अनिर्णित रहे हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

कानूनी सहायता योजना

387. श्री काशीराम राणा :

श्री राम लखन सिंह यादव ।

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निःशुल्क कानूनी सहायता के अंतर्गत, राज्य-वार, कितनी राशि आवंटित की गई और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) क्या यह योजना सफल नहीं रही है और गरीब लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्धनों को विधिक सहायता स्कीम के अधीन विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्षवार, राज्यवार दी गई सहायता अनुदान रकम को, सदन के पटल पर रखे गए विवरण-I में दर्शित किया गया है।

कलैण्डर वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्हें फायदा प्राप्त हुआ है, राज्यवार जानकारी सदन के पटल पर रखे गए विवरण-II में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति और राज्य विधिक सहायता बोर्ड यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि विधिक सहायता सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता रहे; इस प्रणाली का निरंतर पुनर्विलोकन और सुधार करते रहते हैं।

विवरण-I

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्धनों को विधिक सहायता स्कीम के अधीन विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्षवार और राज्यवार दी गई सहायता अनुदान राशि दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा निम्नलिखित वित्त वर्षों के दौरान दिया गया अनुग्रह अनुदान		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5,000	63,000	90,000
2.	असम	1,25,000	1,30,000	1,00,000
3.	बिहार	55,000	35,000	35,000
4.	गुजरात	93,005	1,00,000	1,00,000
5.	हरियाणा	2,000	1,15,000	55,000
6.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50,000
7.	जम्मू-कश्मीर	कुछ नहीं	5,000	कुछ नहीं
8.	कर्नाटक	1,00,000	2,55,000	2,00,000
9.	केरल	60,000	60,000	2,20,000
10.	मध्य प्रदेश	कुछ नहीं	1,10,000	1,00,000
11.	महाराष्ट्र	1,80,000	50,000	45,000

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	25,000	कुछ नहीं	17,000
13.	उड़ीसा	1,40,000	2,65,000	2,00,000
14.	पंजाब	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50,000
15.	राजस्थान	1,10,000	10,000	1,10,000
16.	तमिलनाडु	2,00,000	3,65,000	4,00,000
17.	त्रिपुरा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50,000
18.	उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	1,05,000	1,05,000
19.	पश्चिम बंगाल	1,12,120	1,10,000	1,00,000
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	50,000	1,00,000
21.	दिल्ली	5,98,200	7,35,500	7,90,000
22.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप संघ राज्य क्षेत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1,00,000

विवरण-II

वर्ष 1989 से 1991 तक की अवधि के दौरान राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई निःशुल्क विधिक सहायता से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

(विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	व्यक्तियों की संख्या वर्ष			व्यक्तियों की कुल सं.
		1989	1990	1991	(स्तम्भ 3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,636	1,315	उपलब्ध नहीं	3,951
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	—	—	—

1 2	3	4	5	6
3. असम	1,005	उपलब्ध नहीं	—	1,005
4. बिहार	उपलब्ध नहीं	—	—	—
5. गोवा	64	53	43	160
6. गुजरात	1,655	1,421	708	3,784
7. हरियाणा	467	459	202	1,128
8. हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	—	—	—
9. जम्मू-कश्मीर	945	277	635	1,857
10. कर्नाटक	2,963	2,989	2,186	8,138
11. केरल	उपलब्ध नहीं	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	59,389	26,842	30,279	1,16,410
13. महाराष्ट्र	7,821	—	—	7,821
14. मणिपुर	—	8	—	8
15. मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	—
16. मिजोरम	221	उपलब्ध नहीं	—	221
17. नागालैंड	उपलब्ध नहीं	—	—	+
18. उड़ीसा	6,908	6,696	6,956	20,560
19. पंजाब	335	उपलब्ध नहीं	—	335
20. राजस्थान	2,380	1,926	—	4,306
21. सिक्किम	उपलब्ध नहीं	—	—	—
22. तमिलनाडु	61,404	49,329	48,022	1,58,775
23. त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	2,083	1,681	1,17,699	1,21,413
25. पश्चिमी बंगाल	उपलब्ध नहीं	—	—	—
26. अंडमान और निकोबार द्वीप	विवरण उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।			

1	2	3	4	5	6
27.	दिल्ली	2,583	2,581	288	5,452
28.	दादर और नागर हवेली	वित्तिक सहायता बोर्ड स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।			
29.	लक्षद्वीप		—वही—		
30.	पांडिचेरी	1,313	1,392	1,513	4,218
	कुल योग :	1,54,122	96,966	2,08,431	4,59,522

[अनुवाद]

सोवियत संघ से सहयोग

3871. डा. राजगोपालन श्रीधरण :

:क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं में पूर्व के सोवियत संघ के वित्तीय सहोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में कितना वित्तीय सहयोग दिया गया है;

(ग) क्या राजनैतिक विकासों को देखते हुए इन भागीदारियों के प्रभाव की परीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 2-2-1955 से 21-12-1991 तक सोवियत संघ की सरकार ने भारत सरकार के साथ ऋण प्रदान करने के लिए 99953.6 लाख रूबल की कुल राशि के 18 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकारों के साथ सीधे ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गए। इन ऋणों का उपयोग इस्पात, विद्युत कोयला और तेल क्षेत्रों की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किया गया था। 2-2-55 से 31-12-91 तक 21361.1 लाख रूबल का कुल भुगतान हुआ है। अप्रैल, 1977 तक ऋणों की वापसी अदायगी 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज भुगतान सहित 12 वर्षों में थी। अप्रैल, 1977 के पश्चात् हस्ताक्षरित करारों के लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित ऋणों की वापसी अदायगी तीन वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में थी।

सोवियत संघ के ऋण रूबलों में वर्णीकृत थे लेकिन मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगी

अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की गई जिनका उपयोग सोवियत प्राधिकारियों द्वारा प्रवृत्त भारत-सोवियत व्यापार योजना के आधार स्वरूप के अन्तर्गत सोवियत संघ को निर्यात के लिए भारतीय माल की खरीद के लिए किया गया।

(ग) और (घ) सोवियत संघ के भंग होने के साथ अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उपयोग में न लाये गये ऋण कभी भी उपलब्ध होंगे।

3874. डा. राजगोपाल श्रीधरण :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूब लाइटों और इसके सहायक उपकरणों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्रांडों का ब्यौरा क्या है और इनका आयात किन देशों में किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) 1990-93 की यथासंशोधित आयात निर्यात नीति की शर्तों के अनुसार "ट्यूब लाइट और इसी की सहायक सामग्री" सकारात्मक सूची में आती है और इसके आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

गुजरात में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

3875. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1991 और 1992 (29 फरवरी तक) के दौरान गुजरात में आयकर विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) क्या इन छापों के दौरान समाचार पत्रों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा आयकर की चोरी के कुछ मामलों का पता चला था;

(ग) यदि हां' तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर विभाग द्वारा 1990-91 तथा 1991-92 (29 फरवरी, 1992 तक) के वित्त वर्षों के दौरान गुजरात में ली गई तलाशियों की संख्या क्रमशः 477 तथा 178 थी।

(ख) से (घ) जी, हां। इन तलाशियों के दौरान अहमदाबाद के एक समाचार-पत्र समूह के एक प्रबन्ध निदेशक के मामले में भारी मात्रा में कर अपवंचन किए जाने का पता चला है। उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन चालू वर्ष के लिए 186 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय सुपुर्द कर दी है तथा दिसम्बर, 1991 में अतिरिक्त अग्रिम करके रूप में 53 लाख रु. की एक

किस्त अदा कर दी है। तलाशी के दौरान पाई गई सामग्री के बारे में आगे अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

भारतीय रुई निगम में कमीशन एजेण्टों की नियुक्ति

3876. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम द्वारा निर्यात हेतु किसानों से रुई खरीदने के लिए नियुक्त किये गए कमीशन ऐजेण्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रुई निगम द्वारा कमीशन एजेण्टों को किस दर से कमीशन दिया जाता है;

(ग) एजेण्टों को विदेशों से कितना कमीशन मिलता है;

(घ) क्या विदेशों से प्राप्त कमीशन की उन्हें सरकार को जानकारी देनी होती है;

(ङ) सरकार को विदेशों में कमीशन जमा करने सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा इस मामले की कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय कपास निगम ने निर्यात के लिए किसानों से कपास की खरीददारी करने के लिए किसी भी कमीशन एजेंट की नियुक्ति नहीं की है।

(ख) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता दावों का भुगतान

3877. श्री वासवा राजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जुलाई, 1991 से पहले किये गए निर्यात के लिए निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता के दावों का भुगतान रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकार द्वारा बैंकों से ऋण लेना

3878. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि सरकार को बैंकों से कम ब्याज पर ऋण लेने पर नियंत्रण रखना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) । (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

3879. श्री भाम्ये गोवर्धन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदार व्यापार नीति को उदार बनाए जाने से किन-किन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) किन-किन देशों को किए जाने वाले निर्यात में पिछले छः महीनों के दौरान वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस वर्ष के पिछले छः महीनों के दौरान पिछले वर्ष या इसी अवधि की तुलना में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) व्यापार आंकड़े वित्तीय वर्ष आधार पर रखे जाते हैं ।

अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई तथा नवीनतम अवधि जिसके लिए वस्तु और देश का संक्षिप्त ब्यौरा इस समय उपलब्ध है, उनमें कृषि और सम्बद्ध उत्पाद रसायन और सम्बद्ध उत्पाद समुद्री, उत्पाद, अयस्क और खनिज, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर टैक्सटाइल्स, हस्तशिल्प, गलीचे आदि शामिल है ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान जिन देशों की भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है उनमें कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात ईरान, मलेशिया, हांगकांग, अफ्रीकी अरब, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंडस, कनाडा, इटली सिंगापुर, आईलैंड, यू एस. ए., बेल्जियम, जापान, स्विटजरलैंड, फ्रांस, मोरक्को, यू के., जर्मन संघीय गणराज्य, स्वीडन, युगोस्लाविया आदि शामिल है ।

(ग) सामान्य मुद्रा क्षेत्र को भारत के निर्यात अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान 30914 करोड़ रुपये के हुए जबकि अप्रैल-जनवरी, 1990-91 के दौरान यह निर्यात 21427 करोड़ रुपये के हुए थे, इस प्रकार निर्यात में 44·3% की वृद्धि हुई। सामान्य मुद्रा क्षेत्र को भारत के निर्यात में डालर के रूप में 5·7% की वृद्धि हुई। 1 रुपया भुगतान क्षेत्र को भारत के निर्यात अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान 3785 करोड़ रुपये के हुए जबकि अप्रैल-जनवरी, 1990-91 के दौरान यह निर्यात 4809 करोड़ रुपये के हुए थे, इस प्रकार इसमें 21·3% की गिरावट आई। रुपया भुगतान क्षेत्र को भारत के निर्यात में डालर के रूप में 42·3% की गिरावट आई।

कामन हाई कोर्ट

3480. **श्री पी. एम. सईद :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "कामन हाई कोर्ट" अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाराणसी से साड़ियों का निर्यात

3881. **श्री आनन्द रत्नमौर्य :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी साड़ियों का निर्यात किया गया तथा इससे वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई :

(ख) इस उद्योग के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं : और

(ग) कारीगरों/दस्तकारों को रियायती दरों पर धागा तथा इस उद्योग को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान रेशम वस्त्र उत्पादों का निर्यात इस प्रकार रहा है :—

1988-89	331 करोड़ रुपये
1989-90	401 करोड़ रुपये
1990-91	441 करोड़ रुपये

तथापि भारत सरकार द्वारा किसी विशेष स्थान के उत्पादन के निर्यात के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) हथकरघा के विकास के लिए कई योजनाएं हैं इनमे बुनकर सेवा केंद्र, वाराणसी द्वारा डिजाइन सहयोग भी शामिल है। इस समय कई योजनाएं चालू है। जैसे आधुनिकीकरण, कार्यशाला-सह-आवास योजना, प्रोजेक्ट पंकज योजना, जिनका वाराणसी में स्थित हथकरघा उद्योग लाभ उठा सकते हैं।

(ग) कारीगरों और दस्तकारों को रियायती मूल्यों पर सूत आपूर्ति करने की कोई योजना नहीं है। संगठित क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, शीर्ष समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगमों और प्राथमिक हथकरघा समितियों द्वारा सूत सप्लाई किया जाता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास केन्द्र

3882. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री ललित उरांव :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल कितने पुनर्वास केन्द्र हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में पुनर्वास की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं, और

(घ) विशेष रूप से उन जिलों में जहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या काफी अधिक है, पुनर्वास का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में कोई पुनर्वास केन्द्र नहीं चलाए जा रहे हैं। तथापि उत्तर प्रदेश में कुमाऊं राजपटल सेंटर तथा गढ़वाल राइफल्स रेजपटल द्वारा क्रमश: रानीखेत (जिला अल्मोड़ा) और लैंसडाऊन (जिला पौड़ी गढ़वाल) में दो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाए जा रहे हैं। लैंसडाऊन स्थित केन्द्र भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को सिलाई-बुनाई और हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग का प्रशिक्षण देता है तथा रानीखेत स्थित केन्द्र में दिवंगत जवानों की पत्नियां और आश्रितों को शाल तथा ऊनी कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया जाता है। बिहार राज्य में इस प्रकार का कोई केन्द्र नहीं है।

केन्द्र सरकार ने समूह "ग" एवं समूह "घ" पदों के लिए क्रमश: 10% और 20% आरक्षण की व्यवस्था की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में

समूह "ग" एवं "घ" पदों के लिए क्रमश: 14-1/2% तथा 24- /2% आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने दो समूह "ग" एवं "घ" पदों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की है। बिहार राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए नौकरियों में आरक्षण के अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में विभिन्न स्व:रोजगार योजनाएं भी चलाई जा रहीं हैं जिनमें सेमफैक्स-I, सेमफैक्स-II और सेमफैक्स-III प्रमुख हैं। सेमफैक्स-III योजना 15 अक्टूबर, 1991 से आरम्भ की गई है।

रोजगार सहायता के लिए पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्र और राज्य सरकारों तथा निजी एजेंसियों द्वारा उन्हें दिए गए रोजगार और चालू रजिस्टर में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, से संबंधित आंकड़े प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड द्वारा रखे जाते हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराए गए और 1989, 1990 और 1991 के दौरान इन राज्यों में सेमफैक्स-I और सेमफैक्स-II के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई स्व: रोजगार सहायता के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

इन राज्यों में अधिकतम भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने तथा स्व: रोजगार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करा कर उन्हें स्वः रोजगार में सहायता प्रदान करने के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं। रोजगार/स्व: रोजगार के वास्ते भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1988-90 की अवधि के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के चालू रजिस्टरों में दर्ज कराए गए और रोजगार दिए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

	1988		1989		1990	
	बिहार	उत्तरप्रदेश	बिहार	उत्तरप्रदेश	बिहार	उत्तरप्रदेश
1	2	3	4	5	6	7
1. रोजगार सहायता के लिए पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	2697	14396	2096	15220	2448	11098
2. रोजगार उपलब्ध करवाए गए भूतपूर्व सैनिकों की कुल सं०						
(क) केन्द्र सरकार द्वारा	280	1951	356	1403	417	1196

1	2	3	4	5	6	7
(ख) राज्य सरकार द्वारा	37	952	91	619	226	685
(ग) निजी एजेंसियों द्वारा	19	737	35	841	10	966
जोड़	336	3646	462	2863	653	2847
3. चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिकों की सं० (समीक्षाधीन वर्ष की 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार)	11260	63087	13301	4 179	13053	48134

कृपया ध्यान दें :— सभी एजेंसियों से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए वर्ष 1991 के पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सेमफेक्स-1 और सेमफेक्स-2 योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई स्वरोजगार सहायता (व्यक्तियों की संख्या)

राज्य	1989	1990	1991	जोड़
बिहार	45	71	37	153
उत्तर प्रदेश	144	48	250	442

[अनुवाद]

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति

3883. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री नानी महताचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए आय का स्तर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सारे देश में आय का स्तर एक समान रखने का है;

(घ) यदि हां, तो कब से, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्री रक्षा मन्त्री (शरद पवार)। (क) से (ङ) सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति (रक्षा छात्रवृत्ति को छोड़कर) की पात्रता के मानदण्ड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तदनुसार पात्रता संबंधी मानदण्ड विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। इस संबंध मे एकरूपता लाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की छात्रवृत्ति का भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है।

मे आइरन फाउन्डरी के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

3884. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्रीमती दीपिका एस. टोपीवाला :

श्री दत्तात्रेय बडारू :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 6 अगस्त, 1991 को प्रस्तुत की गई वर्ष 1991 की अपनी रिपोर्ट संख्या 8 में मे आइरन फाउन्डरी के प्रबन्धन के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)। (क) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1990 की अपनी रिपोर्ट सं. 8 मे मे आयरन फाउण्ड्री, जबलपुर की कार्य प्रणाली के बारे में टिप्पणियों की है। जिनमें से कुछ मुख्य टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :—

(1) 2.78 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर स्वीकृत क्षमता वृद्धि परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होना।

(2) क्षमता वृद्धि परियोजना के पूरा होने के बावजूद नियोजित उत्पादन स्तर प्राप्त न करना।

(3) अस्वीकृत मदों की अधिक दर।

(4) फाउण्ड्री द्वारा क्षमता अर्जित न किए जाने की वजह से ढलाई की मदों का परिहार्य आयात करना और उन्हें बाजार से खरीदना।

(5) फाउंड्री में कतिपय मुख्य मदों की उत्पादन लागत बाजार लागत से अधिक होना।

2. उक्त टिप्पणियों की विस्तार से जांच की गई है और तत्संबंधी निष्कर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्षमता वृद्धि परियोजना को पूरा करने में विलम्ब मुख्यतः संयंत्र और मशीनरी की खरीद में हुए विलम्ब के कारण हुआ। यह विलम्ब मशीनों का चयन करने, आयात के लिए मंजूरी लेने, विदेश मुद्रा आदि मुहैया किए जाने लगे समय के कारण हुआ।

बढ़ी हुई क्षमता को प्राप्त न कर पाने का मुख्य कारण नई मदों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की वजह से पर्याप्त धार्मिक उपलब्ध न हो पाना था।

ग्रे आयरन फाउण्ड्री में अस्वीकृत मदों की अधिक दर।

अथवा उत्पादन की अधिक लागत का कारण योजनाबद्ध सुविधाओं के लिए सीमित तकनीकी तथा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न किस्म के कल्याण कार्यों से जुड़े अपरि-खर्च अधिक होना था।

कम्पनी के अपने अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के फलस्वरूप अस्वीकृत मदों की संख्या में कमी लाना संभव हुआ और इससे उत्पादन की यूनिट लागत भी कम हो गई। परन्तु वाहन निर्माणी, जबलपुर से कम काम मिलने की वजह से क्षमता के उपयोग में विशेष वृद्धि करना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए गैर-रक्षा-क्षेत्र से आर्डर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सैनिक स्कूलों में आहार पर व्यय धनराशि

3885. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री नानी भट्टाचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में आहार पर प्रत्येक छात्र पर प्रतिदिन कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) यह किस वर्ष में निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या सरकार का उसे बढ़ाने का विचार है;

(ब) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक स्कूलों के छात्रों के लिए आहार का खर्च जैसा कि सैनिक स्कूल समिति द्वारा निर्धारित किया गया है प्रति छात्र 10 रुपये प्रति-दिन है।

(ख) दिसम्बर, 1985।

(ग) से (ङ) शैक्षिक सत्र 1992-93 के पहले दिन से ही आहार का खर्च बढ़ा दिया गया है और अब यह प्रति छात्र 11.25 रुपये प्रतिदिन है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना

+ 3886. श्री नवल किशोर राय :

श्री साइमन मरांडी :

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री धर्म सिंह :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उच्च न्यायालय ही खंड पीठ स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है, और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी न्यायतंत्र के विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है,

(घ) यदि हां, तो न्यायालय-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपबंधित किए जाने के बाद त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित की जाएंगी।

इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने की मांग, जसवंत सिंह आयोग को निर्दिष्ट की गयी थीं और आयोग की सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों

को, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से उनके विचार/टिप्पण के लिए भेजी गई थी। उच्च न्यायालय की न्यायपीठें उनके मुख्य स्थानों से दूर स्थापित करने के साधारण प्रश्न पर आयोग की सिफारिशें, कर्नाटक सरकार को, हुबली-धारवाड़ में उच्च न्यायालय की स्थापित करने के उनके पूर्ववर्ती प्रश्न पर उनके विचार और टिप्पण के लिए भेज दी गयी थीं। संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से इन राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अंडमान और नीकोबार द्वीप के इस प्रस्ताव पर कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थापित की जाए, इस कारण सहमति नहीं हुई है कि उस संघ राज्यक्षेत्र से उच्च न्यायालय में मामले पर्याप्त संख्या में संस्थित नहीं किए जा रहे हैं। उत्तरी बंगाल में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है। किसी अन्य राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (ङ) जी नहीं। उच्च न्यायालय की न्यायपीठें उनके मुख्य स्थानों से दूर स्थापित करने की समीचीनता और वांछनीयता का निर्धारण करने में अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांतों और मानदंडों पर जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशें और न्यायपीठ के स्थान का चयन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें, सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को जानकारी और मार्गदर्शन के लिए भेज दी गयी हैं।

कपड़ों का आयात/निर्यात

3887. श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयात और निर्यात किए गए कपड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कपड़ों के निर्यात द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1990.91 और 1991-92 के दौरान निर्यात किये गये परिधानों के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

	1990-91	1991 92 (जनवरी, 92 तक)
1) मात्रा (हजार अदद में)	615000	5>7071
2) मूल्य (करोड़ रु. में)	4640	4441 (अ)

परिधानों के आयात की अनुमति नहीं है।

(ग) सरकार ने परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये ठोस कदम उठाये हैं जैसे रियायती शुल्क पर परिधान निर्मित करने वाली मशीनों से आयात की अनुमति देकर परिधान उद्योग का आधुनिकीकरण, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में भाग लेना, परिधान कोटा नीति के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में बदलना

3888. श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

श्री नारायण खापेलवाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के अधीन दिल्ली परिवहन निगम सहित अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में बदलने तथा इन निगमों को दिये गए ऋणों की ब्याज सहित राशि को इक्विटी में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है :—

दिल्ली परिवहन निगम :

दिल्ली परिवहन निगम को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित किये जाने के लिए तथा इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के पुनर्संगठन के लिए एक अन्त सम्बद्ध पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय निकर्षण निगम :

(3) कुछ चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर को अंशत: विनिवेश (डिइनवेस्ट) करके 20 प्रतिशत तक अप्रयुक्त पूंजी को म्यूचअल राशियों/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में करने के लिए सरकार के निर्णय के परिणाम स्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय निकर्षण निगम को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की गई है। तथापि, भारतीय निकर्षण निगम को दिये गए वर्तमान ऋणों तथा उन पर उपचित ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है।

(2) अंशत: विनिवेश के परिणाम-स्वरूप भारतीय निकर्षण निगम के 10 रु. की 'फेस वैल्यू' के 402300 शेयर (म्यूचअल फण्ड) को बेच दिये गए हैं।

(3) ये शेयर चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के हिस्सों को म्यूचअल फण्ड वित्तीय संस्थानों में परिवर्तित करने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसरण में बेचे गए हैं।

भारतीय नौवहन निगम :

(1) सरकार द्वारा भारतीय नावह निगम लिमिटेड में सरकार के हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, भारतीय नौवहन निगम में सरकार के इक्विटी हिस्सों का 10.34 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों तथा "म्यूचअल फण्ड" को दिया गया है। शेयरों की "होल्डिंग" सम्बन्धी निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन निगम का पब्लिक लिमिटेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया जाना होगा।

(2) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के मामले में, सरकार ने मार्च, 1991 में 31-3 1990 तक दिये गए 191.04 करोड रु. तक की ऋण राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया है। मार्च, 1991 में सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय नौवहन निगम लि. को ऋण व इक्विटी को में परिवर्तित की 3 : 1 के अनुपात में राशियां प्रदान करने का भी निर्णय ले लिया था। इस निर्णय के अनुसार वर्ष 139 -92 में भारतीय नौवहन निगम को 21.07 करोड़ रु. तक के ऋणों को भी इक्विटी में परिवर्तित किया जा रहा है। तथापि, इसका सरकार के हिस्से नियोजन को विनिवेश करने सम्बन्धी निर्णय से कोई संबंध नहीं है।

(3) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में सरकार के हिस्से को विनिवेश करना तथा परिणामतः कम्पनी को पब्लिक कपनी में परिवर्तित करना सरकार की चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्से का विनिवेश करना, सरकार की समुचित नीति का एक भाग ही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाएं

3789. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) राज्य में विदेशी सहायता से शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) परियोजनाओं की सूची और पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारत सरकार और विदेशी ऋण से संबंधित अन्य संस्थानों के साथ परामर्श करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही परियोजना की सूची विवरण-II पर दी गई है। तथापि, अन्त में सम्बद्ध होने वाली परियोजना, वचनबद्धता का विस्तार और समय निर्धारण, परियोजना की विस्तृत तैयारी तथा दाता देश की तरजीह एवं उपलब्ध वचनबद्धता पर निर्भर करेंगे।

विवरण-I

(आंकड़े दाता देश की मुद्रा में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	वचनबद्धता की राशि (मिलियन)	संवितरण/उपयोग			
				88-89	89-90	90-91	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	एकीकृत जल प्रबन्ध	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	यूरोपीय मुद्रा 45.6	5.26×	11.40×	14.00	(×करोड़ रुपए)
2.	दक्षिणी भागीरथी चरण-II	—तदैव—	—तदैव— 8.4	8.222	—	—	—
3.	भीमताल एकीकृत जल-प्रबन्ध	—तदैव—	—तदैव— 4.4	—	4.33	—	—
4.	अस्कालाइन भूमि सुधार	—तदैव—	—तदैव— 35.5	—	—	—	—
5.	यून-घाट एकीकृत जल-विभाजक प्रबन्ध	—तदैव—	—तदैव— 22.5	—	—	—	—
6.	इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन	इटली	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर 17.00	—	2.28@	3.2	(@संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर

7.	राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गायों का आयात	जर्मन संघीय गणराज्य	यूरो मार्क	6.00	—	0.10	—		
8.	इंदिरा संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र	—तदैव—	—तदैव—	484.90	—	—	52.91		
9	उत्तर प्रदेश पूर्व-III	नीदरलैंड	डच फ्लोरिन	16.70	4.58	3.84	0.91		
10.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजना-IV	—तदैव—	—तदैव—	17.00	6.34	5.02	2.34		
11.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजना-V	—तदैव—	—तदैव—	5.21	—	—	—		
12.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजना-VI	—तदैव—	—तदैव—	25:00	—	—	—		
13.	उत्तर प्रदेश नलकूप	—तदैव—	—तदैव—	90.00	—	13.90	—		
14.	कानपुर बिजली	यूनाइटेड किंगडम	पोण्ड	9.00	—	—	—	—	
15.	अन्नपारा तापीय	जापान	जापानी येन	24100.00	—	11468.00	4741.00	—	
16.	अन्नपारा तापीय-II	—तदैव—	—तदैव—	14295.00	—	—	—	—	
17.	अन्नपारा पारेषण	—तदैव—	—तदैव—	19318.00	—	—	—	—	
18.	अन्नपारा तापीय.III	—तदैव—	—तदैव—	49801.00	—	—	8008-00	—	
19.	पर्वटन विकास	—तदैव—	—तदैव—	9244.00	—	—	75.00	—	
20.	बस्ती अस्पताल	"ओपेक"	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर	6.50	—	—	—	—	
21.	आई.सी.डी.एस	नार्वे	—	—	—	20.58	—	करोड़ रुपए	
22.	अनौपचारिक शिक्षा	नार्वे	—	—	—	1.08	—	करोड़ रुपए	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	वचनबद्धता की राशि (मिलियन)	संवितरण/उपयोग		
				88-89	89-90	90-91
1.	ऊपरी गंगा	विश्व बैंक	125.00	19.3	8.8	20.4
2.	हिमाचल जल-विभाजक	,,	46.2	4.0	3.6	6.0
3.	एन.ए.ई.पी.-I	,,	39.0	1.4	4.3	7.0
4.	एन.ए.ई.पी. II	,,	49.0	5.4	5.2	5.1
5.	एन.ए.ई.पी. III	,,	85.0	3.9	12.5	6.8
6.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	,,	165.0	31.7	23.8	41.6
7.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण	,,	250.7	13.1	44.8	35.9
8.	रिहन्द विद्युत पारेषण	,,	250.0	40.6	39.2	18.0
9.	संयुक्त चक्र बिजली	,,	485.0	209.9	78.1	100.0
10.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति	,,	485.0	63.5	57.4	64.7
11.	उत्तर प्रदेश बिजली	,,	350.0	25.3	1.3	18.9
12.	दुधिचुआ कोयला	,,	151.0	9.5	26.8	8.1
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग	,,	200.0	14.3	10.2	12.1

क्र.सं	परियोजना का नाम	अभिकरण	वचनबद्धता की राशि (मिलियन)	आंकड़े दाता देश की मुद्रा में संवितरण/उपयोग		
				88-89	89-90	90-91
1.	राज्य सड़क	विश्व बैंक	250	0.0	0.0	4.0
2.	सरकारी उर्वरक	,,	152.0	0.0	6.2	9.8
3.	उत्तर प्रदेश	,,	149.8	9.2	13.4	15.1
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	,,	280	0	0	0
5.	तकनीकी शिक्षा I	,,	260	0	0	0
6.	औद्योगिक प्रदूषण	,,	155.6	0	0	0
7.	जनसंख्या VI	,,	124.6	0	6.0	14.5
8.	सड़क सुधार	एशियाई विकास बैंक	198.0	—	—	—
9.	द्वितीय सड़क परियोजना	,,	250.0	—	—	—
10.	ऊंचाहार तापीय विद्युत विस्तार	,,	160.0	—	16.0	—

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में संभावित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	संभावित दाता
1.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिए स्टेटिकव कम्पेन्सेटर्स की खरीद	फ्रांस
2.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	यूनाइटेड किंगडम
3.	एकीकृत जल-विभाग प्रबन्ध परियोजना	नीदरलैंड
4.	बुन्देल खंड में सतही जल भण्डारण ढांचे	—तदैव—
5.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजना—7	—तदैव—
6.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजना—8	—तदैव—
7.	अन्नपारा तापीय परियोजना—4	जापान
8.	उत्तर प्रदेश मैंडिक हैन्ड्स रेक्टेमेशन परियोजना	विश्व बैंक
9.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	—तदैव—
10.	उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना	संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण

[अनुवाद]

शीर्ष सहकारी बैंक

3890. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य शीर्ष सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक एपेक्स बैंक की शाखाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्ष बैंकों में वर्ष-वार कुल जमा राशि कितनी थी तथा बैंकों को ये कितना ऋण दिया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक शीर्ष बैंक ने कितना लाभ कमाया/कितनी हानि उठाई और यदि हानि उठाई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)। (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में स्थित

शीर्ष सहकारी बैंकों की कुल संख्या और इनकी शाखाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान शीर्ष सहकारी बैंकों की जमाराशियों और उनके द्वारा दिए गए ऋणों को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(घ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान शीर्ष बैंकों की राज्य वार लाभ/हानि की राशि को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अनुसार हानि के कारण निम्नलिखित है : अनिदेय राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति, कम ब्याज दरें और अपर्याप्त मार्जिन प्रबन्ध की उच्च लागत, निधि का अव्यवस्थित प्रबन्धन, सहकारी बैंकों में राजनीतिक प्रभाव और प्रबन्धन में लोकतंत्रीकरण और व्यावसायिकता की कमी।

विवरण-I

शीर्ष सहकारी बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या सहित राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शीर्ष राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	शीर्ष राज्य भूमि विकास बैंकों की संख्या	राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	16	1	22
2.	असम	1	65	1	21
3.	बिहार	1	18	1	187
4.	गोवा	1	23	—	—
5.	गुजरात	1	—	1	182
6.	हरियाणा	1	5	1	74
7.	हिमाचल प्रदेश	1	80	1	18
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	9	1	33
9.	कर्नाटक	1	29	1	177
10.	केरल	1	12	1	42

1 2	3	4	5	6
11. मध्य प्रदेश	1	18	1	45
12. महाराष्ट्र	1	38	1	301
13. मणिपुर	1	9	—	—
14. मेघालय	1	26	—	—
15. मिजोरम	1	8	—	—
16. नागालैंड	1	20	—	—
17. उड़ीसा	1	5	1	55
18. पंजाब	1	11	1	53
19. राजस्थान	1	12	1	33
20. चंडीगढ़	1	4	—	—
21. तमिलनाडु	1	38	1	181
22. त्रिपुरा	1	28	1	3
23. उत्तर प्रदेश	1	41	1	276
24. पश्चिम बंगाल	1	33	1	26
25. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	26	—	—
26. अरुणाचल प्रदेश	1	26	—	—
27. दिल्ली	1	16	—	—
28. पांडिचेरी	1	14	1	—
जोड़	28	230	19	1729

विवरण-II

वर्ष 1988-89 और 1989-90 (अनंतिम उपलब्ध) के लिए क्षेत्रीय सहकारी बैंक जमाराशियों और उनके द्वारा दिए गए ऋणों की राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जमाराशियों की राशि				अग्रिमों की राशि (बकाया)			
		रा. स. बैंक		रा. भू. वि. बैंक		रा. स. बैंक		रा. भू. वि. बैंक	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	20824	20824	17.39	16.52	58405	58405	7994	9186
2.	असम	11674	13264	—	—	11275	13482	107	190
3.	बिहार	17821	17821	15.03	NA	21697	21697	1375	4
4.	गोआ	3442	4199	—	—	2125	2939	—	—
5.	गुजरात	50272	52883	0.03	0.03	51124	40277	3478	3457

1 2	2	3	4	5	6	7	8	9
6. हरियाणा	14489	14389	—	3.21	44167	44167	3790	4572
7. हिमाचल प्रदेश	11129	13303	—	—	1280	636	278	185
8. जम्मू एवं कश्मीर	NA	NA	0.01	—	NA	NA	467	442
9. कर्नाटक	27478	24288	4.92	4.52	52055	17244	9090	7639
10. केरल	17280	23074	1.68	1.50	35150	27143	4435	5207
11. मध्य प्रदेश	33054	37807	31.38	36.71	16900	93484	4314	4107
12. महाराष्ट्र	153400	181135	—	—	415241	423229	9044	10395
13. मणीपुर	621	621	—	—	421	421	—	—
14. मेघालय	3004	3004	—	—	682	682	—	—
15. नागालैंड	1286	—	—	—	718	718	—	—
16. उड़ीसा	4287	4653	—	—	12486	8038	621	54
17. पंजाब	28425	33070	—	0.11	41543	67519	6790	6618
18 राजस्थान	9634	9634	330.00	187.36	18242	18242	2922	2819
19. चंडीगढ़	524	524	—	—	11	11	—	—
20. तमिलनाडु	31622	38724	0.25	0.65	91374	134004	2839	2486

21. त्रिपुरा	1455	1865	—	—	996	1017	17	50
22. उत्तर प्रदेश	66144	71429	10.49	12.47	114051	33470	11096	13314
23. पश्चिम बंगाल	17078	17078	0.01	0.01	7379	7379	1302	2583
24. अंडमान एवं निकोबार	835	835	—	—	793	793	—	—
25. अरुणाचल प्रदेश	1511	1768	—	—	756	922	—	—
26. दिल्ली	NA	NA	—	—	—	—	—	—
27. मिजोरम	NA	NA	—	—	—	—	—	—
28. पांडिचेरी	1561	2547	—	—	6970	6761	96	63

विवरण-III

वर्ष 1988-89 और 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान शीर्ष सहकारी बैंकों की लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक (लाभ) + (/हानि) (—)		राज्य भूमि विकास बैंक	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1.	आंध्र प्रदेश	327	401	(—)923	(—)1768
2.	असम	19	NA	(—) 56	(—) NA
3.	बिहार	301	281	(—)818	(—)1509
4.	गोवा	49	70	—	—
5.	गुजरात	133	157	(—)682	(—) 254
6.	हरियाणा	360	570	(+)298	(+) 260
7.	हिमाचल प्रदेश	134	246	(+) 3	(+) 3
8.	जम्मू व कश्मीर	1	5	(+)030	(+) 0.20
9.	कर्नाटक	53	79	(—)406	(—) 1281
10.	केरल	20	65	(+) 74	(+) 54
11.	मध्य प्रदेश	418	353	(+) 69	(+) 61
12.	महाराष्ट्र	456	593	(+) 11	(+) 22
13.	मणिपुर	12	16	—	—
14.	मेघालय	4	6	—	—
15.	नागालैण्ड	NA	22	—	—
16.	उड़ीसा	57	61	(+) 11	(+) 76
17.	पंजाब	459	3853	(+)450	(+) 625
18.	राजस्थान	137	105	NA	(+) 129
19.	चंडीगढ़	NA	1	—	—
20.	तमिलनाडु	544	963	(—)734	(+) 161
21.	त्रिपुरा	36	2	(—) 9	(—) 13
22.	उत्तर प्रदेश	235	139	(+)443	(+) 715

1	2	3	4	5	6
23.	पश्चिम बंगाल	28	89	(+) 47	(+) 43
24.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	21	22	—	—
25.	अरुणाचल प्रदेश	23	28	—	—
26.	दिल्ली	125	17	—	—
27.	मिजोरम	5	93	—	—
28.	पांडिचेरी	21	15	(+) 1	(—) 9

[हिन्दी]

सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

3891. **श्री शिवलाल नागजी भाई बेकारिया :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के उद्देश्य से कोई नई नीतिगत योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वस्त्रों के निर्यात के लिए कोई राज्यवार कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो हरियाणा और गुजरात के लिए निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) परिधान की श्रेणियों के निर्यात संबंधित आयातक देशों के साथ भारत द्वारा किए गए विपक्षीय करारों के अनुरूप कोटा सम्बन्धी प्रतिबंधों द्वारा कवर होते हैं जोकि परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति द्वारा संचालित हैं। इस नीति में पात्र निर्यातकों को कोटों का आवंटन करने के लिए विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे रियायती शुल्क पर परिधान निर्मित करने की मशीनों के आयात की अनुमति देकर परिधान उद्योग का आधुनिकीकरण, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में भाग लेना, परिधान कोटा नीति के जरिए विनिर्माता-निर्यात तथा गैर कोटा निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देना आदि।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में चालू परियोजनाओं की प्रगति

3892. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अन्तर्राज्य सड़क पुलों संबंधी चालू परियोजनाओं का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों हेतु केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत सातवीं योजना के दौरान अनुमोदित राजस्थान के सात अन्तर-राज्यीय पुलों से है । चूंकि, ये पुल राज्य सड़कों पर पड़ते हैं, अत: इनके कार्यान्वयन तथा कार्य को शीघ्र करने के लिए प्रयास करने हेतु राजस्थान सरकार अनिवार्यत: रूप से जिम्मेदार है ।

राजस्थान में उप-मार्गों का निर्माण

3893. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर उप-मार्गों का निर्माण करने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है, और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जयपुर और महुआ में बाईपास के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है । पूरी भूमि पर कब्जे के बाद ही इन बाईपासों का निर्माण किया जा सकता है । उदयपुर बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण अभी हाल ही में पूरा हुआ है, और चरणों में बनाए जाने वाले इस बाईपास के लिए लोक निर्माण विभाग विस्तृत परियोजना तैयार कर रहा है ।

[अनुवाद]

कोचीन पत्तन में गोदियां

3894. **प्रो. के. वी. थामस :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन में इस समय कितनी गोदियां है,

(ख) क्या सरकार का कोचीन पत्तन में कोई अतिरिक्त गोदी का निर्माण करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन

न्यास में 13 बर्थ हैं जिनमें से एक उर्वरक बर्थ, तीन टैंकर बर्थ, सात सामान्य कोर्गो बर्थ तथा दो कोयला बर्थ हैं।

(ख) एक कन्टेनर बर्थ पहले ही तैयार की जा रही है और पूरी होने ही वाली है।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं वाली एक कन्टेनर बर्थ की व्यवस्था संबंधी परियोजना की लागत 53.11 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह ए. डी. बी. सहायता प्राप्त परियोजना है। इस परियोजना से संबंधित अधिकांश ठेके पूरे हो चुके हैं समाप्ति की संभावित तारीख मई, 1992 है।

[हिन्दी]

विद्युत करघा क्षमता का उपयोग

3895. डा. महादीपक सिंह शाक्य।

श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विद्युत करघों की मात्रा 50 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) क्षमता का उपयोग न कर पाने के मुख्य कारण यार्न की कीमतों में अधिक वृद्धि, पावर कटौती, कार्यशील पूंजी ऋणों का उपलब्ध न होना आदि हैं।

(ग) और (घ) सरकार को विद्युतकरघा क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की जानकारी है और इसमें करघों की आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के जरिए विद्युतकरघा क्षेत्र में निर्मित फैब्रिक की क्वालिटी को उन्नत बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्रोत्पादन

3895. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में स्थापित विद्युतकरघों द्वारा वस्त्रोत्पादन में वृद्धि रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 2989-90, और 1990-91 के दौरान इस क्षेत्र में कुल कितनी मात्रा में वस्त्र का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात से हाल के वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान इसे कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ङ) सरकार आगामी वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(च) विद्युत करघों के वस्त्र उत्पादन का वर्ष 1992-93 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत करघा में वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख)

	(मि. वर्ग मीटर में)
1988-89	9372
1989-90	9788
1990-91	10988

(ग) जी हां ! इस क्षेत्र में अभी हाल के वर्षों में वस्त्र निर्माताओं के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

(घ) वर्ष 1990-91 में निर्यात का निर्यात का मूल्य 5253.80 मिलियन रु. हैं ।

(ङ) सरकार ने विद्युत करघों के आधुनिकीकरण प्रशिक्षण आदि के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी है ।

(च) विद्युत करघा द्वारा वस्त्रों के उत्पादन के लिए कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है ।

राज्य वित्त निगम

3897. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य वित्त निगम ऋण अथवा विनियोग से कमजोर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके कारण है; और

(ग) उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार किसी भी राज्य वित्तीय निगम की शुद्ध मालियत नकारात्मक नहीं है। तथापि, डाक्वटी के प्रतिफल, वसूली अनुपात, पूंजी पर्याप्तता, आस्तेय से प्रमाणित पोर्टफोलियो और पुनर्भरण पर आधारित समग्र वित्तीय लेन-देन के उनके भारित औसत सूचकांक के आधार पर सात राज्य वित्तीय निगमों को वित्तीय दृष्टि से कमजोर माना जा सकता है। ऐसे राज्य वित्तीय निगमों की सूची संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य वित्तीय निगमों के पुनरुज्जीवन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक कार्ययोजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य वित्तीय निगमों के उच्च प्रबन्धन के पुनर्गठन, निम्न पूंजी पर्याप्तता वाली राज्य वित्त निगमों में पुनःपूंजी निवेश राज्य वित्त निगमों से अपने वित्तीय परिचालनों में विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन की अपेक्षा, लेखा नीति और मानकों के उन्नयन की अर्थक्षम वृद्धि के लिए राज्य वित्तीय निगमों के संसाधन पैटर्न के पुनर्गठन की परिकल्पना की गयी है। इसके कार्यान्वयन से वित्तीय तौर पर कमजोर राज्य वित्तीय निगमों की अर्थक्षमता में सुधार होने की आशा है।

विवरण

राज्य वित्त निगमों की सूचि जिन्हें "कमजोर" माना जा सकता है

1. असम वित्तीय निगम
2. बिहार राज्य वित्तीय निगम
3. हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम
4. जम्मू व कश्मीर राज्य वित्तीय निगम
5. केरल राज्य वित्तीय निगम
6. मध्य प्रदेश वित्तीय निगम
7. उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम

पंजाब चुनावों के दौरान बूथों पर कब्जा करना और हेरा फेरी करना

3898. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पंजाब में 19 फरवरी, 1992 को हुए लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में हेरा-फेरी की कितनी शिकायतें सरकार और निर्वाचन आयोग को मिली हैं;

(ख) क्या ये शिकायतें उम्मीदवारों से प्राप्त हुई है;

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) किन-किन राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया और किन-किन दलों का इसने बहिष्कार किया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग के पास पंजाब में 19 फरवरी, 1992 को लोक सभा विधान सभा के लिए हुए निर्वाचनों में गड़बड़ी की बाबत पच्चीस शिकायत प्राप्त हुई और इसमें से बारह शिकायतें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की हैं।

(ग) निर्वाचन के दौरान प्राप्त की गई ऐसी शिकायतों के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है न कि सरकार द्वारा निर्वाचन पूरे होने के पश्चात् ही इन मामलों में कार्रवाई निर्वाचन अर्जी के माध्यम से की जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने आठ शिकायतों में कोई कारेबान बात नहीं पाई, दो शिकायतें निश्चित प्रकार की नहीं थी अतः कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तथा शेष पन्द्रह शिकायतें मतदान और उसकी घोषणा के पश्चात प्राप्त हुई थीं, इस लिए उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं गई थी।

(घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया है जिसमें उन राजनैतिक दलों का नाम वर्णित है जो निर्वाचन लड़े। अन्य दल पंजाब में निर्वाचन नहीं लड़े।

विवरण

लोक सभा	पंजाब विधान सभा
राष्ट्रीय दल	राष्ट्रीय दल
(19-2-92 को यथा विद्यमान)	(19-2-92 को यथा विद्यमान)
1. भारतीय जनता पार्टी	1. भारतीय जनता पार्टी
2. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	2. इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3. जनता दल	3. जनता दल
4. लोक दल	4. लोक दल
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
राज्य दल	राज्य दल
1. बहुजन समाज पार्टी	1. बहुजन समाज पार्टी
2. शिरोमणि अकाल दल	2. शिरोमणि अकाली दल
रजिस्ट्रीकृत दल	रजिस्ट्रीकृत दल
भारतीय कृषि उद्योग संघ	1. आल इण्डिया शिरोमणि बाबा
पंजाब विधान सभा	जीवन सिंह मजहबी दल

2. अखिल भारतीय मानव सेवा दल
3. भारतीय कृषि उद्योग संघ
4. इण्डियन पीपुल्स फ्रंट
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी
6. पंजाब पीपुल्स पार्टी
7. यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

3899. श्री पी. जी. नारायणन :

डा. सी. सिलवेरा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान भारी संख्या में कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान माहवार पंजीकृत हुई सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का ब्योरा क्या है,

(ग) इस प्रकार के पंजीकरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं,

(घ) इन सभी कम्पनियों की अधिकृत पूंजी कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ङ) क्या सरकार ने कुछ पंजीकृत कम्पनियों को और असीमित दायित्व रखने की अनुमति दी है, और

(च) यदि हां, तो इन कम्पनियों का श्रेणीवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) 1990 में पंजीकृत 21,686 कंपनियों के मुकाबले में 1991 के दौरान, 25, 148 पंजीकृत की गई थीं जिससे लगभग 16% की वृद्धि अंकित की गई। 1991 के दौरान पंजीकृत की गई पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड तथा असीमित देयता वाली कम्पनियों का माहवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्राइवेट कम्पनी के मामले में कोई दो या अधिक व्यक्ति और पब्लिक कम्पनी के मामले में कोई सात या अधिक व्यक्ति किसी भी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए एक निगमित कम्पनी बना सकते हैं। संप्रवर्तकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम्पनी के प्रस्तावित नाम की उपलब्धता प्राप्त करें और उसके बाद कम्पनी के निगमन के लिए निर्धारित फीस साथ संगम ज्ञापन तथा अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुपालन की घोषणा तथा अन्य दस्तावेज की मुद्रित प्रति उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर करें जिसमें उस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(घ) वर्ष 1991 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की प्राधिकृत पूंजी 5883 करोड़ रुपये थी।

(ङ) और (च) जी हां। 1991 के दौरान देश में असीमित देयता वाली 20 कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं। विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों का ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

माह	पब्लिक	प्राइवेट	असीमित	योग
जनवरी	136	1970	5	2111
फरवरी	161	1952	0	2113
मार्च	152	1980	5	2137
अप्रैल	180	2265	4	2449
मई	163	1982	1	2146
जून	118	1628	1	1747
जुलाई	164	2181	0	2345
अगस्त	189	1876	0	2065
सितम्बर	187	1676	0	1863
अक्टूबर	174	1931	1	2106
नवम्बर	174	1752	3	1929
दिसम्बर	200	1937	0	2137
योग	1998	23130	20	25148

विवरण-II

क्रम. सं.	औद्योगिक गतिविधि	कम्पनियों की संख्या
1.	शेयरों, डिबेन्चरों या नियमित क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों से सम्बन्धित कार्य	5
2.	मशीनरी और उपस्कर को किराये या पट्टे पर देना	5
3.	कमीशन एजेन्ट	5
4.	थोक व्यापार	1
5.	मशीन औजार, उनके पुर्जों और उपस्करों का विनिर्माण	1
6.	सामुदायिक सेवाएं	3
	योग	20

[हिन्दी]

सूती वस्त्रों का निर्यात

3900. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विशिष्ट कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार सूती वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार सूती फैब्रिक सहित वस्त्र मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं, रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देकर वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में भाग लेना, वस्त्र कोटा नीति के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देना आदि । इन उपायों को करने के फलस्वरूप वर्ष 1991-92 के दौरान सूती फैब्रिक निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई हैं । अप्रैल, 91-जनवरी 92 की अवधि के दौरान सूती फैब्रिक के निर्यात निर्यात 1274 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जोकि 1990-91 की इसी अवधि के दौरान 871 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है । अभी हाल ही में शुरू की गई उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन योजना से ऐसी आशा है कि निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा ।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में डिबेंचरों/ऋण पत्रों के मूल्य

3901. श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युचुअल फण्डों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों के कारण शेयर में डिबेंचरों/ऋण पत्रों के मूल्यों में अचानक तेजी आयी है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं/म्युचुअल फण्डों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सुपुर्दगी करने अथवा सुपुर्दगी न करने (बायदा बाजार) पर खरीदे गये अथवा बेचे गये शेयरों/ऋण पत्रों का कंपनी-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं के बचे हुए शेयरों को शेयर में बेचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है, ताकि देश में विशेष रूप से लघु निवेशकों के हित में शेयरों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) पारस्परिक निधियां तथा वित्तीय संस्थाएं सट्टे के कार्यकलाप नहीं करती हैं। अतः शेयर मूल्यों की तेजी को उनके कार्यकलापों से जोड़ना उचित नहीं है। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड पारस्परिक निधियों की गतिविधियों को मानीटर करता है।

निर्यात के लिए हथकरघा क्षेत्र का विकास

3902. डा. आर मल्लू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को प्रचालन संबंधी कठिनाईयों के प्रति संरक्षण देने का आश्वासन दिया है जैसाकि 28 जनवरी, 1912 के "दि इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के संदर्भ में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार का विचार हथकरघा वस्त्रों का अधिकतम निर्यात सुनिश्चित करने और मिल से बने वस्त्रों का घरेलू प्रयोजन के लिए अधिकतम खपत करने तथा विदेशों में हथकरघा वस्त्रों की मांग का लाभ उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हथकरघा की अद्वितीय भूमिका को बनाए रखने और हथकरघा बुनकरों की सामाजार्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(1) हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए हैंक यार्न बाध्यता योजना;

(2) हथकरघा क्षेत्र में यार्न के उत्पादन के लिए बुनकर सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी की भागीदारी के लिए ऋण सहायता;

(3) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को सूत आपूर्ति कार्यकलापों और विकास के कार्यकलापों के लिए सहायता;

(4) जनता कपड़ा योजना;

(5) ग्रिफ्ट एंड योजना और कार्यशाला-सह-आवास योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी उपाय;

(6) करघे से पूर्व और करघे से उपरांत प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता;

(7) करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता;

(8) बुनकरों को सुधरी हुई प्रौद्योगिकी में विकेन्द्रित प्रशिक्षण की योजना;

(9) देश में विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिजाइन सहयोग और प्रौद्योगिकी निवेश का प्रावधान;

(10) पावरलूम की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में मूल्य ह्रास दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय रियायतें;

(11) हथकरघा संगठनों को विपणन विकास सहायता देना;

(12) राष्ट्रीय हथकरघा एकर्कों में हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट;

(13) राष्ट्रीय और राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा विपणन काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए सहायता;

(14) प्रदर्शनी सह-बिक्री के माध्यम से अद्वितीय बुनाई और डिजाइन के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह कार्यक्रम के लिए सहायता;

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1991-92 के दौरान कुछ नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। जैसे :—(1) संगठित हथकरघा ग्रामीण विकास योजना; (2) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी; (3) नई प्रोजेक्ट पैकेज योजना। थिरफ्ट फण्ड योजना में संशोधन और विस्तार किया गया है तथा इसमें अब सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकनों को भी शामिल किया गया है। कार्यशाला-सह-आवास के इकाई मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई है और विद्युतीकरण तथा भूमि मूल्य को भी इकाई मूल्य में शामिल किया गया है।

हथकरघा बुनकरों की बिगड़ती हुई दशा में सुधार लाने के लिए उठाये गये प्रभावी कदमों और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में किए गये उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या इस प्रकार है :—

(क) आंध्र प्रदेश को 5 मिलियन वर्ग मीटर अतिरिक्त जनता कपड़े का लक्ष्य आवंटित किया गया और इसके लिए 127.40 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप से दी गई। आरम्भ में यह आबंटन केवल गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम जिलों के लिए ही सीमित रखा गया था लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य के अनुरोध पर इस अतिरिक्त लक्ष्य के कुछ भाग को राज्य के अन्य भागों के लिए भी अनुमति दे दी गई है। यह 52 मिलियन वर्ग मीटर के आरम्भ के लक्ष्य के अतिरिक्त है।

(ख) गैर जनता कपड़े के लिए "एप्को" को विपणन विकास सहायता के लिए अतिरिक्त आबंटन किया गया है ताकि वे 2 करोड़ रुपये मूल्य का कपड़ा उपलब्ध कर सकें।

(ग) देश में निस्सहाय बुनकरों के लिये मार्जिन मनी नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है ताकि प्रत्येक जिले में औसतन 200 बुनकरों को शामिल किया जा सके। आंध्र प्रदेश के परिश्रमी बुनकरों के लिए 4 जिलों में 8 अतिरिक्त समितियों को मंजूरी दी गई है। इसके बुनकरों को दीर्घावधिक संगठनात्मक सहयोग मिलेगा और बाजार के उतार-चढ़ाव से बुनकरों को संरक्षण मिल सकेगा।

(घ) बुनकरों की कार्य कौशलता बढ़ाने और उत्पादों के विक्रय में सुधार करने हेतु 300 बुनकरों के लिए विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण की मंजूरी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों को सुधरे हुए उपकरण भी दिए जाएंगे।

(ङ) गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम जिलों में 12000 बुनकरों को बीमा योजना में शामिल करने के लिए एक समूह बीमा योजना मंजूर की गई है और भारत सरकार का अंश जारी कर दिया गया है।

(च) आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले की स्थिति फिर लागू कर दी है जिसमें सरकार की आपूर्ति के लिए हथकरघा क्षेत्र और हथकरघा श्रमिकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(छ) आंध्र प्रदेश सरकार ने गैर सरकारी श्रमिकरणों के माध्यम से मृत बुनकरों के परिवारों को 5000 हजार रुपये प्रति परिवार मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की है। 72 परिवारों को ऐसी सहायता दी जा चुकी है।

(ज) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2,455 बुनकरों को 1000 रुपये की दर से ऋण की मंजूरी दी गई है।

(झ) प्राथमिक समितियों की कमजोरी भी एक समस्या है। निस्सहाय बुनकरों के लिए उपरोक्त योजना के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी बुनकर सहकारी समितियों का चुनाव करवाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके।

(ञ) देश के बाहर निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में भारतीय वस्त्र और परिधान सबसे अधिक हैं और कुल भारतीय निर्यात का 25% है। देश से समूचे वस्त्र के निर्यात का 10% केवल हथकरघा कपड़ा ही है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए मिल कपड़े को घरेलू बाजार के लिए ही रखना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार तथापि हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठा रही है।

पी. एल-480 के अन्तर्गत ऋण

3903 डा. आर. मल्लू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पी. एल-480 और अन्य कार्यक्रमों जैसे यू. एस. ए. आई. डी. और यू. एन. डी. पी. से अनुदान मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राशि तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुदानों के प्रभाव का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधारों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। यू. एस. ए. आई. डी. के पी. एल-480 (शीर्षक II) के अन्तगत प्राप्त और उपयोग किया गया अनुदान निम्नानुसार है :—

भारतीय राजकोषीय वर्ष	डुलाई पर माल सहित प्राप्त माल का मूल्य
कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवीहेयर प्रोग्राम (सी ए आर ई)	अमेरिकी डालर (हजार)
1989-90	62601
1990-91	78268
1991-92	49445
(दिसम्बर, 91 तक)	
कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज (सी आर एस)	
1989-90	16071
1990-91	21793
1991-92	13090
(दिसम्बर, 91 तक)	

यू एस डी पी कोई अनुदान सहायता नहीं देता बल्कि केवल तकनीकी सहायता देता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख पत्तनों पर सामान डुलाई एजेंसियां

3904. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर कितनी माल डुलाई एजेन्सियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का सभी प्रमुख माल-डुलाई एजेन्सियों के कार्यकरण के बारे में एक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विभिन्न प्रकार का कार्गो हैंडल करने वाली मुख्यतः सात एजेंसियां हैं जो महापत्तनों पर कार्य कर रही हैं। ये इस प्रकार हैं :—

(1) पत्तन न्यास ।

(2) गोदी श्रमिक बोर्ड ।

(3) नौवहन कम्पनियां/स्टीमर एजेंट्स ।

(4) स्टीवेडोर्स ।

(5) क्लीयरिंग एवं फारवर्डिंग एजेंट ।

(6) परिवहन प्रचालक :

(7) प्राइवेट हैंडलिंग कान्ट्रेक्टर्स ।

(ख) और (ग) दो पत्तनों से गोदी श्रमिक बोर्डों का पत्तन न्यासों में विलय करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

कानपुर के ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3905. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ग्रुप आफ कम्पनीज के आधुनिकीकरण के लिए 53 करोड़ रु. का कोई प्रावधान किया है;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान बी आई सी मिलों का घाटा बढ़ गया है और उत्पादन क्षमता से पर्याप्त कम हुई है;

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार बी आई सी मिलों में 53 करोड़ रुपये का निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से प्रबंधक वर्ग का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र मन्त्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों के एक भाग के रूप में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड समूह की कम्पनियों के आधुनिकीकरण के लिए 53 करोड़ रु. का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) बी आई सी समूह की कम्पनियों के कम कार्य निष्पादन के मुख्य कारण

कार्यशील पूंजी की जटिल अड़चनें, अवधारित संयंत्र तथा मशीनें, अतिरिक्त कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्याज का भारी बोझ, उत्पादन की अधिक लागत आदि रहे हैं। इस समय की अवधि में समूह की कम्पनियों के प्रबन्धकों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सरकार के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

3906. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल परिसम्पत्तियां कितनी हैं;

(ख) निगम के किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया है और प्रत्येक क्षेत्र में कितना किया है;

(ग) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान निगम को निवेश से कितना लाभ मिला;

(घ) निगम ने उन नई पालिसियों के रद्द होने के कारण कितनी राशि अर्जित की है जिस की अवधि किश्तों का भुगतान न होने के कारण समाप्त हो गई थी;

(ङ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त संराज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम की कुल परिसम्पत्ति 29,518.98 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के क्षेत्रवार निवेश (पालिसियों पर ऋण और व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋणों के अलावा) निम्नानुसार हैं :

	(करोड़ रुपए)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	19,979.76
(ii) सहकारी क्षेत्र	1,444.47
(iii) निजी क्षेत्र	165.21
(iv) संयुक्त क्षेत्र और अन्य	3,310.21
जोड़ :—	24,899.66

(ग) जीवन बीमा निगम लम्बी अवधि का निवेशक है और यह परिसम्पत्तियों की बारंबार

खरीद और बिक्री नहीं करता है। तथापि, बाजार प्रचालनों के भाग के रूप में, इसने पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई बिक्रियों से निम्नानुसार लाभ प्राप्त किये हैं :—

वर्ष	(राशि करोड़ रुपये)
1988-89	31.22
1989-90	21.18
1990-91	54.74

(घ) यदि नई पालिसियां लगातार तीन वर्ष की अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करने से पहले व्यपगत हो जाती हैं तो उनके रद्द किये जाने से कोई आय नहीं होती, क्योंकि इन पालिसियों के सम्बन्ध में पहले वर्ष में निगम द्वारा किए गये खर्चे इनसे प्राप्त हुए प्रीमियमों से कहीं अधिक होते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा म्यूचुअल फण्ड

3907. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वित्तीय संस्थाओं को म्युचुअल फण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सभी संस्थाओं को समान शर्तों पर म्युचुअल फण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को पारस्परिक निधियां आरम्भ करने की अनुमति दी गई है :—

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम

(ii) भारतीय साधारण बीमा निगम

(iii) राष्ट्रीय आवास बैंक

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के पास किसी वित्तीय संस्था का कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने फरवरी 1992 में समस्त पारस्परिक निधियां जो मूल रूप से पूंजी बाजार में निवेश करती हैं, के विकास और विनियमन के लिए तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विवेकी मार्ग निर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया है। इन मार्ग निर्देशों के तहत विधियाढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय पात्रता मानदन्डों, उनकी व्यापार गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, प्रकटन तथा लेखा संबंधी अपेक्षाओं के आधार पर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा पारस्परिक निधियों का प्राधिकार सम्मिलित हैं।

(च) से (ज) उपर्युक्त समस्त संस्थाओं को पात्रता मानदण्डों, निवेश उद्देश्यों, प्रकटनों और लेखा सम्बन्धी स्तरों, वितरण नीति आदि से संबंधित सरकारी मार्ग निर्देशों के आधार पर पारस्परिक निधियां आरम्भ करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत एजेन्टों का कमीशन

3918. श्री जे. चोक्का राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो एजेन्ट इस समय डाकघरों के लिए राष्ट्रीय बचत योजना खंड का कारोबार करते हैं उन्हें दी जाने वाली कमीशन की दरें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश एजेंट राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश करने के इरादे से आये ग्राहकों को आधी कमीशन देते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को कमीशन का उतना ही भुगतान करने का है जो डाकघरों में प्रत्यक्ष रूप से इस योजना के अन्तर्गत निवेश करने जा रहे हों; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 में अल्प बचत अभिकर्ताओं के माध्यम से जुटाई गई बचतों पर उन्हें देय कमीशन की दर ऐसी जमा राशियों का प्रतिशत।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि यह परिपाटी किस सीमा तक प्रचलन में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अभिकर्ताओं को प्रचार कार्य और निवेशकों को दी गई उनकी सेवाओं के लिए कमीशन दिया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

3909. श्री सूर्य नारायण यादव ।

श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया ; वर्ष 1992-93 में कितना निर्यात किया जाएगा ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और कितनी अर्जित होने की संभावना है ;

(ग) चीनी का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है और किन-किन देशों को किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) चीनी का निर्यात करने वाले राज्य कौन-कौन से है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 (दिनांक 21.2.92 तक) के दौरान 323. 5 करोड़ रुपए मूल्य की 4.4.92 लाख मी. टन चीनी का निर्यात हुआ था । यह निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका, ईरानी खेमाल, श्रीलंका, अल्जीरिया, इथोपिया बोलिविया, चमन, मिस्र और तुर्की को किया गया । वर्ष 1992-93 के लिए चीनी के निर्यात का कोई लक्ष्य अब तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) चीनी के निर्यात में राज्यों को शामिल नहीं किया जाता है ।

[अनुवाद]

अखबारी कागज के आयात में अनियमितताएं

3910. श्री राजवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आज तक सरकार के ध्यान में राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज के आयात तथा वस्त्र और सिले-सिलाये परिधानों के लिए निर्यात कोटा देने में बरती गई अनेक अनियमितताओं का पता चला है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां । लन्दन के

मैसर्स मेघ्योर पेपर लि. के जरिए अखबारी कागज के आयात में कुछ अनियमितताओं का आरोप है। यह आरोप है कि अखबारी कागज का मूल स्रोत रोमानिया अर्थात रुपया भुगतान क्षेत्र था किंतु मूल स्रोत हंगरी बताया गया और परिणामस्वरूप एसटीसी को भुगतान संयुक्त राज्य अमरीकी डालर में करना पड़ा। फिनलैंड के मैसर्स फिनपेप से ग्लेज अखबारी कागज के आयात के दूसरे मामले में मुख्य आरोप यह है कि खरीददारी एसटीसी ने ऊंची दर से की है जबकि इस माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ऐसा विचार है कि कम थी।

सरकार इन कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है और इन मामलों में "तथ्य अन्वेषक जांच पड़ताल" चल रही है।

अनुवाद नौवहन उद्योग

3911. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या जल.भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने जहाज खरीदे और उनका कुल टनभार कितना है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय पोतकारखानों में कितने जहाजों का निर्माण किया गया,

(ग) उक्त जहाजों का कारखाना-वार और टनभार-वार ब्योरा क्या है, और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विदेशी पोत-कारखानों से जहाज खरीदने में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

जल.भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन तथा लक्षद्वीप प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार सैक्टर में 6392 डी डब्ल्यू टी टनेज के 12 जहाज खरीदे जा चुके हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन 12 जहाजों में से 9 जहाजों का निर्माण भारतीय शिपयार्डों में हुआ है।

(ग) भारतीय शिपयार्डों में निर्मित 9 जहाजों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

शिपयार्ड का नाम	टनेज
अल्कांक ऐशडाऊन	410 डी डब्ल्यू टी
सी आई डब्ल्यू टी सी राजबागान डाकयार्ड	50 डी डब्ल्यू टी
गोवा शिपयार्ड लि.	220 डी डब्ल्यू टी
हुगली डाक पोर्टस एंड इंजीनियर्ज लि.	30 डी डब्ल्यू टी
शालीमार वर्क्स	400 डी डब्ल्यू टी

(घ) सरकार ने विदेशी शिपयार्डों से जहाज खरीदने के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान 10.4 मिलियन डच गिल्डर्ज की ऋण सहायता राशि का विदेशी विनियम के रूप में उपयोग किया है।

केरल की पश्चिम तट नहर का विकास

3912. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या जल.भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन संभावना का विकास करने हेतु सरकार ने केरल की पश्चिम तट नहर के तिरुवअनन्तपुरम से लगते भाग संबंधी कोल्लम के जल सर्वेक्षण के निष्कर्ष की जांच की है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है,

(ग) सातवीं योजना के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है और इस योजनावधि के दौरान कितनी धनराशि को वास्तव में व्यय किया गया है, और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इस योजना के प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

जल.भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्ञानदेश टाईटलर) : (क) और (ख) पश्चिमी तटीय नहर के कोल्लाम तिरुवअनन्तपुरम खंड के जलीय सर्वेक्षण तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन से पता चला है कि इस नहर का यह खंड इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के मानकों तक विकसित करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए इस खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित न करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) इस स्कीम के लिए सातवीं योजना के दौरान कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा

3913. श्री रतिलाल वर्मा :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच किन-किन देशों के व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आए थे ;

(ख) इन प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 के बीच यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका, चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया, चीन, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, जाम्बिया, नामीबिया, मारीशस, नेपाल, संयुक्त अरब तथा जोर्डन से प्रतिनिधि मंडल भारत आए।

(ख) और (ग) इन प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्यिक हित, उरुग्वे दौर की वार्ताओं जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई थी। परस्पर हित का मदों का पता लगाने के अलावा, इन विचार-विमर्शों से एक-दूसरे के महत्व को पूरी तरह समझने में मदद मिली।

दिल्ली में ग्रीन लाइन बस सेवा

3913. श्री नीतीश कुमार :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री परशुराम भारद्वाज :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. टी. सी. ने अपनी कई बसों को उनके रूटों से हटा लिया है और उन रूटों पर ग्रीन लाइन सेवा शुरू कर दी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या कुछ बस यात्रियों ने इसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में चुनौती दी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) श्री आबी खान ने मन्दी हाउस से बाबरपुर और बाबरपुर में मंडी हाउस तक ग्रीन लाईन सेवा शुरू किए जाने को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष चुनौती दी है और इसकी बजाए रूट संख्या 381 पर साधारण लिमिटेड सेवा चलाए जाने

का अनुरोध किया है। यह मामला 12.3.92 को सुनवाई के लिए आया था लेकिन इन पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और इस बीच एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा आयोग ने दिल्ली परिवहन निगम को निर्देश दिया कि नियमित बस सेवा के रूप में चलाई जा रही मौजूदा बसों को अगले आदेशों तक तथा कथित ग्रीन लाईन सेवा में न बदला जाए। अगली सुनवाई 8.4.92 के लिए नियत की गई है।

मूल्य सूचकांक

3915. श्री मदन लाल खुराना :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1985-86, 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रत्येक वर्ष में जून से जनवरी तक की अवधि में मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक की तुलनात्मक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

1985-86, 1987-88 और 1988-89 में जून से जनवरी के दौरान मुद्रास्फीति और थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

मास	मासिक-औसत थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82 100)			मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)		
	1985-86	1987-88	1988-89	1985-86	1987-88	1988-89
जून	125.1	139.1	152.2	4.9	6.1	9.4
जुलाई	126.0	140.7	154.4	4.2	5.9	9.7
अगस्त	126.1	144.3	154.5	3.5	8.1	7.1
सितम्बर	125.0	144.3	154.3	3.4	8.2	6.9
अक्तूबर	125.3	144.8	156.0	3.2	8.0	7.7
नवम्बर	125.1	146.1	155.7	3.2	9.0	6.6
दिसम्बर	125.3	146.0	154.9	4.1	9.7	6.1
जनवरी	125.8	147.7	155.8	4.0	10.1	5.5

कपड़ा मजदूरों के कल्याण के लिए योजना

3916. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रबंधन की अपेक्षा के कारण बंद पड़े वस्त्र मिलों के मजदूरों के कल्याण हेतु योजना बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या वस्त्र मिलों का बंद करने की अनुमति देने के लिए कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इन मिलों के मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन-कौन सी योजना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने मैसर्स हुकमचन्द मिल्स, इन्दौर से बन्द होने का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारत सरकार की वस्त्र आयोगार पुनर्वासन निधि योजना में उपयुक्त संशोधन करके उन कामगारों को भी शामिल कर ले जो कि प्रबन्धकों द्वारा मिलों को अचानक बन्द करने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं अथवा कुछ ऐसे वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाएं जिससे कि कुछ वस्त्र कामगारों को सहायता की कुछ राशि उस समय तक प्रदान की जाती रहे जब तक कि वे अपने लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

3917. श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पिछले वर्ष के दौरान, 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रत्येक वर्ष हुए औसत लाभ, हानि का ब्योरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त बैंकों में घाटे को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 1988-89 और 1989-90 (अद्यतन उपलब्ध) के वर्षों के लिए प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हुए लाभ/हानि की रकम और 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) के वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित यही सूचना क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के घाटा उठाने के कई कारण थे, जैसे कि कम कारोबार, प्रबन्ध व्यवस्था की उच्च लागत, मार्जेव पर संचालन, ऋण पोर्टफोलियों में विविधता का न होना, निधि का विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित न करना और कम वसूली। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और नाबार्ड भी उनका सांविधिक निरीक्षण करता है तथा उपचारी उपाय सुझाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन की नाबार्ड और भारत सरकार नियमित अंतराल में निगरानी करते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण पंचाट के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण स्थापना व्यय में जो वृद्धि हुई है उससे इन संस्थानों की अक्षमता समस्याओं में वृद्धि हुई है। भारत सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को इस समस्या का अंदाजा है और इनके कार्यकरण और अक्षमता में सुधार करने के लिए उचित उपाय विचाराधीन हैं।

विवरण-I

(लाख रुपए)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के नाम	वर्ष 1988-79	वर्ष 1989-90
1	2	3
अदिलाबाद	529	688
अनंतपुर	415	703
चित्तूर	उ.न.	उ.न.
कुडप्पा	108	उ.न.
एलुरु (पश्चिम गोदावरी)	40	25
गुंटूर	244	637
हैदराबाद	27	392
कालीकाट	249	749
करीमनगर	उ.न.	उ.न.
खम्माम	44	44
कृष्णा	उ.न.	उ.न.
कुरनूल	उ.न.	उ.न.
महबूबनगर	324	628
मेडक	उ.न.	उ.न.
नालगोंडा	545	619

1	2	3
निजामाबाद	176	उ.न.
प्रकाशम	30	153
श्रीकाकुलम	उ.न.	376
विशाखापटनम	उ.न.	उ.न.
विजयनगरम	उ.न.	उ.न.
वारंगल	218	228

उ.न. उपलब्ध नहीं (लाख रुपए)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	वर्ष 1988-89	वर्ष 1989-90	वर्ष 1990-91
नागार्जुन ग्रामीण बैंक	—472.18	—441.20	—196.44
रायलसीमा ग्रा. बैंक	81.48	73.91	157.69
श्री विशाख ग्रा. बैंक	—64.51	—105.29	—29.92
श्री अनंत ग्रा. बैंक	6.81	18.95	33.70
श्री वेंकटेश्वर ग्रा. बैंक	—32.73	—41.11	—33.51
श्री सरस्वती ग्रा. बैंक	—27.42	—24.28	9.50
संगमेश्वर ग्रा. बैंक	—24.11	—27.02	—17.09
मंजीर ग्रा. बैंक	44.15	46.50	88.02
पिनाकिनी ग्रा. बैंक	3.12	12.51	30.48
काकतिया ग्रा. बैंक	—54.98	—42.44	—10.79
चैतन्य ग्रा. बैंक	—12.05	—9.71	—1.26
श्रीसातवाहन ग्रा. बैंक	—4.73	0.38	6.46
गोलकंडा ग्रा. बैंक	—2.37	—3.30	0.07
श्रीराम ग्रा. बैंक	—4.45	4.75	15.93
कनकदुर्ग ग्रा. बैंक	0.05	—0.09	0.03
गोदावरी ग्रा. बैंक	0.86	7.55	7.67
निवल लाभ हानि	—553.61	—530.79	453.42

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3918. श्री वी. सोमनाद्रीश्वर वाड्डे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा जापान को किस दर पर लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ख) इसकी प्रतिटन औसत उत्पादन, परिवहन तथा लोवहन लागत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चालू वर्ष और पिछले दो वर्षों के दौरान एमएमटीसी और केआईओसी द्वारा जापान को निर्यात किए गए लोह अयस्क की दरें नीचे दी गई हैं :

(कीमत अमरीकी डालर में, प्रति डाई टन एफओबी)

ग्रेड	कीमत आधार (एफई)	1989-90	1990-91	1991-92
एमएमटीसी द्वारा				
मद्रास से डोनी फिन्स	65%	15.86	18.39	19.84
बेसिक ग्रेड	65			
डोनी लम्प्स	65%	19.70	22:84	24.20
उच्च ग्रेड पाराद्वीप से	67%	21.35	24.75	26.22
बसिर ग्रेड विजाग से	65%	17.45	20.23	21.43
बैलाडीलाफिन्स	65%	16.71	19.38	20.91
बैलाडीला लम्प्स	67%	22.10	25.47	26.93
केआईओसीएल द्वारा		(कीमत प्रति ड्राई मी. टन एफओबी अमरीकी डालर)		
सामान्य फाक	67%	13.40	15.54	16.77
उच्च सिलिशल	61%	—	14.59	15.75
पेलेट्स	66%	—	30.29	30.61

(ख) लोह अयस्क के उत्पादक वाणिज्यिक गोपनीयता के कारण लोह अयस्क की उत्पादन लागत के आंकड़े नहीं बताते हैं।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत

3919. श्री पी सी थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान उसमें और वृद्धि होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त रबड़ को सड़क बनाने जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिये उपयोग करने को बढ़ावा देने हेतु क्या योजनायें बनाई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 19 0-91 के दौरान रबड़ का उत्पादन और खपत क्रमश: 329,615 मी. टन और 364310 मी. टन रही। वर्ष 1991-92 के दौरान उत्पादन और खपत क्रमश: 365,000 मी. टन और 380,000 मी. टन होने का अनुमान है।

(ग) रबड़ बोर्ड रबड़ का घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। रबड़ के सामान का विनिर्माण करने वाले नए एककों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अपेक्षित तकनीकी सलाह, रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था की जाती है। बोर्ड, सड़कों के रबड़ीकरण को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है।

चयन बोर्ड

3920. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चयन बोर्डों की विद्यमान प्रणाली के सम्बन्ध में सेना में पैदा हो रहे असंतोष की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पदोन्नति बोर्डों की वर्तमान प्रणाली के सम्बन्ध में सेनामें कोई असंतोष नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एनडीसी के शो रूम

3921. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को देश में विशेषतौर पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में, कुछ शो रूम खोलने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक महलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल की परियोजनाएं/योजनाएं

3922. श्री वाइलालन अंजलोस :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई उन परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है,

(ख) प्रत्येक परियोजना और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है, और

(घ) क्या इन्हें वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किये जाने की संभावना है ?

जलभूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकार के पास लम्बित केरल की विभिन्न राज्य सड़क एवं पुल स्कीमों के ब्यौरे तथा उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(I) केरल सरकार से नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 5 स्कीमें तथा आर्थिक एवं अंतर्राज्यीय महत्व के कार्यक्रम के तहत 7 स्कीमें प्राप्त हुई हैं। इन स्कीमों पर 8वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

(II) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत वित्त पोषित किए जाने के लिए 85 स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं। इन स्कीमों पर केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के पश्चात् ही कार्रवाई की जा सकेगी।

(III) राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क-पुलों के निर्माण कार्य की 6 स्कीमें

प्राप्त हुई हैं जो जांच के विभिन्न चरणों में है। इन्हें 1992-93 में अनुमोदित किये जाने की संभावना है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, केरल सरकार ने 577.00 लाख रु. की लागत से यात्री फेरी सेवा के लिए केरल में 240 जेटियों के आधुनिकीकरण के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का पहले ही प्रस्ताव किया था। तथापि, चूंकि 1991-92 की वार्षिक योजना में समुचित परिव्यय उपलब्ध नहीं था और आठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए केन्द्र सरकार इस योजना की संस्वीकृति के लिये विचार नहीं कर सकी। राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर जेटियों की संख्या घटाकर इस स्कीम को आरम्भ करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से संशोधित स्कीम अभी प्राप्त होनी है। केन्द्र के हिस्से के रूप में मैचिंग व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत वार्षिक योजना 1992-93 में 50.00 रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायक कम्पनियां

3923. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी कुछ सहायक कंपनियां-एजेंसियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कम्पनियां तथा एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनकी स्थापना किस-किस तारीख को की गयी है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उनको अब तक कितनी अनुदान राशि दी है और कितनी-कितनी शेयर पूंजी का निवेश किया है ?

वित्त संराज्य में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि अपने निम्नलिखित अनुषंगी कम्पनियां स्थापित की हैं :

31-12-91 तक विद्यमान अनुषंगी कम्पनियां	निगमीकरण की तारीख
(I) जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. (आर.सी.टी.सी.) इसने जोखिम पूंजी संस्था (फाउंडेशन) का कार्यभार सम्भाला जिसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत 1975 में किया गया था।	12.1.88
(II) हिमाचल कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि. (हिमकान)	10.2.77

(III) राजस्थान कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि. (राजकोन) 16.3.78

(IV) मध्य प्रदेश कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि. (एम.पी.कान) 23.3.79

(ग) 31.3.91 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इन कम्पनियों में निवेश की गई अनुदान की राशि और शेयर पूंजी का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये)

	अनुदान	शेयर पूंजी
आर.सी.टी.सी.	717.44	500.00
हिमकान	1.49	7.65
राजकान	1.71	10.20
एम.पी.कान	1.53	10.20

[अनुवाद]

आयात और निर्यात

3924. श्री सैय्यद शाहाबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान अलग-अलग डालरों और रुपयों में कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात किया गया।

(ख) सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के बीच का अन्तर क्या था;

(ग) वर्ष 1990 में इसी अवधि की तुलना में डालरों और रुपयों में परिवर्तन दर क्या रही;

(घ) आयात करने वाले ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिनके भारत से किये गये आयात में औसत से अधिक दर की वृद्धि रही है, और

(ङ) निर्यात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका कुल निर्यात मूल्य वृद्धि की साधारण दर से अधिक रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) अप्रैल-दिसम्बर 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी.सी.ए.) और रुपया भुगतान क्षेत्र (आर.पी.ए.) देशों द्वारा किए गए निर्यात और आयात के मूल्य तथा परिवर्तन दर का विवरण निम्नानुसार है :—

रुपये में	(करोड़ रुपए में)		
	अप्रैल-दिसम्बर, 1990	अप्रैल-दिसम्बर 1991	% परिवर्तन
निर्यात	23189	30332	+ 30.8
जी.सी.ए.	18785	27133	+ 44.4
आर.पी.ए.	4404	3199	— 27.4
आयात	31724	34238	+ 7.9
जी.सी.ए.	29472	32516	+ 10.3
आर.पी.ए.	2252	1722	— 23.5
डालर में		(मिलियन अमरीकन डालर)	
	अप्रैल-दिसम्बर, 1990	अप्रैल-दिसम्बर, 1991	% परिवर्तन
निर्यात	13129	12644	— 3.7
जी.सी.ए.	10636	11310	+ 6.3
आर.पी.ए.	2494	1333	— 46.5
आयात	17962	14272	— 20.5
जी.सी.ए.	16687	13554	— 18.8
आर.पी.ए.	1275	718	— 43.7

(ब) अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 दौरान जिन देशों को भारत से किये गए आयात के औसत से अधिक वृद्धि (30.8% से अधिक) हुई है उनमे बेल्जियम, फ्रांस इटली, नीदरलैंड, स्वीट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, सऊदी अरब, यू.ए.ई., कनाडा, यूएसए, आदि शामिल हैं।

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात मूल्य में सामान्य वृद्धि दर (30.8%) से अधिक वृद्धि हुई है उनमें कृषि एवं सम्बद्ध-उत्पाद, समुद्री उत्पाद, अयस्क, एव खनिज, रत्न एव आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, वस्त्र, कालीन आदि शामिल है।

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक में धोखाधड़ी

3925. श्री सैयद शहाबुद्दीन ।

श्री बारेलाल जाटव :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रत्यय पत्र सुविधा का दुरुपयोग करके मांडवी स्थित यूनाइटिड कमर्शियल बैंक को लगभग 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में की गई उपचारात्मक और दंडात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंक से कहा है कि मामले की गहराई से जांच करें और सभी स्तरों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करें। यूको बैंक ने छः अधिकारियों को निलम्बित किया है । बैंक ने जांच के लिए मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एककों को रुई-सूती धागे की सप्लाई

3926. डा. असीम बाला :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एककों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मात्रा में रुई-सूती धागे की सप्लाई की गयी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुछ एकक बन्द होने के कगार पर हैं आप इन एककों के हजारों श्रमिकों की छटनी किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के इन सभी एककों को रुई-सूती धागे की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कपड़े और धागा वार्ड

दोनों का निर्माण करने के लिए एन.टी.सी. कपास और सूती यार्न की ही खरीदारी मुख्यतः संस्थागत सप्लाई कर्ताओं जैसे सीसीआई, एमएससीएमएस, राज्य परिसंघों, सहकारी समितियों, आदि से करता है।

ये खरीदारियां अलग-अलग सहायक निगमों द्वारा की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के लिये स्रोत-वार खरीदारियों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

(आंकड़े गांठों में)

स्रोत	सितम्बर 88 से अगस्त, 89	सितम्बर 89 से अगस्त 90	सितम्बर 90 से अगस्त 91
भारतीय कपास निगम	268405	410228	372327
महाराष्ट्र कपास परिसंघ	411168	533161	381882
अन्य सहकारी समितियां	227842	194480	115139
निजी व्यापारी	164959	98803	76404
	1072374	1236672	945752

(ख) और (ग) जी नहीं। फिर भी एनटीसी (डब्ल्यू.बी.ए.बी.एण्ड.ओ.) लि. द्रवता की कठिनाई का सामना कर रहा है। एक विशेष मामले के रूप में एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) ने वर्ष 1991-92 के दौरान कपास की खरीद पाने के लिए 9 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियों से उक्त निगम का वित्त पोषण किया है।

[हिन्दी]

न्यू इंडिया एक्सप्रेस और ओरियन्टल इंक्सप्रेस कम्पनी में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3927. श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इंडिया एक्सप्रेस कम्पनी और ओरियन्टल इन्क्सप्रेस कम्पनी में कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी I, II, III तथा IV के कर्मचारियों/अधिकारियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों में नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नियुक्तियां करने में आरक्षण सम्बन्धी नियमों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और ये उपाय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. और ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के सम्बन्ध में वांछित सूचना क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. में कार्यरत श्रेणी I, II, III और IV के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33	33	172	94
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	1	2
3.	असम	26	12	58	32
4.	बिहार	18	20	64	43
5.	गोवा	शून्य	3	2	2
6.	गुजरात	50	39	178	131
7.	हरियाणा	12	18	39	9
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	11	4
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1	6	12	6
10.	कर्नाटक	26	26	129	42
11.	केरल	15	26	57	57
12.	मध्य प्रदेश	26	31	173	72
13.	महाराष्ट्र	114	96	427	221
14.	मणिपुर	1	शून्य	1	शून्य
15.	मेघालय	3	1	2	4
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	1	1
17.	नागालैंड	7	1	4	4

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	23	14	76	57
19.	पंजाब	26	34	79	55
20.	राजस्थान	24	20	66	37
21.	तमिलनाडु	61	47	192	95
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	2	2
23.	उत्तर प्रदेश	40	64	227	118
24.	पश्चिम बंगाल	30	36	154	39
25.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	12	शून्य	25	29
26.	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	29	27	120	77
27.	संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी	2	शून्य	2	2
	जोड़ :—	584	557	2274	1235

विवरण-II

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. में कार्यरत श्रेणी I, II, III, IV के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	41	29	118	49
2.	बिहार	15	13	76	31
3.	गोआ	—	1	4	1
4.	गुजरात	32	18	183	108
5.	हरियाणा	17	13	39	25
6.	हिमाचल प्रदेश	18	4	20	9
7.	जम्मू एवं कश्मीर	5	3	14	2
8.	कर्नाटक	26	42	127	100

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	8	12	59	54
10.	मध्य प्रदेश	14	43	154	53
11.	महाराष्ट्र	44	27	211	121
12.	उत्तर-पूर्वी राज्य	26	43	95	56
13.	उड़ीसा	15	8	32	23
14.	पंजाब	19	29	83	48
15.	राजस्थान	22	18	98	74
16.	तमिलनाडु	50	28	177	121
17.	उत्तर प्रदेश	42	70	121	65
18.	पश्चिम बंगाल	14	15	76	40
19.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	10	1	21	12
20.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	52	23	164	132
21.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1	3	9	2
	जोड़	471	443	1881	1126

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3023. श्री अन्ना जोशी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य सरकारी संगठनों की तरह इस योजना को और अधिक आकर्षित बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

I. पात्रता

1. ऐसे सभी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के पात्र हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

II. स्कीम के तहत लाभ

क. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए जिस कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा वह निम्नलिखित लाभ पाने का हकदार होगा,

1. कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में शेष राशि का भुगतान उस पर लागू भविष्य निधि नियमावली के अनुसार।

2. विशेष बीमारी अवकाश को छोड़ कर न ली गई छुट्टी का नकद भुगतान सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार।

3. कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी अधिनियम अथवा ग्रेच्युटी स्कीम के अनुसार ग्रेच्युटी।

4. स्टाफ और कामगारों के लिए एक महीने के नोटिस का वेतन और अधिकारियों के लिए 3 महीने के नोटिस का वेतन उनकी सेवा शर्तों के अनुसार।

5, सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा करने के लिए। 1/2 महीने की परिलब्धियों (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के बराबर या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) गुणा सामान्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले बची सेवा के शेष महीने, जो भी कम हो, का अनुग्रह भुगतान।

6. कर्मचारी और उसका परिवार यात्रा भत्ता नियमावली के अनुसार पात्र श्रेणी में भारत में उस स्थान की यात्रा के लिए पात्र होगा जहां वह रहने का इच्छुक हो।

ख. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले रहे कर्मचारी को यदि एक वर्ष से कम की सेवा बचती हो तो वह ऊपर II (क) (4) में निर्दिष्ट नोटिस वेतन को छोड़ कर उपर्युक्त सभी लाभ पाने के लिए पात्र होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित माडल स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम को हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्यान्वित किया है। सामान्य तौर पर किया गया कोई उदारीकरण हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन

3929. श्री आर. सुरेश रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ऋण निर्धारण एजेंसियों का विचार भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी एजेंसी ने पुनर्मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सामान्य ऋण निर्धारण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अनेक ऋण साख निर्धारण अभिकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की लगातार परिवीक्षा करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के हाल ही में किए ऐसे किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष का हमें सूचित नहीं किया गया है। लेकिन, जैसा कि 1991-92 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, भारत के विदेशी क्षेत्र अल्पकालिक नकदी संकट पर काबू पा लिया गया है, देश के विदेशी मुद्रा भंडारों में काफी सुधार हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की बहाली हुई है।

ऋण मेले

3930. श्री एच. डी. देवगौडा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण मेला योजना के अन्तर्गत योजना के आरम्भ से ही प्रत्येक राज्य में बांटे गए ऋण की कुल राशि क्या है तथा अब तक कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत जिन ऋणों की वसूली नहीं की गई उन्हें माफ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) की योजना के लिए ग्राम्य स्तर पर ऋण शिविरों का आयोजन किया जा सकता है जहां पर हितग्राहियों के ऋण की मंजूरी की अवस्था तक के मामले निपटाये जा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत आंकड़ा-सूचना प्रणाली से ऐसे शिविरों के अन्तर्गत संवितरित ऋणों की कुल धनराशियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक अपने स्तर पर भी ऋण शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जून, 1991 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बन्धित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों की वसूली का प्रतिशत 41.5 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) उधारकर्ताओं से बकाये की वसूली और बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में बट्टे-

खाते डाली जाने वाली धन राशि उनके सामान्य वैंकिंग परिचालनों का अंग है और इस सम्बन्ध में सरकार कोई मार्ग निर्देश जारी नहीं करती है।

भारतीय निवेश केन्द्र के अधिकारियों के चिकित्सा बिल की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति

3931. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र के प्रवर, मध्यम श्रेणी तथा वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी को चिकित्सा बिल की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या अधीनस्थ कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ प्राप्त करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय निवेश केन्द्र से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भाग लेने अथवा प्रतिपूर्ति योजना में भाग लेने का विकल्प है। प्रतिपूर्ति योजना कर्मचारी की श्रेणी और चिकित्सा बिलों और निर्धारणों पर आधारित वार्षिक सीमा के अधीन है। इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 62 कर्मचारी तथा प्रतिपूर्ति योजना के अधीन 48 कर्मचारी हैं।

फिनलैंड के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के बारे में

3932. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फिनलैंड के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उस देश के साथ व्यापार संबंधों के विस्तार के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ख) सरकारी स्तर पर भारत फिनलैंड संयुक्त आयोग तथा उद्योग और व्यापार स्तर पर संयुक्त व्यापार परिषद समय-समय पर भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार की विकास की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त बाजार सर्वेक्षण और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान जैसे व्यापार संवर्धन उपायों से भी द्विपक्षीय व्यापार में सुविधा होता है।

औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रानिक संचटक कम्प्यूटर साफ्टवेयर, रासायनिक रसायन और मेडिकल औषधीय उपस्कर और वनों पर आधारित सामान जैसी मदों को दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार के लिए सम्भाव्यता वाले उत्पादों के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

सिले सिलाये कपड़े का निर्यात

3933. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों में भारत के सिले-सिलाये कपड़ों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 में इन सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात में कितनी उपलब्धि हुई और 1992-93 के लिए कितना अधिक लक्ष्य यदि कोई हो, निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का 1992-93 के दौरान सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत से परिधानों के निर्यात में समग्र वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय परिधानों की मांग बढ़ रही है।

(ख) वर्ष 1991-92 (अप्रैल 91 जनवरी 92) में परिधानों के निर्यात में 4441 करोड़ रु. (अन्तिम) की उपलब्धि हुई। वर्ष 1992-93 के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) हालांकि वर्ष 1992-93 के लिए विशिष्ट लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, फिर भी सरकार परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। सरकार ने परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे रियायती शुल्क पर परिधानों बनाने वाली मशीनों की अनुमति देकर परिधान उद्योग का आधुनिकीकरण क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में भाग लेना, परिधान खाटा नीति के जरिए विनिमाता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देना आदि।

भारत मालदीव संयुक्त उद्यम

3934. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में भारत-मालदीव संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) इस समय दोनों देशों के बीच कोई संयुक्त उद्यम नहीं है।

(ख) भारत ने 1981 के द्विपक्षीय व्यापार करार के तहत मालदीव को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की पेशकश की है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की 2-3 मार्च 1992 को नई दिल्ली में हुई दूसरी बैठक में इस मत पर सहमति हुई कि वाणिज्यिक एवं आर्थिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए 1992-93 के दौरान एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पत्तन एवं होटल उद्योग में संयुक्त उद्यमों तथा मालदीव में निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया गया।

सोने और चांदी से बने आभूषणों का निर्यात

3935. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोने और चांदी से बने आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने तथा चांदी के आभूषणों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हां। सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने चालू आयात-निर्यात नीति के अध्याय 21 भाग 2 में विभिन्न योजनाओं को अधिसूचित किया है। सोने और चांदी के आभूषण के लिए प्रमुख बाजार संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, यू. के. दुबई और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने और गैर सोने के आभूषणों (चांदी के आभूषणों सहित) के निर्यात से अर्जित हुई विदेशी मुद्रा की कुल राशि निम्नानुसार है :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सोने और गैर-सोने के आभूषण (चांदी के आभूषणों सहित)
1988-89	171.13
1989-90	296.44
1990-91	379.26
1991-92	523.91 (अनं.)
(अप्रैल-जनवरी)	(स्रोत : जी जे ई पी सी)

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या

3936. श्री धर्मलिंगम :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार न्यायालय-वार, न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) न्यायालय-वार ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु इनकी संख्या में वृद्धि करने का है,

(घ) विद्यमान न्यायाधीशों अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधियों का विवरण क्या है अर्थात क्या ये न्यायपीठ से पदोन्नति द्वारा अथवा बार से नामांकन द्वारा की गई हैं;

(ङ) वर्ष 1991 के दौरान कितने पदों को भरा गया; और

(च) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) (घ) और (ङ) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण। संलग्न है।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण II संलग्न है।

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी I अपर न्यायाधीशों के 55 पद सृजित करने के लिए सहमति हो गई है।

(च) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

विवरण I

ता. 1.3.1992 को

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या स्थायी/अपर	पदासीन न्यायाधीशों स्थायी/अपर	नियुक्ति स्रोत विधिज्ञ सेवा		1991 में की गयी नियुक्तियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद	70	68	43	20	12
2.	आंध्र प्रदेश	26	24	16	8	2
3.	मुंबई	54	47	32	15	3
4.	कलकत्ता	46	36	24	12	—
5.	दिल्ली	30	26	17	9	6
6.	गुवाहाटी	16	13	7	6	4
7.	गुजरात	30	28	18	10	—
8.	हिमाचल प्रदेश	8	7	6	1	1
9.	जम्मू कश्मीर	10	10	5	5	2
10.	कर्नाटक	30	24	15	9	3

1	2	3	4	5	6	
11.	केरल	24	20	12	8	1
12.	मध्य प्रदेश	30	22	14	8	—
13.	मद्रास	28	24	18	6	—
14.	उड़ीसा	14	13	8	5	—
15.	पटना	35	32	22	10	7
16.	पंजाब और हरियाणा	32	29	19	10	11
17.	राजस्थान	25	24	14	10	3
18.	सिक्किम	3	2	—	2	—
	योग	511	449	295	154	55

विवरण-II

क्रम. सं.	उच्च न्यायालय	रिक्त पद		वह तारीख जिससे ये रिक्त पड़े हैं	टिप्पणी
		स्थायी	अपर		
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	2	—	12-2-92 (स्था.)	
				14-2-92 (स्था.)	
2.	आंध्र प्रदेश	—	2	26-11-8. (अप.)	
				29-11-82 (अप.)	
3.	मुंबई	2	5	30-12-90 (अप.)	
				01-10-91 (अप.)	
				03-10-91 (अप.)	
				03-10-91 (अप.)	
				03-10-91 (अप.)	
				23-11-91 (स्था.)	
				01-01-92 (स्था.)	
4.	कलकत्ता	9	1	01-01-91 (स्था.)	
				07-01-91 (स्था.)	
				18-03-91 (स्था.)	
				25.04-91 (अप.)	
				01-07-91 (स्था.)	
				12-11-91 (स्था.)	
				09-01-92 (स्था.)	
				10-01-92 (स्था.)	
				12-01-92 (स्था.)	
				01-03-92 (स्था.)	
5.	दिल्ली	—	4	03-09-91 (अप.)	
				23-01-92 (अप.)	

1	2	3	4	5	6
	दिल्ली			23-01-92 (अप.)	
				23-01-92 (अप.)	
6.	गुवाहाटी	3	—	29-11-91 (स्था.)	
				02-02-92 (स्था.)	
				01-03-92 (स्था.)	
7.	गुजरात	2	—	07-10-91 (स्था.)	
				19-02-92 (स्था.)	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	24-02-92 (स्था.)	
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—		
10.	कर्नाटक	4	2	05-08-91 (अप.)	
				05-08-91 (अप.)	
				10-10-91 (स्था.)	
				02-11-91 (स्था.)	
				08-12-91 (स्था.)	
				12-01-92 (स्था.)	
11.	केरल	2	2	22-11-91 (अप.)	
				22-11-91 (अप.)	
				08-12-91 (स्था.)	
				23-01-92 (स्था.)	
12.	मध्य प्रदेश	4	4	27-07-90 (अप.)	
				27-07-90 (अप.)	
				28-12-90 (अप.)	
				28-12-90 (अप.)	
				11-03-91 (स्था.)	
				22-03-91 (स्था.)	
				19-09-91 (स्था.)	
				06-01-92 (स्था.)	
13.	मद्रास	4	—	28-04-91 (स्था.)	
				28-05-91 (स्था.)	

1	2	3	4	5
	मद्रास			01-07-91 (स्था.)]
				18-11-91 (स्था)
14.	उड़ीसा	1	—	03-12-91 (स्था.)
15.	पटना	3	—	01-01-92 (स्था.)
				03-20-92 (स्था.)
				03-01-92 (स्था.)
16.	पंजाब और हरियाणा			
			—	05-08-91 (स्था.)
				07-10-91 (स्था.)
				08-11-91 (स्था.)
17.	राजस्थान	1	—	05-01-92 (स्था.)
18.	सिक्किम	1	—	05-01 89 (स्था.)
	कुल	42	20	

[हिन्दी]

न्यायालयों में बैंक ऋणों की वसूली से संबंधित लम्बित मामले

3937. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को ये अनुदेश दिए है कि न्यायालयों में ऋणों की वसूली से संबंधित लम्बित पड़ी मामलों का न्यायालय से बाहर निपटान किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसे कितने मामलों का निपठान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीरसिंह) : (क) और (ख) बैंक सामान्यतः वसूली के सभी उपाय करने के बाद और अपने हितों की रक्षा तथा कानून की सीमित अवधि के अन्दर प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए, उधार कर्ताओं द्वारा अदा न की गई शेष राशि की वसूली हेतु मुकदमें दायर करते हैं। इस प्रकार के मुकदमे दायर करने के बाद भी बैंक अपने विवेक और निर्णय के अनुसार उन मामलों में न्यायालय से न्यायालय के बाहर निपटाए गए मामलों की संख्या का पता नहीं चलता है, अतः इस बारे में आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

सरकार ने सितम्बर 1991 में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अलग से कहा था कि वे अपने बैंकों के निचले स्तर के अधिकारियों से कहें कि वे अधिक से अधिक ऋण सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों के पास ले जाएं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से भी कहा है कि वे सदस्य बैंकों से कहें कि 2 लाख रुपए तक के वसूली के मामलों को समझौते के आधार पर निपटान के लिए लोक अदालतों के पास ले जाएं। इससे सभी बैंकों और व्यथित पार्टियों के बीच छोटे-छोटे मामलों का निपटान करने में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में किसानों तथा बेरोजगार युवाओं को ऋण

3938. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में, विशेषतः गढ़वाल क्षेत्र में, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों तथा बेरोजगार युवाओं को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : आंकड़ों सूचना प्रणाली से योजनावार वर्ग-वार मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार चमोली, देहरादून, गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया अग्रिमों की राशि 238.83 करोड़ रुपए थी। आंकड़ा सूचना प्रणाली से सभी वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्रवार/जिलावार आंकड़े प्राप्त नहीं होते है। अलबत्ता, वर्ष 1990-91 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर संवितरित राशि क्रमशः 1324.2 करोड़ रुपए और 853.3 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

मोटर यान अधिनियम, 1988, का निजी बसों द्वारा उल्लंघन

3939. श्री मदन लाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्वाईंट-टू-प्वाईंट के तौर पर जो मिनी बसें शुरू की गई थीं वे परमिट की शर्तों का उल्लंघन करके रास्ते में सवारियों को बैठा लेते हैं,

(ख) क्या दिल्ली में कांट्रेक्ट कैरिएज परमिट धारक बसें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करके खुलेआम बसों के तौर पर चल रही हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये है ?

नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार के कुछ मामलों की सूचना मिली है। जनवरी, 199: से फरवरी, 92 तक की अवधि के दौरान परमिट सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 301 मिनी बसों के खिलाफ इस्तगासे की कार्रवाई की गई थी। इसी अवधि के दौरान परमिट सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 406 कन्ट्रेक्ट कैरिज बसों के खिलाफ इस्तगासे की कार्रवाई की गई थी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन मोबाइल सर्वेक्षों द्वारा प्रभावी रुप से जांच करता है।

प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड के पास जमा की गई धन राशि की अदायगी

3940. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्यारे ड्रिंक्स लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि के देय होने पर ब्याज सहित उसकी अदायगी की है।

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क (9), जो कि 1 सितम्बर, 1989 से लागू हुआ है, में कम्पनी विधि बोर्ड को यह शक्तियां प्रदान की हैं कि वह कम्पनी को अतिदेय निक्षेपों के, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि विनिर्दिष्ट हों, प्रतिसंदाय करने का निदेश दे सकेगा। इस उपबन्ध के अनुसरण में कम्पनी विधि बोर्ड ने 21. 10. 199! को आदेश पारित किये थे जिनमें मैं प्याये डिरक्स (न्यू दिल्ली) लिमिटेड द्वारा अतिदेय निक्षेपों तथा ब्याज के भुगतान के लिए समय की रुप रेखा तथा अनुसूचि निर्धारित की गई थी ताकि सम्पूर्ण निक्षेपों का मूलधन तथा 31 3 1992 तक का ब्याज एवं उसके पश्चात देय होने वाले ब्याज (मूल अनुबंधित दर से अधिक निर्धारित दरों पर) का भुगतान अप्रैल 1992 से दिसम्बर, 1995 के बीच किया जा सके, ताकि सभी निक्षेपों का भुगतान 31 दिसम्बर, 1995 तक हो जाए। ब्यौरा निचे दिया गया है :—

अप्रैल 1992 से मार्च, 1993 तक : 31.3.1992 तक देय सम्पूर्ण ब्याज।

अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 तक : 31.3.1993 तक देय ब्याज सहित प्रत्येक निक्षेप की मूलधन का 25 प्रतिशत। इस ब्याज का भुगतान 30.6.1993 से पहले किया जायेगा और मूलधन के 25 प्रतिशत का भुगतान 1.7.1993 से नौ महीने के अन्दर किया जायेगा।

अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक : 31.3.1994 तक देय ब्याज सहित प्रत्येक निक्षेप के मूलधन का 35 प्रतिशत। 31 मार्च, 1994 तक देय ब्याज का भुगतान 30.6.94 से पहले किया जायेगा और मूलधन के 35 प्रतिशत का भुगतान 1.7.1994 से 9 महीने के अन्दर किया जायेगा।

अप्रैल,1995 से : 31.3.1995 को देय ब्याज और भुगतान की तारीख तक देय ब्याज

दिसम्बर, 1995 तक सहित प्रत्येय निक्षेप के मूलधन का बकाया 40 प्रतिशत। 31.3.95 तक के ब्याज का भुगतान 31.5.1995 से पहले, दो महीने के अन्दर किया जायेगा और मूलधन का बकाया 40 प्रतिशत तथा अद्यतन तारीख तक के ब्याज का भुगतान 31.12.1995 से पहले 7 महीने के अन्दर किया जायेगा। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनी को निम्नलिखित के अनुसार आगे की तारीख के चैक जारी करने के लिए भी निर्देश दिये हैं:

(1) 1992-93 के दौरान ब्याज का भुगतान : आगे की तारीख के चैक 31.12.1991 तक सभी निक्षेपकों को जारी किये जाने चाहिए।

(2) 1992-94, 1993-95 तथा 1995-96 के दौरान ब्याज का भुगतान : आगे की तारीख के चैक जनवरी, 1993, जनवरी, 1994 तथा जनवरी, 1995 तक जारी किये जाने चाहिए।

(3) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में देय मूलधन : आगे की तारीख के चैक अप्रैल, 1993, अप्रैल, 1994 तथा अप्रैल, 1995 तक जारी किये जाने चाहिए। अन्तिम भुगतान में 1.4. 1985 से भुगतान की तारीख तक का ब्याज भी शामिल होगा।

कम्पनी विधि बोर्ड के पास कम्पनी द्वारा दायर किए गए 28 जनवरी, 1992 की अनुपालना के शपथ-पत्र के अनुसार, 31 मार्च, 1992 तक के ब्याज से सम्बन्धित आगे की तारीख के चैक 31 दिसम्बर, 1991 को डाक द्वारा भेजे गए थे।

कम्पनी विधि बोर्ड ने इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया है कि यदि कम्पनी ऊपर बताई गई रूप रेखा के अनुसार आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो कम्पनी रजिस्ट्राक, जालन्धर अधिनियम की धारा 58-क (10) के निबन्धनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

भारतीय मूल से इतर व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा योजना लागू करना

3941. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा योजना उन व्यक्तियों के लिए भी लागू करने का विचार है जो भारतीय मूल के नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) देश के लिए यह योजना कितनी उपयोगी सिद्ध होगी ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्यों को विदेशी सहायता का वितरण

3942. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी एजेन्सियों से किसी परियोजना के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का कितना प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को दिया जाता है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत राशि को अनुदान तथा कितने प्रतिशत को ऋण माना जाता है;

(ग) इस प्रकार की सहायता पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बाहरी एजेंसियों को कितनी वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से किस दर पर ब्याज वसूल किया जाता है;

(घ) राज्यों को उक्त सहायता का सम्पूर्ण राशि न देने तथा ब्याज और राज्यों से वसूल किए गए ब्याज एजेंसियों को दिए गए की दरों में परस्पर अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का विचार यदि कोई कदम उठाने का है तो क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) समाज सेवा क्षेत्रों की परियोजनाओं तथा उन कार्यक्रमों के लिए, जिनका गरीबी को दूर करने से सीधा संबंध है, के मामले में विदेशी सहायता भुगतानों के 100% के बराबर निधियां जारी की जाती हैं; जब अन्य मामलों में इसे सहायता भुगतान के 70% तक सीमित रखा जाता है ।

(ख) 30% को अनुदान के रूप में तथा 70% को ऋण के रूप में समझा जाता है ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से 0.75% प्रतिवर्ष का ब्याज लेती है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा लगाई गई ब्याज-दरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ब्याज की दर में अन्तर, केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण विनिमय दर जोखिम वहन करने के कारण है । सहायता की संपूर्ण राशि राज्यों को देने का प्रश्न भी अभी विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

देश/संस्थान का नाम	ऋण की शर्तें अनुग्रह अवधि (वर्ष)	अनुग्रह अवधि पश्चात् वापसी अदाएगी की अवधि (वर्ष)	ब्याज की दर
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	2 से 10	10 से 20	2% से 5%
बेल्जियम	5 से 10	15 से 20	1% से 3%
कनाडा	2 से 10	12½ से 40	0.75%
डेनमार्क	2 से 10	25	ब्याज मुक्त
फ्रांस	2 से 11	9 से 19 1/2	2.5% से 3.7% खजाना भाग
जर्मन संघीय गणराज्य	2 से 10	7 से 40	6.85 से 10.7% बैंक भाग 0.75% से 3% सरकारी भाग
इटली	3	8 से 12 1/2	6% से 8% बैंक भाग 1.5% से 5%

1	2	3	4
जापान	3 से 10	7 से 20	2.75% से 6.25%
नीदरलैंड्स	7 से 10	18 से 40	0.75% से 5.5%
संयुक्त राज्य अमरीका	1 से 30	3 से 30	0.75% से 3.2%
आई. बी. आर. डी.	1 से 10	10 से 20	7.74% से 8.89%
आई. डी. ए.	10	40	0.75% (सेवा प्रभारों समेत)
यूरोपीय आर्थिक देश	10	40	0.75%
आई एफ ए डी	10	40	1.0%
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (न्यास निधि)	5	5	0.5%
चेकोस्लोवाकिया	1 से 3	8 से 12	2.5%
हंगरी	1	10	2.5%
सोवियत संघ	1 से 3	7 से 17	2.5%
आबू धाबी	5	15	4%
कोर्फेक	4 से 5	15 से 20	0.5% से 4%
साऊदी निधि	5	15	3% से 4%
ईरान	5	16	2.5% से 5%
कुवैत निधि	5 से 5 1/2	20	4% से 4.5%
संयुक्त अरब अमीरात	5 से 6	10 से 15	2.5%
स्विटजरलैंड	10 से 12	5 से 40	1.5% से 3%
एशियाई विकास बैंक	5	25	6.76%
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (ई एफ)	3 1/2 से 7 वर्ष		7.5% उधारकर्ता से संसाधनों के लिए
	4 1/2 से 10 वर्ष		7.8% साधारण संसाधनों के लिए

सीमा शुल्क का तथाकथित अपवचन

3943. श्री संदीपान भगवान ब्योरात :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जीवन शर्मा :

श्री विश्वनाथ शास्त्री ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 21 फरवरी, 1992 के "हिन्दू" (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित इस आशय के समाचार की जानकारी है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु बनी योजना का लाभ उठाकर 100 करोड़ रुपये के सीमा-शुल्क का कथित अपवचन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि इस मामले की कोई जांच की गई है तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) इस समय मामला किस चरण में है;

(ङ) ऐसे अन्य मामलों का ब्योरा क्या है जो गत छः माह के दौरान सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(च) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कौन से रोकथाम के उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) "हिन्दू" दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 21 फरवरी, 1992 के अंक में छपे एक समाचार के सन्दर्भ में राजस्व आसूचना निदेशालय कुछ फर्मों द्वारा भारत-नेपाल सीमा की भू-सीमाशुल्क चौकी, तिकोनिया के जरिए शुल्क छूट अधिकार प्रमाणपत्र योजना के बड़े पैमाने पर कथित रूप से दुरुपयोग करने के मामले की छानबीन कर रहा है । मामले की अभी और आगे छानबीन की जा रही है ।

(च) क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित रूप से सतर्क कर दिया गया है ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ऊनी कम्बलों की खरीद

3944. श्री राम नाईक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-22 के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितने कम्बलों का आर्डर दिया गया;

(ख) अब तक कितने कम्बल प्राप्त हुए हैं और उनका किस दर से भुगतान किया गया है;

(ग) कितने प्रतिशत छूट दी गई और खादी ग्रामोद्योग को कुल कितनी छूट दी गई;

(घ) उन एजेंसियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने कम्बलों की सप्लाई की और प्रत्येक एजेंसी

द्वारा कितने कम्बल किए गए;

(ङ) क्या केवल खादी ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित कम्बलों पर ही छूट स्वीकृत की जाती है और दी जाती है;

(च) क्या खादी ग्रामोद्योग को छूट स्वीकृत करने से पहले सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कम्बलों का उत्पादन खादी ग्रामोद्योग में हुआ था, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कम्बलों की खरीद मिल क्षेत्र से सप्लाई एजेंसियों द्वारा की गई है, और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच का ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने निम्नलिखित संख्या में कम्बलों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) को आर्डर दिया :

1990-91	—	90,546 नं.
1991-92	—	5,31,315 नं.

इनमें से अभी तक निम्नलिखित संख्या में कम्बल प्राप्त हुए हैं :—

1990-91	—	56,146 नं.
1991-92	—	3,68,488 नं.

कम्बलों के लिए 270 रु. से 375 रु. की दर से भुगतान किया गया जो उनकी क्वालिटी पर निर्भर था।

(घ) संलग्न "विवरण" के अनुसार

(ग), (ङ) और (च) सरकार द्वारा काटन खादी, ऊनी खादी, पालीवस्त्र तथा सिल्क के लिए छूट स्वीकृत की जाती है। कपड़े की उक्त सभी श्रेणियों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को यह छूट प्रत्येक तिमाही में दी जाती है। अतः सप्लाई के विनिर्दिष्ट आदेशों के लिए तिमाही में स्वीकृत की गई छूट के बारे में सूचना दे पाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र लिया जाता है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा फंड का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए फंड दिया गया था। इसके अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक लेखों का आडिट किया जाता है तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अन्तिम वार्षिक लेखे तथा आडिट की रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को 24.00 करोड़ रु. की

छूट स्वीकृत की है। 24.00 करोड़ रुपए की यही राशि वर्ष 1991-92 के लिए भी स्वीकृत की गई है। सरकार ने दोनों वर्षों में ऊनी कम्बलों पर 10% की छूट स्वीकृत की है।

(छ) जी नहीं।

(ज) तथापि हाल ही में एस. एस. आई. और ए. आर. आई. विभाग, उद्योग मंत्रालय, में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि सप्लाई करने वाली एजेंसियों द्वारा इन कम्बलों को खरीद बिल बेच से की गई है। इस बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा गया है।

विवरण

लोक सभा अतारांकित
प्रश्न सं. 3964
20.3.92 को उत्तर देने के
लिए

क्रम सं.	फर्म का नाम (खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सप्लाई एजेन्सी)	सप्लाई की मात्रा
1.	मै. नेशनल खादी वूल वी. प्रोडक्शन को आप. इन्डस्ट्रियल सोसायटी लि., पानीपत	10,990 नं.
2.	मै. भारती खादी ग्रामोद्योग मंडल, पानीपत	8,983 नं.
3.	मै. यू. पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ब्लैंकेट एफ आई., मुजफ्फरनगर	2,503 नं.
4.	मै. यू.पी. खादी ग्रोमोद्योग बोर्ड, नजीबाबाद	1,485 नं.
5.	मै. खादी ग्रामोद्योग एस.एस. लि., माजरा, देहरादून	2,67,036 नं.
6.	मै. एस. के. एम. यू. एस. लि., डालनवाला, देहरादून	76,335 नं.
7.	मै. पुष्प खादी ग्रामोद्योग, पानीपत	5,000 नं.
8.	मै. कबरी खादी ग्रामोद्योग, करनाल	2,000 नं.
9.	मै. खादी ग्रामोद्योग समिति, करनाल	7,000 नं.
10.	मै. एस. पी. मैमोरियल ग्रामोद्योग सोसायटी, देहरादून	43,392 नं.
		कुल : 4,24,634 नं.

कास्टर आयल का रूस को निर्यात

3945. श्री गुरुदास कामत: :

क्या वाणिज्य मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अन्य देशों को कास्टर आयल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब लागू किया गया था;

(ग) क्या इन प्रतिबंधों को अब समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।
(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कपास सम्बन्धी आयात और निर्यात नीति

3946. श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के लिए कपास की फसल के कितना होने का अनुमान है;

(ख) क्या हाल ही में घोषित कपास की आयात और निर्यात नीति से बिना पिनाई के कपास का मूल्य प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इससे कपास उत्पादकों के प्रभावित होने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस स्थिति में वर्ष 1992-93 के कपास मौसम के लिए कपास की उपज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) अभी हाल ही में कपास के आयात और निर्यात की किसी भी नई नीति की घोषणा नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन

3947. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के पर्याप्त प्रवाह को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय करें इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक बैंक में विशेष कक्षों की स्थापना, जिला परामर्शदात्री समितियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह और इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा, अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों पर खासकर पता लगाये गये उन 40 जिलों में जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकता है, सरकार के विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार 40 जिलों में से प्रत्येक जिले में केवल अग्रणी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति, 40 जिलों में अग्रणी बैंकों द्वारा उद्यमवृत्त विकास कार्यक्रमों का आयोजन और पता लगाये गये 40 जिलों तथा देश के सभी जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर नजर रखने के लिए तिमाही आधार पर संशोधित प्रपत्र लागू करना आदि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा दिसंबर, 1987 के अन्त तक निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को 7.89 लाख खातों के तहत दिये गये अग्रिमों की रकम 428.62 करोड़ रुपये थी और जून, 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले 40 जिलों में 12.76 लाख खातों के अन्तर्गत 806.22 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गये। जून, 1991 के अन्त तक पता लगाये गए 40 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिये गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा उधार खातों के अनुसार 28.7 प्रतिशत और बकाया रकम के अनुरूप 14.2 प्रतिशत बैठता है। जून, 1991 तक सभी जिलों के सम्बन्ध में, उधार खातों के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदायों का हिस्सा 15.9 प्रतिशत और बकाया रकम के अनुसार 11.6 प्रतिशत बैठता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम गठित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीनी के निर्यात में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करना

3948. श्री आर्वं फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, चीनी के निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) इण्डियन शूगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (आई एस जी आई ई आई सी) इस समय चीनी निर्यात कर रहा है। यह एक शीर्ष निकाय है जो कि देश में सभी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वर्ष 199 -92 (21.2.92 तक) के दौरान 323.15 करोड़ रु. मूल्य की चीनी निर्यात की जा चुकी है।

विदेशों में फर्म खोलने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी

3949. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन कम्पनियों के प्रस्तावों, को स्वत: मंजूरी देने का विचार है जिन्होंने विदेशों में विदेशी भागीदारी के साथ अथवा पूर्णतय अपने नियंत्रण में सहायक कम्पनियां स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा पुण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित करने पर सरकार विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक एकक

3950. प्रो. राम कापसे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी बोर्ड ने महाराष्ट्र में कुछ रुग्ण औद्योगिक एककों को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का ब्यौरा क्या है और उनकी रुग्णता के क्या कारण है,

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण सम्बन्धी बोर्ड की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 के अन्तर्गत जांच करने के बाद और सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उसने 29.2.92 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 20 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में समापन के लिए अपना मत व्यक्त किया है और यह मत उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया है।

(ख) समापन के लिए सिफारिश किए गए एककों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सुनवाइयों में बहस की जाती है और कार्यवाहियों में इसे दर्ज किया जाता है।

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा समापन के लिए संबंधित उच्च न्यायालय को भेजे गए मामलों को कानून के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा।

विवरण

महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की संख्या जिनके समापन का सुझाव बी. आई. एफ. आर. ने की है।

1. सेठ इण्डस्ट्रीज
2. लोकमान्य मिल
3. आईपीसीओ पेपर मिल लि.
4. न्यू ग्रेट इस्टर्न स्पंज
5. क्रिसेंट आयरन एण्ड स्टील
6. ओगाले ग्लास
7. चौगुल एण्ड कम्पनी
8. ला पर्सियन एण्ड स्पिनिंग
9. मिराज ग्लास
10. एस एस बी सिट्रस
11. निम्बक इस्पात
12. बी आर स्टील प्रोडक्टस
13. श्री लक्ष्मी नारायण पेपर मिल्स लि.
14. ढाके डाइज
15. कृष्णा स्टील
16. हरिगमा एलाय एण्ड स्टील
17. किरलोस्कर वाटगे
18. स्पेस एज इन्टरनेशनल प्रोडक्ट्स
19. खूबचन्द सागरमल डायर्स
20. महाराष्ट्र एसबेस्टोज

बारगी सिंचाई परियोजना का जलाशय

3951 श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारगी सिंचाई परियोजना के जलाशय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बारगी सिंचाई परियोजना के जलाशय का ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस जलाशय में कुल 39.0 मिलियन घन मीटर भण्डारण की व्यवस्था है जिसमें से 3180 मिलियन गन मीटर उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(ग) इस परियोजना पर मार्च, 1991 के अन्त तक 154.99 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है तथा वर्ष 1991-92 के दौरान 1.50 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है।

[अनुवाद]

"इक्विटी पूंजी निवेश में कमी करना

3952. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में इक्विटी पूंजी निवेश में कमी की जाएगी;

(ख) पूंजी निवेश में कितनी कमी करने की मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इससे प्रबंध कुशलता और लाभप्रदता में सुधार होगा ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों यथा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अब तक इक्विटी के पुनः निवेश की अनुमति दी गई है।

(ख) अब तक सरकार द्वारा धारित नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 2.72% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 20% शेयरों का पुनः निवेश किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय किया है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने शेयरों का कुछ भाग चुने हुए सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअल फंडों में पुनः निवेश किया जाए ताकि जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकारी शेयरों का पुनः निवेश सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में और अधिक बाजार अनुशासन प्रदान करने की दृष्टि से भी किया गया है।

[हिन्दी]

खनिजों पर रायल्टी

3953. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख खनिजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका विदोहन केन्द्र सरकार अथवा कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) इन प्रमुख खनिजों पर खनिज-वार और राज्यवार किस पर से रायल्टी दी जा रही है ;

(ग) 31 जनवरी, 1992 तक राज्यों को कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया और किन-किन राज्यों का शेष राशि का भुगतान देय है ; और

(घ) सरकार कितने समय बाद इन खनिजों के लिए रायल्टी की दरों की समीक्षा करती है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिजों का सर्वेक्षण और गवेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड तथा परमाणु खनिज प्रभाग जैसी केन्द्र सरकार की अनेक एजेंसियों द्वारा किया जाता है । दोहन किए जा रहे खनिजों की राज्य वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) सरकार ने खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और गौण खनिजों को छोड़कर) पर रायल्टी दरों में 17-2-1992 से संशोधन किया है । खनिजों पर रायल्टी दरों का संशोधित करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति 9-3-1992 को सभा पटल पर रखी गई है ।

(ग) खनिजों पर रायल्टी खनन पट्टाधारी द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को देय होती है । अगर कोई बकाया देय राशि हो, तो उनके द्वारा एकत्र की जाती है । खनिजों पर रायल्टी में केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता है ।

(घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि उन दरों को बढ़ाया अथवा घटाया जा सके, जिन पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से किसी खनिज के बारे में रायल्टी देय होगी । परन्तु किसी खनिज पर तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक रायल्टी की दरों में वृद्धि करना उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विदोहन किए जा रहे खनिज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कोयला, सीसा-जस्ता-तांबा, स्वर्ण, हीरा, परमाणु खनिज

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	सीसा-जस्ता, तांबा, स्वर्ण
3.	असम	कोयला
4.	बिहार	कोयला, तांबा, स्वर्ण, परमाणु खनिज
5.	गोवा	क्रोमाइट, प्लेटिनम
6.	गुजरात	लिग्नाइट, तांबा, सीसा-जस्ता, टंगस्टन
7.	हरियाणा	टिन, टगस्टन, तांबा, मोलिब्डेनम, स्वर्ण
8.	हिमाचल प्रदेश	स्वर्ण, टिन, परमाणु खनिज, राक साल्ट
9.	जम्मू व कश्मीर	तांबा, सीसा-जस्ता, स्वर्ण
10.	कर्नाटक	स्वर्ण, तांबा, प्लेटिनम, परमाणु खनिज
11.	केरल	स्वर्ण
12.	मध्य प्रदेश	कोयला, तांबा, सीसा-जस्ता, स्वर्ण, हीरा, डोलोमाइट, परमाणु खनिज
13.	महाराष्ट्र	कोयला, तांबा, सीसा-जस्ता, स्वर्ण, टंगस्टन
14.	मणिपुर	क्रोमाइट
15.	मेघालय	तांबा, सीसा-जस्ता, चूना पत्थर/परमाणु खनिज
16.	उड़ीसा	तांबा, क्रोमाइट, प्लेटिनम, मैंगनीज स्वर्ण
17.	राजस्थान	तांबा, सीसा-जस्ता, रॉक-फास्फेट, पोटाश, स्वर्ण, टगस्टन, चूना पत्थर
18.	सिक्किम	तांबा, सीसा-जस्ता
19.	तमिलनाडु	लिग्नाइट, तांबा, सीसा-जस्ता, स्वर्ण, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम
20.	त्रिपुरा	क्ले, सिलिका बालू
21.	उत्तर प्रदेश	तांबा, सीसा-जस्ता, स्वर्ण, टिन, सिलिका बालू
22.	पश्चिम बंगाल	कोयला, उर्वरक खनिज, स्वर्ण, टंगस्टन

[अनुवाद]

मणिपुर में तिपाइमुख बांध

3954. श्री थोयूब तोरकी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में तिपाईमुख बांध के निर्माण को रोक देना आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र एशिया-पार भूकंप क्षेत्र के भूकंपनीयता की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जोन में आता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इससे भूमि का एक बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के सहयोग से तिपाइमुख बांध स्थल हेतु भूकम्पीय अध्ययन किए गए। अनुसंधान केन्द्र ने प्रस्तावित बांध और अन्य सिविल संरचनाओं का उपयुक्त डिजाइन प्रारम्भ करने हेतु अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, और बांध के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं की है।

(ग) तिपाईमुख बांध से लगभग 311 वर्ग किमी. भूमि जलमग्न होगी।

(घ) विवरण निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े वर्ग किमी. में)

	वर्गीकरण	मणिपुर	मिजोरम	कुल
1.	वन	115.97	6.89	122.86
2.	कृष्य भूमि	25.51	1.6	27.01
3.	झाड़ियों वाली परती भूमि	115.15	7.85	122.00
4.	चट्टानी आउटक्राप्स	29.91	1.78	31.69
5.	बाग	7.02	0.41	7.41
	कुल	293.56	17.44	311.00

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को भत्ते

3955. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपनी स्थापना के पांच वर्ष पश्चात भी अपने कर्मचारियों को अन्य निगमों के कर्मचारियों के समानुरूप वेतन तथा अन्य भत्ते नहीं दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति नियुक्त की थी, यदि हां तो कब ;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दो प्रकार के वेतनमान लागू हैं अर्थात् केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति (सी डी ए) और औद्योगिक डी ए पद्धति (आई डी ए) इस समय महानगर टेलीफोन निगम लि. के कर्मचारी सी डी ए पद्धति के वेतनमानों के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं । बाहर से भर्ती किए गए लगभग 50 व्यक्तियों को छोड़कर म. टे. नि. लि. के सभी कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर समझा गया है और तदनुसार उनके वेतन एवं भत्ते नियमित होते हैं । समूह "घ" एवं "ग" के कर्मचारियों जिन्हें दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आया माना गया है, उन्हें भी 1-9-90 से 100 रु. प्रतिमाह की तदर्थ राशि मंजूर की गई हैं जिसे इन कर्मचारियों को म. टे. नि. लि. में खपाए जाने की शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने पर ऐसे कर्मचारियों की देयताओं में समायोजित किया जाएगा ।

(ख) से (ङ) जी नहीं । म. टे. नि. लि. के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई । तथापि, देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिए सबसे उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा दिसम्बर 1990 में डा. आत्रेय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी । समिति ने मार्च, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । अब यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3956. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तर प्रदेश में जौनपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति धीमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) आगामी पाँच वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू पी. एस. ई. बी.) की रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर जिले में जनवरी, 1992 तक 91% आबाद गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्राम विद्युतीकरण का यह स्तर राज्य के औसत ग्राम विद्युतीकरण के स्तर अर्थात् 74% से काफी अधिक है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना आबंटन के अन्तर्गत किया जाता है।

बिहार में निर्मित यात्री लाज, होटल और किराये के मकान

3957. श्री सुकदेव पासवान :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से कितने यात्री लाज, होटल और यात्री निवास कहां-कहां पर निर्मित किये गए और इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) बिहार सरकार के कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) इनकी स्वीकृति के लिए सरकार का क्या कदम उठाने के विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मानदण्ड के आधार पर, गत तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान, बिहार राज्य में 7 पर्यटक परिसर/गृह बेलहारी, वाल्मीकि नगर, हजारीबाग, तोपचांची, मैथोन, हाजीपुर और पिपराकोठी में 116.79 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किये गए हैं। तथापि, यात्री निवास का निर्माण करने सम्बन्धी कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है .

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित प्राप्त प्रस्तावों में से, मुंगेर तथा औरंगाबाद में पर्यटक परिसर का निर्माण करने और टैंटों में आवास की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

दैनिक मजदूरों को नियमित किया जाना

3958. श्री रामलखन सिंह यादव ।

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या न्यायालय ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को यह आदेश दिया है कि वह अपने उन सभी दैनिक मजदूरों को नियमित कर दे जिन्होंने सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आदेश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन स्थलों का विकास

3959. श्री ललित उराव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) मोटलों के निर्माण और परिवर्धन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में ऋण नीति क्या है और इसकी प्रक्रिया एवं इसके लिए पात्रता शर्तें क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन मोटलों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटक स्थलों का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है । तथापि, राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर विचार करते हुए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) से (घ) सरकार देश में मोटलों का निर्माण/पविवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों

को विशिष्ट प्रस्तावों हेतु वित्तीय सहायता देती है । तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग इस सम्बन्ध में कोई ऋण नहीं देता ।

विवरण

स्वीकृत राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अब तक) (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.28	115.35	73.47	79.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.19	—	0..35	05.36
3.	असम	48.83	—	22.57	85.71
4.	बिहार	—	—	138.44	102.29
5.	गोआ	5.40	05.00	—	33.78
6.	गुजरात	31.55	36.71	99.55	114.07
7.	हरियाणा	172.22	13.53	230.46	41.10
8.	हिमाचल प्रदेश	63.61	25.13	80.31	99.18
9.	जम्मू और कश्मीर	—	125.75	98.89	47.33
10.	कर्नाटक	98.97	45.81	91.11	66.51
11.	केरल	166.54	85 02	190.19	74.79
12.	मध्य प्रदेश	96.23	46 01	234.36	201.58
12.	महाराष्ट्र	4.81	08.30	142.51	170 93
14.	मणिपुर	40.94	—	15-12	—
15.	मेघालय	39.87	09.74	22.33	38.70
16.	मिजोरम	15.46	—	20.02	53 62
17.	नागालैंड	10.56	67.94	34.54	12.00

1 2	3	4	5	6
18. उड़ीसा	9.89	—	121.61	1:5.50
19. पंजाब	—	15.93	48.13	14.44
20. राजस्थान	84.88	26.25	152.34	74.78
21. सिक्किम	36.32	—	59.71	70.91
22. तमिलनाडु	68.37	37.94	134.47	49.44
23. त्रिपुरा	15.47	04.91	23.55	09.97
24. उत्तर प्रदेश	42.31	132.97	397.87	20.07
25. पश्चिम बंगाल	95.78	07.50	320.15	36.73
	1164 88	809.79	275.25	1618.29

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रत्यक्ष ग्राही सैट लगाना

3960. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या सूचना और प्रसारणमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कितने प्रत्यक्ष ग्राही सैट लगाए गए हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये लगाये गए है;

(ख) क्या इन सैटों के कार्यकरण की उचित ढग से निगरानी की जा रही है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश सैट खराब पड़े है; और

(घ) यदि हां, तो जनता के प्रयोग के लिए इन सैटों को पुन: चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र मे कोई सीधा संग्रहण सैट स्थापित नहीं किया है . तथापि, बताया जाता है कि संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा तेरेशा, कच्चल, कदमकला, रामकृष्णपुरम् (छोटा अण्डमान), शास्त्री नगर (ग्रेट निकोबार), डुगोंग क्रीक, हेवलोक, हल्बे, बिलोग्राऊड तथा कालीघाट में एक-एक अर्थात् कुल 10 ऐसे सैट लगाए है।

(ख) से (घ) यद्यपि दूरदर्शन को संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से कुछ सीधे संग्रहण सैटों के ठीक तरह से कार्य न करने के बारे में सूचना मिली है किन्तु ऐसे सैटों के रखरखाव का दायित्व संघ

शासित प्रशासन का है । तथापि, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से इन खराब सैटों को मरम्मत के लिए उन्हें पोर्टब्लेयर स्थित दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र भेजने के लिए कहा गया है ।

राममोहन राव समिति की सिफारिशें

[हिन्दी]

3961. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु समाचार पत्रों संबंधी राममोहन राव समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार ने एक सिफारिश को छोड़कर राममोहन राव समिति की सभी सिफारिशें मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली हैं । उक्त एक सिफारिश का संबंध छोटे समाचारपत्रों के लिए विशेष रियायती डाक शुल्क से है ।

(ख) स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

निष्कर्ष और सिफारिशें	टिप्पणी
1	2
1. साधारण टी. पी. सर्किटों की भांति डाटा/फेसिमाईल सर्किटों में भी दूरसंचार शुल्क की रियायत दी जाए। डाटा/फेसिमाईल रियायत देने से समाचार एजेंसियां अपनी सेवाएं छोटे और मझोले समाचारपत्रों को बिना दर बढ़ाए सुलभ करा सकती हैं।	स्वीकृत। दूर संचार विभाग ने साधारण टी. पी. सर्किटों की भांति डाटा/फेसिमाईल सर्किटों के लिए भी दिनांक 1.1.91 से शुल्क में रियायत देनी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसियां तैयार शुल्क की कम दरों के रूप में सरकार से समर्थन प्राप्त होने पर छोटे और मझोले समाचारपत्रों को मौजूदा रियायतें देना जारी रखे जाने पर सहमत हो गई हैं।
2. राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे बसों की ऐसी सारिणी बनाएं जिससे छोटे और मझोले समाचार-पत्रों की अपेक्षाएं पूरी करने में सुविधा हो।	राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की कार्यान्वयन के लिए संस्तुत करने हेतु स्वीकृत।
3. रेलवे की मासिक लेखा प्रणाली के अन्तर्गत समाचार-पत्र एजेंसियों को समाचारपत्र प्रेषण की सुविधा दी	स्वीकृत। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि रेलवे की मासिक लेखा प्रणाली के अन्तर्गत समाचारपत्र संस्थानों को समाचारपत्र भेजने की

1	2
जाती है जब भी उनके द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है बशर्ते कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों।	सुविधा उपलब्ध है किन्तु ये सुविधा अनुरोध किए जाने और औपचारिकताएं पूरी करने पर दी जाती है।
4. चूंकि, छोटे और मझोले समाचारपत्रों को लघु उद्योग घोषित करना व्यवहार्य नहीं है, फिर भी लघु उद्योगों को दिए जाने वाली कुछ प्रासंगिक रियायतें छोटे और मझोले समाचारपत्रों को भी दी जानी चाहिए।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि उन छोटे और मझोले समाचारपत्र इकाइयों को, जो लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित निवेश मानदंड पूरा करते हैं, दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम माना जाए। ऐसी इकाईयां लघु औद्योगिक इकाईयों की तरह ब्याज दर, मार्जिन, मनी इत्यादि की रियायतें पाने की पात्र हैं।
5. नई प्रिंटिंग प्रेसों को उपलब्ध रियायती शर्तों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिए जाने की भांति प्रिंटिंग प्रेसों के लिए सेकिंड हैंड उपकरण और मशीनरी हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर भी वित्त मंत्रालय को विचार करना चाहिए।	स्वीकृत। बैंकों को विदेशों से आयातित पुरानी मशीनरी के बदले, ऋणकर्ताओं को आवधिक ऋण देने की अनुमति दे दी गई है।
6. 35 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया जाए ताकि छोटे और मझोले समाचारपत्र आधुनिकीकरण की अपेक्षाएं पूरी कर सकें। सरकार जब छोटी औद्योगिक इकाइयों की सीमा बढ़ाए, तभी यह सीमा बढ़ाई जाए।	स्वीकृत। 35 लाख रुपयों की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है। चूंकि छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिये निर्धारित मापदंड छोटे समाचारपत्रों पर भी लागू कर दिये गये हैं, अतः छोटी इकाइयों के लिए निर्धारित सीमा में किये जाने वाले और कोई परिवर्तन समाचारपत्र इकाइयों पर भी लागू होंगे।

7. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे छोटे और मझौले समाचारपत्रों को प्राथमिकता आधार पर उपयुक्त आवास आवंटित करने के बारे में विचार करे।	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को कार्यान्वयन के लिये संस्तुत करने हेतु स्वीकृत।
8. छोटे एवं मझौले समाचारपत्रों को उनके आधुनिकीकरण प्रयासों का बढ़ावा देने के लिए यू. एन. आई. तथा पी. टी. आई. को उनकी सहायता हेतु रियायती दर पर अपनी सेवाएं देने पर विचार करना चाहिए।	वस्तुतः स्वीकृत. समाचार एजेंसियों ने सिफारिश संख्या। के अनुसार रियायती दरों पर सेवा जारी रखना मान लिया है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण समाचार एजेंसियां और आगे नहीं जा पाएंगी। आधुनिकीकरण के लिये सिफारिश संख्या 4 और 5 के अनुसार बैंकों से ऋण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
9. राज्य सरकारें प्रत्यायन नियमों का संशोधन करें ताकि जिला मुख्यालय स्तर पर छोटे समाचारपत्रों के सम्पादक प्रत्यायन प्राप्त कर सकें।	राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिये संस्तुत करने हेतु स्वीकृत।
10. आकाशवाणी, प्रादेशिक भाषाओं में धीमी-गति के समाचार के संबंध में यथास्थिति बनाये रखे।	स्वीकृत।
11. सार संग्रह का प्रकाशन : समिति ने यह पाया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां छोटे और मझौले समाचारपत्रों को कई रियायतें/सुविधाएं दे रही है। इन वर्गों के अधिकांश समाचारपत्रों को इन सुविधाओं	स्वीकृत। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है ताकि छोटे और मझौले समाचारपत्रों को दी जा रही मौजूदा सुविधाओं/रियायतों का संकलन प्रकाशित किया जा सके।

1	2
को जानकारी नहीं है । समिति का सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय आवधिक आधार पर छोटे और मझोले समाचारपत्रों को दी गई रियायतों/सुविधाओं का संकलन प्रकाशित करें ताकि देश के सुदूरवर्ती भागों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को मिल रही रियायतों/सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सके ।	

[अनुवाद]

कर्नाटक में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3962. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान राज्यभर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री श्री पी. वी. रंगय्या नायडु : (क) और (ख) जी, हां। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अंग रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि :—

— पुराने और घिसे हुए स्विचों को उनकी मियाद समाप्त होने पर बदल दिया जाए।

— छोटे आकार के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (मैक्स-III और लाइन फाइंडर टाइप मैक्स-II को बदल दिया जाए।

कर्नाटक राज्य में, सभी एक्सचेंजो को पहले ही पूर्णत: स्वचालित बनाया जा चुका है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान, पूरे कर्नाटक राज्य में लगभग 290 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनकी मांग हो और उपस्कर समय पर उपलब्ध हों।

महाडाकपाल का कार्यालय जालन्धर स्थानांतरित किया जाना

3963. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय महाडाकपाल कार्यालय (पंजाब) को चंडीगढ़ से जालंधर शहर में स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थानांतरित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) पंजाब डाक सर्किल में कोई क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल नहीं है, वहां एक पोस्टमास्टर जनरल का पद है और यह अधिकारी चण्डीगढ़ स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के मुख्यालय से कार्य करते हैं। पोस्टमास्टर

जनरल, पंजाब सर्किल के कार्यालय को चण्डीगढ़ से जालंधर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करना प्रशासनिक हित में नहीं होगा।

दुर्गापुर ताप विद्युत संयंत्र में सुधार

3964. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर स्थित ताप विद्युत संयंत्र के दो एकक जो आग लगने से क्षति-ग्रस्त हो गये थे, के सुधार हेतु दामोदर घाटी निगम के 322 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या इन एककों के पुनः स्थापन का कार्य कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड ने भी पेशकश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दूरदर्शन कार्यक्रमों को विनियमित करने के उपाय

3965. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री अवध कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त होने वाले विदेशी दूरदर्शन कार्यक्रमों के "रिसेप्शन" को विनियमित अथवा नियंत्रित करने के उपायों पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का भारत में बने दूरदर्शन कार्यक्रमों को भी विदेशों में प्रसारित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कार्यक्रमों के "रिसेप्शन" के लिये विशेष एण्टीना लगाने के लिये कोई विनियम बनाये हैं; और

(घ) क्या देश में उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण को बन्द करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित और नियंत्रित मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली में विदेशी उपग्रह से टी. वी.

कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना लगाने की अनुमति नहीं है। तकनीकी प्रसार की वजह से दूरदर्शन कार्यक्रम उपयुक्त रूप से डिजाइन की गयी डिश एंटीना प्रणाली लगाने पर पड़ोसी देशों में देखे जा सकते हैं।

(घ) ऐसी कार्रवाई करना, आई.टी.यू. रेडियो विनियमन प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा।

केरल में होटलों लाजों तथा यात्री निवासों का निर्माण

3960. श्री थाइल जान अलोज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल के प्रत्येक जिले में निर्मित होटलों, लाजों और यात्री निवासों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से और अधिक यात्री निवासों के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल में पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु 350.00 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस अवधि के दौरान, केरल में विभिन्न स्थानों पर गृहों और यात्री निवासों के लिए तीन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता हेतु स्वीकृति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'इस्को' का आधुनिकीकरण

3967. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय लोह एवं इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को शामिल करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर इस्पात कारखाने को आधुनिकीकरण योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है क्योंकि कारखाने को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने आधुनिकीकरण प्रस्ताव को मंजूरी देदी है। आशा है कि निवेश सम्बन्धी निर्णय भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3968. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 तक ग्रामीण विद्युतीकरण का राज्यवार स्तर क्या है;

(ख) इस तारीख तक ग्रामीण विद्युतीकरण का राज्यवार स्तर क्या है;

(ग) बिहार में इस तारीख तक ग्रामीण विद्युतीकरण का जिलेवार स्तर क्या है;

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1991-92 के लिए आबंटित राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1991 तक राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.4.91 को ग्राम विद्युतीकरण का राष्ट्रीय औसत 83.07 प्रतिशत था।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी राज्यवार स्तर को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के सूचित किए अनुसार बिहार में 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण का जिलेवार स्तर विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) 1991-92 के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

(ङ) दिसम्बर, 1991 तक मुहैया कराई गई राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-4 में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.91 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण संबंधी राज्यवार स्तर (अनंतिम)।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की अनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या	31.3.91 की स्थिति के अनुसार प्रतिशतता (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27379	100

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	46
3.	असम	21995	97
4.	बिहार	67546	69
5.	गोवा	386	98
6.	गुजरात	18114	99
7.	हरियाणा	67-5	100
8.	हिमाचल प्रदेश	16207	100
9.	जम्मू व कश्मीर	6477	95
10.	कर्नाटक	27028	98
11.	केरल	1219	100
12.	मध्य प्रदेश	71352	88
13.	महाराष्ट्र	39354	99
14.	मेनपुरी	2035	73
15.	मेघालय	4902	46
16.	मिजोरम	721	63
17.	नागालैण्ड	1112	99
18.	उड़ीसा	46553	68
19.	पंजाब	12342	100
20.	राजस्थान	34968	77
21.	सिक्किम	440	92
22.	तमिलनाडु	15831	100
23.	त्रिपुरा	856	330
24.	उत्तर प्रदेश	112566	73
25.	पश्चिम बंगाल	38024	73
	जोड़ (राज्य)	578009	83
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1173	100
	जोड़ (अखिल भारत)	579132	83

विवरण-II

31.3.91 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में जिलेवार विद्युतीकृत गांव ।

क्र. सं.	जिला	आबाद गांव की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31.3.91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	पटना	1294	1392*
2.	नालंदा	1004	1037*
3.	गया	2643	2819*
4.	अहानाबाद	870	190
5.	नवादा	467	1003*
6.	औरंगाबाद	1749	1683
7.	भोजपुर	1799	1458
8.	रांची	2037	1393
9.	रोहतास	3003	2433
10.	लोहारडगा	354	311
11.	पलामू	3266	1522
12.	हजारीबाग	3314	1621
13.	गिरिडीह	2855	1277
14.	सिंहभूम	4355	2323
15.	धनबाद	1364	865
16.	गुमला	1392	613
17.	भागलपुर	2524	1866
18.	मुंगेर	2397	1747
19.	देवघर	2323	2284
20.	दुमका	3707	1254

1	2	3	4
21.	गोड्डा	1575	1601
22.	साहिबगंज	2410	944
23.	मुजफ्फरपुर	1729	1379
24.	सीतामढ़ी	987	803
25.	वैशाली	1399	1256
26.	पूर्वी चम्पारन	1283	1037
27.	पश्चिमी चम्पारन	1363	944
28.	सारन	1570	1348
29.	सिवान	1437	999
30.	गोपालगंज	1386	980
31.	दरभंगा	1053	1037
32.	मधुबनी	1032	1042*
33.	समस्तीपुर	1111	1163*
34.	बेगुसराय	692	835*
35.	सहरसा	954	804
36.	मधेपुरा	385	387*
37.	पूर्णिया	2487	1439
38.	कटिहार	1238	732*
39.	खगरिया	239	285*
			87**
	जोड़=	67546	46263

* इनमें गैर-आबाद गांव भी शामिल हैं।

** राज्य योजना के अधीन मार्च, 1988 तक जिन 87 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है, इनके बारे में जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-III

ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रमों के अधीन 1991-92 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण हेतु आबंटन की राशि।

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	आबंटन
1.	आंध्र प्रदेश	2596
2.	अरुणाचल प्रदेश	400
3.	असम	850
4.	बिहार	1485
5.	गोवा	20
6.	गुजरात	2256
7.	हरियाणा	1561
8.	हिमाचल प्रदेश	370
9.	जम्मू व कश्मीर	460
10.	कर्नाटक	1833
11.	केरल	930
12.	मध्य प्रदेश	7830
13.	महाराष्ट्र	4792
14.	मणिपुर	930
15.	मेघालय	630
16.	मिजोरम	700
17.	नागालैण्ड	235
18.	उड़ीसा	3306
19.	पंजाब	1653
20.	राजस्थान	2687
21.	सिक्किम	265
22.	तमिलनाडु	2737

1	2	3
23.	त्रिपुरा	562
24.	उत्तर प्रदेश	6832
25.	पश्चिम बंगाल	3017
26.	अन्य (सहकारिताएं एवं एम.एम.एच.)	2000
	जोड़ (राज्य)	50937

विवरण-IV

1991-92 के दौरान दिसम्बर, 1991 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अधीन मुहैया कराई गई राज्यवार राशि का ब्यौरा।

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	मुहैया कराई गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1462
2.	अरूणाचल प्रदेश	120
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	1641
7.	हरियाणा	1288
8.	हिमाचल प्रदेश	358
9.	जम्मू व कश्मीर	132
10.	कर्नाटक	187
11.	केरल	616

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	2717
13.	महाराष्ट्र	2112
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	195
16.	मिजोरम	13
17.	नागालैण्ड	16
18.	उड़ीसा	1954
19.	पंजाब	900
20.	राजस्थान	1069
21.	सिक्किम	7
22.	तमिलनाडु	1695
23.	त्रिपुरा	8
24.	उत्तर प्रदेश	4843
25.	पश्चिम बंगाल	602
26.	अन्य (सहकारिताएं एवं एम.एम.एच.)	416
	जोड़ (राज्य)	22351

इचमपल्ली सिंचाई परियोजना

3969. **श्री धर्ममिलम :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित इचमपल्ली बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) इसे कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक जल संसाधन विकास प्रस्तावों की जांच तथा ऐसे अध्ययनों के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक कार्यबल का गठन किया जाना अपेक्षित है जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी ऐसा संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जो मूल्यांकन अभिकरणों को स्वीकार्य हो।

कुवैत के साथ समझौता

3970. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और कुवैत के बीच दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में व्यापक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) भारत दूरसंचार के क्षेत्र में कुवैत को कितनी सहायता करेगा; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई समझौता कब तक हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां।

जिस समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर 19.2.92 को हस्ताक्षर किए गए थे उसके प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं :—

(1) दोनों देशों के बीच विश्वसनीय दूरसंचार सेवाएं स्थापित करने और उसमें सुधार करने में सहयोग करना,

(2) विकासशील देशों में दूरसंचार परियोजनाओं का संचालन करने के लिए एक दूसरे की दूरसंचार सुविधाओं का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना,

(3) दोनों देशों के दूरसंचार प्रशासन अपनी रेडियो संचार सेवाओं में पारस्परिक हस्तक्षेप से बचने के लिए आवृत्तियों का उचित आबंटन और उपयोग करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

(4) दोनों प्रशासन दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे से नियमित परामर्श करते रहेंगे।

(5) दोनों प्रशासन, अपने-अपने विशेषज्ञों को एक दूसरे के देश में भेजकर, कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति करके, संयुक्त अध्ययनों का आयोजन करके, सूचना का आदान प्रदान करके तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष समझौता कर सकते हैं।

(घ) भारत कुवैत को दूरसंचार विशेषज्ञता प्रदान करके और उसके दूरसंचार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कुवैत को सहायता प्रदान कर सकता है।

(ङ) वर्तमान समझौता ज्ञापन दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के अनुसार दी जाने वाली अनुमति की शर्तों के अधीन है और यह राजनयिक माध्यमों के जरिए दी गई अनुमति की अन्तिम अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्र लगाने के लिए विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव

3971. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए जून, 1991 से विदेशी कम्पनियों तथा अनिवासियों भारतीयों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) परियोजनाओं तथा उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह परियोजनाएं दी गई हैं तथा इस सम्बन्ध में शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर- परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा अनिवासी भारतीयों से निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

क्र. सं.	कम्पनी का नाम/अनिवासी भारतीयों के नाम*	परियोजना/ राज्य	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स कोलमेन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम)	बिरसिंहपुर ता.वि.के (राजस्थान)	240	828.00 (नवम्बर, 90 के मूल्य स्तर)
2.	मैसर्स एसटी पावर सिस्टमस् इन्क. यू.एस.ए.*	जीरो यूनिट ता.वि.के. (तमिलनाडु)	210	615 (जुलाई, 91 के मूल्य स्तर)
3.	मैसर्स सदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनैशनल इन्क. यू.एस.ए.	इब घाटी ता.वि.के. (उड़ीसा)	2340	4680

1	2	3	4	5
4.	मैसर्स कलिंगा पावर कारपोरेशन जिसमें अधिकांश शेयर मैसर्स नार्थ ईस्ट *आफ एनर्जी *यू.एस.ए. के होंगे।	दुबरी ता.वि.के. (उड़ीसा)	500	1000
5.	मैसर्स एबीबी, स्वीडन	गैस आधारित (एनटीपीसी)	800	1600
6.	मैसर्स जीवीके इण्डस्ट्रील*	गोदावरी सीटीजीटी	400	800

*वित्तीय प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया को उदार बनाकर, विदेशी निवेशकों के लिए 100 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी, निर्यात के द्वारा प्राय पर किसी प्रकार के तुलन लाभांश के भुगतान की अपेक्षा बना, की अनुमति प्रदान करके निजी क्षेत्र की भागीदारी के कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है।

कर्नाटक में नये टेलीफोन एक्सचेंज

3972. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान कर्नाटक में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) बड़े आकार के एक्सचेंज—2

(ii) छोटे आकार के एक्सचेंज—50

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3973. श्री विलास मुत्तेमवर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सिंचाई परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आठवीं योजना की नीति में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का प्रावधान है। योजना आयोग ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय नियतन का सख्ती से पालन करने का भी निर्णय किया है।

[अनुवाद]

कलकत्ता से विमान सेवा

3974. श्री नानी भट्टाचार्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियां कलकत्ता के लिए तथा कलकत्ता विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के फलस्वरूप, रामानिया एयरलाइन ने कुछ समय पूर्व कलकत्ता के लिए प्रचालन करना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार यह सहमति हुई है कि के.एल.एम. भी कलकत्ता के लिए एक उड़ान का प्रचालन करेगी।

हीराकुण्ड बांध

3975. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुण्ड बांध में आधुनिकीकरण के लिए कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी प्रदान की गई;

(ख) 1991-92 और 1992-93 के लिए अलग-अलग, कितनी धन-राशि स्वीकृति की गई; और

(ग) इससे किन क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) शून्य।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 0.88 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 1991-92 के लिए योजना आयोग द्वारा 1.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई थी थी। वर्ष 1992-93 के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ग) इस परियोजना में कुल 155428 हेक्टेयर के जमाकट के लगभग 20 प्रतिशत में सिंचाई में सुधार करने की परिकल्पना है।

गांवों को टेलीफोन कनेक्शन

3976. श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितने गांवों को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन दिये गए हैं; और

(ख) 1992-93 के दौरान कितने गांवों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) 9 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार 61,330 पंचायत गांवों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

(ख) इस कार्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उड़ीसा के जिलों के लिए डाक सर्किल

3977. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर, क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए दूसरा डाक सर्किल मंजूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सामान्य रूप में, उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल के केवल दो पदों का ही औचित्य बनता है लेकिन इसके विस्तृत जनजातीय क्षेत्र और उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मुख्य पोस्टमास्टर जनरल भुवनेश्वर सहित क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल के तीन पद मंजूर किये हैं। उड़ीसा के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय का सृजन करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह यह कार्यात्मक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

राजकोट हवाई अड्डे का स्थानान्तरण

3978. श्री हरिभाई पटेल।

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट हवाई अड्डे के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) हवाई अड्डे का स्थानान्तरण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

3979. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भवन के निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनके स्थानों सहित तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	भवन की किस्म
1	2	3
1.	अलवर	20 के ई 10वी बिल्डिंग
2.	भिवाडी	10 हजार लाइनों वाला सी-डाट मैक्स-I
3.	चार भुजा रोड (आमेर)	कम्पोजिट
4.	चुरु	—वही—
5.	चिरावा	—वही—
6.	देवगढ़	—वही—
7.	फतेहपुर	मैक्स-II
8.	गंगापुर सिटी	कम्पोजिट
9.	हिंडौन	—वही—
10.	हनुमानगढ़ जक्शन	5 हजार लाइनों वाला सी-डाट मैक्स-I
11.	कांकरोली (राजसमद)	10 हजार लाइनों वाला सी-डाट मैक्स-I
12.	खैरथल	कम्पोजिट
13.	केर्ली	—वही—
14.	मकराना	10 हजार लाइनों वाला सी-डाट मैक्स-I
15.	नागौर	—वही—

1	2	3
16.	नीम का थाना	कम्पोजिट
17.	निम्बाहेड़ा	—वही—
18.	पाली मारवाड़	20 हजार लाइनों वाला ई-10बी
19.	रतनगढ़	कम्पोजिट
20.	रायसिंह नगर	—वही—
21.	सोजात सिटी	—वही—
22.	सुजानगढ़	—वही—
23.	सूरतगढ़	—वही—

टिप्पणी : संचारण और टेलीफोन एक्सचेंज के लिए कम्पोजिट भवन/संयुक्त भवन ।

महाराष्ट्र में बाढ़ की समस्या

3980. श्री सुधीर सावंत :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नागीरि जिलों को तटीय पट्टी के साथ के भूमि क्षेत्र पर समुद्रीबाढ़ के संबन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और

(ग) सरकार का वहां बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई और बाढ़ प्रबन्ध कार्यों का अन्वेषण, आयोजन, निरूपण और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है । महाराष्ट्र सरकार ने सिन्धुदुर्ग जिले में देवबाग और तम्बालडीम तटीय रेखा पर समुद्री जल द्वारा आप्लावन की समस्या के बारे में सूचित किया है । राज्य सरकार ने अस्थायी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की है तथा देवबाग क्षेत्र के लिए 76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्थायी सुरक्षा कार्य किये जाने की परिकल्पना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्रों को प्रोत्साहन देना

3981. श्री ए. चार्ल्स :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोगों, को ऐसे संयंत्रों की स्थापना के गुणों से परिचित कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बायोगैस संयंत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत, जो पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों का संवर्धन करती है, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कदम उठाए हैं जैसे लाभभोगियों विशेषत: महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों का आयोजन, कृषकों के खेतों में खाद की उपयोगिता के संबंध में प्रदर्शन का आयोजन क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी साहित्य का प्रकाशन और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करना । इसके अलावा, सामुदायिक संस्थागत तथा विष्ठा आधारित संयंत्रों की स्थापना के कार्य को भी एक अलग कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(ख) सरकार का वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 1.35 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य के लिए बजट में 57.20 करोड़ रुपए का परिव्यय और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 लाख संयंत्रों के लक्ष्य के प्रति 1.50 करोड़ का परिव्यय का अस्तित्व है ।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर मनोरंजन के कार्यक्रम

3982 श्री बारेलाल जाटव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर एक सरकारी समिति ने मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर कार्यक्रम अनुसूचियां तैयार करते वक्त इन समितियों को स्वीकृत की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है ।

देश में डाक सेवाएं

3983. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने/प्राप्त न होने के संबंध में देश के विभिन्न भागों विशेषत: बिहार के आरा शहर से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ग) क्या सरकार डाक सेवा को चुस्त बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) डाक वितरण में विलंब की घटनाएं कभी-कभार ही होती हैं।

(ख) डाक वितरण में विलम्ब से सम्बन्धित एक माह में औसतन 3767 शिकायतें प्राप्त होती हैं जो निपटाई गई ऐसी डाक की मात्रा का 0.00085 प्रतिशत बैठती है।

(ग) और (घ) डाक के पारेषण और वितरण में विलम्ब को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सुपरवाइजरों द्वारा और प्रभावी ढंग से जांच;

(ii) परिवहन प्रणाली के साथ बेहतर तालमेल;

(iii) "पाइव मेल" का आकस्मिक नमूना सर्वेक्षण और परिणामस्वरूप पता लगी गड़बड़ियों को दूर करना;

(iv) डाक प्रबंधों की निरन्तर पुनरीक्षा तथा डाक प्रकालन को मामोठर करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करना;

(v) कुछ डाकघरों में वितरण प्रणाली का पुनर्गठन;

(vi) जन सम्पर्क निरीक्षक (डाक) द्वारा, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां से शिकायतें प्राप्त होती रहती है या "बाट" के आंकड़ों और पत्र रखने वाले प्रविष्टियों से वितरण कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के बारे में गोपनीय जांच करना।

[अनुवाद]

रेलवे ट्रैक, जिसमें डी.सी.एम. कनेक्शन

3984. श्री विजय कुमार यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी सैक्टर-18, दिल्ली-110085 में भूमिगत टेलीफोन केबल बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) बादली एक्सचेंज से कितनी टेलीफोन लाइनें दी जा रही है; और

(ग) नवम्बर, 1991 में विशेष कोटा से स्वीकृत किये गये टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगा दिये जाने की संभावना है ?

संचार राज्यमंत्री में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) रोहिणी सैक्टर-18 में भूमिगत केबल बिछाने का कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान बादली एक्सचेंज से 549 टेलीफोन कनेक्शन पहले ही दिये जा चुके है। इस एक्सचेंज से और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) रोहिणी सैक्टर-18 दिल्ली में नवम्बर, 91 में विशेष कोटा (बिना बारी के) अन्तर्गत मंजूर किया गया कोई टेलीफोन कनेक्शन संस्थापन के लिए लंबित नहीं है।

दूरदर्शन के रिले केन्द्रों का विस्तार

3985. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सावुल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 2 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1598 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) खामगांव, हिंगनघाट, अकोट, अकलुज, कांकोल, हाथी खम्बा और जलगांव दूरदर्शन रिले केंद्रों का 1992-93 के दौरान प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यद्यपि खामगाव और हिंगनघाट के अल्पशक्ति ट्रांसमीटर 1992-93 के दौरान चालू कर दिए जाने की आशा है, जबकि अकोट, अकलुज और कांकोली के ट्रांसमीटर 1993-94 के दौरान चालू हो जाएंगे। हाथीखंबा और जलगांव में एक-एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के वास्ते तैयार की जा रही हैं। इस तरह दूरदर्शन परियोजनाओं के पूरा होने मे स्थल पर सिविल कार्य आरम्भ होने से करीब चार वर्ष का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

यमुनापार स्थित नया अशोक नगर को बिजली की सप्लाई

3936. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यमुना पार स्थित नया अशोक नगर को

बिजली की सप्लाई के बारे में 20 अगस्त 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक नगर चिल्ला सरोदा (यमुना पार) के बी., सी., तथा डी. ब्लाकों के निवासियों ने 1989 में विकास प्रभार जमा कर दिए थे और बिजली घर बन गये हैं; परन्तु उन्हें बिजली अब तक नहीं दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इन ब्लाकों में बिजली के कनक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) न्यू अशोक नगर, चिल्ला सरोदा (यमुनापार), दिल्ली के बी, सी एवं डी ब्लाकों के विद्युतीकरण सम्बन्धी स्कीम दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसु) द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। वाल्लुपुरा में 66 के. वी. ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण सम्बन्धित निवासियों को बिजली के कनेक्शन जारी नहीं किए जा सके। डेसु द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, मयूर विहार-2 में स्थित 66 के. वी. उपकेंद्र से कथित क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है और इसके मार्च, 1992 तक चालू हो जाने की आशा है।

विश्व बैंक द्वारा नर्मदा सागर परियोजना की समीक्षा

3987. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने नर्मदा सागर परियोजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक ने इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि नर्मदा सागर परियोजना का मूल्यांकन वर्ष 1984-85 में किया गया था, फिर भी पर्यावरणीय निर्धारण आवश्यकताओं पर 1 अक्तूबर, 1989 से लागू विश्व बैंक के नये प्रचलनात्मक निर्देशों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखकर इस परियोजना का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। विश्व बैंक ने यह बताया है कि अपने ऋण कार्यक्रम में इस परियोजना की पुनर्स्थापना पर विचार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित पर ध्यान देना होगा :—

(i) यथार्थ वित्तीय योजना,

(ii) पर्यावरणिक प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन, और

(iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए एक व्यापक योजना।

मध्य प्रदेश सरकार से उपर्युक्त पहलुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई भेजने का अनुरोध किया गया है।

भौगोलिक क्षेत्र और पर्यटन विकास कार्यक्रम

3988. **श्री अमल दत्त :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन भौगोलिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में पर्यटन विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या इन सभी विकास कार्यक्रमों को समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत में तथा वर्तमान में इन विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए तथा अपनाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक, होटल और एयरलाइंस टूरिस्ट पैकेज तैयार करते हैं तथा वे ही इनका सम्वर्धन करते हैं। सरकार के अनुरोध पर, एयर इण्डिया ने कुछ होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों के साथ वर्ष 1992, 1993 और 1994 में आफ सीजन ग्रीष्मकालीन टूअर पैकेज तैयार किये हैं। यात्रावृत्त के अनेक नमूने तैयार किये हैं जिनमें देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कई पर्यटक स्थान शामिल हैं। हमेशा यह प्रयास रहता है कि अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट किया जाए।

उत्तर प्रदेश में बिजली संकट

[हिन्दी]

3989. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट को देखते हुए बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य में नये बिजली संयन्त्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयन्त्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की निर्माणाधीन स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाओं की सूची निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा. में)
श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	330
2. अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना	1000
3. सोबला जल विद्युत परियोजना	06
4. ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना	420
5 लखवार-व्यासी बहुउद्देश्यीय परियोजना	420
6. मनेरी जल विद्युत परियोजना चरण-2	304
7. राजघाट जल विद्युत परियोजना	22.5
8. विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना	480

बोकारो इस्पात संयंत्र में श्रमिकों को नियमित करना

3990. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में बड़ी संख्या में श्रमिक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा वे कब से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे है ;

(ग) क्या सरकार का इन श्रमिकों को नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयन्त्र के हाजिरी रजिस्टर में 599 अस्थायी/अनियत कर्मचारी है जिन्होंने वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न तारीखों पर कार्य ग्रहण किया है ।

(ग) और (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र के हाजिरी रजिस्टर में दर्ज 300 अस्थायी/अनियत कर्मचारियों, जो पहले भर्ती किये गये थे, को वर्ष 1991-92 के दौरान नियमित किया गया था और शेष को रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर नीति के अनुसार यथासमय नियमित किया जाएगा ।

[अनुवाद]

विशाखापट्टनम हवाई अड्डा

3991. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर ए-320 एयरबस उतारने के लिए कोई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन विकास

3992. श्री प्रवीन डेका :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन वर्ष में मेघालय, शिलांग और असम में काजीरंगा गैंडा अभ्यारण्य तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : पर्यटन अभिरुचि के किसी स्थान की ओर पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए किए जाने वाले उपायों की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, मेघालय और असम राज्य सरकारों के अनुरोध पर, भारत पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मेघालय में शिलांग में तथा असम में काजीरंगा में सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। जहां तक मानस का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में आई. टी. डी सी. होटल का निर्माण

3993. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में दीघा में आई. टी. डी. सी. के एक होटल के निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1992-93 में पश्चिम बंगाल में दीघा में होटल स्थापित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम एक वाणिज्यिक उपक्रम है और होटलों के निर्माण का कार्य उपयुक्त भाव पर भूमि की उपलब्धता, धन की उपलब्धता, आर्थिक सक्षमता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि जैसे विभिन्न तत्वों का मूल्यांकन करने के बाद हाथ में लेती है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश में फल प्रसंस्करण परियोजनाओं को सहायता

3994. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने मध्य प्रदेश में स्थित कुछ फल प्रसंस्करण परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य में फल प्रसंस्करण परियोजनाएं कहां-कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में फल प्रसंस्करण सहित विशेषरूप से उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वित्त पोषण करने में वे सिद्धांत रूप से रुचि रखते हैं जो निर्यातोन्मुखी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि खाद्य प्रसंस्करण में व्यवहार्य परियोजनाओं का पता लगाने और उन्हें निर्धारित करने के लिए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी फर्म के लिए मध्य प्रदेश सहित भारत का दौरा करने के प्रबन्ध किए हैं। परामर्शदाताओं ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट पूरी की है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम परामर्शदाताओं के साथ रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहा है।

विमानों की मरम्मत

3995. श्री मदन लाल खुराना :

श्री जीवन शर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की एयरबस इन्डस्ट्रीज इण्डियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के एयरबस 310 सहित अन्य विमानों की मरम्मत का काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसके द्वारा किये गए मरम्मत कार्य का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ इसने कितनी धनराशि शुल्क स्वरूप वसूल की;

(ग) क्या ऐसी मरम्मत हेतु हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड की सेवाएं लेने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इन्डिया के ए-310 विमानों के मामले में, एयरबस इन्डस्ट्री से केवल तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एयरबस इन्डस्ट्री ने लगभग 10.70 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन एयरलाइन्स के ए-300 विमानों पर निम्नलिखित कार्य किए :--

(1) विंग टाप स्किन मरम्मत;

(2) एयरबस इन्डस्ट्री द्वारा जारी 52-228 आशोधन के अनुसार डीलैमिनेशन मरम्मत;

(3) एयरबस इन्डस्ट्री द्वारा जारी आशोधन 53-192 के अनुसार विशिष्ट अविनाशक परीक्षण।

(4) एयरबस इन्डस्ट्री द्वारा जारी आशोधन 57-146, 57-190, 57-163 के अनुसार सीलिंग एंगल मरम्मत।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मरम्मत आशोधन कार्यों के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड की मानवशक्ति का उपयोग करने के लिए उनकी सेवाएं करते हैं।

दूरसंचार विभाग में परीक्षा का स्थगन

3996. श्री अनादि चरण दास :

श्री छोटूभाई गामीत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस महीने पूरे देश में दूर संचार विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं को स्थगित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कनिष्ठ लेखा अधिकारी की पदोन्नति के लिए 16, 17, 18 मार्च, 1992 को एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने वाली थी। 18 मार्च, 199 . को होने वाली नियत परीक्षा होली के कारण 21 मार्च, 1992 तक टाल दी गई थी। बिहार राज्य में झारखंड बन्द के कारण 21 मार्च 92 को आयोजित परीक्षा पुनः टालने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरे मामले में, 29 फरवरी, 1 मार्च, 92 और 4 मार्च, 1992 को जे.टी.ओ. (कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी) की भर्ती के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा को रद्द करने के लिए बिना मान्यता प्राप्त संघ से भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसे स्वीकार नहीं किया गया और परीक्षाएं निर्धारित तारीखों को आयोजित की गई।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी सहायता

3997. श्री बी. देवराजन :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जल आयोग से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीयसरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन विकास के क्षेत्र में केन्द्र में गठित एक शीर्ष तकनीकी संगठन है और इस संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से देशभर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग की स्कीमें शुरू करने, समन्वय करने और उन्हें आगे बढ़ाने की आम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह राज्य सरकारों का समय-समय पर उनके द्वारा भेजे गये मामलों पर अपने चार स्कन्धों के जरिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आमकल्प और अनुसंधान स्कंध नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना और आमकल्प में व्यापक इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करता है। परियोजना और प्रगति स्कंध योजना आयोग द्वारा स्वीकृत निवेश का व्यवस्था करने के लिए विस्तृत परियोजना मूल्यांकन करता है। यह अंतर्राज्यीय और अवरोधों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण बहुप्रयोजनी सिंचाई परियोजनाओं का मानीटरी भी करता है। जल आयोजना स्कंध विभिन्न परियोजनाओं को जल उपलब्धता निर्धारित करने और सिंचाई आयोजना में सहायता करता है। अन्य बातों के साथ-साथ नदी प्रबन्ध स्कंध बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

सुवर्णरेखा परियोजना

3998. श्री सुधीर गिरि :

श्री भाग्ये गावडन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों/उठाई गई आपत्तियों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से क्या प्रत्युत्तर मिले हैं,

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के संबंध में विश्व बैंक का आकलन प्राप्त हो गया है,

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये विश्व बैंक से कितनी धनराशि दी है, और

(च) उसके क्रियान्वयन के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) और (च) 221 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी वार्षिक मूल्यांकन के बाद

वर्ष 1902 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई शर्तें कि राज्य सरकार पर्यावरण और वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करें तथा यह आश्वासन दे कि वह सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के संबंध में इसकी पूरी लागत वहन करेगी। 873 करोड़ रु. की अनुमानितलागत की संशोधित रिपोर्ट हाल में दिसम्बर, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है। इस परियोजना पर मार्च, 1991 के अंत तक किया गया व्यय लगभग 145 करोड़ रु. है और वर्ष 1991-92 में प्रत्याशित व्यय 57 करोड़ रु. है। वर्ष 1992-93 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 76 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) मूल्यांकन पूर्व मिशन के अपने स्मरण पत्र में विश्व बैंक ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं; नामतः इचा बांध, चान्दिल बांध और गलूडीह बराज के लिए संयुक्त विनियमन समिति का गठन, उड़ीसा सरकार द्वारा जामबीरा जलाशय के निर्माण द्वारा प्रभावित 7 गांवों में परिवारों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजनाओं के संतोषजनक कार्यान्वयन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना, अपर इंद्रावती विद्युत परियोजना के अंतर्गत संवितरण के निलम्बन को हटाने के लिए अपेक्षित कार्यों का अनुपालन तथा बिहार सरकार द्वारा चान्दिल बांध के निर्माण द्वारा प्रभावित प्रथम 14 गांवों में परिवारों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजनाओं के संतोषजनक कार्यान्वयन तथा चान्दिल और इचा बांधों के निर्माण द्वारा प्रभावित शेष परिवारों के लिए संतोषजनक योजना तैयार किए जाने के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना। राज्य सरकारों द्वारा इन शर्तों की अनुपालना किये जाने के बाद विश्व बैंक का मूल्यांकन मिशन नियत करना है।

सिक्किम में प्राकृतिक संसाधन

3999. श्रीमती बिल कुमारी भंडारी।

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम में केन्द्रीय विशेषज्ञ दल भेज कर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी हां।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने अब तक किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, सिक्किम में आधार धातु के 24 निक्षेपों का पता लगाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) इस समय रोरायग-मामजग जामथंग क्षेत्र में आधार धातुओं की खोज तथा पूर्वी सिक्किम जिले में पाम फुकनी के आस-पास दानों के संभावित सल्फाइड खनिजीकरण के लिए खोज कर रहा है।

लुधियाना में टेलीफोन कनेक्शन

4000. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त-अक्तूबर, 1990 में संसद सदस्यों की सिफारिश पर लुधियाना के लिए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने टेलीफोन कनेक्शन वास्तव में दे दिए गए हैं तथा कितने लोगों को अभी तक नहीं दिए गए हैं; और

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) तक की हां।

अगस्त-अक्तूबर, 1990 की अवधि के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दस टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये। इनमें से 3 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं और शेष 7 मामलों में टेलीफोन कनेक्शन अप्रैल, 1992 के दौरान प्रदान कर दिए जाएंगे। ब्यौरे संलग्नविवरण में दिये गये हैं।

क्र. सं.	संसद सदस्य का नाम	पार्टी का नाम	संस्वीकृति सं. और तारीख	टिप्पणी
1.	डा. बंगाली सिंह	श्री नवल कुमार ,बी.9·1161 रूपा मिस्त्री स्ट्रीट लुधियाना	पीयू/2582/एमओएस (सी) 90 दि. 16.8.90	लंबित
2.	श्री कृपाल सिंह	चण्डीगढ़ सिथोलिपसी, सैंटर नि. 86 शोला-गिरी अपार्टमेंट माल रोड लुधियाना	पीयू/2791/एमओएस (सी/90 दि. 20 8 90	,,
3.	—वही—	श्री आर. डी. सिंह, लुधियाना	पीयू/2802/एमओएस (सी)/90 दि. 25.8.90	,,
4.	श्री संतोष कुमार गंगवार	श्री रमेश कुमार अग्रवाल, II-XI/558 अट्टारवली गली ओल्ड दाई हाटा के निकट लुधियाना	पीयू/3032/एमओएस (सी)/90 दि. 27.8.90	प्रदान किया
5.	श्री आर. एम. राकेश	श्री अशोक कुमार,55/1 मंदिर स्ट्रीट माधोपुर लुधियाना ।	पीयू/3080/एमओएस (सी) 90 दि. 28.8.90	लंबित
6.	श्री बी. तुलसी राम	श्री जगन्नाथ शर्मा, 272/4 नयी जनकपुरी सलीम तापसी, लुधियाना ।	पीयू/3643/एमओएस (सी)/90 दि. 12.9.99	,,

7.	श्री बी. एस. रामूवालिया	श्री अवतार सिंह' के/आफ सत्येदार न्यूज एजेन्सी मल्लनपुर, लुधियाना (एसटीडी /पीसीओ)	पीयू/3919/एमओएस (सी) 90 दि. 16.10.90	प्रदान कर दिया
8.	श्रीमती बिमल कौर खालसा	श्रीमती मोहिन्दर कौर, वार्ड सं. II कृष्ण माडल स्कूल के निकट, खन्ना, लुधियाना।	पीयू/3925/एमओएस (सी)/90 दि. 18.9.90	प्रदान कर दिया
9.	श्री बी. एस. रामूवालिया	श्री दर्शन सिंह कंकड़, 901/2, प्रताप नगर' लुधियाना।	पीयू/4904/एमओएस (सी)/90 दि. 10.10.90	लंबित
10.	श्री अजय सिंह रेल उप मंत्री	श्री यशपाल गुप्त, गली नं. 2 साहबजादा अजीत सिंह नगर लुधियाना।	पीयू/5312/एमओएस (सी)/90 दि. 15.10.90	,,

टिप्पणी :—क्रम सं. 4, 7 और 8 पर उल्लिखित टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश में इस्पात संयन्त्र

4001. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में दो इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार का मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से "लोहा और इस्पात" को निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाईसेंसिंग से भी मुक्त कर दिया गया है। अतः निजी/संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि. मी. की सीमा के भीतर न हो।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र

4003. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री 9 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन जिलों के अधिकांश गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लगातार मांग की जा रही है क्योंकि वहां पर अभी भी विद्युतीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को और अधिक सहायता देने का विचार है ताकि इन क्षेत्रों में प्रस्तावित संयन्त्र शीघ्र स्थापित किए जा सकें; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के ग्रामों में सौर ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना के लिए राज्य अपारम्परिक ऊर्जा विकास एजेन्सी उत्तर प्रदेश में अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे संयंत्रों में प्रयोग किए गए सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों की लागत का वहन केन्द्र सरकार सरकार कर रही है। इस आधार पर गांवों में और अधिक विद्युत संयन्त्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और उनका समर्थन किया जाता है बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

अखबारी कागज पर राज सहायता

4004. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में छोटे समाचार पत्रों को बनाये रखने के लिए अखबारी कागज पर आर्थिक सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद में धन का कथित दुरुपयोग

4005. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या संचार मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद में धन के किसी दुरुपयोग की बात सरकार की जानकारी में आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्स बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 174 करोड रु. के चैक भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के चैकों की काउंटर फायलों पर रद्द किए गए दिखाए गए हैं जबकि वास्तव में उन्हें जालसाजी से भुना लिया गया था। उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र के तत्कालीन लेखाधिकारी (रोकड़)तथा चैकों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति 7-2-1992 से फरार हैं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में प्राथमिक जांच पडताल की गई तथा गाजियाबाद की स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मामले की गम्भीरता को देखते हुए और कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के इसमें शामिल होने के कारण इस मामले की आगे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इसी बीच 4 राजपत्रित अधिकारी और 7 अराजपत्रित अधिकारियों को इस धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कार्यपद्धति का अध्ययन किया गया है। ध्यान में आई कमियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली-नागडोगरा उड़ानें

4006. श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-नागडोगरा की प्रतिदिन चलने वाली उड़ानें कम करके एक सप्ताह में केवल पांच दिन चलाई जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या उड़ानें फिर से प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) विमान-क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण दिल्ली नागडोगरा सहित कुछ सेक्टरों पर उड़ानों की आवृतियों में कटौती की गई है।

(ग) जी, नहीं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4007. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के लिये इस मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत अनेक राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। सभी प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

विवरण

मांस प्रसंस्करण

1. पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश को 62.5 लाख रुपये की इक्विटी सहायता और 25 लाख रुपये ऋण के रूप में रिलीज किए गए हैं।

2. असम सरकार से सुअर मांस प्रसंस्करण संयन्त्र की स्थापना के लिए 00 लाख रुपये इक्विटी रूप में और 20 लाख रुपये अनुदान सहायता के रूप में सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे विलीय कर दिया गया है।

3. उत्तर सरकार से राज्य में मांस कम्प्लेक्स की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

4. पंजाब में भैंस मांस प्रसंस्करण संयन्त्र की स्थापना के लिये पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

मछली प्रसंस्करण

1. बेकार मछली के उपयोग और ट्रूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण की स्कीमों के अन्तर्गत सहायता के लिये कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

1. आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग की खुम्बी प्रयोगशाला की बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिये 32.25 लाख रुपये की अनुदान सहायता का भुगतान।

2. आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा समर्पित मदनापल्ली एवं काकीनाडा के समीप फल एवं सब्जी प्रसंस्करण कम्प्लेक्स की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य (आई. पी.) विभाग से इक्विटी के रूप में अनुदान सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ हुआ है।

3. आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर खुम्बी के उत्पादन के लिये अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की एक प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग के माध्यम से गिरिजन सहकारी निगम विभाग से प्राप्त हुआ है।

4. बिहार सरकार के कृषि विभाग से "स्प्रान्ड लैब और स्प्रान्ड सब स्ट्रेट पालीपैक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए 4.65 लाख रुपये की अनुदान सहायता का प्रस्ताव।

5. मान्वदी और जूनागढ़ में फल प्रसंस्करण यूनिटों की भण्डारण सुविधाओं की स्थापना के लिए इक्विटी के रूप में 6.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता की गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद को भुगतान।

6. फल गूदे को असेप्टिक (अपूतित) बल्क पैकेजिंग के लिये इक्विटी के रूप में 18.20 लाख रुपये की अनुदान सहायता का गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद को भुगतान।

7. खुम्बी और अचार बनाने वाले यूनिटों की स्थापना की स्कीम हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध प्राप्त।

8. मूल्यवर्धित उत्पाद में परिवर्तित करने के लिये बेकार मछली के उपयोग और शुष्क नारियल परियोजना तथा नारियल दूध के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध लक्षद्वीप सरकार से प्राप्त हुआ है।

9. विद्यमान खाद्य परिरक्षण सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन/दूसरे खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना/फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिये मिजोरम सरकार के उद्योग विभाग से वित्तीय सहायता की स्कीमें प्राप्त हुई हैं।

10. फल एवं सब्जी यूनिटों (चार स्थानों पर) की योजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है।

11. मानव काचन समिति द्वारा टमाटर उत्पादों की फैक्टरी की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

12. पश्चिम बंगाल में खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये वित्तीय सहायता की चार स्कीमें पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई हैं।

13. उड़ीसा कृषि उद्योग निगम द्वारा मै. इण्डाना फूड एवं स्पाइसेज लि. के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में अचार निर्माता यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार कृषि विभाग से प्राप्त हुआ है।

14. उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम द्वारा कोरापुट जिले चटीकोना फल प्रसंस्करण यूनिट को पुनर्जीवित करने और उसके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार के कृषि विभाग से प्राप्त हुआ है।

15. उड़ीसा के कृषि विभाग द्वारा वित्तीय सहायता की मांग और उड़ीसा के क्योंझर जिले में टमाटर एवं आम प्रसंस्करण सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट।

दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कार्यरत कर्मचारी

4008. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कार्यरत नैमित्तिक, अस्थायी, अंशकालिक तथा नियमित कर्मचारियों का श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों द्वारा अपनी-अपनी समाचार स्थापना में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक आधार पर भिन्न-भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए नैमित्तिक, अस्थायी और अंशकालिक कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की सूचना केंद्रीय रूप से समेकित रूप से नहीं रखी जाती तथापि, केवल समाचार से सम्बन्धित कार्य के लिए भर्ती किए गए स्टाफ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

		पदो की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी की संख्या
	दूर दर्शन समाचार स्टाफ		
1.	दूरदर्शन समाचार संवाददाता (आर्टिस्ट)	19	04
2.	दूरदर्शन सहायक समाचार संवाददाता (आर्टिस्ट)	27	05
3.	दूरदर्शन सहायक समाचार संपादक	06	02
4.	दूरदर्शन समाचार रिपोर्टर (स्टाफ आर्टिस्ट)	08	00
5.	समाचार प्रस्तुतकर्ता (स्टाफ आर्टिस्ट)	06	00

भारतीय सूचना सेवा से प्रतिनियुक्ति स्टाफ

ग्रेड	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति
एस. ए. जी.		
संवर्ग बाह्य पदधारी	1	शून्य
जे. ए. जी.	2	1
वरिष्ठ ग्रेड	20	3
कनिष्ठ ग्रेड समूह "क"/ वरिष्ठ ग्रेड समूह "ख"	51	3

महाराष्ट्र में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल

4009. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितने भूमि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 687.75 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर लिए जाने की प्रत्याशा है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य को सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 1889.91 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया जब कि इस पर होने वाला सम्भावित व्यय 2204.77 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त उक्त योजना अवधि के दौरान 532.66 करोड़ रुपये का संस्थागत विनेश भी किया गया।

राज्यों में टेलीफ़ोन एक्सचेंजों का विस्तार

4010. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी।

श्रीमती दीपिका एच टोपीवाला :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य का इस उद्देश्य हेतु कितनी-कितना धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शित मांग के आधार पर आठवीं योजना प्रस्तावों में दूरसंचार सर्किलों में निम्नानुसार टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें जोड़ना शामिल है:—

उत्तर प्रदेश	5.30 लाख लाइनें
बिहार	1.25 लाख लाइनें
राजस्थान	4.15 लाख लाइनें
गुजरात	7.95 लाख लाइनें
आंध्र प्रदेश	6.45 लाख लाइनें
महाराष्ट्र	9.05 लाख लाइनें

(ग) दूरसंचार विभाग के लिए 1992-93 में बजट आवंटन संसद को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। इस स्तर पर राज्य-वार आवंटन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में डाक व टेलीफोन सुविधाएं

4011. श्री के. प्रधानी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए दी गयी रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी पंचायत गांवों में उत्तरोत्तर ढंग से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है, बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) और (ग) जी नहीं, जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर इस प्रयोजनार्थ निर्धारित आय, जनसंख्या और दूरी संबंधी मानकों की संतोषजनक पूर्ति के अध्यधीन खोले जाते हैं। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों में आय और जनसंख्या के मानकों में ढील दी जाती है जो इस प्रकार है :—लागत की 15% न्यूनतम प्रत्याशित आय और एक अकेले गांव की 500 की जनसंख्या अथवा गांवों के एक समूह की 1000 की जनसंख्या जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के अग्रिम क्षेत्रों के लिए ये मानक इस प्रकार हैं :—लागत की 33⅓ प्रतिशत की आय और गांवों के एक समूह की 3000 की जनसंख्या।

डाक नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और निर्धारित मानकों की पूर्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्रों को नेटवर्क में समाविष्ट करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति का पुनर्गठन

4012. प्रो. मालिनी भट्टाचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार को समिति में कुछ सदस्यों को नामांकित करना होता है; और

(ग) समिति का कार्य क्षेत्र उद्देश्य विचाराधीन विषय और शक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अधिकांश आकाशवाणी केंद्रों में कार्यक्रम सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कार्यक्रम सलाहकार समितियां दो वर्ष के कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं। इन समितियों के गठन का मूल प्रयोजन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए सुझाव देना और समिति को सम्बद्ध केंद्र के कार्यक्रमों के आयोजन और प्रस्तुतीकरण से सम्बद्ध अन्य मामलों में परामर्श देना है।

कोझीकोड़ हवाई अड्डे पर तकनीकी सुविधाएं

4013. श्री बी. एस विजयराघवन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोझीकोड़ हवाई अड्डे पर एयर बस विमान के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) एयरबस ए-320 विमान कोझीकोड/कालीकट हवाई अड्डे के लिए/से पहले ही परिचालन कर रहे है। धावनपथ के विस्तार के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चला है कि इसका विस्तार करने में भारी लागत आवेगी और अत्यधिक समय लगेगा। इसलिए, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है।

देश में कार टेलीफोन

4014. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार टेलीफोनों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है और 31 जनवरी, 1992 तक कितने लोग इसके लिए प्रतीक्षा सूची में थे,

(ख) प्रतीक्षा सूची को "एग्जास्ट" करने के लिए तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रयोग किए जा रहे ऐसे कार टेलीफोनों में कुछ प्रतिशत कटौती करके बचत उपायों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) कार टेलीफोन सुविधा केवल दिल्ली में ही उपलब्ध है।

31.1.93 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में कार टेलीफोनों की स्थिति नीचे दी गई है।

(i) चालू कनेक्शन—237

(ii) प्रतीक्षा सूची—147

(ख) और (ग) चार महानगरों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन प्रणाली की शुरूआत करने का प्रस्ताव है। इनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

25.10.93 की स्थिति के अनुसार बचत के उपाय के बतौर 12 विभागीय कनेक्शनों में से 8 अभ्यर्पित (सरेण्डर) किए जा चुके हैं। केवल 4 बार टेलीफोन एमटीएनएल के पास हैं।

आठवीं योजना के दौरान विद्युत का उत्पादन

4016. श्रीमती कुष्णेन्द्र कौर दीपा :

क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) आठवीं पचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

यमुना नदी में जलाशय

4017. श्री पंकज चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यमुना नदी के बेसिन में कोई जलाशय न होने के कारण मानसून के मौसम में पानी सीधे नीचे बह जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यमुना नदी के बेसिन में जलाशय का निर्माण करने का है,

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) यमुना नदी के अधिशेष मानसून प्रवाहों का उपयोग करने के लिए, अनेक भंडारण स्कीमें अभिज्ञात की गयी हैं। उत्तर प्रदेश

सरकार द्वारा 276.42 करोड़ रुपए (1981 मूल्य) की अनुमानित लागत से 0.33 बी. सी. एम. की सक्रिय भंडारण क्षमता का लखदार-व्यासी बांध निर्माणधीन है । इस परियोजना के लागत अनुमानों को संशोधित किया जा रहा है । यमुना के बाढ़ जल का भंडार करने के लिए यमुना की सहायता नदी गिरि पर रेनुका बांध (सक्रिय भंडारण-.045 बी सी. एम) तथा यमुना की दूसरी सहायता नदी टोंस पर किशाऊ बांध (सक्रिय भंडारण—1.33 बी. सी. एम.) सहित दो अन्य भंडारणों की जांच की जा रही है । इन परियोजनाओं की लागत को अभी निश्चित किया जाना है । तथापि, इन भंडारणों का निर्माण यमुना जल के बंटवारे के संबंध में बेसिन राज्यों के बीच करारों को अंतिम रूप देने पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

मंगलौर और मुम्बई के बीच विमान यातायात क्षमता

4018. **श्री बी. धनंजय कुमार :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंगलौर और मुंबई के बीच विमान यातायात की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या मंगलौर में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रिहन्द, नरोरा अटा और औरैया विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यों का विद्युत हिस्सा

4019. **श्री राम नारायण बेरवा :**

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की "रिहन्द", नरोरा" अटा: और औरैया" विद्युत परियोजनाओं के के अन्तर्गत राज्यों हेतु विद्युत का कितना हिस्सा मंजूर किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा बनाया गया उन राज्यों में जहां आवश्यक विद्युत है और उन राज्यों में जहां विद्युत की कमी है, विद्युत प्रदान करने का वर्तमान फार्मूला न्यायोचित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इस फार्मूले में परिवर्तन करने और राजस्थान को अधिक बिजली प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो क्या ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कल्पनाथ राय) : (क) रिहन्द, नरोरा, अटा एवं ओरेया विद्युत केन्द्रों की विद्युत में उत्तरी क्षेत्र के सम्बन्धित लाभभोगी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा नीचे दिया गया है :

(सभी आंकड़े प्रतिशत में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिहन्द	नरोरा	अटा	ओरेया
दिल्ली	10.0	10.6	10.5	10.8
हरियाणा	6.5	6.3	5.8	5.8
हिमाचल प्रदेश	3.5	3.2	3.5	3.3
जम्मू व कश्मीर	7.0	7.4	7.0	6.7
पंजाब	11.0	11.7	11.6	12.5
राजस्थान	9.5	9.6	19.8	9.2
उत्तर प्रदेश	36.5	35.1	25.6	35.9
चण्डीगढ़	1.0	1.1	1.2	0.8
अनवंटित	15.0	15.0	15.0	15.0
जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0

संबंधित क्षेत्र के संघटकों में विद्युत की सापेक्ष प्रतिशतता कमी के आधार पर केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों की अवंटित विद्युत में से भी क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर विद्युत का आवंटन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। विद्यमान फार्मूला काफी समय तक विवेकपूर्ण विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था और कुल मिलाकर सभी संबंधितों को स्वीकार्य पाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सागर के लिए विमान सेवा

4020. श्री आनन्द अहिरवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आठवीं योजना के दौरान गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोतों का संवर्धन

4021. श्री संदीपान भगवान घोरात :

श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल :

क्या विद्युत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा श्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आठवीं योजना गैर-परंपरागत ऊर्जा श्रोतों का संवर्धन के दौरान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले गैर-परम्परागत ऊर्जा श्रोतों से संबंधित कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा श्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, ऊर्जाग्राम और तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन ऊर्जा, मिनी/माइक्रो जल विद्युत श्रोत, भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन, सह उत्पादन, मानव और पशु ऊर्जा आदि के इस्तेमाल और अनुप्रयोग से ऊर्जा उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए अपारंपरिक ऊर्जा श्रोतों के क्षेत्र में अगले एक वर्ष के दौरान कार्यक्रम शुरू किए जाने का उम्मीद है। वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय नियतन, जैसा कि योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नोडल एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत विभाग नए तथा अक्षय ऊर्जा श्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। देश में नए तथा अक्षय ऊर्जा श्रोतों के दोहन और व्यापक उपयोग के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, सवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन और वित्तीय रियायतें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वर्ष 1992-93 हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए केन्द्रीय योजना निधान जैसा कि योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	परिव्यय 1992-93 (अंतिम)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम (अनुसंधान एवं विकास, सामुदायिक संस्थागत बायोगैस संयंत्र)	6.00
2.	उन्नत चूल्हा (विशेष क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये सहित)	16.00
3.	सौर तापीय (सौर ऊर्जा केन्द्र सहित)	12.00
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	9.00
5.	पवन ऊर्जा	10.00
6.	ऊर्जाग्राम	0.25
7.	बायोमास	3.00
8.	एच ए इ पी	0.00
9.	लहरी/कृषि अपशिष्ट (आन पुआल कृषि तापीय विद्युत संयंत्र पंजाब)	1.75
10.	वैकल्पिक ईंधन	1.00
11.	मेग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स	0.50
12.	भूतापीय ऊर्जा	0.03
13.	रासायनिक ऊर्जा	0.22
14.	महासागरीय ऊर्जा	—
15.	हाइड्रोजन ऊर्जा	0.25
16.	माइक्रो/जल विद्युत	8.00
17.	इरेडा	4.00
18.	क्षेत्रीय कार्यालय आदि	0.70

1	2	3
19.	सूचना और प्रचार	1.00
20.	सेमीनार/सम्मेलन	0.05
21.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.07
22.	डाटा बैंक/टी आई एफ ए सी	0·03
23.	ऊर्जा संरक्षण	—
	कुल	128.00 रुपये

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राजस्व की प्राप्ति

4022. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने शार्पिंग केन्द्रों से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्त हुई;

(ख) सिंगापुर के चांगी विमानपत्तन की तुलना में यह कितना है;

(ग) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के शार्पिंग केन्द्रों की स्थिति में सुधार करके इसकी विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व का 1.6% चांगी हवाई अड्डे के तदनुरूपी आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक होने की आशा है।

(ग) और (घ) देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करने की दृष्टि से बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डे पर शार्पिंग आंकड़ों के उन्नयन का कार्य भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया है।

गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में एल्कोहल का उपयोग

4023. श्री राम पूजन पटेल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में एल्कोहल का किसी भी रूप में उपयोग करने की किसी संभावना का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी मिलों में एल्कोहल उत्पादित शीरे की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है; और

(घ) यदि हां, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में उसका उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। डीजल तेल के स्थान पर आंशिक रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल का प्रदर्शन अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग की अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाओं द्वारा किया गया है। 1988-89 के दौरान, डीजल के स्थान पर 12-15 प्रतिशत मेथानाल का इस्तेमाल करके दिल्ली परिवहन निगम की दस बसें 6.43 लाख किलोमीटर चलाई गई। इसके बाद एथानॉल का इस्तेमाल किया गया जहां लगभग 14% डीजल प्रतिस्थापन करके दोहरी ईंधन पद्धति पर दिल्ली परिवहन निगम की 25 बसें 15.82 लाख कि.मी. चलाई गई। इन दोनों परियोजनाओं से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि इनसे धुआं निकलने में लगभग 33% की कमी आई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में बंगलौर

4024. श्री ओस्कर फर्नान्डीज :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव।

श्री जी. माडे गौडा।

क्या नागर विमानन पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये एक समिति ने अप्रैल, 199 में भूमि का जांच करने के लिये बंगलौर का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) (ख) और (ग) : बंगलौर के निकट एक आधुनिक हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा कुछ स्थलों की जांच की गयी है और इसकी रिपोर्ट जून, 1992 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युतीकृत किये गये गांव

4025. श्री हतिलाल कालीदास वर्मा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों में जिला-वार, कितने गांव विद्युतीकरण नहीं है; और

(घ) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आंध्र प्रदेश के 21 गांवों तथा गुजरात के 222 उन गांवों, जोकि विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं थे को छोड़कर आंध्र प्रदेश व गुजरात के सभी व्यवहार्य गांवों का 1990-91 से पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका था। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किए अनुसार 1990-91 के दौरान राज्य में 2207 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या, जिनको 31.3.1991 तक विद्युतीकृत किया जाना था, की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश के शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण कार्य निधियों व अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युतीकृत गांव और 31.3.91 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांव

क्र. सं.	जिला	1990-91 के दौरान विद्युतीकृत गांव संख्या	1.3.91 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांव संख्या
1	2	3	4
1.	सहारनपुर	47)	73
2.	हरिद्वार	23	
3.	मुजफ्फरनगर	2	0
4.	मेरठ	0	0
5.	गाजियाबाद	0	0
6.	बुलन्दशहर	0	0
7.	अलीगढ़	20	3
8.	मथुरा	7	0
9.	आगरा	31)	53

1	2	3	4
10.	फिरोजाबाद	28)	
11.	मैनपुरी	20	225
12.	एटा	23	422
13.	बिजनौर	15	495
14.	मुरादाबाद	40	250
15.	रामपुर	15	285
16.	नैनीताल	19	22
17.	अलमोड़ा	97	699
18.	पिथौरागढ़	102	858
19.	देहरादून	14	36
20.	उत्तरकाशी	24	73
21.	चमोली	30	441
22.	पौड़ी (गढ़वाल)	113	1390
23.	टिहरी (गढ़वाल)	86	677
24.	बरेली	50	528
25.	बदायूं	36	423
26.	शाहजाहांपुर	30	1011
27.	पिलीभीत	21	441
28.	फर्रुखाबाद	40	191
29.	इटावा	36	522
30.	कानपुर नगर	6)	681
31.	कानपुर देहात	54)	
32.	झांसी	19	246
33.	ललितपुर	13	363
34.	जालौन	25	311
35.	हमीरपुर	22	385
36.	बांदा	20	466
37.	इलाहाबाद	79	474

1	2	3	4
38.	फतेहपुर	33	254
39.	प्रतापगढ़	29	652
40.	लखनऊ	0	0
41,	रायबरेली	0	0
42.	उन्नाव	28	769
43.	सितापुर	34	1332
44.	हरदोई	28	968
45.	खेड़ी	30	424
46.	फैजाबाद	100	480
47.	गोंण्डा	46	1250
48.	बहराईच	47	549
49.	सुल्तानपुर	54	96
50.	बाराबंकी	33	1099
51.	वाराणसी	48	1085
52.	मिर्जापुर	20)	1780
53,	सोनभद्र	14)	
54.	जौनपुर	76	251
55.	गाजीपुर	0	0
56.	बलिया	88	198
57.	गोरखपुर)	59	1480
58.	महाराजगंज)		
59.	देवरिया	66	1273
60.	बस्ती	33)	3828
61.	सिद्धार्थनगर	39)	
62.	आजमगढ़	74)	407
63.	मऊ	21)	
	जोड़	2207	30249

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता देना

4026. **श्री मोरेश्वर साबे :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्मोद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 55 फिल्मों को वित्तीय सहायता दी गई। ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) दिए गए फिल्म ऋण	24
(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-सह-निर्माण स्कीम के अन्तर्गत वित्तपोषित फिल्में	16
(3) शत प्रतिशत वित्तपोषण स्कीम के अन्तर्गत फिल्में	14
(4) वित्तपोषित विदेशी सह-निर्माण	1
कुल :	55

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कई प्रकार से फिल्म उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे :—

(1) निगम सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक विषयों पर अच्छे स्तर की कम बजट वाली फिल्मों का वित्तपोषण करती है,

(2) निगम छ शहरों, अर्द्धशहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों का वित्तपोषण करता है;

(3) निगम ने कलकत्ता में 16 एम. एम. के लिए निर्माण का आधारभूत ढांचा, बम्बई में फिल्मों का विभिन्न भाषाओं में सब-टाइटलिंग करने के लिए आधारभूत ढांचा और मद्रास में फिल्म से वीडियो में अंतरण करने का असुविधा केन्द्र स्थापित किया है।

(4) निगम भारतीय फिल्म उद्योग के साथ मिलकर "कापीराइट की चोरी के खिलाफ

भारतीय परिसंघ" (इनफेंट) स्थापित कम्पनी के माध्यम से वीडियो चोरी का मुकाबला कर रहा है।

(5) यह राज्यों के फिल्म विकास निगमों और व्यापारिक संस्थाओं की उनके साथ समन्वय कर और सूचना प्रदान कर उनकी सहायता करता है।

[हिन्दी]

निजीकरण के परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारी

4027. श्री अरविन्द नेताम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के निजीकरण के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाए जाएंगे ताकि उनका प्रमुख विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके। जिस भी व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जाएगा उसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

देश में ताप बिजली घर

4028. श्री अंकुशराव रावसाहिब टोपे :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने ताप बिजली घर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इसके लिए प्रतिवर्ष कोयले की कितनी आवश्यकता होती है;

(घ) क्या बिजली घर अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करते हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय) : (क) (क) से (ग) देश में कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों तथा वर्ष 1991-92 के लिए कोयले के लिंकेज को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर भिन्न होता

है तथा यह संयंत्र की कार्यावधि, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में उपलब्धता, रखरखाव सम्बन्धी समस्याओं, श्रम उत्पादकता तथा अन्य प्रणालीगत/तकनीकी बाधाओं पर निर्भर करता है।

विवरण

1991-92 के लिए ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आवश्यकता

क्र. सं.	राज्य/ताप विद्युत केन्द्र	कोयले की आवश्यकता (हजार टन)
1	2	3
	दिल्ली	
1.	बदरपुर	3403
2.	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	952
3.	राजघाट	476
	हरियाणा	
4.	फरीदाबाद	660
5.	पानीपत	2024
	पंजाब	
6.	भटिण्डा	1898
7.	रोपड़	3168
	राजस्थान	
8.	कोटा	1890
	उत्तर प्रदेश	
9.	अनपारा	2975
10.	हरदुआगंज	980
11.	कानपुर	45
12.	पनकी	616
13.	परिछा	720
14.	टाण्डा	640

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
15.	ऊंचाहार	880
16.	ओबरा	6132
17.	सिंगरौली	7200
18.	एन सी टी पी पी	158
19.	लखनऊ	15
20.	रिहन्द	3210
	गुजरात	
21.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी	1348
22.	गांधीनगर	1560
23.	घुवरण	120
24.	उकई	2065
25.	वानकबोरी	4278
26.	सिक्का	390
	मध्य प्रदेश	
27.	कोरबा ईस्ट	1938
28.	कोरबा वैस्ट	3344
29.	अमरकंटक	1067
30.	सतपुरा	4000
31.	कोरबा एसटीपीएस	8449
32.	विन्ध्याचल	4750
	महाराष्ट्र	
33.	भुसावल	2080
34.	पारस	328
35.	खापरखेड़ा	1600
36.	नासिक	3650
37.	पारली	2588

1	2	3
	महाराष्ट्र	
38.	कोराड़ी	4680
39.	चन्द्रपुर	4050
40.	ट्रांम्बे	1992
	आंध्र प्रदेश	
41.	कोठागुंडम	3080
42.	रामागुंडम बी	284
43.	रामागुंडम एसटीपीएस	7150
44.	विजयवाड़ा	4260
45.	नेल्लोर	163
	कर्नाटक	
46.	रायचूर	2880
	तमिलनाडु	
47.	एन्नोर	1995
48.	तूतीकारिन	3220
49.	मेत्तूर	3280
	बिहार	
50.	बरौनी	736
51.	पतरातू	2050
52.	मुजफ्फरपुर	598
	डी. वी. सी.	
53.	बोकारो	1804
54.	चन्द्रपुरा	1825
55.	दुर्गापुर	1095
	उड़ीसा	
56.	तालचेर	1290

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
57.	बंडेल	1380
58.	संथालडीह	683
59.	कोलाघाट	2380
60.	डी. पी. एल.	675
61.	फरक्का	2760
62.	सी. ई. एस. सी.	987
63.	एस. बी. स्टेशन	406
64.	टीटागढ़	810
	असम	
65.	बोंगाईगांव	360
	अखिल भारत	139000

[हिन्दी]

ऊर्जा ग्राम योजना

4029. डा. लाल बहादुर राव्त :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "ऊर्जा ग्राम" परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में पूरी की गई ऐसी परियोजनाओं अथवा चालू वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किन एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है; और

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं अथवा आरम्भ किए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान 13 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं पूरी की गई हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में ऊर्जाग्राम परियोजनाएं राज्य नोडल अभिकरण नामत: अपारम्परिक ऊर्जा विकास अभिकरण के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य में अब तक सैंतालीस ऊर्जाग्राम परियोजनाएं पूरी की गई हैं। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उड़ीसा के पुरी जिले में गांव रामचण्डी-खलकपटना, गुजरात के खेड़ा जिले में गांव कल्याणपुरा और तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में गांव इडयानविलई में ऊर्जाग्राम अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

विवरण-I

चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

1. पोटुनुरू, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश
2. अम्बादेव, रत्नगिरि, महाराष्ट्र
3. फैजुल्लागंज, रामपुर, उत्तर प्रदेश
4. सुजानी समोधा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
5. फनर, देहरादून, उत्तर प्रदेश
6. टेथर, डोडा, जम्मू व कश्मीर
7. बान्दा, कटक, उड़ीसा
8. घुटेवड़ी, अहमदनगर, महाराष्ट्र
9. नंरेली, नाण्देद, महाराष्ट्र
10. पिम्पलवती, नासिक, महाराष्ट्र
11. केटकावाले, पूणे, महाराष्ट्र
12. बाहुबली, कोल्लाहपुर, महाराष्ट्र
13. हथियाई, हरदोई, उत्तर प्रदेश

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में पूर्ण की गई ऊर्जाग्राम परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा

	जिला	परियोजनाओं संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	2
2.	अलीगढ़	1
3.	आजमगढ़	1

1	2	3
4.	आगरा	1
5.	बहराइच	4
6.	बस्ती	1
7.	बदायूं	1
8.	बरेली	1
9.	बिजनौर	1
10.	देहरादून	2
11.	देवरिया	1
12.	फैजाबाद	3
13.	गोरखपुर	2
14.	गाजियाबाद	1
15.	हरदोई	2
16.	जालौन	1
17.	कानपुर (देहात)	2
18.	लखनऊ	1
19.	मेरठ	2
20.	मुरादाबाद	1
21.	मुजफ्फरनगर	1
22.	नैनीताल	2
23.	पीलीभीत	1
24.	प्रतापगढ़	1
25.	रामपुर	1
26.	रायबरेली	1
27.	सहारनपुर	1
28.	सीतापुर	1
29.	सुल्तानपुर	3
30.	टिहरी गढ़वाल	1

1	2	3
31.	उन्नाव	1
32.	वाराणसी	2
	कुल	47

[अनुवाद]

धातु अन्वेषी यंत्रों (मेटल डिटेक्टर्स) की व्यवस्था

4030. श्री राम बदन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन की सुरक्षा हेतु संवेदनशील स्थानों पर धातु अन्वेषी यंत्रों (मेटल डिटेक्टर्स) करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के सुरक्षा गार्डों को हथियार उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी के संवेदनशील केन्द्रों पर पहले से ही मेटल डिटेक्टर्स की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्रों पर सुरक्षा गार्डों को हथियार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

"प्लांट लोड फैक्टर"

4031. श्री गुरुदास कामत :

क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से देश में "प्लांट लोड फैक्टर" में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) "प्लांट लोड फैक्टर" में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणक (पी. एल. एफ) निम्नानुसार है :—

वर्ष	संयंत्र भार गुणक (%)
1988-89	55.0
1989-90	56.5
1990-91	53.8

चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 1992 तक की स्थिति के अनुसार संयंत्र भार गुणक बढ़कर 54.9% हो गया है। ताप विद्युत केन्द्रों का पी. एल. एफ. कोयले की गुणवत्ता, यूनिटों की अनरन बन्दी, प्रणाली सम्बन्धी समस्याओं और विद्युत सम्बन्धी मांग आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

(ग) संयंत्र भार गुणक में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई किए जाने की व्यवस्था करना आदि।

[हिन्दी]

जलधारा योजना

4032. श्री काशीराम राणा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में जल धारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) अगले वर्ष हेतु इस राज्य के लिए किए गए प्रावधानों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 13 राज्यों में पता लगाए गए सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के छोटे किसानों को एक साथ पम्पसैट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में "जलधारा" स्कीम आरंभ की गई थी। यद्यपि इस स्कीम के अन्तर्गत गुजरात के लिए 3,496 पम्पसैटों का लक्ष्य रखा गया था परन्तु राज्य में स्कीम आरंभ न किए जाने के फलस्वरूप उपलब्धि शून्य रही। उक्त स्कीम अब क्रियाशील स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

कोंकण क्षेत्र में पर्यटन सुविधाएं

4033. प्रो. राम कापसे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) महाराष्ट्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) किसी भी स्थान पर पर्यटक संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए प्रदान की जाती है। वर्ष 1991-92 के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोकण में सुविधाओं हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर 1991-92 (अब तक) के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास करने के लिए 170-92 लाख रुपए की स्कीमें/परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

जबलपुर में दूरदर्शन प्रसारण नेटवर्क

4034. श्री अरुण कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में टी. वी. टावर के निर्माण सहित दूरदर्शन प्रसारण नेटवर्क संवर्धन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सिरिया व्यास) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में जबलपुर में मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) टी. वी. ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर लगाने का काम चल रहा है। ट्रांसमीटर की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा टावर का 50 मीटर तक निर्माण हो चुका है चुका है जबकि इसकी प्रस्तावित ऊंचाई 220 मीटर है। ट्रांसमीटर तथा टी. वी. आर. आ. उपकरण लगा दिए गए हैं स्थायी टावर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने तक, ट्रांसमीटर को अन्तरिम रूप में अस्थायी मास्ट पर लगा दिया गया है तथा इसने कि. वा. की अल्प शक्ति पर परीक्षण ट्रांसमिशन देना शुरू कर दिया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार जबलपुर टी. वी. ट्रांसमीटर पूरी शक्ति के साथ वर्ष 1993 के मध्य में सेवा के लिए चालू हो जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के इक्विटी आधार को बढ़ावा

4035. श्री चित्त बसु :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में

में बदलकर इनके इक्विटी आधार में वृद्धि करने करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मौजूदा वायु निगमों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दो कंपनियां निगमित करने का इरादा है । इन एयरलाइनों का पुनर्गठित किये जाने का विचार है, ताकि सरकार पर अनावश्यक बोझ डाले बिना वे संगठन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटा सकें; कंपनियों की अंशधारिता में प्रथमत: कामगारों को तथा बाद में यदि आवश्यक हो तो पारस्परिक निधियों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें ; प्रबंध वर्ग को व्यवसायोन्मुख किया जा सके और एयरलाइन की कार्य-प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति और गतिशीलता पैदा की जा सके ।

अहमदाबाद से नैरोबी के लिए विमान सेवा

4036. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का विचार अहमदा से नैरोबी के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"डेसू" के "वायरमैनों" की मृत्यु

4037. श्री जीवन शर्मा :

क्या विद्युत और गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : "डेसू" के "वायरमैनों" की ड्यूटी पर होने वाली मृत्यु को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) : यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) : क्या प्रत्येक मृत्यु के कारणों की इस बीच जांच की गई है ; और

(घ) : यदि हां, तो प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) लाईनमैन आदि के सांघातिक विद्युतीकरण दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए बिजली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल है :— उपयुक्त प्रशिक्षण तथा

हाटलाइनों के सुरक्षित प्रचालन के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक गैजमेंट तथा यंत्र जारी करना। जहां तक सम्भव होता है विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भूमिगत प्रणाली को भी अपना रहा है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्युत संबंधी दुर्घटनाओं के सभी मामलों की दुर्घटना जांच समिति द्वारा जांच की जाती है दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के विद्युतीकरण के कुछ मामलों के निष्कर्षों से यह पता चला है कि दुर्घटनाओं के मुख्य कारण वैद्युत उपकरण में फ्लैशओवर अथवा अनजाने में विद्युन्मय लाइनों/उपस्करों को छू जाना है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पायलटों द्वारा त्यागपत्र

4038· श्री विजय नवल पाटील :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कितने प्रशीक्षित पायलटों ने विदेशों में रोजगार पाने के लिए त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) नये पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नवम्बर, 1987 से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान एयर इंडिया के 4 विमान चालकों ने त्याग-पत्र दिया; 1988 से 1991 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस के 33 विमान-चालकों ने त्यागपत्र दिया।

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों ने अपने-अपने बेड़ों में विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए पूर्ण-रुपेण प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित कर दी है। अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर दोनों एयरलाइनें नियमित रूप से प्रशिक्षु विमान चालकों की भर्ती करती है।

अहमद नगर, महाराष्ट्र में दूरसंचार सेवाएं

4039. श्री शंकरराव काले :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में विभिन्न स्थानों पर फैक्स और टेलिप्रिंटर तथा पूर्ण एस. टी. डी. सेवामे उपलब्ध कराने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त सुविधाये कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगया नायडु) : (क) जी हां।

(ख) राहोरी संयुक्त डाक तारघर में, टेलीप्रिंटर सेवा, नेवासा, शिरडी और श्रीगोंडा में एस. टी. डी. सेवाएं तथा एस. टी. डी. सुविधा वाले उपमंडलीय मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रधान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 1992-93 के दौरान।

उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं को एक्सचेंजों से जोड़ना

4040. श्री रामपाल सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की उन ग्राम सभाओं के नाम क्या हैं जिन्हें नई योजना के अन्तर्गत अन्य एक्सचेंजों से जोड़ने का प्रस्ताव है, और

(ख) अब तक कितनी ग्राम सभाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

संचार मन्त्रालयमे उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय नायडू) : (क) और (ख) :— ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में निर्यात हेतु खनिजों का दोहन

4041. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दोहन किये गये खनिजों का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है ;

(ख) निर्यात का खनिज-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्यात से हुई कुल आय में आंध्र प्रदेश का हिस्सा कितना है ;

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश में दोहन किए गए खनिजों के नवीनतम आंकड़े वर्ष 1987. 1988 और 1989 के लिए उपलब्ध हैं, जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निर्यातों का ब्यौरा राज्य-वार नहीं रखा जाता है। निर्यात आय सामान्यत: सम्बन्धित निर्यातकों की होती है और उसमें राज्य सरकारों का कोई हिस्सा नहीं होता है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में खनिज उत्पादन 1987-1989

(मूल्य हजार रु. में)

खनिज	मात्रा की इकाई	1987		1988		1989 (अनन्तिम)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल मूल्य			524,85,56		524,40,36		580,44,27
एपेटाइट	टन	3,749	22,23	3,460	25,95	3,400	19,60
एसबेस्ट्स	,,	1,588	1,25,06	1,635	1,38,68	740	61,06
बासक्से	,,	86,285	65,66	135,534	1,19,92	10,72,91	85,27
बेराइट्स	,,	24,10,51	4,83,82	456,643	6,32,63	53,18,96	10,32,32
कैलसाइट	,,	1,260	1,63	165	17	184	10
क्रोमाइट	,,	552	88	314	144	755	3,46
क्ले (अन्य)	,,	14,831	5,24	16,906	6,20	9,793	2,81
कोयला	हजार टन	17,642	454,411,56	16,698	442,3 80	17,977	497,30,24
तांबा अयस्क	,, ,,	58	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
कोरंडम	हजार टन	1	10	3	66	5	56
डोलोमाइट	,, ,,	2,536	61	468	19	18,872	4,75
फेलस्पार	,, ,,	5,446	2,56	11,388	627	15,723	8,78
फायरक्ले	,, ,,	8,875	6,54	17,153	9,98	21,471	16,05
फुक्साइट वेवाटेलाईट	,, ,,	75	38	38	20	6	4
गार्नेट (अपघर्षी)	,, ,,	180	52	140	39	296	81
ग्रेफाइट (जरा. ओ. एम.)	,, ,,	215	60	403	131	486	1,52
स्वर्ण	किलोग्राम	141	64,1,12	197	9,06,77	173	7,99,92
सीह ग्रयस्क (कुल)	हजार टन	192	72.40	155	58,77	139	49,22
कालोलिन (कुल)	टन	25,888	9,07	31,365	16,97	19,494	6,44
सीसा	"सांद्र"	3,670	3,06,21	3,494	316,17	36,96	3,31,65
चूना पत्थर	हजार टन	7,897	30,44,32	9,881	35,06,16	9,465	36,77,34
चूना कंकड़	टन	62,094	30,31	43,242	23,75	43,073	21,88

चूना पत्थर	टन	14,064	20.65	11,569	19,95	5,083	8,56
मैंगनीज अयस्क	,,	49,954	59.60	63,622	65,97	51,252	55,85
अभ्रक (अपरिष्कृत)	,,	1,631	89,81	1,470	91,50	1,469	81,78
अभ्रक (कतरन और छीजन)	,,	2,575	लागू नहीं	686	लागू नहीं	967	लागू नहीं
ओकर	,,	5,354	1,91	5,381	2,42	9,486	364
क्वार्ट्ज	,,	95,964	45,34	62,723	35,76	73,880	46,02
सिलिका रेत	,,	40,130	11,21	39,470	12,14	63,464	18,72
रेत (अन्य)	,,	537,923	55,00	127,053	19,15	295,236	23,42
जराई रेत	,,	93,10	4,66	1,494	75	1,364	70
चांदी	किलोग्राम	16,100	7,95,74	18,196	10,44,08	13,703	8,13,96
स्लेट	टन	880	37	982	55	966	62
स्टीटाइट	,,	10,894	12,81	13,497	14,92	15,593	965
वर्मीक्यूलाइट	,,	1,636	2.46	2,687	4,08	14,47	1,82
गौण खनिज	मूल्य	—	11,25,71	—	11,25,71 ई	—	11,25,71 ई

1. पूर्वेक्षण और खनन के दौरान अयस्क से प्राप्त ।

2. छीजन और कतरन, जिसमें खान बेस्ट और खान स्थल पर कच्चे अभ्रक के शोधन के दौरान प्राप्त ।

3. विशाखापत्तनम अस्ता प्रणालक में सीसा खानों से उपोत्पाद से प्राप्त ।

ई. आंकड़े न मिलने के कारण पिछले आंकड़े दिए गए हैं ।

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मिनरल ईयर बुक 1991)

बंगलौर हवाई अड्डे पर हवाई पुल

4042. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री जी. माडे गौडा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर हवाई पुल (एयरोब्रिज) बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद में दूरदर्शन कार्यक्रमों का देखा जाना

[हिन्दी]

4043. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री एस. एन. बेकारिया :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दूरदर्शन के प्रसारण का फरीदाबाद में स्पष्ट "रिसेप्शन" सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : हरियाणा में फरीदाबाद दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के प्राथमिक चैनल और दूसरे चैनल के ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। ये दोनों उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर जो दिल्ली से प्रचालित होते हैं, द्वारा सामान्यतया कार्य करने और फरीदाबाद सहित अपने कवरेज क्षेत्रों में संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराये जाने की रिपोर्ट मिली है। तथापि, कभी-कभार दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के बैंड-एक के ट्रांसमीटर के संग्रहण की गुणवत्ता किसी दूरस्थ विदेशी दूरदर्शन के सिगनलों द्वारा हस्तक्षेप से प्रभावित होती है। ऐसा वर्ष के दौरान कभी-कभी असामान्य वातावरण की स्थितियों के कारण होता है। चूंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। अतः कोई उपचारात्मक उपाय करने का विचार नहीं है।

माण्डया जिला, कर्नाटक में उप-डाकघर

[अनुवाद]

4044. श्री जी. मोडेगौडा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-93 के दौरान मांड्या जिला, कर्नाटक में उप डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1992-93 के दौरा मांड्या में हाथाल्ली एक्सटेंशन में एक उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसका औचित्य हो।

बिहार में तारघरों का आधुनिकीकरण

(हिन्दी)

4045. श्री राम सहल चौधरी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए तारघर खोलने का वर्तमान तारघरों का आधुनिकीकरण करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कितने तारघर खोले गये हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कितने तारघर खोलने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण के लिए चुने गये तारघरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी वी रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान 1752 संयुक्त डाक व तारघर खोले गये हैं।

(ग) 8 वीं योजना अवधि के दौरान 150 तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 8वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए चुने गये तारघरों के ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं।

विवरण

8वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए पता लगाए गये तारघरों की सूची

क. एस. एफ एम एस कीपोर्ट व्यवस्था

1. आरा
2. मुंगेर
3. हाजीपुर
4. समस्तीपुर
5. सीवान
6. देवघर
7. गोपालगंज
8. दरभंगा

ख. इलेक्ट्रानिक्स की बोर्ड कनसेंट्रेटर की संस्थापना के लिए प्रस्तावित केन्द्र

1. पटना
2. रांची
3. मुजफ्फरपुर
4. कटिहार
5. जमसेदपुर
6. हजारीबाग

ग. आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किये जाने के उद्देश्य से पूर्ण तारघरों में उन्नत किये जाने वाले प्रस्तावित संयुक्त डाक व तार घरों के नाम

1. साहेबगंज
2. किशनगंज
3. सुपौल
4. बांका
5. जमुई
6. बक्सर
7. बाढ़
8. मुंगेर
9. चतरा
10. गढ़वा
11. गुमला

9. मोहिलारी
10. सीतामढ़ी
11. मधुबनी
12. रक्सोल
13. सहरसा
14. पूर्णियां
15. बेतिया
16. बोकारो स्टील सिटी
17. रामगढ़ कैंट
18. डालटेनगंज
19. झरिया
20. चाईबासा
21. लोहरदगा
22. दुमका
23. सासाराम
24. गिरिडीह
25. मधेपुरा
26. गोड्डा
27. औरंगाबाद
28. नवादा
29. जहानाबाद
30. बगहिया

[अनुवाद]

कोयला आधारित "स्पंज आयरन प्लांट्स"

4046. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री वी. कृष्णाराव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला आधारित "स्पंज आयरन प्लांट्स" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कर्नाटक में एक स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में कुल 19.40 लाख टन वार्षिक क्षमता की 13 कोयले पर आधारित स्पंज लोह परियोजनाएं कार्यान्वयाधीन हैं इनमें विस्तार योजनायें भी शामिल हैं । इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (लाख टन)
आन्ध्र प्रदेश	2	2.80
बिहार	1	1.50
कर्नाटक	1	0.60
महाराष्ट्र	1	1.50
मध्य प्रदेश	7	12.70
तमिलनाडु	1	0.30
कुल :		19.40

(ग) और (घ) कर्नाटक में एक स्पंज लोह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । इस परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कम्पनी का नाम	—	बेलारी स्टील एण्ड अलायस लि.
संयन्त्र की स्थान स्थिति	—	बेलारी (नगर पालिका की सीमा के बाहर)
कार्यान्वयनाधीन क्षमता	—	0.6 लाख टन वार्षिक

सीतामढ़ी दूरदर्शन से सम्प्रेषण का स्थगन

[हिन्दी]

4047. श्री नवल किशोर राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो माह से सीतामढ़ी दूरदर्शन के बेस यूनिट में आई खराबी के कारण सम्प्रेषण स्थगित हुआ पड़ा है;

(ख) क्या सीतामढ़ी को मोतीहारी अनुरक्षण केन्द्र के अधीन रखा गया है जहां पर एक भी अभियंता नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) सीतामढ़ी दूरदर्शन के पारेषण स्तम्भ की वर्तमान ऊंचाई को बढ़ाकर 45 मीटर कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनपारा ताप विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

4048. राम निहोर राय :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत वित्त निगम द्वारा अनपारा ताप विद्युत परियोजना-क के लिए मंजूर धनराशि का उपयोग अधिकारियों ने अन्य कार्यों के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत वित्त निगम के साथ मिलकर मंजूर की गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी और मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं

4049. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री राम नारायण बैरवा :

श्री मृत्युन्जय नायक।

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्य-वार बड़ी और मध्यम दर्जे की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी;

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च करने की संभावना है;

(ग) क्या बोलांगीर की लोवर सुक्तेल सिंचाई परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु शामिल की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना से कुल कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा ?

जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) और (ख) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । तथापि, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में वृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो सातवीं योजना से आगे लायी गयी हैं तथा अभी क्रियान्वयाधीन है, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) उड़ीसा सरकार का आठवीं योजना में लोअर सुकटेल परियोजना, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(घ) यह परियोजना 34.05 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी ।

विवरण

परियोजना का नाम वृहद परयोजना	लागत (करोड़ रुपए)	चरम सिंचाई लाभ (हजार हेक्टेयर)
1	2	3
1. बिहार		
1. पश्चिम कोसी नहर	357	289
2. बागमती	315	102
3, सुवर्णरेखा (टी एस)	1126	209
4. उत्तरी कोयल जलाशय	475	131
5. दुर्गावती जलाशय	147	63
6. बारनेर जलाशय	102	22
7. कोनार व्यपवर्तन	225	63
8. तिलैया व्यपवर्तन	121	49
9. बाटेश्वस्थान पम्प चरण-I	137	25
बाण सागर (अ· दा.)	140	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
10. अजय बरीज सिकतिया	133	40
11. गेण्डक सोपान-II	204	70
12. कोसी पूर्वी नहर सोपान-II	52	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
13. मसान बांध	58	82

1	3	5
14. मोरंगा बांध	255	55
15. पुरासी बांध	145	24
2. उड़ीसा		
1. अपर इन्द्रावती	417	219
2. रेंगाली	1281	424
3. महानदी विरूपा बराज	126	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
4. अपर कोलाब	204	89
सुबर्नरेखा (टी एस.)	715	177
3. राजस्थान		
1. इन्दिरा गांधी नहर चरण-I	289	581
2. इन्दिरा गांधी नहर चरण-II	1615	810
3. जाखम	74	24
गुड़गांव नहर	31	28
4. माही बजाज सागर	383	129
5. चम्बल लिफ्ट	36	53
नर्मदा (सरदार सरोवर)	48	73
6. बिसालपुर	180	0
4. उत्तर प्रदेश		
1. गंडक नहर सोपान-I (टी. एस.)	140	308
2. शारदा सहायक	870	1582
3. टिहरी बांध	285	270
4. लाखवर व्यासी बांध	583	40
5 मध्य गंगा नहर चरण-I	357	178
6. सरजू नहर (लेफ्ट बैंक घाघरा)	1010	1404
7, नया ओखला बैरेज (एस)	63	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
8. पूर्वी गंगा नहर	224	105
9. भीमगोडा हैडवर्क्स का पुनर्निर्माण	34	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं

1	2	3
10. राजघाट (आइ. एस.)	218	109
11. जामखानी बांध	117	61
12. उर्मिला बांध (आइ. एस.)	23	61
13. नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	52	5
14. सोनम्पम्प नहर	57	73
15. कन्हर सिंचाई	150	43
— नया खजेवाला बैरेज (आइ.एस.)	25	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
16. बोबर फ्लेडर	30	10
17. मोहाबल-बांध	70	28
18. जामनिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	39	26
19. राय सिंह-नेजा बांध	38	18
—बाणसागर (आई. एस.)	296	129
20. किशो बांध (आइ. एस.)	396	211
21. ज्ञानपुर-पंप नहर	99	65
22. हिंडन-कुल्ली	22	9
23. चम्बल लिफ्ट	42	55
24. देवकाली पंप नहर	35	78
मध्य पंचियोजना		
1. बिहार		
1. ओरनी	32.74	9.60
2. बटेम्बर स्थान पंप चरण-II	24.23	6.05
3. बाटने	34.77	8.05
4. गुमानी बैरेज	58.00	16.20
5. डोरई	56·18	8.00
6. केंस	18.40	3.30

1	2	3
7. झाझरा	24.50	4.50
8. सकरी गली पंप	8·00	2.00
9. डाकरा नाला पंप सोपान-I	80.00	17.00
10. बिलासी	12.02	4.00
11. सिंघवरनी	22.00	9.00
12. सोहाना	37.46	5.34
13· लटबाट	41.98	10.00
14. सूक	14 66	3.97
15. डकरा नाला पंप सोपान-II	11.98	4.02
16. बैरवा	25.08	4.00
17. केसो	16.83	3.00
18. सलाईया	11.00	4.64
19. पंचखेरा	16.85	2.80
20. नकटी (सिंह घूम)	16.99	2.32
21. सुरंगी	17.55	2.14
22. सतपोरका	16.00	2.35
23. कंसजोर	25.75	7.04
24. रामरेखा	20.14	4.39
25. अपर संख	29.22	7.11
26. धनसिंद टोली	1८.10	2.95
27. बसुई	19.00	5.67
28. कन्नी	28.64	5.84
29. मलाई	6.33	7.74
2. उड़ीसा		
1. दादराघट्टी	10.00	6.32
2. हरिहरजोर	51.19	13.70

1	2	3
3. बघिना चरण-II	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4. हरमंगी	69.12	15.97
5. अपर जोंक	50.62	16.40
6. बदनाला	58 95	1 '.05
7. ककुरा	18.19	5.46
8. देव	52.23	15.63
9. बाघालती	21.15	3 68
10. सपुआवडजोर	17.45	4.75
3. राजस्थान		
1. हरिशचन्द्र नगर	21.97	17 98
2. भीमसागर	17.12	9.99
3. पंचना	26.45	9 98
4. सोमकमदार	21.53	4.95
5. साम-कमला-अम्बा	86.67	18.79
6. चापी	36.12	7.00
7. चिमास	12.00	3.37
8. सावन-भादों	15.45	3.20
9. परवान लिफ्ट	13.81	8.18
4. उत्तर प्रदेश		
1. केन नहर का पुनर्रूपेण	?.88	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
2. किशनपुर पप नहर	22.84	38.45
3. यमुना पंप नहर	16.09	37.16
4. खाना पंप नहर	17.04	10.60
5. टौस पंप नहर	17·51	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं
6. चित्तोड़गढ़ जलाशय	23.50	13.76
7. गुम्टे नाला बांध	16.05	3.88
8. पत्तारी बांध	8.07	2.11
9. लक्खी बांध	9.00	3.00
10. तिवारी बांध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11. रेसिन बांध	6.00	300

कोलार की सोना खानों में खनन संबंधी चारी समिति

4050. श्रीमती चन्द्र प्रभा असं :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार की सोना खानों को चालू रखने की संभावना का पता लगाने के लिए गठित चारी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के बेरोजगार होने की संभावना है ; और

(घ) क्या खानों को बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई उद्योग शुरू करने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के बारे में चारी समिति की सिफारिशें अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ग) कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित पुरानी खानों को बन्द करने के परिणामस्वरूप, लगभग 1800 व्यक्तियों के अधिशेष हो जाने की आशा है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के बारे में चारी समिति की मुख्य सिफारिशें

1. चूंकि कोलार गोल्ड फील्ड की सोने की खानों का कार्य अपने अन्तिम चरण में है, इसलिए उन्हें एक-एक करके बन्द करना समय की मांग है। लागत और कीमत के बीच अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहने दी गई तो भविष्य बदतर हो जाएगा।

2. सरकार कंपनी द्वारा उत्पादित सोने के लिए बाजार मूल्य पर आधारित प्रतिपूर्ति करती है, ताकि उसे वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में चलाया जा सके।

3. मानव शक्ति की भर्ती पर कड़ा नियंत्रण करना। मानव शक्ति को नई भर्तियों पर रोक होनी चाहिए।

4. स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति योजना लागू की जाए और मानव शक्ति को 1000 से कम करने के प्रयास किए जाएं

5. कोलार गोल्ड फील्ड के सोने के खनन कार्य में कमी कर संघटनात्मक ढांचे को समय-बद्ध तरीके से दोहरी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए और विविधीकरण का व्यापक विस्तार किया जाए तथा नई खानें आरम्भ की जाएं।

6. नन्दीदुग खान में उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि के लिए यंत्रीकरण योजना को लागू करना ।

7. चिगारगुंटा खान में जितना जल्दी संभव हो सके उत्पादन शुरू करना ।

8. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को खुले बाजार में बिक्री के लिए सोने के आयात को एजेंसी माना जाए ।

9. तीन दक्षिणी राज्यों में सोने के संपूर्ण खनन एक साथ मिलाना ।

एस. टी. डी. की सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंज

4051. श्री राजवीर सिंह :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गई ;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की जानी है तथा जनवरी, 1992 तक इनमें से कितने एक्सचेंजों को यह सुविधा प्रदान की गई ; और

(ग) शेष एक्सचेंजों को कब तक एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की जायेगी तथा इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 1990-91 और 1991-92 (1-4-91 से 17-3-92 तक) के दौरान कुल क्रमश: 134 और 2 8 टेलीफोन एक्सचेंजों को एस. टी. डी. सुविधा के साथ जोड़ा जा चुका है ।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पत्र वापसी कार्यालय

4052. श्री बिरधारी लाल भार्गव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में पत्र वापसी कार्यालय को बन्द कर दिया गया है और उसका कार्य विभिन्न डाकघरों को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग में क्या परिणाम निकले ; और

(ग) पत्र वापसी कार्यालयों के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। कुछ काम का विकेन्द्रीकरण करके प्रायोगिक तौर पर वह काम 14-5-1990 से प्रधान डाकघरों को सौंपा गया था। यह प्रयोग 1 8-1990 से बन्द कर दिया गया।

(ख) इस प्रयोग के परिणाम का मूल्यांकन नहीं हो सका, क्योंकि काम का विकेन्द्रीकरण थोड़े समय के पश्चात् ही बन्द कर दिया गया था।

(ग) इस समय जो नीति है, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

4053. श्री शिवचरण माथुर :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस नहर से थार मरुस्थल की कितनी भूमि की सिंचाई इस समय हो सकती है ;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है,

(घ) इस परियोजना को पूरा करने में इसके मूल निर्धारित लक्ष्य तिथि की अपेक्षा कितनी देरी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं और विलम्ब होने के कारण इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार योजनागत व्यय की जांच हेतु एक मुश्त धनराशि प्रदान करने का है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में 13.88 लाख हेक्टेयर को अंतत: लाभ पहुँचाने वाली इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का चरण I पूरा हो गया है और चरण II की मुख्य नहर पूरी हो गई है जबकि चरण II में वितरण प्रणाली का कार्य चल रहा है। अब तक हुई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

चरण	अभिकल्प क्षमता	सृजित क्षमता	उपयोग में लाई गई क्षमता
	(लाख हेक्टेयर)		
I	5·78	5.78	5.78
II	8.10	1.86	0·40
		(मार्च, 91 तक)	

(ग) और (घ) इस परियोजना को पहले (1984 में) वर्ष 1994-95 तक पूरे किए जाने की परिकल्पना थी। तथापि, लागत के बढ़ जाने, जल मार्गों को पक्का करने के निर्णय से परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन होने, पर्वसंरचनात्मक कार्यों की कमी के कारण उपनिवेश की धीमी गति जिससे सड़कों, बाजारों, पेय जल आपूर्ति तथा वनरोपण को भी परियोजना कार्य के रूप में शामिल करना पड़ा, जैसे विभिन्न कारणों की वजह से अब राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि धन के उपलब्ध होने पर इस परियोजना को दसवीं योजना तक पूरा किया जायेगा। राज्य सरकार ने शेष नहर कार्यों को अद्यतन लागत और पक्के जल मार्गों की लागत से चरण II के संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देना है।

(ङ) यह परियोजना राज्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए ब्लाक ऋण और अनुदान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तथापि, नहर और सीमा क्षेत्र विकास कार्यों के लिए समय-समय पर उदार केन्द्रीय सहायता दी गई है जो निम्न प्रकार है :—

	7वीं योजना तक	1990-91	1991-92
		(करोड़ रुपए में)	
1. कमान क्षेत्र विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत जल मार्गों को पक्का करना	45.60	19.99	9.64 (2/92 तक)
2. नहर कार्यों के लिए			
(क) अग्रिम योजना सहायता	45.00	—	—
(ख) सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	60.70	28.60	27.80
(ग) सूखा राहत	20.00	—	—
कुल नहर कार्यों के लिए	125.70	28.60	27.80

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए आन्ध्र प्रदेश को मंजूर की गई धनराशि

4054. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी राशि आबंटित की है ;

(ख) इसमें आन्ध्र प्रदेश का कितना हिस्सा है ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने पम्प सैटों को विद्युत प्रदान की गई ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) यद्यपि योजना आयोग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1991-92 के लिए मूल रूप से 770 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था परन्तु संसाधनों सम्बन्धी कमी को ध्यान में रखते हुए परिव्यय को कम करके 510 करोड़ रुपए कर दिया गया था ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य हेतु वर्ष 1991-92 के लिए संशोधित आबंटन 25.96 करोड़ रु. है ।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 37,700 पम्पसैटों का ऊर्जन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली शुल्क में वृद्धि

4055. श्री बीरेन्द्र सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का बिजली की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से घरेलू उपभोक्ताओं की शुल्क दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विद्युत उत्पादन, बाहरी एजेंसियों से बिजली खरीदने से सम्बन्धित विभिन्न निवेशों तथा अन्य खर्चों की लागतों में वृद्धि होने के कारण बिजली के टैरिफ में संशोधन किया जाना आवश्यक हो जाता है। डेसू द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय सामति, दिल्ली नगर निगम के अनुमोदन से दिल्ली में विद्युत टैरफ का निर्धारण करने के लिए सक्षम है।

विद्युत उपकरणों का क्रयादेश

4056. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद की तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के अन्तर्गत उत्तरी मद्रास विद्युत परियोजना तथा कर्नाटक विद्युत निगम के अन्तर्गत रायचूर स्थित ताप विद्युत परियोजना एकक-4 के लिए विद्युत उपकरणों की सप्लाई करने हेतु एम.ए.एस. लिमिटेड को ठेके निष्पादन का, क्रयादेश किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनी को दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेपाल में प्रमुख विद्युत संयंत्रों की स्थापना में भारत की भागीदारी

4057. श्री गंगाधर सोनोपल्ली :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की भागीदारी से नेपाल में बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं करनाली परियोजना तथा सारदा नदी परियोजना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उसमें भारत का कितना हिस्सा रखने का विचार किया गया है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) नेपाल में महाकाली नदी पर 10,800 मे.वा. की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता वाली करनाली (चिसापानी) बांध परियोजना तथा सारदा नदी पर 3,000 मे. वा. की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता वाली पंचेश्वर परियोजना के बारे में दोनों देशों के आपसी हितों के लिए नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। करनाली परियोजना के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल की महामहिम सरकार ने एक इन्टरनेशनल कनसोर्टिया आफ फर्मस का काम सौंपा था। भारतीय इन्जीनियरों के परामर्श से नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा अब व्यवहार्यता रिपोर्ट का निधारण किया जा रहा है। सारदा नदी पर पंचेश्वर परियोजना के बारे में व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं।

भारत, नेपाल की करनाली परियोजना से अधिशेष बिजली को खरीदेगा, बशर्ते यह, मितव्ययी दर पर उपलब्ध हो। पंचेश्वर परियोजना के बारे में नदी के दोनों ओर समान क्षमता वाले दो विद्युत घर स्थापित किए जाने के लिए भारत और नेपाल सहमत हो गए हैं ताकि इस परियोजना से दोनों को समान रूप से विद्युत प्रदान की जा सके।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लम्बित पड़े आवेदन पत्र

4058. श्री विलासराव नागनाथराव गुडेवार :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में परभनी और नान्देड़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं ;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन जिलों में वर्ष से पहले जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए अस्थाई टेलीफोन कनेक्शनों का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) निम्नलिखित दो जिलों में 29.2.92 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

नान्देड़ जिला	3395
परभनी जिला	1205

(ख) योजना प्रस्तावों में, मार्च, 1994 तक पर्याप्त क्षमता के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करके मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचालित करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार जहां मांग पूरी नहीं की जा सकी है वहां नये कनेक्शन प्रदान करने का कार्य सुनिश्चित हो जाएगा। इन जिलों के अन्य स्थानों में, आठवीं योजना के अंत तक ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठवीं योजना के दूसरे उद्देश्य के अनुसरण में विस्तार के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। परभनी और नान्देड़ शहरों के लिए भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है।

(ग) विगत दो वर्षों अर्थात् 1990-91 और 1991-92 में जारी किए गए बिनाबारी (आउट आफ टर्न) के टेलीफोनों का ब्योरा इस प्रकार है :—

	संस्वीकृत	प्रदान किए गए
नान्देड़ जिला	45	40
परभनी जिला	43	43

(घ) विगत दो वर्षों अर्थात 1990-91 और 1991-92 के दौरान इन जिलों में मंजूर किए गए अस्थायी टेलीफोनों की संख्या नीचे दी गई है :—

नान्देड़ जिला	—	33
पड्डुचेरी जिला	—	16

विशाखापत्तनम् से दिल्ली के लिए विमान सेवा

4059. डा. विश्वनाथन केनिथी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवा से विशाखापत्तनम् को दिल्ली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान यातायात स्थिति विशेषतया सीटों के भरे जाने की प्रतिशतता को साप्ताहिक स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश में डाकघर बन्द करना

4060. श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान ई.डी. शाखा डाकघरों, शाखा डाकघरों, ई.डी. उप-डाकघरों, उप-डाकघरों को जारी करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुछ डाकघरों को बन्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में किसी डाकघर को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जब भी मानदंडों के अनुसार कुछ डाकघर आगे बने रहने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं रहते, तो मौजूदा आदेशों के अनुसार उनका स्थान बदलने पर विचार किया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों और उप-डाकघरों को बनाए रखने के लिए मानदण्ड :

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर :

सामान्य क्षेत्रों में, डाकघरों से आय लागत का न्यूनतम 33 1/3 प्रतिशत होनी चाहिए और पहाड़ी जनजातीय/रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में न्यूनतम आय लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिए ।

अतिरिक्त विभागीत उप-डाकघर :

डाकघर का न्यूनतम कार्यभार 4 घंटे होना चाहिए ।

विभागीय उप डाकघर :

डाकघर का न्यूनतम कार्यभार 5 घंटे होना चाहिए । घाटा प्रतिवर्ष 2400 रु. की सीमा के भीतर होना चाहिए (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 4800 रुपये) ।

सभी अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की तीन वर्षीय आधार पर यह देखने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि क्या न्यूनतम राजस्व प्राप्त हो रहा है और कि क्या घाटा अनुमेय सीमा के भीतर ही है । घाटा प्रतिवर्ष 2400 रु. और पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के मामले में प्रतिवर्ष 4800 रु. की सीमा के भीतर ही होना चाहिए । त्रैवार्षिक पुनरीक्षा के परिणाम के अध्यधीन ही डाकघर बना रह सकता है ।

तीर्थ स्थलों में हवाई अड्डे की सुविधा

4061. श्री पी एम सईद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने धार्मिक शहरों में तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) हवाई अड्डा सुविधाओं की व्यवस्था केवल तीर्थ यात्रियों के लिए ही नहीं की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) इस समय संसाधनों की कठिनाई, विमान बेड़ा उपलब्धता और अनुसूचित एयरलाइनों के परिचालन की योजना, परिचालनों की वाणिज्यिक साध्यता आदि अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समिति

4062. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है; और

(ख) इन जिलों में इस समिति का गठन कब तक किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी वी. रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर प्रदेश में सभी ग्राह्य दूरसंचार जिलों तथा दूरसंचार सर्किलों के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन मार्च, 1991 में किया गया था और ये समितियां अब काम कर रही हैं।

(ख) दूरसंचार सलाहकार समितियों की पुनरीक्षा की जा रही है और उनका शीघ्र गठन किए जाने की उम्मीद है। तीन दूरसंचार सलाहकार समितियों अर्थात् इलाहाबाद, मेरठ और उत्तर प्रदेश का गठन किया जा चुका है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी के फालतू जल को अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ना

4063. श्री जे. चोक्का राव :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री नीतीश कुमार :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री गुरुदास कामत :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी के फालतू जल को देश के अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इस जल को किन राज्यों की तरफ मोड़ा जाएगा;

(ग) उक्त नदी से प्राप्त जल कितने प्रतिशत जल का इस समय उपयोग किया जा रहा है तथा कितने प्रतिशत जल व्यर्थ ही समुद्र में बह जाता है;

(घ) क्या सरकार ने नदी के फालतू जल का भरपूर उपयोग करने हेतु अभी तक कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (च) सरकार द्वारा तैयार किये गए जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अन्य सम्पर्कों के साथ-साथ अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरित करने के प्रयोजन से ब्रह्मपुत्र गंगा महानदी के बीच अन्त: संपर्क बनाने की परिकल्पना है। इस बात पर विचार करते हुए कि ब्रह्मपुत्र जल के बहुत थोड़े हिस्से (2% से कम) का उपयोग किया जाता है और शेष समुद्र में बह जाता है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अध्ययन सम्पर्कों और जलाशयों में जल अन्तरित करने और टोपोशीट की जांच करने के लिए अधिशेष उपलब्ध जल की मात्रा निर्धारित करने हेतु ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों मानस: मानस और संकोष में जल उपलब्धता का अनुमान लगाने तक ही सीमित हैं। इसके अलावा, इसने प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत महानदी-गोदावरी और कृष्णा से अन्त: सम्पर्क के लिए भी प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन किए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के न होने के कारण, विभिन्न क्षेत्रों को लाभ, अपेक्षित परिव्यय, पूरा करने की अनुसूची तथा उसमें लगी लागत जैसे पहलुओं का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन सम्भावना

4064. श्री लाईला उम्ब्रे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक पर्यटन संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां तो इसके संवर्धन के लिए किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को अनुमति प्रदान करने के लिए किसी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) किसी विशिष्ट राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार विशिष्ट स्कीमों के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रचार एवं वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) विदेशियों को विदेशी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश 963 और विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अधीन विशेष अनुमति लिए बिना पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इस प्रतिबन्ध की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपयुक्त ढील दी जाती है।

तमिलनाडु में डाक सुविधाएं

4065. श्री पी. जी. नारायणन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31- दिसम्बर, 1991 को तमिलनाडु में कितने गांवों में डाक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं;

(ख) कितने गांवों में डाक सुविधाएं देने के प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ग) इसमें देरी के क्या कारण हैं और शेष गांवों में ये सुविधाएं कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. जी. रंगय्या नायडु) : (क) कोई नहीं। हालांकि, तमिलनाडु के 6206 ग्रामों में डाकघर नहीं है, लेकिन राज्य के मौजूदा डाक नेटवर्क से इन गांवों की डाक सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति की जाती है।

(ख) ग्रामीण इलाकों में नये डाकघर खोलना वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत चलने वाली एक निरन्तर प्रक्रिया है। चालू वर्ष के दौरान, अब तक 33 डाकघर मंजूर किये जा चुके हैं तथा 4 और डाकघर मंजूर किये जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

4066. श्री राम नाईक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पास कुल कितना भू-क्षेत्र है;

(ख) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर गन्दी बस्ती क्षेत्र के निवासियों ने अवैध कब्जा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1875 एकड़ ।

(ख) जी, हां । इस समय बम्बई में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 200 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है ।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से गन्दी बस्ती को हटाने के लिए योजना तैयार करने हेतु भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों, नागर विमानन मंत्रालय और राज्य प्राधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं । अवैध कब्जाधारियों को पुन: बसाने के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 200 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किया है । भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1987 में इस कार्य के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को पहले ही अग्रिम के रूप में एक करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है । मुकदमेबाजी के कारण भूमि की अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही रुकी हुई है ।

[हिन्दी]

बिहार में डाल्टेनगंज दूरदर्शन केन्द्र

4067. **श्री रामदेव राम :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार पलामू जिले की कुल 2[illegible] लाख आबादी में से लगभग 5 लाख लोग डाल्टेनगंज दूरदर्शन केन्द्र से लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) क्या गढ़वा नगर, भावनाथपुर, लतेहर, चन्द्रा, बालूमठ, जपला और हुसैनाबाद के लोग इस केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र की प्रसारण क्षमता को कब तक बढ़ाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) डाल्टनगंज के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को प्रारम्भ में मार्च, 1991 में अन्तरिम सेट-अप के तौर पर । कि. वा. कम शक्ति पर चालू किया गया था । अगस्त, 1991 से अब यह ट्रांसमीटर 10 कि. वा. की अपनी पूर्ण विकीरण शक्ति पर चालू है और गढ़वा नगर, भावनाथपुर, लतेहर, चन्द्रा, बालूमठ, जपला और हुसैनाबाद सहित पलामू के सम्पूर्ण जिले को संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है ।

मध्य प्रदेश में डाकघर

4068. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की वर्तमान संख्या पृथक्-पृथक् कितनी है;

(ख) क्या राज्य में विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान कुल कितने डाकघर, उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) मध्य प्रदेश में 31-12-91 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की कुल संख्या 10968 है। इनका श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

प्रधान डाकघर	—	52
विभागीय उप डाकघर	—	1335
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	—	98
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	—	9483

(ख) और (ग) जी हां, वर्ष 1991-92 के दौरान, मध्यप्रदेश में खोले जाने के लिए अब तक 94 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर स्वीकृत किये गए है। वर्ष 19992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में हालांकि डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, लेकिन इस वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में इस वर्ष के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान में पंचायतों को डाक तथा टेलीफोन सुविधाएं

4069. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राजस्थान में जिलावार कितने पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन तथा डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन तथा डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किए हैं कि पंचायतों को दिये गए टेलीफोन की समुचित देखभाल की जाए और वे ठीक ढंग से काम करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान में 1-9-1991 से 29-2-92 की अवधि के दौरान क्रमशः 1094 और 112 पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन प्रदान किये जा चुके हैं। डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। टेलीफोन सुविधायुक्त पंचायत मुख्यालयों के जिलेवार ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) पंचायत गांवों में प्रदान किये गए टेलीफोनों की सेवा के निष्पादन की, सम्बन्धित मेंटेनेन्स स्टाफ द्वारा जांच करने और उन पर नजर रखने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश और अनुदेश जारी किये गए हैं।

विवरण

1-9-91 और 29-2-1992 के बीच राजस्थान के पंचायत मुख्यालयों का ब्यौरा जहां डाकघर उपलब्ध कराये गए।

क्र.सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	अलवर	11
2.	भरतपुर	1
3.	दौसा	8
4.	जयपुर	8
5.	अजमेर	2
6.	बांसवाड़ा	1
7.	बूंदी	1
8.	चित्तौड़गढ़	1
9.	टोंक	1
10.	उदयपुर	5
11.	बारां	2
12.	नागौर	0
13.	जोधपुर	9
14.	बाड़मेर	9
15.	बीकानेर	7
16.	झुंझुंनु	5
17.	पाली	11
18.	सीकर	1
19.	श्रीगंगानगर	23
		112

आदिवासी बहुल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन

4070. श्री साईमन मरान्डी :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार के आदिवासी बहुल एवं पर्वतीय क्षेत्रों (झारखंड क्षेत्र) में बिजली के उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो ताप बिजली घरों के विकास तथा अन्य गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के संबंध में 1989 से अब तक की गई कार्यवाही का, वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई राज्य की वितरण प्रणाली के अधीन की जाती है तथा यह कार्य राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। पूर्वी क्षेत्र से राज्य को इसके देय हिस्से की विद्युत उपलब्ध कराई जाती है तथा विशेष मामले के रूप में उत्तरी क्षेत्र से भी सहायता प्रदान की जाती है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए किये जा रहे विभिन्न अन्य उपायों में ये शामिल हैं :—विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभारी लोड-प्रबन्ध की व्यवस्था करना तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उदाय करना।

(ख) 1989 से दामोदर घाटी निगम द्वारा बिहार में दो ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 90 मेगावाट क्षमता के डी. वी. सी. मैथान गैस टर्बाइन को मार्च, 89 में चालू किया गया था तथा 210 मे. वा. के बोकारो "ख" के दूसरे यूनिट को नवम्बर, 90 में चालू किया गया था।

[अनुवाद]

ब्रिटेन द्वारा द्वितीय रिहन्द विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने से इन्कार करना

4071. श्री मोहनसिंह :

श्री कीकान्त जेना :

श्री राजविलास पाहवान :

श्री पुरुषोत्तम कामत :

श्री नीतिश कुमार :

श्री पीयुष तीरकी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय रिहन्द विद्युत परियोजना

ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता देने से इन्कार करने के कारण खतरे में पड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रिहन्द-2 विद्युत परियोजना का वित्तपोषण किए जाने के बारे में अभी तक यू. के. की सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव से इनकार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अहमदनगर में एक तरफा एस. टी. डी. सुविधा

4072. श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री शंकरराव दे. काले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के विभिन्न स्थानों पर केवल एक तरफा एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पूरी एस. टी. डी. सेवा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। अहमदनगर जिले के विभिन्न स्थानों पर दोतरफा और एकतरफा एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है। ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी 6 स्थानों पर जहां अभी एकतरफा एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है (कृपया अनुबंध देखें), इन सभी स्थानों पर 1992-93 के दौरान दोतरफा एस. टी. डी. प्रदान कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नेवासा, शिरडी और श्रीगोंडा में वर्ष 1992-93 के दौरान एस. टी. डी. सेवाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

इन स्थानों के नाम जहां दोतरफा एस. टी. डी. सेवा उपलब्ध है :

1. अहमदनगर तथा अहमदनगर एम. आई. डी. सी.
2. प्रवारनगर
3. श्री रामपुर

4. कोपरगांव

5. राहोरी

6. संगमनेर

उन स्थानों के नाम जहां एकतरफा एस. टी. डी. सेवा उपलब्ध है।

1. वेलापुर टाउन

2. हसनपुर

3. हिंगनगांव

4. वामबोरी

5. तकलीमान

6. मीरजगांव

[अनुवाद]

दिल्ली टेलीफोन द्वारा प्रयोक्ता शुल्क

4073. डा आर बल्लू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन का प्रयोक्ता शुल्क नारवे, ब्रिटेन, अमरीका, मलेशिया, थाइलैंड और चीन के शुल्क से बहुत अधिक है।

(ख) उक्त देशों के प्रयोक्ता शुल्क पृथक-पृथक क्या है;

(ग) क्या सरकार अमरीका और अन्य देशों की भांति दूरभाष प्रणाली का निजीकरण करने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री पीवी रंगय्या नायडु) : (क) नारवे, ब्रिटेन, अमेरिका की तुलना में दिल्ली टेलीफोन द्वारा लिया जाने वाला प्रभार अधिक नहीं है। मलेशिया, थाइलैंड और चीन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) नारवे, ब्रिटेन और अमेरिका का तुलनात्मक वार्षिक किराया उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार हैं :—

नारवे :

(जनवरी, 1990 को) 3684.24 रु. — कोई नि.शुल्क काल नहीं।

ब्रिटेन : (सितम्बर 1990 को)

आवास : 3538.12 रु. ... कोई नि.शुल्क काल नहीं।

व्यापार : 5732.83 रु. ..... —वही—

अमेरिका : (जनवरी, 1988)
4500.60 रु ... .. कोई नि:शुल्क काल नहीं।

दिल्ली : (अद्यतन)
1980.00 रु. नि:शुल्क काल 900
150 काल प्रति त्रिमासिक बिलिंग अवधि की दर से।

(ग) जी नहीं।

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाएं

4074. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाएं देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चुने गए स्थानों का ब्योरा क्या है और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1992-93 के ब्यौरों का आकलन किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में माइक्रोवेव प्रणाली

4075. श्री चन्दूभाई देसाईभुख :

क्या संचारमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में उदयपुर, बांसवारा और डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में संचार प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रोवेव प्रणाली आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर कट पर 60 चैनल यू. एच. एफ. प्रणालियों तथा जयपुर-अजमेर-

उदयपुर-अहमदाबाद-रूट पर आप्टिकल फाइबर प्रणालियों के शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप संचार प्रणाली में पहले ही सुधार हुआ है। डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम के बीच 1995-96 के दौरान डिजिटल 6 जी. एच. जेड. माइक्रोवेव स्कीम शुरू किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, उदयपुर-नाथद्वारा-कांकरोली-अमेत-देवधर-भीम-ब्यावर रूट पर 34 एम बी/एस आप्टिकल फाइबर प्रणाली का भी प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) माउन्ट आबू रोड के बीच 1992-93 में 120 चैनल डिजिटल यू. एच. एफ. प्रणाली चालू करने की योजना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

4076. श्री डी. पंडियन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए ज्वारीय तरंगों का उपयोग करने की किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ज्वारीय ऊर्जा के समुपयोजन द्वारा मितव्ययी रूप से विद्युत उत्पादन किये जाने के लिए अब तक जिस शक्यता का पता लगाया गया है यह शक्यता केवल पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी और कम्बे की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर सुन्दरबन में गंगा के डेल्टा में ही उपलब्ध हो सकती है। ज्वारीय विद्युत उत्पादन की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के लिए विस्तृत अन्वेषण एवं अध्ययन कार्य अभी तक केवल कच्छ की खाड़ी में ही किए गए हैं।

केरल में उप डाक-घरों का दर्जा बढ़ाना

4077. श्री रमेशचेन्निथला :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सांसदों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किया जाना

4078. श्री छोटूभाई गामीत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 30 अप्रैल, 1991 तक तत्कालीन केन्द्रीय संचार मंत्रियों द्वारा दिल्ली में इस समय के सांसदों की सिफारिशों पर स्वीकृत किये गये टेलीफोन कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कनेक्शन अभी लगाने बाकी हैं; और

(ग) इन टेलीफोन कनेक्शनों को लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में डाक और तार घर

4079. श्री छेदी पासवान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान बिहार में डाक और तारघर खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए यदि कुछ धनराशि आवंटित की गई हो, तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) :

डाकघर

(क) और (ख) बिहार में कलैंडर वर्ष 1992 के दौरान अतिरिक्त विभागीय डाक डाकघर खोलने के लिए अब तक 71 मंजूरी जारी हो चुकी हैं । वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार में और अधिक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि देश में डाकघर खोलने के लिए 1992-93 के वार्षिक लक्ष्य का अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान देश में डाक नेटवर्क के विस्तार के शीर्ष के अन्तर्गत 2 करोड़ रु की राशि आवंटित की गई है ।

तारघर

(क) और (ख) जी हां। बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान स्वतंत्र रूप से 5 (पांच) तारघर और 30 (तीस) संयुक्त डाक-तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र रूप से तारघर कांड, कोकन, चतरा, गढ़वा और गुमला में खोले जाने का प्रस्ताव है। संयुक्त डाक तार घर खोलने के लिए स्थानों का निर्धारण सामान्यतया मांग और व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। ऐसे कार्य के लिए राशि का आवंटन एकमुश्त आधार पर किया जाता है।

हवाई अड्डे पर चोरी

4080. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई जहाजों में जमा किए गए सामानों के चोरी जाने के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सुलझाए गए चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है, सुलझाने के लिए कितने लोगों ने निवेदन किया है, कितने लोगों को सुलझाया गया है और कुल मूल्य का कितना सुलझाया गया है;

(ग) इन चोरियों के कारण क्या हैं और ऐसी चोरियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान पर्यटन उपलब्धियां

4081. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन वर्ष 1991 की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ख) यात्रा पर आए पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन वर्ष की मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं-मुख्य विदेशी बाजारों में भारत को पर्यटक गन्तव्य-स्थल के रूप में जागरूकता पैदा करना, विशेष घटनाओं सहित 46 मेलों और उत्सवों का तथा प्रचार और विपणन के माध्यम से 18 व्यापार परिषदों का संवर्धन करना।

(ख) वर्ष 1991 के दौरान 16,77,461 पर्यटकों ने भारत की यात्रा की। वर्ष 1991 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि 2,918 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

दिल्ली में बाली कूरियर सेवा

4082 श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बाली सन्देशवाहक (कूरियर) सेवा चलाने वाले गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राजधानी में ऐसी गतिविधियों में सरसरी तौर पर एक पोस्टमैन और एक प्राइवेट कुरियर फर्म के दो कर्मचारियों के शामिल होने की बात सरकार के ध्यान आई है। पुलिस ने इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

(ग) से (ङ) कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लि. में दैनिक दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना

4083. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगर टेलीफोन निगम लि., दैनिक दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए कदम उठा रही है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्होंने 240 दिन की अवधि की निरंतर सेवा पूरी कर ली है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां .

(ङ) जिन अस्थाई मजदूरों ने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन सभी को नियमित करने के लिए दूरसंचार विभाग के दिनांक 3.1.1991 के पत्र सं. 260-27/91- एसटीएन द्वारा कार्रवाई पहले से ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(च) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ऐसे मजदूरों की संख्या बम्बई में 2340 और नई दिल्ली में 5870 है।

असम में सिंचाई और भू-कटाव सम्बन्धी परियोजनाएं

4084. श्री उदय बर्मन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से सिंचाई परियोजना और नदियों से होने वाले भू-कटाव से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है,

(ग) शेष प्रस्तावो को स्वीकृति प्रदान न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) शेष प्रस्तावों का कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सरकार से 2 वृहत और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और पुन:स्तरण (रिटायरिंग) सहित 24 कटाव-रोधी स्कीमों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किए गए थे।

(ख) कुल 66 करोड़ रुपए की पुन:स्तरण (रिटायरिंग) सहित 12 कटाव-रोधी परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) एक कटाव-रोधी स्कीम की जांच पूरी नहीं की गई है किन्तु शेष सभी परियोजनाएं केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रेक्षणों के आधार पर उनमें संशोधन करने हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

(घ) प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किये जाने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी शीघ्रता से केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना करती है।

[हिन्दी]

मिल्क पाउडर बनाने के लिए लाइसेंस

4085. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार ने मिल्क पाउडर बनाने के कितने लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) क्या दिल्ली में दूध की कमी को देखते हुए इन लाइसेंसों की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1991 के प्रेस नोट संख्या 9 के अनुसार दुग्ध आहार सहित दुग्ध पाउडर तैयार करने के लिये औद्योगिक उपक्रम द्वारा औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 195। के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है बशर्ते कुछ स्थान सम्बन्धी पैरामीटरों की आवश्यकताएं वह पूरी करता हो। लेकिन लाइसेंस मुक्त करने से पहले दुग्ध आहार तैयार करने के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 87 यूनिटों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे जिनमें से अधिकतर यूनिट दुग्ध पाउडर तैयार करते हैं। दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेरी और अन्य एजेन्सियां का तरल दूध की आपूर्ति उचित रूप से पर्याप्त है।

गन्धार गैस बिजली परियोजना

4086. श्री हरिन पाठक :

श्रीमती दर्शना एच. ढोंढिया :

श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि गन्धार गैस आधारित बिजली परियोजना की क्षमता का उपयोग बेस लोड के लिए नहीं बल्कि पीक लोड प्रचालनों के लिए किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) सरकार इस परियोजना को बेस लोड पावर स्टेशन के रूप में कब तक मंजूरी दे देगी ?

विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा गांधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना (655 मेगावाट) को राज्य क्षेत्र में स्थापित करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भार के आधार तथा 5 3.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अक्तूबर, में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसके लिए 2.25 एमसीएमडी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। पहले की गई बचत-बद्धता के परिदृश्य में विद्युत उत्पादन के लिए गान्धार गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस की मात्रा लगभग 3 एमसीएमडी है। गुजरात सरकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने जनवरी,92 में यह निर्णय लिया है कि उपलब्ध गैस का उपयोग दो विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए किया जाए जिसमें से एक परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप

विद्युत निगम द्वारा तथा दूसरी परियोजना राज्य क्षेत्र में गुजरात प्राधिकारियों द्वारा अधिष्ठापित की जाए और प्रत्येक विद्युत केन्द्र के द्वारा 1.5 एमसीएमडी गैस का समुपयोजन किया जाए 1.5 एमसीएमडी गैस लिकेज से ये केन्द्र भिन्न-भिन्न भार के आधार पर अपना कार्यनिष्पादन करने में सक्षम होंगे। गांधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (सीसीजीटी) परियोजना जिसे राज्य क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है, का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकर द्वारा पुन: मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है ताकि 1.5 एमसीएमडी गैस लिकेज के सम्बन्ध में इसको भिन्न-भिन्न भार आधार प्रचालित किया जा सके तथा लागत अनुमानों को यथार्थता प्रदान किए जाने की दृष्टि से इन्हें अद्यतन किया जा सके। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा गुजरात सरकार दोनों को यह सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करें। गुजरात की राज्य क्षेत्र परियोजना पर स्वीकृति हेतु तभी विचार किया जा सकेगा जबकि उसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपरोक्तानुसार स्वीकृति मिल जाती है।

सरकार द्वारा जनवरी, 92 में यह भी निर्णय लिया गया है कि गान्धार गैस क्षेत्र से अतिरिक्त गैस की मात्रा, यदि उपलब्ध होती है, को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम व गुजरात सरकार को गान्धार स्थित विद्युत परियोजनाओं को आवंटित किया जाना चाहिये, ताकि इन्हें 2.25 एमसीएमडी गैस उपलब्ध कराई जा सके जिससे कि इसका आधारभूत केन्द्रों के रूप में प्रचालन किया जा सके।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास करने के लिए लक्षद्वीप के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों को पट्टे पर देना

4087. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री अवध कुमार पटेल :

श्री पी. एम. सईद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन का विकास करने के लिये लक्षद्वीप के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों को प्राइवेट पार्टियों को पट्टे पर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाये जाने का विचार है और यदि इस के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गयी हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या कितनी होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दो द्वीपों यथा विकारा और चेरियम को जो क्रमश: लगभग 41.8 हेक्टेयर तथा 45.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हैं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी पैकेज के आधार पर पर्यटन विहार-स्थलों के विकास के लिए दीर्घावधि पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावों पर विचार, पूंजीनिवेश नीति, पर्यावरणीय विनियमों और देश में पर्यटन आधारिक-संरचना और सुविधाओं के विकास की आवश्यकता से सम्बद्ध अन्य कारणों

को ध्यान में रखकर किया जाएगा । नए द्वीपों की सैरगाहों के विकास से भारतीय पर्यटन उत्पाद में विविधता और समृद्धता आएगी और देश में पर्यटक यातायात में वृद्धि होगी ।

[हिन्दी]

गुजरात और हरियाणा में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

4088. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री अवतारसिंह भडाना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और हरियाणा में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं ;

(ख) इनमें से कितने फरीदाबाद (हरियाणा) और राजकोट (गुजरात) में पृथक-पृथक कितने एक्सचेंज कार्यरत है ; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त जिलों में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी वी रंगय्या नायडू) : (क) 31.1.92 को गुजरात और हरियाणा में कार्य कर रहे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

गुजरात : 218

हरियाणा : 238

(ख) 31.1.92 को फरीदाबाद (हरियाणा) राजकोट (गुजरात) में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

फरीदाबाद : (हरियाणा) = 10

राजकोट : (गुजरात) = 8

(ग) 1992-93 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (नए) की संख्या इस प्रकार है बशर्ते कि योजना की मंजूरी मिल जाए और मांग हो :—

फरीदाबाद जिला - 4

राजकोट जिला—8

ब्यौरे संलग्न विवरण एक में दिए गए हैं ।

विवरण

फरीदाबाद और राजकोट जिलों में 1992-93 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की अन्तिम सूची ।

(क) फरीदाबाद जिला।

1. डीघाट
2. औरंगाबाद
3. बासना
4. मझावली

(ख) राजकोट जिला :

1. बीरनगर
2. खिरसारा
3. खमाला
4. मादली
5. स्वाज
6. खारैना
7. केराली
8. खखरीची

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4089. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री लाल बहादुर रावत :

डा. रमेश चंद तोमर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए और कहां-कहां पर लगाये गए हैं ;

(ख) सरकार वर्ष 1992 के दौरान राज्य में कितने स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाना चाहती है, और

(ग) आंवला एवं बरेली में कब तक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू)। (क) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान 39 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए स्थानों के ब्यौरे अनुबन्ध एक में दिए गए हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान 40 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए मांग हो और उपस्कर समय पर उपलब्ध हो सकें।

(ग) आंवला में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का कार्य अन्तिम चरण में है और इसके 31 मार्च, 92 तक चालू होने की उम्मीद है। बरेली में 31 मार्च, 94 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू होने की उम्मीद है।

विवरण

अनुबन्ध एक

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	फैजाबाद-II	फिरोजाबाद
2.	मथुरा तेल शोधक	मथुरा
3.	बेगराजपुर	मुजफ्फरनगर
4.	झाँसी-II	झांसी
5.	फिरोजाबाद-II	फिरोजाबाद
6.	फर्रुखाबाद-II	फर्रुखाबाद
7.	भागौली	झांसी
8.	झूंसी	इलाहाबाद
9.	रावली	गाजियाबाद
10.	बख्सी का तालाब	लखनऊ
11.	मुरैना	गाजियाबाद
12.	सेमरी	सुलतानपुर
13.	नवाबगंज	इलाहाबाद
14.	बाड़गढ़	बांदा
15.	सकौती	मेरठ
16.	उरवा	गोरखपुर
17.	तलहेरीबुजुर्ग	सहारनपुर
18.	फुहवार	सुलतानपुर
19.	लवाद	मेरठ
20.	कठिया	लखीमपुर

1	2	3
21.	छाता	मथुरा
22.	मोहनपुर	ऐटा
23.	जफरगंज	फरीदाबाद
24.	देवीगंज	बाराबंकी
25.	घाटा	फतहपुर
26.	मंझनपुर	आजमगढ़
27.	यमुना बजार	मिर्जापुर
28.	सैदूकला	जौनपुर
29.	उमराहा	वाराणसी
30.	नूरपुर	गाजियाबाद
31.	मदरक	अलीगढ़
32.	बुधांसी	अलीगढ़
33.	संभल	बरेली
34.	लाडपुर	अलीगढ़
35.	रुनकता	आगरा
36.	जानपुर	वाराणसी
37.	जनसा	वाराणसी
38.	ट्रांसपोर्टनगर	लखनऊ
39.	बेनीबाग	वाराणसी

दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

4090. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दूरदर्शन के कार्यक्रम किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं;

(ख) प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र का वर्तमान प्रसारण क्षेत्र कितना है और सरकार इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) यह नए केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) इस समय, दूरदर्शन के नेटवर्क में विभिन्न शक्ति के 531 दूरदर्शन ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर (महानगर में द्वितीय चैनल सेवा के लिए 4 उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को छोड़कर) शामिल है। इनमें से 62 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर) 10 कि. वा./कि. वा.), 370 अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (यू.एच.एफ./वी.एच.एफ. बैंड पर प्रचालित) 76 अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) और 23 ट्रांसपोजर हैं। मौजूदा नेटवर्क देश के अनुमानित क्षेत्र को दूरदर्श सेवा प्रदान करता है। इन ट्रांसमीटरों/ट्रांसपोजरों का कवरेज रेंज विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन स्टूडियो और ट्रांसमीटर परियोजनाएं जो इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है और जिनका वर्ष 1992-93 के अन्त तक पूरा हो जाने की परिकल्पना है, का उल्लेख विवरण-II में किया गया है। दूरदर्शन के निम्नलिखित कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित प्रतिस्थापना कार्य पूरा कर लिया गया है और इन केन्द्रों को चलाने के लिए अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध होने के बाद इन्हें सेवा के लिये चालू कर दिया जायेगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	का.नि.प्रो.के./का.नि.के./का.नि.सु.
1	2
असम	का.नि.के., सिल्चर
	का.नि.के., डिब्रूगढ़
	का.नि.पो.के., गुवाहाटी
बिहार	का.नि.सु., मुजफ्फरपुर
कर्नाटक	का.नि.सु., गुलबर्गा
मणिपुर	का.नि.के., इम्फाल
मेघालय	का.नि.के., शिलांग
	का.नि.के., तुरा
मध्य प्रदेश	का.नि.के., भोपाल
	का.नि.सु., रायपुर

1	2
नागालैण्ड	का.नि.के., कोहिमा
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	का.नि.सु., पांडिचेरी
त्रिपुरा	का.नि.के., अगरतला

संक्षेपक

का.नि. एवं पो.के. : कार्यक्रम निर्माण और पोषण केन्द्र

का.नि.के. : कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

का.नि.सु. : कार्यक्रम निर्माण सुविधा

विवरण-I

टी वी. ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर	अनुमानित कवरेज रेंज
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 10 कि.वा.	120 कि. मी.
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 1 कि.वा.	60 कि. मी.
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 100 वाट (अति उच्च आवृत्ति)	25 कि. मी.
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 100 वाट (अति उच्च आवृत्ति)	15 कि. मी.
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 2×10 वाट	8 कि. मी.
ट्रांसपोजर (2×10 वाट)	—

टिप्पणी

1. उल्लिखित सेवा रेंजों में किनारे के क्षेत्र शामिल हैं जहां संग्रहण प्राप्त करने के लिये ऊंचे एंटीना और बूस्टर अपेक्षित है।

2. ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में संग्रहण की उपलब्धता भूभागीय परिस्थितियों के अधीन है।

3. ट्रांसपोजर संबंधित मूल ट्रांसमीटर से आफ ऐयर प्राप्त कार्यक्रमों को रिले करता है और लक्ष्य छाया क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करता है।

संक्षेपक

उ.श.ट्रां. : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रां. : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रां. : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.उ.आ. : अति उच्च आवृत्ति

अ.उ.आ. : अल्ट्रा उच्च आवृत्ति

विवरण-II

1992-93 के अन्त तक अनंतिम तौर पर पूरी होने वाली दूरदर्शन परियोजनाएं

का.नि.सु. : कार्यक्रम निर्माण सुविधा

उ.श.ट्रां. : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रां. : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रां. : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना
1	2
असम	अ.श.ट्रां., बोगईगांव
	अ.श.ट्रां., गोलाघाट
	अ.श.ट्रां., उत्तर लखीमपुर
आंध्र प्रदेश	उ.श ट्रां., तिरुपति
	अ.श.ट्रां., भीमावरम
	अ.श.ट्रां., हिन्दुपुर
	अ.श.ट्रां., जगतियाल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	का.नि.सु., पोर्ट ब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश	स्टूडियो, ईटानगर
बिहार	का.नि.सु., डाल्टनगंज
	अ.श.ट्रां., औरंगाबाद
	अ.श.ट्रां., गोड्डा
	अ.श.ट्रां., हजारीबाग
	अ.श.ट्रां., लोहारदगा
गुजरात	अ.श.ट्रां, खम्भात
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रां., शिमला
जम्मू और कश्मीर	अ.अ.श.ट्रां., किश्तवाड़
	अ.अ.श ट्रां., सांकू
	अ.अ.श.ट्रां., द्रास

1	2
	अ.अ.श.ट्रां., तिमलोगम
	ट्रांसपोजर, नगरोटा
कर्नाटक	अ.श.ट्रां., धारवाड़
	अ.श ट्रां., गंगावती
	अ.श.ट्रां., मांड्या
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रां., जगदलपुर
	उ.श.ट्रां., जबलपुर (अन्तरिम व्यवस्था)
	अ.अ.श.ट्रां., कुकडेश्वर
मिजोरम	स्टूडियो, आईजोल
	उ.श.ट्रां., लुंगलई
महाराष्ट्र	अ.श.ट्रां., सिंगणवाट
	अ.श.ट्रां., खामगांव
नागालैण्ड	उ.श.ट्रां., मोकोकचुंग
उड़ीसा	स्टूडियो, भुवनेश्वर
	अ.श.ट्रां., पुरी
राजस्थान	उ.श.ट्रां., बूंदी
	अ.श.ट्रां., गंगापुर
	अ.श.ट्रां., श्रीडूंगरगढ़
	अ.श.ट्रां., सुजानगढ़
सिक्किम	उ.श.ट्रां., गंगटोक
तमिलनाडु	अ.श ट्रां., नागापत्तिनम
उत्तर प्रदेश	का.नि.सु., बरेली
	अ.श.ट्रां., बरेली
पश्चिम बंगाल	अ.श.ट्रां., झारग्राम
	ट्रांसपोजर, टाइगर हिल
	का.नि.सु., सिलीगुड़ी

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

4091. श्री पी. सी थामस :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविवार को क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित वर्तमान एक घंटे की अवधि को घटाकर आधा घटा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त केन्द्रों द्वारा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित एक घंटे की अवधि को इस वर्ष से समाप्त कर देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के पास मान्यता प्रदान करने के लिए अवलम्बित पड़े हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के रिकार्ड किए गए अंशों के प्रसारण से यह परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(छ) प्रसारण समय की तंगी, कार्यक्रम की अपेक्षाओं, साधनों की कमी एवं दर्शकों की रुचि के सम्दर्भ में दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय नेटवर्क पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

भूमि जल का उपयोग

4092. श्री बलराम पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

श्रीमती कुन्जेन्द्र कौर दीपा :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा. पी. बल्लभ पेद्दमान :

श्री विलासराव बाबनाथराव मुंडेकर :

श्री नीतीश कुमार :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री शिव चरण माथुर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में उपयोग में न लाये गये भूमि भूमिगत जल का उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान-वार क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आरम्भ किये जाने वाले ऐसे अध्ययनों और सर्वेक्षणों का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, देश प्राप्त औसत वार्षिक वृष्टिपात (बर्फ और वर्षा) के 4000 क्यूबिक किलोमीटर में से, उपयोज्य जल संसाधन 1140 क्यूबिक किलोमीटर है जिसका इस समय लगभग 552 क्यूबिक किलोमीटर का उपयोग किया जा रहा है, और उपयोज्य जल का शेष 588 क्यूबिक किलोमीटर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं ।

बिहार में अनुसूचित जनजातियों को "पे फोन्स" का आवंटन

4093 श्री शिबू सोरेन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैक्स पेफोन्स फॉर राइजिंग इकोनॉमी" के अन्तर्गत बिहार में अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को आवंटित किये गये "पे फोन्स" का पिछले दो वर्षों के दौरान जिला-वार तथा वर्ष-वार ब्योरा क्या है तथा उनका प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ख) 'पे-फोन्स' के आवंटन में अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को दी गई प्राथमिकता तथा उसके लिये मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स उड़ानों में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता

4094. श्री सूरज मंडल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, रांची, कलकत्ता जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में घटिया भोजन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अपनी उड़ानों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अर्हता प्राप्त खान-पान कर्मचारियों द्वारा उड़ान-पूर्व गुणवत्ता जांच और खान-पान संस्थापनों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है;

(2) जिन स्थानों पर भोजन तैयार किया जाता है, स्टोर किया जाता है, पूर्व-व्यवस्थित किया जाता है और लादा जाता है वहां समुचित स्वच्छता की स्थितियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइंस के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा खान-पान संस्थानों/यूनिटों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है ।

(3) जब भी खामियां ध्यान में आती हैं खान-पान प्रबन्धकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ।

[अनुवाद]

टिहरी पन-विद्युत परियोजना

4095. डा. सुधीर राय :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी पन-विद्युत परियोजना की निर्माण लागत में हुई वृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की अनुमानित लागत 3804 करोड़ रुपए थी जिसके अब बढ़कर 50 8 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1991 तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था; और

(घ) शेष निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग कितना समय लग जाने की सम्भवना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिसम्बर, 1991 तक पूरे कर लिये गये परियोजना कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

— आधारभूत कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

— 11-11 मीटर व्यास वाली चारों व्यपवर्तन सुरंगों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

— 8.5-8.5 मीटर व्यास वाली चारों हेड रेस सुरंगों की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और लाइनिंग कार्य पूरे होने को हैं।

— भूमिगत पावर हाऊस की गुफा के लिये पहुँच मार्ग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

— दांय तट व्यपवर्तन सुरंगों के माध्यम से नदी के प्रवाह को व्यपवर्तित कर दिया गया है।

— प्रमुख बांध के नींव सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(घ) समूचे टिहरी जल विद्युत काम्प्लेक्स को 1996-97 के दौरान चालू किए जाने की प्रत्याशा है बशर्ते पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

मुम्बई और अन्य राज्यों के बीच नए हवाई मार्ग

4096. श्री प्रतापराव जी भोंसले :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान मुम्बई और अन्य राज्यों के बीच नए हवाई मार्ग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विमान-क्षमता की कठिनाई के कारण, कोई भी नई उड़ान आरम्भ करने के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है।

तेलगु गंगा परियोजना

4097. श्री एम. डेनिस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तेलगु गंगा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क स्थापित किया है, और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने तेलगु गंगा परियोजना से संबंधित नहर कार्यों के लिए सहायता के वास्ते विश्व बैंक से अनुरोध किया है, तथापि, मद्रास पारगमन तथा वितरण प्रणाली हेतु वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है। इस प्रणाली म परिकल्पना की गयी है, (i) कृष्णा नदी से अपेक्षित जल के अतिरिक्त प्रवाह की व्यवस्था करने के लिये नगर जल आपूर्ति और जल-मल निकास प्रणाली का सुधार करना और (ii) पर्यावरण स्वच्छता आदि में सुधार करना। विश्व बैंक द्वारा इन दोनों घटकों का 1105.2 + रोड़ रुपए की कुल लागत पर पूर्व-मूल्यांकन किया गया है।

एअर इंडिया का विस्तार कार्यक्रम

4098. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा अपने संगठन तथा विमान बेड़े संबंधी योजना और कार्यक्रम में संरचनात्मक परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या एअर इंडिया को कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गजपतिराजु वेंकटेश्वर वर्मा) : (क) से (घ) एयर इंडिया ने आने वाले वर्षों में और अधिक आधुनिक और नवीन बेड़ा रखने का निर्णय किया है। इस समय संभावित व्यय का अनुमान लगाना कठिन है।

एयर इंडिया प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक नियमित कार्यनीति योजना को अन्तिम रूप देने में भी लगा हुआ है। कार्यनीति योजना में, ग्राहक सम्पर्क क्षेत्रों का उन्नयन, ग्राहकों के लिए सेवाओं के व्यापक पैकेज का प्रावधान तथा परिचालन की कार्यकुशलता में सुधार करना शामिल है।

दूरदर्शन को विज्ञापन शुल्क दर में वृद्धि

4099. श्री रविराज :

श्री गुरुदास कामत :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन की विज्ञापन शुल्क दर में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जी. सी. बी. 283 प्रौद्योगिकी

4100. श्री प्रफुल्ल पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की "अलकाटेल" कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय टेलीफोन उद्योगों को अपनी आधुनिकतम जी. सी. बी. 283 प्रौद्योगिकी मुफ्त में देने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रौद्योगिकी भारतीय टेलीफोन उद्योग को मिल गई है;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी से देश में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, के सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग को सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो देश में इस योजना के अन्तर्गत लाए गए ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशियों के लिए सैरगाह निर्माण

4101. श्री मुमताज अंसारी :

क्या नागर विमानन और पर्यटनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा में विशेषत: जापानियों के लिए सैरगाह का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे प्रति वर्ष कितनी आमदनी होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी ऐसे ही सैरगाह बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ये सैरगाह कहां-कहां बनाये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि अनन्यत: विदेशी राष्ट्रिकों के लिए विहार-स्थलों का निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

राज्यों में डाकघर और शाखा डाकघर खोलना

4102. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य-वार कुल कितने-कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोले गये;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रत्येक डाकघर और शाखा डाकघर किस-किस स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी वी रंगय्या नायडु) : (क) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) हालांकि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में डाक सुविधाओं का और आगे विस्तार करने का प्रस्ताव है, परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में खोले जाने वाले डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991-92 के दौरान देश में राज्यवार खोले गए डाकघरों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखा डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4
1.	केरल	17	शून्य
2.	पंजाब	3	,,
	(चण्डीगढ़)	1	,,
3.	उत्तर प्रदेश	40	,,
4.	राजस्थान	124	,,
5.	आंध्र प्रदेश	शून्य	3
6.	असम	55	1
7.	उड़ीसा	68	4
8.	हिमाचल प्रदेश	31	1
9.	तमिलनाडु	76	2
	पांडिचेरी	3	शून्य
10.	बिहार	123	,,
11.	दिल्ली	शून्य	,,

1	2	3	4
12.	पश्चिम बंगाल	60	शून्य
	सिक्किम	13	,,
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य	,,
13.	मध्य प्रदेश	96	8
14.	महाराष्ट्र	96	6
	गोवा	1	शून्य
15.	गुजरात	100	3
	(दादर, नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों सहित)		
16.	हरियाणा	35	1
17.	कर्नाटक	2	शून्य
18.	जम्मू कश्मीर	23*	1*
19.	उत्तर पूर्व:		
	त्रिपुरा	10	शून्य
	मिजोरम	8	,,
	मणिपुर	18	,,
	नागालैंड	9	,,
	अरुणाचल प्रदेश	11	1
	मेघालय	5	शून्य
	जोड़	1028	31

*यह चिन्ह लगे आंकड़े इस बात का द्योतक हैं कि डाकघर खोलने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में संगमरमर पत्थर

4103. श्री भैरूलाल मीणा :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विदेशों में संगमरमर पत्थर की मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में संगमरमर पत्थर कहां-कहां पाया जाता है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जिन स्थानों से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगमरमर निक्षेपों का पता लगा है, वे हैं : राजस्थान में नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, पाली, जैसलमेर, और अलवर जिले; गुजरात राज्य के बनासकांठा बड़ौदा, भड़ौंच, कच्छ और पांच महल जिले, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और मिर्जापुर जिले, मध्य प्रदेश के बेतुल, छिंदवाड़ा, धार, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर और सिधी जिले, बिहार के पलामू जिले, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, खम्माम और विशाखापट्टनम जिले, हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, पुरूलिया और जिला बांकुरा ।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

4104. डा. असीम बाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उद्योग का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निजीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों में ऐसी कोई शर्त है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल कितनी टेलीफोन लाइनें बिछाने की योजना है; और

(घ) पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में इस समय कितने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और आठवीं योजना अवधि में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं । नई औद्योगिक नीति के अनुसार दूरसंचार उद्योग में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को अनुमति दी गई है ।

(ख) इस मन्त्रालय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से इस प्रकार की कोई शर्त प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) आठवीं योजना प्रारूप के प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 1.80 लाख अतिरिक्त नई टेलीफोन लाइनों की परिकल्पना की गई है ।

(घ) 31.3.91 की स्थिति के अनुसार पूर्वी अंचल में (जिसमें उड़ीसा सर्किल, पश्चिम बंगाल सर्किल उत्तर पूर्व सर्किल, बिहार सर्किल और कलकत्ता मेट्रो जिला शामिल हैं । पश्चिम बंगाल के 63 एक्सचेंजों सहित 369 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे थे । जहां तक आठवीं योजना के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या का सम्बन्ध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इनकी संख्या अभी निर्धारित नहीं की गयी है ।

ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु उड़ीसा सरकार तथा अमरीकी विद्युत कम्पनी के बीच समझौता

4105. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री भीवल्लम पाणिग्राही :

क्या विद्युत और गैर परम्परा ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचर के निकट आई.बी. घाटी में एक 1500 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार तथा अमरीका की सदर्न इलैक्ट्रिक कम्पनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) यू.एस. स्थित एक कम्पनी नामत: मैसर्स सदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनेशनल इन्क. यू.एस.ए. तथा उड़ीसा सरकार के बीच 15.12.1991 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके द्वारा उड़ीसा सरकार का, उड़ीसा में ईब घाटी स्थल पर इस समय निर्माणाधीन 2X210 मे.वा. इलैक्ट्रिक पावर जेनरेशन केन्द्रों, ईब घाटी स्थल पर निर्माण किए जाने के लिए अनुमोदित 2X210 मेगावाट इलैक्ट्रिक पावर जेनरेशन केन्द्रों और ईब घाटी स्थल पर निर्माण के लिए प्रस्तावित 3X500 मेगावाट इलैक्ट्रिक पावर जेनरेशन केन्द्रों के निजी निर्माण, स्वामित्व तथा प्रचालन की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव है।

स्थानीय टेलीफोनों के मीटर लगाना

4106. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय टेलीफोन के मीटर लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या शहरी प्रयोक्ताओं ने प्रस्तावित योजना का कोई विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) इस उपाय से कितना अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा है; और

(च) इससे व्यस्ततम समय में एक्सचेंजों पर दबाव कितना कम हो सकेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) स्थानीय कालों के समय को मीटरित करने की पद्धति शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न टेलीफोन ग्राहकों की इस प्रस्ताव के बारे में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्कीम का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अतिरिक्त राजस्व की कोई संभावना नहीं है।

(च) व्यस्ततम समय के एक्सचेंजों पर भीड़ कम हो सकेगी, यह कालों के समय पर निर्भर करेगा। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आई टी डी सी सम्पत्ति को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपना

4107. श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई. टी. डी. सी. होटलों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई. टी. डी. सी. की कुछ सम्पत्ति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने के सरकार के निर्णय का देश के प्रमुख होटल स्वामियों ने विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाए जाएंगे ताकि उनका प्रमुख विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके।

(ख) भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के महासंघ ने अभ्यावेदन दिया है कि भारतीय होटल शृंखलाओं को भी इस स्कीम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(ग) तैयार की गई स्कीम से अधिक उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, अतः अन्य सुझावों को मानना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के लिए बांड जारी करना

4102. श्री तेज सिंह राव भोंसले :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सिंचाई परियोजना के लिये धन जुटाने हेतु बांड

जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) चूंकि बाजार उधार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के कुल निवेश योग्य संसाधन सीमित हैं, अतः पहले से अनुमोदित उधार कार्यक्रम के अलावा, महाराष्ट्र सरकार को किसी अतिरिक्त आबंटन की अनुमति देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा ठेके दिया जाना

4109. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेके देने के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कौन-सी सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या हाल के दिनों में सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यतिक्रम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) निविदा समिति जो इसी उद्देश्य विशेष के लिए गठित है, द्वारा यथा अनुशंसित तकनीकी रूप से स्वीकार्य पेशकशों के आधार पर ठेके दिये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सुविधायुक्त तारघर

4110. श्री विनय कटियार :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने तारघर हैं साथ ही ऐसे तारघरों की संख्या कितनी है जिनमें हिन्दी में तार भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) ऐसे तारघरों की संख्या कितनी है जिनमें अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर तो उपलब्ध हैं किन्तु हिंदी के नहीं ; और

(ग) ऐसे तारघरों की संख्या कितनी है जिनको हिन्दी टेलीप्रिंटरों तो उपलब्ध कराये गये हैं किन्तु या तो इन्हें स्थापित नहीं किया गया है या ये खराब पड़े हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) देश में 43933 तारघर हैं जिनमें से 21332 तारघरों में हिंदी में तार भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) 868 तार घर हैं जहां केवल अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर उपलब्ध कराए गये हैं।

(ग) देश में ऐसा कोई तार घर नहीं है जहां हिन्दी का टेलीप्रिंटर उपलब्ध तो कराया गया हो, किन्तु वह न तो संस्थापित किया गया हो अथवा खराब पड़ा हो।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

4.11. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) उन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार जिला-वार प्रतीक्षा सूची संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये विभाग की 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन वास्तविक रूप से उपलब्ध कराना और

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची को 2 वर्ष तक सीमित रखना।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को 8वीं योजना अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से से उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

विवरण

क्रम सं.	जिला मुख्यालय का नाम	कुल प्रतीक्षा सूची	क्रम सं.	जिला मुख्यालय का नाम	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3	1	2	3
1.	आगरा	11025	2.	अलीगढ़	1903

1	2	3	1	2	3
3.	इलाहाबाद	4124	33.	झांसी	955
4.	जालौन	378	34.	कानपुर	13986
5.	आजमगढ़	343	35.	कानपुर देहात	182
6.	बहराइच	100	36.	लखीमपुर खीरी	45
7.	बलिया	46	37.	ललितपुर	228
8.	बांदा	169	38.	लखनऊ	10391
9.	बाराबंकी	124	39.	महाराजगंज	0
10.	बरेली	1128	40.	मथुरा	1723
11.	बस्ती	49	41.	मैनपुरी	143
12.	बिजनौर	48	42.	मऊआयमा	370
13.	बदायूं	26	43.	मेरठ	11205
14.	बुलन्दशहर	1444	44.	मिर्जापुर	151
15.	चमोली	8	45.	मुरादाबाद	2475
16.	देहरादून	8626	46.	मुजफ्फरनगर	1967
17.	देवरिया	94	47.	नैनीताल	8783
18.	एटा	46	48.	पौड़ी गढ़वाल	343
19.	इटावा	343	49.	पीलीभीत	34
20.	फैजाबाद	261	50.	पिथौरागढ़	104
21.	फर्रुखाबाद	560	51.	प्रतापगढ़	152
22.	फतेहपुर	151	53.	रामपुर	182
23.	फिरोजाबाद	2230	54.	सहारनपुर	2481
24.	गाजियाबाद	15923	55.	शाहजहांपुर	102
25.	गाजीपुर	314	56.	सिद्धार्थ नगर	28
26.	गोंडा	22	57.	सीतापुर	70
27.	गोरखपुर	2400	58.	सोनभद्र	152
28.	हमीरपुर	430	59.	सुल्तानपुर	954
29.	हरदोई	116	60.	टिहरी गढ़वाल	21
30.	हरिद्वार	1704	61.	उन्नाव	50
31.	जालौन	493	62.	उत्तरकाशी	30
32.	जौनपुर	113	63.	वाराणसी	4724

[अनुवाद]

उड़ीसा में तारघरों का विस्तार

4113. डा कृपा सिन्धु भोई : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में तार नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां चालू तार घरों की संख्या क्या है तथा इन सुविधाओं में सुधार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 40 नए स्थानों पर फोनोग्राम आधार पर तार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2 संयुक्त डाक तार घर, स्टोर एंड फारवर्ड तार प्रणालियों से जोड़े जायेंगे।

(ग) उड़ीसा में 2100 तारघर हैं। संबलपुर में एक स्टोर एण्ड फारवर्ड तार कम्प्लेक्स स्थापित किया गया है और एक स्टोर एण्ड फारवर्ड मेसेज स्विच 32 पोर्टस कटक में स्थापित किया गया है इसके अतिरिक्त मोर्स प्रणालियों का इलैक्ट्रोनिक की बोर्ड में उन्नयन करने और नेटवर्किंग संकल्पनाओं की शुरूआत करने के साथ-साथ इलैक्ट्रोनेकेनिकल टेलीप्रिंटरों और इलेक्ट्रानिक फारमेटेड टर्मिनलों में बदलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

कोझीकोड, केरल में सब एक्सचेंज

4114. श्री के. मुरलीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड डिवीजन, केरल के अन्तर्गत सब-एक्सचेंज चालू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एक्सचेंज कहां-कहां विद्यमान है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) (i) प्रस्तावित उप-एक्सचेंजों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कालीकट-चेवयूर, कालीकट दक्षिण, एलातूर, कोडुवल्ली, कुन्नामंगलम, मयूर, कोझीकोडे जिले मे चेलारी और मल्लापुरम, मल्लापुरम जिले का कोट्टाक्कल और एरियाकोड।

(ii) कालीकट मंडल में इस समय कोई ऐसा ऊप-एक्सचेंज (आरएलयू) नहीं है।

मुम्बई में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4115. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं,

(ख) इस प्रतीक्षा सूची में लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे, और

(ग) इस संबंध में निश्चित योजना क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 1.2.92 को बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 230542 है।

(ख) और (ग) 30 जून, 1991 तक की ओ. बाई. टी. और विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची 31.12.91 को निपटाई जा चुकी है। (सिटी एक्सचेंज क्षेत्र को छोड़कर जिसके 31.3.92 तक निपटाए जाने की उम्मीद है।)

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मसौदे के अनुसार, बम्बई में स्विचिंग क्षमता की 11.3 लाख अतिरिक्त लाइनें तथा 9.5 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रतीक्षा सूची की योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पीलीभीत में कम शक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को उच्च शक्ति के प्रसारण केन्द्र में बदलना

4116. डा. परशुराम गंगवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पीलीभीत स्थित कम शक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को उच्चशक्ति के प्रसारण केन्द्र में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बदला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) बरेली में लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि. वाट) टी. वी. ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में दूरदर्शन सेवा में काफी सुदृढ़ हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

4117. श्री रूपचन्द पाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन एक्सचेंजों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में चिन्सुरा टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन्हें कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग)

(एक) हुगली जिले में 32 टेलीफोन एक्सचेंज है और इसमें में 4 पहले से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और 23 टेलीफोन एक्सचेंजों के 1992-95 के दौरान विभाग की नीति के अनुसार, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा ।

(दो) 3 टेलीफोन एक्सचेंजों को जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा ।

(तीन) ताराकेश्वर में एक आटोमेटिक इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज संस्थापित किया गया है और इस प्रकार, निकट भविष्य में इसे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना नहीं है ।

(चार) चिनसुरा स्थित मौजूदा आटोमेटिक इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज को 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

4118. श्री योगानन्द सरस्वती :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 1991 में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और कितने प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विस्तृत अनुमानों सहित भेजे गए उन्नीस प्रस्तावों में से, दो प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एक प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने की संभावना है और दूसरे प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन परिसर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज केन्द्र

4119. डा. भुखीराम कुंगरोमल बेस्वाणी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कांडला पत्तन परिसर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) इनकी प्रारम्भिक क्षमता क्या होगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी वी रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 के दौरान संस्थापित करने की योजना है।

(ग) 384 लाइनें।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा विभिन्न खेलों का प्रसारण

4120. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न खेलों के सीधे प्रसारण सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन ने खेलकार, सीधे प्रसारण के लिए कितना समय नियत किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में और देश के बाहर खेले जाने वाले

सभी खेलों को पर्याप्त रूप से दिखाया जाए। तथापि, विभिन्न खेलों का सीधा प्रसारण खेलों की लोकप्रियता/दर्शक संख्या, जनशक्ति/साधनों की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम. सं.	खेल	अवधि
1	2	3
1.	जिमनास्टिक	5 घंटे 30 मिनट
2.	पावर लिफ्टिंग	8 घंटे
3.	एथलेटिक्स	7 घंटे 30 मिनट
4.	बिलियर्डस	12 घंटे
5.	फूटिंग बाल	2 घंटे
6.	बास्केट बाल	1 घंटा 13 मिनट
7.	बैडमिंटन	6 घंटे 10 मिनट
8.	क्रिकेट	129 घंटे
9.	पोलो	1 घंटा
10.	हाकी	46 घंटे 20 मिनट
11.	टेबल टेनिस	5 घंटे 30 मिनट
1 .	टेनिस	85 घंटे
13.	खो-खो	2 घंटे
14.	तीरंदाजी	5 घंटे
15.	फुटबाल	74 घंटे
16.	स्नूकर	12 घंटे
17.	कुश्ती	15 घंटे
18.	कैरम	8 घंटे
	कुल अवधि	425.13 घंटे

बोकारो इस्पात संयंत्र में पदोन्नतियां

4121. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों इन्जीनियरों और अन्य कर्मचारियों का अधिलंघन करके कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी जा रही है;

(ख) क्या अधिलंघित किए गए अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि बोकारो इस्पात कारखाने में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों, इन्जीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों इन्जीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों को अधिलंघित किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

हरियाणा में दूरदर्शन का प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करना

4122. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में दूरदर्शन का कोई प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकटवर्ती अन्य केन्द्र से प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी विरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । जालंधर और दिल्ली के निकट हरियाणा के क्षेत्रों में रहने वाले कलाकारों को इन केन्द्रों में प्राय: आमंत्रित किया जाता है लेकिन हरियाणा के भीतरी भागों में रहने वाले कलाकारों को आमतौर पर इन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र में आमंत्रित नहीं किया जाता ।

(ग) हिसार के प्रस्तावित पूर्ण सुसज्जित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के चालू हो जाने पर हरियाणा की स्थानीय प्रतिभाओं को इस केन्द्र में तैयार किये जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में विमान ईंधन की लागत

4123. श्री विजय कुमार हांडिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कुल संचालन कार्य में विमान ईंधन पर खर्च का प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या विदेशी विमान सेवाओं की तुलना में इन विमान सेवाओं की ईंधन लागत अभी भी बहुत अधिक है जबकि खाड़ी युद्ध के बाद से विदेशी विमान सेवाओं की लागत में कमी आयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, कुल प्रचालन व्यय की तुलना में ईंधन पर व्यय एयर इण्डिया में 22.4% और इण्डियन एयरलाइन्स में 36.3% रहा।

(ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में भारत में विमानन टरबाईन ईंधन की कीमत ऊंची होती जा रही है।

विभागेतर डाक प्रणाली सम्बन्धित नीति

4124. श्री ई. अहमद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभागेतर डाक प्रणाली के लिए नये नीति दिशानिर्देश तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू)। (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया और विदेशी विमान कम्पनियों की प्रस्तावित नयी विमान सेवाएं

4125. श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नई विदेशी एयरलाइन भारत होकर नई विमान सेवायें प्रारंभ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व में उन स्थानों के नाम क्या हैं। जिन्हें एयर इण्डिया द्वारा अगले वर्षों में अपनी सेवा में जोड़ने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अभी हाल में उजबेकिस्तान, कोरिया और वियतनाम के साथ हवाई सेवा करार शुरू किए गए हैं। तथापि, उनकी नामित विमान कम्पनियों ने अभी तक कोई शेड्यूल प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) 1992 के ग्राष्मकालीन शेड्यूल में एयर इन्डिया का मौजूदा रूप नेटवर्क पर प्रचालन करने का इरादा है।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

4126. श्री के. राममूर्ती डिंडिवनाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने का है; और
(ख) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विशेष पर्यटन क्षेत्रों की स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करना है। तथापि, स्कीम के विवरण विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अभी तैयार किए जाने हैं।

केरल में आदर्श दूरसंचार जिला

4127. श्री पी. सी. थाको :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग अभी भी आदर्श दूरसंचार जिले की संकल्पना का अनुसरण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केरल के उन जिलों के नाम क्या हैं, जिन्हें आदर्श दूरसंचार जिले घोषित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। आदर्श दूरसंचार जिले का कोई संकल्पना नहीं है। तथापि गीत स्विचन क्षेत्रों और कार्य-भार के आधार पर दूरसंचार जिलों का निर्धारण किया जाता है।

(ख) केरल में कोई आदर्श दूरसंचार जिला नहीं है। तथापि, केरल सर्किल में 10 दूरसंचार जिले हैं यथा, एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कालीकट, क्विलान, त्रिचुर, कन्नानोर, कोट्टायम, पालघाट, अलेप्पी और पटनमथिट्टा।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिकीकरण

4128. श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास/आधुनिकीकरण करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) एस. टी. डी. टेलीफोन सुविधा से रहित सोजात और जयरतन (पाली जिला) में टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) राजस्थान में चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जिलावार विशेषत: जयरतन और सोजात एक्सचेंजों में उन स्थानों के नाम क्या क्या हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी· वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

विकास :

दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यो को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाया हैं :

— ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

— टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची को अधिकतम दो वर्ष तक सीमित करना।

आधुनिकीकरण

(I) मार्च, 1994 तक सभी मैनुअल एक्सचेंजों के स्थान पर आटोमैटिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना। (II) मार्च, 1997 तक सभी छोटे आटोमैटिक इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना। (III) ऐसे एक्सचेंज जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जो घिस-पिट गए है उन्हें बदलना। (IV) 1.4.1997 तक सभी एक्सचेंजों में एन एस डी सुविधा। (V) 1.4.1995 तक सभी पंचायतों में दूरसंचार सुविधाएं।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(I) सोजत रोड़ (II) सोजत शहर (III) जैतरण

(घ) स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1991-92 और 1992-93 के दौरान राजस्थान में जिन स्थानो पर एसटीडी सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है उनके नामों की सूची

चालू वर्ष (1991-92)

1	2	3
1.	फालमा	जिला पाली

1	2	3
2.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा
3.	कंकरौली	राजसमंद
4.	मठानिया	जोधपुर
5.	दौसा	दौसा
6.	विजयनगर	भीलवाड़ा
7.	कोटपुतली	जयपुर
8.	शाहपुरा	जयपुर
9.	अचरोल	जयपुर
10.	खैरथल	अलवर
11.	बांदीकुई	दौसा
12.	लालसोट	दौसा
	1992-93 के दौरान	
1.	बयाना	सवाईमाधोपुर
2.	चिरवा	झुंझुनू
3.	खेतरी	झुंझुनू
4.	गंगापुर सिटी	सवाईमाधोपुर
5.	हिंडनसिटी	सवाईमाधोपुर
6.	माउंट आबू	सिरोही
7.	मकराना	नागौर
8.	कुचमनसिटी	नागौर
9.	नाथद्वारा	राजसमंद
10.	सूरतगढ़	श्री गंगानगर

1992-93 के दौरान सोबत में एस. टी. डी. प्रदान करने की योजना। संचारण मीडिया उपलब्ध न होने के कारण, 1992-93 के दौरान जैतारण में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात से नियंत्रण हटाने का निर्माण कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव

4129 श्री अम्बराम इरा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनिन्दा क्षेत्रों में इस्पात से नियंत्रण हटाने की अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है क्योंकि इस्पात की कीमत 1500 रुपये से बढ़कर अनुमानतः 3000 रुपये

प्रति टन होने से देश में और विशेषतया तमिलनाडु में निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे,

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिनांक 16-1-1992 को लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण समाप्त करने की घोषणा से निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है । बल्कि नियंत्रण हटाने से कार्यकुशलता बढ़ेगी और बढ़ रही भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में नई क्षमताओं के सृजन हेतु अपेक्षित वातावरण बनेगा ।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

4130. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या इस्पात मंत्री निजी सहयोग से उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बारे में 28 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पार्टियों के बीच हुए समझौते ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कलिंग स्टील्स (इण्डिया) लि. को प्रायोजित किया है और तैयारी में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन के कापरो ग्रुप के डा. स्वराजपाल के साथ 1-11-1991 को एक समझौता ज्ञापन किया गया है । समझौता ज्ञापन के अनुसार :—

(i) उड़ीसा सरकार को पूर्ण सहायता से कलिंग स्टील लिमिटेड के निजी क्षेत्र में होने की सम्भावना है ।

(ii) उड़ीसा सरकार के परामर्श से कापरो ग्रुप अपने सहयोगियों सहित कलिंग स्टील के प्रबंधन मंडल का गठन करेगा ।

(iii) कापरो विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा ।

(iv) विदेशी मुद्रा और रुपये सहित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था कापरो करेगा ।

(v) इस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं । समझौता ज्ञापन यथासमय उपयुक्त रूप से परिवर्धित और संशोधित किया जाएगा और विस्तृत रूप से करार किया जाएगा ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कापरो ग्रुप द्वारा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है । वे आशा करते हैं कि उत्पादन लगभग 30 लाख टन वार्षिक

होगा। तथापि, इस्पात संयंत्र की लागत और इसके पूरा होने की सम्भावित तारीख संप्रवर्तकों (प्रोमोटरों) द्वारा अभी निश्चित की जानी है।

पत्रकारों और गैर-पत्रकार लोगों की रैली

4131. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 24 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुई पत्रकारों एवं गैर-पत्रकार लोगों की रैली से विदित है ;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन मांगों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस समाचारों के अनुसार मांगे ये थीं :—

1. समाचार पत्र उद्योग से सम्बन्धित सभी श्रम कानूनों की जांच हेतु संसदीय समिति की स्थापना करना।

2. दैनिक नवभारत टाइम्स के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना।

3. समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों में अनुबन्ध प्रणाली को समाप्त करना तथा अनुचित व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करना।

4. प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रबंधकों के आक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाना।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मांगों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उक्त मांगों/समाचार पत्रों में प्रकाशित इन मांगों को नोट कर लिया गया है। जहां तक श्रम संबन्धी मामलों की शिकायतों का प्रश्न है, सम्बद्ध पार्टियों द्वारा विशिष्ट लागू शिकायतें श्रम कानूनों के अनुसार संबद्ध मंचों पर उठानी होंगी। प्रेस की स्वतंत्रता के हनन से सम्बन्धित शिकायतों को भी भारतीय प्रेस परिषद में उठाया जा सकता है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयरों को कम करना

4132. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयर लगभग आठ प्रतिशत अपनियोजन कम कर दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के लिए निगमित क्षेत्र पर इसके प्रभाव क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। सरकार फरवरी, 1992 में महानगर टेलीफोन निगम लि. के 20 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय/निवेश संस्थान, पारस्परिक निधि और मरचेंट बैंकों को आवंटित किए गए हैं।

(ग) मूलभूत टेलीफोन सेवाओं को व्यवस्था करने के बारे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

उत्तर प्रदेश के टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के लिए एस. टी. डी. सुविधा

4133. डा. रमेशचन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के लिए भूकम्प के पश्चात, प्रदान की गई एस. टी. डी. सुविधा अभी भी वहां उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी यह सुविधा जारी रखने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 8वीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सभी एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

400 के. वी. विद्युत परियोजनाओं का स्थानान्तरण

4134. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 400 के. वी. इलैक्ट्रिक-केन्द्र को कहीं और स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिन्दी फिल्मों के चयन का तरीका

4135. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाने हेतु फिल्मों, विशेष रूप से हिन्दी फिल्मों के चयन का क्या तरीका है;

(ख) फिल्मों को दिखाने हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है ;

(ग) क्या घटिया फिल्में, विशेषकर हिन्दी फिल्में दूरदर्शन पर दिखाये जाने के संबंध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फीचर फिल्मों के चयन हेतु मानदंड मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

क. अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत फिल्में

ख. विषयपरक मूल्य

ग. सिनेमापरक मूल्य

घ. मनोरंजनपरक मूल्य

ङ. परिवार के साथ देखने योग्य फिल्में

च. निर्माण वर्ष

छ. फिल्म किस सीमा तक पहले वाणिज्यिक रूप से दिखाई जा चुकी है

ज. किन-किन केन्द्रों में और कितनी बार फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई जा चुकी है।

(ख) राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्मों के प्रसारण के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार हैं।—

फिल्म की श्रेणी	रायल्टी की राशि
"ए" ग्रेड	6.50 लाख रु.
"बी" + ग्रेड	5.00 लाख रु.
"बी" ग्रेड	3.50 लाख रु.
प्रीमियर प्रसारण	8.00 लाख रु.
देर रात्रि फिल्में	3.00 लाख रु.

देर रात्रि समय पर	1.75 लाख रु.
विदेशी फिल्म का प्रसारण	
पुरानी उत्कृष्ट ("ए" ग्रेड)	6.50 लाख रु.

(ग) और (घ) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित फिल्मों पर सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक समान नहीं होती। दर्शकों की शिकायतें और सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं और सेवा में सुधार के लिए इन पर उचित ध्यान दिया जाता है।

पर्यटन विकास कार्य योजना

4136. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एक पर्यटन विकास कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) देश के उन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं; और

(घ) कार्य योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) देश में पर्यटन का विकास करने के लिए एक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जहां तक देश में पर्यटक-स्थलों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने का संबंध है, यह मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी कार्य का विनियमन

4137. श्री एस. बी. सिदनाल :
श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी सुविधाओं के संचालन पर निगरानी रखने तथा विनियमित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार, समुद्री पर्यावरण को खतरे में डाले बिना भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने की दृष्टि से भारतीय समुद्री मात्स्यिकी अभियानों के संचालन पर निगरानी रखने तथा उन्हें विनियमित करने के लिए कानून बनाने के

प्रस्ताव की जांच कर रही है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ मछली पकड़ने के मौसमों, मछली पकड़ने के साज-सामान, मछली पकड़ने के जलयानों की किस्म और संख्या, मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों, प्रजातियों, सुरक्षा सम्बन्धी पैरामीटरों, रिपोर्ट और विवरणियों, बेस, पोर्ट संबंधी विनियमन शामिल हैं।

[हिन्दी]

गंधार विद्युत परियोजना की बोली में अनियमितताएं

4138. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री रामप्रसाद सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री रामविलास पासवान :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंधार विद्युत परियोजना के लिए आयोजित नीलामी में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करने के आदेश दिये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) को गंधार विद्युत परियोजना के लिए किसी प्रकार की नीलामी का आयोजन नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में डाक सामग्री

4139. श्री पियूष तोरकी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विशेषकर धनीपुर डार उप-खंड में अन्तर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्डों, धनादेश पत्रों और पोस्टल आर्डरों जैसी डाक सामग्री की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में डाक सामग्री की सुचारू सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक सामग्री की सप्लाई के लिये इस क्षेत्र में अपनाई जा रही पद्धति सहज ढंग से काम कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बिहार सरकार के पास बकाया राशि

4140. श्री पीयूष तीरकी :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बिहार सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को भारी धन-राशि अदा करनी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की वर्ष-वार बकाया धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया राशि के भुगतान हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बिहार को ऊंची दरों में आपूर्ति करता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्रों से सप्लाई की गई विद्युत के लिए फरवरी, 92 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी. एस. ई. बी.) की 253.71 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। इसके अतिरिक्त अधिभार से सम्बन्धित 75.02 करोड़ रुपए की राशि भी बकाया थी।

(ख) विगत के तीन वर्षों के बारे में बकाया राशियों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

	बकाया देय राशि (करोड़ रुपए)	अधिभार संबंधी बिल की राशि (करोड़ रुपए)
1.4.89	26.65	3.53
1.4.90	96.11	13.05
1.4.91	157.84	32.36
29.2.92	253.71	75.02

(ग) बकाया राशियों को वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं; राष्ट्रीय

ताप विद्युत निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार का प्राय: दौरा किया जाना, बैठकों का आयोजन करना, केन्द्रीय विनियोग के माध्यम से राशि वसूल करना आदि।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का विद्युत केन्द्र से सप्लाई की गई ऊर्जा के लिए बिहार राज्य से भी उसी दर से प्रभार की राशि वसूल की जाती है जिस दर से पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों से वसूल की जाती है। उत्तरी क्षेत्र से सप्लाई की गई विद्युत के लिये भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किए गये विश्वव्यापी लेखे-जोखे के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में प्रचलित दरों के अनुसार बिल तैयार किये जा रहे है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पन बिजली परियोजना

4141 श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या विद्युत और गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक बोदर जिले में विद्युत उत्पाद हेतु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) निकट भविष्य में कर्नाटक के बोदर जिले में कोई जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन

4142. श्री भाग्य गोवर्धन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप, जल तथा परमाणु ऊर्जा केन्द्र की प्रति मेगावाट प्रतिष्ठापन लागत क्रमश: कितनी-कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विद्युत उत्पादन की अनुमानित अतिरिक्त क्षमता में ताप, जल तथा परमाणु विद्युत का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ग) उत्पादन पारेषण तथा वितरण की अतिरिक्त क्षमता के वित्त पोषण हेतु कौन-कौन से स्रोत हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैर-परम्परागत ऊर्जा श्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन पर हुआ खर्च

4143. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए कुल कितनी धन-राशि खर्च की है और इन परियोजनाओं द्वारा बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान महीने-वार वास्तव में कितनी बिजली का उत्पादन हुआ ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य क्षेत्र में सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर आधारित लघु विद्युत-उत्पादन यूनिटें विकेन्द्रीकृत तरीके से विभिन्न स्थानों पर लगाई गई हैं। 4.0 लाख रुपए मूल्य के 15 छोटे पवन बैटरी चार्जरों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 9 मशीनें अब तक लगाई जा चुकी हैं। कुल क्षमता 14 90 किलोवाट (बराबर) के 4 बायोमास आधारित गैसीफायरों तथा स्टर्लिंग इंजनों को 6.432 लाख रुपए के कथित व्यय से यांत्रिक तथा वैद्युत पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा 100 किलोवाट की एक अन्य गैसीफायर प्रणाली 3.70 लाख रुपए के कथित व्यय से एक अलग अनुसंधान तथा विकास परियोजना के तहत लगाई जा चुकी है। सड़क प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक दूरदर्शन/प्रकाश व्यवस्था, जल पम्पन और लघु विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए लगभग कुल 125 किलोवाट क्षमता की करीबन 200 प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का कार्य विभिन्न स्थानों पर शुरू किया गया है। इनमें से लगभग कुल 85 किलोवाट क्षमता के 17 लघु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा दिए गए हैं और शेष प्रणालियों की लागत तथा अन्य प्रभार संघराज्य प्रशासन द्वारा वहन किए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियां क्षमता में छोटी होने और उन्हें विकेन्द्रीकृत ढंग से लगाए जाने के कारण, ऊर्जा उत्पादन के महीनेवार प्रमाणित आंकड़े नहीं हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

4144. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और 31 जनवरी, 1992 को वितरण के लिए वास्तविक रूप से कितनी विद्युत उपलब्ध थी;

(ख) क्या विद्युत की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में यथाप्रस्तावित मांग और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31 जनवरी, 199 की स्थिति के अनुसार संघ शासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 28 मेगावाट थी । तथापि, हासित क्षमता जोकि विद्युत के लिए उपलब्ध थी, 23 मेगावाट थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पंजाब में दिहाड़ी मजदूरी का अस्थायी दर्जा

4145. श्री. प्रेम खूपल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में आर. एम. एस. डिवीजनों में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूरों को सेवाओं को उन्हें अस्थायी दर्जा देने के बाद नियमित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) पंजाब सर्किल में रेल डाक सेवा डिवीजनों में नियमित आधार पर दिहाड़ी का कोई मजदूर नहीं है । तथापि, कभी-कभार कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने से हुए रिक्त पदों पर दिहाड़ी के मजदूर लगाने के लिए प्रबन्ध किये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

4146. श्री सन्त कुमार मंडल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उचित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विशेषज्ञता प्राप्त तन्त्र उपलब्ध कराने के लिये उचित स्तर बनाने में असफल रहा है;

(ख) क्या इस उद्योग के लिये संयंत्र और तन्त्र की नई पद्धतियों के विकास में कोई भी निर्माता नहीं लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ उचित उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए अनेक "फूड इंजीनियरिंग" केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है; और

(च) क्या ऐसा कोई केन्द्र कलकत्ता में भी स्थापित किया जायेगा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मुख्यतः मूलभूत अनुसंधान और विकास सुविधाओं, प्रोटोटाइप विकास और वृद्धिकारक सुविधाओं, उत्पाद परीक्षण और विपणन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस समय देश में विनिर्माता, उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी की नई पद्धतियों के विकास कार्य में नहीं लगे हुए हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी तथा अनुसंधान और विकास सुविधाओं के विकास को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय परिव्यय की एक स्कीम तैयार की है।

(च) जी, नहीं। इस समय उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञता के प्रयोग से केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में केवल एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों पर खर्च

4147. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भाषावार विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ;

(ख) उक्त वर्ष में कितने छोटे, मध्यम और बड़े अखबारों को भाषावार डी. ए. वी. पी. से विज्ञापन मिले; और

(ग) विभिन्न दरों के लागू किए जाने के लिये पत्रों के वर्गीकरण का क्या मानदंड है और इस समय उनकी क्या दरें हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) दरें लागू करने के लिये समाचारपत्रों का वर्गीकरण प्रसार संख्या से सम्बद्ध लागत पर आधारित होता है जिसमें छोटे और मझोले समाचारपत्रों के लिए वरीयता अन्तर्निहित होती है।

50,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के लिए वर्तमान दर 8.70 रुपये से 31.50 रुपये के बीच है तथा 50,000 प्रतियों से ऊपर प्रति एक हजार प्रतियों के लिए 46.2 पैसे की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है।

केरल में बाक्साइट और लौह अयस्क की खोज

4148. श्री थाइल बाल अब्दुलेख :

क्या खानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में अलेप्पी और एर्णाकुलम जिलों में बाक्साइट और लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) द्वारा किए गए प्राथमिक सरवेक्षण से केरल के अलेप्पी और एर्णाकुलम जिलों में बाक्साइट के आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद भण्डारों का पता नहीं चला है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) ने इलेयटटीमाला, अलमपारा, नानमिन्दा, नदुवेल्लूर चेरुप्पा और कोंजीकाड का पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों और मालापुरम जिले के कोराट्टीमाला में 31.5 से 41.2% लौह युक्त कुल 102.528 मिलियन टन लौह अयस्क-भण्डारों का अनुमान लगाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नागिरि हवाई अड्डा

4149. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे से विमान सेवाएं कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रत्नागिरि स्थित हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वहां कोई भी कार्य हाथ में लेने की योजना नहीं है।

(ख) वायुदूत को रत्नागिरि के लिए परिचालन बहाल करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों में परिवर्तन

[हिन्दी]

4150. श्री गोविन्दराम निकाम :
श्री पंकज चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की कार्यसूची में अक्सर परिवर्तन किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान कितने कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे परिवर्तनों पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन के अनुसार कार्यक्रम के अपेक्षाओं और अपरिहार्य कारणों से अन्तिम क्षणों में केवल पांच प्रतिशत कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जाता है।

(घ) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि घोषित कार्यक्रम तालिका का अनुपालन किया जाये।

[अनुवाद]

ए. बी. बी. और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का संयुक्त उद्यम

4151. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री भुवनेश्वर मेहता :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री एस. बी. चोरासे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रवि राय :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री चन्द्रजीत यादव :
डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :
श्री परशराम भारद्वाज :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की विद्युत हथकरघों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी (ए. बी. बी.) और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) के बीच कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के विरुद्ध कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु निजी क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र उद्यमों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अनुसरण में आसिया ब्राउन बावेरी, स्विटजरलैंड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) द्वारा एक नई संयुक्त क्षेत्र कम्पनी के माध्यम से विद्युत संयन्त्र स्थापित किए जाने सम्बन्धी अपने इरादे को अमली-जामा पहनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

(ग) और (घ) नेशनल कान्फेडरेशन आफिसर्स एसोसिएशन (एन. सी. ओ. ए.) ने प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित खुले पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि इस प्रकार के संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लागतों में काफी वृद्धि और स्वदेशी क्षमता के कम समुपयोजन सम्बन्धी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उक्त पत्र में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत क्षेत्र में विदेशी/निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किए जाने की आवश्यकता जैसे मामलों को भी उठाया गया है

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी सरकारी नीति, विद्युत की अत्यधिक कमी को पूरा किये जाने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के माध्यम से विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। परियोजना सम्बन्धी लागतों को सीमित स्तर तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म उपलब्ध हैं। देश में विद्युत उत्पादन क्षमता संवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार का है कि उपलब्ध स्वदेशी क्षमता का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जायेगा।

प्रमुख हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

4152. श्री नानी भट्टाचार्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई और मद्रास से होकर परिचालित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विमानसेवाओं की क्रमशः कुल संख्या कितनी है तथा एयरलाइन सेवा के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक हवाई अड्डों पर उनकी सेवा आवृत्ति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात में हुई वृद्धि का वर्ष-वार और नगर-वार ब्योरा क्या है;

(ग) कलकत्ता विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात में कम वृद्धि होने के क्या कारण; और

(घ) कलकत्ता हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात में बढ़ोत्तरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा परिचालित साप्ताहिक सेवाओं की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं.	एयरलाइन का नाम	बम्बई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
1	2	3	4	5	6
1.	एयरफ्लोट	—	6	2	—
2.	एयर फ्रांस	3	5	—	—
3.	एलटालिया	2	2	—	—
4.	एरिना अफगान एयर लाइंस	—	4	—	—
5.	एयर मारीशस	2	—	—	—
6.	एयर लंका	2	—	—	—
7.	एयर तंजानिया	1	—	—	—
8.	एलिम्डा	1	—	—	—
9.	ब्रिटिश एयरवेज	7	6	—	2
10.	बीमन बंगला देश	2	—	23	—
11.	कैथ पैसेफिक	4	—	—	—
12.	चेकोस्लावोकिया एयरलाइन	4	—	—	—
13.	डेल्टा एयरवेज	3	3	—	—
14.	इक एयर	—	2	1	—
15.	इजिप्ट एयर	1	—	—	—
16.	इथोपियन ऐयरलाइन्स	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6
17.	अमीरात	13	5	—	—
18.	गल्फ एयर	24	6	—	—
19.	ईरार एयर	1	—	—	—
20.	जापान एयर	—	1	—	—
21.	किन्या एयरवेज	3	—	—	—
22.	कुवैत एयरवेज	7	3	—	—
23.	के एल एम रायलडच एयलाइन्स	—	3	—	—
24.	लुफ्थांसा	5	5	—	—
25.	लाट पोलिश एयरलाइन्स	—	1	—	—
26.	मलेशियन एयरलाइन	—	2	—	6
27.	पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन	5	7	—	—
28.	रायल जोर्डियनन	—	2	1	—
29.	रायल नेपाल एयरलाइन्स का.	2	14	2	—
30.	साऊदिया	8	2	—	2
31.	सीरियन अरब एयरलाइन	1	1	—	—
32.	सिंगापुर एयरलाइन	4	3	2	4
33.	स्विस एयर	4	3	—	—
34.	तारोम (रोमानिया एयरलाइन)	—	—	2	—
35.	थाई एयरवेज	—	5	3	—
36.	टर्किश	1	—	—	—
37.	यमन एयरलाइन्स	2	—	—	—
38.	जांबिया एयरवेज	1	—	—	—
39.	एयर इण्डिया	74	35	2	9
40.	इण्डियन एयलाइन्स	6	13	11	9
	कुल	193	139	49	37

कुल जोड़ 418

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में वृद्धि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	पिछले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में प्रतिशत वृद्धि			
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1986-87	6.1	12.5	1.4	(—) 2.8
1987-88	6.0	12 8	7.9	11.1
1988-89 (—)	1.3	15.3	2.8	0.0
1989-90 (—)	1.1 (—)	6 9	4.0	10.0
1990-91 (—)	2.6 (—)	9.8	(—) 5.1	8.2

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात मूलत: फुरसत अथवा व्यवसाय के लिए चलता है। एयरलाइनें किसी विशेष स्थान के लिए वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर परिचालन करती है। सरकार कलकत्ता को यातायात अधिकार प्रदान करने की नीति का अनुसरण उदारतापूर्वक करती है।

उड़ीसा में फूलबनी और बोलनगिरी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

4153. श्री मृत्युन्जय नायक।

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में फूलबनी और बोलनगिरी में स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उड़ीसा में, फूलबनी और बोलनगिरी के दूरदर्शन रिले केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने की, वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दूरसंचार विभाग में नया सतर्कता संगठन

4154. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार का एक नया गुप्तचर तथा सतर्कता संगठन बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विभाग के सतर्कता ढांचे को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ताकि जिन भ्रष्ट तरीकों को अपना कर सरकारी राजस्व की चोरी की जाती है, उनका तत्परता से पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके और उन पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अलावा, विभाग ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद भी मांगी है और शुरूआत के तौर पर 4 शहरों में केवल टेलीफोन राजस्व की चोरी की जांच-पड़ताल करने के लिए सी बी आई के विशेष कक्षों की स्थापना की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वितरण प्रणाली के लिए कर्नाटक को एशिया विकास बैंक की सहायता

4155. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक ने कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए 140 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एशिया विकास बैंक की सहायता से चलाए जाने वाले कार्यक्रम कब तक शुरू किए जाएंगे ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में स्वर्ण तथा अन्य खनिज

4156. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक के जिला रायचुर में मन्डलो मे स्वर्ण अयस्क के भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में स्वर्ण अयस्क का पता लगाया है; और

(ग) इस क्षेत्र में अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान पता लगाये गये अन्य खनिज भंडारों की वस्तुस्थिति और ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम. ई. सी एल.) द्वारा कर्नाटक के रायचुर जिले के बोन्डाली में 2.76 ग्राम प्रति टन औसत ग्रेड के 4.69 लाख टन स्वर्ण अयस्क भंडारों का पता लगाया गया है।

(ग) इस क्षेत्र में अन्य खनिजों के लिए गवेषण कार्य नहीं किया गया।

इस्पात का उत्पादन

4157. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के प्रथम आठ महीनों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने कितनी मात्रा में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन किया;

(ख) मूल्यवर्धित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सेल ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है;

(ग) क्या सेल भारतीय रेल को जंगरोधी इस्पात की सप्लाई कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) किन-किन देशों को गैल्वेनाइज्ड उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है; और

(च) 1992-93 के दौरान देश में इस्पात की अनुमानित मांग कितनी है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1991-92 के शुरू के आठ महीनों के दौरान सेल द्वारा अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 62.5 लाख टन था।

(ख) बोकारों इस्पात संयन्त्र की कोल्ड रोल्लित मिल-II की स्थापना से सेल ने मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन में वृद्धि की है। आगामी वर्ष में अर्द्ध तैयार इस्पात के अन्त: संयन्त्र में बड़े पैमाने पर होने वाले स्थानान्तरण से वर्धित कार्यकलापों से मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल, 91 से जनवरी, 92 के दौरान "सेल" से भारतीय रेल को संक्षारणरोधी इस्पात की कुल सप्लाई 7540 टन थी।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान "सेल" द्वारा उत्पादित जस्तीकृत चादरों के उत्पादों का अब तक कोई निर्यात नहीं किया गया है। तथापि, "सेल" ने बंगलादेश को 12,000 टन नालीदार गैल्वेनीकृत चादरों के निर्यात के आर्डर बुक किए हैं।

इसके अतिरिक्त हाल ही में सेल ने भिलाई इस्पात संयन्त्र में उत्पादित तार छड़ों से तैयार 60 टन गैलवेनीकृत तार यूनाइटेड अरब इमिरात्स को निर्यात किया है।

(च) वर्ष 1991-92 के परिलक्षित इस्पात की मांग 163.5 लाख टन आंकी गई है।

मुम्बई विमानपत्तन पर टक्कर

[हिन्दी]

4158. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर जनवरी 1992 में दो विमान आपस में टकराते-टकराते बचे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने विमानचालकों तथा अन्य अधिकारियों को कोई निदेश दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) 10-1-1992 को जब इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान बम्बई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद धावनपथ पर बेक ट्रैकिंग कर रहा था तो धावनपथ के विपरीत छोर से एयर इण्डिया के एक विमान ने उड़ान भरी। इस घटना की जांच की जा रही है।

"पे फोन" सुविधा

4159. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में "पे-फोन" सुविधा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी अवधि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या टेलीफोनों के लिए "चिप सिस्टम" शुरू करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. जी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग ने पी. सी. ओ. के इच्छुक व्यक्तियों को पी. सी. ओ. आवंटित करने की नीति को उदार बना दिया है। पी. सी. ओ. व्यवहार्य होने तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड की शर्तें पूरी होने पर ही खोले जा सकते हैं।

(ग) "पे फोन" के लक्ष्य प्रत्येक वर्ष क्षमता, उपस्कर की उपलब्धता आदि के साथ-साथ मांग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में जलधारा योजना

4 60. श्री श्रीकांत जेना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में जलधारा योजना के अन्तर्गत कुएं खोदने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 13 राज्यों में पता लगाए गए सूखा प्रवण क्षेत्रों के छोटे किसानों को एक साथ पम्पसैट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में "जलधारा" स्कीम आरम्भ की गयी थी। इस स्कीम के अन्तर्गत, उड़ीसा के लिए 3171 पम्पसैटों का लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 3099 पंपसैटों का अर्थन किया गया।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के संबंध में विधानों मन्त्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

4161. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग प्रबन्ध की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 10 फरवरी के सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) इस सम्मेलन में कितने मन्त्रियों ने भाग लिया था; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्मेलन की कौन-सी सिफारिशें स्वीकृत की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रभारी मन्त्रियों का सर्वप्रथम सम्मेलन 20 फरवरी, 1992 को आयोजित किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, एक राज्यपाल, उपराज्यपालों तथा मन्त्रियों सहित 20 अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने वालों को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री ने नये तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत क्षेत्रों हेतु अलग प्रबन्ध किए जाने का अनुरोध कर किया।

(घ) इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं।—

1. नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्षेत्रीय

सरकार, राज्य सरकारों, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा एक जन आन्दोलन के रूप में चलाया जाना जिससे बेहतर पर्यावरण के साथ-साथ, बेहतर ऊर्जा उपलब्धता, आर्थिक विकास तथा निरन्तर सर्वांगणीण विकास के लिए सम्पूर्ण देश में नये तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत विकसित करने संबन्धी संस्कृति विकसित की जा सके।

2. आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा उत्तरवर्ती योजनाओं के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की योजनाओं में वित्तीय साधनों तथा प्रोत्साहनों का पर्याप्त व्यवस्था करना।

3. विद्युत उत्पादन प्रक्रिया ताप तथा खाना पकाने के ईंधन की अनुपूर्ति/बचत के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न प्रकार की प्रणालियों तथा युक्तियों के विकास तथा प्रसार के लिए निरन्तर प्रयास करना।

4. स्थानीय मिस्त्रियों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के दोहन के लिये दीर्घावधि उद्देश्यों की दृष्टि से स्थानीय लोगों का नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों के निर्माण, प्रचार-प्रसार और रखरखाव में यथासंभव प्रशिक्षण देना।

5. जन जागृति, व्यापक प्रचार और शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों का प्रयोग।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सलाह दी जा रही है कि वे नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए उपर्युक्त सिफारिशों को प्रयोग में लाएं।

उड़ीसा में "पोटर्न" सिंचाई परियोजना

4162. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या अल्प संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में "पोटर्न" सिंचाई परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलनों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता अनुदान जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक जारी होने की संभावना है ?

अल्प संसाधन मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 6-12-1990 को आयोजित अपनी बैठक में 88.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के संशोधित अनुमान को स्वीकृत दी है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपेक्षित पर्यावरणिक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा अब तक 59.70 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

अखबारी कागज की आवश्यकता

4163. श्री सुधीर गिरि :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में कितनी मात्रा में अखबारी कागज की आवश्यकता होती है और इसका कुल कितना उत्पादन होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : देश में, 1991-92 में अखबारी कागज की मांग अनुमानत: 5.60 लाख मीट्रिक टन है।

देश में, वर्ष 1990-92 में अखबारी कागज के उत्पादन का लक्ष्य 2.95 लाख मीट्रिक टन है तथा अप्रैल 1991 और जनवरी 1992 के दौरान वास्तविक उत्पादन 2,35,212 मीट्रिक टन हुआ।

सार्वजनिक टेलीफोन

4164. श्री भगवान शंकर रावत :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री एम. के. बालियान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में जिले-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गये ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

सागरदीघी, पश्चिम बंगाल में ताप विद्युत घर

4165. श्री आयनल अबेदिन :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरदीघी, पश्चिम बंगाल में, एक ताप विद्युत घर की स्थापना करने के प्रस्ताव को कई वर्षों से अब तक स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मुर्शिदाबाद में 4X500 मे.वा. क्षमता के ताप विद्युत केन्द्र जिसके अन्तर्गत चरण-I में 2X500 मे.वा. एवं चरण-2 में 2X500 मे.वा. के यूनिटों की प्रतिस्थापना की परिकल्पना की गई है, के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम से एक संशोधित परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु मार्च, 1992 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि.प्रा.) में प्राप्त हुई थी। प्रस्तावित विद्युत केन्द्र के मामले में, 1000 मे.वा. क्षमता के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा कोयला लिंकेज एवं इसकी ढुलाई, उड़न राख प्रबन्ध सम्बन्धी योजना, अन्तर विभागीय प्राधिकारियों की स्वीकृति और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुशासन आदि जैसे अन्य आवश्यक निवेशों को अभी सुनिश्चित किया जाना है। कथित स्कीम ऐसी स्थिति में नहीं है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सके और राज्य प्राधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित कि जाने तथा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

हरियाणा में पर्यटन स्थल

4166. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों में पर्यटक-स्थानों की जिला-वार सूची नहीं रखता। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निम्नलिखित यात्रा परिपथों को चरणबद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किया है :—

— (दिल्ली) सूरज कुण्ड-बड़खल-होडल-पलवल-सोहना-धारूहेड़ा-सुल्तानपुर-गुड़गांव (दिल्ली)।

— (दिल्ली) रोहतक-पानीपत-करनाल-कुरुक्षेत्र-ताजेवाला-कालेसर-सिधौरा-नारायण-गढ़ पंचकुला-पिंजौर-चंडीगढ़।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में बिजली की खपत

4167. श्री नितीश कुमार :

डा. महादीपक सिंह शाक्य।

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फैक्टरियों के मालिकों ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की दरों में तीन वर्ष तक कोई वृद्धि न करने की मांग की है;

(ख) क्या दिल्ली में विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली के दौरान होने वाली बिजली की क्षति का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षति की कुल प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दिल्ली में हो रही बिजली की चोरी के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष अनुमानत: कितने मूल्य की बिजली की होती है; और

(च) इस घाटे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) डेसू ने वर्ष 1991-92 के दौरान 19.5% के पारेषण एवं वितरण हानियां होने का अनुमान लगाया है। तकनीकी हानियों तथा वाणिज्यिक हानियों (बिजली की चोरी सहित) की पृथक-पृथक गणना करना सम्भव नहीं है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। डेसू ने बिजली की चोरी/इसके दुरुपयोग के विरुद्ध अपने अभियान को तेज कर दिया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान डेसू द्वारा 36957 मामलों की जांच की गई थी तथा बिजली की चोरी के 22783 मामलों का पता लगाया गया था। 541 मामलों में, अभियोजन हेतु पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4168. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश में, जिला-वार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान इस राज्य में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना अनुमोदित होने पर और उपस्कर तथा अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 1992-93 के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित 22 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की एक अनंतिम सूची तैयार की गई है। जिला-वार ब्यौरा और स्थानों के नाम अनुबंध-I में दिये गये हैं।

विवरण

हिमालय प्रदेश में 1991-92 (29.2.1992 तक) के दौरान स्थापित नये टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या और स्थानों के नाम

(क)

क्रम सं.	जिले का नाम	नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	स्थान
1.	बिलासपुर	1	मकरा-खरलोत
2.	चम्बा	1	खजियार
3.	हमीरपुर	1	ताल
4.	कुल्लु	1	हुरला
5.	मंडी	2	चन्देश और बाल्टूखोड
6.	शिमला	4	दुर्गापुर, बेबालिया, भराडू, शिमला, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज
7.	सिरमौर	2	शेरगांव, परारा
8.	सोलन	2	दिग्गल, कोट धूमाटी
9.	ऊना	1	नांगल, जरयाला

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की अनंतिम सूची।

क्रम. सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	स्थान
1.	हमीरपुर	3	कश्मीर, रायइस एवं कुथेरा
2.	कांगडा	4	लगक, कासवाकोटाला, आलमपुर और बघुखार
3.	कुल्लू	1	खानी खोड
4.	मंडी	4	बारोल, संधारा, चंडिमा और मडेरवार
5.	शिमला	4	घटवारी, लोवर कोटी, मन्धोल और सैंज
6.	सिरमौर	1	ब्रह्मा-पापरी
7.	सोलन	5	बलेरा, कुफ्तू, मन्झू, खाई और बदोटा

केरल में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

4169. प्रो. के. वी. थामस :

श्री थाइल आन ग्रंजलोज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोचीन और त्रिवेन्द्रम विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) भारत अन्तर-राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावनपथ, टैक्सी-पथ, एप्रन के सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल और अन्य भवनों का निर्माण, उनमें फेरबदल, हवाई क्षेत्र प्रकाश-व्यवस्था और विक्षालन उपस्करों की व्यवस्था के रूप में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 11.36 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कोचीन हवाई अड्डे के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके विस्तार की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा गया है।

कालीकट से खाड़ी के देशों के लिए उड़ानें

4170 प्रो. के. वी. थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट से खाड़ी के देशों के लिए उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने 15.2.1992 से कालीकट-शारजाह-कालीकट मार्ग पर पहले ही सप्ताह में तीन बार की सेवा शुरू कर दी है।

केरल में डीजल विद्युत केन्द्र

4171. प्रो. के. वी. थामस :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ब्रनापुरम, कालीकट केसरगढ़, डीजल विद्युत स्टेशनों को मंजूरी देने और उनके लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्रह्मपुरम, केसरगढ़ तथा वड़ाकड़ा/कोझीकोड़ में डीजल आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए केरल सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और अपनी परियोजनाओं के लिए विदेशी द्विपक्षीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। स्कीमों पर अनुमोदन और वित्तीय सहाय हेतु कार्रवाई किए जाने से पूर्व विभिन्न निवेश विशेष रूप से ईंधन-तेल सुनिश्चित किए जाने के लिए केरल सरकार को सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

खजुराहो में दूरदर्शन केन्द्र

4172. कुमारी उमा भारती :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में खजुराहो में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) खजुराहो सहित मध्य प्रदेश राज्य में दूरदर्शन सेवा के विस्तार करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। खजुराहो और देश में इसी प्रकार के क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार दूरदर्शन की भावी योजना के लिए साधनों की उपलब्धता और देश में कवर न हुए हिस्सों में सेवा के विस्तार की परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है और यह कार्य केवल चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है।

हवाई अड्डों में चोरी

4173. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान हवाई अड्डों से बड़ी मात्रा में सामान चोरी चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता हवाई अड्डों से कितने मूल्य का सामान चोरी गया है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की लघु पन-बिजली परियोजनाएं

4174. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी लघु पन-बिजली परियोजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कोई भी लघु जल विद्युत परियोजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है। 25 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिए गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

4175. डा. सी. सिल्वेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन के नाम क्या है प्रत्येक एक्सचेंज की लाइन क्षमता कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में कब तक बदला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली में जिन एक्सचेंजों को डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों मे बदला गया है उनके नाम और क्षमता विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) (I) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(II) बकाया इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों (ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं) को उनका 25 वर्ष का प्रभावी कार्यकाल समाप्त हो जाने पर चरणबद्ध रूप से डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदल दिया जाएगा।

विवरण-I

(क) ऐसे एक्सचेंजों की सूची जिनके स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगा दिए गए हैं :—

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	किस्म	कोड	क्षमता
1	2	3	4	5
1.	जोरबाग	ट्रांसवार एक्सचेंज	62	10000 लाइन

1	2	3	4	5
2.	लक्ष्मीनगर	स्ट्रोजर एक्स	24	2700 लाइन
3.	शाहदरा	—वही—	21	2100 ,,
4.	दिल्ली गेट	—वही—	20	2200 ,,
5.	दिल्ली गेट	—वही—	27	9600 ,,
6.	दिल्ली कैंट	—वही—	39	3600 ,,
7.	जनकपुरी	—वही—	55	3900 ,,
8.	शक्तिनगर	—वही—	74	5100 ,,
9.	नांगलोई	—वही—	87	600 ,,
10.	नजफगढ़	—वही—	806	500 ,,
11.	बादली	—वही—	746	600 ,,
12.	अलीपुर	—वही—	745	700 ,,
13.	नरेला	—वही—	747	700 ,,
14.	लोदी रोड	पी आर एक्स	36	3000 ,,

(ख) ऐसे एक्सचेंजों की सूची जिनके स्थान पर एनालाग इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगा दिए गए हैं।

1.	जनपथ	क्रासबार	32	6000 लाइन
2.	करोल बाग	स्ट्रोजर एक्स	36	4000 ,,
3.	ईदगाह	,,	51	9000 ,,

विवरण-II

ऐसे इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों की सूची जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डिजिटल एक्सचेंजों से बदलने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	लक्ष्य
1	2	3	4
1.	'61/69' जोरबाग	12,600 लाइन	1992-93
2.	'38' राजपथ	8,900 ,,	1992-93

1	2	3	4
3.	'58' करोलबाग	9,900 लाइन	1992-93
4.	'63' ओखला	7,000 ,,	1993-94
5.	'31' '34' तथा 35 जनपथ	8,100 ,,	1994-95
6.	'67' चाणक्यपुरी	8,400 ,,	1994-95
7.	'65' हौजखास	8,000 ,,	1994-95
8.	'56' '59' राजौरीगार्डन	11,000 ,,	1994 95

विवरण-III

ऐसे इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों की सूची जिनको 25 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाने पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाना है।

क्रम सं.	कोड	एक्सचेंज की किस्म	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	लक्ष्य
1.	52	एम एम ई	ईदगाह-II	10,000 लाइन	2001-2000
2.	73	ओ के आई	ईदगाह-III	10,000 ,,	2011-2012
3.	23	एन ई सी	तीसहजारी-II	10,000 ,,	2004-2005
4.	251/.52	एम ई सी	तीसहजारी-III	20,000 ,,	2004-2005
5.	711/712	एन ई सी	कश्मिरनगर-I	20,000 ,,	2004-2005
6.	60	एन ई सी	चाणक्यपुरी-II	10,000 ,,	2009-2010
7.	66	एन ई सी	हौजखास-II	10,000 ,,	2005-2004
8.	53	एन ई सी	राजौरीगार्डन-IV	10,000 ,,	2006-2007
9.	571	एन ई सी	करोलबाग-III	10,000 ,,	2007-2008
10.	641	एन ई सी	नेहरूप्लेस-II	10,000 ,,	2006-2007

दिल्ली में दूरसंचार उपकरण

4176. डा. सी. सिलवेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में प्राइवेट परिसरों में टेलेक्स, फैक्स आई.एस.डी. और एस.टी.डी. जैसे विभिन्न संचार उपकरण प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की जाने वाली औपचारिकताओं और इन उपकरणों के लगने के समय और बाद में जमा की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वे उपकरण किसी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. जी. रंगय्या नायडू) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली में निजी परिसरों में केवल टेलेक्स मशीनें उपलब्ध करा रहा है। तथापि यह पार्टी की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो स्वीकृत माडलों में से अपने स्वयं की मशीन भी रख सकती है। जहां तक फैक्स मशीनों का सम्बन्ध है, इन्हें महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली द्वारा प्रदान नहीं कराया जा रहा है।

निजी परिसरों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधायें महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को अनुमोदित प्रकार के एस.टी.डी./आई. एस.डी. पे-फोन लगाने पड़ते हैं जो या तो सिक्का प्रचालित/कार्ड प्रचालित होते हैं या ये एस.टी.डी. चार्ज इन्डीकेटरों सहित होते हैं।

(ख) जहां तक टेलेक्स का संबंध है महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा मशीन उपलब्ध कराये जाने के मामले में संस्थापना के समय जमा कराये जाने वाले प्रभार इस प्रकार है :

(क) आवेदन शुल्क	25 रुपए
(ख) प्रतिभूति जमा	10,000 रुपए
(ग) प्रतिवर्ष बायर भाड़ा (आरम्भ में 1 वर्ष के लिए)	3,000.00 रुपए
(घ) मशीन किराया प्रतिवर्ष (आरम्भ में 1 वर्ष के लिए)	8,000.00 रुपए
(ङ) संस्थापना प्रभार (केवल एक बार)	800.00 रुपए

यदि प्रयोक्ता अपनी स्वयं की टेलेक्स मशीन लगाता है तो (घ) में बताये गए प्रभार नहीं लिए जाते।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित टैरिफ के अनुसार काल प्रभार अलग लिए जाते हैं।

फैक्स सेवा के लिए प्रयोक्ता को अपनी स्वयं की मशीन का प्रबन्ध करना पड़ता है। उसे अपने चालू नम्बर पर फैक्स मशीन जो अनुमोदित माडल की होनी चाहिए का प्रयोग करने की

अनुमति के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। फैक्स के लिए निजी प्रयोग हेतु 3000/-रु. और व्यावसायिक प्रयोग के लिए 15000/-रु. का लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।

(ग) से (ङ) प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई फैक्स मशीन को उसके द्वारा लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान सहित सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के तुरन्त बाद संस्थापित कर दिया जाता है। बहरहाल जहां तक टेलेक्स कनेक्शनों का संबंध है, इनके व्यवहार्य होने और उपलब्ध होने पर प्रयोक्ता द्वारा आवेदन करने के 4 से 6 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जाता है।

जहां तक एसटीडी/आईएसडी पे-फोनों का सम्बन्ध है ये प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

4177. डा. सी. सिलवेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभागीय तथा गैर-विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन लगाने हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां।

विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन सामान्यतः केन्द्रीय तार घरों/विभागीय तार घरों में संस्थापित किए जाते हैं। हमने स्थानीय एवं एस टी डी पे-फोनों की संस्थापना के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाई है। इन्हें अलग-अलग व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है। उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र में अपने-अपने क्षेत्र प्रबंधकों/क्षेत्र महा प्रबंधकों को आवेदन करना होता है। पे-फोन के आबंटन के पश्चात उन्हें 9600/-रु की रकम की प्रतिभूति जमा की व्यवस्था करनी होती है और एक गारंटी देनी होती है कि वे प्रति सार्वजनिक टेलीफोन के हिसाब से कम-से-कम राजस्व, एसटीडी पीसीओ के मामले में 1600/-रु स्थानीय पीसीओ के मामले में 300/-रु. और ग्रामीण रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले स्थानीय पीसीओ के मामले में 100/-रु. देना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश सितम्बर, 1991 और दिसम्बर, 1991 में जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सौर-ऊर्जा का उत्पादन

4178. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या विद्युत और गैर-परंपराग्त ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांवों में सौर-ऊर्जा के उत्पादन की कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितने गांवों को शामिल किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सौर प्रकाश वोल्टीय प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम के एक अंग के रूप में बिना बिजली वाले ग्रामों/ग्राम झुण्डों में लघु सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 23 गांवों में ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं तथा 15 और गांवों में संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों का पता लगाना

4179. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री विजय एन. पाटिल :

श्री आर्ल फर्नांडीज :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री अमल दत्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान पता लगाये गए नए पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) पर्यटन का संवर्धन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है। उससे संबंधित स्कीमों में शामिल हैं—पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा बढ़ाना, देश में तथा प्रमुख विदेशी बाजारों, दोनों में प्रभावी प्रचार करना।

देश में पर्यटन के विकास के लिए पन्द्रह परिपथों व गंतव्य स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है। ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

विवरण

यात्रा परिपथ

1. कुल्लू-मनाली-लेह

2. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो
3. बागडोगरा-सिक्किम-दार्जिलिंग-कालिमपोंग
4. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क
5. हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरुपति
6. मद्रास-महाबलीपुरम-पाण्डेचेरी
7. ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ
8. इन्दौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-माण्डु
9. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर

गन्तव्य-स्थल

1. लक्षद्वीप द्वीप समूह
2. अण्डमान द्वीप समूह
3. मनाली (सोलंग-नाला)
4. केवल समुद्र तट
5. मुत्तुकाडू समुद्र तट
6. कांगड़ा (पौंग बांध)

विदेशों में पर्यटन कार्यालयों का मूल्यांकन

4180. श्री हरीश नारायण प्रभु झांडये :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए विदेशों में पर्यटन कार्यालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है कि विदेशी पर्यटक किस सीमा तक भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उन देशों से जहां भारतीय पर्यटन कार्यालय कार्य कर रहे हैं ; भारत आने वाले पर्यटकों का ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनसे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन करना एक सतत प्रक्रिया है । लोगों को भारत की यात्रा करने तथा बहुमूल्य आकर्षणों को देखने के लिए प्रेरित करना विदेश स्थित पर्यटक-कार्यालयों की जिम्मेदारी है ।

जिन देशों में भारतीय पर्यटक कार्यालय स्थित हैं उन देशों से गत तीन वर्षों में आए पर्यटकों का विवरण संलग्न है।

विभिन्न देशों से हुई विदेशी मुद्रा आय के अनुमान के आंकड़े अलग से तैयार नहीं किए जाते। तथापि, गत तीन वर्षों में पर्यटन से हुई कुल विदेशी मुद्रा आय के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं।—

1988-89	:	2054 करोड़ रुपए
1989-90	:	2456 करोड़ रुपए
1990-91	:	2444 करोड़ रुपए

विवरण

पर्यटक आगमन

देश	जनवरी-दिसम्बर, 89	जनवरी-दिसम्बर, 90	जनवरी-दिसम्बर, 91 (अनुमानित)
कनाडा	40,306	41,046	34,383
अमरीका	134,314	125,303	111,632
इंगलैंड	229,496	235,151	204,686
नीदरलैंड	22,716	24,353	20,211
इटली	50,751	49,194	41,316
स्पेन	20,016	18,567	15,581
फ्रांस	78,001	79,496	73,813
जर्मनी	78,531	70,346	71,091
स्विटजरलैण्ड	32,034	32,431	30,675
स्वीडन	12,781	13,281	10,535
दुबई	31,471	27,477	28,664
बहरीन	13,574	12,637	10,749
सिंगापुर	29,377	32,570	31,402
मलेशिया	33,120	34,278	32,973
थाइलैण्ड	10,576	11,877	11,757
आस्ट्रेलिया	30,443	30,076	24,151
जापान	58,707	59,122	47,234

[हिन्दी]

तमिलनाडु में समुद्री उत्पाद पर आधारित उद्योग

4181. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में समुद्री उत्पाद पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इब्राहिम सुलेमान सेट।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : महोदय, मैं आपके और सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस महीने की 21 तारीख को जब खजूरी क्षेत्र में, जो दिल्ली का एक हिस्सा है, में कुछ अनाधकृत कालोनियां गिराई जा रही थीं तब पुलिस की गोली से तीन व्यक्ति मारे गए और 50 लोग घायल हो गए। उन्हें उस क्षेत्र के हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त था जिसकी जनसंख्या 50,000 है। जब लोगों की सहायता से कालोनी गिराने का काम किया जा रहा था तब तीन व्यक्ति मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए। मेरी मांग है कि बस्ती ढहाने के इस कार्य को रोका जाना चाहिए तथा मरने वालों के नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। न केवल बस्ती ढहाने का कार्य रोका जाना चाहिए बल्कि कालोनी को नियमित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिएं। मरने वालों के नजदीकी रिश्तेदारों और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : आज चौदह दिन हो गये हैं जब से आर.पी.एफ. एसोसिएशन के महासचिव श्री ऋषि कुमार हड़ताल पर हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा

आ रही है और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने न कोई वक्तव्य दिया है और न ही आर.पी. एफ. एसोसिएशन को मान्यता देने के लिये कोई कार्यवाही की है। यह दलीय मामला नहीं है। इन युवकों पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। हम ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकते हैं। हमें उनकी जिन्दगी बचानी है और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। उनकी जिन्दगी बचाने के लिये सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर)। अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी भाग इस प्रश्न से जुड़े हुये हैं और कोई उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने इस मामले के आधार पर सदन में धरना दिया था। उस समय वह विपक्ष में थे। तीन दिन पहले तक श्री चन्द्रा उन्हीं के निवास स्थान पर उपवास पर बैठे हुये थे। अब वह वोट क्लब पर हैं। 14वां दिन है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह बहुत कृत-संकल्प एक ऐसे नेता मजदूरों के हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार ने बार बार लगातार अनेक रेल मंत्रियों ने आज फर्नान्डीज सहित वचन दिया है सदन को हम इस मामले में उचित कारवाई करेंगे और एसोसिएशन का रिकाग्नीशन देंगे। यह क्या नहीं होना चाहिये? इसके कारण इस प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाये, यह बहुत ही निन्दनीय व बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं उनका आदर करता हूं। मैंने प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन भी किया है और बातचीत भी की है। मैं यहां फिर से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करके इस उपवास को समाप्त कराय। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं, मैंने व्यक्तिगत भी उनसे निवेदन किया है, बात की है, मैं उनसे फिर से यहां पर अनुरोध करता हूं कि इस मामले में वे तुरन्त हस्तक्षेप कर और इस उपवास को समाप्त करायें। सदन की ओर से उनसे अपील की जाए कि वे अपना उपवास समाप्त कर लें और हम सभी इस विषय के बारे में सोचें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर मैं श्री आडवाणी जी से सहमत हूं। इस सभा में अनेक संकल्प रखे गए हैं। इस मामले पर सभा एकमत है। पहले भी दो बार इस मामले को उठाया जा चुका है। श्री झा को अन्तिम उपाय के रूप में आमरण अनशन रखना पड़ा है। जैसा कि श्री आडवाणी ने कहा है कि वह कृत संकल्प वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने यूं ही यह बड़ा कदम नहीं उठा लिया है। बाद में इसके गंभीर परिणाम होंगे। मेरा सदन से अनुरोध है कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करें। हम यहां दलीय नीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। समय-समय पर भिन्न-भिन्न अधिकारियों द्वारा उनके विचारों को गलत समझा गया। इसकी गलत व्याख्या की जा रही है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है और न ही उन वरिष्ठ व्यक्तियों के विरुद्ध है जो आर.पी.एफ. में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। यह एक उचित मांग है और यह अन्य बलों के समान कानून और व्यवस्था बनाए रखने सम्बन्धी बल नहीं है। यह उचित मांग है यह इसे एक कल्याणकारी संस्था के रूप में चलाना चाहते हैं। अतः इसे मान्यता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बंसल जी ने कहा है कि मैंने

इस सदन को इस संगठन की मान्यता के बारे में आश्वासन दिया था, मुझे इतना ही कहना है कि मैंने आश्वासन ही नहीं दिया था मैंने तो इस पर आदेश दिया था। मेरा आदेश रिकार्ड पर है और मुझे बहुत अफसोस है कि जो अमल होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। एक तरफ तो नौकरशाही अपने ढंग से इस चीज का विरोध करने का वहां पर काम काम करती है, लेकिन इस सदन में भी सरकार की तरफ से आगे इस काम में जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मेरी भी, अध्यक्ष जी, आपके जरिए प्रधान मन्त्री जी से विशेष तौर पर प्रार्थना है, संगठन की मान्यता को लेकर जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों को अमल करने के लिए तत्काल आदेश निकालने का काम करें। मैं भी इस बात से अपनी राय जोड़ता हूं कि झा जी अपने अनशन को छोड़ें। यह सदन उनको अपील करने के साथ-साथ प्रधान मंत्री जी भी सामूहिक तौर पर इस बात को कहे कि वे इस मसले को हल करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संकुहीम चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल भी श्री झा से इस बात का अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन त्याग दें। उनके संकल्प और स्व-उत्पीड़न का उन्होंने जो रास्ता चुना है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से रेल मंत्री सदन में यह घोषणा करें कि आर. पी. एफ संघ को मान्यता देने के बारे में वह कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो माननीय प्रधान मंत्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और यदि हमने इस मामले में रुचि न ली तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं श्री भक्त, श्री आडवाणी, श्री आर्जे फर्नान्डीज और कामरेड चौधरी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। महोदय, आदेश श्री आर्जे फर्नान्डीज द्वारा नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा पारित किया गया था। उसी रूप में उन्होंने सभा को यह आश्वासन भी दिया था। सरकार बदलती है लेकिन भारत सरकार तो चलती रहती है। सदस्य बदलते जाते हैं लेकिन संसद चलती रहती है। ऐसी स्थिति में आश्वासन पूरा किया जाना चाहिए और आदेश लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह सभा की अवज्ञा है तथा यहां पारित आदेश का उल्लंघन है। जब भूतपूर्व मंत्री ने कहा कि वह पारित कर दिया गया था तब भी सरकार चुप है। यह गम्भीर स्थिति है। अतः महोदय, कृपया आप निर्देश दीजिए ताकि मंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य दें और भूख हड़ताल समाप्त हो जाए।

श्री पी. जी. नारायणन (गोनिचेट्टि पलायम) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अच्छे कार्य के लिए यह अनशन किया है। सरकार ने पहले यह समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार ने अब तक अपना आश्वासन पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार को गंभीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करने तथा उनकी जिन्दगी बचाने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, सभा जानती है कि भारत में विदेशी धन लाने पर निर्बन्धन···(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, आपकी ओर से भी अपील की जा सकती है। यह एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जो कुछ कहलवाना है, सरकार की ओर से कहलवाएं। ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, हम अपील करते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और वे अनहोडिड जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय यह सभा का एकमत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें अपना समर्थन देते हैं और बात जहां की तहां रहती है। (व्यवधान) तो आप सरकार से कहलवाएं कि या तो तू हां कर आया न कर वा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वाजपेयी जी के मत से सहमत हूं कि हर समय स्पीकर को अपील करने के लिए कहना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट उसमें जो देखना चाहे वह देख ले और वे जो साइड पर यहां बैठे हैं वे सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुई जो कुछ कर सकते हैं, करें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, भारत में विदेशी मुद्रा लाना विदेशी अनुदान (विनियमन) अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ही हम संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य बनते हैं हमें पहला परिपत्र यही प्राप्त होता है कि कोई भी संसद सदस्य, कोई विधान सभा सदस्य अथवा कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश से कोई अनुदान नहीं लेगा अथवा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह कानून के विरुद्ध है। कल के दि संडे टाइम्स में "सीक्रट के. जी. बी. फंडस कैपट सी. पी आई. आउट आफ दि रेड" शीर्षक से एक अति गम्भीर समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1990 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को पांच लाख अमरीकी डालर दिए गए।···(व्यवधान)

यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। कोई संघ भी देश में पैसा नहीं ला सकता है। यदि कोई संघ विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है तब उसे सरकार को जानकारी देनी होती है। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तब उसे भी पूर्व अनुमति लेनी होती है। इन सबके बावजूद भी यदि पांच लाख अमरीकी डालर एक वर्ष, अर्थात 1990 में लिए गए हैं, जो भारतीय मुद्रा में 90 लाख रुपये बनते हैं, तब सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 90 और

अन्य संगठन भी हैं जिन्हें पैसा दिया गया। उसके यह जानकारी वाशिंगटन पोस्ट से लेकर छपी है और वाशिंगटन पोस्ट को यह जानकारी अमरीकी सरकारी एजेन्सी जीएओ से प्राप्त हुई है।

अतः यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है और सरकार को इसके बारे में और जानकारी देनी चाहिए। उसे यह वक्तव्य देना चाहिए कि क्या इस राशि के लिए अनुमति दी गई और वास्तव में कितनी राशि दी गई। अब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हर रोज हम यही कहते हैं कि आर्थिक संप्रभुता, वित्तीय स्वतंत्रता है। ऐसी बातें करके हम क्या कर लेते हैं? अतः मेरी मांग है कि वित्त मंत्री एक पूर्ण वक्तव्य दें कि के. जी. बी. अथवा अमरीका से इस प्रकार कितना पैसा आया है इसके अलावा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के मित्र यहां उपस्थित हैं। शायद वे भी कुछ कहना चाहें···(व्यवधान) मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की बात नहीं कर रहा हूं हालांकि पहले वे भी इसका एक अंग थे। यह धन पिछले चालीस सालों से रहा है। अतः यह अत्यन्त गंभीर मामला है और मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री भी वक्तव्य दें ताकि सभा को यह जानकारी मिल सके कि इस देश में क्या गलत हो रहा है।

अतः मैं इस पर वक्तव्य की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन के सभी सदस्यों ने पढ़ा होगा कि हमारे देश में जो जो न्यूज एजेन्सीज और न्यूजपेपर्स हैं, अब उनके लिए विदेश की एजेन्सियों को भी यहां पर एजेन्सी खोलने की अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में जो न्यूज एजेन्सीस हैं (व्यवधान) जितने अच्छे ढंग से हमारे समाचार-पत्र चला रहे हैं, (व्यवधान) मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो न्यूज एजेन्सीस हैं, दूसरे देशों के जो समाचार-पत्र हैं उनका स्तर हमारे देश की एजेन्सियों या हमारे देश के समाचार-पत्रों से अधिक अच्छा नहीं है। वहां आप देखेंगे कि सिर्फ सेक्स और वायलेंस के समाचार होते हैं, विकास कार्यों के समाचार नहीं होते। मेरा कहना है कि खासतौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को समझाया जाए, नहीं तो हमारे देश में विदेशी समाचार एजेंसियों के छा जाने से देश की संस्कृति, ग्रामीण व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, सब बिगड़ जायेगा। अतः विदेशी समाचार-पत्रों को इस देश में आने की अनुमति न दी जाये, यह अनुरोध मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, कोई इस बात को नहीं भूल सकता कि अप्रैल 1989 में एक खबर छपी थी, रेडियो से ब्राडकास्ट हुई थी वह बोफोर्स के संबंध में थी।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, सीपीआई पर जो इल्जाम लगाया गया है, उस बारे में इनको भी कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। अमरीका से प्रभावित लोग इस तरह के इलजाम लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, उस खबर ने हिन्दुस्तान के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। वैसे बोफोर्स के बारे में आज भी खबर है कि सरकार की ओर से स्वीडन की सरकार को कहा गया है कि हमको इसकी तह में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सीबीआई के आफिशियल्स वहां भेजते हैं और उससे पहले एक राजनीतिक सूचना हम उनके पास भेजते हैं, वह विषय अलग है, उस मामले में कितने पैसा दिया और कितने पैसा लिया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है लेकिन कल और आज में जो खबर छपी है, वह कोई छोटे-बहुत अमाउंट की बात नहीं है। मेरे मित्र ने जैसा कहा कि 5 साल यू एस डालर्स 1990 के वर्ष में सी पी आई को प्राप्त हुए यह भी खबर है कि उससे पहले एटलीच में 10 साल में—

[अनुवाद]

इस समाचार के अनुसार भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को 200 मिलियन डालर दिए गए और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के, जिस प्रवक्ता ने इस खबर पर विचार व्यक्त किये थे, उन्होंने इस समाचार का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा कि "हम अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक भाग है।"

मेरे पास उद्देश्यों और कारणों का कथन है जो श्री उमा शंकर दीक्षित द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो 1973 में गृह मंत्री थे, जब उन्होंने सभा के अनुमोदन के लिए "विदेशी अनुदान (विनियमन) विधेयक, 1973" रखा था। तब उन्होंने क्या कहा था ? विवरण में कहा गया है :

> "देश में व्यक्तियों और पक्ष और संगठनों द्वारा विदेशी एजेन्सियों से अनियमित तरीके से धन लेने के मामले पर चिंता व्याप्त है। यह विधेयक इस बात को ध्यान में सुनिश्चित करने लिये है कि हमारे सक्रीय संस्थान, राजनीतिक संघ, सैक्टरिक और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा विदेशी अनुदान अथवा आतिथ्य स्वीकार करने और उसके उपयोग करने को विनियमित किया जा सके।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इन पिछले 3-4 महीनों में हमने बहुत बार हिन्दुस्तान की सावरेनिटी खतरे में है, यह चार्ज अनेक बार लगाया है। मैं मानता हूं कि इस विषय में बहस चलती रहेगी कि हिन्दुस्तान की सावरेनिटी कितनी खतरे में है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह जो रिपोर्ट कल छपी है कि 1980 से लेकर 1990 तक कम्युनिस्ट पार्टी आफ इन्डिया को 200 मिलियन डालर्स मिले हैं, अगर बात सच्ची है कि 1990 के वर्ष में सीपीआई को 500 हजार डालर्स मिले हैं, तो मैं यह मानता हूं कि पिछले 45 वर्ष एक पार्टी एक प्रकार से हिन्दुस्तान की इकनामिक सावरेनिटी को अंडरमाइन करने का सिस्टेमेटिक काम करती रही है।

अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि बोफोर्स का मामला गंभीर था और इसलिये आज भी मैं सरकार

को अपराधी मानता हूं, अगर यह बात सच्ची है कि उन्होंने स्वीडन को कहा है कि हम बोफोर्स मामले की तहकीकात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके बारे में सरकार को अलग से वक्तव्य देना चाहिये। जहां तक सी पी आई के फण्ड्स का सवाल है, मैं सी पी आई एम के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट में यह बात नहीं है···(व्यवधान) अन्यथा मेरे मन में हमेशा पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में वर्षों से रहा है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरा का पूरा हिन्दुस्तान की आर्थिक और राजनीतिक सार्वभौमिकता को हमेशा के लिये खत्म करने पर तुला हुआ है और लोकतंत्र का समाप्त करने पर तुला हुआ है। अध्यक्ष जी, फारेन रेगुलेशन एक्ट के बस बारे में मुझे स्मरण है कि एक बार होम मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमय श्री चिदम्बरम जी मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम थे। वहां पर लगभग यूनेनिमस ओपिनियन थी कि हिन्दुस्तान में फारेन कंट्रीब्युशन रेगुलेशन एक्ट से कम नहीं चलेगा, फारेन कंट्रीब्युशन लगातार करोड़ो रुपयों में आ रहा है और कई प्रकार की संस्थाएं और कई प्रकार के व्यक्ति इसके पात्र हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं और उसके कारण हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र समाप्त हो रहा है। वहां पर यूनेनिमस मांग थी कि—

[अनुवाद]

विदेशी अनुदान अधिनियम के स्थान पर निकायों और व्यक्तियों को विदेशी अनुदान लेने पर पूर्ण प्रतिबन्ध अलग-अलग होना चाहिये।

[हिन्दी]

इस मामले में भी मैं नहीं जानता हूं कि सी पी आई के अलावा उस रिपोर्ट में सी पी आई का नाम है। उसमें यह भी लिखा है कि बहुत सारे इंडीविजुअल्स को भी देते रहे हैं, किन-किन पार्टीज को और किन-किन फ्रंट और आरगेनाइजेशन्स को देते रहे। मैं नहीं जानता हूं लेकिन इतना समझता हूं कि सरकार का दायित्व है कि इस मामले में जो भी जानकारी है उसके पास, वह सदन के सामने रखे और जो जानकारी नहीं है तो उसके बारे में छानबीन करके सारे तथ्य देश के सामने लाए जिस पर बहस हो सके। मैं इस मामले को बोफोर्स से कई गुना अधिक गम्भीर मानता हूं। इस मामले को छिपाने की कोशिश की गई तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे।

(व्यवधान)

श्री भोजेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मैं मलत बयानी का जवाब न देकर के जो कल समाचार आया और वाशिंगटन से आया हुआ है और मास्को का समाचार है हमारे समाचार पत्रों को (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैंने इसकी सूचना आपको दी थी उठाने के लिये और मैं आशा करता था कि आप पहले ही मुझे अवसर देंगे क्योंकि सी पी आई का मामला है। मैं, 39 वर्षों से कम्युनिस्ट हूं तब बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी बंटा नहीं हुई थी। पहले जो हमारे मित्र बोले हैं और आडवाणी जी बोले हैं और आडवाणी जी बोले हैं कि सी पी आई को प्राप्त हुआ है यह समाचार है। वह कितना भी सनसनीखेज समाचार हो, इसमें यह नहीं है कि सीपीआई को प्राप्त हुआ है। इसमें इल्जाम जो नहीं है और इल्जाम यह है कि सीपीआई को केन्द्रीय कमेटी ने कहा के के. जी. बी. को विश्व कि. तुम सीपीआई को दो। यह वहां की खबर है।···(व्यवधान) ध्यान से सुनिए। "पावा" यह कहीं

नहीं है। आडवाणी जी यहां पर विरोध पक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर दिया कि यहां पाया, इतना मामूली फर्क का भयंकर रूप नहीं आना चाहिये उनके मुंह से···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भोगेन्द्र जी ने एक बात कही है कि केजीबी को दिया कि तुम सीपीआई को दे दो। उन्होंने दिया या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है और भोगेन्द्र जी को पता नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप तुलना करें कि यह जितना कंकरीट एवीडेंस है उसकी तुलना में हम सब और आप बोफोर्स के बारे में कितना कह पाये लेकिन कुछ नहीं था। जितना कुछ था तो उसके आधार पर उन पर शंका बड़ी भारी रही लेकिन देश ने उनको माफ नहीं किया।··· (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : आडवाणी जी बीच में बोले और मैं खुशी से बैठ गया। वहां दिया और यहां पाया, इस शब्द को संशोधन कर लेते, इसको मैं आशा कर रहा था...(व्यवधान) मैं व्यक्ति रूप से आशा रखता हूं कि वे इस गलती का सुधार लें...(व्यवधान) जो जिस समाचार पत्र के बारे में कहा है ...(व्यवधान)...यह साहस किसी-किसी में होता है, जो साहस महात्मा गांधी में हुआ था ..(व्यवधान)...मुझे सुना जाये जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट आन्दोलन चूंकि सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाला है, पूरे जीवन में कई बार अभियोग आये हैं। 1943-44 में महात्मा गांधी ने भी अपने आश्रम में किसी से कहा था। एक थे उनके आश्रम में सैयद हबीब, उन्होंने तत्कालीन जाइंट सेक्रेटरी पी. सी. जोशी को कहा और गांधी जी को विदेशी पैसे के बारे में लिखा। गांधी जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्वर्गीय महादेव देसाई, सरोजनी नायडू इनको भार दिया जांच का। कम्युनिस्टों ने आफर दिया अपने अकाउंट जांचने का। तब गांधी जी ने खुलकर पत्र में पी. सी. जोशी को लिखा कि मुझ से गलती हुई, मैं गलती मानता हूं। उतने बड़े साहस की मैं आशा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बैठ गया ये फिर भी नहीं बोले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं पूरा खण्डन करता हूं कि यह झूठा समाचार है जो 1990-91 में पांच लाख डालर का आया या एक डालर का भी आया हो। आज सोवियत संघ तो खत्म हो गया, रूस के जो नेता हैं जिस तरह अमरीका के हाथों में खेल रहा है तो जरूर ऐसी बातें पैदा हो रही हैं, वे किसलिए कह रहे हैं, ये तो वही जानें। जहां तक सी. पी. आई. का सवाल है मैं चाहूंगा आडवाणीजी उसमें रहें संयुक्त संसदीय समिति का गठन कीजिए, सी. जे. पी., कम्युनिस्ट पार्टी और सभी दलों के हिसाबों की जांच हो। सी. पी. आई. की जांच बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट से आडिट होती है। जिसका आडवाणीजी ने जिक्र किया है उसको पारित करवाने में 1973-74 में मैं भी संसद का सदस्य रहा हूं और मैं उसका भागीदार हूं और सौ फीसदी कह सकता हूं कि सी. पी. आई. का पूरा हिसाब चार्टर्ड अकाउंटेंट से आडिट होता है, हमारे पास पूरा हिसाब है। आडवाणीजी और भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद 2800 रुपये प्रतिमास पार्टी लेवी के रूप में यहीं से कटाता है। मैं आशा करता हूं कि आडवाणी जी अपने दल में कुछ दिन भी चलाकर देख लें। साढ़े पांच लाख कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदस्यता फीस के अलावा सालाना लेवी देते हैं, खेत मजदूर हैं वे भी देते हैं। इसलिए यह समाचार सारी की सारी कुर्बानी और बलिदान के लिए अपमानजनक है। मैं अखबार के दोष पर नहीं जाऊंगा, उसको जहां से मिला है उसने दिया है। मैं चाहूंगा संयुक्त कमेटी गठित करें सभी दलों के हिसाबों की जांच हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। भारतीय अर्थतंत्र के सुदृढ़ीकरण में यह एक कदम ही होगा

तभी इस झूठ का खण्डन हुआ। इसलिए मैं इसका खण्डन करता हूं और कहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी सम्पूर्ण देश के लिए गौरव वाली पार्टी है। जिसने बलिदानियों का ताता लगा दिया है, शहीदों का तांता लगा दिया है। वह शुरू से लेकर आज तक चाहे कश्मीर का मामला हो, पंजाब का मामला हो, सदैव अग्रणी रही है।

जहां तक ये कहते हैं विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन का मामला है, मेरे जैसा आदमी जो भारतीय दर्शन को लेकर कम्युनिस्ट हुआ, वसुधैव कुटुम्बकम् को लेकर कम्युनिस्ट हुआ, हमें अमरीका से भी दुश्मनी नहीं है। अभी भी देश की एकता पर खतरा होता है हम याद करते हैं इब्राहिम लिंकन को और जब आजादी का मामला आता है हम वाशिंगटन को देखते हैं। लाल झण्डा भी अमरीका के मजदूरों ने अपने खून में रंगकर दिया है। हमें खतरा है जो अमरीकी पैसा है जो दुनिया को भ्रष्ट कर रहा है उसके भी हाथ जकड़ रूस के वर्तमान नेताओं पर हैं। मेरा आग्रह है और मैं पूरे जोर से खण्डन करते हुए कहना चाहता हूं इस समाचार के बारे में सर्वदलीय समिति गठित करें और सभी दलों के हिसाबों की जांच हो, यह सी. पी. आई. की ओर से भी मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : (कटवा) श्री आडवाणी एक उत्तरदायी और सम्मानीय नेता हैं लेकिन वह उस समाचार के आधार पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी सत्यता का पता नहीं लगाया गया है और उन्होंने अपने मनमें यह बात बिठा ली है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) को भी इसमें शामिल होगी और उन्हें यह जानकर अप्रसन्नता है कि ऐसा नहीं है। मुझे बहुत खेद है। लेकिन बात यह है कि मास्को से भी इसी प्रकार की आया है या, जो हमारे देश में गत अक्तूबर में छापा गया। उस समय किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आकस्मिक रूप से हुआ यह कि उस खबर को अमेरिका जाना था और व्यापक स्तर पर यह फैल गई। मुझे अचरज हुआ यह जानकर कि इसके पीछे क्या राज है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब यह विश्वसनीय हो गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री भोगेन्द्र झा ने अभी कहा है कि उनकी पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि सभी राजनैतिक दलों के वित्तीय कोष की एक सर्वदलीय पार्टी से जांच करवाई जाए। आपको याद होगा कि इस सदन में हम लम्बे अरसे से कहते आ रहे हैं कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं देश के बाहर से धन प्राप्त करते रहे हैं और इस धन का इस्तेमाल ऐसे कार्यों में किया जाता रहा है, जिनसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई फायदा नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : विश्व हिन्दू परिषद यहां है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं विश्व हिंदू परिषद या अन्य ऐसी बातों में नहीं जा रहा हूं। यह सर्वविदित है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं या इससे भी मैं संबद्ध नहीं हूं कि "हरिटेज फाउंडेशन" से कौन धन ले रहा है। लेकिन यदि जांच होती है तो इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने इस देश से वाशिंगटन की यात्रा की थी और क्या वहां सामंती

देश की राष्ट्र की आर्थिक एवं राजनैतिक संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, के विरुद्ध सुनियोजित मुहिम चलाने की साजिश की गई। हमने पेटागन दस्तावेज का मामला उठाया था। एक महाशक्ति जानती है कि अब वही एकमात्र महाशक्ति है। वे भारत पर कुछ खास परिस्थितियों में आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं।...(व्यवधान)...उन्होंने पता लगाया था कि कुछ क्षेत्रों में कतिपय परिस्थितियों में भारत पर भी आक्रमण किया जाए। हमने इस बात को यहां भी उठाया था। तब, उस महाशक्ति को अपनी छवि खराब करना पड़ा। अब यह साजिश रची गई है कि इस देश में वामपंथी दलों के विरुद्ध एक सुनियोजित मुहिम छेड़ी जाए। दरअसल, यह इसलिए ऐसा हो रहा है कि यदि वामपंथ कमजोर नहीं किया जाता है, तो साम्प्रदायिक शक्तियां इस देश में सफल नहीं हो सकतीं। हमें इसे समझ लेना चाहिए। अतः हम तैयार हैं कोष में किसी भी प्रकार की जांच के लिए। मैं सी. पी. आई. का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं। लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम इसकी मांग करते रहे हैं कि सभी राजनैतिक दलों के कोष की जांच कराई जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि वह धन कैसे प्राप्त हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाया है। विदेशों से पैसा इस देश के राजनैतिक दलों को मिले, या किसी स्वयं सेवी संस्था को मिले या किसी धार्मिक संगठन को मिले, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं श्री भोलेन्द्र झा की इस बात का सशक्त समर्थन करता हूं कि इस बात के लिए पूरी जांच होना चाहिए और सर्वदलीय समिति से जांच होनी चाहिए। इस में न केवल सी. पी. आई. बल्कि सभी राजनैतिक दलों, सभी स्वयंसेवी संगठनों और सारे धार्मिक संगठनों को इतना पैसा विदेशों से किस के पास से आया है, इसकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा है कि जिस प्रकार से इस सदन में सवाल उठाया गया और जिस प्रकार से आडवाणी जी ने बोफोर्स से जोड़ते हुए कहा कि यह बोफोर्स से भी कई गुना खतरनाक बात है, कई गुना भयानक है तो मैं कहना चाहता हूं कि बोफोर्स के मामले पर कांग्रेस पार्टी और बी. जे. पी. आपस में मिल चुके हैं और बोफोर्स को डाईल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन बक्त (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, यह एक अभिप्रेरित आक्रमण है। यह बहुत ही बुरी बात है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। वे संगीन आरोप लगा रहे हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह एक अभिप्रेरित आक्रमण है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की गंभीरता को कह रहा हूं कि किसी

की विचारधारा को अपमानित करने का, उसे बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रयास है। अखबारों में वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबर छपी है, उसको अपेटिकेट नहीं किया है और इस सवाल को उठाया है। मैं कम्युनिस्ट हूं और न कम्युनिज्म का समर्थन हूं लेकिन कम्युनिज्म विचारधारा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास मिला है। मार्क्सवाद के सदस्य प्रचार के लिए सोवियत रूस के द्वारा कोई मदद दी जाती रही है, यह देश के लिए छिपी हुई बात नहीं है जिसे आडवाणी जी उठाने जा रहे हैं लेकिन पार्टी को चलाने के लिए पैसा मिले, इस बात की जांच होनी चाहिए कि सारे राजनैतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों और सारे आर्थिक संस्थाओं के लिए एक बार जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : कृपया एक मौका मुझे भी दीजिए क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसठ) : महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा के इस सुझाव और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक निष्पक्ष समिति द्वारा राजनैतिक दलों के कोषों की जांच की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यहां तक कि स्वयंसेवी संस्थाओं के वित्तीय कोष की भी जांच की जाए।

श्री चित्त बसु : यह स्पष्ट है कि यह हमला देश में सिर्फ कम्युनिस्ट शक्तियों पर केन्द्रित है। महोदय, इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि *** .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी अन्य देश के बारे में कोई भी वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जीलिंग) : क्या यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा रहा है और इसे हटाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इसे शक के साथ देखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहा गया है। इसे शक के साथ क्यों देखा जाना चाहिए।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री चित्त बसु : मेरे कांग्रेसी मित्रों को किसी दल के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाते समय यह याद रखना चाहिए कि श्री मोयनीहान की रिपोर्ट रिकार्ड है। मैंने अभी मि. मोयदीहान का नाम लिया है। मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता। अत यह आवश्यक है कि प्रजातंत्र के हक में, उस प्रजातंत्र के हक में, जो अभी जीवित है, सी. पी. आई, बी. जे. पी., आर एस. पी. कांग्रेस आदि राजनैतिक दल। सहित सभी दलों के कोष की एक निष्पक्ष संस्था द्वारा, जांच की जानी चाहिए। अत। सभी राजनैतिक दलों के खातो का, निरीक्षण जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं वामपंथी आंदोलन में पिछले 52 सालों से जुड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : अध्यक्ष जी, राजनैतिक दलों की अहमियत उसी तरीके से है, जैसे गंगा की अहमियत गंगोत्री से है और यदि गंगोत्री गंदी हो जाए तो फिर गंगा का पानी साफ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां से सत्ता की बागडोर निकलती है वहां यदि यह चर्चा का विषय बन रहा है कि वहां विदेशी फूंड आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह देश की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है और इसीलिए मैं, जो भोगेन्द्र झा जी ने और सैफुद्दीन चौधरी जी ने और आडवाणी जी ने भी कहा, मैं उससे एक निष्कर्ष निकालता हूं और मैं इस बात की मांग करता हू कि चूंकि राजनीति में मैं जानता हूं कि किसी भी सामाजिक संगठन में कोई तीन उद्देश्य लेकर आता है। बहुत से लोग प्रिंसिपल के आधार पर आते हैं, बहुत से लोग प्रोफेशन के आधार पर आते हैं और बहुत से फैशन के लिए आते है। फैशन और प्रोफेशन के बीच में प्रिंसिपल वाले लोग मारे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से इस बात की मांग करता हूं कि और हम इस बात का समर्थन करता हूं कि कौन पोलिटिकल पार्टीज या कौन सा सामाजिक संगठन है जो विदेश से पैसा ले रहा है, जो विदेश के हाथ की कठपुतली बना हुआ है और देश की गरिमा को समाप्त कर रहा है ? आप एक सर्वदलीय समिति बनाइये और घोषणा करिये कि यदि सरकार की हिम्मत हो, सारे दल के लोग यहां बैठे हुए हैं, सब पार्टी के नेता यहां बैठे हुए है और जिनको विरोध होता है तो यही बात मानी जानी चाहिए कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए जो सभी पोलिटिकल पार्टीज के एकाऊन्ट देखे कि पैसा कहां से आता है, देशी मनी है या विदेशी मनी है।

अध्यक्ष जी, दूसरा आग्रह मैं आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं आडवाणी जी को, कि हर बात में आप बोफोर्स की मर्यादा को कम करने का काम मत करिए। इनडायरेक्टली जब आप कहते हैं कि आपकी दृष्टि में यह मामला बोफोर्स से भी ज्यादा खतरनाक है, इसका मतलब यह है कि बोफोर्स का जो घोटाला हुआ है और उसमें जो राजद्रोह का काम किया गया है आप उसको कम आंकना चाहते हैं। इसलिए बोफोर्स को अलग रखिए और इस मामले पर हम जनता दल की

तरफ से आपको सपोर्ट करते हैं और हम मांग करते हैं कि एक सर्वदलीय समिति बनाकर इसकी जांच करवाइए कि कौन-सी पोलिटिकल पार्टी का क्या खाता है और पैसा कहां से आता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कदाचित मुझे इस बयान के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि मैं वामपंथी आंदोलन में पिछले ३२ वर्षों से सक्रिय रहा हूं और मुझे गर्व होता है यह कहने में कि वामपंथी आंदोलन को श्री भगत सिंह और अंदमान कैदियों तथा अनेक ऐसे लोगों की परम्परा उत्तराधिकार के रूप में मिली है जो राष्ट्र की आजादी की वेदी पर चढ़ गए। उसी स्वर्णिम अतीत से प्रेरित होकर मैं उस पक्ष द्वारा कही गई बात का उत्तर देने के लिए उत्प्रेरित हुआ हूं। मैं किसी पर भी, यहां तक की आडवाणी जी पर भी, जो हमारे बीच हैं वामपंथी आंदोलन संबंधी अज्ञानता के लिए दोषारोपण नहीं करता। पूरे विश्व भर में फैले मार्क्सवादी आंदोलन का मूल सिद्धांत यह रहा है कि देश का कायापलट तभी हो सकता है जब आंतरिक शक्तियां परिपक्व हो जाएं। कोई भी बाह्य ताकत यह संभव नहीं कर सकती। यह विश्वास कि कोई बाहरी ताकत देश के लिए कुछ कर सकती है, मिथ्या दृष्टि पर आधारित है। पेप्सी कोला ने सिक्की में विश्व बैंक ने पेरू में परिवर्तन करवाया है। यह परिवर्तन साम्राज्यवादी करवाते हैं, जिनका विश्वास है कि बाहरी एजेंसियां परिवर्तन के लिए प्रमुख हैं। यह परिवर्तन उपनिवेशीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के सिवा और क्या हो सकता है।

हमारा कहना यह है मांग की गई है, प्रत्येक राजनैतिक दल का भिन्न भिन्न देशों से क्या वित्तीय संबंध रहा है, इसकी जांच की जाए। हमें सभी तरह के सम्बन्धों को पता करना चाहिए। हम राष्ट्र शक्ति तथा देश में अस्थिरता के विषय में बात नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रयत्न यह था कि राष्ट्र को किस तरह अस्थिर किया जाए और वह भी आजादी के तुरन्त बाद। हमें मालूम है कि किस तरह की राजनीति, नैतिकता और मतवाद ने बापू की हत्या करवाई। हमें यह भी मालूम है कि कौन सी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं और इतना ही नहीं वे सरकारी कोष का इस्तेमाल भी अयोध्या में इसी मकसद से कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के खून का एक-एक कतरा राष्ट्र को अस्थिर करने की हर कोशिश को नाकाम करेगा। यह सही कहा गया है कि चूंकि हम राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और लोगों की दयनीय हालत पर प्रश्न नहीं करते हैं तो देश में भी और देश के बाहर भी प्रत्येक लोग हमसे नाखुश हैं।

यह सही है कि उस तरफ से बार-बार यह कहा गया है कि दुनिया अब दो पक्षीय नहीं रही है। यह कहा गया है कि हमें मान लेना चाहिए कि दुनिया में अब एक ही महाशक्ति है और यह आवश्यक है कि उस महाशक्ति को संतुष्ट करने के लिए कि वामपंथी ताकतों को तोड़ा जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। और यह सब विश्व भर में होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं आपका ध्यान एक दिलचस्प बात की ओर आकर्षित करता हूं

जो कि मि. गोर्बाचोव के समय के दौरान नहीं हुई थी। यह तब हुआ था जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया।

और अब पूर्व सोवियत यूनियन से वाशिंगटन होकर खबरें आती हैं। इसी तरह का संबंध बिठाया जा रहा है, और यह संबंध बाकिफ है कि कौन-सी वह ताकत है, कौन-सा वह आंदोलन है जो चुनौती दे रहा है उस संबंध की, अर्थात् कम्युनिस्ट आन्दोलन और वामपंथी आंदोलन को (पूरे विश्व भर में) और इसलिए उठाए जा रहे हैं कि देश के अन्य सभी ज्वलन्त मामलों को किनारा कर दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह नियमित भाषण नहीं हो सकता।

श्री निर्मल कांती चटर्जी : अतः महोदय मैं संसद सदस्यों द्वारा सभी पार्टियों के कार्य कलापों और विदेशी एजेंसियों से उनके संबंधों की जांच की मांग किए बिना ऐसे मुद्दों को उठाए जाने की कड़ी निंदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुरचरण दादाहूर सिंह (संगरूर) : स्पीकर सर, मेरी कांस्टीट्यूएंसी संगरूर में एक फैक्ट्री के इंजीनियरों को मारा गया। होम मिनिस्टर साहब ने सदन में यकीन दिलाया था कि लोगों की जान माल की हिफाजत की जाएगी; उनकी स्पीच आने के बावजूद इन्नोसेंट आदमियों की किलिंग्स अभी जारी है। कुछ दिन पहले लुधियाना में कई मारे गए और उसके बाद मेरी कांस्टीट्यूएंसी मंडी अहमदगढ़ में परसों रात मासूम बच्चे औरतों और आदमियों को मारा गया।

स्पीकर सर, सरकार एक-एक लाख रुपया मुआवजा देती है, लेकिन उस मुआवजे से न तो आदमी वापस आते है और न बच्चे। सिचुएशन इतनी गम्भीर है कि लोग शहर खाली करते चले जाएंगे। पंजाब बरबाद हो जाएगा। मैं आपके जरिये सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ न कुछ नयी पालिसी, नया प्रोग्राम पंजाब के लिए दें और लोगों की जान बचाई जाये।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरदारस) : सर, भोगेन्द्र झा, जो प्रस्ताव लाए हैं, अभी जो विदेशियों के लिए और सब के लिए देश का जो दरवाजा खुला है, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हर पालिटिकल पार्टी का जो अपना अकाउन्ट है, उसकी जांच करने के लिए, हर पार्टी में से मैम्बर लेकर यह प्रस्ताव पास होना चाहिए कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो इनकी जांच कर सके सर, यह इसलिये भी जरूरी है कि अभी सारे विदेशियों के लिए, वर्ल्ड बैंक आदि के लिए देश के दरवाजे खुले हुए हैं इस समय हमारे देश की इंटिग्रिटी के लिए भी यह बहुत जरूरी है। इस समय कोई भी पार्टी पैसा देकर कम्युनल राइट करवा सकती है कोई दूसरा झगड़ा करवा सकती है, हम लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को जगा सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हर पालिटिकल पार्टी के अकाउन्ट्स को चैक किया जाए और इसके लिए पार्लियामेंट के सब पार्टियों के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सदन के समक्ष मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं

मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में अधिग्रहीत भूमि पर गिराए गये की चर्चा निर्माण करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : सर, इस पर क्या हुआ ? इस पर सारे सदन ने एक राय से कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, उसका क्या हुआ ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, सी. पी. आई. के स्पोक्समैन ने प्राम्पटली डिनाई किया है और कहा है कि यह रिपोर्ट बेसलैस है। मैं यह समझता हूं कि केवल यहां बातचीत कर के समाप्त करके मान ले, यह ठीक नहीं है। आखिर तो एक कानून है, जिस कानून के अधीन अगर किसी के पास 5 डालर भी आते हैं, तो

[अनुवाद]

उसे यह स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि उसे यह पांच डालर वहां से प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

और यहां पर तो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में या तो सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सरासर मिथ्या हैं और उनमें कोई सचाई नहीं है और अगर उसमें अंश भर भी सचाई है, तो उतनी बता दे। एक प्रपोजल है। कि जाइंट कमेटी बने जिसमें सब पार्टियों के अकाउन्ट्स को देखा जाए।

जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम तो वर्षों से कहते आए हैं कि हिन्दुस्तान के जीवन में यदि कुछ शुद्धता लानी है, तो पार्टियों के अकाउन्ट्स की जांच होनी चाहिए। लेकिन कमेटी बनाकर केवल मात्र किसी मामले को दबाने के लिए कहा जाए तो मैं उसके पक्ष में बिलकुल नहीं हूं और कमेटी केवल किसी को चुप कराने के लिए है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह सवाल फारेन फण्डस का है। अगर किसी के बारे में भी फारेन फण्ड्स का प्राइमाफेसी एवीडेंस हो, प्राइमाफेसी तस्दीक हो, उसकी जांच करवाने के लिये मैं तैयार हूं और मेरी पार्टी को तो तिनकेभर भी आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले में एक स्पष्ट और एक निश्चित आरोप लगाया गया है सार्वजनिकरूप से सी. पी. आई. के ऊपर जिसका उन्होंने खण्डन किया है, इसलिए सरकार की जवाबदारी है कि या तो उसकी पूरी जांच करवाकर इस सदन को बताए कि वह निराधार है या उसकी जांच की व्यवस्था करवाए, चाहे सर्वदलीय जांच इस मामले में हो, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार इस मामले में चुप्पी नहीं साध सकती है, सरकार को कुछ बोलना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर हम

लम्बी बहस तथा चर्चा कर चुके हैं। राजनैतिक दलों के लेखा परीक्षा संयुक्त अथवा सर्वदलीय समिति द्वारा इनकी जांच से सम्बन्धित बहुत से सदस्यों की भावनाओं को मैं समझता हूं। राजनैतिक दलों को धन उपलब्ध करवाने सम्बन्धी मौलिक मुद्दे के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव सुधारों के बारे में हम सभी राजनैतिक नेताओं के विचार विमर्श कर रहे हैं, तथा मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा अपने आप चर्चा में आ जायेगा। इसके साथ-साथ, अगर अध्यक्ष महोदय की इच्छा हो तो सरकार इसके लिए तैयार है तथा हम एक मामले पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि एक समाचार के स्रोत से सम्बन्धित काफी गहरी भावनायें हैं। यह भी विश्वास किया जा रहा है कि यह बिल्कुल असत्य है। सरकार के पास एक सम्बन्ध मे कोई विश्वस्त जानकारी नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि अगर वे उचित समझें तो हम बाद में सभी नेताओं की बैठक बुला सकते हैं ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि एक सम्बन्ध मे कैसे कार्यवाही की जाये।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, आडवाणी जी ने सर्वदलीय समिति के बारे में स्पष्ट नहीं किया है। परन्तु हम यह जानना चाहते है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि इन आरोपों की जांच करवाई जानी चाहिए अथवा नहीं। (व्यवधान) सरकार को मामले की अलग से जांच करनी चाहिए (व्यवधान)। सरकार एक मामले की जांच अलग से करे तथा सर्वदलीय समिति भी एक मामले की जांच करे। मेरे विचार में सभी राजनैतिक दलों के ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों, विभिन्न राजनैतिक संगठनों तथा निजी नियासों को भी इसकी परिधि में लाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब यह रिपोर्ट आयेगी तो सदन में एक यह चर्चा की जायेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसकी जांच अलग से होनी चाहिए। जो कार्य आया है उसकी जांच करवाइए। उसकी रिपोर्ट यहां आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस पर सदन चर्चा करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में मन्दिर के निर्माण अधिगृहीत भूमि पर बने भवनों के गिराये जाने का मामला मैंने उठाना चाहा था। हमें रिपोर्ट मिली है कि चारदीवारी का निर्माण हो रहा है। इस सम्बन्ध में शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या यह चारदीवारी मामला इसका कोई हिस्सा विवादग्रस्त भूमि पर बनाया जा रहा है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ईमारतें गिराये जाने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है।

बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही गिराया जा चुका है; सुमित्रा भवन भी गिराया जा चुका है, तथा सुमित्रा भवन के महन्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सूचना मिली है कि यह सब भवन भूमि के तीन प्लाटों में स्थित हैं : प्लाट संख्या 586 588 तथा 578, जिन में से प्लाट संख्या 568, तथा 588 विवादास्पद हैं। यह एक न्यायिक मामला है। यह भी सूचना मिली है कि एक दो दिन में संकट मोचन मन्दिर को भी गिरा दिया जायेगा तथा राम दरबार का निर्माण शिलान्यास स्थल के नजदीक चल रहा है। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया चालू होने के कारण मामला और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। सारा देश इसके कारण चिन्तित है। न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की इस प्रकार अवहेलना की गई है। यह उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इससे समस्या और बढ़ेगा तथा साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा। महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे तथा वक्तव्य दे। इसके अतिरिक्त यह भी धमकी दी जा रही है कि किसी भी विपक्ष के नेता को उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जायेगा तथा सारा क्षेत्र भा. ज पा. और वी. एच. पी. के अधिकार में है। उनके अतिरिक्त जो कि उप राजनैतिक दल तथा सरकार का समर्थन करते हैं, देश के बाकी नागरिकों के वहां जाने की अनुमति नहीं है। अब सरकार को छल बल तथा नियन्त्रण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा पर्यटन विकास की आड़ में इस प्रकार की अभिव्यक्ति चल रही है जो कि देश के तथा सांविधानिक और धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं के हित में नहीं है। इससे साम्प्रदायिक तनाव तथा सामुदायिक भावनायें और फैलेंगी। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी जावेगी। आप हर मुद्दे पर हर बार इसी तरह बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, महोदय, मैं यह चाहता हूं कि न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन हो। हम उप स्थान के लिए तैयार किए गए प्लान तथा वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जानना चाहते हैं क्योंकि बाहर के लोग उस प्लान के बारे में तथा जो ईमारतें गिराई गई हैं और जिन्हें गिराने का प्रस्ताव है, इत्यादि के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं सरकार से इस सम्बन्ध में तुरन्त वक्तव्य की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम यह मांग करते हैं कि सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी साहब आप कितनी बार बोलना चाहते हैं? मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं श्री जगजीत सिंह को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगजीत सिंह डल्हार (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्व

पूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं इससे पहले जो इस सदन में जिक्र हुआ था कि पंजाब में किलिंग्स हुई हैं, उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज बड़ा मुकद्दस दिन है। मुकद्दस दिन इसलिए कहूंगा कि आज के दिन महान शहीद भगत सिंह को फांसी हुई थी।

"शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,

वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा"

लेकिन आज जो पंजाब में हो रहा है, उसको देखकर बहुत दुख होता है। एक महीने 173 आदमियों का कत्ल हो चुका है और तीन दिनों में लुधियाना, सगरूर और अहमदगढ़ की मंडी में 12 बटालियनें मिलिट्री फोर्सिज की और 6 मिलिट्री डिवीजन की होने के बावजूद 173 कत्ल हो चुके हैं। मैं आपके जरिये देश की हुकूमत से यह विनती करना चाहूंगा कि अगर हमने इस मौके को न सम्भाला तो ऐसे हालात बन जायेंगे कि पंजाब की स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी। रस्मी तौर पर केवल होम मिनस्टिर साहब का एक बार पंजाब में जाना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इतनी सी बात नहीं चलेगी। मैं आपके जरिये यह विनती करना चाहता हूं कि 481 लोग जनवरी से लेकर आज मार्च तक मारे जा चुके हैं। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह मामला इतना गम्भीर बन चुका है कि अगर हम इस मौके को न सम्भाल पाये तो आने वाले दिन पंजाब में बहुत बुरे और बहुत काले दिन बन जाने की आशंका है। मैं आपके जरिये यह विनती करूंगा कि बुलेट टू बुलेट पालिसी पंजाब में लागू न करके कोई नई पालिसी एडाप्ट करनी चाहिए क्योंकि रोज यह चर्चा होती है कि जो पुलिस के लोग हैं वे दफ्तरों में बैठे स्कोर पूछते हैं कि कितने लोग मारे गये और दूसरी तरफ टैररिस्ट यह स्कोर पूछते हैं कि कितने इनोसेंट लोग मारे गये हैं।

1.00 म. प.

मैं देश की हुकूमत को यह विनती करूंगा, यह गुजारिश करूंगा, आपके जरिये कि कोई नया प्रोग्राम एडाप्ट किया जाए। लोगों में यह चर्चा है कि देश की हुकूमत इनडिफरेंट है, पंजाब का टाप प्रायरटी नहीं मान रही, इस को टाप प्रायरटी मानकर इसके ऊपर कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस मुद्दे पर आप हमें बोलने की अनुमति दे दीजिए·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन से यह पूछता हूं। एक सदस्य को कितनी बार बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह सुसंगत प्रश्न है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह ठीक नहीं है। अगर मैं आपको अवसर दूंगा तो बाकी सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं भी अपने विचार इस सदन में रख रहा हूं। अभी हमारे नेता विरोधी दल ने इस सदन को सूचना दी है .....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : कृपया मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आश्चर्यजनक सूचना है कि आज तक जो बहुत डींग मारते थे, वह रूस और चीन के इशारे पर चलते हुए...

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया न, उसको कितना चलायेंगे ?

श्री राम नगीना मिश्र : मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए उसको।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी और विषय पर बोलिए। इस विषय पर बोलने की अनुमति मैं आपको नहीं देता। यह मामला समाप्त हो चुका है।

दूसरे पाइण्ट पर आइये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : ठीक है। यह हमारे पर 10 आरोप लगा सकते हैं और मैं एक बात भी नहीं कह सकता। मैं एक सही बात भी नहीं कह सकता ? आप जो चाहें, वह रिकार्ड निकाल दीजिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समझते क्यों नहीं ?

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, हमारे नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा...

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने बोला, सब ने सुना, उसका जवाब भी आया। अब उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : दूसरे बोलें हैं, मैं भी बोलने का हकदार हूं। मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे पाइण्ट पर। इस पाइण्ट पर नहीं।

श्री राम नगीना मिश्र : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। तो मैं फिर निर्मल कुमार जी को भी बोलने का चांस दूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र : मुझे इस पाइण्ट पर इसलिए बोलना है कि···(व्यवधान) और नेता विरोधी दल ने···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या चल रहा है ? आप बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्या चल रहा है, यह सब ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अयोध्या के बारे में जो इश्यू उठाया गया है, उसके फैक्ट्स जरा आप जानिये।

[अनुवाद]

मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलेंगे तो सारे लोग बोलना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : मैं आपके सामने वास्तविक जानकारी रखना हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं। आपको जानकारी देने का अधिकार नहीं। अगर मैं आपको अनुमति दूंगा तो बाकी लोगों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, इनको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

वह समझ नहीं रहे है उन्हें पहले बोलने दीजिए। कृपया उससे सहयोग दीजिए।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (सोलापुर) : तब तो हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, अभी हमारे सदस्यों ने अयोध्या मंदिर के बारे में प्रकरण

छेड़ा, रशिया के बारे में प्रकरण छेड़ा, हम लोगों के बारे में प्रकरण छेड़ा और उसकी सफाई देने के लिए अगर उत्तर प्रदेश का आदमी और वह भी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित जो हुकूमत है, उसकी सफाई···

अध्यक्ष महोदय : वह आपके लीडर्स को करने दीजिए ।

श्री राम नगीना मिश्र :आपने जो आरोप लगाया है कि अयोध्या में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है । उसका जवाब हमको नहीं दीजिएगा तो मेरे साथ अन्याय होगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सब बोलिए । आप जवाब दीजए, मैं सब को बोलने का चांस दूंगा ।

श्री राम नगीना मिश्र : हमारे नेता विरोधी दल ने सूचना दी···

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने अच्छी तरह से जवाब दे दिया । आप उन पर छोड़ दीजिए । आप ग्रिप पर छोड़ दीजिये ।

श्री राम नगीना मिश्र : अभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, जो बंगाल से आते हैं, वह अयोध्या का मसला उठा सकते हैं लेकिन राम नगीना मिश्र, जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आया है, वह उत्तर प्रदेश की सफाई नहीं दे सकता ?

अध्यक्ष महोदय । अच्छा, आप भी बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : हां, हम बोलेंगे ।

मान्यवर, अभी हमारे कम्युनिस्ट साथी, जो सदैव धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उन्होंने मामला उठाया । रहते हैं, वह बंगाल में, मामला उठाया है अयोध्या का । क्या अयोध्या का मामला उठाया, आज तक वहां कोई शिकायत नहीं, कितनी धर्मनिरपेक्षता का वहां निर्वाह किया जा रहा है कि अदालत ने जो फैसला किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । अदालत के फैसले के अनुसार वहां पर जो राम भक्त जाते हैं, दर्शन के लिए, पर्यटन विभाग को सरकार ने जमीन दी है, उसको समतल किया जा रहा है...वहां पर जो घर थे, उन लोगों ने समझौता करके भगवान राम का विशाल मंदिर बनाने के लिए अपने आप हट गए हैं । उसके बाद मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा भी आदमी मिला है आपके पास आकर कहने वाला कि अयोध्या में भगवान का मंदिर उजाड़ा जा रहा है । झगड़ा इस बात का है कि भगवान का मंदिर बने, तो भगवान का मंदिर बनाने वाला भगवान का मंदिर उजाड़ेगा । सारे मुल्क को गुमराह करने के लिए हमारे कम्युनिस्ट भाई बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं । जब मामला कोई उठेगा ··(व्यवधान)·····हमें याद है, जब इंदिरा जी की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट पार्टी ··(व्यवधान)···रशिया का सहयोग रहा और उस समय दोनों की मिली-भगत थी । यह बात सही है कि रशिया का नेतृत्व हमेशा मदद करता रहा है । रशिया रुपया देता रहा है । यह बात हम समझते हैं कि जो आज उठाई गई है, उसको कल उठाना चाहिए था । आज अयोध्या के बारे में कहा गया है, वह सब अनर्गल है, गलत

है। वहां पर सारा काम अदालत के आदेश से हो रहा है और नियमबद्ध तरीके से हो रहा है। ···(व्यवधान)···

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, जब ये कांग्रेस में थे, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं उठाया।···(व्यवधान)··

श्री राम नगीना मिश्र : इस मामले को यहां पर उठाने का कोई हक नहीं है।···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी द्वारा उठाया गया अयोध्या का मामला केवल उत्तर-प्रदेश का ही मामला नहीं है। अयोध्या उत्तर-प्रदेश की संपत्ति नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हम सब इसके बारे में चिन्तित हैं। वहां राम मन्दिर के निर्माण का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद् में यह निर्णय लिया गया था और उत्तर-प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय एकता परिषद को यह आश्वासन दिया था कि न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वहां यथावत स्थिति बनाये रखी जायेगी। तदानुसार, समूचे राष्ट्र को यह आश्वासन दिया गया था कि वहां कुछ भी गैर-कानूनी नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज इस देश के लगभग सभी समाचार-पत्रों ने मुख्य-समाचार में यह कहा है कि विवादग्रस्त क्षेत्र के बाहर कुछ मन्दिरों को उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा गिराया जा रहा है। हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्य सभा के नोटिस में ला दिया गया है। क्या प्रत्येक सदस्य के लिए इस मामले को उठाया जाना जरूरी है ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, राष्ट्रीय महत्व के इस मसले पर आप हरेक सदस्य को बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। आप एक तथ्य विशेष से सभा को अवगत कराना चाहते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं अपनी पार्टी का दृष्टिकोण आपको बता रहा हूं। विभिन्न पार्टियों के सदस्यों को बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप सभी मुद्दों पर चर्चा जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको बजट पर भी तो चर्चा करनी है। मुझ बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : हम सरकार से यह मांग करते हैं कि उत्तर-प्रदेश सरकार ने जो कुछ भी साईट-प्लान अनुमोदित किया है, उसे आम जानकारी के लिये प्रस्तुत किया जाये। समूचे देश को उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित साईट-प्लान की जानकारी दें और उत्तर-प्रदेश सरकार को विवादग्रस्त-क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाये। उत्तर-प्रदेश सरकार जो कुछ भी करती है, वह न्यायालय के फैसले के अनुरूप करे। भारत-सरकार सिर्फ इतना ही आश्वासन दे। गृह-मंत्री अथवा अन्य कोई मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : मैं बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के विवादास्पद मामले पर भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को बोलने के लिये अनुमति नहीं दी है। श्री अहमद को बोलने दें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक अति-गम्भीर मामला है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। बाबरी-मस्जिद-राम जन्म भूमि मसले के कारण करीब-करीब तनावग्रस्त हुआ है। यह मामला श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा समाप्त सुलझा गया है। सामंजस्य के वातावरण को बनाये रखने के निर्देशों के कारण उत्तर-प्रदेश सरकार को दीवार निर्मित करने की कार्रवाई गैर-कानूनी और अनाधिकृत है। 4 अगस्त, 1989 को इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने पूजा-स्थल और इसके चारों ओर के क्षेत्र की यथास्थिति को भंग न करने संबंधी निर्देशादेश जारी किये गये। पुनः, जब 7 अक्तूबर, 1990 को बाबरी मस्जिद के आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, न्यायालय ने 21 अक्तूबर, 1990 को फैसला दिया था कि कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये और भूमि को स्थानांतरित न किया जाये लेकिन, अब एक सौ गज का दीवार, जिसे राम दीवार कहा जाता है, बनायी गई है। यह सरासर झूठ-कूट की दीवार है। ऐसा मस्जिद को चारों ओर से घेरने और फिर मस्जिद को गिराने के लिये किया गया है। यहां राम मंदिर के निर्माण की यही एक वास्तविक शुरुआत है।

मैं सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। केन्द्रीय सरकार को इस निर्माण कार्य को बन्द करवाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह गैर-कानूनी और अनाधिकृत निर्माण बन्द कर दिये गये हैं और शान्ति बहाल हो गई है तथा न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया गया है, तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में श्री कल्याण सिंह ने वायदा किया था कि न्यायालय के आदेशों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जायेगा और शान्ति बहाल की जाएगी तथा मस्जिद को संरक्षित रखा जाएगा। उसने हम अयोध्या से जाने का भी वायदा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं किया गया है। अब, तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि गैर-कानूनी और अनाधिकृत दीवार का निर्माण बंद कर दिया जाए और शान्ति की बहाली की जाए। इसके लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सुलेमान जी की सहायता से हो जायेगा।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : शान्ति बहाली के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं हरेक का साथ देने को तैयार हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मेरे वरिष्ठ मित्र और नेता ने जो कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच-पड़ताल करें। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि सभा में यह बताए कि आश्वासन को पूरा किया गया है अथवा नहीं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से, सरकार से केवल इतना ही अनुरोध है कि एक राज्य सरकार इस देश मे साम्प्रदायिक अहिंसा को प्रेरित करने वाली अभिकर्त्ता नहीं होनी चाहिए विशेषकर मुसलमान संप्रदाय और सभी सही सोच-विचार वाले व्यक्तियों का यह मत है कि उत्तर-प्रदेश सरकार एक अप्रत्यक्ष तरीके से मस्जिद को गिराने की कोशिश कर रही है। अतः, महोदय, श्री सोमनाथ जी ने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत-ही संबंधित और महत्वपूण मामला है। मुसलमान सम्प्रदाय की भावनाओ और इनके रोष को ध्यान मे रखते हुए, अब भारत सरकार का यह कतव्य है कि एक वक्तव्य दे। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, यह उत्तर-प्रदेश सरकार का अथवा एक पार्टी का ही मुद्दा नहीं है। उन्हें राष्ट्र को आश्वासन देना चाहिए कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह पहला प्रश्न है। दूसरे, मस्जिद अथवा इसके ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उत्तर-प्रदेश सरकार की इस मामले में कोई सर्वोच्चता नहीं होना चाहिए। केवल यही बाते मैं कहना चाहता था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, बात यह है कि मुझे पता नही है कि क्या कोई उल्लघन हुआ है। लेकिन, महोदय, विद्यमान स्थिति को बिगाड़ने तरीके अपनाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा मे समाजवाद स्थापित करने में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप प्रभावी हो रहे हैं। आप सारा समय ले रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं सारा समय नहीं ले रहा हूँ। साधारण हिसाब से यह पता चल जाएगा कि मैं सारा समय खराब नहीं कर रहा हूँ।

अतः, जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ भी जोड़ा या तोड़ा नहीं गया है। यदि सहकारी तंत्र भी उग्र होता, तो पंजाब समस्या और बढ़ जाती। मैं इसी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जिसने अर्थव्यवस्था मे अव्यवस्था की समस्याओं को और अधिक बढ़ाया है। अतः मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र मे विद्यमान सरकार को हमें यह बताए कि वहां वास्तव में स्थिति क्या है। यहीं हम मांग कर रहे हैं।

अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वहां कोई उल्लंघन हुआ है, क्या वहां स्थिति बिगाड़ी गयी है और क्या इस देश के रिसते हुए घावों पर कोई नमक छिड़का गया है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह एक ऐसा मामला है जिससे सारा देश चिन्तित है। इन महान लोकतन्त्र का धर्म निर्पेक्षता ही आधार है।

महोदय, इस संसद में, शीतकालीन सत्र के दौरान भी, हमने पूजा के सभी स्थलों की सुरक्षा और यथा स्थिति बनाये रखने के बारे मे एक कानून पारित किया था। परन्तु दुर्भाग्यवश, सभी समाचार-पत्रो में जो समाचार छपा है, वह चिन्ताजनक है। मुझे डर है कि यह उस देश की धर्म-निर्पेक्षता के आधारभूत ढांचे को ही नुकसान न पहुंचा दे।

जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब आंतरिक मानवतावाद भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शी सिद्धान्त था। परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे

माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवानी के कार्यकाल में वह असल में अपसर्जित हो गया। और जोर-शोर से शुरू हुई कार-सेवा और उसके बाद रथ-यात्रा जिसके परिणामस्वरूप बहुत ही गम्भीर और संकटमय स्थिति पैदा हो गई।

हमें इस देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है। जो कुछ भी वहां हो रहा है उसे बन्द किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और उत्तर-प्रदेश की सभी धार्मिक पूजा-स्थलों और उनके वर्तमान ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने सुना है कि सभा के सभी दलों द्वारा एक अपील की गई थी। आर. पी. एफ. एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ने आमरन-अनशन रखा हुआ है। (व्यवधान) आर. पी. एफ. एसोसिएशन की मान्यता को बहाल करने हेतु इस सभा में कई बार मांग की गई थी और आज फर्नान्डीज और उसके बाद ही अन्य सदस्यों ने भी एक निर्णय लिया था।

जब श्री रंगराजन कुमार मंगलम ने धरना दिया था, इसकी इस सभा में घोषणा की गई थी। परन्तु सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मैं सरकार से प्रत्युत्तर मांगता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम यहां मौजूद है और उन्हें आर.पी.एफ. एसोसिएशन की मान्यता की बहाली के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार जिसने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, वह इस संबंध में कोई कार्यवाही करे। श्री रंगराजन कुमार मंगलम उत्तर देने के लिए तैयार हैं (व्यवधान) मैंने इस मामले को सभा में दो बार उठाया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : यह मामला सभा में कई बार उठाया गया है। दरअसल मुझे माननीय रेल मंत्री महोदय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह इस मामले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह मामला रक्षा सेनाओं से जुड़ा हुआ है, अतएव गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा कि वह विषय पर बोलेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ओंकारनाथ दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले यह अर्ज करना है कि अयोध्या में पूर्ण शांति है, क्योंकि अखबार में यह नहीं लिखा है कि वहां किसी प्रकार की कोई अशांति है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके और इस इशू को संसद में उठा कर, लोग शांत और दंगा रहित समाज का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उत्तर प्रदेश में, उसमें बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। चाहे ह्यूमन लाइफ का लास हो जाए, लेकिन इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही इस तरह की बातें की जाती हैं और सोचा जाता है कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगा हो।

मैं समझता हूं कि इस बात को यहां पर साफ हो जाना चाहिए, इशू में दो मुख्य बातें हैं।

यह कहा गया कि इस लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, जब लैंड एक्वायर की गई, उस वक्त उसके खिलाफ रिट-पिटीशन की गई और उसमें हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि एक्वीजीशन ठीक किया गया है और उसमें उन्होंने कहा कि न तो इस लैंड को ट्रांसफर किया जाएगा और न इस पर कोई परमानेंट कन्सट्रक्शन किया जाएगा। न जमान ट्रांसफर की गई और न ही वहां पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया। जो उन्होंने तय किया था, पर्यटन विभाग ने कि हम यहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ बनाएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे, उसके लिए, कुछ करने के लिए वहां पर जमीन को समतल करना आवश्यक है, ताकि वहां पर कुछ बनाया जा सके, परमीशन लेकर बनाया जा सके, लेकिन जब तक जमीन का समतलीकरण नहीं होगा, (व्यवधान) मंदिर कौन तोड़ रहा है, मंदिर तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो वहां मंदिर बनाना चाहते हैं, वहां पर इसके लिए काम कर रहे हैं। वहां पर जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो हर बिल्डिंग के ओनर को उसका कम्पनसेशन दे दिया गया। उन्होंने बिलियंस कम्पनसेशन ले लिया और रिटन उनसे परमीशन ले ली गई।...(व्यवधान) उस जमीन में जिस जमीन के लिए सरकार ने उस लैंड को एक्वायर किया है तो उसको हाई कोर्ट ने एप्रूव कर दिया है। वहां के लोगों को कम्पनसेशन देकर के जो खड़े हुए हैं, उस सफाई के लिए एक्वायर करने के लिए हाई को दुहाई देते हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चला तो हम हाई कोर्ट के हुक्म के हिसाब से चल रहे हैं।...(व्यवधान) जो चैलेंज हुआ था तो उसको चैलेंज को कोर्ट ने नहीं एप्रूव किया है। वहां पर प्रोटेक्शन के लिये जो वाल बनायी जा रही है तो हमने उसको कभी राम दीवार नहीं कहा। आप उसको राम दीवार कहते हैं।.....(व्यवधान) आपने भारतवर्ष के हजारों-लाखों मंदिरों देखे होंगे आप में से कोई बता सकते हैं कि भारतवर्ष में किसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घेरकर के जेल की तरह बना दिया गया हो।...(व्यवधान) वहां पर जितने भक्त जाते हैं तो वे कहते हैं कि मंदिर है लेकिन चारों तरफ बाउंड्री वायर लगा हुई है जैसेकि पाकिस्तानी प्रिजनर्स को बन्द करने के लिए बना दिया गया हो।...(व्यवधान) आपका प्रोटेक्शन करना है तो ऊपर बाउंड्री वाल बना दीजिए जैसा हर मन्दिर में होता है। उसी तरह से बाउंड्री वाल कर हटकर के वहां पर बाउंड्री वाल बन रही है। बाउंड्री वाल का कन्स्ट्रक्शन किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड पर हुआ होता तो जो जरा सी बात के लिये कोर्ट में चले जाते हैं तो वे कोर्ट में चले गये होते। किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया।...(व्यवधान) मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि वहां पर किसी भी तरह से कोर्ट के आर्डर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश राम मन्दिर बनाने का प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है। वह कानून के दायरे के अन्दर रहते हुये अपने इस जनादेश को पूरा करने के लिये संकल्पित है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना वजह लम्बी बात हो जाती है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है। उसको लंबा क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

अनुवाद

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : सरकार इस पर चुप क्यों है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वैमी : सरकार को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारानन्द स्वामी (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, मन्दिर तोड़ने की बात बार-बार कही जाती है। पर मन्दिर तोड़ने की घटना नहीं घटी है। मन्दिरों में दो प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, एक चल और एक अचल प्रतिमा होती है। चल प्रतिमा हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ले आई जा सकती है। हर आस्थावान व्यक्ति अपने भवन में एक चल प्रतिमा की स्थापना करता है। जो भवन हमें अलाट हुआ तो संसद में आने के बाद उसमें मैंने गणेश जी की प्रतिमा लाकर स्थापित की है। मैं उसका उपासक हूं। जब हमारा काल समाप्त होगा तो उसको उठाकर ले जायेंगे। माननीय प्रधान मन्त्री जी कब अपने आवास में आए तो पूर्व आवास में स्थापित गणेश की प्रतिमा को लेकर आये। चल प्रतिमा हमेशा हटाई जा सकती है, अचल प्रतिमा हटाई नहीं जाती। उनको हटाने से मंदिर टूटने का कोई सवाल नहीं उठता है।...(व्यवधान)

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) अध्यक्ष जी, मैं इनको चुनौती देता हूं। मेरे पास जो अखबार है उसको सदन की टेबल पर रखता हूं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और अखण्डता को बनाये रखने के लिए हमारी सरकार पूर्णत: कटिबद्ध है, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में जो निर्णय हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उस समय दिया आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सभी दलों और राष्ट्रीय एकता परिषद के सभी सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और मस्जिद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि वास्तव में कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ ही है, क्योंकि अभी समाचार पत्रों की रिपोर्ट है। यह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्यों का पता लगायेंगे और सरकार सभा को इस संबन्ध में सूचित करेगी। मुझे विश्वास है कि जितनी जल्दी हमें इस सम्बन्ध में जानकारी मिलेगी वह संसद में उपलब्ध करा दी जायेगी, जिससे संसद सदस्यों को संतुष्टि हो सके।

श्री लालकृष्ण आडवानी (गांधी नगर) : महोदय इस विशेष मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है। वह इसे ईमानदारी से निभा रहे हैं और वह इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि न्यायालय के प्रत्येक आदेश का पालन हो। इसी कारण से भूमि के अधिग्रहण के समय भी उन्होंने उस क्षेत्र को जो विवादास्पद था, अधिग्रहण करने छोड़ दिया था। इसी 2.7 एकड़ भूमि को समतल किया जा रहा है। समतल करने के उद्देश्य—वहां जो संकट मोचन मंदिर है—उस मन्दिर के महन्त ने यह लिखकर दिया है कि उनकी जिम्मेदारी पर वह वहां से मूर्तियों को हटाना चाहेंगे। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र वह है जिसका अधिग्रहण श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने किया था और रामकथा पार्क को अपनी योजना को वह धन की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं कर पाये थे और वर्तमान सरकार उसे पूरा करने का प्रयास कर रही है। अत: आपकी

शिलान्यास के स्थान पर मन्दिर के निर्माण या रामकला पार्क के विकास पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपकी सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री आडवाणी जी को यह नहीं कहना चाहिए कि उनकी सरकार न्यायालय के आदेशों का कर्त्तव्यनिष्ठा पूर्वक पालन कर रही है, बल्कि उन्हें यह कहना चाहिए कि उनकी सरकार ईमानदारी से न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है।...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : शब्द कर्त्तव्यनिष्ठा ईमानदारी से ज्यादा असरदार है ~

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं श्री आडवाणी जी को यह आश्वासन दूंगा कि राम कला पार्क के हम विरुद्ध नहीं है। मैं केवल सदस्यों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के बारे में तथा दीवार दीवार बनाने के सम्बन्ध में उनकी भावनाओं का उत्तर दे रहा हूं तथा कुछ सदस्यों ने साईट-प्लान की मांग की थी ..(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : उत्तर प्रदेश सरकार रामकथा पार्क का जो साईट-प्लान बना रही है उसके बारे में चुप क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें अन्दर जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है ?...(व्यवधान)
श्री श्रीकांत जेना : आप उत्तर प्रदेश सरकार से नक्शा देने को क्यों नहीं कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे यह प्रतिक्रिया देखकर कुछ हैरानी हो रही है। जब मैंने यह कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र करेंगे और सभा को इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे तो मैं समझता हूं कि सदस्यों को इससे संतुष्ट हो जाना चाहिये। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है। मुझे आडवाणी जी की प्रतिक्रिया पर हैरानी है, क्योंकि मैंने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है और हम आशा करते हैं कि कोई उल्लंघन नहीं होगा। हम इस सम्बन्ध पता लगा कर सभा को सूचित करेंगे। आखिरकार यहां समाचार पत्र की रिपोर्ट मात्र का ही तो उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : श्रीमान अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र झांसी में जो रेलवे वर्कशाप है, उसमें सन 1986 में कुछ अप्रेंटिसेज को ट्रेनिंग दी गई थी और यह ट्रेनिंग लगातार तीन वर्षों तक दी गयी। इस पर रेल विभाग का लाखों रुपया शिक्षा और प्रशिक्षण पर खर्च होता है

लेकिन उसमें से केवल 75 लोगों को ही लिया गया है। रेल विभाग बार-बार यह लिखित रूप से आश्वासन देता है कि यह उसकी वचनबद्धता है कि वह अप्रेंटिसेज को नौकरी देगा। पिछले वर्ष माननीय रेल मन्त्री महोदय ने मुझे स्वयं इस सम्बन्ध में एक आश्वासन दिया था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस आश्वासन को पूरा नहीं करने के कारण जो ट्रेड अप्रेंटिसेज हैं, वे 5 मार्च से धरने पर बैठे हुए हैं जबकि रेल विभाग उनको बार-बार आश्वासन दे रहा है परन्तु एक हफ्ते से हालत यह हो गई है कि इस धरने ने उग्र रूप धारण कर लिया है। सरकार, पुलिस प्रशासन और जन-जनकर्त्ताओं में टकराव हो रहा है। दूसरी विशेष बात है कि वहां पर बैठे हुए रेल कर्मचारियों के जितने भी रेलवे संगठन हैं, उनका समर्थन मिल गया है और झांसी की जनता भी उनके सहयोग में आ गयी है। वहां का सारा वातावरण उग्र रूप धारण कर चुका है और स्थिति तनावपूर्ण हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह वचन दे कि पिछले वर्ष अप्रेंटिसेज को जो आश्वासन दिया गया था, उसको पूरा करने की घोषणा करे। अगर इसमें चूक होती है तो मैं यह कहना हूं कि हमारे क्षेत्र झांसी में एक ऐतिहासिक घटना घटित होगी जो कि समस्त रेल विभाग के प्रशासन को कलंकित करेगी।

1.31 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

[अनुवाद]

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1575/92]

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन शिलांग और विद्युत विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

"नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग और विद्युत विभाग भारत

सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1576/92]

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत की एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1577/92]

वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1992

नागरिक विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. ओ. एच. फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1992, जो 25 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा. का. नि. 36 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1578/92]

विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूर संचार विभाग एवं टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड और दूर संचार विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(6) विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1579/92]

(7) टैलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड और दूर संचार विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1580/92]

लघु बचत सम्बन्धी समिति की सिफारिशों का सारांश

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन सिंह)। महोदय, मैं लघु बचतों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के सारांश तथा उन पर सरकार के नियन्त्रण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1583/92]

1.33 म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(क) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मार्च 1992 को हुई उसकी बैठक में पारित लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक 1992 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा को 18 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 मार्च, 1992 को हुई उसकी बैठक में पारित नाभिक कीट और नाभिक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

1.34 म. प.

प्राक्कलन समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सम्बन्धी

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में प्राक्कलन समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.34½ अ. प.

याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण

(एक) 1 जनवरी 1964 से 25 मार्च 1971 के दौरान तत्कालीन पाकिस्तान से आए प्रवासियों का दिल्ली में पुनर्वास

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं 1 जनवरी, 1964 से 25 मार्च, 1971 के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों के दिल्ली में पुनर्वास के बारे में नये प्रवासी कल्याण संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष, डा. जे.सी. राय द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(दो) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम का निरसन

श्री ताराचन्द खंडेलवाल (चांदनी चौक)। महोदय, मैं दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के निरसन तथा गृह स्वामियों की समस्याओं से निपटने हेतु कतिपय सुझावों के बारे में दिल्ली प्रदेश गृह स्वामी संघ, दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष, श्री आर. सी. गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.35 अ. प.

समितियों के लिए निर्वाचन प्रस्ताव

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से

आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) लोक लेखा समिति

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1902 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप मे कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 30 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य कार्य करने के लिये निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) लोक लेखा समिति

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सह-युक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि वह 1 मई 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों

के नियम 312 ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312 ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) सरकारी उपक्रमों संबंधी

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाला अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(छः) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1992 से आरम्भ तथा

30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(असम) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो, तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई 1992 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

— ——

01.40 म. प

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) करड रेलवे स्टेशन का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (करड) : महाराष्ट्र के सतारा जिले में करड शहर एक महत्वपूर्ण व्यापार, कृषि-औद्योगिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है। यह दक्षिण मध्य रेलवे के पूना-मिराज बड़ी रेल लाइन खण्ड पर स्थित है। अन्य बातों के अतिरिक्त करड स्टेशन का प्रयोग मशीनरी के सख्त और उसकी उतराई हेतु छः बड़ी सहकारी चीनी मिलों तथा कोयना पन बिजली परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। सांगली और सतारा जिलों के हजारों विद्यार्थी, औद्योगिक मजदूर तथा आम आदमी इस स्टेशन का प्रयोग करते हैं। यह हजारों सहकारी संस्थाओं के काम भी आता है। स्टेशन की इमारत तथा इसका प्रांगण बहुत पुराने हैं तथा बहुत खराब स्थिति में है। सभी बड़ी गाड़ियां वहां रुकती हैं। इसके प्लेटफार्मों के तुरन्त नवीकरण की आवश्यकता है क्योंकि चार डिब्बे तथा कोच इस प्लेटफार्म से आगे चले जाते है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि स्टेशन के पुनरुद्धार तथा प्लेटफार्म के विस्तार के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(दो) तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि में 'लिक्विड प्रोपेशन सिस्टम सेंटर" की स्थापना के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों के पुर्नवास की आवश्यकता

श्री आर. धनुष कोडी आदित्यन (तिरुचेन्दूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र, तिरुचेन्दूर (तमिलनाडु) के महेन्द्रगिरी में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तत्वावधान में द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार ने किसानों से कई सौ एकड़ कृषि-योग्य भूमि उन्हें यह आश्वासन देकर अधिग्रहण की है कि जिन किसानों ने केन्द्र स्थापित करने के लिए अपनी भूमि दी है, उनके परिवार के सदस्यों को, जब यह इकाई चालू हो जाएगी, उचित रोजगार दिये जायें। लेकिन बड़ी चिन्ता और निराशा की बात है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस इकाई में विभिन्न पदों पर पड़ोसी राज्य से लोगों को नियुक्त कर रहा है। संगठन पहले ही केरल के तिरुवनन्तपुरम में स्थित थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र से महेन्द्रगिरि में स्थित द्रव नोदन प्रणाली इकाई में काफी संख्या में अमले को स्थानांतरित कर चुका है।

तमिलनाडु के अति-पिछड़े तीन जिलों में रह रहे लोग महेन्द्रगिरि इकाई में रिक्त पदों पर लोगों की नियुक्ति करने के बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अपनाई गई नीति तथा इस सगठन को थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अपनाई गई नीति तथा इस संगठन की थुम्बा अंतरिक्ष केन्द्र केरल से अमले के स्थानांतरण की नीति से अत्यधिक अप्रसन्न है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में तुरन्त कार्रवाई की जाये। सरकार की प्रभावित लोगों पुनर्वास करने की कार्रवाई से उन लोगों को रोजगार प्रदान करने में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अति-पिछड़े जिलों के विकास में भी सहायता मिलेगी।

(तीन) विभिन्न श्रम न्यायाधिकरणों तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष जी, अनेक राज्यों के अधीनस्था न्यायालयों में अब काम-काज हिन्दी में हो रहा है। अब निर्णय आदि भी हिन्दी में लिये जा रहे हैं। चार राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी हिन्दी के प्रयोग की छूट प्रदान कर दी गई है। किन्तु दिखाई पड़ता है कि विभिन्न ट्रिब्यूनलों में अभी भी सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है।

यदि उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की छूट दी जा सकती है तो उस प्रकार की छूट ट्रिब्यूनलों में भी देना उचित होगा।

इन ट्रिब्यूनलों के काम-काज में राजभाषा संबंधी वही नीति अपनाई जानी चाहिए जो मंत्रालयों, सम्बद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी उद्योगों आदि में लागू है। इस समय श्रम संबंधी ट्रिब्यूनलों, प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों आदि में समस्त काम-काज अंग्रेजी में हो रहा है। यह उचित होगा कि उनके प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार कार्य किया जाए।

(चार) नसीराबाद—मऊ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बढ़ती हुई यातायात की आवश्यकता की पूर्ति सड़क यातायात पर भारी दबाव व परिवहन सुविधा की दृष्टि से सड़क परिवहन को अधिक सक्षम बनाना अनिवार्य हो गया है। इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्गों का अपना विशेष स्थान है। वर्तमान में बम्बई-दिल्ली के मध्य, बाया आगरा व बाया जयपुर-अजमेर दो सड़क परिवहन मार्ग हैं, जिनमें जयपुर-अजमेर नसीराबाद मऊ होकर बम्बई का मार्ग कम दूरी का है तथा काफी सुरक्षित है। दिल्ली से नसीराबाद तथा महू से बम्बई तक राष्ट्रीय राजमार्ग है किन्तु नसीराबाद से महू का मध्य भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है जिसके लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है। इस मार्ग पर कई सीमेंट फैक्टरियां, टक्सटाइल मिलें साल्वेंट प्लांट, सी.आर. पी. एफ. आर्मी के प्रशिक्षण संस्थान हैं और इसी कारण यह मार्ग एक व्यस्ततम मार्ग है। यातायात का भारी दबाव होने से प्रायः दुर्घटनाएं भी इस मार्ग पर होती रहती हैं। निरन्तर बढ़ते हुए भारी यातायात के कारण अन्य कठिनाईयां भी हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनहित की दृष्टि से तथा राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से भी, नसीराबाद से मऊ के मध्य भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया जावे।

(पांच) असम के बारपेटा जिले में मछली पालन उद्योग को विकसित करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) महोदय, असम में बारपेटा जिला केवल कृषि प्रधान जिला है, जिसमें उद्योग नहीं है। पूरा जिला अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जिले का दक्षिणी भाग दल-दली भूमि से भरा हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बारपेटा जिला बीलों, नदियों और नीची दलदली घंसानों से भरा हुआ है। इस जिले में पंजीकृत बीलों और पंजीकृत राजस्व-नदियों की संख्या क्रमशः 25 और 17 है तथा बीज फार्मों (मत्स्य) की संख्या चार है। जैसी स्थिति फिलहाल विद्यमान है, उसमें इस जिले में मत्स्य-पालन का विकास करने की काफी सम्भावना है। यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो इससे जिले के आर्थिक विकास और बीलों और नदियों के उचित उपयोग में भी सहायता मिलेगी।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस जिले में बीलों और मत्स्य-पालन के विकास हेतु आवे आये और इस दिशा में आवश्यक पत्र उठावे।

(छ) अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य लोगो को विदेशों से सोना लाने के लिए अधिक हिदायतें दिये जाने की आवश्यकता।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी की अनिवासी भारतीयों को 15 प्रतिशत आयात-शुल्क भुगतान करके पांच किलो सोना लाने की अनुमति देने की घोषणा का जनता ने स्वागत किया है। यद्यपि, इस योजना में कुछ बाधाएं हैं।

अनिवासी भारतीयों को भारत में पांच किलो सोने की बिक्री करने पर आयकर देना पड़ता है और इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में निवासी बैंक खाते की इस प्रकार की आय को निवेश करने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। यदि सरकार अनिवासी भारतीयों को इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार का खाता खोलने और उसे जारी रखने का अनुमति भी दे देती है, तो भी आयकर अधिनियम के अनुसार अर्जित ब्याज पर कर लगता है, जबकि एफ. सी. एन. आर. खाते पर ब्याज पर कर लगता ही नहीं है। अनिवासी भारतीयों में से सोना खरीदने वालों को आयकर देना ही पड़ेगा और इसी वजह से बहुत से लोग सोना नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार सोना आयात योजना के वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे।

इसका विकल्प यह है, कि भारत और विदेशों के पर्यटकों को नाम मात्र का सीमा शुल्क अदायगी पर भारत में सोना लाने की अनुमति द दी जाए। यदि भारतीय पर्यटकों और विदेशों से भारत आने वाले पर्यटकों को भारत में नाम मात्र की शुल्क अदा कर कम से कम एक किलो सोना ही लाने की अनुमति दे दी जाती है, तो फिर स्वर्ण बाजार में अचानक मंदा नहीं आयेगा और हमारे सोने का भण्डार बढ़ जायेगा। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) चावल पर दी जाने वाली राज-सहायता पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केरल राज्य को धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते समय, देश को यह आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर राज-सहायता जारी रहेगी। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले चावल की कीमत में 88 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है क्योंकि चावल का निर्गम मूल्य बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार ने 88 पैसे की इस वृद्धि पर राज-सहायता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है और केरल सरकार यह अतिरिक्त भार वहन कर रही है। एक वर्ष में यह राशि लगभग 100 करोड़ रुपये बनती है। चूंकि केरल में राशनिंग जरूरी है, इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अतिरिक्त भार को वहन करने में केरल की सहायता की जाये।

(आठ) बिहार में कमला और बागमती नदियों पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित जानकारी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं :

नेपाल क्षेत्र से निकलकर भारतीय भू-भ बहने वाली कमला व बागमति नदियों पर बहुद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण की योजना एक लंबे समय से विचाराधीन पड़ी है। इन परियोजनाओं के नेपाल के शीतल पानी और घुमन स्थान पर निर्माण होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, असम राज्यों को सस्ती दर पर भरपूर बिजली उपलब्ध हो सकती है, वहीं बिहार का एक बहुत बड़ा भाग सदा-सदा के लिए बाढ़ के प्रकोप से बच जाएगा। इससे कृषि विकास में जो सहायता मिलेगी ही, इस क्षेत्र में हजारों परिवारों को जिन्दगी जीने का सहारा मिल जाएगा। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से सम्पर्क स्थापित करे और और परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ कर पूरा कराये और देश के लाखों लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान करे।"

1.50 म. प.

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.50 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2·54 म. प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.54 म. प. पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, बजट पर डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी-अभी मुझे नागालैंड के मुख्यमन्त्री से संदेश आया है कि कल से देश के विदेश राज्य मंत्री वहां पर बैठे हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री जार्ज फर्नान्डीज, अब हम सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि राज्य सभा का चुनाव वहां पर होना है, एक-एक **

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री आर्ले फर्नान्डीज : रिकार्ड पर कैसे नहीं आएगा।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित अवसर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आर्ले फर्नान्डीज : आपके विदेश मंत्री वहां पर थे। चेयरमेन डेलोगेशन वहां पर है, उसको लंच देना था।·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : आपका अभिप्राय क्या है। लोगों की अपने स्तर से तुलना न करें।

(व्यवधान)

2.55 म. प.

[अनुवाद]

बजट (सामान्य), १९९२ ९३ सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) बजट १९९२-९३
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९९१-९२

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 से 21 पर संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। बजट (सामान्य) पर चर्चा के लिए बारह घंटे का समय निर्धारित है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

"कि कार्य सूची के स्तम्भ चार में मांग संख्या 1 से 27,29,30,32, से 89,91,93, से98 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 5 मे दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियां से अनधिक सम्बंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेख पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष मे संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 5 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 1,2,4,5,6,7,9,11,15,16,17,18,20,24,25,26,27, 0,34,3[illegible],38,40,41,43, 44,46,47,49,51,52,54,58,60,62,65,27,70,86,78,79,81,83,84,85,87,89,83,94,96 और 97।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
1	2	3	
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	35841,00,000	1,41,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	25,27'00,000	93,43,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	62,60,00,000	
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	41,69,00,000	10,76,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	3,41,00,000	4,02,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1598,70,00,000	21,44,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन मंत्रालय	9,57,00,000	4,70,00,000
8.	पर्यटन विभाग	12,98,00,000	2,76,00,000
	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	1,75,00,000	26,00,000

1	2	3	
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	28,33,00,000	120,00,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	501,93,00,000	45,32,00,000
12.	पूर्ति विभाग	4,63,00,000	
	संचार मंत्रालय		
13.	संचार मंत्रालय	1,56,00 000	
14.	डाक सेवाएं	259,78,00,000	11,46,00,000
15.	दूरसंचार सेवाएं	880,75,00,000	669,83,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
16.	रक्षा मंत्रालय	250,46,00,000	18,96,00,000
17.	रक्षा पेंशनें	353,28,00,000	...
18.	रक्षा सेवाएं थल सेना	1489,54,00,000	...
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	170,01,00,000	...
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	421,08 00,000	...
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	352,81,00,000	...
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	1926,14,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	51,96,00,000	95,00,000
	विदेश मंत्रालय		
24.	विदेश मंत्रालय	99,52,00,000	11,50,00,000
	वित्त मंत्रालय		
25.	आर्थिक कार्य विभाग	73,66,00,000	23,32,00,000

1	2	3	
26.	करेंसी सिक्का निर्माण और स्टाम्प	66,51,00,000	30,06,00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	102,08,00 000	5435,81,00,000
29.	राज्य सरकारों को अन्तरण	945,89,C0,000	24,16,00,000
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	...	38,76,00,000
32.	व्यय विभाग	76,30,00,000	55,00,C00
33.	पेंशनें	100,02 00,000	...
34.	लेखा परीक्षा	48,60,00,000	...
35.	राजस्व विभाग	24,26,00,000	25,00,000
36.	प्रत्यक्ष कर	45,75,00,000	15 00,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	73,00,00,000	23,31,00,000
	खाद्य मंत्रालय		
38.	खाद्य मंत्रालय	441,58,00,000	23,10,00,000
	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय		
39.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	5,52,00,000	1,11,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40.	स्वास्थ्य विभाग	95,37,00,000	28,88,00 000
41.	परिवार कल्याण विभाग	183,29,00,000	3,00,000
	गृह मन्त्रालय		
42.	गृह मंत्रालय	52,77,00,000	216,00,000
43.	मंत्रिमण्डल	2,04,00,000	
44.	पुलिस	337,68,00,000	45,73,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	52,19,00,000	20,71,00,000

1	1		3
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	16,54,00,000	9,71,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	285,63,00,000	9,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	18,44,00,000	33,00,000
49.	कला और संस्कृति	21.02,00.000	...
50.	महिला और बाल विकास	81,44,00,000	17,00,000
	उद्योग मन्त्रालय		
51.	औद्योगिक विकास विभाग	52,72,00,000	32,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	6,22,00,000	48,31,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	24,00,000	...
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	53,65,00,000	32,26,00,000
	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	17,20,00,000	4,45,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	158,71,00,000	59,50,00,000
	श्रम मंत्रालय		
57.	श्रम मंत्रालय	69,91,00,000	12,00,000
	विधि और न्याय मन्त्रालय		
58.	विधि और न्याय	23,83.00,000	...
59.	कम्पनी कार्य विभाग	1,83,00,000	1,00,000
	खान मंत्रालय		
60.	खान मंत्रालय	21,84,00,000	7,13,00,000
	संसदीय कार्य मन्त्रालय		
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	20,00,00	

1	2	3	
	कार्मिक, लोक शिकायत मन्त्रालय		
62.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय	8,86,00,000	38,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय		
63.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8,70,00,000	50,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय		
64.	योजना	14,57,00,000	1,67,00,000
65.	सांख्यिकी विभाग	8,54,00,000	15,00,000
66.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	14,00,000	
	विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय		
67.	विद्युत विभाग	79,62,00,000	327,66,00,000
68.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	20,74,00,000	76,00,000
	ग्रामीण विकास मन्त्रालय		
69.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	1216,87,00,000	8,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	42,45,00,000	5,08,00,000
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	45,58,00,000	68,00,000
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	12,80,00,000	

1	2	3
	इस्पात मन्त्रालय	
73.	इस्पात विभाग	60,00,000 214,68,00,000
	जल भूतल परिवहन मन्त्रालय	
74.	जल-भूतल परिवहन	5,31,00,000 9,50,00,000
75.	सड़कें	69,12,00,000 88,09,00,000
76.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	21 82,00,000 30,73,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	
77.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	122,11.00,000 27,64,00,000
	शहरी विकास मन्त्रालय	
78.	शहरी विकास और आवास	37,35 00,000 36,11,00,000
79.	लोक निर्माण कार्य	44,61.00,000 16,52,00,000
80.	लेखन सामग्री और मुद्रण	19,90,00,000 35,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय	
81.	जल संसाधन मन्त्रालय	50;56;000 3.02,00,000
	कल्याण मन्त्रालय	
82.	कल्याण मन्त्रालय	77.50,00,000 7,15,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
83.	परमाणु ऊर्जा	85,66,00,000 82,24,00,000
84.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	65,92,00,000 25,67,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग	
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	13,14 00,000 1,28,00,000
	महासागर विकास विभाग	
86.	महासागर विकास विभाग	6,77,00,000 1,26,00,000

1	2	3	
	अन्तरिक्ष विभाग		
87.	अन्तरिक्ष विभाग	71,86,00,000	13,14,00,000
	संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
88.	लोक सभा	4,54,00,000	...
89.	राज्य सभा	1,61,00,000	...
91.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय (बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)	5,00,000	...
93.	दिल्ली	188,33,00,000	140,40,00,000
94.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	30,58,00,000	25,83,00,000
95.	दादरा और नागर हवेली	2,07,00,000	3,35,00,000
96.	लक्षद्वीप	8,38,00,000	2,15,00,000
97.	चंडीगढ़	36,10,00,000	9,04,00,000
98.	दमन और दीव	4,37,00,000	2,06,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	12967,17,00,000	0953,05,00,000

लोक सभा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए अनुकूप अनुदानों की मांगें (सामान्य)

1	2	3	
	कृषि मन्त्रालय		
1.	कृषि	280,35,00,000	...
2.	कृषि और सहकारिता विभाग को अनुदान	1,00,000	95,22,00,000

1	2	3	
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	2,00,000	21,50,00,000
	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	...	11,67,00,000
6.	उर्वरक विभाग	956,13,00,000	2,80,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय		
7.	नागर विमानन मन्त्रालय	10,13,00,000	...
	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय		
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय	...	1,00,00,000
	वाणिज्य मन्त्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	535,98,00,000	...
	संचार मन्त्रालय		
15.	डाक संचार	36,68,00,000	221,99,00,000
	रक्षा मन्त्रालय		
16.	रक्षा मन्त्रालय	139,64,00,000	...
17.	रक्षा पैंशनें	90,00,00,000	...
18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	134,77,00,000	...
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	40,49,93,000	...
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	288,23,00,000	...
	विदेश मन्त्रालय		
24.	विदेश मंत्रालय	48,09,00,000	...
	वित्त मन्त्रालय		
25.	आर्थिक कार्य विभाग	2,20,00,000	...
26.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	...	1 00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	104,18,00,000	4,00,000

1	2	3
30.	राज्य सरकारों को अन्तरण	1153,03,00,000	...
34.	लेखा परीक्षा	7,34,10,000	...
36.	प्रत्यक्ष कर	15,50,00,000	...
	खाद्य मन्त्रालय		
38.	खाद्य मन्त्रालय	246,88,00,000	...
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय		
40.	स्वास्थ्य विभाग	...	6,82,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	122,42,00,000	...
	गृह मन्त्रालय		
43.	मंत्रिमंडल	3,14,00,000	...
44.	पुलिस	135,16,00,000	1,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	...	10,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	3,00,000	...
49.	कला और संस्कृति	2,00,000	25,00,000
	उद्योग मन्त्रालय		
51.	औद्योगिक विकास विभाग	1,00,000	...
52.	भारी उद्योग विभाग	2,00,000	51,77,00,000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,00,000	...
	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय		
58.	विधि और न्याय	2,00,000	...
	खान मन्त्रालय		
60.	खान मंत्रालय	5,98,00,000	...

1	2	3	
	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय		
62.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	...	2,15,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय		
65.	सांख्यिकी विभाग	...	2,45,00,000
	विद्युत और ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत मन्त्रालय		
67.	विद्युत विभाग	1,00,000	2,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7,88,00,000	...
	सूचना परिवहन मन्त्रालय		
76.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1,00,000	28,69,00,000
	शहरी विकास मन्त्रालय		
78.	शहरी विकास और आवास	...	1,98,00,000
79.	लोक निर्माण कार्य	16,36,00,000	1,00,000
	जल संसाधन मन्त्रालय		
81.	जल संसाधन मन्त्रालय	...	4,88,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
83.	परमाणु ऊर्जा	...	1,00,000
84.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	...	1,50,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	1,00,000	...
	अन्तरिक्ष विभाग		
87.	अन्तरिक्ष विभाग	25,98,00,000	...

संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
89. राज्य सभा	84,00,000	...
गृह मन्त्रालय संघ राज्य क्षेत्र		
93. दिल्ली	11,19,00,000	8,00,000
94. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29,91,00,000	1,48,00,000
96. लक्षद्वीप	2,91,00,000	39,00,000
97. चंडीगढ़	27,32,00,000	90,00,000
जोड़	4488,37,000	437,72,03,00

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रस्तावों की चर्चा का आरम्भ करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी का यह दूसरा बजट है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव तैयार करने में काफी मेहनत की और काफी चतुराई से काम लिया है। उस दिन तो ऐसा लगा कि डाक्टर मनमोहन सिंह ने अपने नाम के अनुरूप सदन में एक मोहिनी डाल दी। जिन्होंने बजट को दूरदर्शन पर देखा, वे भी बड़े प्रभावित हुए। लेकिन यह मोहिनी, कोई भी मोहिनी, ज्यादा दिन नहीं चलती। जब मोह भंग हो जाता है तो मोहिनी टूट जाती है। जब लोग सपने के भ्रमण से फैल गई माया में से निकले तो उन्होंने देखा कि यथार्थ तो केवल खिन्न है, मगर काफी चिन्ता पैदा करने वाला है।

किसी भी बजट को और आज की स्थिति में पेश किये गये बजट को, मुख्य रूप से, दो कसौटियों में कसा जाना स्वाभाविक है-एक मुद्रास्फीति और दूसरा बढ़ती हुई बेरोजगारी। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इनफ्लेशन जो बीच में थोड़ा घटा था अब फिर बढ़ रहा है। पिछले 25 दिनों में एक प्वाइंट परसेंट इनफ्लेशन बढ़ गया है यह और आगे बढ़ेगा, इसकी आशंका है। लोग इस आशंका से पीड़ित हैं।

जहां तक बेरोजगारी को दूर करने का सवाल है, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में जनवरी लोग हैं। एग्जिट पालिसी की चर्चा हुई है, लेकिन एंट्री पालिसी का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस बात का है कि काम में लगे लोग बेरोजगार हो जायेंगे। नई लेबर फोर्स बाजार में आयेगी। रोजगार की तलाश करेगी। हम विश्व के बाजार से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। उस प्रतियोगिता के लिये हम अच्छे से अच्छा माल बनाना चाहते हैं। नई टैक्नालजी का उपयोग करना चाहते हैं। कुछ

मिला कर इसका परिणाम यह होगा कि संगठित क्षेत्र में लगे हुए, रोजगार में लगे हुए लोग कम होंगे। बीमार उद्योग अगर बन्द किये जाते हैं और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें बन्द करने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस विषय पर बाद में मैं आऊंगा। स्पष्ट है लोग रोजगार से हटाये जायेंगे।

वित्त मंत्री ने रिन्यूवल फंड की घोषणा की है। यह एक सही कदम है। लेकिन जिस तरह का

3.00 म. प.

संकट भविष्य में आता हुआ दिखाई दे रहा है और वित्त मंत्री स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि भारत की आर्थिक नाव भले ही भंवर में से निकल गई हो, लेकिन वह किनारे नहीं लगी है। वह इसके लिए समय चाहते हैं, तीन साल का समय चाहते हैं। संकट से निकलने के लिए तीन साल का समय कौन देगा ? बेकार नौजवान, जो काम की तलाश में मारा-मारा फिर रहा है, नौकरी से निकला हुआ मजदूर, खेतिहर श्रमजीवी, दलित, परिगणित जनजातियों के लोग, जो वर्षों से वंचित हैं और अन्धेरे में भटक रहे हैं, उन्हें इस बजट में कोई आशा नहीं दिखती। क्या वह तीन साल इन्तजार करें ? मैं नहीं जानता वित्त मंत्री ने तीन साल की चर्चा क्यों की है। क्या इस समय को घटाया नहीं जा सकता ? यह लोकतंत्रवादी देश है, महंगाई और बेरोजगारी, सामाजिक असन्तोष को जन्म देंगे, लोग सड़कों पर निकलेंगे, उन्हें किस आशा के सहारे धैर्य बांधने के लिए कहा जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अच्छी है कि अब अर्थनीतियों पर खुले में चर्चा हो रही है। अर्थ नीतियों को अर्थ नीतियों के रूप में देखा जा रहा है, उन्हें राजनीति के एक हिस्से के रूप में नहीं देखा जा रहा। अभी तक राजनीति हावी रहती थी। थोड़ी देर के लिए वित्त मंत्री स्वयं उस राजनीति का शिकार हो गये जब दूसरे सदन में उन्होंने सारे आर्थिक संकट के लिए वी. पी. सिंह की सरकार और चन्द्रशेखर सरकार को दोष दे दिया। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि हम सब दोषी हैं और तब मैंने कहा था कि हम सब दोषी हैंमगर सबसे अधिक दोष उनका है, जो सबसे ज्यादा शासन में रहे और उनका दोष बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल शासन में नहीं रहे। लेकिन यह दोषारोपण क्यों ? आज वित्त मंत्री से पूछा जा सकता है, जनता सरकार के दौरान आप वित्त सचिव थे और अच्छे सचिव थे, योग्य सचिव थे और इसलिए 1970 के दशक में देश विकास के वास्ते पर आगे बढ़ा। गड़बड़ी शुरू हुई 1980 के दशक में। तब वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। फिर चीफ इकोनोमिक एडवाइजर रहे। मेरे मित्र चन्द्रशेखर जी को वह सलाह दिया करते थे। पता नहीं कैसी सलाह देते थे···

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : वही बताएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, थोड़ा आप भी बता दीजिए। आज डा. सिंह वित्त मंत्री हैं। अब तक उनकी भूमि क्या थी ? क्या सरकार संकट विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और चन्द्रशेखर सरकार, जो आपके समर्थन से बनी थी, आपके बल पर टिकी थी, उसके कारण पैदा हो गया। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्धाधुन्ध खर्च और अन्धाधुन्ध ऋण, इसके कारण स्थिति बिगड़ी।

मेरे पास उस समय के वित्त मन्त्री और आज के राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन के पत्र का एक हिस्सा है, मैं उसे सुनाना नहीं चाहता, जिसमें उन्होंने कहा था कि 70 के दशक तक हमारी आर्थिक

प्रगति तेजी से हो रही थी। उन्होंने अन्न उत्पादन का हवाला दिया, औद्योगिक प्रगति का हवाला दिया, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का हवाला दिया। तो बाद में स्थिति बिगड़ी, दोषारोपण मत करिये। क्योंकि, एक तरह से ऋण को लेने से और राजनीति ने हमारी अर्थ नीति को बिगाड़ा है। मैं राजनीति को संकुचित अर्थ में कह रहा हूं, व्यापक अर्थ में नहीं। वैसे तो अर्थ नीति राजनीति का अंग है लेकिन दलगत राजनीति सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की तलाश, महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को आने वाले चुनाव की नजर में रख कर लेने की प्रवृत्ति, इससे स्थिति बिगड़ी है।

मुझे आश्चर्य है कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का फैसला कोई कैसे कर सकता है? मगर यह फैसला किया गया। स्टेट बैंक को ऋण लेने के लिए लगाया गया, जिसको लगाने की जरूरत नहीं थी। आज हमारे बैंकिंग उद्योग का हाल क्या है? राष्ट्रीयकरण सही था, गलत था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ऐसी अल्पावधि में किया गया लगता है कि आज हमारी बैंकिंग प्रणाली इनएफीसिएंसी का घर हो गई है। बैंक से अपना पैसा निकालना मुश्किल है। सरकार जो ऋण स्वीकृत कर दे, उसे प्राप्त करना कठिन है···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप तो अधिक जमा करने वाले नहीं हैं, वापसी में कैसे मुश्किल हो गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर मेरे कुछ वोटर जमा करते हैं, वह आकर रोते हैं। बैंक में काम करने वालों वालों में अगर यह भावना नहीं है कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे अगर सरकार ने अपने हाथ में लेने का फैसला किया है तो कुछ व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया है तो राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होगा। हुआ भी ऐसा ही इसके कारण ऐसे फैसले हुए, जिन्होंने हमें दिवालियेपन के दरवाजे पर फेंक दिया। अब वित्त मंत्री दावा करते हैं कि पहले से स्थिति अच्छी है और उनके भाषण और पहले के भाषण में उसकी तुलना करने के बाद तो लगा कि हां, सेक्टर कुछ बदले हुए हैं, बाहे कुछ चढ़ी हुई हैं, दो-दो हाथ करने की तैयारी है। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में कि हमारे और आपके बीच में दो-दो हाथ हों, इसकी जरूरत नहीं है। जो संकट सामने खड़े हैं, वित्त मंत्री का भाषण और उनके बजट प्रस्ताव सारे संकटों का अभाव नहीं देते।

बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या होगा? रोजगार देने में छोटे उद्योग अहम् भूमिका अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में अगर पूंजी जमाने की प्रक्रिया को देखा जाय तो छोटे उद्योग 6 गुना रोजगार उपलब्ध कराते हैं। विदेशों में निर्यात के लिए भी 40 फीसदी योगदान देते हैं। मगर नई अर्थ नीति के आने के बाद लाइसेंस, परमिट, कोटा राज खत्म करने के पश्चात्, जो सही दिशा में कदम है, जिसका हमने स्वागत किया है, छोटे उद्योगों का क्या होगा? अब विदेशी कम्पनियां आ रही हैं। वह मांग कर रही हैं कि छोटे उद्योगों के लिए उत्पादन की वस्तुयें रिजर्व नहीं होनी चाहिए।

वर्षों से हमारी नीति उनके लिए कुछ वस्तुओं का रिजर्वेशन करने की रही है। यह बात अलग है कि उस नीति पर ईमानदारी से अमल नहीं हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं- साबुन है। क्या साबुन छोटे उद्योगों में नहीं बन सकता? क्या इसके लिए बड़े भारी उद्योग की आवश्यकता है? एक बार यह फैसला किया गया, आर्य साहब को याद होगा कि साबुन छोटे उद्योग

मे बनेगा, लेकिन बड़े उद्योगों को साबुन बनाने से रोका नहीं गया और रोकने का भी एक तरीका था कि एक फेनड प्रोग्राम बनाया जाता है और उनसे कहा जाता कि आप बड़े उद्योगपति हैं, आप साबुन जैसी छोटी चीज मत बनाइये, आप बिजली का उत्पादन करिये आप इस्पात का कारखाना लगाइये, आप मशीन बनाने का कारखाना लगाइये और साबुन छोटे उद्योगों के लिए छोड़ दीजिए और धीरे-धीरे फेज आउट हो जाइए। वह तो नहीं हुआ। अब तो कोई बन्धन नहीं है। अब तो रिजर्वेशन के बारे में भी आशंका है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : एक प्रश्न पूछूं, साहब ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जरूर।

श्री मणि शंकर अय्यर : यही साबुन के क्षेत्र में हमारे एक छोटे लघु उत्पादक करसन भाई पटेल जी, जो निरमा साबुन बनाते हैं···उन्होंने लीवर मुकाबला किया और लीवर का सर्फ-साबुन फेल किया। यहां तक कि जो दो-तिहाई मार्केट है, वह करसन भाई पटेल जी के पास है बड़े मल्टी-बिलियेयर को उन्होंने हराया। फिर रिजर्वेशन करने की जरूरत क्या है ? अब सब को मदद कीजिए और इससे हमारे जो छोटे लोग हैं, वे खुद-ब,खुद ऊपर आ जायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बड़े विदेशी उद्योग की जगह, बड़ा स्वदेशी उद्योग आने वाला है और छोटे-छोटे उद्योगों पर पानी फेरने वाला है, तो सरकार क्या इस नीति पर चलने का फैसला कर रही है ? उस दिन मैंने कहा था कि हमें मोनोपाली सरकार को भी नहीं चाहिए और निजी मोनोपाली भी नहीं चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री मणि शंकर अय्यर : यह मोनोपाली नहीं छोटे लघु उद्योग हैं। (व्यवधान)···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अय्यर साहब उनका एक विराट दृष्टिकोण है, यह छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आ सकती है।

मैं मानता हूं कि छोटे उद्योगों को प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता के लिए उन्हें सक्षम तो किया जाना चाहिए, साधन मुहैया करना चाहिए। 95 प्रतिशत छोटे उद्योग टाइनी उद्योग हैं। ऐसा लगता है, मीडियम इन्टस्ट्री ने छोटे उद्योगों को निगल लिया है। अब आप कहेंगे कि मीडियम इन्डस्ट्री अगर डवेलप हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें 65 लाख की पूंजी लगी है, लेकिन पांच लाख लगाने वाला कहां जाएगा। स्व-रोजगार का क्या होगा ?

छोटे उद्योगों का जाल-क्या यह केवल कल्पना रहेगी ? छोटे उद्योग भी बीमार हो रहे हैं। लाखों छोटे उद्योग बन्द हैं। कोई उनकी चिन्ता करने वाला नहीं है। उनमें पूंजी फंसी है, उन्होंने जमीन घेरी है। उनमें काम करने वाले दूसरी जगह रोजगार नहीं पा सके हैं। क्योंकि दूसरी जगह उत्पादन के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे उत्पादन के वही तरीके हैं, जिन उद्योगों से वे टक्कर लेना चाहते हैं, उन उद्योगों के तरीके हैं। छोटे उद्योग पनपेंगे कैसे ?

क्या सरकार यह फैसला करने जा रही है कि लिबरलाइजेशन का मतलब है कि छोटे उद्योगों को भगवान की दया पर छोड़ दो और मरने दो। इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे, इसका हमें

ध्यान रखना चाहिए अगर बुनकर आत्म-हत्या करके मर जाएगा, तो देश में बिगारिया फैलेगी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है।

इसलिए परिवर्तन जरूरी है, मगर परिवर्तन के साथ कन्टीन्यूटी भी रहनी चाहिए। परिवर्तन की एक रिदम होती है-"रिदम"। एक लहर होती है, लेकिन उसमें झटका नहीं चाहिए। मुझे मालूम है, वैसे तो वित्त मन्त्री भी 'झटका' पसन्द करते है, 'हलाली' पसन्द नहीं है, लेकिन विकास की रिदम नहीं टूटना चाहिए और यह रिदम टूट रही है, बिगड़ रही है। बार-बार में वित्त मन्त्री का कर्कश स्वर और उससे भी ज्यादा कर्कश नीतियां, संगीत लहरी को तोड़ रही हैं, मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि आखिर देश इतने आर्थिक संकट में फंस गया, उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं। आखिर आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है ? निःसन्देह राजनीतिक नेता दोषी है, मगर जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, जो स्थायी सेवा में हैं, कुछ उनका भी दोष है या नहीं ? ऐसा लगता है कि पांच-छः लोग हैं, उनमें से कभी कोई नार्थ ब्लाक में से प्रधान मन्त्री सचिवालय में चला जाता है फिर नार्थ-ब्लाक में आ जाता है और फिर नार्थ-ब्लाक से निकल कर योजना आयोग में चला जाता है। फिर वहां से।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) आई.एम.एफ. चला जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आई.एम.एफ.में चला जाता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप यह क्यों भूल जाते हैं ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि आप मुझे याद दिलायें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : साथ सभी चाहते हैं। वे लोग भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, माफ करिए, आप गेट से नैगोशिएबल्स कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात करने वाले लोग कौन हैं, नेगोशियेटिंग स्ट्रेटजी क्या है ? हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये लोग कहते हैं कि बातें मत करो, हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते हैं कि ड्राफ्ट प्रस्ताव को बिना देखे, बिना विचार किए अस्वीकार कर दो। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि प्रस्तावों में ऐसी बातें हैं जो हम स्वीकार नहीं कर सकते जैसे अमरीका इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारी टैक्सटाइल के लिए अपने दरवाजे खोल दे। उन्हें अगर अपने दरवाजे बन्द करने का अधिकार है तो हमें भी अपने विकास के लिए कदम उठाने का अधिकार है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नेगोशियेटिंग स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी

ठीक नहीं है, हमारी आफेंस डिफेंस की स्ट्रेटजी होना चाहिए। जहां उन्हें दबाया जा सकता है वहां दबाना चाहिए और जहां हमें मान लेने की जरूरत है वहां मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या वही आफिसर बात करने वाले हैं जो आगे जाकर वर्ल्ड बैंक या आई एम एफ में नौकरी तलाश करने वाले हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के प्रशासन तंत्र में बड़े प्रतिभाशाली लोग है, इसमें बड़े बुद्धिमान लोग हैं, (व्यवधान) लेकिन उनके द्वारा इस देश के साथ न्याय नहीं किया गया। अब हर वित्त मन्त्री तो डा. मनमोहन सिंह जैसा आर्थिक विशेषज्ञ नहीं होता, वह तो जनता का प्रतिनिधि होता है।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मेरे विचार से यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप भारत सरकार में सेवा कर चुके अधिकारियों के बारे में यह अर्थ निकाल रहे हैं कि उनके इस देश से बाहर किसी संस्था के प्रति निष्ठा है। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि मैं इस देश की सेवा कर चुके अधिकतर अधिकारियों को जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : उनमें सभी नहीं। उनमें से अधिकतर।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मगर मैं एक आम बात कह रहा हूँ जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री महोदय, इस आर्थिक संकट के लिए राजनीतिक नेता तो जिम्मेदार है मगर उनके हर कदम को हां में हां भरने वाला अधिकारी क्या जिम्मेदार नहीं है ? मैं देख रहा हूं कि किस तरह से पब्लिक सैक्टर चलाया जा रहा है. उस दिन भी मैंने उल्लेख किया था, हम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मैं अफसरों की देश-भक्ति पर संदेह नहीं कर रहा हूं लेकिन ठकुर सुहाती कहने की इस देश में एक संस्कृति है। उन्हें गलत बात पर चेतावनी देना चाहिए। अधिकारी हमारे हितों की रक्षा की चिन्ता नहीं करेंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहता मगर कभी-कभी सोचने में इतना अन्तर हो जाता है कि व्यापक हित आंखों से ओझल हो जाते है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब लिब्रलाइजेशन हो गया है, नई टैक्स व्यवस्था आई है, स्ट्रक्चरल चेंजिस की बात है, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुए हैं लेकिन इन परिवर्तित नीतियों के लिए, टैक्स के नये ढांचे के लिए क्या लोगों को तैयार किया गया है ? क्या वित्त मंत्री को विश्वास है कि उद्योगपति और पूंजीपति और पैसे वाले अब तक जो खेल खेलते थे और उस खेल को इस आधार पर ठीक ठहराते थे कि टैक्स की दर इतनी ज्यादा है कि बिना चोरी किये काम नहीं चलता, अब ऐसा नहीं कहेंगे। क्या अब ईमानदारी से टैक्स दिये जाएंगे, क्या शासन तंत्र ईमानदारी से टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया को कड़ा करेगा, प्रभावी करेगा, प्रभावी करेगा ? इतना बड़ा हमारा देश है और इन वर्षों में हमने कोई आर्थिक विकास न किया हो, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। मगर इतने बड़े देश में सिर्फ पांच हजार लोग हैं जो पांच लाख से ज्यादा आमदनी के कोटे में आते हैं, टैक्स देने के लिए। एक बड़े पूंजीपति ने कहा कि मैंने तो 95,000 रु. टैक्स दिया है, साल भर में। मंत्रिमंडल में ऐसी स्थिति थी, ब्राजील में ऐसी स्थिति थी, मगर मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ

क्या, एक राष्ट्रपति आया उसने कठोर कार्यवाही की। मैक्सिको का धन अमेरिकी बैंकों में जमा होता था, अमेरिकन बैंकर्स ने जो आंकड़े दिये हैं वह आंखें खोलने वाले हैं। उसने 10 बड़े उद्योगपतियों को जेल में बन्द कर दिया। मैं यहां किसी को जेल में बन्द करने की बात नहीं करता, लेकिन क्या वित्त मंत्री यह समझते कि अगर लिबरलाइजेशन का टैक्स घटने का 40 पर्सेन्ट टैक्स की चोरी चलाने वाले उद्योगपतियों ने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। टैक्स वसूल करने की पद्धति कैसे कड़ाई बरती जाएगी ? अब माफी नहीं मिलनी चाहिए। देश में एक्सेस सबसिडी कोई देश के ऊपर अहसान करना नहीं है। देश के आर्थिक विकास में योगदान देना अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैंने कहीं पढ़ा था, वित्त मंत्री जी ने स्विट्जरलैंड से कहीं चर्चा की और जब फारेन एक्सचेंज की कमी की बात होने लगी तो स्विस बैंकर्स ने कहा कि आपके यहां का धन बाहर जा रहा है और यहीं बैंकों में जमा हो रहा है। अब तो खुली छूट दी गई है। क्या इस खुली छूट का उद्योगपति, व्यापारी, पूंजीपति गलत उत्तर देंगे ? अब तो चीते को बन्धन मुक्त कर दिया गया है, अनचेण्ड दी टाइगर, चीता बन्धन मुक्त हो गया है, अब वह सही शिकार लगाए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कहीं आदमखोर न हो जाए, इसकी चिन्ता मुझे हो रही है। इस दृष्टि से सरकार को सावधान रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि धनी लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है ? 1990-91 में 5000 लोगों ने 5 लाख से ज्यादा आमदनी घोषित की है, लेकिन टाटा ने एक नई गाड़ी निकाली है और उस गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपया है, 6000 लोग उस गाड़ी को खरीदने के लिए अपना नाम लिखा चुके हैं और 25000 एडवांस दे चुके हैं। अब यह स्थिति मेरी समझ में नहीं आती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5 अगस्त 1991 के अपने भाषण में 3 बातें कही थीं। मैंने कहा था कि वर्तमान आर्थिक संकट के लिए ओवर इनवाइसिंग आफ इंपोर्ट अण्डर इनवाइसिंग आफ एक्सपोर्ट तथा सोने की स्मगलिंग, ये चीजें जिम्मेदार हैं। जहां तक ओवर इनवाइसिंग आफ इंपोर्ट और अण्डर इनवाइसिंग आफ एक्सपोर्ट रोकने की बात है, जो सुझाव मैंने दिए थे, उन पर सरकार ने अमल नहीं किया। सरकार कहेगी कि हमने सब कुछ डाल दिया है, लेकिन फिर भी आवश्यकता बनी रहेगी। इतना हमको कितना इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसमें धांधली न होने पाए, ईमानदारी के साथ इंपोर्ट-एक्सपोर्ट व्यापार चले, इस दृष्टि से कुछ कदम उठाने जरूरी होंगे।

लेकिन मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने स्वर्ण बांड जारी करने का हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। एक साल पहले क्यों नहीं स्वीकार कर लिया है। एक साल पहले क्यों नहीं स्वीकार किया, उन्होंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझने से इन्कार कर रहा हूं। बात मेरे गले के नीचे पूरी नहीं उतर रही है, लेकिन स्वर्ण की तस्करी को रोकना बहुत जरूरी था। जो एन आर आई देश में आना चाहते हैं, अगर अपने साथ स्वर्ण लाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति उनको होनी चाहिए। एक रीजनेबल ड्यूटी लेकर अनुमति दी जानी चाहिए, यह सुझाव चर्चा में दिया गया था, साल बीत गया, अब माना गया है, देर आयद-दुरुस्त आयद, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन रास्ता भटक कर फिर कहीं और न चला जाए, इसका डर मेरे अन्दर पैदा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में बड़ी मात्रा में इतना सोना है। अब स्वर्ण बांड जारी हो रहे हैं, विदेशों से सोना लाने की छूट दी गई है। इससे हवाला बाजार में संकट पैदा हो गया है। जहां से सोना तस्करी के रूप में आता था, वहां हड़कम्प मचा हुआ है। विदेशों में सोने की कीमत गिर गई है, यह कीमत और गिरेगी। हम दोनों ने हिसाब लगाया है कि अब दस ग्राम पर, हर दस ग्राम सोने की खरीद पर एक भारतीय को आठ सौ करोड़ रुपये कम देने पड़ रहे। इतनी कीमत घट गई है, यह पच्चीस दिन में हो गया है। अगर, एक टन के हिसाब से जोड़े तो आठ करोड़ की बचत होगी। एक सौ पचास टन सोने का उपयोग देश में होता है। अगर, उसका हिसाब लगाया जाए तो बारह सौ करोड़ रुपये के बचत की संभावना है। देश में कितना सोना है, इसका अलग-अलग अनुमान है, 7.00 टन है। हमारा कहना है कि 10 हजार टन सोना देश में है। अगर उसमें से दो दो हजार टन बाण्ड में आ जाए और मुझे लगता है कि आ जायेगा। वित्त मंत्री ने जो सुविधायें दी है, वह सुविधायें पर्याप्त हैं। अगर हम दो हजार टन सोना इकट्ठा कर सके तो आर्थिक संकट को बहुत दूर तक हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभियान की आवश्यकता होगी।

मैंने सुझाव दिया था कि इस स्वर्ण अभियान में समाज को शामिल करना, सभी संगठनों को जोड़ना बहुत जरूरी है। यह केवल सरकारी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इसे जन-आन्दोलन का रूप दिया जा सकता है। हम अभी भारत डिफाल्टर न हो, इतना लक्ष्य रखकर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। ऋण मुक्त भारत की स्थापना करना, उसकी रचना करना। जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को पूरा करना। हमें ऋण मुक्त भारत चाहिए। आज, हम 32 हजार करोड़ रुपया हम ब्याज में दे रहे हैं। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह का ब्याज शामिल है। भारत को ऋण मुक्त किया जा सकता है। यह असंभव नहीं है। देश में पूंजी है। संकट के समय इस देश में पूरी ताकत के साथ खड़े होने की शक्ति भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम देश को अनुप्राणित करने के लिए सही नीति अपनाएं।

मैंने, छोटे उद्योगों की बात कही है। बड़े उद्योग भी बीमार हैं। मैं, कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन, उन सारे बीमार बड़े उद्योगों को बी.आई.आर.एफ. के जिम्मे छोड़ा जा रहा है। वह स्वयं बीमार नहीं हैं। क्या, वह अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन करने में समर्थ है? क्या उसके पूरे सदस्य हैं? क्या बैठने के लिए दफ्तर है? क्या स्टाफ है? क्या इसमें और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। 56 बड़े उद्योगों को जो बीमार हो गए हैं, उस संस्था के जिम्मे सौंप दिया है। वह कैसे न्याय करेगी। पब्लिक सैक्टर है, प्राईवेट सैक्टर की बात नहीं है। लोग कहां है? मुझे लगता है कि पहले इस संस्था को स्ट्रीम-लाइन करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा।

मैं चाहता हूं कि एक बात और हो। खेत में पैदा होने वाली फसल का दाम तय करते समय हम लागत का विचार करते हैं और करना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रीयल गुड्स की कीमत पर जब विचार होता है तो क्या उसका लागत के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए? क्या इसका विचार किया जाता है, कहां किया जाता है, क्या अनाप-शनाप मुनाफा कमाने की छूट चाहिए। मैं कट्रोल की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाजार में मिलने वाले एक औद्योगिक माल की कीमत का आधार क्या होना चाहिए? मैं सवाल करता रहा हूं पार्लियामेंट में सरकार उत्तर देती रही है, कहती रही है कि इस बारे में जो भी जांच की जाती है, जो भी आंकड़ें इकट्ठे किये जाते हैं उनको बताया नहीं जायेगा। क्यों? कृषि में जो को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके

अकाउंटेंट रखे जाते हैं, आडिट होता है। सार्वजनिक प्रकाशन होता है। कारखानों के बारे में यह बात क्यों नहीं अपनाई जा सकती। शृंगार प्रसाधन की चीजें बनाने वाले 1400 प्रतिशत मुनाफा कमा रहे हैं। मैं जानता हूं वित्त मंत्री को इसकी चिन्ता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी है। उन्होंने कहा है कि हमें अनियंत्रित उपभोक्तावाद और पश्चिम के समृद्ध देशों की विलासपूर्ण शैली की नकल नहीं करनी चाहिए : आडम्बरपूर्ण उपभोग को कारगर ढंग से हतोत्साहित करना चाहिए। किफायत के गुणों को बल देना चाहिए। ये उनकी भावनायें बहुत अच्छी हैं, बहुत ऊंची हैं। अनलिमिटेड कंजुमरिज्म इस गरीब देश को पता नहीं कहां ले जायेगा। लेकिन इसे रोकने का क्या तरीका है ? सरकारी टेलीविजन, बड़ी-बड़ी कम्पनीज के विज्ञापन से अपना काम चलाने वाले अखबार, विज्ञापन एजेंसीज अनलिमिटेड कंजुमरिज्म का प्रचार कर रहे हैं। यह तो टेलीविजन सरकार के नियंत्रण में है तब यह हालत है, अभी केबल आ रहा है, स्टार आ रहा है, आ गये हैं विलास की चीजें देखेंगे, लोग झोंपड़ियों में बैठकर देखेंगे, भले ही घर में बच्चे को पिलाने के लिए दूध न हो, लेकिन शैम्पू खरीदा जायेगा वह शैम्पू जो रंगीन टेलीफोन टेलीविजन पर आकर्षक मुद्रा के साथ दिखाया जायेगा, वहां से वह गरीब के घर में भी पहुंच जायेगा···

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको शैम्पू और शैम्पेन में अन्तर बताना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आपने शैम्पेन कह दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने शैम्पेन नहीं कहा, जिनको शैम्पेन से प्रेम है उनको लगा कि मैंने शैम्पेन कह दिया।

जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

श्री भोगेन्द्र झा : कम से कम आकर्षक मुद्रा के फेर में जो नहीं पड़े उनको चिन्ता होनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिए कोई कारगर स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। मैं चाहता हूं कि यह केवल सत्ता पक्ष का ही सवाल है। जो करोड़ों की संख्या में मध्य वर्ग तैयार हो गया है, इसकी आशायें हैं, उसकी मांगें हैं, उसकी अपेक्षायें है, उसके तकाजें है और अगर ऊपर से नेतृत्व के स्तर पर मितव्ययिता नहीं है, अगर संयम नहीं है, अगर सरकारी खर्चों में कटौती करने का दृढ़ संकल्प नहीं है, और उस संकल्प को अमल में लाने की रणनीति नहीं है तो कोई बात बनने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने उस दिन अपने भाषण में काफी तालियां पिटवाई, यह तो मानना पड़ेगा। चौड़ा दिया और सन्यवाद ज्यादा लिया। लेकिन आयकर की छूट देने में उन्होंने काफी कंजूसी दिखाई है। अब अगर 2 हजार से 22 हजार करना था और उसके साथ-साथ जो अन्य सुविधायें 80 सी.सी.ए. 80 सी.सी.डी, 80 एल. इनको अगर वापस लेना था तो सीमा बढ़ाना ही ठीक

रहता वह तो ऐसे ही हुआ, फिर मुझे मनमोहन की याद आ रही है कि गोपियां कुछ समझने लगी थीं मगर कृष्णमोहन ने ऐसी मोहिनी फैंकी कि कपड़े भी गायब हो गये। यह चीर-हरण का आधुनिक संस्करण है। चीवे जी चले थे छब्बे बनने, दुबे ही रह गये। दुबे दुबे। क्या इसका औचित्य है? आप को याद होगा कि पहले छूट की सीमा पन्द्रह हजार थी, फिर अट्ठारह हजार हुई। समय के साथ बढ़ती। अब मंहगाई बढ़ रही है, प्राईस इंडेक्स कहां पहुंच गया है? अब तो 48 हजार तक छूट देने की हमारी मांग ठीक है लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि उनको कठिनाई है। वे कहते हैं कि ईमानदारी से कठिनाई है, मैं छूट दे दूंगा मगर राज्यों का क्या होगा? हम, राज्यों के वित्तीय क्षेत्र कम हों, यह नहीं चाहते। इसलिए वित्त मंत्री जी हम लोगों के साथ बैठकर, क्या रास्ता हो सकता है, इस पर विचार करें। सीमा भी बढ़ जाए और राज्यों को मिलने वाला अंशदान भी कम न हो, इस तरह का कोई रास्ता निकालना, मध्यम मार्ग निकालना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है। वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है, उसमें डायरेक्ट टैक्स लाज के 115 संशोधन हैं। कुछ ही महीने पहले एक संशोधन हो चुका है जिसमें 163 संशोधन थे डायरेक्ट टैक्सेशन लाज में। सचमुच में तो यह लाइसेंस बिल का हिस्सा नहीं होना चाहिये, एक अलग बिल आना चाहिये। आवश्यक हो तो उसको सलेक्ट कमेटी में भी भेजा जा सकता है। वित्त विधेयक में अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। जैसे—क्या नाबालिग बच्चे की कुल आय माता-पिता की आय में जोड़ना ठीक है? कुल आय जोड़ी जाये माईनर की—ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा क्या पार्टनरशिप संबंधी संशोधन ठीक हैं? कैपिटल गेन्ज टैक्स, टैक्स, वैल्थ टैक्स के बारे में भी लोगों के सुझाव हैं। मेरा निवेदन है कि अगर इन सब बातों पर वित्त विधेयक में विचार किया गया तो फिर कठिनाई पैदा होगी। यह सदन इतनी बड़ी संख्या में आने वाले संशोधनों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में घाटे को कम करने के लिए जो अनेक तरीके अपनाये हैं और जिनका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है और जिसमें एक तरीका है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में डिस-इन्वेस्टमेंट करना। मैं जानता हूं कि इस सवाल पर काफी मतभेद है लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि डिस-इन्वेस्टमेंट होना है तो वह अच्छी से अच्छी कीमत पर होना चाहिये। अच्छे से अच्छे ढंग से होना चाहिये। यह ठीक है कि अब जितना डिस-इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह यू.टी.आई. में, म्यूचल फंड के माध्यम से हुआ है लेकिन जिस कीमत पर हुआ है, वह कीमत ठीक नहीं। शेयर बाजार में तो बड़ी लम्बी लाईनें लगा रही हैं। आम आदमी भी अब शेयर खरीदना चाहता है। यह अच्छी बात है। लेकिन सरकार अगर अपने पब्लिक अंडरटेकिंग्स के शेयर दे, रुपये कमाने के लिए दे और अच्छी कीमत पर न दे, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह किस की सलाह से हुआ, मैं नहीं जानता। कहीं न कहीं इस संबंध में बदनीयती से काम लिया गया है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है और रीस्ट्रक्चरिंग केवल इकनामी की ही काफी नहीं है, समाज का रीस्ट्रक्चरिंग भी जरूरी है। क्या लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या इस परिवर्तन के लिए जो आम सहमति चाहिए और जिसके बारे में प्रधान मंत्री बराबर करते हैं कि सत्ता संभालने के बाद उन्होंने सबकी बैठक बुलाई थी और एक आम सहमति बनाई थी, क्या वह आम सहमति बरकरार है? क्या उस आम सहमति को फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी

चाहिए ? हमने एक बड़ा भारी कदम उठाया है। इसमें संकट भी हैं, इसमें खतरे भी हैं। विश्व की ताकतें किस तरह से व्यवहार करती हैं, एक पहलू यह भी है। मगर हम अपने घर में किस तरह का आचरण करते हैं, दूसरा पहलू यह भी है। क्या राजनीति का खेल एक आम सहमति बनने देगा ? वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है, मैं उसकी ओर उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। "हमारा दीर्घावधिक उद्देश्य उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो श्रम-प्रधान हो और जिससे उत्पादक उच्च आय उपार्जन में अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय और संपत्ति के मध्य असमानताओं में कमी आए।" यह तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। हम भी यही चाहते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगीकरण होना चाहिए, विषमता घटनी चाहिए और रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। मगर तीन साल का समय क्यों ? क्या वर्तमान आर्थिक सुधारों का नतीजा यह होगा कि आज जो श्रम-प्रधान उद्योग हैं, वे तो तितर-बितर हो जाएंगे, लेकिन सरकार जब रीस्ट्रक्चर करने में सफल होगी तो नए ढंग से श्रम प्रधान उत्पादक रोजगार देने वाले उद्देश्यों को शुरू करेगी। यह तो मंशा नहीं हो सकता।

लेकिन तीन साल की बात मैंने पहले भी उठाई थी और मैं उस पर फिर आना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने आगे कहा है—"कम से कम तीन वर्ष तक कठिन प्रयास करना पड़ेगा।" मैंने पूछा था कि यह तीन वर्ष कौन देगा, क्यों देगा ? अगर पूरे देश में सादगी का वातावरण हो, अगर राष्ट्रीय संकट की अनुभूति हो अगर नेतृत्व लोगों के सामने उदाहरण रखे, केवल भाषण नहीं, तो लोगों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि उद्योगपतियों को समाज का ट्रस्टी होना चाहिए, उनके पास जो संपत्ति है, उसके लिए स्वयं को ट्रस्टी समझना चाहिए। यह गांधी जी का विचार है, बहुत अच्छा विचार है। सचमुच में स्वामित्व का एक भारतीय तरीका हो सकता है, ओनरशिप का, कि अपने को ट्रस्टी समझो। और देशों में इस पर कुछ प्रयोग भी हुए हैं, मगर गांधी का देश इस बारे में आगे नहीं बढ़ा। वित्त मंत्री के भाषण के बाद बढ़ेगा, मुझे इसमें संदेह है। ट्रस्टी होने के लिए पहले तो लोभ छोड़ना पड़ेगा, शोषण की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, टैक्स बचाने की कला को अलविदा कहना पड़ेगा। जिन्होंने विदेशों में ले जाकर पैसा जमा किया है, उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। अभी उन्हें मौका मिला है वापस ले आएं। कितनी पूंजी विदेशों में जमा है ? मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर हम पूंजीपतियों से आशा करते हैं कि अपनी संपत्ति को, अपने आपको समाज का ट्रस्टी समझें, तो क्या राजनैतिक नेताओं को और सत्ताधीशों को स्वयं को सत्ता का ट्रस्टी नहीं समझना चाहिए ? आखिर देश आज जिन मुसीबतों में फंसा है, उनमें कैसे फंस गया ? मैं और प्रश्नों की चर्चा नहीं करता। यह आई. एम. एफ और वर्ल्ड बैंक की दया पर चलने वाला देश ! इस भारत का तो हम लोगों ने किसी ने सपना नहीं देखा था।

वित्त मंत्री कहते हैं कि आयात कम होना चाहिए, उसके लिए स्वदेशी का जागरण जरूरी है, स्वावलंबन की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। यह ठीक है कि हम अलग-अलग नहीं रह सकते, टापू बनकर नहीं जी सकते, लेकिन अगर विश्व बैंक से मदद लेनी है तो शिक्षा के लिए, पानी के लिए क्यों लें ! किसी बड़े काम के लिए मदद लें तो समझ सकते हैं। हमने शिक्षा की उपेक्षा की, हमने स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं की है। 1700 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया हम शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी शामिल है रख रहे हैं। मैं एक बात और कहना

चाहता हूं। शिक्षा मंत्री सदन में नहीं हैं। प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार बहुत अच्छा है मगर प्राइमरी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करने का प्रोग्राम ढीला नहीं पड़ना चाहिए। मुझे डर है प्रचार की दृष्टि से एडल्ट एजुकेशन की चर्चा ज्यादा हो रही है, लोग अपना नाम लिखना सीख रहे हैं, मगर जो लड़का और लड़की अभी पैदा हुआ है, वे अगर बचपन में पढ़ नहीं सकते तो क्या, प्रौढ़ होने पर पढ़ेंगे। क्या इसके लिए विदेशी साधनों की जरूरत है ? और मैं देखता हूं हर राज्य सरकार, किसी भी दल की राज्य सरकार हो, माफ करिए पश्चिम बंगाल की सरकार भी विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहती है। कौन से प्रोजेक्ट हैं ? अगर कोई सारी उपलब्धि लगाएं, बिजली पैदा करने में हमारी मदद करें, यातायात, संचार, इसमें हमारी सहायता करें, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश के लिए कुछ आगे बढ़कर आएं तो समझ में आ सकता है।

हम एक तिराहे पर खड़े हैं। वित्त मंत्री आशावाद पैदा करें यह जरूरी है, मगर स्वयं इस आशावाद का शिकार न हों यह भी जरूरी है। इस देश का छोटे से छोटा आदमी हमारे सामने रहना चाहिए। गांधी जी ने यही कसौटी दी थी कहा था एक मैं तुम्हें तिलिस्मात देता हूं कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उनका असर छोटे से छोटे आदमी पर कैसे पड़ेगा इसका विचार करो। जो सीढ़ी में सबसे नीचे है, जिसे अंत्योदय द्वारा हम उठाना चाहते हैं, उस पर क्या असर होगा ? वित्त मंत्री महोदय, आपने एक शायरी से खत्म किया था, शायरी नहीं, शेर से खत्म किया था। मैं भी अपना भाषण एक शेर से खत्म करता हूं। वित्त मंत्री तीन साल की बात कर रहे हैं—

"कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक,

खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक।"

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मानता हूं कि मुझे कितने बड़े हैण्डीकैप में बोलने का अवसर मिल रहा है कि बड़े नेता और बड़े अच्छे वक्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के तुरन्त बाद मैं बोलने जा रहा हूं।

हमारे महान देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की और लोगों को अच्छा काम मिलने की। और यदि हम देखें कि कितने प्राकृतिक और मानवीय साधन हमारे देश में जमा हैं, आज कितने ही मिलियन मैनुफैक्चरिंग मोटर गेंस आन्ध्र प्रदेश में और आन्ध्र प्रदेश की दूसरी जायन्ट फील्ड्स में वेस्ट की जा रही हैं।

3.49 म. प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

इसे जलाया जा रहा है। आज हमारे देश में अनेक बिलियन टन कोयले के भंडार मौजूद हैं। हमारे देश में कोयला के अत्यधिक भंडार मौजूद हैं। हमारे देश में कोयला के अत्याधिक भंडार हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।

आज हमें यह नीति संबंधी निर्णय लेना है कि क्या हम अपना अर्थव्यवस्था और अपने देश के विकास हेतु इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं या हम इन्हें व्यर्थ होने देंगे। गत 45 वर्षों में यह साबित हुआ है कि हमारे पास इसका उपयोग करने हेतु पर्याप्त धनराशि और प्रौद्योगिकी नहीं है। हम इस समय 11000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करके 21 मिलियन टन कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारत में बड़े घरानों को हमारे तेल क्षेत्रों, बम्बई हाई और अन्य क्षेत्रों में हमारे गैस क्षेत्रों की खोज करने की अनुमति दे देते तो हमें आज तेल आयात नहीं करना पड़ता। हम तेल आयात कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने हिन्दी में शुरू किया था, फिर आप क्यों अंग्रेजी में चले गये। आप तो अच्छी हिन्दी बोल रहे थे।

श्री मुरली देवरा : इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में बोलूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के मित्रों के लाभ के लिए.....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हिन्दी उतनी अच्छी नहीं आती है। आज सबसे ज्यादा मात्रा में ऐडिबल आयल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों से। कोई जमाना था जब चन्द्रजीत यादव साहब भारत वर्ष की सरकार में थे, उस समय सोशलिस्ट पैटर्न की ये बातें करते थे। मैं यहां किसी दूसरी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। उसमय सीवर ब्रदर्स यू. के से आये थे, अध्ययन में और दूसरा जगह, पामोलिन की खेती करने उद्देश्य से, पामोलिन की खेती करना चाहते थे। मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता, उस समय हमारी सरकार ने कहा था कि यदि हमारे यहां बाहर के व्यक्ति आयेंगे तो वे हमारे देश को ही ले जायेंगे, उनका हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा, हम टोटली उनके ऊपर निर्भर हो जायेंगे, कन्ट्री को हम उन्हें टोटली सेल-आउट कर देंगे लेकिन आज आप देखिये। वे ही सिवर ब्रदर्स आज मलेशिया में पामोलिन उपजा रहे हैं जबकि हमें 5-6 या 8 लाख टन ऐडिबल आयल वहां से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। बीस वर्ष पहले यदि हम उनको ऐडिबल आयल उपजाने की परमीशन दे देते, एलाव कर देते, तो आज हमारी वैसी हालत न होती। आप कोयले को ही देख लीजिये, कितने बड़े कोयले के रिजर्व हमारे देश में, बिहार में और दूसरी जगहों पर उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आज कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री आर्य कर्नाल्डोज (मुजफ्फरपुर) : यदि अंग्रेज आज भी हिन्दुस्तान में रहते तो कोई समस्या ही न होती। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : यह सब आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, आपको लगता है सब चीज में कि

अगर अंग्रेज आयेंगे तो आपको उठाकर ही ले जायेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता है। हमारे देश के अन्दर काफी शक्ति है।

[अनुवाद]

हमारा देश इतना कमजोर देश नहीं है कि कोई भी हमारे देश में आए और ले जाए अथवा हम उनके हाथों बिक जाएं। जो लोग ऐसे आधारहीन आरोप सरकार, कांग्रेस की नीतियों और मनमोहन सिंह की नीतियों के खिलाफ लगा रहे हैं, वे कमजोर हैं; उन्हें अपने में पूरा विश्वास नहीं है और उन्हें भारत के लोगों में पर्याप्त विश्वास नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने विश्व बैंक के बारे में अनेक बार कहा है। श्री चन्द्रशेखर जी अभी-अभी सहज भाव से उठकर बाहर चले गए हैं। मैं श्री वी. पी. सिंह और श्री चन्द्रशेखर द्वारा पहली और दूसरी किश्त पर उनकी वार्ता का उल्लेख नहीं करना चाहता। क्या हम इतने कमजोर हैं कि यदि हम विश्व बैंक का ऋण लेते हैं तो विश्व बैंक हमें खरीद लेगा? क्या विपक्ष के लिए सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाना सही है कि हम एक बिका हुआ देश? क्या यह कहना सही है कि बजट लीक हो गया है··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : शर्तों के कारण···(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : चटर्जी जी, मैं आपको शर्तों के बारे में बताऊंगा। विश्व बैंक की शर्तें हैं। कोई भी इतनी बड़ी धनराशि का ऋण देते समय यह अपेक्षा करेगा कि कुछ मानदंडों का पालन हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है ··(व्यवधान) मैं इन शर्तों को जानता हूं। मैं उनका भी उल्लेख करूंगा। लेकिन इन शर्तों में से अधिकांश शर्तें हमारे देश की आर्थिक नीति के प्रारूप में ही निहित हैं। अगर विश्व बैंक यह कह रहा है कि हमें अपना घाटा कम करना चाहिए; हमें अपनी वितरण व्यवस्था में एकरूपता लानी चाहिए, हमारे बैंक और अधिक कार्यशील बनें तो इन्हें स्वीकार करने में क्या गलत है।

विश्व बैंक ने कहा है कि हमें उर्वरक राजसहायता समाप्त कर देनी चाहिए। विश्व बैंक ने कहा है कि हमें समाज के कमजोर वर्गों को और अधिक राजसहायता नहीं देनी चाहिए। हमें इनको स्वीकार नहीं करना है। मैं आपसे सहमत हूं। जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसे अस्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह उचित समय है जब हमें विश्व बैंक का होवा नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं जानता कि लोग विश्व बैंक से क्यों चिन्तित हैं। आज हमारा देश विश्व में सबसे अधिक विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। हम विश्व बैंक की स्थापना करने वाले देशों में एक देश है। हम विश्व बैंक के एक संस्थापक सदस्य हैं। अगर हम विश्व बैंक का ऋण लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे याद है कि 1980 के दशक के शुरू में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी तब पांच बिलियन एस.डी.आर. का ऋण निर्धारित किया गया था। हमने इसका उपयोग नहीं किया। हमने केवल .75 बिलियन एस.डी.आर. का उपयोग किया··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : इन्दिरा जी, उन बिलों बैंकों का नेशनेलाईजेशन करके

देवी दुर्गा बन गयी थी, आपने क्यों उस समय सपोर्ट किया था। (व्यवधान) मैं, तो बैंकों के नैशनलाइजेशन के बारे में नहीं कह रहा हूं। पासवान जी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो। सरकार ने तो नहीं किया है। सरकार ने तो बैंकों का प्राइवेट क्षेत्र में नहीं दिया है।

बैंकों के नैशनलाइजेशन का प्रोग्राम किस का था? यह प्रोग्राम भी कांग्रेस पार्टी का ही था और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कोई चाज 20 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले सही थी, तो यह जरूरी नहीं है कि वह आज भी सही होगी।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : तब आप कहते हैं कि कम से कम वह बैंकों का निजीकरण तो नहीं कर रहे है··· (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : किसी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उनका निजीकरण नहीं कर रहे। वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वह ऐसा कहते है तो वह अपना पद छोड़ देंगे।

श्री मुरली देवरा : माननीय, वह पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कार्य नहीं कर रहे···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अगर कपड़ा मिलों को निजी क्षेत्र में देना है, तो एन.टी.सी. क्यों बनाया ?

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : ठीक है, मैंने अन्य सदस्यों के लिए व्यवधान नहीं डाला, इसलिए कृपया मुझे बोलने दें। अन्यथा मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें नारमन पाइंट, जाली मेकर चैम्बर्स को सुनना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : मैं नहीं जानता कि जाली मेकर चैम्बर कहां है। मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है जब हम विश्व बैंक के इस होवे से निकलना होगा। जब पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक के ऋण की जरूरत होती है तब तो ठीक है। जब उड़ीसा को विश्व बैंक ऋण की जरूरत होती है तब वे इसका स्वागत करते है। पिछले सप्ताह के दौरान ही एक खबर थी कि एक टाटा संयंत्र का उद्घाटन करते समय श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अमरीकी और विश्व बैंक निवेश का स्वागत किया है। इसलिए जब आपको निवेश की जरूरत होती है तब तो ठीक है: मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप विश्व बैंक ऋण का स्वागत करने के लिए तैयार हैं लेकिन जब भारत सरकार विश्व बैंक ऋण को वर्गीकृतकरने और आयात करने का प्रयास कर रही है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है जबकि आप इस रवैये को बदलें।

माननीय वित्त मन्त्री ने अभी-अभी विदेशी निवेश उदार करने की घोषणा करके एक और कदम उठाया है। आज हमारे देश में कुल विदेशी निवेश डेढ़ बिलियन डालर से अधिक नहीं है जब

कि कुल विदेशी कर्ज, जैसाकि वाजपेयी जी ने कहा ऋणकुल कहा है, लगभग सत्तर बिलियन डालर है।

[हिन्दी]

आप कह रहे हैं कि इसको कर-मुक्त या ऋण-मुक्त करें। ऋण-मुक्त कैसे करेंगे? 70 बिलियन डालर सन, जो इतना बड़ा लोन सरकार ने विदेशों से लिया है, उसको वापस देना पड़ेगा। इसको कैसे वापस देंगे। इसको वापस देने के लिए हमारे फारेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ने चाहिए। वे कैसे बढ़ेंगे? ये तब बढ़ेंगे जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब हमारे देश में सही टैक्नालाजी आएगी, नई इंडस्ट्री आएगी, नया फारेन और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं सरकार को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि नये फारेन इन्वेस्टमेंट की जो पालिसी सरकार लाई है जिससे इन दो महीनों में ही, जनवरी और फरवरी में ही 135, 140 मिलियन डालर का इक्विटी इन्वेस्टमेंट आ गया है। जो पूरे साल का टोटल इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भारत में आता था वह अब सरकार की इस नई नीति के कारण सिर्फ दो महीनों में ही आ गया है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इसमें एक्सपोर्ट कमिटमेंट कितना है?

श्री मुरली देवरा : इसमें एक्सपोर्ट कमिटमेंट भी है और बिना एक्सपोर्ट कमिटमेंट भी है। बिना एक्सपोर्ट कमिटमेंट के आना कोई पाप नहीं होता है। इस लिए यदि सही मायने में हम अपनी मुद्रा की स्थिति और बेलेंस आफ पेमेंट को दुरुस्त करना है, तो हमें फारेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं फारेन इन्वेस्टमेंट लेने से तो अच्छा यही है कि हम फारेन लोन को लें।

[अनुवाद]

यदि हम धनराशि उधार ले रहे हैं तो हमें ब्याज ऋण प्रभार और सेवा प्रभार देने पड़ते हैं। अगर देश में निवेश होता है तो धनराशि का निवेश कर रहे विदेशी को पहले स्थानीय कर, निगमित कर देना पड़ता और फिर वह धनराशि भेजी गई राशि का लाभांश में अन्तरित करेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी जी ने एक चीज इन्कम टैक्स के बारे में बड़ी सही कही। 22 हजार रुपये से 28 हजार रुपये की राशि तो जरूर बढ़ा दी, लेकिन जो दूसरे सैक्शन थे 80 एल और 80 सी.सी, जो नेशनल सेविंग्स के अन्दर इन्वेस्टमेंट होता थी और जिन्होंने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की थी उसका ब्याज कर-मुक्त था, उस पर अब टैक्स लगा दिया गया है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि खास करके 80 एल और जो इस धारा के अन्दर सुविधाएं थी उनका राइन्स्टेट करें। वाजपेयी जी ने भी इसका कोई उपाय नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये पैसे यदि आयेंगे, तो स्टेट गवनमेंट्स का तकलीफ होगी, इसके अलावा आप कुछ भी जवाब नहीं दे सके।

4.00 म.प.

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खासकर 80 सी सी.बी. नहीं तो 80 एल. की छोटे

लोग सैलरी में काम करने वाले लोग, जिन्होंने एन. एस. सी. में लास्ट ईयर रुपया डिपाजिट करवाया, जो सरकार का कमिटमेंट था लास्ट ईयर, उनको 13 हजार रुपये से ज्यादा तक का जो इनटरस्ट में कर-मुक्त था, उसको जरूर लाएं।

[अनुवाद]

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि धारा 80-एल को बहाल किया जाये।

[हिन्दी]

अग्रवाल जी ने दूसरी बात कही कि 2500 रुपये तक के पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग के शेयर्स हमने बेच दिए। आपने ठीक कहा, जो शेयर स्टील अथारिटी, एम. टी. एन. एल. के 18 रुपये, 25 रुपये में बेचे आज उनका भाव 114 रुपये है। उस दिन 100 रुपये नहीं था. शेयर बाजार जो आपने कहा, वह बाद में बढ़ा है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इतना अच्छा समय भारतवर्ष के शेयर मार्केट के, कैपिटल मार्केट के इतिहास में कभी भी नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है

[अनुवाद]

कि सरकार और अधिक धनराशि का अनिवेश करने के लिए इन्तजार क्यों कर रही है। केवल 2,500 करोड़ रुपये का अनिवेश की ही अनुमति क्यों दी गई है ? और अधिक राशि की अनुमति दी जाए। मेरी सलाह यह है कि इन्हें यू. टी. आई. म्यूचुअल फण्ड इत्यादि को कम मूल्य पर बेचने की बजाय और अधिक अनिवेश करें। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इत्यादि के शेयर 2,500 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं और आज उनकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने बहुत अधिक लाभ कमाया है। वे सार्वजनिक निकाय है। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी निजी व्यक्ति ने यह किया है। वास्तव में यह हो कि इन शेयरों का अनिवेश बाजार मूल्य पर सीधे जनता के मध्य हो। इससे और अधिक धनराशि प्राप्त होगी। इससे आपका बजट घाटा कम होगा और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मदद मिलेगी चाहे उन्हें धनराशि का नुकसान हो रहा है। गत वर्ष जुलाई में जो नई नीतियां घोषित की गई थी, वे इतनी सहायक हुई हैं कि जो उद्यमी उद्योग भवन और कार्पोरेट ब्लाक के गलियारों में अपना समय बिता रहे थे, वे आज अपना समय अपनी फैक्ट्रियों व अपने कार्यालयों में बिता रहे हैं। यह हमारी नीतियों का गैर-नियंत्रण व गैर-अफसरशाहीकरण का ही परिणाम है। किन्तु एक चीज के लिए मैं निवेदन करूंगा। एम.एम.टी.सी. तथा एस. टी. सी. आदि जैसी कुछ संस्थायें अभी भी हैं। कुछ माह पूर्व इस सदन में अखबारी कागज के बारे में एक तर्क आया था। अखबारी कागज के लिए एम.एम.टी.सी. व एस. टी. सी. द्वारा आज भी ऊंची कीमतें कैसे दी जा रही हैं ? इसका वास्तविक हल तो बाद में निकला जिस पर सरकार ने अखबारी कागज को गैर-सारणीबद्ध करके सही कार्य किया है। आज समाचार-पत्रों के मालिक सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं : आज वे एम.एम.टी.सी. व एस.टी.सी. को दी जाने वाली कीमतों से अखबारी कागज 15 से 20 प्रतिशत सस्ता खरीद रहे हैं। आज किसी भी वस्तु का सारणीबद्ध किया जाता है तो वह बाजार में अत्यन्त ही ऊंची कीमत पर उपलब्ध होगी और यदि इसके सीधे आयात की अनुमति दे भी जाती है तो उपभोक्ता को उस अवस्था में अधिक कीमत देनी होगी। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक वस्तुओं को गैर-सारिणीबद्ध किया जाना चाहिए। एस.टी.

सी. व एम.एम.टी.सी. को आयात करने तथा सारणीकरण कार्य करने की अपेक्षा नियति पर अपना अधिक बल देना चाहिए।

अप्रत्यक्ष करों के मामले मे व्यापक सुधार कार्य किए गए हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन अप्रत्यक्ष करों में अभी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कच्चे माल पर अधिक शुल्क देना पड़ता है जबकि तैयार सामान पर कम शुल्क देना पड़ता है। इसी तैयार माल को उदार आयात नीति के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने पर कच्चे माल की अपेक्षा कम शुल्क लगता है। स्वदेशी उद्योग को यह संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे स्वदेशी उद्योगों को प्रतियोगिता का सामना करना चाहिए। वे सभी इसी के लिए हैं। लेकिन उन्हें किसी अस्वस्थ प्रतियोगिता का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में साऊथ कोरिया और ताइवान जैसे अनेक ऐसे देश हैं जोकि अपने उत्पादों को हमारे भारतीय बाजार में बहुत ही सस्ता बेच रहे हैं। भारतीय उद्योग को इन से संरक्षित रखा जाना चाहिए।

हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार जो कि कुछ ही माह पूर्व मात्र 2400 करोड रुपये रह गये थे, अब 12,000 करोड तक पहुँच गये हैं। ऐसा नई नीति तथा उस आत्म विश्वास के कारण है जो कि अनिवासी भारतीयों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों ने भारत में पैदा किया है। अब यहां मैं 'मुद्रा स्फीति' शब्द के बारे मे कहना चाहूंगा। श्री वाजपेयी जी ने उचित ही कहा है कि यदि कीमतें बहुत ऊंची होगी तो मुद्रा स्फीति की दर इससे प्रभावित होती है। मुद्रा-स्फीति की दर 16 प्रतिशत से कम होकर 12 4 अथवा 12.5 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। मैं जानता हूं कि अब यह पुन: 0.1 अथवा 0 प्रतिशत बढ़ गई है। मैं आपसे सहमत हूँ। वास्तविक समस्या यह है कि अनाजों, खाद्य तेलों पर मुद्रा-स्फीति का असर केवल 12 प्रतिशत नहीं होगा बल्कि यह 20 से 24 प्रतिशत तक होगा। और ऐसी स्थिति में सरकार उस विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रयोग करती है जो कि हमने अब जमा किये हैं।

12000 करोड रुपये के नए भण्डार के बारे में, सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि खाद्य तेलों और अनाजों का पर्याप्त मात्रा में आयात कर अतिरिक्त स्टाक रखा जाना चाहिए ताकि बाजारी शक्तियां कीमतों में वृद्धि न कर पायें जिससे कि आम आदमी प्रभावित हो।

एक अन्य बात सरकार द्वारा पहले घोषित की गई ब्याज की ऊंची दर के बारे में थी जोकि धन की आपूर्ति में कटौती करने के लिए की गई थी और अब सरकार ने वाणिज्यक ऋणों पर एक प्रतिशत ब्याज कम कर दिया है और एस एल आर भी 38.5 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ब्याज की यह दर अभी भी अधिक है। मैं माननीय वाजपेयी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—आप टाटा स्टार की बात कर रहे थे, मैं बजाज स्कूटर की बात करने जा रहा हूं। एक समय ऐसा था जबकि बजाज स्कूटर खरीदने के लिए डिलीवरी पीरियड 12 वर्ष था। आज स्थिति यह है कि उनका 20 प्रतिशत उत्पादन उनके गोदामों मे पड़ा है। वे उसे बेच नहीं सकते क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है। उस समय इतनी अधिक ब्याज की दर मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए सही थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि बचतों का प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दर अधिक होनी चाहिए लेकिन यह इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि इससे निवेश हतोत्साहित होने लगे। अन्यथा लोग अपना धन खेत व इसी तरह के कार्यों में लगाने लगेंगे, कोई भी उद्योग पर अथवा उत्पादकीय प्रयोजनों

पर धन व्यय नहीं करेगा। इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि आपने धन की आपूर्ति में कटौती कर दी है, इसलिए आप यह देखें कि ब्याज की दर में भी कमी की जानी चाहिए।

सरकार ने एक अन्य साहसी कदम उठाकर भारतीय रुपये में आंशिक परिवर्तन किया है। ऐसा कदम हमारे देश में पहली बार ही उठाया गया है और इस कदम के प्रति धन्यवाद करते हैं कि अब हमारे भारत देश में अधिकाधिक धन आ रहा है। मैं आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु एक समय ऐसा था जब अमरीकी डालर 11 अथवा 12 रुपये में बिकता था, आज अमरीकी डालर की कीमत 27 रुपये अथवा 28 रुपये या फिर 29 रुपये है। अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रुपये के साथ भी ऐसा ही होता रहा है और इसका परिणाम तस्करी तथा हवाला गतिविधियां रही हैं। इस प्रकार भारतीय रुपये में आंशिक परिवर्तन करके देश का बहुत ही लाभ होगा। सोने का आयात जिसे कि आप ने सराहा है, इससे सोने की तस्करी भी बंद हो जाएगी। सोने की कीमत जोकि 5000 रुपये अथवा 4900 रुपये के लगभग थी, अब वह कम होकर 4100 रुपये अथवा 4050 रुपये रह गई है। और यदि यह योजना सफल हो जाती है तो यह कीमत और भी गिर सकती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भले ही शीघ्र न हो आगामी वर्षों में स्वतन्त्र बाजार में भारतीय रुपए में पूर्ण परिवर्तन करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।

मुम्बई व दूसरे बड़े बाजारों में एक तरफ जहां खाद्य तेल जैसी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, दूसरी ओर मूंगफली के तेल को अन्य तेलों में मिलावट की घटनाएं हुई हैं। मुझे बताया गया है कि एन.डी.डी.बी. (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) ने एक नया लोक धारा शुरू किया है— पहले उन्होंने नया लोक धारा शुरू किया है जो एक तिहाई मूंगफली का तेल और दो तिहाई पामोलिन से बनाया जाता है। सरकारी तौर पर ऐसे उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि खाद्य तेल की कीमतें काफी नीचे आ सकें और उत्तम खाद्य तेल बाजार में आ सके व उसके अतिरिक्त भण्डार रखे जा सकें।

रोजगार के बारे में श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है। हम सभी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन यदि आप देखें तो हजारों लोग प्रतिदिन शहरों की ओर आ रहे हैं। मुम्बई में जैसा कि आप देखते हैं, हजारों लोग रोजगार की तलाश में हैं और सरकार को बेरोजगारी के बारे में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए नेहरू रोजगार योजना के नाम से एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसे सुचारु ढंग से चलाया जाना चाहिए। एक अन्य क्षेत्र जिसमें व्यापक रोजगार मिल सकता है, वह आवास क्षेत्र है। इस प्रकार यदि इस उदारीकरण कार्यक्रम को केवल वित्तीय व वित्तीय नितियों तथा कम्पनी प्रणाली तक ही सीमित रखा जाता है तो इससे काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों तक भी इसे पहुंचना चाहिए और इसके लिए एक क्षेत्र आवास का है : जैसाकि हम जानते हैं कि शहरी अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के कारण बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास जैसे बड़े-बड़े शहरों में हजारों एकड़ भूमि खाली पड़ी है, और यहां तक कि जिस भूमि को निश्चित किया गया है उसके आगे प्रतिस्थापन का भी प्रयोग नहीं किया गया। अब ऐसा समय आ गया है जबकि सरकार को उस शहरी अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम को बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। यदि आप उर्वरक संयंत्र में एक हजार करोड़ रुपया लगाते हैं तो आपको 700 नौकरियां मिलती हैं, लेकिन यदि आप आवास क्षेत्र में केवल एक करोड़ ही खर्च करते हैं तो तब भी आप को

700 नौकरियां मिल सकती हैं। इसलिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार को वास्तविक रूप से आवास क्षेत्र में ही बढ़ावा मिल सकेगा क्योंकि संगठित क्षेत्र में आवास क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर यह देखेंगे कि शहरी अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मुझे पूरी आशा है कि श्री मनमोहन सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विदेशी निवेश को और अधिक बढ़ावा मिलेगा उससे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, अधिक से अधिक उद्योग इससे स्थापित हो सकेंगे और इस प्रकार यह हमारे देश के लोगों की बेहतरी के लिये सिद्ध हो सकेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदया, इससे पूर्व कि आप अगले वक्ता को बुलायें, मैं उस उर्दू के दोहे को सही करना चाहूंगा जो कि अपने भाषण के अन्त में मैंने पढ़ा है। उर्दू का मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमारा ज्ञान बहुत ही अधिक सीमित है। इसलिए कृपया उसे एक बार फिर से पढ़ें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : "आह को चाहिए, एक उम् असर होने तक, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक।" इसके मायने यह हैं कि मेरा दुख तुझ तक पहुंचते-पहुंचते जिन्दगी गुजर जायेगी। आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक। आपकी जुल्फ जब पूरा सिर बनेगी, सरदार जी के तो जुल्फें भी हैं, तब तक पता नहीं हमारा हाल क्या होगा।

श्री अन्नजोत य दव (आजमगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह बजट, जिसे भारत सरकार के वित्त मन्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने पेश किया है, यह सरकार की नई आर्थिक नीति का द्योतक है।

सरकार ने कुछ महीने पहले जिस नई आर्थिक नीति को देश के सामने रखा था, उसके बारे में देश में एक गम्भीर चिन्ता का वातावरण बना हुआ है। इस बात की चिन्ता है कि पिछले 40 वर्षों में हमने अपने देश की आवश्यकता के अनुसार अपनी जनता के हित में और अपने देश की प्रतिभा के अनुसार अपना भविष्य बनाने के लिए जिस नीति को इस देश में बनाया था, हमारी आर्थिक नीति का मूल आधार था, आत्मनिर्भरता, कि हम एक सैल्फ रियायंस की पालिसी अपने देश में बनाऐंगे, आज इस देश में गम्भीर चिन्ता इस बात की है कि हमारी आत्मनिर्भरता की नीति अब विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जोड़ी जा रही है और हम जिस बात को बचाना चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, जिसमें केवल सर्वाइवल आफ दि फिटेस्ट हो, जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादाशक्तिशाली है, वह ज्यादा अच्छी जिन्दगी जिएगा, उसकी ज्यादा आय बढ़ेगी और जो गरीब है, वह और गरीब होता जायेगा। हमें इस बात का डर है कि आज जिस आर्थिक नीति को हम चला रहे हैं और जिस बजट को इस वर्ष पेश किया गया है, उसमें इस सिद्धान्त को मान लिया

क्या है कि अब इस समाज में, इस देश में खुली प्रतियोगिता होगी जो शक्तिशाली है, वही सारा लाभ उठायेगा और जो कमजोर है और निर्बल हो जायेगा। गरीब के लिए जो हम आधार बनाना चाहते थे, जो उसका हित करना चाहते थे और उसकी जिन्दगी की निहायत जरूरी चीजों के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए जो हम उसका हित करना चाहते थे, अब उस हित की परवाह नहीं होगी। उसे भी होड़ के दौर में, प्रतियोगिता के बाजार में डाल दिया जाय और वह मेहनत करके या तो जिन्दा रहे या तबाह हो, मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम एक खतरनाक दिशा की तरफ जा रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मनमोहन जी ने अपने बजट में एक मनमोहनी छोड़ दी है। मैं समझता हूं, अटल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री ने जनता-रुपी-सीता के सामने एक स्वर्ण रुपी मृग पेश किया है और जिसके सुझावने में जनता-रुपी-सीता पड़ेगी और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रुपी राक्षस रावण उनका हरण करने के लिए इंतजार कर रहा है। यह स्थिति इस बजट ने हमारे देश में पैदा की है। एक वास्तविकता, जिस ऐतिहासिक वास्तविकता और सच्चाई से जो सबक लेना चाहिए, मैं समझता हूं कि वह सबक हमने नहीं लिया है।

इस बजट का जो एक साफ परिणाम होने वाला है, वह यह है कि इस देश का अमीर और अमीर होगा। वह विदेशी पूंजीपतियों से अपना रिश्ता जोड़ेगा और उनकी पूंजी यहां लगेगा, उनका साथ व्यापार में, उद्योगों को बढ़ाने में साझेदारी करेगा, मनमाने ढंग से आयात और निर्यात करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान बनाते हुए हमने कसम खाई थी, जो हमने संकल्प लिया था कि इस देश की पूंजी का केन्द्रीयकरण नहीं होने पाएगा, बल्कि जो पूंजी इस देश में बनेगी, जो विकास इस देश में होगा, वह सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाएगा। इस देश को केवल धनी बनाने का लक्ष्य नहीं रखा गया था कि दस फीसदी और 20 फीसदी आदमी धनी हो जाय और 80 फीसदी आदमी को अपनी रोटी का लाला पड़ा रहे। आज आजादी के 45 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि छः रुपए से 6.40 रुपए किलो आटा में और ग्यारह से पन्द्रह रुपए किलोदाल बाजार में मिल रहा है। इस देश के आदमी को अंडा, मांस व दूध-मक्खन तथा दूसरी चीजें खाने के साधन नहीं है और सहज रोटी और दाल आज 25-30 फीसदी महंगी हो गई है और इसके रुकने का कोई संकेत नहीं है। अटल जी ने ठीक कहा है, पिछले तीन हफ्ते में मुद्रास्फीति एक प्रतिशत, घटने के लक्षण थे, वह फिर बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रहेगी और वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि हमको तीन वर्ष का मौका दिया जाए। आज की चिन्ता नहीं है, रोटी महंगी हो जाए, बेरोजगार आदमी हो जाए, उसकी गरीबी और बढ़ती चली जाए और तीन वर्ष के बाद जो आप आशायें मनों में पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में किसी का विश्वास नहीं है कि आगे आने वाले तीन वर्षों में क्या कर सकेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड) : जब तक वे रहेंगे ही नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे रहें या नहीं, मगर देश तो रहेगा। सवाल देश की चिन्ता का है देश में एक और खतरनाक बात की जा रही है। हमने बहुत सोच-समझकर इस देश में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया था। इस देश के अन्दर आज गांवों में 66 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। हमारे समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्गों में और निर्बल वर्गों में 72 फीसदी गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, उनमें

72 फीसदी इन्ही वर्गों से आते है, जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस बजट के अन्तर उनके लिए क्या प्रयास किया गया है। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा, वित्त मन्त्री जी ने किस लिए 15 फीसदी रुपया जवाहर रोजगार योजना में पिछले वर्ष आवंटित किया हुआ था, इस साल पन्द्रह फीसदी रुपया क्यों कम कर दिया है? रोजगार देना है, गांवों में लोगों के लिए कुछ सहारा बनना है, लेकिन यह रुपया कम कर दिया गया है। आज भी हमारे देश में 70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर है। आज भी हम कहते हैं कि बुनियादी रूप से आज भी हमारा देश कृषि देश है। 1991-92 में गाव विकास एवं रोजगार के लिए 2, 702 करोड रुपए की व्यवस्था थी, लेकिन 1992-93 के बजट में यह राशि घट कर 2,610 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्यों। रुपए की कीमत 20 प्रतिशत कम हुई है उसके अलावा जो सचमुच में आवंटित किया हुआ धन था वह कम कर दिया गया है। सिचाई और बाढ़ की स्थिति तो आप जानते ही है, बाढ़ से कैसे लोग तबाह होते हैं 1991-92 में इन मदे 2.267 करोड़ रुपया आवंठत किया गया था, उसका प्रावधान था और 1992-93 के बजट मे घटा करके 231 करोड़ रु. कर दिया गया और उसके बाद जो 20 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ, डिवेल्यूएशन हुआ वह अपनी जगह पर है। गांव की ओर यह उपेक्षा का रुख क्या ?

अब सामाजिक क्षेत्रों में क्या स्थिति है, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 440 करोड़ से 400 लेकिन वास्तविक रूप में माइनस दो प्रतिशत कम हो गया है। कल्याण के काम पर 508-559, प्रतिशत कम हो रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर 548-560, 10 प्रतिशत कम हो रहा है। शिक्षा के ऊपर 750-725, 15 प्रतिशत कम हो रहा है और ग्रामीण विकास के ऊपर 3521- 3113 22 प्रतिशत कम हो रहा है। छोटे और कुटीर उद्योग के ऊपर 598-513, 24 प्रतिशत कम हो रहा है और सब मिला करके कल्याण के ऊपर 384-391,10 प्रतिशत कम किया जा रहा है और पूरा योग अगर आप लें तो सब मिला करके 1992-93 के बजट में 16 प्रतिशत, कम हो गया है, यह सब समाज कल्याण के काम है जो आम जनता के जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उन्हीं क्षेत्रों के ऊपर हमला किया गया है।

मैं नम्रता के कहना चाहता हूं कि यह सब की इच्छा है कि हमारा देश स्वावलम्बी बने, यह सब की इच्छा है कि हमारा देश संकट के दौर उबरे, यह सब की इच्छा है कि हम दुनिया के किसी भी देश के सामने भिखारी बन कर न खड़े हो, मगर क्या इस नीति से काम किया जाएगा कि सारा बोझ, सारा दबाव, सारा भार केवल गरीब, निबल, कमजोर किसान, मजदूर वेतन भोगी के ऊपर ही डाल दिया जाए ? वित्त मन्त्री जी, 7 फरवरी को कुछ देश के जाने-माने अर्थशास्त्री दिल्ली में एक विचार गोष्ठी में एकट्ठ हुए थे उन्होंने दो-तीन चीजों के बारे में कहा है, मैं चाहता हूं कि जब उत्तर देंगे तो आप उनका निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का वर्तमान वार्षिक नीति के कारण आने वाले तीन वर्षों में जो एगजिट पालिसी बनाई जा रही है, जिसकी तैयारी हो रही है रेन्यूवल फंड, दूसरे फंड, ट्रेड यूनियन लीडरों से बात आदि-आदि 40 लाख मजदूर जो आज काम कर रहे है उनको छंटनी होने का डर है, इन तीन वर्षों में 40 लाख मजदूरों को काम से छंटनी करने का विचार है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मन मोहन सिंह) : मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि इस

बखना के कोई आधार नहीं बने हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस अर्थशास्त्र की बात कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव। ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर विचार। करते हुए अपना उत्तर दें।

[हिन्दी]

3—4 लाख नहीं, 40 लाख मजदूर। दूसरा, अटल जी, इसको आप देखेंगे कि चार लाख तो रेलवे से निकालने की योजना है और इस देश मे नयी आर्थिक नीति के कारण तीन लाख छोटे उद्योगों के बंद हो जाने का खतरा है, बिल्कुल बंद हो जाने का खतरा है, तीन लाख छोटे उद्योग नही ठहर सकते, बंद हो जाएंगे। इसी के साथ-साथ आज भी यह बात आपके सामने है और हमारे मन्त्री महोदय ने इस सदन में स्वीकार किया है कि चार करोड़ बुनकर से, हथकरघा से और पावरलूम से संबंधित हैं, 38 लाख हथकरघा और 32 लाख पावरलूम इस देश के अन्दर हैं। अबरेज अगर पांच-छ आदमी का मान लीजिए तब भी डेढ़-दो करोड़ के करीब आ जाते हैं। आज लोग तबाही के रास्ते पर है और उनके लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता की इस दौड़ में वे बिल्कुल तबाह होने वाले हैं और उनकी छूट, उनकी मदद, उनके लिए व्यापार बाजार ढूंढना, उनके लिए बक्त से सहायता करना, जो उनका माल गोदामों में पड़ा हुआ है उसको खरीदना, यह सारे के सारे काम बंद हो गए है। हो सकता है कि वित्तमन्त्री जी आपको इसकी जानकारी न हो क्योंकि सीधे राज्य सरकार उनसे खरीद फरोख्त करती है, इनकी मदद करती है और राज्य सरकार यह कह रही है कि हमारे पास, हमारे कोष मे पैसा नहीं है, हम इनका माल नहीं खरीद सकते और इनको कोई छूट नहीं दे सकते। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है उसी तरह इस नीति से बड़ा खतरा होने वाला है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलेगी इस प्रकार का डर लोगो के मन में पैदा हो गया है।

दूसरी बात रोजगार की है। उसके लिए क्या हो रहा है। इस देश में विस्फोट हो जायेगा सारी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी अगर हम नयी नौजवान पीढ़ी का ध्यान नहीं रखेंगे। तीन करोड़ शिक्षित नव युवक और युवतियां बेकार हैं और लगभग दो करोड़ गांवो के अन्दर ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है जिनका काम नहीं मिलता है। बारह करोड़ आदमी बेकारी का शिकार हैं। ऐसे समय पर जब महगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है तो यह विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। मुझे खेद है कि इस बजट में उसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं है। इसके अन्दर कोई प्रावधान नही है। रेल का किराया और रेल के भाड़े का किराया और मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाए तो हम इसको अलग-अलग नहीं देख सकते। रेल के किराए का असर नागरियों पर पड़ता है और रेल सामान ढोने का पड़ता है। कोयला, सीमेंट बिजली इस्पात का दाम बढ़ा है। वित्त मन्त्री जी ने स्वय पिछली बार कहा था कि उत्पादन ज्यादा बढ़ने चाहिए। आपने ऐसा कदम उठाया कि चोर-बाजारी का पैसा भी अगर हाऊसिंग बैंक में जमा करेंगे तो उसका पता नहीं लगाया जायेगा। आपका तर्क था कि कम से कम मकान तो बनेगा। आपने इस बजट में 250 से बढ़कर 290 करोड़ तक प्रतिटन सीमेंट और इस्पात का दाम

बढ़ा दिया। नयी इमारतों के बनने का काम ठप्प होगा। आठ से दस रुपया एक बोरी सीमेंट का दाम बाजार में बढ़ गया है। इसका बोझा किस पर पड़ने वाला है। एक गरीब जो एक कमरा बनाने की बात सोचता है। लेकिन, ईंट, कायला, सीमेंट और लोहे का दाम बढ़ गया है वह गरीब कैसे मकान बना सकता है। यह बजट किसके लिए है? मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट अमीरों के लिए है और उच्च मध्यम वर्ग के लिए है। पिछले दस-बारह वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी थी, हम आय से बहुत ज्यादा व्यय करते थे। एक कहावत है कि अपने पांव उतने फैलाने चाहिए, जितना लंबा चादर हो। हमने अपने पांव चादर से ज्यादा फैलाए। जो हमारा रेवेन्यु था तो उससे ज्यादा एक्सपेंडीचर किया।''' (व्यवधान) उसके ऊपर जो कदम उठाए जाएं तो ठीक है लेकिन उन कदमों को उठाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गरीब आदमी है और जिसकी आय बिल्कुल नाममात्र है तो उसके ऊपर बोझा नहीं पड़ना चाहिए। पिछले चालीस वर्षों से हमारा नारा था कि गरीब के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना है - लेकिन उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। गरीबी को रेखा के नीचे तक का लक्ष्य बना था कि दो हजार तक हम इस देश से गरीबी को समाप्त कर देंगे और आम आदमी के जीवन-स्तर को ऊपर उठा देंगे। वह लक्ष्य अब प्राप्त नहीं हो सकता। आपकी राय में पब्लिक सैक्टर इस देश में पैर में जंजीर बनकर खड़ा हो गया है पब्लिक सैक्टर ने इस देश को लूट लिया है इस देश को तबाह कर दिया है। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने के लिए खुला निमंत्रण दे रहे हैं और वह भी हम घुटने टेकना चाहते हैं। लेकिन आपको स्मरण दिलाता हूं कि यह प्रारम्भ में यह दवा का कारखाना लोगों को लगाने को तैयार नहीं थे जब ऋषिकेश में कारखाना बनाया गया तब कोई भी विदेशी इस देश में उसको बनाने के लिए तैयार नहीं था कि वह इस देश में दवा के कारखाने में पैसा लगाये, इस देश में कोई इस्पात का कारखाना बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। क्या हम भूल गये जब पण्डित नेहरू ने बाकारो के लिए बातचीत की थी उस समय कैनेडी ने कहा कि हम आपको बाकारो देने के लिए तैयार हैं बशर्ते आप हिन्दुस्तान के किसी पूंजीपति को दें। पण्डित नेहरू ने उस समय कहा था हमने ब्रिटेन से, जर्मनी से, रूस से मदद ली है, लेकिन हमने इस शर्त को कभी स्वीकार नहीं किया कि हम प्राइवेट सैक्टर को देंगे, आप हमें दें या न दें हम इसको नहीं मानेंगे। एक यह भारत का आत्मसम्मान था।

आज एक फीलिंग देश में आ रही है कि हमारे नेशनल प्राइड राष्ट्रीय सम्मान को चोट हमारे राष्ट्रीय सम्मान का ठेस पहुंचा है। जिस ढंग से कार्य किये गये हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम लगी हैं और।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के आदेशों के सामने आत्म समर्पण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आपने बहुत बड़ा काम किया था साऊथ-साऊथ को आपरेशन में। आपको याद होगा बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों के अन्दर इस खतरे का मुकाबला कैसे किया जाये, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद

जिस तरह से प्रभाव डाल रहा है जो 7 जिस तरह से डिक्टेट कर रहा है इसलिए जो 15 गुटनिरपेक्ष देशों ने बनाया था। यह कहा था कि हम भी बातचीत करेंगे। उस समय आपके चेयरमैन थे प्रेजीडेंट नडरेरे जिन्होंने आपके बारे में बड़ी प्रशंसा के शब्द कहे थे उन्होंने अपने भाषण में बेलग्रेड में इस खतरे को दिखाया था। उनके भाषण के बाद सारा माहौल बदल गया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमनेमिलकर इस विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का मुकाबला नहीं किया, हमने अपना रास्ता नहीं निकाला अपनी जरूरत मुताबिक अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके कपनी पूंजी को इकट्ठा नहीं किया तो हमें इनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारी राजनैतिक आजादी भी खतरे में पड़ जायेगी। एक चेतावनी थी, गुटनिरपेक्ष देशों ने बड़ी संजीदगी से एक निर्णय लिया था। मुझे अफसोस है उनकी आशायें भारत पर ज्यादा लगी हुई थीं, क्योंकि भारत आज से दस साल पहले जब इस बात का अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चला रहा था कि हम नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो अमरीका कह रहा था कि हम इसमें सहायता नहीं देंगे। यह नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, जिस समय समता और सामाजिक न्याय की बातों पर चर्चा की जा रही थी अमरीका कभी सम्मिलित नहीं हुआ। उस समय वह कहता था कि भारत विकासशील देश नहीं है, भारत विकसित देश बन गया है इसलिए भारत को इस तरह की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अफसोस है कि पिछले 10-12 वर्षों से हमारी जिस तरीके से नीति चली है उसकी कमजोरियां दूर करने की कोशिश नहीं की गई। आप इसको दूर करने की कोशिश करें बुनियाद को खत्म करने की कोशिश न करें। आज पब्लिक सेक्टर को तबाह कर दिया गया, अगर उसके खिलाफ माहौल बना दिया गया, विदेशी पूंजी को मनमाने ढंग से इस देश में आने दिया और वहां चाहे वहां वे अपनी साझेदारी करें और पूंजी लगायें तो यह इतनी बड़ी कीमत होगी जिसे हम नहीं हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को भी कीमत चुकानी पड़ेगी इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला करें। मैं जानता हूं कि संकट का समय भी हमारे देश में रहा है। उस संकट को हल करने के लिए रास्ता निकालें, मगर अपनी बुनियादी नीतियों को न छोड़ें और उसका मुकाबला करके अपनी दिशा में बढ़ते जायें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज वह संकट कुछ हद तक कम हुआ है और रास्ता निकल रहा है इस बात की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली जाये जो हमारी···3 बुनियादी नीतियां हैं वह तबाह न हो। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आप मुझ से ज्यादा अच्छा जानते हैं। उनका पिछले 10 वर्षों से उनका प्रयास रहा है वे सभी विकासशील देशों को शिक्षा दे रहे हैं बराबर कह रहे हैं कि आपका यह माडल होना चाहिए, यह इकोनोमिक माडल मानिये, यह सोशल माडल मानिये। हमने उनकी बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वे हमारे हित अहित हमारी जनता की जरूरत, हमारी आवश्यकता को हमसे बेहतर नहीं जानते। आज एक धारणा बन गयी है, आप उसको दूर करिये। धारणा यह बन गयी है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिस मांडल को विकासशील देशों पर लादना चाहतो हैं, उसी मांडल को हम स्वीकार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह खतरनाक बात होगी और मुझे विश्वास है कि आप पूरे तरीके से इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदया, मैं कुछ बातों की तरफ वित्त मन्त्री का ध्यान खींचकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। इस बात की आशंका है कि विदेशी कम्पनियां न केवल छोटे उद्योगोंको बल्कि देशी बड़े उद्योगों को भी तबाह करेंगी, उनके लिए भी इस देश में खतरा पैदा हो जाएगा, नतीजन हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग धन्धे हैं, वे इस प्रतियोगिता की दौड़ में ठहर नहीं

पायेंगे और उनमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा वे खत्म हो जायेंगे। मुझे इस देश के दो वैज्ञानिकों ने...जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता.. जो आगे माने वैज्ञानिक रहे हैं और भारत सरकार से सम्बन्धित रहे हैं, बताया कि जो सबसे बड़ा खतरा है वह है नयी आर्थिक नीति...

[अनुवाद]

आत्म निर्भरता हमारी साईस ए. ड टेक्नालाजी में एक गम्भीर बात होगी जिस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

मैंने चीन के लोगों से बातचीत की है और उन्होंने दो बातों की प्रशंसा की है कि भारत की साईस एण्ड टैक्नोलांजी ने बहुत उन्नति कर ली है और इण्डिया की हायर एजूकेशन ने उनके मुकाबले में बहुत उन्नति की है और भारत ही एक ऐसा देश था जिसकी साईस एण्ड टेक्नालांजी को सैल्फ रिलायंस की तरह दूसरे नये आजाद मुल्क देखने लगे थे क्योंकि विदेशी कम्पनियां अपनी हाई टैक्नालाजी और उनके ऊपर इरैलेवेंट साइंस एण्ड टैक्नालांजी इम्पोर्ट करती थीं, मजबूरन उनकी तरफ जाना पड़ता था जो उनके लिए उपयुक्त नहीं थी, उसी अनुपयुक्त टैक्नालाजी और गुण को लेने पड़ते थे, मैं समझता हूं कि इसकी तरह पूरी सावधानी बरतनी चाहिये। आज दूसरा क्या खतरा है ? मुझे एच ए एल के एक अधिकारी ने बताया कि पहले 43 जहाज बनाने का आर्डर उनको दिया गया, घटाकर 27 कर दिया। पिछला अनुभव यह है कि जब जब इस तरह से किया जाता है, हम पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तैयारी करते हैं और जब आर्डर खत्म किया जाता है तो बाद में जहाज इम्पोर्ट कर लिये जाते है बी. एच. ई. एल., एच. ए. एस. जो सामान बना रहे थे, वे दुनिया के स्तर पर बना रहे थे और आज उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसकी जो कैपेसिटी है, उसका यूटिलाईजेशन बहुत कम हो जायेगा और मैं समझता हूं कि हमारी प्रगति के जो सिम्बल्स थे, वे टूट जायेंगे जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

सभापति महोदय, अभी अटल जी कह रहे थे कि शेयर भाव बढ़ रहा है। आम जनता को खरीदने जा रही है। यह बजट इक्विटी कल्चर पैदा कर रहा है जो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है और लोग इस इक्विटी कल्चर में फसेंगे तो इससे बड़ा खतरा है। यह एक जुआ है, वह कमाल भी है और तबाहभी करता है। उस जुए में गरीब फसेंगे तो गरीब आगे चलकर तबाह हो जायेगा। इसलिए एक यह आशंका है जिसको मैं समझता हूं कि आप ध्यान दें। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप उसपर हमदर्दी की बात सोचें। जो सीमेंट, इस्पात पर एक्साईस ड्यूटी बढ़ायी है, मेहरबानी करके उसको कम करिये। कम से कम कुछ वर्षों तक इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिये, यद्यपि इसका बोझा बढ़ सकता है। ग्रामीण विकास रोजगार का जो बजट कम हुआ है उसको बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण जनता है।

मेरी आपसे यह भी मांग है कि आपने जो इन्कम टैक्स की छूट 28 हजार तक का सोचा

है, उसको बढ़ाकर कम से कम 36 हजार कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप 28 हजार से 48 हजार करें लेकिन यदि कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर नहीं तो क्या 36 हजार करने पर गौर करेंगे ?

यह जो 80 सीसीए, 80 सीसीबी और 80 एल में छूट वापस कर ली है, इनका बेतन भोगी अधिकारियों पर यह प्रभाव है कि जो थोड़ी बहुत मदद उनको मिलती थी और जो डिपाजिट भी बढ़ना था, उनके बंद हो जाने का खतरा है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपसे प्रार्थना की थी जब आपने फिक्सड डिपाजिट के ऊपर टैक्स लगाया था . मैंने कहा था कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा : लोग पैसा बैंकों से वापस ले रहे हैं। इससे देश का नुकसान होगा। आपने उस वास्तविकता को पहचानकर उसको वापस कर लिया, यह खुशी की बात है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आप गौर करें और इसे पहले जैसा ही रहने दें। आपको याद होगा आपने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए फाइनेंशियल कार्पोरेशन बनाया जाएगा मुझे अफसोस है कि 8-9 महीने बाद भी वह पिछड़ा वर्ग वित्तीय निगम आज तक काम नहीं कर रहा है। न उसके चेयरमैन की नियुक्त हुई, न मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति हुई, न उसका पैसा कहीं खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो जनकल्याण के काम होते हैं उसके प्रति इतनी उदासीनता अच्छी नहीं होती है और यह एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग काम करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भूमि सुधार का काम, जो आज गांवों में इतना ज्यादा तनाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, भूमि सुधार के काम पर एक राष्ट्रीय नीति बने, यह नहीं कि निर्णय हो जाए बल्कि एक प्रोग्राम बनाकर आप भूमि सुधार के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं और एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाएं। इस बारे में मैं समझता हूं आपको विचार करना चाहिए।

आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं और यह चाहे सीधे आप के बजट के आय-व्यय, रिवेन्यू-एक्सपेंडीचर से संबंध न रखती हो, मगर देश के प्रशासन और देश की वित्तीय व्यवस्था के संचालन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दुस्तान की नौकरशाही के स्वरूप को बदलना जरूरी है। हिन्दुस्तान की नौकरशाही के काम के ढंग को बदलना जरूरी है। आपसे भी लोग मिलते होंगे भारतीय प्रशासी जो रहते हैं, आकर थक-थककर, दौड़-दौड़कर, खटखटाकर चले जाते हैं। कोई यहां उसोल भी लगाना चाहे, काम भी करना चाहे, इतनी जगह उसको दौड़ना पड़ता है। नौकरशाही को, लालफीता शाही को आप जितना काट सकते हैं, हिम्मत के साथ काटिए और उनके ऊपर पहली बार सीधे-सीधे साथ-साथ कदम उठाना चाहिए था इसलिए कि वह हमारे देश की तबाही का बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूं कि वह भी एक एक चुनौती है। इस चुनौती को भी एक वित्त मन्त्री की हैसियत से स्वीकार करिए, इस काम को करिए और मैं समझता हूं कि जो हमारी आज की आर्थिक व्यवस्था है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की विश्व आर्थिक व्यवस्था से हम अलग-थलग नहीं रह सकते। उसके साथ जुड़कर हमें अपनी बात के लिए बकालत करके, अपने रास्ते के लिए, अपने मॉडल के लिए लोगों का मन तैयार करके, उसके लिए काम करना है। दूसरों के सामने घुटना नहीं टेकना है।

सभापति जी, मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी इन बातों को किसी आलोचना की भावना से नहीं, बल्कि जो हमारे मन में संशय है, शंका है और उसके अनुसार हम जो सुझाव दे रहे हैं, उस भावना को समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : महोदया, इतनी जल्दी अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद कहता हूँ (व्यवधान)

मैं अभी तक अपने पूर्ववक्ताओं के भाषणों विशेषकर कांग्रेस के अकेले प्रवक्ता के क्षमा प्रार्थना पत्र को सुन रहा था। मैं स्वयं को इस क्षमा याचना के दूसरे दौर के लिये तैयार कर रहा था कि आपने बोलने के लिए मुझे बुलाया है।

बजट एक वार्षिक मामला है। यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तथा सत्तासीन दल का दिशा निर्देश करता है। यह सरकार के आधार तथा उसको उस दर्शन को दर्शाता है जिसे सम्बद्ध पार्टी अपने घोषणा-पत्र में व्यक्त करती है। बजट उसके घोषणा-पत्र का ही कार्यान्वन है। लेकिन मुझे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट और उनकी पार्टी के घोषणा-पत्र में कोई समानता नजर नहीं आती है, उन्होंने इस बजट में उस घोषणा-पत्र की चर्चा कहीं भी नहीं की है। हो सकता है कि वह इसमें विश्वास नहीं करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि उन्हें चुनाव के दौरान किए गए मुख्य वायदों याद ही न नहीं है। जैसे प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार कराना और लगभग 100 दिनों में मुद्रास्फीति में कमी लाना। आर्थिक सर्वेक्षण से साफ पता चलता है कि वे कुछ भी करने में अक्षम रहे हैं। वास्तव में वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1991-92 में मूल्यों में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि उस दौरान आन्तरिक और बाह्य बहुत-सी जटिल समस्याएं रही है। चाहे ये इस बजट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्तमान को जा रही स्थिति के क्या कारण रहे हैं और इस भुगतान असंतुलन तथा आन्तरिक मंदी के आखिर क्या कारण रहे हैं। दरअसल यह स्पष्ट नहीं किया गया है राजनैतिक कारणों से। यदि मूल कारणों को विश्लेषित नहीं किया जाता है और यदि उन कारणों का पता नहीं लगाया जाता है जिनकी वजह से आज हम इस मौजूदा स्थिति में हैं तो जाहिर है कि हम सही उपचार और सही दिशा तय नहीं कर पाएंगे। यही बजट की स्थिति है क्योंकि सत्तापक्ष से कोई भी सही कारण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे 11 महीने की जनता दल की सरकार और 7 महीने की उस दूसरी सरकार पर जो अल्पमत में थी कांग्रेस के बल पर सत्तारूढ़ थी, पर सभी दोष लगा देंगे जैसे कि इन्हीं से सभी तर्क अवधारणाएं बेकार साबित हो जाती है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई इसके जवाब में उन्हें बस इतना ही कहना है। वर्ष 1980-84 और 85-89 के दौरान जो फिजुल खर्ची की गई, उसे भुला दिया जाता है और यही छलावा वर्तमान बजट का आधार है। सातवें और आठवें दशक में देश में एक दिशा पकड़ी लेकिन उस दिशा को बदल दिया गया। यह बदलाव आरम्भ में मामूली था। लेकिन वर्ष 1980-85 में इसमें आमूल चूक परिवर्तन हो गए। दरअसल वर्ष 85-89 में यह बदलाव बहुत ही व्यापक रहा इतना कि आत्मनिर्भरता जो राष्ट्र से विकास के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाने के लिए कृषि और सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर करने की बजाए, हमने विकास के नये रास्तों को चुना। हमने आयात आधारित विकास को चुना, जिसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया। यह आयात के स्वरूप पर आधारित था जो बहुत ही ऊंचा था और जो महंगी पूंजी प्रौद्योगिकी पर आधारित था। और इसकी बात यह थी कि इस तकनीकों के पुराने पड़ने की ज्यादा संभावना थी। इस उद्योगों को सनराईज उद्योग कहा जाता है और इन सनराईज उद्योगों को बीच में ही छोड़ दिया गया है क्योंकि

इसमें ज्यादा आयात की आवश्यकता उस समय काफी थी तथा इसमें सिंचुलत्वों थी। यही कारण है कि हम विदेशी मुद्रा नहीं बचा पाए और इसका सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाए।

जैसाकि श्री मुरली देरा ने पहले ही कहा है कि एक समय ऐसा भी था। जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अंतिम मोके पर कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़े। क्यों ? क्या इसलिए आपने बहुत ही बड़ा कार्य कर दिया था ? या क्या इसलिए कि तेल की कीमतों में कमी आई थी ? या क्या इसलिए कि बम्बे हाई से हमने अपेक्षा से अधिक तेल प्राप्त हो गया हो। हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती थी। यदि कोई स्वयं को बधाई देता है उस काम के लिए जो उसकी वजह से नहीं हुआ हो, यदि ऐसे कार्य के लिए कोई साख चाहता हो तो जाहिर है कि नीति का सही रूप में निर्धारण सभव नहीं है। ठीक इसी तरह सरकार स्वय की पीठ ठोकते हुए पूंजीगत प्रौद्योगिक पर आधारित विकास का मार्ग चलते चली गई। जबकि सत्य यह है कि इस प्रौद्योगिकी को हमारा देश ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकता, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी हमें छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है। अर्थात यह पुरानी हो चुकी है। और अब बाजार में तेजी का रुख रुक गया है। आज मारुति कारों के खरीदार नहीं है। विकास के इसी आयाम के कारण इसी फिजुल खर्ची के कारण स्वयं की बधाई देने की इसी प्रकृति की वजह से आज हम भयावह स्थितियों में पहुच गए हैं। अभी भी हम गलत विश्लेषणों के कारण उसी रास्ते पर और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह एक ऐसी विनोदी स्थिति है कि जहां हमने बाहरी क्षेत्र में जाने की कोशिश की, जहां हम अपने आप को गहराई के बाहर पाते हैं तो अन्ततः हम क्षेत्र का आश्रय लेते हैं जो हमें विश्व में कहीं का नहीं छोड़ता है।

इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हमारा बजट इस देश के अमीर लोगों की भलाई करना चाहता है। पहले के बजट में गांवों के विकास के लिए ज्यादा धन जुटाया जाता था। इस बार तो सही मायने में गांवों के विकास के लिए काफी कम धन मुहैया किया गया है। वास्तव में सामाजिक क्षेत्र जैसे, शिक्षा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन को छोड़कर बाकि के लिए धन का आवंटन बहुत ही कम हुआ है। इसका कारण यह है कि विश्व-बैंक यही चाहता है। मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन मैं उस प्रकार नहीं चाहता हूँ जिस तरह मनमोहन सिंह चाहते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : आप तब तक नहीं चाहते हैं जब तक कि आप इस तरफ आते हैं।

श्री अमल दत्त : मुझे इतनी आसानी से मुख्य विषय से नहीं बता सकते हैं।

हमने अभी देखा है कि यह बजट सामाजिक विकास को हर आयाम पर कुठाराघात करता है। शिक्षा के लिए भी जिससे सभापति महोदया बहुत ही सम्बद्ध हैं, धन का आवंटन 13 प्रतिशत कम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी 10 प्रतिशत की कटौती हुई है। परिवार कल्याण के क्षेत्रों में यह 17 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। और गांवों के विकास के क्षेत्र में यह 22 प्रतिशत कम हुआ है। यह सभी सही मायने में है।

लघु और कृषि आधारित उद्योग में 24 प्रतिशत की कटौती की गई है यद्यपि लघु उद्योगों में इस देश का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है और यह क्षेत्र 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अतः इस तरह की कटौती वित्त मंत्री जी ने की है जिससे कि 1500 करोड़ रुपये की आमदनी

अमीर लोगों को ही दे सके मंत्री जीनेऊचे स्लैब में आयकर घटा कर निगमित कर में वृद्धि न करके पूंजी लाभ कम करके और वित्तीय आस्तियों पर धन कर से छूट प्रदान करके धनाढ्य वर्ग के लिए मात्र 1500 करोड़ रु. दिए हैं। इस तरह से चार प्रमुख तरीकों से सरकार ने अमीर लोगों की सहायता की है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा को 22,000 से बढ़ाकर 28,000 कर दिया है। इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन हमें कोई विश्लेषण नहीं किया है। मैं समझता हूं कि धनाढ्य वर्ग को 1500 करोड़ रुपये की सहायता की जा रही है। साथ ही कोशिश यह की जा रही है। कि उत्पाद शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। किस पर इसका भार पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि गरीब लोगों को यह बोझ ढ़ाना पड़ेगा। वित्त मंत्री सर हिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह कहेंगे कि वह अपने जवाब में कहेंगे कि वह ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं।

आयात कीमतों में वृद्धि हुई है। और भी इसमें वृद्धि होगी। 60 प्रतिशत परिवर्तनीयता से आयात कीमतों में वृद्धि होगी। मध्यवर्ती तथा कुछ बुनियादी चीजों की कीमतों में वृद्धि होगी और इसका पूरा भार गरीब लोगों पर पड़ेगा।

वित्त मंत्री (श्रीमनमोहन सिंह) : आप यह कहते रहे हैं कि मैं आयात पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता रहा हूं। जबकि सत्य यह है कि मैंने उदार नीति के अन्तर्गत आयात को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़े प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

श्री अमल दत्त : इसलिए आप मुझे परिवर्तनीयता के प्रश्न पर सुनना चाहते हैं।

इस विशेष उत्पाद शुल्क के द्वारा 124 करोड़ रुपये एकत्र किए जा रहे हैं। आपने कहा है आप 1500 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों के रूप में दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह और भी ज्यादा होगा। कारण यह है कि आपका गणित पिछले साल के आंकड़ों पर आधारित है। इस वर्ष के आंकड़े बढ़ जाएंगे मुद्रास्फीति की वजह से। अतः इस समूह के उन लोगों की आय जो 1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं में वृद्धि होगी। और जो 1500 करोड़ है वे 2000 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

श्री मनमोहन सिंह : मैं समझता हूं कि आप इसे सावधानी से नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप सावधानी से पढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि मैं प्रत्यक्ष करों में 1500 करोड़ रुपये नहीं छोड़ रहा हूं। सत्य यह है कि मैंने प्रत्यक्ष करों के माध्यम से उतनी ही रकम जुटायी है।

श्री अमल दत्त सच्चाई यह है कि 60,000 से 70,000 के बीच वाले लोग जिन्हें कुछ बचत पर छूट की वजह से फायदा से वंचित हो गए हैं। बावजूद इस समूह को लोगों को आय कर सीमा बढ़ाकर 28,000 कर दिए जाने के बावजूद ज्यादा आय-कर देना होगा। यह एक ऐसा वर्ग है जो गरीब नहीं है लेकिन वे लोग निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं। इन लोगों को भी बोझ वहन करना पड़ेगा। लेकिन मूलतः बोझ तो गरीब लोगों को ही उठाना पड़ेगा। यह सब 5 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क तथा आयात शुल्क में वृद्धि की वजह से है और क्योंकि आपने सार्वजनिक उपक्रमों के नियंत्रित मूल्य को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक उपक्रमों पर बाजार से धन जुटाने की जो जिम्मेदारी सौंपा गया है, वह बहुत ही ज्यादा है।

5.00 म. प.

बजट प्रावधान भी इसमें सम्मिलित है। बजट प्रावधानों में कमी की गई है। बजट के अनुसार उन्हें ऋण लेना पड़ेगा, चाहे काफी बाद में ही लेना पड़े।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदया, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। जब श्री वाजपेयी जी बोल रहे थे, तो टी. वी. द्वारा उनका कवरेज किया जा रहा था। अब जब कि श्री अमल दत्त बोल रहे हैं तो टी. वी. कवरेज नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अमल दत्त : यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसे संसद की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो बाद में भी हम इस मामले को उठा सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि इस दखल अन्दाजी से आप चाहेंगे कि आपका भाषण भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए।

श्री अमल दत्त : यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 14,789 करोड़ रुपए के ऋण लिए जाने हैं। बजट के अनुसार, इस ऋण राशि का 76 प्रतिशत भाग सात उपक्रमों द्वारा ऋण के रूप में लिया जाना है। इन सात उपक्रमों में एन. एच. पी. सी. एन. टी. पी. सी., एम. टी. एन. एल. आदि शामिल हैं। इस प्रकार लाभ कमाने वाले यह सात उपक्रम हैं जिन्हें कि उन पर लादे गये 76 प्रतिशत ऋण भार को उठाना पड़ता है। अब सरकार की नीति के कारण तेल तथा प्राकृतिक आयात की अधिकांश पारसम्पत्तियां समाप्त हो गई हैं। पहले इसके पास पर्याप्त नकदी थी अब नाममात्र की ही है। इसलिए अब उन्हें बाजार से ऋण लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।

सरकार विदेशी मुद्रा लाभ के 40 प्रतिशत की अदायगी के सम्बन्ध में विचार कर रही है जो कि एक मुक्त आयात के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। मैं समझती हूं कि यह आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं किया गया आयात है। हम नहीं जानते कि आवश्यकता क्या है। पहले एक मुक्त आयात सरकार का अपना खर्च 23,000 करोड़ रुपए था। इसमें पेट्रोलियम भी शामिल था। अब राजस्व खाते में, कुल ऋणों के आधारभूत विदेशी मुद्रा की राशि 23,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वास्तव में यह राशि 25,000 करोड़ ही नहीं रहेगी, बल्कि इसमें और वृद्धि होगी। इसलिए हो सकता है सरकार को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के द्वारा बाजार दर पर 10,000 करोड़ रुपए का प्रबन्ध करना पड़े। इसका आशय होगा कि एक मुक्त आयात की कीमतों में भी वृद्धि होगी। इसमें गरीब जनता पर और असर पड़ेगा। मैं बजट के वास्तविक परिणामों को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रही हूं।

इसलिए यह परिवर्तनशीलता निर्धन लोगों को ही प्रभावित करेगी। वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि "हमें कोई भी भार उठाने तथा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए।" परन्तु यह

भार किसको उठाना पड़ेगा तथा यह बलिदान किसे देना पड़ेगा ? सम्पन्न लोगों का नहीं जिन्हें कि अनेक लाभ दिए गए हैं, परन्तु जिस प्रकार के कदम उठाये गए हैं उनसे यह निर्धन लोगों को ही मन्द भार उठाना पड़ेगा तथा बलिदान देना होगा। लागत में वृद्धि के कारण ही कीमतें नहीं बढ़ेंगी बल्कि बाजार में अत्यधिक धन के आ जाने के कारण भी कीमतों में वृद्धि होगी।

सरकारी ऋणों को कम किया जा सकता है परन्तु बैंक ऋणों और वसूलियों के बारे में क्या किया जा रहा है। 'एस. एल. आर.' में कमी के कारण बैंक ऋणों में 17,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। अगर आंकड़े ठीक न हों तो मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अगर यह 17,000 करोड़ रुपया बाजार में आ जाता है तो इसे उद्योग के क्षेत्र में निवेश नहीं किया जायेगा बल्कि इस टिकाऊ तथा दूसरी उपभोगता वस्तुओं पर खर्च किया जायेगा। इसके कुछ हिस्से का निवेश सट्टा बाजार में होगा जिससे सट्टेबाजों को प्रकृति को प्रोत्साहन मिलेगा। सट्टा बाजार पहले ही नियन्त्रण से बाहर हो गया है। भाव इस राशि के आ जाने से इसके और अनियन्त्रित हो जाने की आशा है।

लागत में वृद्धि लाने वाली यह मुद्रा स्फीति से लोगों के मन में मुद्रा-स्फीति के और बढ़ने की आशा पैदा होगी। इससे भावों की मनोवृत्ति में वृद्धि होगी। केवल मांग के कारण ही नहीं बल्कि कीमतों में वृद्धि को जन्म देने वाली मुद्रा स्फीति तथा बैंकों के धन की उपलब्धता के कारण भी मुद्रा स्फीति की प्रकृति में वृद्धि होगी तथा इसके कारण कीमतों में वृद्धि होगी तथा गरीब लोगों पर और अधिक असर पड़ेगा। इस मुद्रा-स्फीति के प्रभावों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। सरकार का कहना है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठित कर रहे हैं। परन्तु इस दिशा में वे क्या करने जा रहे हैं। बजट में 1,700 ब्लाकों की चर्चा की गई है जिन्हें पुनर्गठित किया जायेगा। क्या उन्होंने इस संबंध में कोई कदम उठाया है। इस संबंध में हमने कुछ नहीं सुना तथा यह सब 200 करोड़ रुपए के लिए नहीं किया जा सकता।

2500 करोड़ रुपए का प्रावधान खाद्य राजसहायता के लिए किया गया है। गेहूं की कीमतों में जो वृद्धि की गई है, उसके परिणामस्वरूप उन्हें 8 मिलियन टन गेहूं की खरीद की आशा है परन्तु जो खराब मूल्य गेहूं के लिए निर्धारित किया गया है, मेरे विचार में उसके लिए 2000 करोड़ रुपया काफी नहीं होगा, परन्तु यह खराब मूल्य बजट के बाद घोषित किया गया मेरे विचार में इस कमी की पूर्ति के लिए और धन का प्रावधान किया जायेगा। मुझे यह समझ नहीं आया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब जाने वाले गेहूं की कीमत बाजार की स्थितियों अथवा अन्य किन स्थितियों के आधार पर तय की गई। परन्तु इस कीमत पर सरकार को बाजार से 8 मिलियन टन गेहूं नहीं मिलेगा। कीमत बढ़ानी ही पड़ेगी तथा अगर इसमें विलम्ब किया गया तो गेहूं बाजार में गायब हो जायेगा इस प्रकार इस बजट की शुरुआत ही गलत हुई है जिसके कारण गलत लोगों को धन मिलेगा तथा गरीब लोगों का निचोड़ा जायेगा। बेशक सरकार का निशाना ठीक है।

यह सब वाशिंगटन में बैठे लोगों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संतुष्ट करने के लिए किया गया। यह सब पूर्ति हमें इस बार क्यों माननी पड़ी। शायद इस वर्ष पहले यह देश विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गया था तथा इसमें भी बड़ी राशि ऋण के रूप में प्राप्त

की गई थी। परन्तु इस ऋण का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि समझौता 5'751 मिलियन डालर का हुआ था। परन्तु ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई गई थी कि प्रत्येक पहलू पर विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सन्तुष्टि के अनुसार विचार किया जायेगा; तथा उसके पश्चात ही और राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

श्री मनमोहन सिंह। आप यह कैसे जानते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी। वह चाहते हैं कि वे इसको प्रकट करें।

श्री मनमोहन सिंह : स्पष्ट है कि जब श्री अमल दत्त को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अमल दत्त : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो कुछ भी समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित होता हैं उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप हमें बतायेंगे नहीं तो हमें जानकारी कहां से प्राप्त होगी।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे अफसोस है कि सी. पी. आई. (एक) को इतनी भी जानकारी नहीं है।

निर्मल कान्ति चटर्जी : निश्चय ही परिवर्तनीय ऋणों के साथ कुछ शर्तें होती ही हैं। आप इतना उधेड बुन में क्यों हैं ? क्या आप इससे इन्कार करते हैं ? इस सरकार ने जब से सत्ता में आई है, तब से मुद्रा की कीमत में समायोजन के लिए की गई अवमूल्यन की घोषणा से लेकर जो भी ऐसे कदम उठाए गये, वे सब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के निर्देश पर उठाये गये जिनकी मुख्य नीति सार्वजनिक क्षेत्र को समेटना, मूलचूल ढ़ाचे तथा सरकारी खर्च में कमी करना। यह सब कौन करेगी ? क्या भारत के निजी पूंजीपति ऐसा करेंगे ? अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, वास्तव में भारतीय पूंजीगत वस्तुओं की अत्यधिक कीमतों के कारण उन्हें ऐसा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अमरीका, जर्मनी तथा जापान के के पूंजीपति ऐसा करने में समक्ष हैं। उनके पूंजी पति हमारे देश में आ कर यह कार्य कर सकते है।

अब भविष्य में प्रत्येक भारतीय उद्यम बडा उद्यम साझेदारी के साथ आरम्भ होगा कि उसमें शेयर पूंजी विदेशों से आयेगी क्योंकि यह भी औद्योगिक नीति में आसान कर दिया गया है।

अगर किसी विदेशी कम्पनी द्वारा शेयर पूंजी में मशीनरी मंगवाई जाती है तो यह और भी आसान हो जाता है। इसलिए, अब सभी उद्योग विदेशी साझेदारी के साथ आरम्भ होंगे।

5.12 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सुनने में आया है कि बहुत से लाईसैंस जारी किए हैं अथवा उनके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यह संसद तथा संसद के बाहर कहा गया है। अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं तो

893 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस पर 1100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा जो कि प्रति इकाई के लिए एक करोड़ से कुछ अधिक बैठता है, जो कि अधिक नहीं है। इसलिए, यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। कम से कम अभी तक नहीं तथा इसी दौरान मंत्री महोदय ने उनके द्वारा प्रकाशित "दि इकानामिक टाइम्स" को बताया कि उन्हें एक वर्ष में दो से चार बिलियन डालर के निवेश की आशा है। केवल एक वर्ष में।

मैं नहीं जानता कि श्री मुरली देवरा के आंकड़े ठीक थे जब उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस देश में कुल निवेश राशि दो बिलियन डालर से कम है। अगर वह सत्य है तो हमारे आशायें वास्तविकता से दूर नजर आती हैं।

श्री मनमोहन सिंह : आप फिर मेरी बात को गलत ढंग से कर रहे हैं। मैं ठीक करना चाहूंगा।

श्री आमल दत्त : क्या आपके वक्तव्य को ठीक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया ? क्या यह राशि दो से चार बिलियन डालर नहीं है ?

श्री मनमोहन सिंह : नहीं, नहीं।

श्री आमल दत्त : मुझे खेद है। आपको इसका खण्डन करना चाहिए था परन्तु यह जब शीर्ष-पंक्तियों में प्रकाशित समाचार पत्रों में किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीति देश में बिजी पूंजीवादियों को प्रवेश कराने की है और हमने यह स्वीकार कर लिया है और इसके समक्ष हमने समर्पण कर दिया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा है कि किसी अन्य ईस्ट इंडिया कम्पनी का खौफ हममें पैदा नहीं होना चाहिए। उन दिनों वैसी एक दो कम्पनियां होंगी। लेकिन आज सैकड़ों हजारों और असंख्य बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जो इस समय की ईस्ट इंडिया कम्पनी की तुलना में बहुत बड़ी हैं। आज अमरीका, जापान और जर्मनी में ऐसी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जो हमें हड़पने के लिये कम से कम हमारे पूंजीपतियों को हड़पने के लिए तत्पर हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि पूंजीपति स्वत: समाप्त होते हैं या नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनको इस प्रकार हटाया जाये।

हमने जो आर्थिक मामलों में अपनी प्रभुता का समर्पण किया है उससे हमें क्या मिला है। हमारे पास आज तक का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन जनवरी तक के आंकड़े हैं। 3.55 बिलियन डालर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमने लिया है। इस बीच हमने जो कदम उठाये हैं, वे इस प्रकार हैं :

आर्थिक घाटे को पहले 6.5 पर फिर 5 के आंकड़े पर विवंत्रित करना घाटे पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का अनिवेश करना जैसा कि श्री मुरली देवरा ने बताया है। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने यह सब किया है क्योंकि हमें जल्दी और हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या विश्व बैंक द्वारा दिये गए इस निर्देश का भी पालन करना था कि अमुक

तिथि तक आप विनिवेश कर लें···(व्यवधान) हमें केवल 3,000 करोड़ रुपये मिले यह आंकड़ा श्री देवरा का है जोकि कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता हैं, मेरे नहीं हैं और जबकि हमें 10,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे।

इसलिये वह पैसा तो हमने खो दिया। वह कहते हैं कि यह धन सार्वजनिक उपक्रमों में लग गया। यदि यह पैसा म्युचुअल फंड में चला गया तो यह पैसा किसका हो गया ? यह सार्वजनिक पैसा नहीं रहा। यह पैसा उनका हो गया जिन्होंने म्युचुअल फंड में धन दिया है। आपने इनमें उद्योगों सम्बन्धी कानून का संशोधन किया है और बी.आई.एफ.आर. का पुनर्गठन किया और इनमें सार्वजनिक उपक्रमों को बी.आई.एफ.आर. को निर्देशित किया। यह सब जल्दबाजी में किया गया है। आपने इस्पात उद्योग पर से विनियमन और नियन्त्रण हटा लिया है। आपने आयात के लिये रिजर्व बैंक के कैश मार्जिन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात को कम कर दिया···(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : पश्चिम बंगाल को सहायता देने के लिये नियंत्रण को समाप्त किया गया। आपको हमारी सरकार के प्रति आभारी होना चाहिये ··(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : कुछ वस्तुओं के सरकारी माध्यमों से आयात, जैसे पेट्रो-रसायन पदार्थ, खाद्य तिलहन, उर्वरक आदि को कम कर दिया है। फिर अखबारी कागजों की कीमत में कमी व्रेस को दी गई भारी छूट है। उससे श्री मनमोहन को बहुत उत्साह मिला। आपने आपने कानूनी नकदी अनुपात को कम करके 30 प्रतिशत कर दिया है। यह सब किया गया और भी बहुत कुछ किया गया है। मैं उसे गिनाने नहीं जा रहा हूँ। यदि ऐसा करूं उस सूची का कोई अन्त ही नहीं होगा।

इस बजट का कुल प्रभाव क्या हुआ है ? इसका परिणाम यही हुआ है कि इसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस देश में राष्ट्रीय धरोहर का एक हिस्सा बन गया है, उनका यह विकास विगत चालीस वर्षों में हुआ है। वे भारतीय जीवन, भारतीय परिदृश्य का हिस्सा-सा बन गए हैं। हम सभी इस पर गर्व-महसूस करते हैं आज विश्व बैंक से आपको यह निर्देश मिलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आप अपने शेयरों का विनिवेश करें यहां तक कि जो उपक्रम लाभकारी हैं उससे भी अपना निवेश वापस ले लें। सार्वजनिक उपक्रमों के साथ क्या गड़बड़ी हुई है। आप नहीं जानते। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये थी। सत्ता पक्ष के अन्य लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए थी। यह नौकरशाहियों, सत्तापक्ष के राजनीतिज्ञों और सरकार के हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ है। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उचित तरीके से विकास नहीं हो पाया और यह लाभकारी नहीं बन पाये। अन्यथा वे बन सकते थे। उन्होंने निजी क्षेत्र, नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के हितों को पूरा किया है। क्या हुआ था ? क्या कभी उनको उत्तरदायी बनाया गया ? ऐसा नहीं किया गया।

इस स्थिति का आरोप प्रबन्धकों या श्रमिकों पर लगाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की पूरी अवधारणा ही ध्वस्त हो गई है। सरकार ने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। सार्वजनिक क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र ने अच्छा कार्य किया है। सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। क्या उन्होंने अच्छी तरह कार्य नहीं किया है ? आज कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ रुपये

मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों ? क्योंकि आपने इसे विकसित होने का मौका नहीं दिया, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विदेश पूंजी आती और उसका यहां निवेश होता। शायद ऐसा होता। सभी अपने तेल पर अपना अधिकार चाहते हैं। लेकिन आज इस देश में पेट्रोलियम विकास के लिए कई लेखे हैं। चार या पांच अलग-अलग तरह के लेखे हैं। श्री मनमोहन सिंह जी क्या आप जानते हैं कि सरकार ने इन लेखे से कितना पैसा निकाला है—22.000 करोड़ रुपये। यदि पेट्रोलियम उद्योग से 22.000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया तो विकास के लिए पैसे कहां बचेंगे ? आज आप लोगों को पेट्रोलियम की खोज के लिए ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं जहां पेट्रोलियम का पता लगा लिया गया है और सिद्ध कर लिया गया है। ऐसा क्यों ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और अधिक रिग क्यों नहीं काम में लगा पाई। उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। दूसरी ओर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को केवल रिग लगाने से रोका ही नहीं गया बल्कि विदेशों से कर्जा लेने के लिए सरकार द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का उपयोग भी किया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल में क्रेडिट रेटिंग की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं थी। ऐसा 1987-88 के दौरान हुआ। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कर्ज लिया गया और सरकार को दे दिया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उस कर्ज की राशि का ब्याज देता रहा। वह पैसा अभी तक वापस नहीं किया जा सका है। इस तरह से आपने सार्वजनिक क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। इसीलिए पेट्रोलियम के लिए जो कीमत आपको आज चुकानी पड़ रही है वह 0 000 करोड़ से 12 000 करोड़ रुपए के लगभग है।

आपकी कोई नीति नहीं है। आपने निर्यातकों को कुछ प्रोत्साहन दिया लेकिन आपने उन्हें अपने पैसे बाहर रखने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है। इस बारे में कोई शक नहीं है। श्री मनमोहन सिंह जी आप रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि निर्यातकों को विदेश से कितना पैसा प्राप्त होगा यह पता लगाने के दो तरीके हैं—एक सीमा शुल्क विभाग से जानकारी प्राप्त करके और दूसरा बैंकों से। सीमा शुल्क चालानों या बिलों का क्या किया जाता है रिजर्व बैंक को भेजी जाती हैं ? क्या रिजर्व बैंक के लोग उन्हें कभी देखते हैं ? या क्या उन्हें बोरियों में भर कर रिजर्व बैंक के भूतल में रख दिया जाता है और फिर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यह जानकारी मुझे अपने स्रोतों से मिली है। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं। आप ढाई वर्षों तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं।···(व्यवधान) परिणामतः निर्यात से कम मूल्य के बीजक और आयात अधिक मूल्य दिखाकर 28 बिलियन डालर व्यापारियों के द्वारा 1981 से 1989 के बीच आठ वर्षों में देश से बाहर ले जाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए आप इससे इंकार नहीं कर सकते। इससे इंकार करना आपके वश में नहीं है। 28 बिलियन डालर देश से बाहर ले जाया गया। क्या ये लोग उस राशि को पुनः देश में लायेंगे ? उन्होंने आने वाले भारतीयों के लिए बांडों के रूप में और उनको दी गई अन्य सुविधाओं के परिणामस्वरूप कितना पैसा वापस लाया जा सका है। यह पैसा वापस नहीं लाया जाएगा क्योंकि इस देश के भविष्य के बारे में कोई निश्चित नहीं है। जो राजनैतिक स्थिरता हमने प्राप्त की थी वह खत्म हो गई है। आर्थिक स्थिरता गड़बड़ी की स्थिति में है। वे इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हैं कि जो पैसा वे भारत वापस लाएंगे उसका क्या होगा। इसलिए यह सब जो आप अचूक उपाय बता रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। यह सब पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है।

आयात को कम करने की यह कोई नीति नहीं है। श्री मुरली देवरा ने तिलहनों के बारे में कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमल दत्त : मैं एक मिनट और लूंगा और तब अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं यह कह रहा था कि आपके पास निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति है लेकिन ऐसी कोई नीति जिसे लागू किया जा सके और देखा जा सके कि यह सब पैसे देश में वापस आये जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है इसे कम करने के लिये आपके पास कोई नीति नहीं है। कुछ तदर्थ नीतियां बनाई गई लेकिन कुछ स्थाई तौर पर नहीं किया गया। हमें तिलहनों का आयात क्यों करना पड़ता है ? यह देश मलेशिया से बीस या तीस गुना बड़ा है। यदि मलेशिया हमारी आवश्यकताओं के लिये आपूर्ति कर सकता . तो हमें उससे बीस गुना अधिक आपूर्ति करना चाहिए। लेकिन तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है ? हमें यह कार्य करने के लिए लंबर कम्पनी की आवश्यकता नहीं है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही योग्य हैं लेकिन अवसर कहां हैं। उन्हें इसका क्या पारितोषिक मिला है। आज आप देश के कृषकों को गेहूं के लिए 2.50 प्रति किलोग्राम दे रहे हैं। आप उन्हें इतनी राशि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब विदेशों को देने की बात हो, जब संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का आयात करने की बात होती है तो आप चार रुपए प्रति किलो भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे आपसे यह पूछना है कि क्या आपका यह सुझाव है कि खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ने दी जायें··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं अभी सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं आंकड़े नहीं जानता इसलिए अभी कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि यह आपका तरीका है। इस देश की जनता यह जानती है कि उसकी अपनी ही सरकार उसे नहीं सराहती है। उनकी अपनी ही सरकार विदेशी गेहूं खरीदेगी पर उतना ही मूल्य भारतीय गेहूं का नहीं देगी। इस देश की सरकार विदेशों से तिलहन प्राप्त करेगी परन्तु जिस मूल्य पर वह विदेशों से खरीदती है वह मूल्य यहां के तिलहन उत्पादकों को नहीं देगी इस सम्बन्ध में आपने क्या प्रयास किए हैं ? मुझे यह कहना ही होगा कि आपने उन सैकड़ों करोड़ रुपए के मूल्य के विदेशी मुद्रा बचाने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। आप इसे बचा सकते थे। चार महत्वपूर्ण वस्तुओं—पेट्रोलियम, अनाज, उर्वरक और तिलहनों के आयात को शून्य के स्तर तक लाया जा सकता था और हम कुछ निर्यात भी कर सकते थे। यदि हम वास्तव में इसके लिए प्रयास करें तो कोई कारण नहीं है कि हम अनाजों और तिलहनों का निर्यात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो रहा है क्या विकास की जो आपकी नीतियां हैं वे ही गलत हैं। यह सत्तर के दशक से ही गलत है। जैव प्रौद्योगिकी जब सबसे पहले सत्तर के दशक में प्रकट हुई है—स्पष्ट हो गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां जैव प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रभाव हो सकता है। इस देश में क्या किया गया है ? किस विचार को कार्य रूप दिया गया ? हम उद्योग के पीछे क्यों भागते रहें और उस पर ही पैसा खर्च करते रहें और सभी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे रंगीन टी. वी. या मारुति कार के उत्पादन में क्यों लगे रहें ? काश संजय गांधी यदि जीवित होते तो मारुति

के उत्पादन के बदले गेहूं उपजाने पर अधिक बल देते जिससे देश अब तक अमीर हो गया होता। लेकिन लम्बा रास्ता पकड़ा। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : आप सन् 1977 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं। कृपया मुझे बताइये पश्चिम बंगाल राज्य में कितना अनाज खरीदा गया···

श्री अमल दत्त : मैं आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। आप हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। कृपया पूरे ढांचे को बदलने का प्रयास मत कीजिए। (व्यवधान) आप कृपया अपना तरीका बदलिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपसे कभी यह नहीं कहेगा कि कृषि अथवा प्राथमिक उत्पादन बढ़ाओ क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में यह सब अपने लोगों को कह रहे हैं कि खेती में मत करो और खेत को खाली रहने दो ताकि बाजार मूल्य बढ़ सके। यही उनका तरीका है। यदि हम खेती की ओर ध्यान देंगे तो वे रोक देंगे। तो वे ऋण रोक देंगे। लेकिन हमें अगले वर्ष ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बायो-तकनीकी अपनाकर भारत पूरे विश्व को अनाज दे सकता है। आप क्या कर कह रहे हैं। आपके बजट भाषण में इस पर कुछ नहीं कहा गया।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इससे सहमत हूं।

श्री अमल दत्त : मैंने अपनी संतुष्टि के लिए यह गणना की है हमारे देश में 50,000 हेक्टेयर उपलब्ध लवणीकृत और क्लोकिश पानी में जिसमें से 40,000 हेक्टेयर पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके झींगा अथवा शिम्प मछलियों का उत्पादन करके हम कहां पहुंच सकते हैं। मेरे विचार से एक दिन हम ऐसा कर पाएंगे। तब पूरा विश्व भी खरीद नहीं सकेगा। हमारा वह मूल्य नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि दाम कम है और यदि आप इन बातों के आधार पर गणना करें तब पाएंगे कि विश्व में उतना पैसा नहीं है। लेकिन दाम कम होंगे और हम भी कुछ खा सकेंगे जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। यह संभव है। लेकिन आप अपनी नीति और तरीका बदलिए। कृपया विश्व बैंक की बात मत सुनिए। कृपया कुछ हमारी भी बात सुनिए। शायद अगली बार आप इससे बेहतर काम करेंगे।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के बजट का मैं समर्थन करता हूं। अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा करते हुए बजट साहसिक तथा व्यवहारिक है। हमें यह देखना है कि यह बजटीय नीति क्या प्रस्तुत की गई है। यह सभा जानती है कि जब यह सरकार 1991 में सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था दिवालिया होने वाली थी। आयात के लिए हमारे विदेशी मुद्रा भंडार दो सप्ताह की हमारी आवश्यकता के लिए पूरे नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता नहीं रह गई थी और विदेशी बैंकों ने भारत को ऋण देना बंद कर दिया था। अनिवासी भारतीय अपनी जमा राशि वापस ले रहे थे क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विश्वास नहीं रहा था। 18 महीने के शासन में ऐसी स्थिति ला दी गई थी और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 11 महीने में ही अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति कर दी कि जुलाई 1991 में मुद्रा स्फीति की दर 16.6% हो गई। सरकार को इस संकट का सामना करना था कि यदि विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और संस्थानों द्वारा भारत को धन देना

बंद कर दिया गया तब हमारी स्थिति क्या होगी, विश्व में हमारी विश्वसनीयता क्या पायेगी ?..इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा मुद्रा अवमूल्यन जैसा साहसिक कदम उठाया गया और देश की अर्थव्यवस्था की शक्ति को बहाल करने और उसे जीवन्त संपन्न बनाने के लिए तत्काल कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़कर 12000 करोड़ रुपये हो गई हैं। अब हमें किसी की पर निर्भर नहीं रहना है क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति अच्छी हो गई है। मुद्रा स्फीति रुक गई हैं। यह एक दिन में कम नहीं हो सकती है। श्री वाजपेयी कह रहे थे कि "आप तीन वर्षों तक प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं ?" आर्थिक सुधार केवल वित्त मन्त्री का जादू की छड़ी से ही नहीं ला सकते है। बजटीय नीतियां द्वारा केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकता है जिनसे अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है और यह अस्पताल के चिराग की भांति एक दिन में नहीं हो सकता है इसके लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नीतियों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। आज हमें यह देखना है कि विभिन्न उपायों, जिनमें से कुछ बिल्कुल नये हैं, को प्रस्तुत करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। सरकार के उद्देश्य भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने तथा देश में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के थे। सरकार द्वारा नई औद्योगिक मुद्रा व्यापार और वित्तीय नीतियां प्रस्तुत करके इन दोनों उद्देश्यों पूरा कर लिया क्या बजटीय नीति में और सरकार के आर्थिक दर्शन और वित्तीय नीति की झलक मिलती है और सरकार का यह विचार था कि यदि अर्थव्यवस्था को इस वर्तमान संकट से उबारना है तो एक मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं को उदार बनाना होगा और इसे नौकरशाही के नियन्त्रण मुक्त करना होगा। इसी कारण कुछ मूल क्षेत्रों को छोड़कर नई औद्योगिक नीति में लाइसेंस प्रणाली तथा अन्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है जिससे अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती थीं और देश का विकास नहीं हो पाता था। बजटीय नीति में इस उपाय का महत्व दिया गया है। अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न वर्गों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कर स्लाब की दरों में बहुत कमी की है। आज आय-कर के केवल तीन स्लेब है। जिन लोगों की आय 50,000 रुपये तक है उन्हें 20% कर देना है, जिनकी आय 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच तक है उन्हें 30% कर देना है और जिनकी आय 1,00,000 रुपये से अधिक है उन्हें सरचार्ज के साथ 40% कर देना है और यह सरचार्ज एक वर्ष तक जारी रहेगा जैसा कि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कर छूट की सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी है। दूसरे शब्दों में निम्न आय वर्ग के लोगों को 6,000 रुपये की राहत मिलेगी क्योंकि उनकी कर-छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ वित्त मंत्री महोदय ने कुछ वह छूट वापस ले ली है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध थी। 80 (एल) के अन्तर्गत कटौती से कर निर्धारिती को उसकी कुल आय में से 13,000 रुपये की छूट मिलेगी। यदि उसे 20% कर देना है तब उसे कम से कम 2,400 रुपये की छूट मिलेगी, यदि उसे 30% कर देना है तब उसे 3,400 रुपये की छूट मिलेगी और यदि उसे 40% कर देना है तब उसे 6,000 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन अभी 6000 रुपये की छूट के स्थान पर उसे 1,00 रुपये की छूट मिल रही है। जैसाकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार की नीति निम्न आय वर्ग को पर्याप्त राहत देना है। अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बात को यदि धारा 80 (एल) के अन्तर्गत छूट का बहाल नहीं किया जाता तो क्या छूट की यह सीमा बढ़ाने से माध्यम अथवा निम्न आय वर्गों को वास्तव में राहत मिलेगी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धारा 80 (एल) के अन्तर्गत छूट केवल इन लोगों के बचत को

भावना को बढ़ाते है। यदि आप धारा 80 (एल) के अन्तर्गत कर छूट बहाल नहीं करते है तब निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगो द्वारा कर से बचने के लिए जो बचत की जाती है वह समाप्त हो जाएगी और इससे देश में बचत का प्रोत्साहन नही मिलेगा जो कि देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए आंतरिक पूंजी जुटाने का एक स्रोत है।

मेरा वित्त मंत्री से यह अनुरोध भी है कि वह इस मामले पर विचार करें कि क्या धारा 80 (सी सी ए) अथवा 80 (सी सी बी) के अन्तर्गत छूट को बनाए रखा जा सकता है। यदि इसे धारा 88 के अन्तर्गत लाया जाता है तब छूट की सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि धारा 80 सी सी ए अथवा 80 सी सी बी के अन्तर्गत कर निर्धारिती कुछ वर्षों के लिए उस धन का उपयोग नहीं कर सकता। यदि वह इसे वापिस लेना चाहता है तब उस पर कर लगेगा। वित्त मंत्री जी का एक मुख्य उद्देश्य देश में आंतरिक बचत को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने चिकित्सा संबंधी व्यय पर यदि यह व्यय मुख्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत अस्पताल नर्सिंग होमों अथवा क्लीनिकों में और मुख्य आयुक्त द्वारा निर्धारित बीमारियों पर किया गया हो वेतन भोगी को राहत प्रदान की है। मुझे मुख्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत क्लीनिकों के बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन उसके द्वारा बीमारियों का निर्धारित किये जाने के कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। कभी-कभी नई बीमारियां पैदा हो जाती है और विभिन्न राज्यों में भी बीमारियां एक जैसी नहीं हो सकती है। अतः मेरा उनसे यह कहना है कि मामले के इस पहलू पर विचार करें।

बजट नीति के तहत कुछ प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर बेहतर नकदी अनुपात का प्रस्ताव किया है। नकदी अनुपात को 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना है। यह अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी काफी जमा राशि गैर उत्पादक निवेश में नहीं रखनी पड़ेगी। अब इस जारी कर दिया गया है और इससे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने मुद्रा स्फीति और करों की चोरी को रोकने के लिए भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किया है। वह स्वर्ण बांड को बढ़ावा दे रहे है जिसे अपने भाषणानुसार पेश करेंगे। स्वर्ण बांड के इस प्रस्ताव के फलस्वरूप गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए स्वर्ण का अनावश्यक रखना समाप्त हो जाएगा। लोगों को स्वर्ण बांड खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और एक निश्चित अवधि पांच या सात वर्ष जो भी निर्धारित अवधि है, उसके बाद वे स्वर्ण के बराबर मूल्य प्राप्त करेंगे अथवा इस अवधि के लिए मामूली ब्याज सहित उन्हें स्वर्ण लौटा दिया जाएगा। इससे लोगों को अपनी बचतों का निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें स्वर्ण बांड खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार निवेश में भी वृद्धि होगी और करों की चोरी से सही ढंग से निपटा जाएगा।

वित्त मंत्री ने स्वर्ण के आयात को भी बढ़ावा दिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप स्वर्ण का क्या करते है ?

डा. देवी प्रसाद पाल : जब हमें यह प्राप्त होगा तो आप को यह स्वर्ण दे देंगे . आप अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

वित्त मन्त्री ने 15 प्रतिशत के मामूली शुल्क पर अनिवासी भारतीयों अथवा वापस लौट रहे भारतीयों द्वारा स्वर्ण आयात को भी बढ़ावा दिया है । इससे हवाला गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और स्वर्ण के गलत व्यापार पर भी अंकुश लगेगा जो कि गत वर्षों में होता रहा है ।

वित्त मन्त्री ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए है जिनके तहत पूंजीगत बाजार को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाया गया है ताकि अब लोगों को शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में अपनी धनराशि का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । अब शेयरों को भी धनकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है । यह बहुत अच्छा कदम है । कर निर्धारिती को शेयर खरीदने के बाद उन पर धनकर देने की जरूरत नहीं है । लेकिन इसमें कुछ कठिनाई है । यदि शेयरों को बेचा या अंतरित किया जाता है तो यह पूंजीगत लाभ होगा ।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में विचार करें कि क्या इससे शेयरों का चलन रुक नहीं हो जाएगा क्योंकि अगर लोग शेयर बेचते हैं तो वे पूंजीगत लाभ प्राप्त करेंगे । लेकिन यदि में शेयर रखते हैं तो उन्हें कोई धन कर नहीं देना पड़ेगा । इसका यह परिणाम होगा कि वह राशि फंस जाएगी और निवेश रुक जाएंगे । एक नए प्रणाली के द्वारा पूंजीगत लाभ की शुरुआत निःसन्देह एक अनूठी विशेषता है और कर निर्धारिती को सामने आने वाली अनेक समस्याएं इससे दूर कर दी गई हैं ।

अब हम 1-4-1991 को उचित बाजार मूल्य ले रहे हैं और मुद्रा-स्फीति के सूचकांक से इसका संबंध देखते हैं जिसे कि सरकार समय-समय पर घोषित करेगी और उसके आधार पर पूंजीगत लाभ के अंतर पर 20 या 40 प्रतिशत जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार कर लगेगा । लेकिन मैं वित्त मन्त्री से यह प्रश्न अत्यंत सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूं । अगर विक्रय से प्राप्त राशि अनुमोदित निवेशों में लगाई जाती है तो आपने उस पर राहत को समाप्त कर दिया है और वापस ले लिया है । उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति एक सम्पत्ति बेचता है और इसकी राशि को कुछ अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करता है तो उसे छूट मिलती है । ये अनुमोदित प्रतिभूतियां क्या है ? यू. टी. आई. अथवा आई. जी. बी आई. हैं । इस प्रकार धनराशि का निवेश सरकारी क्षेत्र में हो रहा है और इस राशि का उपयोग देश के औद्योगिक विकास के लिए हो रहा है । अगर इस राहत को वापस ले लें तो यह होगा इससे बिक्री मूल्य कम करके पूंजीगत लाभ को चोरी को भी प्रोत्साहन मिलेगा । दूसरी तरफ जब यह कदम लागू था तब इसके कारण सम्पत्ति की खरीद और बिक्री को प्रोत्साहन मिलता उचित बाजार भाव पर परिसम्पत्ति का क्रय विक्रय होता क्योंकि निर्धारिती जानते हैं कि अगर वे अपनी धनराशि का निवेश करेंगे तो उन्हें कर में राहत मिलेगी । अगर वार्षिक प्रणाली की पुन संरचना के उद्देश्य से वित्त विधेयक के माध्यम से ऐसा उपाय पेश होता है तो इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के मामले को प्रवर समिति को भेजने के बाद ही लिया जाए । संसद लोगों की जरूरतों को समझती है । फिर जब आर्थिक प्रणाली में संरचनात्मक समन्वय करना है तो यह अच्छा होगा कि इसे चयन समिति के पास भेज दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था पर इन उपायों के प्रभाव के बारे में विचार किया जा सके ।

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अनेक महत्वपूर्ण उपाय पेश किए हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री की उपलब्धि यह है कि उन्होंने केन्द्र सरकार में सरकारी खर्च में आर्थिक अनुशासन लागू किया है फिर भी राज्यों को उनके हिस्से से इन्कार नहीं किया गया है। बल्कि वित्त मंत्री को बजट नीति के अनुसार राज्य करों के आवंटन में अपना बड़ा हुआ हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपये कर प्राप्ति में से 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राज्यों को मिल रहे हैं। राज्यों को 16,000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में भी बढ़ी हुई पूंजीगत सहायता दी गई है। यह राशि 14,000 करोड़ रुपए से बढाकर 16,000 करोड़ रुपये कर दी गई है इस प्रकार राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये अधिक निर्धारित किए गए हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री की इस नीति की प्रशंसा और स्वागत करता हूं कि उन्होंने सरकारी व्यय में आर्थिक अनुशासन लागू किया है इसके बावजूद उन्होंने सरकारी व्यय में इस कटौती के कारण राज्यों को प्रभावित नहीं होने दिया है।

अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने एक अन्य उपाय भी लागू किया है कि उन्होंने बजट घाटे को एक उचित सीमा तक कम कर दिया है। हमने देखा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा अन्य सरकारों के समय में बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 8.5 प्रतिशत तक बढ़ा। वित्त मन्त्री ने अपने बजट उपायों से 1991-92 में इसे घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। इस वर्ष के दौरान कुछ प्राप्तियां 1,14,000 करोड़ रुपये है और कुल व्यय 1,19,000 करोड़ रुपये है और 5,000 करोड़ रुपये का यह थोड़ा सा घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 5 प्रतिशत है। (व्यवधान)) हम सब जानते हैं कि मुद्रा-स्फीति बजट घाटे से उत्पन्न होती है यह गैर उत्पादक व्यय है जो आमतौर पर पहले सरकारें करती रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट घाटा कम करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप सब समझ रहे हैं कि वित्त मन्त्री विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर चले हैं। इस सभा के कुछ सदस्य कहते हैं कि हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता समर्पण कर दिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जैसा कि वित्त मंत्री ने बेझिझक यह कहा है कि हमारा देश बाहरी विश्व में किसी के सम्मुख अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता का समर्पण नहीं कर सकता हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है; हम विश्व बैंक के सदस्य हैं : यदि आप अपने तत्काल संकट को दूर करने के लिए ऐसे ऋण लेते हैं तो यह अनिवार्य ही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः अच्छी तरह चलाने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के आर्थिक सुधार करने है। इसमें आर्थिक प्रभुसत्ता के समर्पण जैसा कुछ भी नहीं है। इस बजट ने विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत के रास्ते खोल दिए हैं। अब हम विश्व में हर जगह हो रहे परिवर्तन से अछूते नहीं रह सकते। इसलिए यदि हमारे देश को विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उचित भूमिका निभानी है तो हमें अपनी उचित अर्थव्यवस्था को उदार करना है, विदेशी पूंजी विदेशी प्रौद्योगिकी को आमन्त्रित करना है ताकि हमारे उद्योगों के आधुनिकीकरण की गति तेज हो सके। (व्यवधान) उन्होंने कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया है जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। मैं साहसिक और विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह इस देश की बजट नीति में अंयत महत्वपूर्ण है, औद्योगिक विकास की नेहरूवादी नीति से हटा नहीं गया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पाल जी, विभिन्न राजनैतिक दलों को समय दिया गया है। यदि पहले वक्ता अधिक समय लेंगे तो बाद के वक्ताओं को कम समय मिलेगा। तब विवाद पैदा होगा और बाद वाले वक्ताओं में अशांति होगी। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए।

डा. देवी प्रसाद पाल : मैं एक मिनट अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी संबंधित पार्टी सचेतकों को इन बातों को ध्यान में रखना है।

डा. देवी प्रसाद पाल : वित्त मंत्री की बजट नीति एक महत्वपूर्ण घटना है और यदि इस नीति को पूर्ण रूप से लागू किया तो इससे खुली अर्थव्यवस्था उत्पन्न होगी जिसमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे औद्योगिक उत्पादन में तेजी आएगी और कृषि पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा। भारत इस नई बजट नीति के तहत विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नीति और बजट उपायों का समर्थन करता हूं।

श्री पी. जी. नारायण (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की ओर से हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1992-93 के लिये प्रस्तुत सामान्य बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

आरम्भ में मैं अपने वित्त मंत्री जी को देश के सामने जो आर्थिक संकट है उससे निबटने हेतु उन्होंने जो एक सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस देश में कभी नहीं हुआ है और वह भी आठ महीने की अवधि में, मूलभूत परिवर्तन के लिए इतना अधिक नीति निवेश और उन नीति सम्बन्धी घोषणाओं, के इतना अनुरूप कभी कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। उनका समर्थन करता हूं।

बजट में कोई मूलभूत परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार का अचानक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सबसे पहले वित्त मंत्री ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया कि बजट की जानकारी पहले से ही किसी को दी गई थी।

विपक्षी पार्टियों ने विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में काफी कुछ कहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक हमारे बैंकर हैं और उनसे उधार लेना हमारा अधिकार है। ठीक है, वे सन्तुष्ट होना चाहते हैं कि ऋणों का भुगतान कर दिया जायेगा। इसलिए, शर्तों की बात अलग है और हम नीति के अनुसार जो भी करना चाहते हैं, उसके बारे में उनसे चर्चा करनी पड़ती है।

कर सुधारों में राजा चिलैय्या समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के रूप में एक स्पष्ट सहायता दी गई है। यदि वित्त मंत्री की प्रशंसा के लिए किसी एक कारण की आवश्यकता हो, तो वह यह है कि उन्होंने गरीबों के प्रति संवेदनशील और मूलभूत सुधारों के कठिन कार्य को बनाए रखने में उनके साहस को प्रतिबिम्बित करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। 199 -91 में 44,640 रुपये के वित्तीय घाटे को 1991-92 में 37,792 करोड़ रुपयों तक लाना कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। सभी पूर्व वित्त मंत्रियों ने एक के बाद एक ऐसी कटौतियों का वायदा किया था किन्तु वैसी सफलता किसी को नहीं मिली जैसी हमारे वर्तमान वित्त मंत्री को मिली है। वित्त मंत्री ने इस घाटे को 1992-93 में कम करके 34,404 करोड़ रुपये करने का भी वायदा किया है। इससे बड़ी प्रभावी बात है पिछली जुलाई में विदेशी मुद्रा भण्डार 2,600 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस सफलता ने वित्त मंत्री को रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता प्रस्तुत करने में मदद की है। इससे अवश्य ही निर्यात और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा।

इस नई योजना के अनुसार इस समय लागू 'एक्जिम स्क्रिप्स' को समाप्त करना होगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समझौते में इसका चालीस प्रतिशत विनिमय सरकारी दरों पर तथा साठ प्रतिशत बाजार में निर्धारित दरों के अनुसार होगा। इससे विदेशी निवेशकर्त्ताओं तथा देशी व्यापारियों में सरकारी मुद्रा दर परिवर्तन सम्बन्धी जो अनिश्चितता है वह भी कुछ सीमा तक समाप्त हो जाएगी।

अन्य बड़ी उपलब्धि है कि वित्त मंत्री वित्तीय घाटे को कम कर पाने में सफल हुए हैं। 1991-92 के बजट अनुमान के अनुसार घाटा मात्र 5,398 करोड़ रुपये का है जबकि 1991-92 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 7,132 करोड़ रुपये था, यह मूल अनुमान से 600 करोड़ रुपये कम है और यह भी उम्मीद है कि वे वित्तीय घाटे को और अधिक कम कर पाने में सफल होंगे।

इस बजट का मुख्य आकर्षण है कि वित्त मंत्री ने राजस्व सम्बन्धी नई महत्वपूर्ण त्याग किए हैं किन्तु यह सब प्रशंसनीय प्रयोजनार्थ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने नये बजट में जिन दो अन्य योजनाओं का प्रस्ताव किया है वे सफल रहेंगी। उनमें से एक है, भारतीयों द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 15 प्रतिशत आयात कर का भुगतान करके पांच कि.ग्रा. तक सोने के आयात की अनुमति देना। यह एक अच्छा प्रस्ताव है और देश के अन्दर गैर-कानूनी तरीके से सोने के आयात को समाप्त करने की एक नई तरह की योजना है। अन्य योजना 'एक्जिम स्क्रिप्स' की असफलता के कारण बनाई गई है जो देश में दुर्लभ मुद्रा के दोहरे मूल्य की अनुमति देती है। यह अवश्य रुपये को धीरे-धीरे पूर्णरूप से परिवर्तनीय बनाने की दिशा में एक कदम है।

वर्तमान बजट में आय-कर छूट सीमा को बढ़ाकर 28,000 रु., जिसमें मात्र तीन कर वर स्लैब लगेंगे, करके आय-कर प्रणाली का प्रशंसनीय रूप से सरलीकरण किया गया है।

एक अच्छी नई तरह की योजना प्रस्तुत की गई है जिसमें उन दुकानदारों तथा खुदरा व्यापारियों को नई कर व्यवस्था के अनुसार 1400 रु. का वार्षिक कर का भुगतान करना होगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रु की है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह उन लोगों को अपनी मनोवैज्ञानिक दुविधा को छोड़कर व्यवस्था में शामिल करना है जो कर- भुगतान की क्षमता रखते हैं।

6.00 म.प.

मैं यहां एक बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शेयर, प्रतिभूतियों, बांड, बैंक जमा राशि इत्यादि को सम्पत्ति कर से छूट देते समय, खण्ड 50 एल. को हटाकर छोटे निवेशकर्त्ताओं के साथ न्याय नहीं किया गया है। इससे अवश्य उन छोटे निवेशकर्त्ताओं को कष्ट पहुंचेगा जो सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं। कतिपय छोटी जमा धनराशियों पर भत्ता देने के निर्णय से स्रोत एकत्र करने में राज्यों को, विशेषकर मेरे राज्य, तमिलनाडु को भारी धक्का पहुंचा था। अतः, मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर पुनः विचार करने का निवेदन करता हूं। इसी प्रकार निम्न तथा मध्यवर्ग के लोगों द्वारा आवास निर्माण को बढ़ावा देने में 3500 रु. के राहत की योजना को समाप्त करना तथा ब्याज भुगतान इत्यादि के रूप में आवासीय सम्पदा में हुई हानि की भरपाई न करने की योजना उचित नहीं है।

एक अन्य प्रशंसनीय कदम उठाया गया है, वह है पूंजीगत लाभ कर का सरलीकरण करना

तथा इसे दूसरों पर निर्भर विकलांग व्यक्तियों, रोजगार में लगी महिलाओं, 65 की आयु से अधिक लोगों, लेखकों, नाटक-लेखकों, कलाकारों और खिलाड़ियों तथा आपात गैस त्रासदी के शिकार लोगों के लाभ के लिए सुनीति पर आधारित, व्यवस्था जिसे प्रत्यक्ष कर प्रणाली में आरम्भ किया गया था, उस प्रणाली को अधिक रियायतों के साथ और सरल बना दिया गया है।

इन सबके साथ, वास्तव में राज्यों की स्थिति का और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। सुदृढ़ केन्द्र तथा समृद्ध स्वशासित राज्यों सम्बन्धी दर्शन के अनुसार, संविधान को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होगी कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता की सुरक्षा सम्बन्धी सभी शक्तियां केन्द्र के पास तथा लोगों के कल्याण सम्बन्धी शक्तियां राज्यों के पास रहें। केन्द्र ने औद्योगिक विकास और निर्यात के प्रयास को बढ़ावा देने में राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से, नियमित कर के किसी भाग में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं था।

वित्त मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो पेंशन सम्बन्धी लाभों में तर्कसंगत वृद्धि की अनुशंसा करती है, को स्वीकार कर लेना भी एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रक्षा के खर्च में कटौती करने के दबाव के बावजूद इस प्रस्ताव के अनुसार, अत्याधिक प्रचारित "समान रैंक, समान पेंशन" योजना के लिए 120 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवंटनों में वृद्धि के अलावा मानव संसाधन विकास विभाग को बजट आवंटन में 85 करोड़ रु. की वृद्धि करते हुए सरकार ने महिला तथा बाल विकास को प्राथमिकता दी है।

बजट आवंटन में जो एक अन्य कमी यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के समग्र आवंटन में कटौती कर दी गई है, यद्यपि ग्रामीण निर्धनों के लिए मकान बनाने हेतु एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रस्ताव है। नई योजना के क्रियान्वयन में केन्द्रीय अनुदान 50 प्रतिशत होगा, जल-आपूर्ति तथा सफाई और सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए भी पिछले बार की अपेक्षा कम आवंटन किया गया है। मैं माननीय मंत्री से इस आवंटन पर पुनः विचार करने का निवेदन करता हूं।

इस बजट का एक अन्य प्रशंसनीय कदम है पेट्रोल उत्पाद, मोटर कारों तथा कुछ इलेक्ट्रानिक सामान पर करों से छूट देना। आवश्यक वस्तुओं जैसे काफी, चाय, चीनी, माचिस, मिट्टी का तेल तथा वनस्पति पर दी गई छूट भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा 'नाबार्ड' द्वारा 'स्मॉल फार्मर्स एग्रो-बिजनेस कंसोर्टियम फण्ड' की स्थापना करने की वित्त मंत्री की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार उत्पादन करने का एक अद्भुत प्रयोग है।

देश में पर्यटन उद्योग के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रियायत दी गई है वह है रेस्टोरेंटों के संबंध में व्यय कर को समाप्त करने की तथा होटलों के संबंध में कुछ संशोधन करने की घोषणा। यह विशेष तौर पर बड़े शहरों के लिए इस कदम का स्वागत है जहां पर इन भोजनालयों को मध्यम-वर्ग का एक बड़ा वर्ग बढ़ावा देता है।

अर्द्ध-सैन्य बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह-मंत्रालय के लिए बजट आबंटन में वृद्धि का स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देते समय, उन राज्यों के लिए उस सहायता का एक विशेष आरक्षण किया जाता है जहां पर सीमा संबंधी समस्याएं हों। मेरे राज्य, तमिलनाडु की श्रीलंका के साथ एक बड़ी समुद्री सीमा है। विदेश उग्रवादियों की गतिविधियों को देखते हुए सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र एक समस्या उत्पन्न करता है। उग्रवादियों के श्रीलंका में लगातार घुसने से यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण राज्य के तटीय जिलों ने कष्ट झेला है। श्रीलंका की आन्तरिक स्थिति से उत्पन्न समस्या के कारण शरणार्थियों का बहुत बड़ी संख्या में राज्य में शरण लेना पड़ी, यद्यपि शरणार्थियों के भरण-पोषण का खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है, तथापि राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर इसके कई विपरीत प्रभाव पड़े। श्रीलंका के उग्रवादियों को घुसपैठ करने से रोकने तथा सीमा-पार के दुराग्रह के कारण राज्य द्वारा वहन किये गए भारी खर्च को देखते हुए राज्य की ओर से केन्द्रीय सहायता की लगातार मांग रही है। केन्द्र सरकार ने उसे अब तक नहीं माना है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने बताया है, जो कि ध्यान देने योग्य है, कि तमिलनाडु में एक आत्मघाती दस्ता प्रवेश कर गया है जो उन्हें (राज्य के मुख्य मंत्री को) समाप्त करना चाहता है तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल के मुख्यालय को नष्ट करने का काशश में है। आसूचना ब्यूरो ने भी इसकी पुष्टि की है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर तथा असम में विशेष सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं, उसी तरह समुद्री तटीय राज्यों, जो सीमावर्ती है, को भी समुद्री सीमा क्षेत्र मानते हुए विशेष सहायता स्थल सीमा क्षेत्र के समान दिया जाए।

सूती धागा और कपड़े पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सुसंगत बनाने के नाम पर वित्त मंत्री ने उद्योग पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाल दिया है। कपास के मूल्य बढ़ने के कारण सूती कपड़े के मूल्य पहले से ही बहुत अधिक हैं और अन्य उपयोग आने वाली वस्तुओं के मूल्य वृद्धि का परिणाम सूती धागा के उत्पादन में विगत भावों के दौरान आई कमी है। इस बढ़ोत्तरी के कारण सूती कपड़ा उद्योग के बड़े राहतों की आशा पर पानी फिर गया। कम नम्बर के सूती धागों पर इस उत्पादन शुल्क में वृद्धि का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा जो मुख्य रूप से समाज के गरीब तबके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मोटे कपड़ों के लिए आवश्यक है। हमारे राज्य तमिलनाडु में अधिकतर सूती कपड़ा उद्योग कोयम्बटूर जिले में स्थित और इस बढ़ोतरी के कारण सारे उद्योग बहुत चिन्तित है। इसलिए मैं, माननीय वित्त मंत्री से यह जोर देकर कहता हूँ कि उद्योग के विकास के हित में सूती धागों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि को वापस लेने पर पुनर्विचार करें।

जहां तक हमारे राज्य तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हमारे मुख्य मंत्री ने कई विकासोन्मुखी योजनाएं शुरू की हैं और सुदूर क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में चहुंमुखी सामाजिक, आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके और तमिलनाडु के गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। तमिलनाडु का हमेशा यह प्रयास रहा है कि केन्द्रीय सहायता के लिए जो परियोजनाएं केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई हैं उनको मंजूरी में आने वाली अड़चनों को दूर करने में पूरा सहयोग देकर

केन्द्रीय निवेश को बढ़ाया जाए। मैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बता रहा हूं जो स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी हैं।

मद्रास के निकट मनाली में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा सहायता प्राप्त प्रस्तावित एटामेटिक्स परियोजना विगत चार वर्षों से सभी औपचारिकताओं को पूरा किये जाने के बाद भी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है। मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है। मैं माननीय वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना सेतु समुद्रम परियोजना है, जिसके अन्तर्गत रामेश्वरम द्वीप में खुदाई करके एक नहर बनाने की आवश्यकता है ताकि जहाजों का पल्क जल-डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी तक आने जाने के लिये सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों ने इस परियोजना के लिए सिफारिश की है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं (1) भारत के पश्चिमी तट की बन्दरगाहों और पूर्वी तट की बन्दरगाहों के बीच की दूरी में कमी हो जाएगी और इसके फलावा समय और ईंधन भी बचेगा; (2) विद्युत उत्पादन लागत में कमी; (3) तुतीकोरिन में और इसके आसपास पर्याप्त औद्योगिक विकास हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस योजना प्रबोध में इस परियोजना को उन परियोजनाओं में शामिल कर ले जिसे वार्षिक कार्य विभाग ने विदेशी सहायता के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित किया है।

तीसरे, भारत में मुक्त बन्दरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक परामर्शदात्री समिति ने कन्याकुमारी या तूतीकोरिन में इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की थी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में भी वह शीघ्र निर्णय लें।

तमिलनाडु सरकार ने सस्ती शराब की योजना को जुलाई 1991 से बन्द कर दिया है। इससे एक वर्ष में करीब 400 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को राजस्व में हो रही हानि को पूरा करने के लिए उचित क्षतिपूर्ति करने की मांग की है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में भी निर्णय लें।

अन्त में वर्तमान जल-विवाद और कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को लागू करने के विरोध में आयोजित सर्वदलीय बन्द के दौरान भड़की हिंसा में तमिलों द्वारा हुए नुकसान का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रधान मंत्री ने शुरू में ही इस बात पर बल दिया था कि पानी को वे राष्ट्रीय सम्पत्ति मानें और जल से जुड़े मुद्दों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखें। साथ ही केन्द्र का यह प्रयास रहेगा कि कावेरी न्यायाधिकरण का कार्य सुचारु रूप से चले। माननीय प्रधान मंत्री ने आगे यह कहा कि न्यायाधिकरण को अन्तिम आदेश प्राप्त करने में सहायता देने का कार्य प्रत्येक व्यक्ति का होगा। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि सर्वदलीय बन्द के दौरान घटी घटनाओं जैसी वारदातों से वे अपने सम्बन्धों को न बिगाड़ें और वे इस सभी मामले को मानवता से अलग होकर देखें।

इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने यह आशा की थी कि उन्हें यह निश्चित आश्वासन मिलेगा कि कर्नाटक सरकार अंतरिम आदेश का सम्मान करेगी और कर्नाटक में हिंसा के दौरान प्रभावित हुए तमिलों की क्षतिपूर्ति करने के मामले की जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। परन्तु इन मुद्दों में से किसी भी भी मुद्दे पर किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। तमिलनाडु की जनता अब केन्द्र सरकार से यह आशा करती है कि वह इस आशय का एक निर्देश जारी करे कि कर्नाटक सरकार को न्यायाधिकार के अंतरिम आदेश का सम्मान करे और लागू करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को देश में दूसरी औद्योगिक क्रांति लाने के लिये पुनः बधाई देता हूं।

इसलिये हम इस बजट को हृदय से स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। 1992-93 के अन्दाज पत्र की चर्चा मेरे एक मान्यवर नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज प्रारम्भ की है, मैं आपकी अनुमति से उसी अन्दाज पत्र की कुछ बातें, जो मेरी पार्टी सही मानती है, को सदन में लाना चाहता हूं उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई सालों से मैं इस देश के अन्दाज पत्र को देखता आया हूं, हमेशा मुझे एक ही बात उसमें नजर आई है कि अन्दाज पत्र, ये बजट, ये सारे का सारा विदेशी और पाश्चमी विचारधारा की छाप से अंकित है। अन्दाज पत्र का मन मोहक है मगर उसकी आत्मा मोहक नहीं है। ईंट, चूने और पत्थर से इमारत बनती है, मकान बनता है लेकिन घर नहीं बनता है। रुपए, पैसे और सोने से लंका बनती है, अयोध्या नहीं बनती, कहां है आत्मा इस अन्दाज पत्र में, आत्मा का ख्याल ही आपको गलत है। आप यह मानते हैं कि अन्दाज पत्र का मुख्य बिन्दु रुपया है। सारी दुनिया रुपए के पीछे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अन्दाज पत्र बनाती है, एक यही देश है जिसकी प्राचीन परम्परा रही है कि उसने अन्दाज पत्र में व्यक्ति को रखा है पैसे को नहीं रखा है, व्यक्ति के अनुरूप नीतियों का निर्माण, व्यक्ति के अनुरूप व्यवस्था का निर्माण, व्यक्ति के अनुरूप उसकी सुख-समृद्धि का निर्माण, मुझे इस अन्दाज पत्र में यह नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है एन आर आई, वर्ल्ड बैंक, मुझे इस अन्दाज पत्र में नजर आता है मल्टी नेशनल कम्पनियां, मुझे इस अन्दाज पत्र में नजर आता है वर्ल्ड बाड, मुझे इसमें गांव में रहने वाला किसान नजर नहीं आता, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला वह गरीब मजदूर नजर नहीं आता। मुझे विद्यार्थी, नजर नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी भी राष्ट्र का निर्माण करना हो तो वह सिर्फ रुपए पैसे से नहीं होता, तो शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तियों के निर्माण से होता है। सारे अन्दाज पत्र को आप देख लीजिए, क्या इसमें शिक्षा के बारे में कहीं कुछ है, पचास करोड़, सौ करोड़ इधर-उधर रख कर, अपना काम पूरा कर लिया है लेकिन जब हम दुनिया के इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो पता

चलता है कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होता तब तक सारी बनाई हुई नीतियां विफल जाती हैं और यह निर्माण कार्य कौन करेगा, सिर्फ पैसे से निर्माण कार्य नहीं होता, चरित्र से निर्माण कार्य होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि इस अन्दाज पत्र का मन मोहक है उसकी आत्मका मोहक नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था गांव में निर्मित है गांव इस देश की आर्थिक नीति का केन्द्र बिन्दु है, अन्दाज पत्र के केन्द्र बिन्दु में गांव नहीं है। चाहें कितनी भी आप किताबें उठा लीजिए, अन्दाज पत्र के विवरण के सारे के सारे विवरण मैंने देखे हैं, बड़े-बड़े आर्टीकल मैंने पढ़े हैं, अन्दाज पत्र को मैंने पढ़ा इसमें सिर्फ है-औद्योगिक विकास, इण्डस्ट्रीयलाइजेशन के सिवा कुछ नहीं है हां यूरोप के लिए यह संभव है, क्योंकि यूरोप के देश 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध में औद्योगीकरण के पीछे दौड़ें थे और वहां पर ग्रामीण जीवन और किसान तथा कृषि व्यवस्था नहीं थी जिस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिस देश कीआर्थिक नीति गांवों पर निर्भर है, किसान जिस देश की आत्मा है, उस आत्मा के बारे में इस बजट में 2-3 वाक्यों से ज्यादा नहीं कहा गया है। मान्यवर, मैंने सारे सदन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ औद्योगीकरण से यह देश नहीं बनेगा। दो बड़ी कंपनियां आ गई और हमारा रिजर्व फण्ड तह गया, इससे देश नहीं बनेगा। रिजर्व फण्ड और गोल्ड बांड में कौन रुपया लगाएगा, गांव में रहने वाले किसान के पास पैसा नहीं है, वह शेयर बाजार में नहीं जा सकता। शेयर बाजार और गोल्ड बांड शहरों के अमीर लोगों के लिए हैं, गरीब किसान जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, जिस देश में 35 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, जिनका जीवन खेती पर निर्भर है, वे लोग इसमें पैसा नहीं लगा सकते। इस देश में 6 करोड़ से ज्यादा नौजवान, पढ़े लिखे हैं और अर्द्ध-पढ़े लिखे 40 साल से सरकार की नीतियों से आशा लगा कर बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। "आर्यभट्ट" ऊपर चक्कर काटता है और देश का बेरोजगार नौजवान रोजगार कार्यालय के चक्कर काटता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। नौजवान गांव छोड़कर शहर आता है, अपनी जमीन-जायदाद, खेती छोड कर शहर आता है, इस आशा से कि उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन 40 वर्षों में उसको नौकरी नहीं मिल पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता सूत्र संभालने से पहले सरकार ने बहुत वादे किए थे कि प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहां है रोजगार या रोजगार की गारंटी की कोई योजना ? रोजगार के जो स्रोत हैं, वे भी आपने हड़प लिए। जो रोजगार से निकल रहे हैं, उनके बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अटल जी ने ठीक कहा कि रोजगार देने की बात अलग रही, जो लोग रोजगार से निकाले जाते हैं, उनके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं मल्टीनेशनल कम्पनियों के खिलाफ नहीं हूं। यदि बड़ी कम्पनियां आती हैं और उद्योग लगाती हैं, देश के विकास में सहयोग करती हैं और रोजगार उत्पन्न करती हैं, तो उनका स्वागत है अटल जी ने भी यह बात कही है, मगर ये बड़ी कम्पनियां हमारे छोटे उद्योगों को खा जाएंगी। ठाकुर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस अंदाज-पत्र में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। आपने रेलवे फ्रेट 7 परसेंट बढ़ा दिया, सीमेंट के भाव बढ़ा दिए, स्टील आयरन के भाव बढ़ा दिए, ऐसी स्थिति में लघु उद्योग कैसे कंपीट कर सकेंगे बड़े उद्योगों के साथ, कैसे रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। रोजगार उत्पन्न करने के बारे में स्माल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की स्थिति में आपको बताना चाहता हूं—

[अनुवाद]

लघु उद्योग में वार्षिक उत्पादन 1,61,000 करोड़ रुपये है जबकि बड़े उद्योग में 1,31,000 करोड़ रुपया होता है। लघु उद्योग में संयंत्र और मशीनों पर लागत 50,000 करोड़ रुपया है जबकि बड़े उद्योगों पर यह लागत 2,:0,000 करोड़ रुपया है। लघु उद्योग में 3.80 करोड़ का रोजगार मिलता है जबकि बड़े उद्योगों पर यह 2.18 करोड़ है।

[हिन्दी]

ये छोटे उद्योग, छोटे यूनिट्स रोजगार उत्पन्न करते हैं। आपने सीमेंट के भाव बढ़ा दिए, फ्रेट बढ़ा दिया, इस्पात के भाव बढ़ा दिए, ऐसी स्थिति में ये कैसे कम्पीट कर पाएंगे। हैल्दी कंपीटीशन अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी एक संतुलन होना चाहिए। 700-800 साल की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक गुलामी के बाद जब 1947 में देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तब उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही दिशा नहीं मिली। अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता तो हम भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपीट कर सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। लोगों ने इस पर बहस शुरू की। आपने बजट पेश किया है तो इससे दस-पन्द्रह प्रतिशत लोग ही खुश हुए। बड़े-बड़े लोग एक लाख से ऊपर इनकम वाले पचास प्रतिशत इन्कम टैक्स देते थे, लेकिन अब चालीस हो गया है। छोटे-छोटे उद्योग आज मारे जा रहे हैं। यहां पर वित्त मन्त्री मौजूद हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला, बिजली और बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। वहां जो काम करते थे, वे बेकार होते जा रहे हैं। उनकी मांगों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं उस शहर से आता हूं जिसको एक जमाने में हिन्दुस्तान का मानचेस्टर कहा जाता था, उसको अहमदाबाद कहते हैं। वहां पर 90 टैक्सटाईल मिलें हैं "इट वज ए डाईंग सिटी टुडे"। अभी तो 35 मिलें चल रही हैं और 19 मिलें बन्द पड़ी हैं और बाकी कभी भी बन्द हो सकती हैं। पचास हजार कामदार दस साल से बेकार हैं। उनके लिए कोई बात नहीं हैं। कपड़ा उद्योग के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। देश में जो प्रस्तावित उद्योग हैं, वे घाटे में चल रहे हैं और सिक यूनिट के नाते चल रहे हैं। उनको खड़ा करने के लिए क्या योजना बनाई गई है। आपके बजट में कोई योजना नहीं है। सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि देश की बहुत सारी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं। सन् 85 में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जो मिलें बन्द पड़ी हैं तो उनके कामदारों को टैक्सटाइल वर्कर्स रिहेबिलिटेशन फंड के अन्तर्गत पहले साल की तन्ख्वाह के 75 प्रतिशत, दूसरे साल पचास प्रतिशत और तीसरे साल 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जायगा। 35 हजार में से 14 हजार को मिला और बाकी को पता नहीं कब मिलेगा। मैं, बार-बार इस सवाल को इस सदन में उठाता रहा हूँ। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने भी भाषण दिया था कि आप मेरे लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दो तो मैं तुम्हारे लिए मिलों के दरवाजे खोल दूंगा। दरवाजे नहीं खुले और मिलें बन्द हो गई। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री का ध्यान गुजरात की मरती हुई टैक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बारे में परिस्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वह थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा है और नौकरी करता है। बड़े जोर शोर से घोषणा कर दी गई कि आयकर की 21 हजार की सीमा को 28 हजार रुपया कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या फायदा होने वाला है। 28 हजार की मर्यादा से क्या फायदा होने वाला है? वह छोटा सा नौकरी करने वाला मंहगाई के चक्कर में पिसा जा

रहा है, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रजा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जिस तरह से पिछले तीस-पैंतीस सालों में और पिछले आठ महीनों में मंहगाई बढ़ी है। उसको देखते हुए इस मर्यादा को मैं 48 हजार रुपए तक ले जाने की मांग करता हूं। आपने 80-सी सी ए, 80 सी सी बी और 80-एल वगैरह छीन लिया है। बहुत से लोग अपने लायर को कह देते हैं कि दो हजार का इन्कम टैक्स देना है तो उसका एडजस्टमेंट कर दो और बहुत से लोगों सी ए. को बता देते हैं तो इसका एडजस्टमेंट कर दो। मैं कल राजधानी ट्रेन में आ रहा था। एक भाई ने मुझे बताया कि एक लाख 23 हजार रुपए की इन्कम वाले को सिर्फ पांच सौ रुपया ही टैक्स देना पड़ता था। अब उन्हें 22 हजार रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। जिनके पास पैसा है वे अपने ढंग से असेसमेंट करवायेंगे और बच जायेंगे। मगर जो नौकरी करते हैं, किसी मिल में जाते हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, ग्रामीण बैंक में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह चैक से मिलती है इसलिए उनको एडजेस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इस बात को दोहराता हूं, बड़ी चर्चा है लोगों के मन में कि हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। 28 हजार को छूट रख कर। इसलिए मैं मांग करता हूँ इसकी लिमिट 48 हजार करनी चाहिए। ठाकुर साहब परसों मुझे लाबो में मिले थे। मैंने कहा था कि 5 लाख रुपये की बात आपने कहीं है जिसका टर्न ओवर होगा उन सभी छोटे-मोटे व्यापारियों को इसके दायरे में लाया जावेगा। सरकार चाहती है कि सभी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ जायें। यह सही बात है सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। राष्ट्र को हमारा योगदान होना चाहिये। राष्ट्र की बुनियाद खड़ी करनी है देश को सुख और वैभव की ओर ले जाना है। मगर सरकार का क्या भरोसा है। 5 लाख रुपये की टर्न ओवर तक 1400 रुपये टैक्स की योजना है एक बार व्यापारी का नाम आयकर देने में रजिस्टर हो गया फिर अगले सत्र में क्या होगा, क्या आय पर भरोसा रखकर क्या लोग करवायेंगे। मैं नहीं मानता कि देंगे। उसमें एक क्लाज रखी है, जो अभी-अभी मेरी नजर में आई है इसके कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं होगी। ठाकुर साहब, व्यापारी जिसका खुद का या उसके माइनर का किसी भी बैंक में डिपाजिट होगा और उस पर एक रुपया भी ब्याज मिलेगा तो !

[अनुवाद]

यह योजना उस पर लागू हो जाएगी।

[हिन्दी]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : आपका सुझाव क्या है बताइये ?

श्री हरिन पाठक : सुझाव यह है कि आप 5 लाख रुपये और 1400 रुपये टैक्स के बारे में सभी पहलुओं पर विचार करें और जो सचमुच टैक्स देने के लायक हैं उनको ही इसमें शामिल करना चाहिये। एटरंडम किसी को नहीं लेना चाहिये। सारे लीगल आस्पेक्ट्स पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वह क्लाज निकालना पड़ेगा। अगर उसको 100 रुपये किसी शेयर या डिपाजिट से इनकम है तो वह उस योजना के अन्तर्गत नहीं आयेगा। एटरंडम कोई योजना नहीं बनानी चाहिए।

जैसा मैंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां देश में एक हद तक बिगड़ गई हैं। जैसे गोल्ड

बांड योजना है। सरकार कहती है कि विदेश से सोना आयेगा और देश सोने की चिड़िया बन जायेगा। कौन लायेगा सोना, किस तरीके से लायेगा हवाला मार्केट तेज है। कोई भी आदमी हवाला कर सकता है बम्बई मार्केट में, उसके नाम से डालर जमा हो सकता है वही आदमी हिन्दुस्तान में सोना लेकर आयेगा और उसको लाने वाला आदमी कौन होगा। क्या आप सोने की लंका बना रहे हैं। क्या इस गोल्ड बांड योजना पर लोगों का भरोसा है ? आपने ही जीवन धारा नाम की योजना बनाई।

[अनुवाद]

मध्यम वर्गीय लोगों की यह दीर्घकालिक योजना थी। दो साल पहले पालिसी सरकार के वित्त मंत्री ने बनाई थी। लोगों ने जीवन धारा ले ली। उसने सोचा होगा कि जबमैं 55 का हो जाऊंगा तब मुझे एक लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। आज सरकार कह देती है यह योजना रद्द कर दी गई है आप पालिसी वापस लो। इसलिए आप पर कौन भरोसा करेगा। सरकार की नीतियां 15 दिन में बदलती हैं। जब जीवन धारा बन्द करके आम आदमी की नैया डुबो दी जाएगी, जब मांझी ही नैया डुबोये तो फिर कौन बचाये। अगर नई योजना को अमल करना है तो अगले साल से कीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कोई भी योजना हो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे बन्द हो सकती है। जिसने जीवन धारा ली है आप उनकी पालिसी वापस ले रहे हैं। अगर योजना बन्द करनी हो तो कहीं समय दो कि योजना 1.4.1992 से अमल में नहीं होगी। इससे आप पर प्रजा का विश्वास उठ जाएगा, लाग टर्म प्लानिंग पर से प्रजा का विश्वास उठ गया सेविंग्ज पर से प्रजा का विश्वास उठ गया, सरकार तो बदलती रहती है, फिर समाज का कौन सा वर्ग ऐसी योजनाओं में, चाहे गोल्ड बांड्स हो या जीवन-धारा हो, उसमें अपना पैसा लगाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय की मर्यादा मुझे आगे बात करने से रोकती है परन्तु ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरी पार्टी के नेता और साथी लोग कहने वाले हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूं और वह भी आपके माध्यम से कि इस बजट में अभी भी तीन दिन का अवकाश है, इसके सारे पहलू, मध्यम वर्ग के बारे में, उसकी आय की जो बढ़ोतरी के बारे में इन्कम टैक्स में छूट देने के बारे में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, किसान विद्यार्थियों और शिक्षा के बारे में जो मैंने कहा है, उस सब की ओर ध्यान दें। शिक्षा के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा में आपने क्या दिया है ? इससे क्या चरित्र निर्माण होगा। शिक्षा के बारे में मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन मैं चूंकि कल बोलने वाला था और आज अपनी फाइल नहीं लाया, इसलिए इतना कह रहा हूं कि आपने शिक्षा में 52 करोड़ रुपया कम किया है खेल कूद में भी कम किया है हमारे खिलाड़ियों को सोने की दिलचस्पी नहीं है और इसलिए हम गोल्ड कभी नहीं लाते इस देश में। हमारे खिलाड़ी भी नहीं लाते हैं, गोल्ड कप क्यों लायेंगे ?

ठाकुर साहब मुझे एक बात पसन्द आयी और वह यह है कि आपने भारतीय संस्कृति को पिछले एक साल से अच्छे ढंग से अपनाया है। भारतीय विचारधारा है :

यावत जीवेत् सुखम, जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत,
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनंकुत: ।।

जब तक जोओ सुख से जोओ और घी पियो शरीर नष्ट होने वाला है, यह फिर आने वाला नहीं है। इसलिए जितना कर मिलता है ले लो।

हे प्राणी! जितना भी पराया मिलता है, वह ले लो। यह देह तो बार-बार मिलता है पराया धन बार-बार नहीं मिलता। पराये धन से, चाहे वह वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे आई. एम. एफ. का हो, देश की विकासधारा को गति ही मिल सकती है लेकिन विकास सार्वजनिक और पूर्ण नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, विदेशियों की नीतियों से देश नहीं बनता है, मैकाले की शिक्षा नीति से देश नहीं बना, हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाले हिन्दुस्तान के लोग कावेरी के जल को एक दूसरे प्रान्त में चले जाने पर एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। जलवरी से लेकर आज तक पंजाब में 450 लोग मारे गये हैं। हमने 40 साल की आजादी में क्या प्राप्त किया है? विदेश की सहायतासे तो कुछ नहीं होगा अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते तब तक सब कुछ बेकार है स्वावलम्बन और स्वाभिमान से ही प्रगति होगी। सिर्फ विदेशी सहायता पर निर्भर रहने से नहीं होगा। अन्त में एक शब्द पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

मिट्टी जब तक अपना हक अदा नहीं करे,
हवाओं की सिफारिश से कभी गुलाब खिलता नहीं॥

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बजट प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैंने बहुत गौर से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय चन्द्रजीत यादव साहब, श्री अमल दत्त साहब और अभी-अभी श्री हीरन पाठक का भाषण बहुत अच्छी तरह से सुना और इस भाषण को सुनने के बाद मुझे यह लगता है कि उन्होंने बहुत ही कोशिश और तकलीफ उठाकर इस वर्तमान बजट प्रस्ताव का किस तरह से विरोध करना चाहिये, आलोचना करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश की है और अपनी पार्टी के प्रति वफादारी निभायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि पिछले दो साल के बाद जो देश के अन्दर राजनैतिक अस्थिरता थी, आर्थिक अस्थिरता थी, उसके बाद वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नरसिंहराव जी की अध्यक्षता में नेतृत्व संभाला, उसके बाद सात महीने के अन्दर देश में एक राजनैतिक स्थिरता का वातावरण पैदा हुआ है और एक आर्थिक स्थिरता देश के अन्दर दिखाई देती है। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तकलीफ को समझता हूँ। वह जब देखते हैं कि एक दफा 1977 में, एक दफा 1989 में वे लोग सत्ता में गए, सभी दलों ने मिल-जुलकर सत्ता संभाली थी और उस समय देश की जनता के सामने बहुत सारे वायदे किए वे, उसके बाद भी उनकी सरकार जो पूरे समय चलनी चाहिए थी, वह नहीं चली और आपसी विरोध के कारण उनकी सत्ता चली गई। चुनाव हुए और देश की जनता ने फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाला। यह इस बात का सबूत है कि इस देश में कितना भी बुरा-भला कांग्रेस के खिलाफ कहा जाए, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कितने भी आरोप लगाए जाएं, कितनी भी आलोचना की जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ही इस

देश के अन्दर राजनैतिक स्थिरता दे सकती है। देश को राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता देने में कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है और कोई पार्टी सक्षम नहीं है। यह हकीकत है, कोई इसे मानता है और कोई नहीं मानता है। कोई जागते हुए सोने का बहाना करता है और कोई सचमुच सोता है। जो सचमुच होता है उसको आवाज देने से वह उठ जाता है पर जो जागते हुए भी आखें बन्द करके पड़ा हुआ है, उसको कितनी भी आवाज दीजिए उसकी नींद नहीं खुलेगी क्योंकि वह सोया नहीं है। जो आंखें बन्द करके रखना चाहते हैं, देश की प्रगति को नहीं देखना चाहते हैं, उनके साथ क्या किया जाए ?

यह बात सही है कि वर्तमान बजट प्रस्ताव एक साहसिक कदम है और वित्त मंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ नरसिंहराव जी के नेतृत्व में बहुत ही साहस के साथ इस कदम को उठाया है। जिस हालत के अन्दर राजनैतिक अस्थिरता के अन्दर यह सरकार सत्ता में आई थी, उस समय इस सरकार के आने के बाद कई कदम उठाए गए जो देश के लोगों के ऊपर बोझ पड़ा है, देश की जनता को तकलीफ हुई है, लेकिन इस सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि कुछ दिनों के अन्दर इसका नतीजा भी आने लगा है। अभी जितनी भी आलोचना इस सरकार के खिलाफ की गई है विरोधी पक्ष द्वारा कि ये अच्छा नहीं किया, वह अच्छा नहीं किया, सारी व्यवस्था खराब कर दी, मगर विकल्प की व्यवस्था क्या है वह नहीं बताया। विकल्प व्यवस्था भी हमने देखी है। दास कैपिटल की हालत यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुई, चीन में क्या हुई। क्यों चीन को दास कैपिटल को छोड़कर मिक्स्ड इकनामी को अपने संविधान में संशोधन करके लाना पड़ा ? आज क्यों चीन में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों प्राइवेट कंपनीज खुल रही हैं, क्यों सड़कों पर दुकानें नजर आ रही हैं। ये सारी बातें और जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़ने का कोशिश हमारे वामपंथी दल नहीं करेंगे या उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके सामने आज यह बात कहना चाहता हूं कि यह पहली दफा है जब वित्त मंत्री के बजट प्रस्तुत करने से तीन-चार दिन पहले ही इस सदन के अन्दर उन पर आरोप लगे, लांछन लगे और जिस तरह से कहा गया कि बजट लीक हो गया है, जिस तरह से कहा गया है कि देश की सोवरनिटी बिल्कुल बिक गई है, आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक को कंडीशनैलिटीज पर भारत का सब कुछ बिक चुका है। जिसमें आरोप इस सदन में हमारे ऊपर लगाये गये हैं, मैं इतने दिनों से, लगभग 15 साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं, किसी बजट के समय मैंने इस प्रकार के आरोप लगाते हुए नहीं देखा। इन बजट प्रस्तावों के पेश होने के बाद, यह देखा गया कि बाकी सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने, कुछ नहीं बोला, उस समय सब चुप हो गये और कोई बात बोलने का उनमें साहस नहीं रह गया। फिर आज क्या बात हो गयी। वित्त मंत्री जी ने जितना पत्राचार किया था, उन सारी बातों को सदन में बताया है। सदन में दिये गये उनके वक्तव्य में सारी बातें शामिल हैं। यदि आप लोग उसे पढ़ने की, जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसमें दोष हमारा नहीं है।

मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार मजबूती के साथ देश को विकास की ओर, प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है लेकिन हमारे विरोधी पक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आक्रमण हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये आक्रमण राजनैतिक आक्रमण हैं और ये चीजें तो चलती ही रहेंगी क्योंकि जब तक हम लोग सत्ता में हैं और ये लोग विरोध पक्ष में हैं, सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिये, हर तरह के आरोप, असत्य बातों को आप सदन में उठाते रहेंगे।··· (व्यवधान)··· हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 100 दिन वाली बात भी बोलिये।

श्री मनोरंजन भक्त : हां, सारी बातें बताऊंगा, आप फिक्र मत करिये। अभी मैं आपके सामने इतना ही बताना चाहता हूं कि इस समय जो प्रस्ताव सदन के सामने है, वे नये प्रस्ताव हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो आदर्श हैं, जिस तरीके से कांग्रेस देश को सेल्फ रिलायेंस की ओर ले जाना चाहती है, ज्याद से ज्यादा रोजगार देश मे पैदा करना चाहती है, देश में विकास के काम करना चाहती है, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ने वाला बजट यहां प्रस्तुत किया गया है।

यह बात भी सही है कि पिछले 30-40 सालों में जिस तरीके से बजट यहां पेश हुआ करते थे, उस प्रकार का बजट यह नहीं है। उससे थोड़ा हट कर है और वह फक इसलिये है कि नये तरीके से, आज जो इस देश की जरूरतें है, लोगों की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिये एक नया रास्ता अपनाया गया है। विरोध पक्ष की ओर से हमेशा कहा जाता है कि दो सालों के अन्दर हमने सारा खराब कर दिया लेकिन मैं सही रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी वित्तीय व्यवस्था में यदि कोई कमजोरी आयी है तो हमें उसका दोष सिर्फ विरोधी पक्ष को देने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि 40 साल तक हम लगातार सत्ता में रहे हैं। जरूर हमसे कहीं न कहीं गलती हुई होगी, इसमें दो रायें नहीं हैं लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी। जब यह देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पास क्या था—एक सुई भी इस देश में पैदा नहीं होती थी। पहली पचवर्षीय योजना मात्र 2400 करोड़ रुपये की हमने चलाई जबकि आज 2 लाख करोड़ से भी आगे जाकर 4 लाख करोड़ रुपये की योजना चलाने की बात हम सोच रहे हैं, 4 लाख करोड़ से भी ऊपर जाकर, आगामी पंच वर्षीय योजना हम चलाने के बारे में सोच रहे है लेकिन भारत में वातावरण एक जैसा नहीं है क्योंकि हमारी आबादी भी पिछले सालों मे डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, यह बात भी हमें समझनी पड़ेगी।

आज जितनी बातें हमारे विरोधी पक्ष के लोग, कांग्रेस के बारे में करते है, उन्हें ऐसा करने का राजनैतिक अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। देश आजाद होने के बाद, यदि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी का शासन इस देश मे चलाना चाहती तो आज शायद दूसरी पार्टियां यहां देखने को न मिलती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोगों के निर्णय पर सत्ता छोड़ी है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता दी है। दूसरी पार्टियां भी सत्ता में रही हैं। इसलिये कांग्रेस पार्टी की नीति ऐसी नहीं रही कि हम एक पार्टी का राज इस देश पर लागू करें। हमने पार्लियामेंटरी पद्धति को, संसदीय लोकतंत्र को इस देश में लागू किया और सही तरीके से इस देश की जनता की सेवा करने की कोशिश की है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदन में जो बजट प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उनके जरिये हम फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हो सकें। हमारे उद्योगों की प्रोडक्शन में पिछले सालों में जो कमी आयी है, कृषि उत्पादन में कमी आयी है, हम उस कमी को दूर करना चाहते हैं। हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर, अच्छी परफोरमैंस होने के कारण, उम्मीद है कि हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, आने वाले वर्षों में हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी और पूरे देश को उसका लाभ पहुँचेगा।

इसके साथ, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमेशा यहां एक बात बोली गयी, आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक की कण्डीशनैलिटीज की बात यहां कही जाती है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं बताना चाहता हू खास कर के पं. बंगाल में जहां वर्ल्ड बैंक के रुपए से काम होता है, उसमें क्या कंडीशनैलिटीज हैं। एक तो मैं यह बताना चाहता हूं—

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

कलकत्ता शहरी विकास-III

(क) सी एम सी का जी ओ डब्ल्यू बी पर से निर्भरता 24 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत करना।

(ख) सी एम सी की कुल सम्पत्ति का आनुपातिक 'मूल्य 1986-87 से बढ़ाकर निर्धारित स्तर पर लाना होगा'।

(ग) निर्धारित स्तर तक नकद वसूली प्राप्त करना।

(घ) सम्पति कर का पुनर्मूल्यांकन, सी एम ए सी म्युनिसिपैलिटी, एचएमसी, सोएमसी में होगा यदि दिसम्बर, 1983 में पूरा किये जाने वाले मूल्यांकन से कम पाया जाएगा तो उस स्थिति मे पुर्नमूल्यांकन होगा;

(ङ) 1987-88 तक जल आपूर्ति के लिये सी एम सी के लिये कुल लागत वसूल किया जाएगा।

(च) आई डी ए के इच्छानुसार बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नवम्बर, 1983 तक सी एम सी निर्धारित दर तय करेगी।

(छ) 1985-86 तक सी एम डब्ल्यू एस ए जल आपूर्ति की पूरी लागत वसूल करेगी।

(ज) सी एम डब्ल्यू एस ए के जल की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा;

(झ) कार्यान्वित करने वाली एजेंसियो को 1984 तक सी एम डी ए कुल सम्पत्ति अंतरित कर देगी।

बात चीत के लिए निम्न शर्तों पर सहमति हुई :

(ञ) बस और ट्राम के भाड़ों में वृद्धि।

(ट) मीटर पाठन, बिल की तैयारी करने और उपभोक्ता सेवा संबंधी विभागों की स्थापना।"

[हिन्दी]

ये लम्बी लिस्ट थी, जिन कंडीशनैलिटीज को स्टेज गवर्नमैंट ने एक्सैप्ट किया और उसको

इम्पलीमेंट किया । अभी मैं और बता रहा हूं, सोनपुर बाजारी में एक प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग की बात चल रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, परन्तु स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को चिटठी जाती है कि जो भी वर्ल्ड बैंक की कंडीशनेलिटाज हैं ह उनको पूरा करेंगे और जो भी उनकी शर्तें हैं वे हम मानेंगे इसलिए आप इसको वापस मत हो दीजिए और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को वहां चलाने के लिये ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्फत जो डाल रहे हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टेट के डवलपमेंट के लिए, इकनौमिक डवलपमेंट के लि आपको यदि जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से यदि लोन लेने की आ श्यकता हैं, तो आप उसको ठीक समझते हैं, लेकिन उसी वर्ल्ड बैंक से देश की इकनौमी को सुधार के लिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है, तो उसको आप बुरा कहते हैं । इस प्रकार से नहीं चलेग मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप अपने राज्य में उसको इम्पलामेंट करते हैं औ दूसरी तरफ जब केन्द्र सरकार उसी लोन को लेती है, तो आप यहां उसको क्रिटीसाइज करते हैं, । प्रकार से आप डबल स्टेंडर्ड क्यों करते हैं ?

स्टेट में आप टैक्स नहीं लगाते हैं और जीरो टैक्स बजट लाते हैं, लेकिन दूसरे और केन्द्र सरकार जो कर लगाती है उसका ज्यादा भाग मांगते हैं । लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा है, तो आप उसको बुरा कहते हैं और उस पर यहां आकर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि गरीब लोगों को तकलीफ देने की बात की गई है । मैं यहां इस सदन इस बात को स्पष्ट रूप से कह चाहता हूं कि इस तरफ सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो गरीबों की तरफ से चुनकर आए हैं । इसलि उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ठीक बोलता हूं कि ये लोग यहां आकर प्राइवेटाइजेशन के खिल बोलते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में ये ऐसा ही कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो हमारे देश में हैं, ज जहां हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं । यह बात मानते हैं और मैं भी मानता हूं । इसलिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स को बन्द कर के लोगों को बा निकालना, यह ठीक नहीं है । देश में पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जहां कमी है, जहां उसको दुरुस्त क की जरूरत है, उनको दुरुस्त किया जाए । जहां कमी हैं, उसको ठीक करने के लिए जिस दवा जहां जरूरत हैं, वैसा किया जाए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि वर्कर्स को बुलाकर बात करनी चाहिए और कैसे बी.आई.ए आर. को मजबूत करना पड़ेगा, इसको मजबूत करिए, इन सारी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन । स्टाक एण्ड बैरल प्राइवेटाइजेशन को अपोज करना ठीक नहीं है । इससे ऐसा लगता है कि जैसे चु में हम प्रचार कर रहे हैं, यहां पार्लियामेंट में बजट पर भाषण नहीं दे रहे हैं । यह सब चुनाव-प्रच के लिए शुरू किया है । इसी प्रकार से मैं उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की बात बताना चाहता हूं । ह मित्र जैना साहब यहां नहीं हैं । उन लोगों ने वहां क्या किया—

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :—

"सरकार ने एक 1500 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अटलांटा (अमरी स्थित साऊथ इलेक्ट्रील इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कि

हैं, जिसकी लागत 5000 करोड़ रुपये है। और अमरीका स्थित नार्थ ईस्ट एनर्जी कम्पनी ने कटक के पास 1,500 करोड़ का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।"

"टाटा आयरन और स्टील कम्पनी ने उड़ीसा राज्य के स्वामित्व वाले "उड़ीसा माईनिंग कोरपोरेशन चार्ज क्रोम प्लांट" के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयंत्र प्रति महीना 1.5 करोड़ का घाटा झेल रहा था।"

"आई.टी.सी., पूने स्थित कलयानी समूह और सिथेटिक्स और केमिकल्स राज्य को कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में राज्य को सावधान करते रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने भी अभी हाल ही में इंडो-अमेरिकन हाई ब्रिडस लीड्स कम्पनी को 30 वर्ष के पट्टे पर एक स्टेट फार्म देने की पेशकश की है। बंगलौर स्थित बीज और कृषि उत्पाद कम्पनी फार्म में "टिसू कल्चर" और संकर बीच पर प्रयोग करेगी।'

"टाटा एक्सपोर्ट" को मध्य प्रदेश सरकार के साथ राज्य के स्वामित्व वाले रेशम उद्योग प्रमाणन् फार्मे के अधिग्रहण की बातचीत चल रही है। राज्य सरकार को आशा है कि इससे टाटा अंततः राज्य में रेशम बुनाई और कताई के संयंत्र स्थापित करेगा।"

"टाटा द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के किसी तालाब में एक मछली पालन परियोजना भी स्थापित करने के लिए बातचीत की जा रही है। यदि यह सफल होता है तो इससे और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"

"इंडियन पेपर एण्ड पल्प नेशनल आयरन एंड स्टील कम्पनी (निस्को) लिली बिस्कुट, इंडिया बेल्टिरंग और कृष्णा ग्लास एंड सिलीकेट्स बेचे जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रवक्ता कहता है—"कई निजी कम्पनियों से बातचीत चल रही है।"

[हिन्दी]

मैं नहीं समझता कि यह कोई बुरी बात कर ली। यदि कोई प्राईवेट ऐंटरप्रेन्योर आकर उसको चला सकता है, उसमें इनवैस्ट कर सकता है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रोजैक्शन होता है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने सारा प्राईवेटाइज कर दिया, सैन्ट्रल गवर्नमेंट देश के हित में बात नहीं कर रही है, जैसे राज्य सरकारों की कोई गलती नहीं हुई, सारी चीज अच्छे ढंग से चल रही है। वह डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सही किस्म से बात होनी चाहिए।

इस देश में इंटरनल और एक्सटेरनल बोरोईंगल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर किसी किस्म की रोकथाम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद पार्लियामेंट एक लेबल फिक्स कर दे जिससे ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं हो सकेगी। तब ठीक होगा क्योंकि आज इनटरस्ट पेमेंट की लायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसे देखने से भी डर लगता है।

फिसकल करैक्शन कुछ करना है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर चर्चा करें, केवल सैन्ट्रल बजट होने से नहीं चलेगा। जब तक सैन्टर और स्टेट दोनों मिलकर पूरे देश के लिए

ऐसी फिसकल पालिसी नहीं बनाएंगे जिससे देश के हर पहलू को ध्यान में रखा जाए और उसे अस्ल में लाया जाए तब तक यह ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस पर जरूर ध्यान देंगे।

हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और व्यवस्था है इसमें सबसे कमजोर जूडीशियरी है क्योंकि लैजिसलेचर और एग्जीक्यूटिव को ज्यादा से ज्यादा अथारिटी है, खासकर फाइनेंशल मैटर्स में उनके पास अधिकार होता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में मुकदमे सुपीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारी के केस तय करने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राईबुनल बनाया गया है जिसके 16 बैंच सारे देश में बनाए गए हैं। आज उनकी क्या हालत है। आज सब जगह पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, बैठने के लिए जगह नहीं है, स्टाफ नहीं है, बजटरी सपोर्ट नहीं है। इसी प्रकार से यदि पूरा जुडीशियरी सफर करेगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सरकार के लिए चेतावनी है कि लोकतंत्र तभी सफल तरीके से काम कर सकेगा जब जूडीशियरी इनडीपेंडेंटली और अच्छे ढंग से जल्दी अपने अपने काम को निभा सकेगी। यह जरूरी है कि इस मामले में वित्त मंत्री ध्यान दें। जूडीशियरी की प्रोब्लम्ब को हल करना पड़ेगा।

बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री जी ने अच्छी बात कही है लेकिन केन्द्र शासित इलाके के लिए कोई बात नहीं कही है। दूरदराज के आईलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान के लिए एक बात भी नहीं कही है।

7.00 म.प.

हमारी संख्या बहुत कम है अगर देश के छोटे से हिस्से में मुसीबत आये तो सारे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप दूर-दराज इलाकों के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। बजटरी स्पोर्ट अच्छे ढंग से होना चाहिये। ऊनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। ये सब स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स और यूनियन टैरिटरिज हैं। इनके लिए हमेशा हर साल हम आपसे मांगते रहेंगे यह बात अच्छी नहीं है। इन सब जगहों में किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया जाए, किस तरीके से आमदनी का रास्ता खोला जाए जिससे कि हम भी देश के खजाने में अपना योगदान कर सके, इसे देखना चाहिए। अगर अंडेमान निकोबार फ्री पोर्ट बन जाए तो अच्छा अच्छा होगा। फ्री पोर्ट बनने से देश में कम से कम पांच हजार करोड़ रुपए एक साल में विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। कई वर्षों से यह बात चली, कई रिपोर्टें बनीं, रिपोर्ट दी गई और उन पर चर्चा हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वित्त मंत्री जी जो बहुत लगन के साथ या मैरिट के ऊपर केस को देखते हैं, आशा है वे इस पर जरूर विचार करेंगे। टूरिज्म के ऊपर यह सारी चीज देखकर बहुत अच्छे ढग से इसको सपोर्ट देना चाहिए जिससे हम ज्यादा रिसोर्सिज मोबिलाइज कर सकते हैं और इससे देश को भी फायदा होगा।

जहां पब्लिक सेक्टर कैपेबल है, वहां सरकार की तरफ से पूरी तरह प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसा कि पेपर में भी निकला कि 190 मिलियन डालर में एक ए.बी.पी. कम्पनी जो कि फारेन की है, उसको रेलवे का कांट्रेक्ट दे रहे हैं। अगर बी.एच.ई.एल. उसके लिए कैपेबल है और उसको कर सकती है तो वह कांट्रेक्ट उसको देना चाहिए। अगर इसके लिए उसे 10-20 परसेंट ज्यादा पैसा भी देना पड़े तो उसे दें तभी देश में कुछ हो सकता है।

कस्टम ड्यूटी में जो कमी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर नुकसान पहुंचाया। इससे इम्पोर्टिड माल सस्ता होगा और अपने देश में जो इंडिजिनस प्रोडेक्शन है, उनके दाम बढ़ेंगे। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इस बात को सोचना पड़ेगा।

80 सी सी.ए. और 80 सी.सी.बी. और 80 एल को रैस्टोर करना चाहिए। हमारी सरकार न्यूज पेपर, रेडियो और टी वी. द्वारा बचत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देती है। आपने एक बात करके ही एक दिन में सारा प्रोत्साहन उठा लिया। यह देश के हित के लिए अच्छा नहीं होगा। गरीब और मध्यम वर्ग को इसमें बचत करके जो प्रोत्साहन मिलता था, वह मिलना बन्द हो गया है। जरूरी है कि आप इसको देखें।

स्माल ट्रेडर्स के लिए जो आपने किया, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लो रह गया है। अगर पांच रुपये रिसीप्सिज से उसे इंटरस्ट मिलता तो वह इस कैटेगिरी में एप्लीकेबल नहीं होगा। इस फ्लो को दूर करना पड़ेगा। आप इसे दूर कीजिए। आपको बहुत भारी रकम मिलेगी। इससे आने वाले वर्षों में आप हंसते हसते आयेंगे और बाकी सदस्य चुपचाप बैठे रहेंगे।

कैपिटल गेन टैक्स में जो तरीके आपने कर दिये, इससे ऊपर वाले को ज्यादा फायदा मिलेगा। जो आदमी एक घर में जाकर या कोई विधवा कोई चीज बिक्री करती है तो उसके ऊपर उसे नुकसान पहुंचेगा।

वर्तमान स्थिति में उन लोगों को इससे जो लाभ पहुंचता है, उस चीज पर से लाभ को आपने हटा लिया है। इससे मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी की तरफ देखते हुए इस बात की तरफ आपको ध्यान देना होगा और कम से कम एक लाख रुपए तक जिसकी सेल वैल्यू होगी, कैपीटल गेन होगा, उसके अन्दर आप वर्तमान व्यवस्था को लागू कर सकते हैं।

इसी तरीके से सैलरीड क्लास पीपुल को ज्यादा तकलीफ है। ज्यादा तकलीफ इस लिए है क्योंकि, आपके सामान के दाम बढ़ते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है क्योंकि उनकी आमदनी एक ही रहती है जो उनको तनख्वाह के रूप में मिलती है। उनके प्रोत्साहन के लिए आपने जो 28 000 की छूट दी है, इस 28,000 से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए जैसा चन्द्रजीत जी यादव ने बताया है, इसमें कम से कम 36,000 की छूट कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा।

पार्टनरशिप कम्पनी के लिए आपने जो दे दिया है कि जिसकी 10 लाख की आमदनी है, उनको इससे फायदा होगा लेकिन जिन पार्टनरशिप कम्पनियों को 2 लाख का फायदा है, उनको इससे फायदा नहीं होगा। वह एक लाख 50 हजार से ज्यादा सैलरीज एण्ड वेसेज नहीं दे सकते।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :—छोटी फर्मों को इससे ज्यादा लाभ होगा। आप विचारपूर्वक देखेंगे तो बड़ी फर्मों को अपेक्षाकृत कम लाभ होगा। श्री मनोरंजन भक्त : आप जो कहते हैं, वह ठीक होगा, उनको ज्यादा लाभ होगा लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही

कहा कि अभी से प्रोवीजन में अगर उनको दो लाख की इनकम है तो वह एक लाख 50 हजार रुपए सैलरीज में नहीं दे सकते। इसको 90 परसेण्ट कर देंगे तो फिर वह ठीक रहेगा।

वैल्थ टैक्स के अन्दर आपने इतना कर दिया कि 15 लाख के ऊपर जाकर उनपर बहुत ही ज्यादा वैल्थ टैक्स नहीं है। मैं समझता हूं कि ऊपर की लिमिट में थोड़ा वैल्थ टैक्स ज्यादा होना चाहिए। नीचे वाला तो बिक्री करके दे गया, उसको यदि वह नहीं मिलेगा तो उसकी प्रापर्टी का कोई वैल्यू नहीं है।

नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में मैं एक बात आपके सामने बताना चाहता हूँ। नेशनलाइज्ड बैंक्स का परफोरमेंस प्रोपर तरीके से नहीं है, पिछला रिकार्ड आपके सामने है। इसमें ज्यादा अन्दर जाकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, इनका फंक्शन किस प्रकार का है, मैं समझता हूं कि इसको ठीक करना आवश्यक है। दूसरे पार्लियामेण्ट का ज्यादा से ज्यादा कण्ट्रोल नेशनलाइज्ड बैंकों के ऊपर होना चाहिए। आज पार्लियामेण्ट का कोई अधिकार, अख्तियार नेशनल बैंकों के ऊपर नहीं है, कोई छोटी सी पालिसी को इधर-उधर करने को छोड़कर। इनके प्रोफट एण्ड लॉस के जो भी डाउटफुल डैट्स हैं, उनको पूछने का अधिकार भी पार्लियामेण्ट का नहीं है। जब तक पब्लिक मनी के ऊपर एकाउण्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक यह बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं।

एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूँ। आपने जितने इनोवेटिव आइडियाज लिए हैं, अगर आपको इनको ठीक ढंग से लागू करना है तो आप अपने डिपार्टमेण्ट के अन्दर दो और डिपार्टमेण्ट खोलिए। जो डायरेक्स टैक्सेज का डिपार्टमेंण्ट सी. बी. डी. टी. है, इसका एक अलग डिपार्टमेण्ट हैडेड बाइपाइस सैक्रेटरी और जो चेयरमैन है, वहां सैक्रेटरी हो सकता है। फिर इसी तरह से एक्साइज एण्ड कस्टम का भी एक डिपार्टमेण्ट होना चाहिए। जैसे अब एक्सपेंडीचर, इकोनामिक अफेयर्स एण्ड रिवेन्यू है, इसमें आप अभी एक्सपेंडीचर, इकोनामिक अफेयर्स, रिवेन्यू, कस्टम्स एण्ड एक्साइज और डायरेक्ट टैक्सेज, इस तरह से आप 4 डिपार्टमेण्ट्स कर सकते हैं।

[अनुवाद]

वित्तसचिव विभागों के साथ पूरा समन्वय कर सकते हैं।

[हिन्दी]

वह थोड़ा आपको ठीक रहेगा।

आखिर में दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ। एग्जिट पॉलिसी को ले कर बहुत बात यहां हुई है। मैं उसमें यह बताना चाहता हूं कि अभी यहां आने के समय हमने कलकत्ता के एक पेपर में खबर देखी है कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एग्जिट पॉलिसी इम्पलीमेण्ट करनी शुरू कर दी। यह कहां तक सही है, मैं नहीं जानता। मैंने यह बात इसलिए कही, क्योंकि, हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, खासकर वामपंथियों ने यह बात कही है कि सरकार एग्जिट पॉलिसी में यह कर रही है, यह ठीक नहीं है, ऐसा करके उन्होंने विरोध किया है, मैं नहीं जानता कि पेपर की रिपोर्ट कितनी सही है, उनकी तरफ से जब लोग बोलेंगे तो वह भी इसके ऊपर बोल सकते हैं।

इतना ही नहीं, वर्तमान परिस्थितियों में जो बजट सदन के सामने रखा गया है, वह बजट देश के हित के लिए है और इस देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक साहसिक कदम है। इस कदम को सदन के सभी पक्षों को मिलकर समर्थन करते हुए आगे ले जाना चाहिए,

ताकि आने वाले दिनों में, दो-तीन साल के अन्दर एक लग्न के साथ, एक डिटरमिनेशन के साथ मिल कर इस देश का आर्थिक दशा को सुधार सकते हैं। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा, वाजपेयी जी ने बहुत मुश्किल से इस बजट के विरोध में बात कही और आखिर में उन्होने बताया कि इस देश के आर्थिक ढांचे को बदलने में बहुत ताकत है। इस ताकत से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सही बात बताई, मैं नहीं जानता कि उन्होने सही बात बताई या गलत बताई, लेकिन अलग बात बताई। इस देश के आर्थिक ढाचे में ताकत है। इस सदन के लोग तय कर लें, निश्चित कर लें कि सरकार के साथ सहयोग देकर इस राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे का मजबूत बनाना है, तभी जाकर 80 करोड़ गरीब जनता जो गांवो में रहती है, उन लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में अच्छा भविष्य लाना समव हो पाएगा।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, बजट का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए जरूरत से ज्यादा समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, : अब मैं श्री आर. जी. विलियमस को बोलने की इजाजत देता हूं।

श्री बसुदेब आचार्य : यह कुमारी जैसा भाषण है।

उपाध्यक्ष महोदय, : हां, हम उन्हें सुनेंगे।

श्री आर. जी. विलियमस् (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। और उन्हें बधाई देता हूं उनके अद्वितीय कार्य पर जो उन्होंने पिछले आठ महीने में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अराजकताके गव में डूब जाने से बचाने के लिए किया है। अर्थव्यवस्था की यह दुर्व्यवस्था पिछली ना काम सरकारो के कुप्रबध और पुराने रीति के अनुसरण करने की प्रवृति से मुखर हो उठी।

महोदय, यह गर्व की बात है कि भारत की साख, देश में और विश्व में भी, पुनः वापस आ गई है और इन कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था उच्च और प्रगति उन्मुख मार्ग पर चल पड़ी है।

माध्यमिक सरंचना गत परिवर्तन के लिए मध्यम-अवधि कार्यक्रम जिसमें व्यापार नीति और औद्योगिक नीति शमिल हैं का लक्ष्य क्षमता, उत्पादकता और भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ाना है। यह बहुत ही प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है और वास्तव में हमारे उद्यागों में गत कुछ वर्षो से आए गतिराध का देखते हुए ऐसे कदमों का हार्दिक स्वागत है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य श्रम प्रधान पद्धति प्रचार करना है जिसमे राजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो जा कि आज के समय की सबसे बड़ा मांग है। यद्यपि यह सब आधुनक उत्पादनतकनीक और उत्पादकता की गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

महोदय, मेरे दिमाग में जो बात उभर रही है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें बीमार उद्योगों

को पुनर्जीवित करके उत्पादकता की सभी उपलब्ध क्षमता का उपयोग करना चाहिए और इसके लिए यदि विदेशी मदद की आवश्यकता हो तो वह भी लेनी चाहिए ताकि हम विश्व स्तर पर प्रतियोगिता कर सकें। इसके लिए हमें गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। संक्षेप में, आगामी कुछ वर्षों में हमारा नारा यह होना चाहिए—"उत्पादन करो या मिट जाओ।"

मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इसलिए मैं अपनी टिप्पणी और विनम्र सुझाव वित्त मन्त्री के बजट भाषण के उस अंश तक ही सीमित रखूंगा जो मध्य आय सीमा समूह तथा वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होता है। इस पीड़ित समूह के लिए यह बजट एक भ्रान्ति है और यह पहले की तुलना में भारी कर का बोझ डालता है। आयकर सीमा को 22000 रुपये से बढ़ा कर 28000 रुपये तक करना स्वागत योग्य है और अगर मैं कहूं तो सत्य यह है कि यह बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। उसी प्रकार 30.40 तथा 20 प्रतिशत का सरल "टैक्स स्लैब" बहुत ही तर्कसंगत है लेकिन 50 प्रतिशत का "स्लैब" उन लोगों पर लागू होना चाहिए था जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा है। यही कर सुधार समिति की सिफारिश भी थी। 12 प्रतिशत के अधिशुल्क को रखे रहने की मजबूरी अस्पष्ट है और यदि संभव हो तो यह 2 लाख से ज्यादा आय वाले लोग पर लगाया जाना चाहिए।

जहां तक अनुच्छेद 16 (1) के अन्तर्गत मानक कटौती का प्रश्न है, जो व्यक्ति के रोजगार के साथ प्रासंगिक है, 1700 की अधिकतम मानक कटौती कई वर्षों से अस्तित्व में है। वेतन तथा खर्च में वृद्धि को देखते हुए मानक कटौती को बढ़ाकर 15000/—रुपये करना बहुत पहले से अपेक्षित है परन्तु यह केवल महिलाओं पर नहीं बल्कि सभी पर लागू होना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री के उस उदार भावना का समर्थन करता हूं जो उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए दर्शायी है। मैं उन अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों का भी समर्थन करता हूं जो विशेष कर महिलाओं को दिए जाएंगे।

मैं प्रत्यक्ष कर नीति में लाए गए मूलभूत परिवर्तन का विरोध करता हूं। यहाँ मध्य आय वर्ग को कई तरह के प्रोत्साहन देकर अपनी मेहनत की कमाई और नाम-मात्र की बचत को शेयरों बैंकों, यूनाइटेड ट्रस्ट आफ इन्डिया, औद्योगिक विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बॉंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया है। फिर अगले प्रोत्साहन के तौर पर, लाभांश और जमा राशि से प्राप्त ब्याज पर 13000 तक की छूट अनुच्छेद 80 एल के अन्तगत मिली हुई है। अनुच्छेद 80 एल कई वर्षों से लागू है। इसलिए इस व्यवस्था के आकस्मिक रूप से वापस लेने से आयकर सीमा को 22000 से बढ़कर 28,000 कर देने से जो फायदा हुआ है वह सब बेकार साबित हो गया है। माननीय वित्त मन्त्री ने एक तरफ तो आयकर सीमा में 6000/—रुपये की वृद्धि की है तथा दूसरी तरफ 13000 तक की कर छूट वापस ले ली है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस नीति से मध्य आय वर्ग की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में बदतर हो गई है। उन्हें 70,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि इसे पूरा करने के लिए उचित तो यह है कि 80 सी. सी. ए. और 80 सी.सी. बी. के साथ-साथ अनुच्छेद 80 एल को पुनः लागू कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से कम से कम कर छूट सीमा को 13,000 रुपये और बढ़ा दिया जाए अर्थात आयकर सीमा को 28,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 कर दिया जाए।

वित्त मन्त्री बड़े-बूढ़ों द्वारा भोगे जा रहे वित्तीय संकट पर दृष्टिपात करने में उदार रहे हैं और इन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान के रूप में, वह 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा उन बूढ़े लोगों के लिए जिनकी सकल वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, कुल देय कर पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया है। विश्लेषण से साफ पता चलता है कि इस उदार नीति से अधिकतर मामलों में 500-600 रुपये की कर छूट ही संभव होगी। इससे वृद्ध पेंशन वालों में एक भेद खड़ा हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस 10 प्रतिशत का फायदा सभी बुजुर्ग नागरिकों को मिलना चाहिए। या वैकल्पिक रूप से कम से कम कर सीमा इस वर्ग के लोगों के लिए 50,000 रुपये होनी चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे एक और बात कहनी है। यह अनुच्छेद 54 (इ) को वापस ले लेने के विषय में है। इस अनुच्छेद के तहत दीर्घकालिन पूंजीगत लाभ कर से मुक्त है, बशर्ते कि पूरा अर्थात मूलधन और पूंजीगत लाभ तीन साल के लिए छह महीना के अन्दर 9 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज दर पर औद्योगिक विकास बैंक बांड में जमा कर दिया जाए।

इस धारा को हटाने के इस अनुचित प्रस्ताव से मेरे विचार से मध्यम वर्गी आयकर दाताओं को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए जीवन-रक्षक बचत, विशेषकर अपने सेवाकाल के अन्त के निकट पहुंच कर की अवसर समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण और लाभकारी धारा को हटाने की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाय।

धनकर के बारे में प्रस्तावित रियायतों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। न्यूनतम कर सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करना एक प्रशंसनीय कदम है और बहुत ही उचित है ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए जिनके पास बहुत से शेयर हैं, यह असीमित कर रियायत एक उनकी कल्पना से परे की बात है और देश को स्टाक एक्सचेंज के लिए भी चिंता का विषय है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझावों और कतिपय टिप्पणियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। यहां मैं एक कथन उद्धृत कर रहा हूं :

> "अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर बन जाते हैं और कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्तियों के प्रति हर किसी की सहानुभूति होती है। लेकिन अभाग्य मध्यम आय-वर्ग ज्यादा अमीर नहीं बन सकता और न ही उसके साथ किसी की सहानुभूतियां होती हैं। लेकिन वे असहनीय करों के बोझ के बीच निरन्तर दबते रहते हैं।"

मैं एक बार फिर 29 फरवरी 1992 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 1992-93 के बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति तथा इसके साथ-साथ नये बजट प्रस्तावों के बारे में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस (इ) के बीच आजकल एक प्रतियोगिता चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि कांग्रेस (इ) उनके घोषणा पत्र को लागू कर रही है जबकि कांग्रेस (इ) यह कहती है कि यह उनका अपना

घोषणा-पत्र है; और भारतीय जनता पार्टी केवल इसका अनुमोदन व समर्थन कर रही है। अन्यथा इसका उत्तर क्या हो सकता है कि बजट-प्रस्तावों की घोषणा के तुरन्त बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विख्यात नेता ने वित्त मंत्री को असमंजस में डाल दिया।

लेकिन दोनों ही पार्टियां अलग-अलग बातें कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता स्वदेशी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों द्वारा उपभोग्य कुछ वस्तुओं की-टूथपेस्ट, साबुन तथा अन्य वस्तुओं आदि की एक सूची तैयार की है, जोकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद नहीं है। दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई तक दी है और प्रशंसा कर रहे हैं। कांग्रेस (इ) के सदस्य भी अलग-अलग बातें ही कर रहे हैं, जैसाकि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वे करते आये हैं।

मैं आपको दो-तीन उदाहरण दे रहा हूं। हमारी पार्टी की ओर से अन्य वक्ता इसके बारे में बतायेंगे। कल तक श्री अर्जुन सिंह इस सदन के नेता थे। केवल एक सप्ताह पूर्व तक वे यह कह रहे थे कि इस शताब्दी के अन्त तक हमारे भारत देश में अशिक्षा का कोई स्थान नहीं होगा और सौ प्रतिशत लोग साक्षर हो जायेंगे। श्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि यदि हमें कोई कटौती करनी ही पड़ी, तो सबसे पहले बुनियादी शिक्षा के बारे में करनी होगी। उस दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री फोतेदार भाषण दे रहे थे कि इस शताब्दी के अन्त अर्थात 2000 ए. डी. तक सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रावधान कर लिया जाएगा और श्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि यदि कोई कटौती करनी पड़ी तो सही माइनों में, यह स्वास्थ्य में की जाएगी और ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इस समायोजन मानव शान्ति के साथ समायोजन की कीमत चुकानी पड़ेगी। गरीबों को सहना पड़ेगा। हम सुधारों के खिलाफ नहीं है। लेकिन सुधार किन के लिए ? किस उद्देश्य के लिए ? किस प्रयोजन के लिए ?

महोदय, विडम्बना यह है कि वही लोग जोकि कांग्रेस (इ) ब्रांड समाजवाद का समर्थन करते रहे हैं—वर्तमान उपसभापति ने अपनी पुस्तक "बिग्रोंड सर्वाइवल" में इसे "थर्ड वर्ल्ड सोशलिजम" कहा है. अफसर साही का लगभग यही वर्ग, वही श्री मनमोहन सिंह, वही श्री नरसिम्हन जो, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अथवा वित्त सचिव के रूप में अथवा उपसभापति के रूप में बिल्कुल विपरीत बातें कहते रहे हैं।

महोदय, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी अपने ओजस्वी यौवन में, इस देश को, इस गरीब देश को यथा-शीघ्र 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए बिना सोच विचार किये उधार लेते रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। यदि आप इस तरह से उधार लेते रहे तो देश का दिवालिया हो जाना अवश्यम्भावी है। भुगतान सन्तुलन का खतरा कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी था। (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : माननीय सदस्य ने कहा ने कि व बिना सोचे समझे उधार ले रहे थे। ऐसा तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। आप जानते हैं कि सातवीं योजना में विकास की दर सर्वाधिक थी जोकि 5.6 प्रतिशत थी। इसलिए एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, विकास कार्यों के लिए उधार लेना और फिर बरा-

बर कर देना कोई अपराध नहीं है। ऐसे उदाहरण होते रहे हैं। हम कठिनाइयों को समझते हैं, लेकिन इस तरह कहना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : धन्यवाद महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उधार लिये जाने विश्लेषण करने और 1950 से 1960 के मध्य तक 1960 मध्य से 1970 के अन्त तक; 1970 के बाद की विभिन्न अवधियों के दौरान भुगतान सन्तुलन की स्थिति के विश्लेषण से आप देखेंगे कि श्रीमती इंदिरा काल के समय में और इसके बाद मुख्यतः श्री राजीव गांधी के समय में देश को इस हालत की ओर धकेला गया है।

महोदय, जिस मंत्री ने अभी-अभी कही गई मेरी बात पर आपत्ति की है उन्होंने 17 मार्च को राज्य सभा में कुछ आंकड़े बताये थे। वे अलग-अलग बातें कह रहे हैं। वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी उसी दिन कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कोई खराबी नहीं है; 1980 के बाद की विकास गतिविधियों के कारण हम मुश्किल में पड गये। उसी दिन दूसरे वित्त मंत्री जी ने, वित्त राज्य मंत्री ने यह कहा कि 1981 के अन्त पर हमारा बाह्य ऋण 18,380 करोड़ रुपए था। हमने अवमूल्यन के बाद उसकी गणना की; और 1991 के अंत में यह राशि 1,42000 करोड़ रुपये के लगभग थी। इसका अर्थ हुआ कि यह सात-आठ गुणा अधिक हो गया।

श्री मनोरंजन भक्त : यह आन्तरिक और बाह्य दोनों को मिला कर है।

श्री रूपचन्द पाल : यह केवल बाह्य है। यदि आप वर्ष-प्रति वर्ष के हिसाब से विश्लेषण करेंगे कि ये देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने की उसकी जिज्ञासा में, पैसा किस ढंग से उधार लिया गया और किस ढंग से अनावश्यक रूप से खर्च किया गया, तब आपको इस बात का पता पता चलेगा। महोदय वे अन्तर्राष्ट्रीय विश्व क्षेत्र और विश्व बैंक के ऋण की बात कर रहे हैं। अब कठिनाई अथवा गलती क्या है ? 32 देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष तथा विश्व बैंक से ऋण लिया है और केवल 1981 के बाद ही ढांचागत समायोजन के प्रावधान तथा दूसरी बातें आयी हैं। विश्व बैंक ने विभिन्न ऋणों के लिए, विभिन्न प्रावधानों के लिए कुछ शर्तें लगा दी हैं। कुछ परियोजना-वार ऋण हैं जोकि कुछ परियोजनाओं के लिए पश्चिमी बंगाल के लिये उपलब्ध हैं इसके बाद भारत सरकार द्वारा लिये गये कुछ विश्व बैंक ऋण है जिनका 65 प्रतिशत व्यापार-कार्यों के लिए रखकर व्यापार चलाने हेतु ऊंची ब्याज की दर पर दे दिया जाता है और 35 प्रतिशत राज्यों आदि को दिया जाता है। हम ऋण अथवा अपना पैसा लेने के खिलाफ हैं। यह स्थिति 1981 के बाद से शुरू हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था। महोदय, सदस्यगण मेक्सिको पीरू, ब्राजील तथा बहुत से दूसरे देशों का उल्लेख कर रहे थे। वर्तमान वित्त मन्त्री डा. मनमोहन सिंह जब साऊथ-साऊथ कमीशन के महासचिव थे तो उन्होंने इस कमीशन में जो कुछ कहा था, उसका एक अंश में यहां पढ़ना चाहूंगा। यह मेरा कथन नहीं है बल्कि विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक उत्सव में, विकासशील अर्थव्यवस्था संबंधी वार्षिक सम्मेलन-1989-में उन्होंने कहा था।

> "विकासशील विश्व से अब कहा विकासीय व ढांचागत समायोजना आदर्श को स्वीकार करने को कहा जाता है जिसमें राज्यों की भूमिका बहुत ही कम हो जाती है ...यह पूर्वी एशिया की अधिक सफल अर्थव्यवस्थाओं में राज्य की अत्यधिक हस्तक्षेपात्मक भूमिका को भी नजरअन्दाज करता है।"

यह मेरा नहीं है। वर्ष 1989-90 में कई स्थानों पर नेता एक बात कर रहे थे और अब 1992 में अचानक ही वे दूसरी बात कर रहे हैं।

महोदय, अब प्रत्यक्ष रूप से बजट पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निर्धन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला और अमीरों का पक्ष लेने वाला बजट है। इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर पड़ेगा। समायोजन की पूरी कीमत निर्धन वर्ग, किसान मजदूरों को वहन करनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 1991-92 के बजट में जो धन रखा गया था संशोधित अनुमानों में उसमें 500 करोड़ रुपए की कमी हो गई है। और फिर यह कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है···(व्यवधान)···जी नहीं। यह कहना कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष यह धन मुहैया करायेगा—मात्र धोखा है। महोदय, वे यह कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष जवाहर रोजगार योजना के लिए 500 करोड रुपये मुहैया करायेगा। क्या कोई व्यक्ति जिसकी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी खत्म हो जाती है और जो एक कुशल श्रमिक है अथवा इंजिनियर है, अपना वह जवाहर रोजगार योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : किसका रोजगार समाप्त हो गया है।

श्री रूपचन्द पाल : मंत्री जी यह आश्वासन दे सकते हैं कि किसी का रोजगार भी खत्म नहीं होगा। वे अलग-अलग बातें कर रहे हैं। एक समय ये कुछ और बात कह रहे थे और वे ये बिल्कुल विपरीत बातें कह रहे हैं। महोदय, आई. एम. एफ. तथा दूसरे ऋणों के बारे में लेटिन अमरीका माडल से बहुत से ध्यान सामने आये हैं। कुछ दिन पूर्व ही वित्त मन्त्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तर दे रहे थे जब अटल जी कहा है था कि आई एम. एफ. के लोगों ने हमारे वित्त मंत्रालय पर नियन्त्रण कर लिया है और वे हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। तब वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे भी देश भक्त है। महोदय, मेरे पास उस विख्यात अर्थशास्त्री के त्याग-पत्र की एक प्रति मौजूद है जिसने 12 वर्ष आई. एम एफ. में कार्य किया। उनका नाम डैबीसन एल. बुद्धो है। इन्होंने आई. एम. एफ. के प्रबन्ध-निदेशक को एक पत्र में यह लिखा था कि आई. एम. एफ. शहद का एक बर्तन है। और महोदय आई. एम. एफ. के कर्मचारियों को वेतन के रूप में क्या मिलता था ? वे स्वयं यह कह रहे थे कि उन्हें 1,43000 डालर वेतन मिलता था। यह भत्ते आदि के बगैर केवल वेतन है मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तीसरी दुनिया के देश के राज्य के प्रमुख को कितना वेतन मिलता है। ऐसे बहुत से लोग मंत्रालय में आने पर अपना एक पैर तो यहां रखते हैं और दूसरा पैर आई. एम. एफ. तथा विश्व बैंक में। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके देश के साथ क्या होने जा रहा है। यह एक ऐसे अर्थशास्त्री का त्याग-पत्र है जिसने आई. एम. एफ. नीतियों का विरोध किया है। आई. एम. एफ. के लोगों ने त्रिनिदाड और टोबेगो जैसे तीसरे विश्व के देशों के आकडों के साथ हेरा-फेरी की है। उन्होंने ऐसे देशों को गुमराह कर उन्हें तबाह किया है। हमारे जैसे विकासशील देश के बारे में यह कहा जाता है कि हमारे पास कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। मैं त्याग-पत्र की केवल एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा :

"कोष के युद्धोत्तर विकासशील अर्थव्यवस्था को उल्टा करने दृष्टिकोण से अधिक व्यापक एवं व्यवस्थित ढंग से निपटा जा सकता है। यह मसला आर्थर लेवीज से शेन तक

के सम्पूर्ण विकास सिद्धांत को "रंगीनी मिक्स" और शिकागो स्कूल "मोनिटर-इज्म" के साथ बदलने की कोष की कोशिश के चहुँ ओर घूमता है। विकास के सभी वर्तमान सिद्धांत इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता के आर्थिक "अधिकारों" के लिए प्रावधान और उनका प्रशासन दक्षिण के निर्धनतम देशों में भी आर्थिक प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है और शासन का अन्तिम उद्देश्य है।"

परन्तु आपको इससे क्या पता चला है? "संरचनात्मक सामन्जस्य" के नाम पर ऐसे देशों से संबद्ध सभी विकासात्मक सिद्धांतों को जानबूझकर और खुलेतौर पर अनदेखा किया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक महान अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्र के लंदन स्थित स्कूल के छात्र और कई देशों और तीसरी दुनिया के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ये शब्द कहे हैं और यह उनका त्यागपत्र है। इस महान अर्थशास्त्री द्वारा तीसरे विश्व के देशों के बारे में कहा गया प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हुआ है। इससे पूर्व खाद्यान्न का निर्यात करने वाले देश अब स्वयं दूसरे देशों पर खाद्यान्न के लिए निर्भर हो गए हैं। अतः हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं।

अब मैं अवमूल्यन के संबंध में कुछ कहूंगा। क्या अवमूल्यन से हमें निर्यात में मदद मिली है? पिछले कुछ माह के दौरान हमारे देश का निर्यात के बारे में क्या अनुभव रहा है? अप्रैल 1991 में केवल दो माह पूर्व ही हमने अवमूल्यन के लिए प्रयत्न किया था और उस समय निर्यात 149 करोड रु का था। मई माह में यह 129 करोड़ रुपए हो गया था और जून में 122 करोड़ रु. हो गया। अतः केवल डालर के बदले में समय के मूल्य को छोड़कर यह आंकड़ा गिरता जा रहा है। जापान के येन जर्मनी के ड्यूटशीमार्क और अन्य देशों की मुद्रा के साथ ही हमारे देश की मुद्रा का मूल्य भी गिर रहा है सिवाय दो-तीन मुद्राओं को छोड़कर।

श्री रामेश्वर ठाकुर : परन्तु बहरहाल इसमें तेजी ही आई है।

श्री रूपचन्द पाल : दूसरे ही दिन आर्थिक परिषद के अध्यक्ष और आपके सलाहकार श्री विमल जालान कह रहे थे कि निर्यात किए बिना इतना ऋण लेने से हमारी स्थिति बिल्कुल खराब हो जायेगी। निर्यात के क्षेत्र में हमारी क्या भूमिका रही है? एक पक्षीय विनिमयता के पश्चात निर्यातकों का क्या विचार है? वित्त मंत्रालय को प्राप्त कुछ पत्रों में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है? दूसरे ही दिन माननीय वित्त मंत्री कह रहे थे कि राज्यों को इससे लाभ होने जा रहा है और उत्पाद-शुल्क में हुई विशेष वृद्धि से मूल्य-वृद्धि नहीं होगी। क्या ऐसी बजट में वर्तमान समस्याओं जैसे अपगमन/मुद्रास्फीति अथवा मूल्य-वृद्धि और बेरोजगारी जैसी मूलभूत समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : बजट में दर्शाये गये घाटे का मुद्रास्फीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : यह केवल दिखावटी और कागजी खाना पूरी है। हमें ज्ञात हुआ है कि जनवरी माह में आपने भारतीय रिजर्व बैंक से 14,000 करोड़ रु. निकाले हैं और एक माह के पश्चात 5,000 करोड़ रु. उसमें से और घट गये लघु बचत निधियों का निजीकरण किया गया है

और लोगों को 'इक्विटी' शेयर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने को कहा जा रहा है। परन्तु शेयर बाजार में क्या हो रहा है ? किसी विशेषज्ञ का कहना है कि इसमें अपगमन हो सकता है परन्तु इसी के साथ ही मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मूल्यों में हुई यह कृत्रिम वृद्धि क्या स्थायी बनने जा रही है ? आगामी समय में सट्टेबाज ही मूल्य और देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे।

आयात नीति को उदार बनाने और आयात कर में कटौती के पश्चात उद्योग को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना है। हमारे स्वदेशी उद्योग का क्या होगा ? मैक्सिको, पेरु में क्या हुआ है ? वहां के अर्थशास्त्री तीसरे विश्व के देशों पर विश्व बैंक और अन्तर राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप एक भी ऐसे देश का उदाहरण दे सकते हैं जिसने विश्व बैंक अथवा अन्तर राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्जा लिया हो और लाभान्वित हुआ हो ? एक भी देश लाभान्वित नहीं हुआ है।

दूसरे दिन माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि विदेशी बैंक काफी कार्य कुशल हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना काम 5 000 करोड़ रु. से शुरु किया था और इस समय इसमें 2,20,000 करोड़ रु. धन जमा है। शुरु में इनकी 4000 शाखायें थीं और अब 60,000 शाखायें हैं प्राथमिकता क्षेत्रों की सेवा करने मे इनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या आप सभा मे आश्वासन दे सकते हैं कि ये विदेशी बैंक कब तक व्यापक पैमाने पर अपना कार्य आरम्भ करेंगे। क्या वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रो का दायित्व निभाने के संबंध में कुछ निदेशों का पालन करेंगे ? मेरे विचार से ऐसा नही होगा। हमारे राष्ट्रीय बैंक सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं और अब जबकि उनका इतना विकास हो चुका है, आप कार्य कुशल की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है ? वहां पूरी तरह से कुप्रबन्ध व्याप्त है। पिछले बीस वर्षों से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। आप इन मंडलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सर्वाधिक अक्षम व्यक्ति को भेज रहे थे। यह जानने के बावजूद भी कि वह भ्रष्ट और अक्षम हैं आप राजनैतिक कारणों से उसे भेज रहे थे। आप ऋण मेले चला रहे थे।

श्री मनोरंजन भक्त : ऋण मेला निर्धन व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है।

श्री रूपचन्द पाल : आप इसी समय बताइये कि इसे कार्य कुशल बनाने के लिए आप क्या कर रहे थे।

महोदय, मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहूँगा। वे उदारी करण और लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं। क्या वे सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग उद्योग का गोपनीयता खंड कल से समाप्त हो जायेगा। मैं एक दो उदाहरण दे सकता हूं। एक ही वर्ष में टाटा और बिड़ला ने 100 करोड़ रु. का कर्ज लिया था और इसे माफ कर दिया गया था। क्या मैं इसका कारण जान सकता हू ? क्या ऐसा इसलिए किया गया चुंकि वे गरीब हो गए थे इस समय कितने व्यक्ति आयकर दे रहे हैं ? मेरे विचार से लगभग सात मिलियन व्यक्ति आय कर दे रहे हैं और एक ही झटके में आपने 85 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 8 लाख व्यक्तियों को आय कर से मुक्त कर दिया है जबकि हमारे देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे रहती है। ग्रामीण

क्षेत्रों में व्यक्ति कृषि से ही आमदनी अर्जित करते हैं। वहाँ वाणिज्यिक पूंजी है। क्या वे इस कृषि के माध्यम से अर्जित की गई आय को हाथ लगा सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि वहां पर आयकार का अनुपालन होगा? कल कहा गया था कि टाटा पर केवल 160 करोड़ रु. देय हैं। उसमें से 125 करोड़ रु. तो केवल आय कर ही था। क्या टाटा बंन्धु बिल्कुल निर्धन हो गये हैं? क्या वे गरीबी रेखा से भी नीचे रह रहे हैं?

मेरे विचार से श्री मनमोहन सिंह ने अर्थ-व्यवस्था संबंधी पत्र कारों के समक्ष एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि "हमने दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरु कर दिया है।" दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का क्या परिणाम निकला? टाटा और बिरला बन्धुओं की सम्पूर्ण सम्पत्ति जो कि शेयरों के रुप में है, सभी प्रकार के सम्पत्ति करों से मुक्त है। इसेमें बड़ी तेजी से दो प्रतिशत से एक प्रतिशत कर दिया गया है।

जिस समय हमारे राष्ट्रपति जी वित्त मन्त्री थे, उन्होंने बीयर बांन्ड नामक एक प्रणाली शुरु की थी। अब चौथी बार आप कह रहे हैं "अपने अनोकित धन का खुलासा करो औरयह आपको अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई उपाय किये हैं? क्या आप उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का विचार रखते हैं जिन्होंने आपके अन्तिम आह्वान का भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? इसका विकतप क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय से ही वामपंथी और कम्युनिट दल इन विकल्प का सुझ व दे रहे हैं और अब उनका सुझाया गया यह विकल्प है। क्या आप में कालेधन की पछताछ करने का साहस है? एक समानतर अर्थव्यवस्था अस्तित्व में है। बार-बार आप कह रहे हैं कि "कृपया राष्ट्रीय आवास बैंक में कुछ राशि जमा करें' बार-बार आप करबद्ध होकर कहते हैं" कृपया कुछ राशि जमा करो।" आप कालेधन को निकाल नहीं सकते। काले धन को जब्त किए बिना आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश को लूटने का निमंत्रण देंगे। अब आप कह रहे हैं कि आप दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरु कर रहे हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? वित्त मन्त्री जी क्या अजीबो गरीब बात कह रहे हैं।

महोदय, हम आतक वादियों के बारे में कह रहे हैं। हम यह भी कह रहे हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता दोनों संकट में है।

आज हम भा.ज.पा द्वारा किये गये आह्वान पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नेहरुवादी रुप के लिए आह्वान किया है। इस समय हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में है। हम एक और खतरे का सामना कर रहे हैं। एक शीतयुद्ध पहले ही शुरु हो चुका है। अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऐजेंटों ने हमारी अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया है वे नहीं चाहते कि हम फलें-फूलों। वे नहीं चाहते कि हम आत्म-निर्भर हों। आपने विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में और उनके द्वारा तीसरे विश्व के देशों को दिये गये ऋणों के बारे में पढा होगा "साउथ-साउथ कमीशन" के सेक्रेटरी जनरल के समान ही श्री मनमोहन सिंह विकल्पों का जिक्र कर रहे थे।

बजट का घाटा कम करने के नाम पर कुछ नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि कुछ कागजी सामंजस्य किया गया है। कुछ अल्पावधि लाभ हेतु उन्होंने हमारी आर्थिक विकास की

खतरे में डाल दिया है। निवेश और पूंजीगत व्यय में कटौती की गई है। यह विकास-विरोधी कदम है। निवेश और केन्द्रीय योजना व्यय में कटौती करने जैसे उपायों से हमारी अर्थ व्यवस्था पर गम्भीर असर पड़ेगा। यह बजट अमीरों के पक्ष में और गरीबों के विरुद्ध है और देश की आर्थिक प्रभुता का सौदा किया गया है। आप अपनी नई नीतियों और उपायों का उल्लेख कीजिए।

इस देश से बिल्कुल मोह नहीं रखने वाले एजेंट ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे न केवल हमारी आर्थिक संप्रभुता को ही भारी नुकसान पहुंचेगा बल्कि हमारी राजनैतिक संप्रभुता भी संकटमय हो जायेगी। अमरीका के साथ हमारा संयुक्त सैनिक और नौ सैनिक अभ्यास इत्यादि आगामी संकट के उदाहरण हैं।

वे दक्षिण कोरियाई मांडल के बारे में कह रहे हैं। दक्षिण कोरियाई स्वरुप और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। अतएव आर्थिक कार्यक्रमों के साथ वे "ऐस्मा" की पुन स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे राजनैतिक अधिकार और लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री ए चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं दिनांक 29 फरवरी 1992 को माननीय वित्त मन्त्री मनमोहन सिंह द्वारा इस सम्माननीय सदन में प्रस्तुत किये गये वर्ष 1992-93 के बजट का समर्थन करता हूं।

बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पश्चात् एक अग्रणी दैनिक में फाईन छपा था कोई एक बड़ा अफसर प्रात: की चाय पीने के बाद किसी दस्तावेज को उनावर्धक लेन्स से देख रहा था। उसकी पत्नी ने आकर उससे पूछा "आप क्या देख रहे हैं ? क्या आप आयकर सम्बन्धी नियमों में कुछ बचाव मार्गों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ले उन्होंने कहा" मैं बजट का विरोध करने के लिए कुछ बचाव मार्गों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं।" दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य भी यही सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

समाचार साध्यमों द्वारा विभिन्न मत अभिव्यक्त किये है जैसे (एक) यह बजट जरुरत मंदों के लिए नहीं है। दूसरा मत यह था कि विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। आर्थिक विकास के लिए उदारीकरण करना आवश्यक था विशेषकर उस स्थिति में जबकि संपूर्ण विश्व की एक अर्थव्यवस्था बनती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, : आप अब भाषण समाप्त कीजिए। आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं। अब सभा कल 24 मार्च, 1992 को 11.00 बजे प्रातः पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.00 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 24 मार्च 1992 4 चैत 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

—

गुप्ता प्रिंटिंग वर्कस दिल्ली 110006